खण्ड-403, अंक-5
बृहस्पतिवार, 1 फाल्गुन, शक संवत् 1913
(20 फरवरी, 1992 ई0)

उत्तर प्रदेश विधान सभा

की

कार्यवाही

(अधिकृत विवरण)

(ग्यारहवीं विधान सभा, प्रथम सत्र 1992)

खण्ड 403 में 10 अंक है

उत्तर प्रदेश विधान सभा सचिवालय (कार्यवाही अनुभाग) द्वारा प्रकाशित

मुद्रक:

निदेशक, राजकीय मुद्रण एवं लेखन सामग्री, लखनऊ, उत्तर प्रदेश (भारत)

1992

मूल्य : बिना महसूल 25 पैसे, महसूल सहित 31 पैसे |

वार्षिक चन्दा : बिना महसूल 10 रुपये, महसूल सहित 12 रुपये |

विषय-सूची

विषय	पृष्ठ संख्या
उपस्थित सदस्य	ग—घ
दलित शिक्षा आन्दोलनकारियों द्वारा दारुलशफा विधायक भवन का घेराव किये जाने विषयक सूचना को नियम 311 के अन्तर्गत उठाने का प्रयास (जारी)	1—2
प्रश्नोत्तर	3—114
दलित शिक्षा आन्दोलनकारियों द्वारा दारुलशफा विधायक भवन का घेराव किये जाने विषयक सूचना को नियम 311 के अन्तर्गत उठाने का प्रयास—	115
प्रश्नों के सम्बन्ध में व्यवस्था का प्रश्न उठाने का प्रयास	115—116
नियम 301 के अन्तर्गत सूचनाएं	116
नसबन्दी आपरेशन में श्रीमती रानी देवी की मृत्यु से सम्बन्धित डाक्टरों के खिलाफ कार्यवाही करने तथा मृतक के परिवार को मुआवजा दिये जाने की मांग के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना	116—117
श्री राजपति निवासी ग्राम ककरही दुलार, आजमगढ़ द्वारा यूनियन बैंक से लिये गये ऋण की वसूली में धांधली किये जाने के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना	117
जनपद गाजीपुर के कासिमाबाद में तहसील खोले जाने के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना	117
एलोपैथिक तथा होम्योपैथिक निर्माणशालाओं को पुनः अल्कोहल का आवंटन प्रारम्भ कराये जाने के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना	113
स्वास्थ्य विभाग में रिक्त वरिष्ठ पदों पर प्रोन्नति में विलम्ब से विभागीय असन्तोष उत्पन्न होने के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना	118
यूनीसेफ द्वारा चलाई जा रही आई0 सी0 डी0 एस0 स्कीम के सफल संचालन हेतु जिला कार्यक्रम अधिकारियों के रिक्त पदों को भरे जाने के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना	118—119
जनपद बांदा के जिला पुरुष एवं महिला चिकित्सालय में हो रही धांधली एवं अनियमितताओं के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना	119—120
औचित्य के प्रश्नों की सूचनायें	120
दलित शिक्षा आन्दोलनकारियों द्वारा दारुलशफा विधायक भवन का घेराव किये जाने तथा विधायकों को सदन की कार्यवाही में भाग लेने से रोके जाने के सम्बन्ध में औचित्य का प्रश्न	121—141
सूचना एवं जनसम्पर्क विभाग की सूचना निदर्शनी में सांसदों की संख्या गलत प्रकाशित किये जाने के सम्बन्ध में औचित्य का प्रश्न	141—142
दिनांक 14 फरवरी, 1992 के अल्पसूचित तारांकित प्रश्न संख्या 1 का मुख्य मंत्री द्वारा गलत एवं भ्रामक उत्तर दिये जाने के सम्बन्ध में औचित्य का प्रश्न	142—148
प्रदेश में गठित ग्राम्य विकास अभिकरणों में विधायकों की उपेक्षा किये जाने के सम्बन्ध में औचित्य का प्रश्न	148—152
विधान सभा सदस्यों को सदन से निष्कासन में अनियमितता बरते जाने के सम्बन्ध में औचित्य का प्रश्न	152—157

विषय	पृष्ठ संख्या
विधान सभा के वर्ष 1991 के प्रथम सत्र दिनांक 31 जुलाई, 1991 से 13 अगस्त 1991 तक की अवधि में नियम 301 के अन्तर्गत प्राप्त सूचनाओं पर कृत कार्यवाहों का विवरण--(सदन के पटल पर रखी गयी)	157
उत्तर प्रदेश राज्य विधान मण्डल (सदस्यों की उपलब्धियां और पेंशन) (आठवां संशोधन) नियमावली, 1991--(सदन के पटल पर रखी गयी)	157
श्री हृदय नारायण दीक्षित सदस्य, विधान सभा द्वारा राजस्व मंत्री के विरुद्ध दिये गये विशेषाधिकार की अवहेलना के प्रश्न के सम्बन्ध में परीक्षण कराये जाने की सूचना	157
उत्तर प्रदेश स्टेट सीमेन्ट कारपोरेशन लिमिटेड (अंशों का अर्जन) विधेयक, 1992--(पुरः स्थापित)	158
भारतीय स्टाम्प (उत्तर प्रदेश संशोधन) विधेयक, 1992--(पुरः स्थापित) ..	158
राज्यपाल के अभिभाषण पर धन्यवाद का प्रस्ताव--(चर्चा जारी) ..	158–192
नियम 51 के अन्तर्गत सूचनाएं	192
नाथिय	193–196

सत्यमेव जयते

उत्तर प्रदेश विधान सभा

बृहस्पतिवार, 20 फरवरी, 1992

निम्नांकित सदस्यों के अतिरिक्त अन्य सभी सदस्य उपस्थित थे—

अतीक अहमद, श्री	..	इलाहाबाद
अमर सिंह, श्री	..	बिजनौर
अरिदमन सिंह, श्री	..	आगरा
अवध पाल सिंह, श्री	..	एटा
उमाकान्त यादव, श्री	..	जौनपुर
उम्मेद सिंह, श्री	..	आगरा
ओम प्रकाश, श्री	..	गोरखपुर
ओम प्रकाश दिवाकर, श्री	..	फिरोजाबाद
किशोरी लाल यादव, श्री	..	जौनपुर
कृष्ण किंकर सिंह, श्री	..	बस्ती
गंगा भक्त सिंह, श्री	..	हरदोई
चन्द्रभान मौर्य, श्री	..	आगरा
दल सिंगार, श्री	..	आजमगढ़
नारायण दत्त तिवारी श्री	..	नैनीताल
नीलम सिंह, श्रीमती	..	बहराइच
पतिराज, श्री	..	आजमगढ़
पूरन सिंह बुन्देला, श्री	..	ललितपुर
पृथ्वी सिंह, श्री	..	हरिद्वार
फतेहबहादुर सिंह, श्री	..	महराजगंज
बाबू लाल गोयल, श्री	..	आगरा
भोला शंकर मौर्य, श्री	..	बदायूं
भोला सिंह, श्री	..	इलाहाबाद
मदन भैया, श्री	..	मेरठ
मन्नूलाल कुरील, श्री	..	बांदा
मयंकर सिंह, श्री	..	बहराइच
मामचन्द्र लाम्बा उर्फ मेमचन्द्र, श्री	..	सहारनपुर
मोहम्मद मुकीम, श्री	..	सिद्धार्थ नगर
मोहम्मद वसीम हाजी, श्री	..	रायबरेली
रणजीत सिंह जूदेव, श्री	..	झांसी
रमाकान्त यादव, श्री	..	आजमगढ़
राजेन्द्र, श्री	..	बिजनौर
राम कुमार शुक्ल, श्री	..	लखनऊ
राम खिलाड़ी, श्री	..	बदायूं
राम सरन वर्मा, श्री	..	पीलीभीत
राम सरन सिंह, श्री	..	अलीगढ़
राम सेवक, श्री	..	बदायूं
राम सेवक सिंह, श्री	..	इलाहाबाद
रामू प्रियदर्शी, श्री	..	फैजाबाद
विक्रमादित्य पाण्डेय, श्री	..	बलिया

विजय सिंह, श्री	..	सोनभद्र
विजय सिंह राणा, श्री	..	आगरा
विजेन्द्र कुमार, श्री	..	गाजियाबाद
शिवबालक पासी, श्री	..	रायबरेली
शिवाकान्त ओझा, श्री	..	प्रतापगढ़
शिवेन्द्र सिंह उर्फ शिव बाबू, श्री	..	महराजगंज
समीउल्ला, श्री	..	गोण्डा
सुरेश कुमार खन्ना, श्री	..	शाहजहांपुर
हर नारायण सिंह, श्री	..	रायबरेली
हरपाल सिंह, श्री	..	बुलन्दशहर
हरबंश कपूर, श्री	..	देहरादून
हरिशंकर तिवारी, श्री	..	गोरखपुर

विधान सभा

गुरुवार, दिनांक 20 फरवरी, 1992

विधान सभा की बैठक सभा-मण्डप लखनऊ में दिन के 11 बजे अध्यक्ष श्री केशरी नाथ त्रिपाठी की अध्यक्षता में आरम्भ हुई ।

दलित शिक्षा आन्दोलनकारियों द्वारा दारूलशफा विधायक भवन का घेराव किये जाने विषयक सूचना को नियम 311 के अन्तर्गत उठाने का प्रयास

(कई सदस्यों के एक साथ बोलने से व्यवधान)

श्री अध्यक्ष–

आप लोग बैठ जायं ।

श्री हृदय नारायण दीक्षित–

मान्यवर, अनेक माननीय सदस्य दारूलशफा विधायक भवन में फंसे हैं और यहां सदन की कार्यवाही में भाग लेने नहीं आ पा रहे हैं ।

श्री अध्यक्ष–

मुझे जानकारी हो गयी है, इसलिये प्रश्नों के समय अव्यवस्था न पैदा करें ।

श्री हृदय नारायण दीक्षित–

मान्यवर, मेरी बात सुन लें । दलित शिक्षा आन्दोलन के नाम पर काफी लोगों ने दारुलशफा विधायक भवन का घेराव किया है और वहां खड़ी जीपों को उन्होंने क्षतिग्रस्त किया है । श्री यदुनाथ सिंह जनता दल (अ) के नेता हैं मैं स्वयं अनेक मा0 विधायकों के साथ श्री धनराज मंत्री जी के यहां बैठा था उन्होंने व मैंने जिलाधिकारी को, आपको, मा0 मुख्य मंत्री जी को एस0 एस0 पी0, कोतवाल और होम सेक्रेटरी को फोन किया लेकिन ऐसी सरकार विहीनता की सरकार उत्तर प्रदेश लखनऊ मे इसके पहले नहीं देखी गयी कि कोई फोन सुनने वाला नहीं है और न कोई व्यवस्था कायम करने वाला है। मैं और श्री राम आसरे वर्मा एवं अन्य बहुत सारे सदस्य 9 बजे प्रातः तक यहां आ जाते थे और शून्यकाल में उठाये जाने वाले प्रश्नों की नोटिस तैयार करके यहां सचिव को दे देते थे किन्तु दारुलशफा 'ए' और 'बी' ब्लाक के विधायकगण आज घेराव के कारण यहां नही आ पाये और नोटिस नहीं दे पाये हैं ।

मान्यवर, दलित शिक्षा आन्दोलन के लोग एक महीने पहले से विधान भवन के सामने धरना दे रहे हैं यदि सरकार का कोई प्रतिनिधि जाकर उनकी बातों को सुन लेता और उनकी मांगों पर विचार कर लेता तो आज यह स्थिति न आती कि लोग विधायकों के कक्षों में घुसते और घेराव करते, वहीं तोड़ फोड़ तथा अराजकता पैदा नहीं होती । मगर सरकार की दृष्टि दलित विरोधी है ।

इसलिए मान्यवर, मैं नियम 311 में प्रस्ताव करता हूं कि इस मामले को आप सुनने की कृपा करें चूंकि स्थिति विस्फोटक है और 8.30 से लेकर 10.30 बजे तक दारूलशफा में जो अराजकता फैली उसको कैबिनेट मंत्री के फोन करने पर भी सरकार द्वारा व्यवस्था ठीक नहीं की गयी ।

श्री अध्यक्ष–

श्री हृदय नारायण दीक्षित जी मुझे दारुलशफा के ए ब्लाक में कुछ लोगों द्वारा तालाबंद करने की सूचना सवा 9 बजे प्राप्त हुई । उसके बाद जानकारी मिली कि पुलिस

बल दारुलशफा के ए ब्लाक में पहुंच गया है जिससे ए0 और बी0 ब्लाक के कुछ माननीय सदस्य यहां आ गये हैं । कुछ माननीय सदस्यों ने इस ओर माननीय मुख्य मंत्री का ध्यान आकर्षित किया है लेकिन प्रश्नकाल के बाद इस पर विस्तार से बात कर लेंगे।

वित्त, संस्थागत वित्त, नियोजन एवं संसदीय कार्य मंत्री (श्री राजेन्द्र गुप्त)–

मान्यवर, यह बात सही है कि कुछ ऐसा दुखद प्रकरण दारुलशफा में हुआ लेकिन वहां व्यवस्था कर दी गयी है जिससे विधायकगण आ रहे हैं वहां और ऐसा नहीं है कि उनको यहां आने में बाधा पहुंच रही हो।

मान्यवर, एक जानकारी देना चाहता हूं कि इस लोकतांत्रिक व्यवस्था में किसी को अपनी बात पर बल देने का अधिकार है जनतांत्रिक तरीके से लेकिन जो दलित लोगों ने मांग किया उसके बारे में मंत्रि मंडल के समाज कल्याण मंत्री जी ने बातचीत किया और समाधानकारक बात हुई है जिससे उसका आन्दोलन वापस हो रहा था। लेकिन उसके बाद कुछ परिस्थितियां पैदा हुई जिससे वे आन्दोलनरत हुए लेकिन यह मामला रास्ते पर है, इसलिए इसको दिखवा लेंगे और ऐसी स्थिति नहीं आयेगी जिससे किसी को कठिनाई हो।

श्री हृदय नारायण दीक्षित–

मान्यवर, सूचनायें नहीं आ पायी हैं ।

श्री अध्यक्ष–

सूचनायें आयी हैं।

श्री स्वामी नाथ यादव–

मान्यवर, अभी तक विधायकों के आने की कोई व्यवस्था नहीं हो पायी है और रास्ते में तमाम आन्दोलनकारी और प्रदर्शनकारी बैठे हैं। इसे सुनिश्चित करने की कृपा की जाय जिससे जो माननीय सदस्य अभी तक घिरे बैठे हैं वह बाहर आ सकें।

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त–

मान्यवर, मैंने अभी श्री हृदय नारायण जी की बात सुना। कभी-कभी उत्तेजना में ऐसा होता है कि अपनी बात भूल जाते हैं । श्री हृदय नारायण जी ने कहा कि लोग अपनी सूचनाएं नहीं दे पाये लेकिन माननीय दीक्षित जी ने जो सूचना दी है वह मुझे प्राप्त हो गई है । मैं समझ नहीं पा रहा हूं कि वह कैसे कह रहे हैं कि सूचनाएं नहीं दी जा सकीं।

(व्यवधान)

मुख्यमंत्री (श्री कल्याण सिंह)–

श्री नरेश चन्द्र जी की सूचना भी मिल गई है ।

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष–

मैंने कहा कि प्रश्नकाल के बाद इस पर कहियेगा।

प्रश्नोत्तर

अल्पसूचित तारांकित प्रश्न

दंगा विरोधी विशेष पुलिस बल का गठन

**1—श्री श्याम देव राय चौधरी—

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि दंगा विरोधी विशेष पुलिस बल का गठन किये जाने की कोई योजना सरकार के विचाराधीन है? यदि हां, तो इसकी रूप रेखा और इसका क्या औचित्य है? इस पर कुल कितना व्यय अनुमानित है?

गृह राज्य मंत्री (श्री सूर्य प्रताप शाही)—

जी नहीं।

अन्य प्रश्न नहीं उठते।

श्री श्याम देव राय चौधरी—

मान्यवर, माननीय मंत्री जी के उत्तर के संदर्भ में मैं आपके माध्यम से यह जानकारी करना चाहता हूं कि दंगों से निपटने के लिए शान्ति सुरक्षा बल का गठन निरस्त कर दिया गया है जिसमें पुलिस बल को जाति, धर्म और वर्ग के आधार पर विभाजित करने का प्राविधान था? दूसरा प्रश्न मान्यवर, यह है कि इसमें जो निर्धारित मानक है, उसको भी स्वीकार करने का प्राविधान था? उसी के साथ साक्षात्कार के लिए 50 अंक निर्धारित किये गये थे?

श्री सूर्य प्रताप शाही—

जी हां, शांति सुरक्षा बल का गठन दिनांक 8-10-91 के निर्णय से निरस्त कर दिया गया है। दिनांक 14-10-91 को शासन के निर्णय से पुलिस महानिदेशक को सूचित कर दिया गया है।

श्री नरेश अग्रवाल—

मान्यवर, प्रश्न इतना था कि दंगा विरोधी विशेष पुलिस बल का गठन किये जाने की कोई योजना है कि नहीं? लेकिन माननीय श्याम देव राय चौधरी जी ने जब प्रश्न किया तो उससे लगा कि कोई मिली-भगत थी। पिछली सरकार की जो योजना थी उसे निरस्त किया है? वह योजना क्या थी? उसका पूर्ण विवरण सदन के समक्ष रखने का कष्ट करें। जिससे यह भ्रम दूर हो जायेगा।

श्री सूर्य प्रताप शाही—

मान्यवर, माननीय सदस्य बीच में ही बोलने लगे जिससे मैं पूरा उत्तर नहीं दे सका। अब मैं चाहूंगा कि आपके माध्यम से सुनने का कष्ट करें। यह बात सही है कि शान्ति सुरक्षा बल के गठन के सन्दर्भ में तत्कालीन सरकार ने मंत्रि-परिषद् में कोई निर्णय नहीं लिया था वह एक व्यक्ति का निर्णय था। मान्यवर, चुनाव की अधिसूचना जारी करने के बाद उसके गठन की विज्ञप्ति निकाली गई थी। कुछ व्यक्ति उच्च न्यायालय और लखनऊ पीठ में भी गया। वहां से एक रिट याचिका में उसकी कार्यवाही में रोक लगा दी गई। माननीय सदस्य ने एक यह प्रश्न किया कि मानकों के बारे में। तो मान्यवर साक्षात्कार के लिए 50 अंक निर्धारित किये गये थे टोटल अंक के 43.3 प्रतिशत था। जबकि राज्य सरकार ने अपने निर्णय में 11.9-91 के निर्धारित साक्षात्कार के लिए मानक तय किया था कि 12.2 से अधिक अंक निधारित नहीं होंगे, इसमें

कुछ लोगों को पक्षपात पूर्ण ढंग से लोगों की मदद पहुंचाने की मंशा सरकार की थी। हिन्दी भाषा के अतिरिक्त अन्य बोली बोलने वाले लोगों को प्राथमिकता देने की भी बात थी आयु तथा शारीरिक मानकों में शिथिलता बरतकर उस समय कुछ विशेष लोगों को लाभ पहुंचाने की मंशा थी । जो भर्ती के लिए जनपद घोषित किए गये वहां 22 विशेष जनपदों में दुबारा अधिसूचना जारी करके पदों की वृद्धि की गई । उसमें चुनाव का लाभ उठाया जाना था चुनाव की अधिसूचना जारी होने के बाद यह निर्णय हुआ था । इसलिए नयी सरकार ने पुरानी सरकार के निर्णय, जिनका पुनरीक्षण होना था पुनरीक्षण किया गया, उसमें पाया गया कि शान्ति सुरक्षा बल की कोई आवश्यकता नहीं थी । उत्तर प्रदेश में जो वर्तमान पुलिस, पी0 ए0 सी0 है वह हर प्रकार के दंगों को रोकने के लिए सक्षम है।

श्री राम आसरे वर्मा–

मान्यवर, मंत्री जी के उत्तर के संदर्भ में यह जानना चाहूंगा कि किन परिस्थितियों में पिछली सरकार ने दंगा विरोधी दस्ता गठित करने का निर्णय लिया था और किन परिस्थितियों में वर्तमान सरकार ने उसको निरस्त किया, तो उन कारणों को माननीय मंत्री जी बता दें?

श्री अध्यक्ष–

उसका उत्तर आ गया है।

श्री राम आसरे वर्मा–

मान्यवर, किन कारणों से उस निर्णय को निरस्त किया गया यह बता दें। कारण इन्होंने नहीं बताये थे।

(शोरगुल)

श्री अध्यक्ष–

अनुचित लाभ पहुंचाने की दृष्टि से साक्षात्कार के अंक निर्धारित कर दिए गए थे वह 50 प्रतिशत थे ।

(व्यवधान)

श्री राम आसरे वर्मा–

मान्यवर, मेरा प्रश्न सुन लें। किन परिस्थितियों की वजह से पिछली सरकार ने दंगा विरोधी दस्ता गठित करने का निश्चय किया और वह परिस्थितियां कब बदल गईं, कौन सी नई परिस्थितियां पैदा हो गईं जिसकी वजह से पिछली सरकार का निर्णय बदलने के लिए इस सरकार को विवश होना पड़ा? मेरे प्रश्न का जवाब मंत्री जी ने नहीं दिया।

श्री अध्यक्ष–

इतना बता दें कि वह कौन सी परिस्थितियां थीं जिसकी वजह से पूर्व सरकार ने इस दल का गठन करने का निर्णय लिया था?

श्री सूर्य प्रताप शाही–

उस समय शान्ति सुरक्षा बल के लिए राज्य सरकार ने केन्द्र सरकार को प्रस्ताव भेजा था जिस समय इसके गठन का निर्णय लिया गया था उस समय केन्द्र सरकार ने

कहा कि इस प्रस्ताव को वित्त आयोग के समक्ष प्रस्तुत किया जाए। वित्त आयोग ने इसको आज की तारीख में स्वीकार नहीं किया है। उसके पास आर्थिक संसाधन थे उसमें केन्द्र सरकार ने सहमति नहीं दी । शान्ति सुरक्षा बल की मदद दंगों से निपटने के लिए थी। मान्यवर, सात-आठ महीनों में उत्तर प्रदेश में उत्तर प्रदेश पुलिस ने इन दंगों पर नियंत्रण स्थापित कर लिया है ।

श्री राम आसरे वर्मा–

पुलिस, पी0 ए0 सी0 में साम्प्रदायिक भावना व्याप्त है उसको ध्यान में रखते हुए दंगा विरोधी दस्ते का गठन करने का निर्णय लिया गया था?

श्री अध्यक्ष–

यह मूल प्रश्न से अलग है।

श्री राम आसरे वर्मा–

प्रदेश में साम्प्रदायिक दंगे व्याप्त हैं । तो मान्यवर, आप स्वयं इस बात का निर्णय करें कि जिस पी0ए0सी0 के खिलाफ जनमानस में एक विरोध, असंतोष का वातावरण पैदा हुआ है उसी के माध्यम से साम्प्रदायिक तनाव पर काबू पाने का निर्णय कहां तक उचित है?

श्री अध्यक्ष–

प्रश्नों के माध्यम से आक्षेप न लगायें ।

श्री राम आसरे वर्मा–

मान्यवर, मैंने प्रश्न किया है कि पूरे प्रदेश की जनता के सामने जो तथ्य उभर कर आया है, चाहे वह मलियाना कांड हो या चाहे कोई और कांड हो, पी0ए0सी0 की भूमिका संदिग्ध पायी गयी है और उसके देखते हुये आतंकवाद विरोधी दस्ता गठित करने का निर्णय लिया गया था । मान्यवर, उसी पी0ए0सी0 के कारण आज प्रदेश भर में जगह-जगह साम्प्रदायिक घटनायें घट रही हैं, तनाव व्याप्त है । इस पर नियंत्रण पाने के लिये सरकार उसी पी0ए0सी0 का सहारा लेना चाहती है तो क्या सरकार इस तनाव पर नियंत्रण पा सकेगी?

श्री अध्यक्ष–

इस प्रश्न की अनुमति नहीं है ।

श्री जी0 एस0 विनोद–

मान्यवर, विधायक आवास में मच्छर पैदा हो गये हैं । हमारे हाथ पैर देखें. तमाम मच्छरों ने काटा है । क्या सरकार मच्छर विरोधी कोई कानून बना रही है, मच्छरों को समाप्त करने के लिए कोई व्यवस्था की जायगी ? इस पर मैं आपकी व्यवस्था चाहता हूं ।

मुख्य मंत्री (कल्याण सिंह)–

मान्यवर, माननीय सदस्य श्री राम आसरे वर्मा जी ने एक प्रश्न रखा, पी0 ए0 सी0 की मानसिकता के ऊपर प्रश्न चिन्ह लगाया है । मैं स्पष्ट कहना चाहता हूं कि पी0ए0सी0 के ऊपर साम्प्रदायिकता का आरोप लगाना सही नहीं है । यह बात केवल मैं नहीं कह

रहा हूं कल्याण कृष्णन कमेटी की रिपोर्ट है, उन्होंने बहुत छानबीन करने के बाद कहा है कि पी0ए0सी0 के ऊपर सांम्प्रदायिकता का लगाया गया आरोप निराधार है । दूसरी बात मैं कहना चाहता हूं कि हम सदन के बाहर या सदन के अंदर पी0ए0सी0 तथा किसी सुरक्षा बल के ऊपर जब साम्प्रदायिक होने का आरोप लगाते हैं तो हम उनके मनोबल को तोड़ने का काम करते हैं । मैं अपने अनुभव के आधार पर कहता हूं कि उत्तर प्रदेश की पी0ए0सी0 सांम्प्रदायिक मानसिकता से ग्रसित नहीं है । (मेजों की थपथपाहट) । उन्होंने बहुत विषम परिस्थितियों में जलते हुये शहरों में अपनी जान को झोंक कर लोगों की जानें बचायी है । यह ठीक है कि एक्शन लेने में कुछ लोग इधर के मरे होंगे कुछ लोग उधर के मरे होंगे । लेकिन पी0ए0सी0 के ऊपर सांम्प्रदायिकता का आरोप लगाना निराधार है । मैं निवेदन करूगा कि इस तरह के आरोप लगाकर सुरक्षा बलों के मनोबल को तोड़ने की कोशिश हम लोग न करें ।

श्री राम आसरे वर्मा–

मान्यवर, मुख्य मंत्री जी ने मेरा नाम इसमें घसीटा है, इसलिये मुझे निवेदन करना है ।

श्री यदुनाथ सिंह–

मान्यवर, मुख्य मंत्री जी ने कहा कि पी0ए0सी0 और पुलिस के खिलाफ साम्प्रदायिकता का आरोप लगाकर उनके मनोबल को तोड़ा जा रहा है । मान्यवर, चाहे बनारस का कांड हो या मलियाना का कांड हो, मैं स्पष्ट रूप से शिकायत करता हूं कि पी0 ए0 सी0 कुछ कुछ साम्प्रदायिक हो चुकी है । पी0ए0सी0 को ठीक करने के लिए उसको सेकुलर बनाने के लिए, हम लोगों की राय से, कुछ कोशिश करेंगे ?

श्री कल्याण सिंह–

मान्यवर, जांच के दौरान अगर कहीं किसी के खिलाफ शिकायत पायी जाती है तो शासन जरूर कार्यवाही करेगा । पिछली सरकारों में कार्यवाही नहीं होती रही होगी लेकिन यह सरकार कार्यवाही करेगी । लेकिन समूची पुलिस या पी0ए0सी0 को जोड़कर उसे सांम्प्रदायिक कहना उचित नहीं है । इससे शांति व्यवस्था कायम करने में कठिनाई होती है । व्यक्तिगत केसेज हो सकते हैं जिसमें 2-4 लोग दोषी हो सकते हैं, उनके खिलाफ कार्यवाही होगी । समूचे सुरक्षा बल के खिलाफ यह कहना कि सांम्प्रदायिक हो गयी है, यह उनके मनोबल को तोड़ने की बात होगी ।

श्री राम आसरे वर्मा–

मान्यवर, मुख्य मंत्री जी ने मेरा नाम लिया है । (शोर)

श्री अध्यक्ष–

मैं देख रहा हूं कि प्रश्नोत्तर काल धीरे-धीरे चर्चा का काल बनता जा रहा है । इस प्रश्न पर काफी अनुपूरक प्रश्न हो गये हैं ।

(घोर व्यवधान)

श्री अध्यक्ष–

यह चर्चा का विषय नहीं है ।

श्री राम आसरे वर्मा–

मान्यवर, पूरे प्रदेश की जनता में उसके प्रति संदिग्धता स्पष्ट हो चुकी है (व्यवधान)

श्री बेनी प्रसाद वर्मा–

मान्यवर, यह सरकार का काम नहीं होता है कि पिछली सरकार पर आरोप लगाए और अपने को अच्छा साबित करे । यह काम सरकार का नहीं होता है । मुख्य मंत्री ने कहा कि पुलिस बल पर साम्प्रदायिकता का आरोप नहीं लगाना चाहिये, लेकिन यह प्रश्न यहां उठता रहा है और आशंका की उंगली उठती रही है । इसीलिये इसके निवारण के लिये दंगा विरोधी बल गठित करने का निर्णय लिया गया था । उसमें विशेष रूप से अल्पसंख्यकों और दलित वर्ग के लोगों को रखने का प्राविधान किया गया था । मैं जानना चाहता हूं कि अगर दलितों और अल्पसंख्यकों में सुरक्षा की भावना नहीं है तो ऐसा बल जिसमें उंगली उठने की गुंजाइश नहीं होती, उसका गठन क्यों निरस्त किया गया?

श्री कल्याण सिंह–

मान्यवर, दलितों और अल्पसंख्यकों के संरक्षण के लिये यह सरकार उतनी ही प्रतिबद्ध है जितनी कि बाकी किसी वर्ग की शांति के लिये प्रतिबद्ध है । दूसरे अगर सुरक्षा बल में वर्गों के आधार पर भर्ती आरम्भ हुई तो इसका दूरगामी दुष्परिणाम होगा। यदि योग्यता और अर्हता के बजाय किसी वर्ग के आधार पर सुरक्षा बल खड़ा किया गया तो इसके दूरगामी परिणाम बड़े भयंकर साबित होंगे । (घोर व्यवधान)

श्री बेनी प्रसाद वर्मा–

मान्यवर, मुख्य मंत्री जी ने जो बात कही वह संविधान विरोधी है और पूरे प्रदेश की जनता को गुमराह करने वाली है । मुख्य मंत्री जी ने साम्प्रदायिक भावना से ऐसा किया है, यह मेरा आरोप है ।

भारत सरकार द्वारा सरकारी सस्ते गल्ले की दुकानों से वितरित किये जाने वाले गेहूं, चीनी के मूल्यों में वृद्धि तथा सबसिडी पर विचार

**2–श्री सुरेन्द्र सिंह–

क्या खाद्य एवं रसद मंत्री अवगत हैं कि सरकारी सस्ते गल्ले की दुकानों से वितरित किये जाने वाले गेहूं एवं चीनी के मूल्यों में भारत सरकार द्वारा क्रमशः दिसम्बर, 91 में 55 पैसे एवं जनवरी, 92 में 80 पैसे प्रति किलो की दर से वृद्धि किये जाने के परिणाम स्वरूप आम उपभोक्ताओं पर अतिरिक्त भार पड़ा है ? क्या सरकार इन बढ़े हुए मूल्यों से जनता को राहत दिलाने हेतु कोई सबसिडी देने पर विचार कर रही है ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

खाद्य एवं रसद मंत्री (एजाज रिजवी)–

जी हां । भारत सरकार द्वारा गेहूं के निर्गमन मूल्य में दिनांक 28 दिसम्बर, 1991 से तथा चीनी के मूल्य में दिनांक 21 जनवरी, 1992 से की गई वृद्धि के परिणामस्वरूप उपभोक्ताओं पर अतिरिक्त भार पड़ा है ।

जी नहीं ।

शासन के वर्तमान वित्तीय संसाधनों को देखते हुए सबसिडी दिये जाने का कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है ।

श्री सुरेन्द्र सिंह–

मान्यवर, माननीय खाद्य मंत्री जी के उत्तर के संदर्भ में मैं जानना चाहता हूं कि बढ़ती हुई मंहगाई और मूल्यों को देखते हुए, जो गेहूं के मूल्य 3.10 रुपये और चीनी के मूल्य 6.90 रुपये हो गये, उस परिस्थितियों में जो जनता पर भार बढ़ा है, उसको देखते हुए क्या सरकार गेहूं और चीनी के बढ़े हुए मूल्यों में सबसिडी देने पर विचार करेगी । दूसरे जो शासन ने बीते हुए 4 वर्षों में गेहूं और चीनी के आवंटन का कोटा आधा कर दिया है, क्या सरकार कोटा बढ़ाने पर विचार करेगी ?

श्री अध्यक्ष–

माननीय सुरेन्द्र सिंह के पहले प्रश्न का उत्तर आ गया है कि शासन के वर्तमान वित्तीय संसाधनों को देखते हुए सबसिडी दिये जाने का कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है । दूसरे प्रश्न का उत्तर दे दें ।

श्री एजाज रिजवी–

मान्यवर, जितना केन्द्र सरकार से मिलता है, उतना ही मिला है और उसके आधार पर कटौती नहीं की गयी है ।

श्री सुरेन्द्र सिंह–

मान्यवर, माननीय मंत्री जी के उत्तर के संदर्भ में पूर्वी उत्तर प्रदेश के कई जिलों के उदाहरण ऐसे हैं जिनमें पिछले सितम्बर में गेहूं और चावल का जो आवंटन हुआ था, उसका आधा आवंटन उत्तर प्रदेश के कई जिलों में हुआ । मैं जानना चाहता हूं कि पिछले सितम्बर में जो पूरा कोटा आवंटित होता था, क्या सरकार इतना ही कोटा उन जनपदों में आवंटित करने पर विचार करेगी ?

श्री एजाज रिजवी–

मान्यवर, जितना कोटा हमको मिला है, उतना ही आवंटित कर दिया गया है। उसमें कोई कटौती नहीं की गयी है ।

श्री स्वामी नाथ यादव–

मान्यवर, मैं आपकी आज्ञा से माननीय खाद्य मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि गेहूं, चावल और चीनी जैसा कि नगरपालिका क्षेत्र के लिए आवंटित किया गया है, उसी तरह से टाउन एरिया और गावों को भी देने की व्यवस्था सरकार कर रही है ? यदि नहीं तो क्यों ?

श्री एजाज रिजवी–

मान्यवर, सभी नगरीय क्षेत्रों में इसके वितरण की व्यवस्था है, नगरीय क्षेत्र में ही टाउन एरिया आती है ।

श्री स्वामी नाथ यादव–

मान्यवर, आप कब से टाउन एरिया में यह व्यवस्था लागू कर रखी है ?

श्री एजाज रिजवी–

मान्यवर, यह व्यवस्था पूर्व से ही लागू है ।

श्री राम आंतार शाक्य—

मान्यवर, अभी माननीय मंत्री जी ने कहा कि केन्द्र सरकार के द्वारा जितना कोटा हमको मिला है, उतना ही आवंटित कर दिया गया है । क्या आप हमारे मैनपुरी जिले में चलकर देखेंगे, मेरी निश्चित जानकारी है कि वहां पर बहुत कम एलाटमेन्ट किया गया है । वहां पर ऐसा नहीं है । क्या माननीय मंत्री जी ने ऐसे कोई निर्देश दिये हैं कि कटौती कर दी जाय ? यदि नहीं, तो जो आवश्यक वस्तुएं उपलब्ध कराई जानी चाहिए, वह क्यों नहीं उपलब्ध कराई जा रही हैं ? क्या माननीय मंत्री जी इस पर आवश्यक कार्यवाही करेंगे ?

श्री अध्यक्ष—

माननीय मंत्री जी का उत्तर आ गया है कि कोटे के आवंटन में कोई कटौती नहीं की गयी है ।

श्री राम आंतार शाक्य—

मान्यवर, मैंने लिखकर भी दिया है, लेकिन उसके बावजूद हमारे जनपद में इसकी आपूर्ति नहीं की गयी है ।

श्री शिवकुमार बेरिया—

मान्यवर, मैं आपके द्वारा माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि प्रत्येक जिले के अन्दर जो जिलापूर्ति अधिकारी हैं, उनके द्वारा कहा जा रहा है कि पर-यूनिट गेहूं 8 किलो ग्राम वितरित किया जाय और मिट्टी का तेल, चावल, चीनी आदि इस-इस मात्रा में वितरित की जाय । मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि प्रत्येक जिले में राशन वितरण के संबंध में क्या निर्देश हैं, प्रति यूनिट कितनी चीनी, कितना गेहूं और कितना चावल और कितना मिट्टी का तेल वितरित किये जाने के लिए क्या निर्देश हैं ?

श्री अध्यक्ष—

माननीय खाद्य मंत्री जी ने पिछले सप्ताह उत्तर दिया था, तो इस प्रश्न का उत्तर आ चुका है ।

श्री सैय्यद कासिम हसन—

मान्यवर, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि जो वितरण व्यवस्था है, उसमें प्रति कार्ड 5 किलो ग्राम राशन दिया जा रहा है और वह चाहे 10 यूनिट का हो, यूनिट के आधार पर नहीं दिया जा रहा है, जिससे गल्ले का ब्लैक मेल बहुत हो रहा है और कोई गल्ला और चीनी नहीं उठा रहा है, क्योंकि पूरे दिन की 25 रु0 की मजदूरी मिलती है, वह भी मारी जा रही है और वह पूरा गेहूं जो है, वह जनता के हाथों में न पहुंच कर पूंजीपतियों और व्यापारियों के हाथों में जा रहा है । सरकारी सस्ते गल्ले की दुकानों से गल्ला रु0 150.00 प्रति कुंटल मुनाफा लेकर बेचा जा रहा है ।

श्री अध्यक्ष—

आप अलग से प्रश्न कर लें ।

डा0 दिनेश जोहरी–

जो मूल्यों में वृद्धि हुई है, उसका वित्तीय भार प्रदेश की जनता पर पड़ा है, तो क्या प्रदेश सरकार ने इसके विरुद्ध गौर किया है और अगर किया है, तो किस प्रकार से किया है?

श्री कल्याण सिंह–

माननीय सदस्यों ने जो प्रश्न उठाये हैं, उनको तीन खण्डों में बांटा जा सकता है, एक तो राशन की दुकानों से खाद्यान्न के दाम बढ़े हैं, दूसरे जो कुछ मिल रहा है वह कम मिल रहा है और तीसरे जो कुछ भी है, वह निर्धारित नीति के अनुसार न होकर जिले-जिले में गड़बड़ी हो गयी है। हमने भारत सरकार से अनुरोध किया है, लिखित में किया है, कि जो खाद्यान्न के दामों में बढ़ोत्तरी हुई है, उसको वापस लें, उस पर पुर्नविचार करें। भारत सरकार को एक बार नहीं अनेक बार लिखा गया है कि जो कोटा मिल रहा है, वह हमारी आवश्यकता से बहुत कम है, उसमें वृद्धि की जाये। अभी तक हमारा अनुरोध स्वीकार नहीं हो पाया है। जो निर्धारित मानक है, उसमें अगर किसी जनपद में गड़बड़ी है, तो माननीय विधायक उसकी जानकारी हमें दे दें, उसकी जांच करा ली जायेगी और जो दोषी व्यक्ति होगा, उसके विरुद्ध कार्यवाही की जायेगी।

श्री सुरेन्द्र नाथ–

मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूं कि इस प्रश्न में यह बात पूंछी गयी है कि क्या सरकार सबसिडी देने पर विचार कर रही है और सरकार का स्पष्ट उत्तर आया है कि वित्तीय संसाधनों को देखते हुये सब्सिडी दिये जाने का कोई प्रस्ताव नहीं आया है अगर प्रान्तीय सरकार सबसिडी देना चाहती है, तो उस पर कितना व्यय भार पड़ेगा, क्या सरकार ने इसके लिये कोई योजना बनायी है, क्या कोई उसका आकलन तैयार कराया गया है?

श्री अध्यक्ष–

माननीय सदस्य यह पूछ रहे हैं कि क्या इस बात का कोई आकलन कराया गया है यदि सबसिडी दी जाये, तो कितना व्यय भार प्रदेश सरकार पर आयेगी ?

श्री एजाज रिजवी–

अभी तक कोई आकलन नहीं किया गया है, लेकिन ऐसा अनुमान है कि बहुत काफी वित्तीय भार पड़ेगा।

श्री सुरेन्द्र नाथ–

मान्यवर, यह बहुत ही विचारणीय विषय है, लेकिन माननीय मंत्री जी ने अनुमानतः बताया है। कोई भी सरकार-अनुमानों पर नहीं चलती है, अपने राजस्व के स्वरूप पर चलती है। इसलिये मान्यवर मेरे प्रश्न का उत्तर दिलवा दें कि क्या कोई आकलन किया गया है या नहीं किया है? आप इस प्रश्न की जानकारी दिलवा दें। यह सरकार लोकहित का दावा करती है, तो इसे कोई न कोई आकलन करवाना ही चाहिए था।

हां मान्यवर, इनका उत्तर पूर्ण नहीं है । इसलिये मेरा आपसे अनुरोध है कि आप इस प्रश्न को स्थगित कर दें और जब आकलन हो जाये तब इसका उत्तर दिलवाया जाये ।

श्री अध्यक्ष–

इसकी कोई आवश्यकता नहीं है ।

[उत्तर प्रदेश विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य-सचालन नियमावली, 1958 के नियम 29(4) के अन्तर्गत प्राथमिकता प्राप्त तारांकित प्रश्न]

जनपद फिरोजाबाद के मुख्यालय एवं आवास निर्माण हेतु राजस्व विभाग द्वारा भूमि का अधिग्रहण

*1–श्री राम आसरे वर्मा तथा श्री दलसिंगार–

क्या राजस्व मंत्री को जानकारी है कि जनपद फिरोजाबाद के मुख्यालय एवं आवास निर्माण हेतु जलेसर रोड स्थित ऊसर भूमि अधिग्रहीत हुयी और कब्जा भी मिला एवं नक्शा आदि तैयार होकर निर्माण स्वीकृत हुआ? यदि हां, तो इस ऊसर से स्थान हटाकर कृषि क्षेत्र की तीन फसली भूमि मौजा विजयपुर नगला भाव सिंह और खलीलगंज की 305 एकड़ भूमि को अधिग्रहीत करने का क्या कारण है जबकि यह राजाज्ञा संख्या 450/ए-क-6-915, दिनांक 20 अगस्त, 1969 (राजस्व) के विरुद्ध है? सरकार को पहले प्राप्त स्थल पर और विजयपुर नगला भाव सिंह तथा खलीलगंज की उक्त भूमि से उत्तर से सटे हुए ऊसर भूमि करीब 400 एकड पर मुख्यालय बनाने में क्या कठिनाई है? क्या काश्तकारों के हक में माननीय उच्च न्यायालय इलाहाबाद ने अपने स्थगन दिनांक 17-5-91 के द्वारा कार्य रोकने का आदेश भी दिया है?

राजस्व मंत्री (श्री बृहमदत्त द्विवेदी)–

जी नहीं, जनपद फिरोजाबाद के मुख्यालय एवं आवास निर्माण हेतु जलेसर रोड पर राजस्व विभाग द्वारा भूमि अधिग्रहीत नहीं की गई, अतः भूमि अधिग्रहीत कर कब्जा लेने व उस पर निर्माण स्वीकृत करने का प्रश्न नहीं उठता । चूंकि जलेसर रोड पर राजस्व विभाग द्वारा भूमि अधिग्रहीत नहीं की गई अतः उस स्थान से हटा कर कहने का प्रश्न नहीं उठता । विजयपुर नगला भाव सिंह तथा खलीलगंज में उत्तर में सटा हुआ कोई 400 एकड़ एकजाई ऊसर क्षेत्र नहीं है । दिनांक 17-5-91 को विजयपुर नगला के एक मामले तथा खलीलगंज के एक मामले में मा0 उच्च न्यायालय ने स्थगन दिया है । माननीय उच्च न्यायालय द्वारा खलीलगंज में कुल 8 मामलों तथा विजयपुर नगला भाव सिंह में एक मामले (कुल क्षेत्रफल 38.812 हेक्टेयर) में स्थगन आदेश दिया गया है ।

श्री राम आसरे वर्मा–

मान्यवर, मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि जो राजाज्ञा संख्या 450/ए-क--6-915 दिनांक 20 अगस्त, 1969 राजस्व में भूमि अधिग्रहण के सिलसिले में कौन सी व्यवस्था की गयी है और जो अधिग्रहण यह करने जा रहे हैं यह क्या उसमें की गयी व्यवस्था के अनुरूप है?

श्री ब्रह्मदत्त द्विवेदी–

मान्यवर, जिस राजाज्ञा का उल्लेख माननीय राम आसरे वर्मा ने किया है उसके अन्तर्गत व्यवस्था यह की गयी है कि जहां तक सम्भव हो कृषि योग्य भूमि अधिग्रहीत न की जाय निर्माण कार्यों के लिए ।, और उसके अन्तर्गत जहां पर अधिग्रहण हो रहा है सिवाय इसके कि कृषि योग्य भूमि अधिग्रहीत की जाती अन्य कोई विकल्प नहीं था । इसलिए आवश्यक होते हुए उस शासनादेश के अनुपालनार्थ ही यह कार्यवाही की गयी है।

श्री राम आसरे वर्मा–

क्या माननीय मंत्री जी को जानकारी है कि फिरोजाबाद के मुख्यालय एवं आवास निर्माण हेतु जलेसर रोड पर राजस्व विभाग की जमीन अधिग्रहीत करने हेतु कार्यवाही चली थी और लगभग निर्णय उस पर हो गया था । उस निर्णय हो जाने के बाद फिर दूसरे स्थान पर अधिग्रहण करने की कार्यवाही करने का औचित्य क्या है जबकि कई किसानों ने उच्च न्यायालय से स्थगनादेश ले लिया है तो सरकार खुद झंझट बढ़ा रही है, उस अधिग्रहीत भूमि के अधिग्रहण पर बाधा क्या है ?

श्री ब्रह्म दत्त द्विवेदी–

मान्यवर, जहां तक प्रश्नकर्ता ने जानकारी दी मैं निश्चित रूप से बताना चाहता हूं कि जलेसर रोड पर राजस्व विभाग द्वारा जिला मुख्यालय निर्माण करने के लिए भूमि अधिग्रहीत करने की कोई कार्यवाही नहीं की गयी है । यह जरूर सही है कि यू0पी0एस0 आई0डी0सी0 द्वारा वहां पर पहले से ही भूमि अधिग्रहीत की गयी थी और उन्होंने वहां पर जो निर्माण कार्य कराया उससे 168 एकड़ भूमि बच गयी थी और उससे यह सोचा गया कि वहां पर मुख्यालय बना लिया जाय लेकिन इसके लिए जनान्दोलन हुआ। जनता ने, विद्यार्थियों ने और यहां तक कि वकीलों ने उन आन्दोलन खड़ा किया । दूसरा 168 एकड़ जमीन पर्याप्त नहीं थी और तीसरा जलेसर रोड एक लिंक मार्ग था, मुख्य मार्ग नहीं था और यह मुख्य मार्ग से 9 कि0मी0 दूर पड़ा था । अब जहां पर मुख्यालय निर्माण करने के लिए भूमि अधिग्रहीत की गयी है वह नगर से समीप स्थित है. मुख्य मार्ग पर है ।

(मेजों की थपथपाहट)

श्री राम किशन ददाजू–

मान्यवर, यह प्रश्न मेरे जिले और मेरी विधान सभा क्षेत्र से संबंधित है, माननीय राम आसरे वर्मा जी द्वारा जो प्रश्न किया गया, मैं पहले शासन को बधाई देता हूं ।

श्री अध्यक्ष–

आप बधाई न दीजिए अनुपूरक प्रश्न कीजिए ।

श्री राम किशन ददाजू–

मान्यवर, माननीय मंत्री जी यह बताने की कृपा करेंगे कि जो असली जमीन ली गयी है उसमें क्या किसानों को मुआवजा देने की व्यवस्था की गयी है?

श्री ब्रह्म दत्त द्विवेदी–

मान्यवर, जो भी भूमि अधिग्रहीत की जाती है निश्चित रूप से उसको मुआवजा दिया जाता है. इसलिए उसमें मुआवजा की व्यवस्था की गयी है और मान्यवर, प्रश्नकर्ता की जिज्ञासा के अनुसार उसका आंकलन भी कराया गया है ।

गुरूवार, दिनांक 20 फरवरी, 1992 के लिए निर्धारित तारांकित प्रश्न

आजीवन कारावास से दंडित बंदियों के सम्बन्ध में मा0 उच्च न्यायालय द्वारा आदेश दिया जाना

*1–श्री राम आसरे वर्मा तथा श्री बाबू खां–

क्या कारागार मंत्री को जानकारी है कि उच्चतम न्यायालय द्वारा आर0 एम0 तिवारी बनाम गृह सचिव, उ0प्र0 आदि नामक याचिका पर 14 फरवरी, 1991 को निर्णय दिया गया कि 10 वर्ष अपरिहार तथा 14 वर्ष सपरिहार सजा काट लेने वाले बन्दियों की रिहाई पर उत्तर प्रदेश सरकार 6 माह के अंदर विचार करे? यदि हां, तो उक्त निर्णय के क्रियान्वयन में प्रदेश सरकार द्वारा क्या कदम उठाये गये? यदि नहीं, तो क्यों? कब तक क्रियान्वन सुनिश्चित किया जायेगा?

कारागार एवं राजनैतिक पेंशन राज्य मंत्री (श्री उमानाथ सिंह)–

जी हां, दिनांक 18-12-78 से पूर्व आजीवन कारावास से दंडित बंदियों के संबंध में माननीय उच्चतम न्यायालय ने ऐसे आदेश दिये थे । उक्त आदेशानुसार वाराणसी केन्द्रीय कारागार के कुल 180 बंदियों के मामलों में विचार करना था । उनमें से अब तक 85 बंदियों के मामलों पर विचार कर लिया गया है तथा शेष 95 बंदियो के मामलों में विभिन्न स्तरों पर विचार हो रहा है ।

प्रश्न नहीं उठता । शीघ्र क्रियान्वयन सुनिश्चित किया जा रहा है ।

श्री राम आसरे वर्मा–

मान्यवर, बंदी बंदी है चाहे वह वाराणसी के जेल के हों या फतेहगढ़ जेल के हों या किसी अन्य जेल के हों । सुप्रीम कोर्ट ने एक यह निर्णय दिया है कि 10 वर्ष की अपरिहार तथा 14 वर्ष सपरिहार सजा काट लेने वाले बन्दियों की रिहाई पर उत्तर प्रदेश सरकार 6 माह के अंदर विचार करे । क्या ऐसे बंदियों की रिहाई पर सरकार विचार कर रही है? मान्यवर, यह अकेले ध्यान केन्द्रित कर रहे हैं बनारस की जेल के बंदियों पर । मैं जानना चाहूंगा कि प्रदेश की सभी जेलों के जो इस अवधि के बन्दी हैं, क्या उन सबके प्रकरणों पर उनकी रिहाई के सिलसिले में विचार करेंगे और माननीय सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय के परिपेक्ष्य में यह विचार कब तक पूरा कर लेंगे?

श्री अध्यक्ष–

माननीय वर्मा जी का प्रश्न है कि वाराणसी के अतिरिक्त अन्य कारागारों के बंदियों के संबंध में, जो सुप्रीम कोर्ट के निर्णय की परिधि में आते हैं, विचार करेंगे या नहीं और कब तक विचार पूरा कर लेंगे?

श्री उमानाथ सिंह–

मान्यवर, कुल 180 के विषय में विचार किया जाना था । 85 निर्णीत हुए, 95 बाकी हैं । (व्यवधान)

श्री राम आसरे वर्मा–

मान्यवर, माननीय मंत्री जी मेरा प्रश्न नहीं समझे, मैंने कहा कि बंदी बंदी है चाहे वह बनारस जेल के हों या फतेहगढ़ जेल के हों । सर्वोच्च न्यायालय ने एक निर्णय

दिया कि 10 वर्ष अपरिहार तथा 14 वर्ष सपरिहार सजा काट लेने वाले बन्दियों की रिहाई पर प्रदेश सरकार विचार करे, निर्णय करे तो प्रदेश के सभी कारागारों के बंदियों पर जो उक्त अवधि के अन्तर्गत आते हैं, उनकी रिहाई पर कब तक विचार करेंगे माननीय सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय के अनुसार?

श्री अध्यक्ष–

सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय के अनुसार, प्रदेश की सभी जेलों में इस श्रेणी में आने वाले कैदियों की रिहाई के बारे में कब तक पुनर्विचार कर लेंगे ?

श्री उमानाथ सिंह–

मान्यवर, सितम्बर, 1991 तक 926 बंदियों का नोमिनल रोल तथा 715 बंदियों का फार्म-ए पूरे प्रदेश में लम्बित था, गुण-दोष के आधार पर विचार कर रहे हैं ।

श्री राम आसरे वर्मा–

मान्यवर, उन बंदियों के बारे में जो काफी समय से जेलों में बन्द हैं, प्रोवेशन के सिलसिले मे रिहाई के सिलसिले में आवेदन पत्र आते हैं, जिलाधिकारियों की सस्तुति होती है, प्रोवेशन बोर्ड के अधिकारियों की संस्तुति होती है । परन्तु सचिव, कारागार द्वारा उनको निरस्त कर दिया जाता है कि संस्तुति नहीं आयी । क्या इसके बारे में ध्यान रखोंगे कि जिलाधिकारी द्वारा संस्तुति, प्रोवेशन बोर्ड द्वारा संस्तुति के बाद, उनके रिहाई की संस्तुति करने का कष्ट करेंगे?

श्री अध्यक्ष–

क्या जिन तथ्यों का उल्लेख माननीय वर्मा जी ने किया है उसको दृष्टिगत रखते हुए प्रोवेशन बोर्ड के अधिकारियों की संस्तुतियों पर विचार करते हुए उनकी रिहाई पर विचार करेंगे?

श्री उमानाथ सिंह–

मान्यवर, जिलाधिकारियों की संस्तुति के बाद, प्रोवेशन बोर्ड में, शासन पर विचाराधीन होता है । मान्यवर, हमने प्रावशन बार्ड बना दिया है, समीति बना दी है, दोनों स्तरों पर विचार के बाद शासन विचार के लिये शीघ्रता करेगा ।

श्री राम आसरे वर्मा–

मान्यवर, मेरा प्रश्न दूसरा था । शासन के सामने कुछ ऐसे प्रकरण आये हैं जिसमें जिलाधिकारी ने सस्तुति की, प्रोबेशन अधिकारी ने संस्तुति की लेकिन सचिव, कारागार ने उसको निरस्त कर दिया....

श्री अध्यक्ष–

यह विषय से हटकर है ।

श्री सुरेन्द्र सिंह–

मान्यवर, अभी जो माननीय मंत्री जी ने उत्तर दिया है, उस उत्तर के सम्बन्ध में आपके माध्यम से यह जानना चाहता हूं कि बहुत से केन्द्रीय कारागार में ऐसे ऐसे कैदी हैं जो बीस-बीस वर्षों से खाट पर पड़े हुए हैं वे अंधे हो गये हैं तथा दीवालों के सहारे चलते हैं तो क्या सरकार इन बन्दियों की रिहाई के सम्बन्ध में भी विचार करेगी?

श्री उगानाथ सिंह–

मान्यवर, इस प्रकार के कैदियों की रिहाई के सम्बन्ध में यह कहना चाहूंगा कि एक जो फार्म-ए है, नॉमिनल रोल है, उस पर जिलाधिकारी की संस्तुति होती है, उसके बाद उसका जेल का आचरण होता है, उन्हीं के आधार पर उनकी रिहाई के संबंध में विचार किया जाता है ; इस प्रकार के मामलों में शीघ्रता भी नहीं की जा सकती है।

जिला आपूर्ति विभाग, वाराणसी के श्री परमानन्द श्रीवास्तव तत्कालीन लेखाकार द्वारा मिट्टी के तेल में घोटाला किया जाना

*2–श्री श्याम देव राय चौधरी–

क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि मिट्टी के तेल का जनरल कोटा और डायरेक्ट कनज्यूमर कोटा के तेल के बिक्री भाव में अन्तर है ? यदि हां. तो कितना ? क्या जिला आपूर्ति विभाग वाराणसी द्वारा इस अन्तर का लाखों रुपये का घोटाला किये जाने की जांच चल रही है? यदि हा, तो इस घोटाले के लिये कौन जिम्मेदार है तथा इसकी कुल राशि कितनी है ?

श्री एजाज रिजवी–

(क) मिट्टी के तेल का जनरल कोटा और डायरेक्ट कन्ज्यूमर कोटा नाम से कोई कोटा नहीं है परन्तु मिट्टी तेल के घरेलू उपयोग एवं औद्योगिक उपयोग हेतु अलग-अलग मूल्य अवश्य निर्धारित है ।

(ख) घरेलू उपयोग हेतु मिट्टी के तेल का औसत फुटकर मूल्य 2.80 तथा औद्योगिक प्रयोजन हेतु मिट्टी के तेल का औसत फुटकर मूल्य रु0 4.85 है ।

(ग) जी हां ।

(घ) श्री परमानन्द श्रीवास्तव, तत्कालीन लेखाकार को इस घोटाले के लिये दोषी पाया गया । अन्तर मूल्य की कुल धनराशि रु0 4,01,625.62 (चार लाख. एक हजार, छः सौ पच्चीस रुपये बासठ पैसे) है ।

श्री श्याम देव राय चौधरी–

मान्यवर, मैं माननीय मंत्री जी के उत्तर के संदर्भ में आपके माध्यम से यह जानना चाहता हूं कि जो मामला प्रकाश में आया है कि यह किस अवधि का है और यह भी जानना चाहता हूं कि इस घोटाले में निश्चित रूप से उस कार्यालय के या उससे सम्बन्धित और भी प्रकार के बहुत से लोग सम्बन्धित होंगे तो क्या जो वर्तमान सरकार का यह सकल्प कि हम शासन और प्रशासन को भ्रष्टाचार से मुक्त करेंगे उसके तहत सम्पूर्ण प्रकरण के गहन उच्च स्तरीय जांच कराकर इस बात की कोशिश करेंगे कि इसमें और भी जो लोग दोषी पाये जायेंगे, उन्हें भी सजा दिलाने की कोशिश करेंगे ?

श्री कल्याण सिंह–

मान्यवर, यह प्रश्न आने के बाद मैंने कुछ जानकारी करने की कोशिश की, पत्रावली पढ़ी तो यह पाया कि ऐसे लोगों के खिलाफ कुछ और गहराई से जांच की जानी है। हो सकता है कि कुछ और लोग दोषी हों इसलिए मैं घोषणा करता हूं कि इस पूरे प्रकरण की जांच आर्थिक अपराध अनुसंधान शाखा द्वारा की जायेगी ।

श्री जी0 एस0 विनोद–

मान्यवर आजकल बिजली की हड़ताल चल रही है और वैसे भी बहुत से गांवों में बिजली नहीं है, तो क्या माननीय मंत्री जी छात्रों की परीक्षाओं को देखते हुये उनके लिये मिट्टी के तेल का विशेष कोटा जारी करने का कष्ट करेंगे ?

श्री एजाज रिजवी–

मान्यवर, यह प्रश्न मूल प्रश्न की परिधि में नहीं आता ।

श्री बाबूराम यादव–

मान्यवर, अभी माननीय मुख्य मंत्री जी ने पूर्व प्रश्न के उत्तर में जांच कराने की बात कही । मैं जानना चाहता हूं कि इस जांच की समय सीमा क्या होगी ? कहीं ऐसा तो नहीं, तब तक सरकार ही समाप्त हो जाये ।

श्री कल्याण सिंह–

मान्यवर, माननीय सदस्य निराश न हों, यह सरकार पूरे 5 साल तक चलेगी । यह भी बताना चाहूंगा कि हम जांच में कतई अनावश्यक विलम्ब नहीं होने देंगे ।

श्री स्वामी नाथ यादव–

मान्यवर, मिट्टी के तेल के संबंध में माननीय सदस्य ने प्रश्न किया था और आपने मंत्री जी को जवाब देने के लिये कहा, लेकिन उन्होंने कह दिया कि परिधि में नहीं आता । आपने उनसे उत्तर देने को समझ कर ही कहा होगा, अब क्या मंत्री जी आपके विवेक को भी चुनौती देंगे ?

श्री अध्यक्ष–

माननीय मंत्री जी, वैसे तो यह प्रश्न मूल प्रश्न से संबंधित नहीं है, लेकिन माननीय सदस्य ने जिज्ञासा प्रकट की है कि छात्रों के लिये मिट्टी के तेल की कोई व्यवस्था करेंगे ?

श्री एजाज रिजवी–

मान्यवर, व्यवस्था की जा रही है ।

ह्यूम पाइप निर्माताओं द्वारा लोक निर्माण विभाग को पाइप की आपूर्ति न करने के कारण पुलियों के निर्माण में बाधा उत्पन्न होना

*3–श्री सुरेश प्रताप गांधी–

क्या सरकार को जानकारी है कि लोक निर्माण विभाग द्वारा निर्मित किये जाने वाले मार्गों के अन्तर्गत पुलियों के निर्माण में काम आने वाले ह्यूम पाइप के रेट बाजार मूल्य से कम दर पर निर्धारित कर दिये जाने के कारण पाइप निर्माता फर्म लोक निर्माण विभाग को ह्यूम पाइप की आपूर्ति नहीं कर रही है जिससे मार्ग निर्माण कार्यों में गतिरोध उत्पन्न हो गया है ? यदि हां, तो क्या ह्यूम पाइपों के अभाव में सरकार स्लेब या आर्च की पुलिया निर्मित कराने के आदेश जारी करेगी ? यदि हां, तो कब तक ?

लोक निर्माण मंत्री (डा0 सरजीत सिंह डंग)–

ह्यूम पाइप की दरें लोक निर्माण विभाग द्वारा निर्धारित नहीं की जाती है । इनका दर अनुबन्ध, उद्योग निदेशालय, उत्तर प्रदेश के सामग्री क्रय अनुभाग द्वारा खुले

बाजार से निविदायें आमंत्रित करके नियमानुसार किया जाता है। अतः बाजार मूल्य से कम या अधिक दरों का कोई प्रश्न नहीं उठता है।

ह्यूम पाइप की दर के कारण इसकी आपूर्ति अथवा मार्ग निर्माण कार्यों में विशेष गतिरोध उत्पन्न नहीं हुआ है। परिस्थिति के अनुसार कार्य की स्वीकृत लागत की सीमा में स्लैब या आर्च की पुलियां निर्मित करने का विकल्प चुनने हेतु क्षेत्रीय अधिकारी समक्ष है। अतः इस संबंध में अलग से आदेश जारी करने की कोई आवश्यकता नहीं है।

श्री सुरेश प्रताप गांधी–

मान्यवर, ह्यूम पाइपों की आपूर्ति के रेट आकर्षक न होने के कारण तथा सीमेंट, लोहे के दाम बढ़ जाने के कारण पाइप निर्माता फर्म आपूर्ति करने में पूर्णतः उदासीन है, जिसकी वजह से सप्लाई आर्डर दिये जाने के 5-5 महीने बाद भी आपूर्ति नहीं की जाती है। जबकि उद्योग निदेशालय के स्तर पर किये गये अनुबन्ध के अनुरूप यह व्यवस्था की गयी है और परिपाटी भी यह है कि अग्रिम भुगतान लोक निर्माण विभाग से प्राप्त करने के बाद पाइप निर्यात फर्में पाइपों की सप्लाई पी0 डब्लू0 डी0 विभाग को करेगी। देखा यह गया है कि आर्डर कभी-कभी ऐसी फर्मों को सन्दर्भित कर दिये जाते हैं, जिनके पास स्टाक में न तो पाइप होते हैं और उनको ड्राफ्ट एडवान्स कर दिया जाता है, जिससे विभाग का पैसा 5-5 महीने तक ब्लाक हो जाता है, तो क्या माननीय मंत्री जी ऐसी व्यवस्था करेंगे, जिसमें पाइपों की आपूर्ति नकद भुगतान पर सुनिश्चित हो ?

डा0 सुरजीत सिंह डंग–

मान्यवर, यह व्यवस्था सुनिश्चित करने का प्रश्न नहीं है, व्यवस्था सुनिश्चित कर दी गयी है। मैं आपको अलीगढ़ जनपद का उदाहरण देना चाहूंगा, वहां 2 लाख 56 हजार रुपये के कुल ह्यूम पाइप क्रय किये जाने थे, उसमें 27 हजार 300 रुपये को छोड़कर शेष सारी की सारी सप्लाई हो चुकी है। यह भी माननीय सदस्य को सूचित करना चाहूंगा कि जब कुछ विक्रेता दरों से असंतुष्ट होकर माननीय उच्च न्यायालय की शरण में गये, तो हमारे यहां से स्पष्ट निर्देश गये थे कि स्थानीय तौर पर उद्योग निदेशालय से परमीशन लेकर भी खरीद कर सकते हैं, इसलिए कोई गतिरोध विशेष नहीं हो पाया।

श्री सुरेश प्रताप गांधी–

मान्यवर, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से पूछना चाहता हूं कि नगद भुगतान पर ह्यूम पाइप की आपूर्ति लिये जाने में विभाग को क्या आपत्ति है ? दूसरा किन परिस्थितियों में अग्रिम भुगतान किये जाने के आदेश दिये गये। क्योंकि मान्यवर, जो पी0 डब्लू0 डी0 द्वारा अग्रिम रूप से ड्राफ्ट दे दिया जाता है, वह फर्म के पास तीन-तीन व चार-चार महीने तक अनावश्यक रूप से जमा रहता है और फर्म पाइपों की आपूर्ति भी नहीं कर पाती है। फलस्वरूप निर्माण कार्य में विलम्ब होता है। तो क्या माननीय मंत्री जी ऐसी व्यवस्था करेंगे कि उस जोन का अधिकारी नगद भुगतान पर किसी भी फर्म से निर्धारित रेट पर पाइप खरीद ले ?

डा0 सुरजीत सिंह डंग–

माननीय, कदाचित माननीय सदस्य ने मेरे उत्तर को ध्यान से नहीं सुना । मैंने पूर्व में ही कहा कि इस प्रकार के निर्देश पहले ही दिये जा चुके हैं । उन्हीं निर्देशों के कारण सारी खरीद की जा रही है और कार्य समय से पूरे हो रहे हैं ।

श्री गंगा बख्श सिंह–

मान्यवर, माननीय मंत्री जी ने जो उत्तर दिया है, उसकी अंतिम पंक्ति में जो वर्णित है, उस पर मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहूंगा कि ह्यूम पाइप के अभाव में स्लेब या आर्च की पुलिया निर्मित कराये जाने हेतु सरकार आदेश जारी करेगी ?

डा0 सुरजीत सिंह डंग–

मानयवर, माननीय सदस्य ने मूल प्रश्न के उत्तर को शायद ध्यान से देखा नहीं । क्षेत्रीय जॉन का जो सक्षम अधिकारी है, वह स्वयं परिव्यय के अन्तर्गत अगर सारी बातें आती हैं तो वह आर्च या स्लेब दोनों में से, जो उपयुक्त हो, बना सकता है ।

श्री सुरेश प्रताप गांधी–

मान्यवर, मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि ग्रामीण क्षेत्रों में पुलियें में एन0 पी0-टू के पाइप लगाने के आदेश दिये हैं ? यह मैं इसलिए पूछ रहा हूं कि ये पाइप बहुत कमजोर होते हैं । जिन पुलियों में ये लगाये भी गये हैं । वे कुछ समय के बाद टूट जाते हैं, जिससे यातायात अवरुद्ध होता है । तो क्या माननीय मंत्री जी पूर्व की भांति एन0 पी0-थ्री के पाइप लगाने की व्यवस्था करेगी ?

डा0 सुरजीत सिंह डंग–

मानयवर, यह तकनीकी निर्णय है । इंडियन रोड कांग्रेस के जो मानक तय हैं उन्हीं मानकों के आधार पर कार्य हो रहा है ।

श्री सुरेश प्रताप गांधी–

मान्यवर, मानकों की बात आई है । मानकों के अनुसार एन0 पी0-टू की पुलिया बहुत कमजोर होती है ।

श्री अध्यक्ष–

मैंने आगे का प्रश्न ले लिया है । मानक से संबंधित आप जो प्रश्न पूछना चाहते हैं, वह मूल प्रश्न की परिधि के अन्तर्गत नहीं आता है।

*4–श्री हृदय नारायण दीक्षित–

[दिनांक 13-2-92 को अ0 सू0 तारां0 प्र0 सं0 1 द्वारा उत्तरित]

जनपद महराजगंज के विकास खण्ड परतावल के मंगलपुर, कतरारी व श्यामदेउरवा को जनपद गोरखपुर में सम्मिलित किये जाने की मांग

*5–कुंवर रेवती रमण सिंह (अनुपस्थित)–

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि महाराजगंज जनपद के विकास खण्ड परतावल के मंगलपुर, कतरारी व श्यामदेउखा न्यायपंचायत के सभी ग्राम प्रधानों के

हस्ताक्षरयुक्त कोई प्रार्थना पत्र जिसमें ताना न्याय पंचायत के सभी ग्रामों को गोरखपुर जनपद में सम्मिलित किये जाने हेतु मांग की गई थी, तत्कालीन विधायक श्री केदार नाथ सिंह ने अपने पत्र के साथ मुख्य मंत्री तथा राजस्व मंत्री को दि0 15-2-90 को दिया था ? यदि हां, तो सरकार ने इस सम्बन्ध में कौन सी कार्यवाही की है ?

श्री ब्रह्मदत्त द्विवेदी–

जी हां ।

प्रश्न में उल्लिखित पत्र की प्रतिलिपि संलग्न करते हुए मण्डलायुक्त गोरखपुर को आख्या भेजने हेतु राजस्व विभाग के स्तर से दिनांक 25-4-90 को पत्र भेजा गया । मण्डलायुक्त गोरखपुर के स्तर से जिलाधिकारी गोरखपुर एवं जिलाधिकारी महराजगंज से आख्या मांगी गयी, जिलाधिकारी महराजगंज ने मण्डलायुक्त को अवगत कराया है कि जनपद महराजगंज के आकार को देखते हुए न्याय पंचायतों मंगलपुर, कतरारी, श्यामदेउखा (विकास खण्ड परतावल) को गोरखपुर से सम्बद्ध करने की संस्तुति नहीं की जाती, किन्तु प्रार्थनापत्र में इंगित ग्रामों के सम्बन्ध में जिलाधिकारी महराजगंज ने अपनी आख्या मण्डलायुक्त को अभी नहीं दी है । जिलाधिकारी गोरखपुर की आख्या अभी मण्डलायुक्त को प्राप्त नहीं हुई है ।

इस प्रकार अभी मण्डलायुक्त से शासन को आख्या एवं संस्तुति प्राप्त नहीं हुई है ।

जनपद हरदोई विधान सभा क्षेत्र के ग्रामों के मार्गों का निर्माण संसाधनों की उपलब्धता पर कराया जाना

*6–श्री नरेश अग्रवाल–

क्या लोक निर्माण मंत्री को जानकारी है कि हरदोई विधान सभा क्षेत्र के अन्तर्गत ग्राम आसा, भरिगवां व इटौली नीर मार्ग का पम्प निर्माण जिला योजना के अन्तर्गत तथा ग्राम पचकोहरा-रामपुर गोवा तथा खजुरारा मार्ग, राज्य योजना के अन्तर्गत लोक निर्माण विभाग द्वारा निर्माण करा रहा था ? यदि हां, तो क्या यह सत्य है कि शासन ने उन मार्गों का निर्माण रुकवा दिया जबकि आधे से ज्यादा मार्ग का निर्माण हो चुका है ? यदि हां, तो इसका क्या कारण है तथा निर्माण कब तक पूरा हो जायेगा ?

डा0 सुरजीत सिंह डंग–

जी हां, वर्ष 1990-91 की जिला योजना में बहर से आसा, सीतापुर मार्ग से भरिगवां तथा इटौली से नीर वाया तकिया मार्ग का निर्माण स्वीकृत है न कि पम्प निर्माण । अन्य मार्ग राज्य योजना में स्वीकृत है ।

जी नहीं ।

प्रश्न नहीं उठता ।

कार्यों को पूर्ण किया जाना संसाधनों की उपलब्धता पर निर्भर है ।

श्री नरेश अग्रवाल–

श्रीमन्, आपको धन्यवाद, आपने सही समय पर मेरे प्रश्न को 12 बजे जवाब देने के लिए लिया।

डा0 सुरजीत सिंह डंग–

मान्यवर, मेरी भी यही अपेक्षा थी कि इनका भी ठीक समय हो गया है।

श्री राम आसरे वर्मा–

श्रीमन्, 12 बजे का रहस्य क्या है?

श्री अध्यक्ष–

पूरक प्रश्न होते हुए 12 से ऊपर हो जायेगा।

श्री नरेश अग्रवाल–

मेरे प्रश्न के दो भाग हैं । मैंने जिन मार्गों का नाम लिया है कुछ तो उनमें राज्य योजना में आते हैं और कुछ जिला योजना में आते हैं । तो पहला प्रश्न मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि इन दो योजनाओं में इन मार्गों पर कितने-कितने रुपये का इस्टीमेंट स्वीकृत था और कितना रुपया खर्च हो गया है और कितना धन आवंटित होना शेष है?

दूसरा माननीय मंत्री जी ने विभाग को निर्देश लिखित दिये हैं कि राज्य योजना के अन्तर्गत जो मार्ग हैं उनका पुनरीक्षण करके धन दिया जायेगा । तो मैं यह जानना चाहता हूं कि माननीय मंत्री जी द्वारा किन-किन मार्गों का पुनरीक्षण किया गया है और उनमें से कितनों के लिए धन आवंटन के आदेश जारी कर दिये गये हैं?

डा0 सुरजीत सिंह डंग–

मान्यवर, माननीय सदस्य के पहले प्रश्न का उत्तर दे दूं उसके बाद दूसरे का उत्तर दूंगा । जिन मार्गों की चर्चा प्रश्न में की गयी है इनमें तीन मार्ग जिला योजना में हो वह हैं बहुर आशा, सीतापुर मार्ग से भरिगवां, इटौली से नीर वाया तकिया इनमें जो स्वीकृत लम्बाई से लागत है 1.50 लागत 8.35, लम्बाई 2.00 लागत 6.40 इसी तरह राज्य योजना में पचकोहरा लखनऊ हरदोई मार्ग से पचकोहरा होते हुये रामपुर मार्ग, सांडी बधौली मार्ग से मौना, बिलग्राम मार्ग से खजुहरा सुरसा मार्ग का भाग । इसमें हरदोई मार्ग बना भी दिया जाय तो लक्ष्य पूरा नहीं होता है । दूसरे प्रश्न का उत्तर है कि सारे मार्ग जो हैं इनकी उपयोगिता और सीमित संसाधनों के आधार पर कार्य किया जायेगा ।

श्री नरेश अग्रवाल–

मान्यवर, मैंने निश्चित प्रश्न किया था कि कितना कितना रुपया इस्टीमेट के रूप में स्वीकृत हुआ था और कितना-कितना धन खर्च हो चुका है और शेष धन कब तक आवंटित कर दिया जायेगा? दूसरा माननीय मंत्री जी ने जो विभाग को लिख कर दिया है कि पुनरीक्षण के बाद ही स्वीकृत किया जायेगा तो कितनों का पुनरीक्षण हो गया है और कितनों पर आदेश जारी हो गये हैं?

श्री अध्यक्ष–

कितना धन खर्च हो गया है और कितनों का पुनरीक्षण हो गया है?

डा0 सरजीत सिंह डंग–

मान्यवर, बाहर से आशा स्वीकृत लम्बाई 1.50 कि0 मी0 आवंटन शून्य, **सीतापुर** मार्ग से भरिखवां 2.00 कि0 मी0 आवंटन 2.23 लाख इटौली से नीर बाया तीकिया 3 कि0 मी0 आवंटन 2.62 लाख। इसमें भी ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं कि आपकी जिला योजना के अन्तर्गत 1991-92 में जिला योजना के अन्तर्गत स्वीकृत कार्यों के लिए मात्र 67.82 लाख रु0 का धन उपलब्ध है कि जिला योजना के अन्तर्गत स्वीकृत कार्यों का अवशेष 673.60 लाख है। तो धन की उपलब्धता को दृष्टि में रखते हुए अपेक्षा करूंगा कि जब तक सारे पुराने मार्ग पूरे नहीं हो जाते बाकी पर कोई धन देना सम्भव नहीं है ।

श्री भगवती सिंह विशारद–

मान्यवर, क्या मंत्री जी बतायेंगे कि जिलों में राज्य योजना के अन्तर्गत जिन मार्गों के निर्माण के लिए शासन से पैसा पहुंच गया, सरकारी आदेश निर्गत हो गये, प्राक्कलन का बजट लेखिल उस पर रोक लगा दी गयी है, तो क्या मंत्री जी ऐसे मार्ग जिनके संबंध में जिले में धन पहुंच गया है उनको पूरा कराने का आश्वासन देंगे?

डा0 सरजीत सिंह डंग–

मान्यवर, विशारद जी को सदन का पितामह कहता हूं लेकिन कठिनाई है कि उन्हें नियमों की जानकारी नहीं है। मान्यवर, यह पैसा सड़कों पर नहीं जाता है बल्कि खंडवार भेजा जाता है और वहां की उपयोगिता देखकर खर्च किया जाता है, इसलिए मार्गों पर धन देने का कोई नियम नहीं है।

श्री भगवती सिंह विशारद–

मान्यवर, मेरी निश्चित जानकारी है कि उन्नाव जनपद में पुरवा-अचलगंज मार्ग के लिए निर्धारित धनराशि भेज दी गयी है, शासनादेश भी जारी हो गया है लेकिन अब सूचना यह है कि कोई सीमितीकरण योजना लागू है जिससे इस मार्ग के निर्माण पर रोक लगा दी गयी है । इसलिए मैं जानना चाहता हूं कि शासनादेश होने के बाद और जिले में धनराशि पहुंच जाने के बाद उस काम को रोकने का क्या औचित्य है?

डा0 सरजीत सिंह डंग–

मान्यवर, स्वीकृतियां शासनादेश के माध्यम से जाती हैं लेकिन धन किसी विशेष मार्ग के लिए नहीं भेजा जाता है । इन दोनों के अन्तर को समझ लिया जाये ? स्वीकृतियां शासन के माध्यम से जाती हैं लेकिन किसी मार्ग विशेष के लिये जाती हैं ऐसा नहीं किया जाता है।

श्री नरेश अग्रवाल–

मान्यवर, मैं मुख्य मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि तत्कालीन मुख्य मंत्री श्री मुलायम सिंह यादव ने अपनी सरकार में प्रत्येक विधायक को 10-10 लाख रुपये सड़कों के लिए स्वीकृत किया था और शायद मेरे यहां के लिए 2-3 सड़कें राज्य योजना में उस योजना के तहत स्वीकृत हुई थीं, इसलिए मैं जानना चाहता हूं कि क्या सड़कों के लिए प्रत्येक विधायक को, 10-10 लाख रुपये का आवंटन किया जायेगा ?

श्री अध्यक्ष–

इसके लिए आप अलग से प्रश्न कर लें, इसमें नहीं।

श्री बाबू राम यादव–

मान्यवर, लोक निर्माण मंत्री जी ने सड़कों के निर्माण का काम रुकवा दिया है, इसलिए मैं जानना चाहता हूं कि जिन सड़कों पर निर्माण सामग्री पहुंच गयी है और आधे से ज्यादा धन व्यय हो चुका है, क्या उन पर भी रोक रहेगी या रोक हटायी जायेगी?

श्री अध्यक्ष–

यह तो सामान्य नीतिगत बात है, इसलिए इसका इस प्रश्न से सम्बन्ध नहीं है। यदि आप चाहते हैं तो इस पर अलग से दूसरा मूल प्रश्न कर लें?

(व्यवधान)

श्री बाबू राम यादव–

मान्यवर, जैसे आप मंत्री जी को सुन रहे हैं मेरी भी बात सुन लीजिए। मैं भी आपका सदस्य हूं। सरकार ने जो रोक लगाई है, उसी के सन्दर्भ में यह प्रश्न था।

डा0 सरजीत सिंह डंग–

मान्यवर, हालांकि यह प्रश्न मूल प्रश्न से संबंधित नहीं है किन्तु बहुत सी जिज्ञासाएं इससे शान्त हो जायेंगी इसलिए मैं सदन के समक्ष कुछ स्पष्ट तथ्य रखना चाहता हूं। राज्य सेक्टर में 461 करोड़ रुपए की स्वीकृतियां, जब उत्तरदायित्व इस शासन पर आया उस समय थीं और परिव्यय उपलब्ध था 95.30 करोड़ था। इन योजनाओं को पूर्ण करने के साथ-साथ बढ़े हुए मूल्य की दरों को भी दृष्टिगत रखते हुए 7 वर्ष एक योजना को पूरा करने में लग जाते हैं। इनमें से कुछ योजनायें वर्षों से पड़ी हुई थीं, आवश्यक यह था कि जनता की आकांक्षाओं को पूरा करने के लिए कुछ कार्य विकास के किये जाने जो परिव्यय के 1 और ढाई गुना अनुपात में होने चाहिए। सारे मामलों का परीक्षण किया जा रहा है। उपयोगिता जंचती होगी, संसाधनों की उपयोगिता, नियोजन को दृष्टिगत रखते हुए परीक्षण की बातें चल रही हैं।

श्री [illegible] प्रसाद वर्मा–

मान्यवर, यह जो स्वीकृतियां जारी की गई थीं, उनका प्रशासनिक परीक्षण तो हो गया था। वित्त विभाग व नियोजन विभाग द्वारा परीक्षण हो गया था। मंत्री जी ने अभी कहा कि 1 और ढाई के अनुपात में स्वीकृतियां जारी की जाती हैं। पैसे का इन्तजाम इनका करना चाहिए चाहें कहीं से भी करें। विकास कार्यों के लिये पैसे का इन्तजाम और मदों में कटौती करके भी करना चाहिए। पैसे का रोना रोकर सरकार विकास कार्य नहीं करती। हमने भी परिव्यय लक्ष्य के हिसाब से कार्य किया था। जो स्वीकृति जारी की गई थी उनका कार्य होना चाहिए।

(शोर गुल)

श्री अध्यक्ष–

आप लोग कृपया शान्त रहें। माननीय मंत्री जी सुन रहे हैं, वह उत्तर दें दूसरा।

श्री बेनी प्रसाद वर्मा–

इनका नियोजन और वित्त परीक्षण हो गया था। अभी 300 करोड़ मोटे पेट वाले बनियों को दिये जाने की घोषणा कल पेपर में की गई है, लेकिन गांव में जो सड़कों का कार्य है जिस पर सैकड़ों गरीब लोग चलते हैं उसके लिए पैसा नहीं है। पैसे का इन्तजाम आप करें। आकस्मिकता निधि से करें। यह कार्य नियमानुसार करें यही सरकार से मांग है।

(शोर गुल)

मान्यवर, मैंने एक शब्द गलत बोल दिया था। बनिया नहीं सेठ लिखा जाय।

जनपद आगरा में राष्ट्रीय मार्ग का कार्य संसाधनों की अपर्याप्तता के कारण अवरुद्ध

*7–श्री विजय सिंह राणा (अनुपस्थित)–

क्या लोक निर्माण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि आगरा में राष्ट्रीय मार्ग नं0 2 को राष्ट्रीय मार्ग नं0 3 से जोड़ने वाला मार्ग राज्य योजना के अन्तर्गत स्वीकृत हुआ था ? यदि हां, तो इस पर अभी तक निर्माण कार्य प्रारम्भ न होने के क्या कारण है और अब यह निर्माण कब प्रारम्भ कर दिया जायेगा?

डा0 सरजीत सिंह डंग–

जी हां। राष्ट्रीय मार्ग 3 से राष्ट्रीय मार्ग 2 की ओर आगरा बाह कचौराघाट मार्ग तक 16.80 कि0 मी0 लम्बाई में स्वीकृत हुआ था।

राज्य योजना में स्वीकृत मार्ग पर राष्ट्रीय मार्ग 3 की ओर से कार्य आरम्भ किया गया था। लेकिन सम्प्रति संसाधनों की अपर्याप्तता के कारण कार्य अवरुद्ध है।

*8–श्री नसीमउद्दीन सिद्दीकी–

[विस्तीर्णता के आधार पर निरस्त]

उ0 प्र0 समाज कल्याण निर्माण निगम लि0 के पी0 एल0 ए0 में हस्तान्तरित की गयी धन-राशि का विवरण

*9–श्री कृष्ण किंकर सिंह तथा श्री ओम प्रकाश (अनुपस्थित)–

क्या समाज कल्याण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि विगत चार वित्तीय वर्षों से शासन द्वारा हरिजन एवं निर्बल वर्ग आवास निगम के पी0 एल0 ए0 खाते में कितना रुपया किन-किन दिनांकों में हस्तान्तरित किया गया है? क्या सरकार को जानकारी है कि इस निगम को पूरा बजट एकमुश्त उसके पी0एल0ए0 में दिया जाता है, जबकि निगम द्वारा उसका व्यय समय-समय पर किया जाता है ? यदि हां, तो क्या निगम द्वारा उक्त जमा राशि को बैंकों में जमा किया जाता है ? यदि हां, तो उसमें मिलने वाले ब्याज का निगम के पास क्या लेखा जोखा है ? क्या सरकार इसका पूरा विवरण सदन के पटल पर रखने पर विचार करेगी ? क्या ब्याज की भारी रकम को हड़पने के लिये जिम्मेदार अधिकारी को दंडित करने पर सरकार विचार करेगी? यदि हां, तो कब तक? यदि नहीं तो क्यों ?

हरिजन एवं समाज कल्याण मंत्री (श्री रमापति शास्त्री)–

उ0 प्र0 समाज कल्याण निर्माण निगम लि0 (पूर्व हरिजन एवं निर्बल वर्ग आवास निगम लि0) के पी0 एल0 ए0 में गत 4 वर्षों में हस्तान्तरित की गयी धनराशि का विवरण संलग्न है ।

निगम को विभिन्न निर्माण कार्यों के निमित्त संबंधित विभाग के बजट में प्राविधान के अनुसार धनराशियां स्वीकृत की जाती है जो वित्त विभाग के निर्देशों के अनुसार निगम के पी0 एल0 ए0 में जमा की जाती है तथा आवश्यकतानुसार निगम द्वारा शासन की अनुमति से धनराशियां पी0 एल0 ए0 से आहरित की जाती है ।

पी0 एल0 ए0 से आवश्यकतानुसार आहरित धनराशि बैंक में हस्तांतरित की जाती है जहां से बैंक ड्राफ्ट बनवाकर धनराशि निर्माण कार्यों हेतु निर्माण इकाइयों को भेजी जाती है ।

निगम ने गत 4 वर्षों में निम्न विवरण के अनुसार ब्याज की धनराशि अर्जित की है :–

वर्ष	अर्जित ब्याज
1987-88	46,50,178=03
1988-89	1,20,02,656=39
1989-90	1,45,33,626=05
1990-91	1,72,20,281=98

विवरण उपयुक्तानुसार प्रस्तुत है ।

निगम द्वारा ब्याज की कोई धनराशि नहीं हड़पी गयी है । अतः जिम्मेदार अधिकारी को दंडित करने का प्रश्न नहीं उठता ।

प्रश्न नहीं उठता ।

प्रश्न नहीं उठता ।

(देखिये नत्थी 'क' आगे पृष्ठ 193 पर)

उत्तर काशी भूकम्प में आये भूकम्प में भूगर्भीय सर्वेक्षण का गतिमान जारी रहना

*10–श्री मातवर सिंह कण्डारी—

क्या राजस्व मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि 19 अक्टूबर, 91 की रात को विनाशकारी भूकम्प से जनपद उत्तरकाशी, टिहरी गढ़वाल एवं चमोली में जिन गांवों को भूस्खलन से खतरा पैदा हो गया है, उन्हें बसाने के लिए कोई पुनर्वास की योजना बनायी गयी ? यदि नहीं, तो क्यों ? कब तक पुनर्वास की योजना बनायी जायेगी ?

श्री ब्रह्मदत्त द्विवेदी—

दिनांक 20-10-91 को गढ़वाल मंडल में आये भूकम्प के परिणाम स्वरूप भूस्खलन से संभावित खतरे के संबंध में निदेशक भूगर्भ सर्वेक्षण भारत सरकार से गांवों के भूगर्भीय सर्वेक्षण हेतु अनुरोध किया गया है । सर्वेक्षण अभी गतिमान है । अब तक प्राप्त

सर्वेक्षण रिपोर्ट में जनपद टिहरीगढ़वाल के केवल 1 ग्राम बडियार कुण्डा पट्टीहिन्दाव के ग्रामवासियों को अन्यत्र बसाये जाने हेतु भूगर्भीय सर्वेक्षण रिपोर्ट में संस्तुति की गई है । ग्राम बडियार कुण्डा को अन्यत्र सुरक्षित स्थान पर बसाये जाने के संबंध में कार्यवाही प्रारम्भ कर दी गई है ।

श्री मातवर सिंह कण्डारी–

मान्यवर, मैं स्वीकार करता हूं कि शासन स्तर से भूकम्प पीड़ितों को राहत देने में सरकार ने युद्ध स्तर से काम किया । मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि जो गांव भूकम्प से प्रभावित हुए हैं उनको बसाने के लिए क्या मैदानों में कोई भूमि उपलब्ध कराई जाएगी ?

श्री ब्रह्म दत्त द्विवेदी–

जैसा मैंने मूल प्रश्न के उत्तर में बताया कि इस संबंध में केन्द्र सरकार का जो भू-गर्भ सर्वेक्षण विभाग है, उसको लिखा है, उन्होंने एक गांव को अन्यत्र बसाने के लिए संस्तुति की है । भू-गर्भ सर्वेक्षण विभाग के द्वारा संस्तुति आई है कि वहां के ग्रामवासियों को वहां रहने में खतरा है, इसलिए उनको अन्यत्र बसाया जाएगा । अगर किसी अन्य गांव के बारे में संस्तुति आएगी तो उसको भी अन्यत्र बसाने पर विचार किया जाएगा । इसमें सरकार द्वारा कोई ढिलाई नहीं की जा रही है ।

(सत्ता पक्ष के सदस्यों द्वारा मेजें थपथपाई गईं)

श्री स्वामी नाथ यादव—

मान्यवर, किस-किस गांव के बारे में प्रस्ताव केन्द्र सरकार को भेजा गया था ?

श्री ब्रह्म दत्त द्विवेदी–

मान्यवर मैंने बताया कि जहां पर जिस गांव को खतरा होगा उसके बारे में केन्द्र सरकार का भूगर्भ सर्वेक्षण विभाग संस्तुति करेगा ।

श्री अध्यक्ष—

किस गांव के लिए सरकार ने केन्द्र सरकार को लिखा है यह इसकी जानकारी चाहते हैं ।

श्री ब्रह्म दत्त द्विवेदी–

प्रदेश सरकार ने केन्द्र सरकार को लिखा है किसी गांव का नाम नहीं दिया है ।

(शोर)

श्री रामआसरे वर्मा—

मान्यवर, मैं इस प्रश्न को स्पष्ट कर दूं ।

श्री ब्रह्म दत्त द्विवेदी–

पहले उत्तर तो आ जाने दीजिए ।

(व्यवधान)

श्री राम आसरे वर्मा—

मान्यवर, माननीय मंत्री जी की सुविधा के लिए स्पष्ट कर दूं माननीय मंत्री जी ने कहा है कि उत्तर प्रदेश सरकार ने केन्द्र सरकार को लिखा है और भूगर्भ सर्वेक्षण

केन्द्र सरकार द्वारा कराया जा रहा है । भूगर्भ सर्वेक्षण जो वहां हुए हैं उसकी अन्तरिम जानकारी या अन्तरिम रिपोर्ट उत्तर प्रदेश सरकार को मिली है कि किन-किन गांवों के ग्रामवासियों को वहा रहने में खतरा है ?

श्री ब्रह्म दत्त द्विवेदी—

मान्यवर, भूकम्प आया । भूकम्प से प्रभावित क्षेत्र जनपद टिहरी, जनपद चमोली और जनपद उत्तरकाशी के लिए केन्द्र सरकार से उत्तर प्रदेश सरकार को क्या आख्या प्राप्त हुई इसमें बताना चाहूंगा कि 20-12-91 को भारत सरकार के भूगर्भ सर्वेक्षण के द्वारा निर्धारित किए गए 32 गांव की 31-1-92 को रिपोर्ट आई । एक गांव को खतरा है उसको कहीं अन्यत्र बसाया जाए यह संस्तुति आई । बाकी के लिए नहीं आई है । चमोली के जो गांव हैं उनके संबंध में कोई आख्या नहीं आई है । उत्तर काशी के बारे में प्रारम्भिक रिपोर्ट आई है उसमें आशंका व्यक्त की गई है और संकेत किया है कि आगर गांव और सुनगा गांव में खतरे की आशंका है । इसमें विस्तृत जांच करा रहे हैं । पूर्ण आख्या आने पर कार्यवाही की जाएगी अगर वहां लोगों का रहना सुरक्षित नहीं है तो उनको अन्यत्र बसाने की व्यवस्था की जाएगी ।

श्री अध्यक्ष—

प्रश्नोत्तर काल समाप्त हो रहा है, अंतिम प्रश्न पूछ लें ।

श्री मुन्ना चौहान—

मान्यवर, माननीय मंत्री जी ने अभी एक ब्योरा दिया है कि पहाड़ी क्षेत्र में, गढ़वाल मंडल में, जो गांव भूकम्प से प्रभावित हुये हैं, जिन गांवों में भविष्य में खतरा उत्पन्न हो गया है उन गांवों को दूसरे स्थानों पर बसाये जाने की बात कही गयी है । माननीय मंत्री जी ने जो हवाला प्रस्तुत किया है उसके अन्दर बहुत सारी बातों की जानकारी नहीं है । भूकम्प से तीन जिले प्रभावित हुये हैं, चमोली, टिहरी और उत्तरकाशी । सबसे पहले मैं आपके माध्यम से मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि क्या शासन के पास जानकारी है कि देहरादून जनपद भी भूकम्प से प्रभावित हुआ है, क्या देहरादून जनपद को भूकम्प से प्रभावित मानते हैं ? देहरादून जनपद के किसी गांव की जानकारी उनके पास है जो भूकम्प से प्रभावित हुआ है । दूसरी बात मैं यह जानना चाहता हूं कि क्या मंत्री जी को जानकारी है कि देहरादून जनपद के लखवाड़ गांव में भूकम्प के कारण दरारें आ गयीं हैं ? उत्तरकाशी के कलाब गांव में भी भूकम्प से दरारें आयीं हैं क्या इसकी जानकारी मंत्री जी के पास है और वहां पर पुनर्वास की क्या व्यवस्था की जा रही है इसके बारे में माननीय मंत्री जी बताने का कष्ट करें ?

श्री अध्यक्ष—

देहरादून के जिस गांव का जिक्र किया गया है उसके लिये स्वतंत्र प्रश्न की आवश्यकता होगी । भूकम्प से प्रभावित 32 गांवों का जिक्र अभी मंत्री जी ने किया है । कुछ और गांवों की सर्वेक्षण रिपोर्ट आनी है । इससे अधिक अनुपूरक प्रश्नों की आवश्यकता, इस प्रश्न के माध्यम से नहीं है ।

श्री मुन्ना चौहान—

देहरादून जनपद भूकम्प से प्रभावित है, क्या मंत्री जी यह बताने का कष्ट करेंगे?

श्री अध्यक्ष--

इसके लिये आप अलग से प्रश्न कर लीजिये ।

श्री यदुनाथ सिंह—

मान्यवर, माननीय मंत्री जी भूकम्प मंत्री भी नहीं हैं । भारत सरकार से सर्वेक्षण करवाया जा रहा है । क्या सरकार के पास कोई एजेंसी नहीं है जिससे यह पता लगाया जाय कि भूकम्प से प्रभावित कौन-कौन से गांव हैं जिनको दूसरी जगहों पर बसाया जाय । इसके लिये भारत सरकार की रिपोर्ट की क्या जरूरत है ?

श्री अध्यक्ष—

प्रश्नों का समय समाप्त हुआ ।

*11—श्री भारत सिंह रावत, श्री सुरेन्द्र सिंह तथा श्री राम लखन—

[विस्तीर्णता के आधार पर निरस्त]

लोक निर्माण विभाग में कार्यरत अस्थाई मस्टर रोल कर्मचारियों को नियमित करने की मांग

*12—श्री देवेन्द्र पाल सिंह—

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि लोक निर्माण विभाग में 39वां वृत्त अनु0 खं0—1 (विद्युत) में कितने तृतीय एवं चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी हैं जो 31 मार्च, 89 व 31-12-90 तक 3 वर्ष या इससे अधिक समय से अस्थायी मस्टर रोल पर कार्यरत हैं? क्या सरकार 3 वर्ष से अधिक की अवधि से कार्यरत कर्मियों को कार्य प्रभारित (वर्कचार्ज) या रेग्युलर करने की कृपा करेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ? क्या सरकार सेवा के 3 वर्ष बाद से वर्कचार्ज करके शेष समय का एरियर भी शीघ्र भुगतान करायेगी ?

डा0 हरजीत सिंह डंग—

प्रश्नगत खण्ड में 31-3-89 एवं 31-12-90 तक 3 वर्ष या इससे अधिक समय से अस्थायी मस्टर रोल पर कार्यरत कर्मचारियों की संख्या क्रमशः 99 व 148 है इन्हें तृतीय तथा चतुर्थ श्रेणी के नाम से अभिज्ञान नहीं किया जाता है ।

जी नहीं ।

प्रश्न नहीं उठता ।

शासनादेश संख्या—6732/23-4-89-145 एनजी/88, दि0 12-2-90 द्वारा वर्कचार्ज कर्मचारियों की संख्या को फ्रीज कर दिया गया है ।

इस प्रकार की कोई व्यवस्था नहीं है ।

जनपद फैजाबाद की अकबरपुर, जलालपुर, टाण्डा तहसील के राजस्व ग्रामों को मिलाकर अकबरपुर जिला बनाने की मांग

*13—श्री पवन कुमार पाण्डेय—

क्या राजस्व मंत्री कृपया बतायेंगे कि जनपद फैजाबाद की अकबरपुर, जलालपुर, टाण्डा तहसील के राजस्व ग्रामों को मिलाकर अकबरपुर को जिला बनाये जाने के बारे में

नोट:—नत्थी 'ग' के तारांकित प्रश्न संख्या 10 के उपरान्त प्रश्नों का समय समाप्त हो गया ।

स्थानीय अधिवक्तागण, पत्रकारो नगर पालिका सदस्यो, प्रधानों आदि के संयुक्त हस्ताक्षरित ज्ञापन पत्र शासन को विगत 2-3 साल से कई बार प्राप्त हुये हैं ? यदि हां, तो शासन द्वारा इस विषय में क्षेत्र का भौगोलिक व राजस्व की दृष्टि से सर्वेक्षण आदि पूरा कराकर अकबरपुर को जिला बनाये जाने की प्रक्रिया कब तक पूरी हो जायेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री ब्रह्मदत्त द्विवेदी–

अध्यक्ष, नगरपालिका, टाण्डा तथा अन्य के अकबरपुर-टाण्डा तहसीलों को नया जिला बनाने के सम्बन्ध में प्रत्यावेदन प्राप्त हुये, जिन्हें अध्यक्ष, राजस्व परिषद् की अध्यक्षता में गठित समिति के समक्ष परीक्षित करने हेतु राजस्व परिषद् को भेजा गया। अभी समिति की आख्या प्राप्त नहीं हुई है। अतः अभी अकबरपुर-टाण्डा को जिला बनाये जाने की कार्यवाही शासन स्तर पर करना सम्भव नहीं है।

*14–श्री विजय सिंह (सोनभद्र)–

[आश्वासन समिति के विचाराधीन होने के कारण निरस्त]

अन्य देयों को भू-राजस्व की भांति वसूली पर 10 प्रतिशत कलेक्शन चार्ज वसूल किया जाना

*15–श्री बृजराज त्रिपाठी–

क्या राजस्व मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि अन्य देयों को भू-राजस्व की भांति वसूली पर 10 प्रतिशत कलेक्शन चार्ज किस विधि एवं नियम के अन्तर्गत बकाया दारों से वसूल किया जाता है और किस खाते में जमा होता है ? उक्त धन किस मद में व्यय किया जाता है और क्या शासन निकट भविष्य में इस अनियमित वसूली को जनहित में समाप्त करने का विचार कर रहा है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री ब्रह्मदत्त द्विवेदी–

रेवेन्यू रिकवरी एक्ट, 1965 की धारा-5 तथा उसके अधीन बने नियमों के अन्तर्गत वसूली प्रमाण-पत्र प्राप्त होने पर प्रदेशीय सरकार के विभागों को छोड़कर अन्य सरकारों, निगमों, अर्द्ध शासकीय संस्थाओं तथा स्थानीय निकायों के देयों की भू-राजस्व की बकाया की भांति वसूली करने पर 10 प्रतिशत कलेक्शन चार्जेज वसूल किया जाता है। संग्रह व्यय उत्तर प्रदेश लोकधन देयों की वसूली अधिनियम, 1972 की धारा-3 के अन्तर्गत भू-राजस्व के बकाये की भांति वसूल किये जाने वाले देयों की वसूली पर भी लिया जाता है। संग्रह व्यय को भू-राजस्व की प्राप्तियों से संबंधित लेखा शीर्षक "029–भू-राजस्व खण्ड-अन्य प्राप्तियां–(5) की गयी सेवाओं के लिए भुगतानों की उगाही" के नामे जमा किया जाता है।

संग्रह व्यय संग्रह कर्मियों के वेतन एवं स्टेशनरी आदि पर व्यय होने वाले व्यय को वहन करने के लिए खर्चे के रूप में नियमानुसार वसूल किया जाता है। अतः इसे समाप्त करने का कोई औचित्य प्रतीत नहीं होता है।

*16–श्री भगवती सिंह विशारद–

[विस्तीर्णता के आधार पर निरस्त]

जनपद बाराबंकी के सफदरगंज, भिटरिया फार्म वाया टिकैत नगर भदोसराय के किये गये विस्तार कार्यों का भुगतान

*17—श्री सुरेन्द्र नाथ—

क्या लोक निर्माण मंत्री को जानकारी है कि जनपद-बाराबंकी के सफदरगंज, भिटरिया फार्म वाया टिकैत नगर भदोसराय का विस्तार कार्य पूर्ण हो गया है ? यदि नहीं, तो उस मार्ग पर अब तक किया गया भुगतान किस श्रेणी में है ?

डा0 सरजीत सिंह डंग—

वर्णित मार्ग का विस्तार कार्य पूर्ण नहीं हुआ है ।

प्रश्नगत मार्ग पर उन्हीं कार्यों का भुगतान किया गया है जो किए गये हैं ।

साठ वर्षीय विधायकों को विधवा पेन्शन के स्थान पर वृद्धावस्था पेंशन दिये जाने हेतु शासन द्वारा विचार किये जाने की मांग

*18—श्री रामेश्वर दयाल वाल्मीकी—

क्या समाज कल्याण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि विधवा पेंशन प्राप्त जिन महिलाओं की उम्र 60 वर्ष की हो गयी है उन्हें विधवाओं की सूची से हटाकर वृद्धावस्था पेंशन की सूची में दर्ज कर उनके स्थान पर कोटे के अभाव में जिन विधवाओं को पेन्शन नहीं मिल पा रही है उनके नाम दर्ज कर दिये जाने पर शासन विचार कर निर्णय लेगा ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं तो क्यों ?

श्री रमापति शास्त्री—

ऐसा कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है ।

प्रश्न नहीं उठता ।

प्रश्न नहीं उठता ।

राष्ट्रीय अनुसूचित जाति वित्त एवं विकास निगम को 1991-92 में दी गयी धनराशि का विवरण

*19—श्री खालिद गौरी—

क्या समाज कल्याण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि राष्ट्रीय अनुसूचित जाति एवं विकास निगम द्वारा 22 करोड़ रुपये की धनराशि वित्तीय वर्ष 1991-92 में उत्तर प्रदेश को दी गयी थी? यदि हां, तो क्या यह धनराशि किस योजना के अन्तर्गत दी गयी थी ?

श्री रमापति शास्त्री—

जी नहीं ।

प्रश्न नहीं उठता

प्रश्न नहीं उठता

लखनऊ कुर्सी मार्ग पर अनडुलेशन भरने व मिट्टी से पटरी की भराई के कार्यों का विवरण

*20—श्री राजेन्द्र प्रसाद सिंह— (मिर्जापुर)

22 से 26 एवं 26 से 31.5 अंतर्गत अनडुलेशन भरने व मिट्टी से पटरी की भराई

आदि के कार्यों के नाम पर कितने अनुबन्ध कितनी लागत के एवं किस-किस सामग्री के बनाये गये ? क्या उक्त कार्य वास्तव में सड़क पर कराया गया ? यदि नहीं, तो क्या यह सत्य है कि लगभग आठ लाख रुपये का फर्जी भुगतान करके शासन को क्षति पहुंचाई गयी ? यदि हां, तो क्या इसकी विस्तृत जांच टी0 ए0 सी0 से कराकर सम्बन्धित अधिकारियों की जिम्मेदारी निर्धारित करेंगे ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

डा0 सरजीत सिंह डंग–

प्रश्नगत किलोमीटरों में वर्णित कार्य हेतु कि0 मी0 22 से 26 तक के लिए के अनुबन्ध पत्थर की रोड़ी, हल्दवानी शिंग्ल तथा जलौनी लकड़ी की आपूर्ति हेतु रु0 55,231/- की लागत के बनाये गये एवं कि0मी0 26 से 31.5 तक के लिए तीन अनुबन्ध पत्थर की रोड़ी तथा हल्दवानी शिंग्ल की आपूर्ति हेतु रु0 57,883/– की लागत के बनाये गये । ये अनुबन्ध माह 8/89 से 10/91 की अवधि में बनाये गये ।

पटरी भराई का कोई अनुबन्ध नहीं बनाया गया ।

जी हां ।

प्रश्न नहीं उठता ।

अतारांकित प्रश्न

वाराणसी विकास प्राधिकरण की पाण्डेयपुर आवासीय योजना के प्रयोजनार्थ निर्बल व्यक्तियों की भूमि को राज्य सरकार के नाम इन्द्राज किया जाना

1–श्री उदल–

क्या राजस्व मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि भगवंती वगैरह 25 व्यक्तियों की गांव पाण्डेपुर परगना शिवपुर तहसील व जिला वाराणसी की भूमि को विशेष भूमि अध्याप्ति अधिकारी, वाराणसी ने 25-41 सन् 83 विज्ञाप्ति संख्या-3837-821 दि0 12-12-84 के द्वारा तहसील वाराणसी को आदेश दिया कि उक्त भूमि पर राजकीय सम्पत्ति उत्तर प्रदेश का नाम अंकित किया जाय और नामान्तर वहीं मौजा पाण्डेयपुर प0 शिवपुर त0 व जिला-वाराणसी के तहसील वाराणसी के बाबत सन् 1392 फ0 नामान्तर कर दिया गया ? क्या सरकार इस मामले की जांच करायेगी और उन 25 काश्तकारों से भी जांच करेगी कि वाद लम्बित होते हुये विशेष भूमि अध्याप्ति अधिकारी वाराणसी के आदेश 12-12-84 के द्वारा कैसे नाम काट दिया गया? क्या उपरोक्त जमीन व उसमें मकान एकदम गरीबों के थे ? क्या सरकार इन गरीबों को उक्त जमीन देगी और भूमि अध्याप्ति अधिकारी के खिलाफ कार्यवाही करेगी ?

श्री ब्रह्मदत्त द्विवेदी–

वाराणसी विकास प्राधिकरण की पाण्डेयपुर आवासीय योजना के प्रयोजनार्थ ग्राम-पाण्डेयपुर परगना–शिवपुर जनपद–वाराणसी में भूमि अर्जन अधिनियम, 1894 की धारा–4 तथा 6 की अधिसूचना दिनांकः 22-11-82 तथा 3-2-1983 से आवृत्त 31.26 एकड़ भूमि में से 10.06 एकड़ भूमि का कब्जा लेकर दिनांकः–12-12-84 को राज्य सरकार के नाम इन्द्राज किया गया । शेष 21.20 एकड़ भूमि से सम्बन्धित

भू-स्वामियों द्वारा योजित 18 रिट याचिकाओं में मा0 उच्च. न्यायालय इलाहाबाद से स्थगनादेश के कारण कब्जा लेकर दिनांक:-12-12-84 को इन्द्राज नहीं किया जा सका । कालान्तर में उच्च न्यायालय द्वारा दिनांक:-24-2-1987 को समस्त रिट याचिकाएं खारिज कर दी गयीं । इस प्रकार ग्राम-गाण्डेयपुर में भू-अर्जन की कार्यवाही की वैधता का समर्थन उच्च न्यायालय द्वारा भी किया गया । चूंकि दिनांक 12-12-84 को राज्य सरकार के पक्ष में धारान्तरित की गई 10.06 एकड़ भूमि के सम्बन्ध में कोई विवाद लम्बित होने की सूचना प्रभावित खातेदारों द्वारा नहीं दी गयी थी अतएव उक्त भूमि के दाखिल खारिज के सम्बन्ध में किसी जांच की आवश्यकता अनुभव नहीं की गयी अर्जन की कार्यवाही से प्रभावित व्यक्तियों द्वारा भूमि अध्यापन के पूर्व निर्गत मकानों को अर्जन से बरी रखा गया है । योजना के अन्तर्गत सभी वर्ग के लोग प्रभावित हुए हैं किन्तु क्षेत्र के विकास तथा निर्बल एवं अल्प आय-वर्ग के व्यक्तियों के लिए आवासीय सुविधा उपलब्ध कराये जाने के उद्देश्य से योजना के संचालन हेतु भूमि अर्जन अपरिहार्य समझा गया । योजना के लिए स्थायी निवासियों में से किसी भी गरीब व्यक्ति का मकान अर्जित नहीं किया गया है । अर्जन से प्रभावित व्यक्तियों द्वारा अपेक्षा किये जाने की दशा में उन्हें नियमानुसार भूमि अथवा भवन वाराणसी विकास प्राधिकरण द्वारा प्राथमिकता के आधार पर उपलब्ध कराया जायेगा । योजना के लिए भूमि अर्जन की कार्यवाही में कोई अनियमितता दृष्टिगोचर न होने के कारण विशेष भूमि अध्यापित अधिकारी के विरुद्ध किसी कार्यवाही का प्रश्न नहीं उठता ।

2-श्री रमाकान्त यादव-

[स्पष्टीकरण हेतु हटाया गया]

जनपद मिर्जापुर में बाल विकास परियोजना का कार्यालय लालगंज में स्थापित होना

3-श्री गोपी नाथ दीक्षित-

क्या समाज कल्याण मंत्री कृपया बतायेंगे कि जनपद मिर्जापुर में बाल विकास परियोजना लालगंज का कार्यालय परियोजना मुख्यालय से सुदूर दुबार नामक स्थान पर रखे जाने का कारण क्या है ? इस कार्यालय को लालगंज स्थित सहकारी समिति लि/श्री हरचन्द्र सिंह के मकान में रखे जाने का प्रस्ताव विभाग के पास लम्बित है? यदि हां, तो कार्यालय दुबार से लालगंज कब तक लाया जाना सम्भव है? यू0 पी0 जर्नलिस्ट्स एसोसिएशन के महामंत्री श्री शशि भूषण दूबे का प्रस्ताव (1989-90, 90-91) पर अब तक कार्यवाही न किये जाने का मूल कारण क्या है? क्या सरकार जनहित में उक्त कार्यालय को लालगंज में लाये जाने का प्रभावी आदेश देगी? यदि हां, तो कब तक? यदि नहीं, तो क्यों?

श्री रमापति शास्त्री-

वर्तमान में इस परियोजना का कार्यालय लालगंज में स्थित है। पूर्व में निर्धारित कारपेट एरिया एवं दर पर लालगंज में भवन उपलब्ध न होने के कारण इस परियोजना का कार्यालय दुबार कला में था।

जी नहीं।

जैसा कि ऊपर बताया गया है उक्त कार्यालय वर्तमान में लालगंज में ही स्थित है। कार्यवाही की जा चुकी है ।

परियोजना का कार्यालय लालगंज में स्थापित हो चुका है। शक का प्रश्न नहीं उठता है।

जनपद लखनऊ तहसील मोहनलालगंज के तहसीलदार पर काश्तकारों से पुनः जुर्माने की धनराशि वसूलने का आरोप

4—श्री दिनेश चन्द्र सोनकर, श्री बच्चा पाठक—

क्या राजस्व मंत्री कृपया बताने की कृपा करेंगे तहसीलदार, मोहनलालगंज जनपद लखनऊ (श्री वीरेन्द्र विक्रम सिंह) द्वारा 15 डी के अन्तर्गत वर्ष 90 व 91 में काश्तकारों पर किये गये जुर्माने की धनराशि जमा कर दिए जाने के बावजूद पुनः उसी धनराशि को वसूल किया जा रहा है? यदि हां, तो क्यों? क्या सरकार इसकी जांच कराकर दोषी अधिकारी के विरुद्ध कार्यवाही करेगी, यदि नहीं, तो क्यों?

श्री ब्रह्मदत्त द्विवेदी—

जी नहीं।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद वाराणसी तहसील चन्दौली परगना मझवार ग्राम नेगुरा के ग्राम प्रधान के विरुद्ध शिकायती पत्र पर कृत कार्यवाही

5—कुंवर रेवती रमण सिंह—

क्या राजस्व मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि ग्राम नेगुरा, परगना मझवार, तहसील-चन्दौली, जनपद वाराणसी के प्रधान के विरुद्ध ग्राम समाज की 22 एकड़ भूमि की आय को हड़पने सम्बन्धी शिकायती पत्र उसी ग्राम के सर्वश्री कृष्ण कुमार सिंह, शम्भू चौहान, मोहन सिंह व रामभूरत पाण्डे आदि ने दि0 2-9-91 को पंजीकृत डाक द्वारा उन्हें भेजा है यदि हां, तो इस पत्र के सम्बन्ध में क्या कार्यवाही की गई ?

श्री ब्रह्मदत्त द्विवेदी—

पत्र दिनांक 2-9-1991 प्राप्त हुआ प्रतीत नहीं होता वरन् इसी आशय का श्री कृष्ण कुमार सिंह आदि का शिकायती पत्र क्रमशः जिलाधिकारी वाराणसी को दि0-10-10-91 व 14-10-91 तथा परगनाधिकारी, चन्दौली को दि0 7-9-91 व 1-10-91 को प्राप्त हुए हैं । उक्त शिकायती पत्र में **ग्राम प्रधान के विरुद्ध ग्राम सभा की भूमि हड़पने की शिकायत की गई है परन्तु स्थलीय जांचोपरान्त प्रधान ग्राम सभा नेगुरा द्वारा स्वयं कब्जा करने का कोई प्रकरण सामने नहीं आया है। अनाधिकृत कब्जेदारों के विरुद्ध उत्तर प्रदेश जमींदारी विनाश एवं भूमि व्यवस्था अधिनियम की धारा-122बी के अन्दर बेदखली की कार्यवाही की गई है ।**

जनपद गोरखपुर के पिपरी, तरकुलहा, जंगल माधी आदि ग्रामों से उपलब्ध सीलिंग की भूमि को अन्य पात्रों में वितरित किया जाना

6–कुंवर रेवती रमण सिंह–

क्या सरकार कृपया बतायेगी कि राजस्व ग्राम-पिपरी, तरकुलहा, जंगल माधी व सिरीसिया गदाई उर्फ बरगदही नथा खुटहन, परगना हवेली, तहसील सदर, जिला-गोरखपुर तथा इसी तहसील के परगना हवेली तप्पा पतरा के राजस्व गांव समदार खुर्द व बैलों में सीलिंग की कितनी भूमि किस-किस व्यक्ति से उपलब्ध हुई है ? क्या प्राप्त भूमि को अन्य पात्र व्यक्तियों में वितरित कर दिया गया है? यदि नहीं, तो क्यों?

श्री ब्रह्मदत्त द्विवेदी–

प्रश्नगत ग्रामों में सीलिंग की अतिरिक्त घोषित भूमि का विवरण संलग्न सूची में अंकित है। तहसील सदर परगना हवेली तप्पा-पतरा के राजस्व ग्राम समदार खुर्द में कोई भूमि सीलिंग की उपलब्ध नहीं हुयी है।

कुल अतिरिक्त घोषित भूमि 79-64-3/4 एकड में से 64-89 एकड पर स्थगन आदेश है, 12-10-11/12 एकड़ भूमि अकृषिक एवं जलमग्न है, शेष 2-73-5/6 एकड़ भूमि पात्र आवेदकों में आवंटित की जा चुकी है।

(देखिये नत्थी 'ख' आगे पृष्ठ 196-197 पर)

जनपद देवरिया के समाज कल्याण अधिकारी के विरुद्ध शिकायती पत्र पर कार्यवाही

7–श्री जय प्रकाश निषाद–

क्या समाज कल्याण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि मुख्य मंत्री उत्तर प्रदेश शासन को सम्बोधित समाज कल्याण अधिकारी देवरिया के विरुद्ध श्री राम सिंह सदस्य, जिला कार्य समिति के शिकायती पत्र के साथ श्री कलराज मिश्र सदस्य विधान परिषद् उत्तर प्रदेश का पत्र दिनांक 30-9-91 प्राप्त हुआ है? यदि हां, तो उस पर क्या कार्यवाही की गई ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री रमापति शास्त्री–

जी हां।

जांच कराई जा रही है।

जनपद जौनपुर के चकबन्दी विभाग के मृतक श्री रंजीव सिंह के आश्रितों को पेंशन तथा नौकरी दिये जाने की मांग

8–श्री किशोरी लाल यादव–

क्या राजस्व मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि मृतक रंजीव सिंह, जो चकबन्दी विभाग में कानूनगो पद पर शाहगंज जनपद-जौनपुर में कार्यरत थे और जिनको कुछ अवांछनीय तत्वों ने 14 फरवरी, 1960 को मार डाला ? क्या उनके आश्रितों को पेंशन मिल रही है ? यदि नहीं, तो क्यों ? क्या उनके आश्रित को चकबन्दी विभाग में नौकरी दी गयी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री ब्रह्मदत्त द्विवेदी–

जी नहीं । प्राप्त सूचना के अनुसार वर्ष 1960 में रंजीव सिंह नाम का कोई चकबन्दीकर्ता शाहगंज जौनपुर में कार्यरत नहीं था ।

प्रश्न नहीं उठता ।

श्री उमेश दीक्षित तत्कालीन अधिशासी अभियन्ता फतेहगढ़ में उनकी तैनाती के दौरान परिवादों की जांच का विवरण

9–श्री नसीम उद्दीन सिद्दीकी–

क्या लोक निर्माण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि श्री उमेश दीक्षित तत्कालीन अधिशासी अभियन्ता के फतेहगढ़ में उनकी तैनाती के दौरान कितने-कितने परिवादों में जांच चल रही है ? इन परिवादों के शिकायतकर्ता के नाम तथा शिकायतों के मुख्य बिन्दु क्या हैं ? इन परिवादों के जांच अधिकारी कौन हैं तथा इनकी जांच आख्या प्राप्त हुई या नहीं ? यदि नहीं, तो क्यों ? यदि हां, तो इस जांच आख्याओं पर कार्यवाही न करने का क्या कारण है ?

डा0 सरजीत सिंह डंग–

श्री उमेश दीक्षित, तत्कालीन अधिशासी अभियन्ता, फतेहगढ़ में उनकी तैनाती के दौरान कुल 8 परिवादों की जांच चल रही है ।

शिकायतकर्ताओं के नाम तथा शिकायती बिन्दु निम्न प्रकार हैं :–

शिकायतकर्ताओं के नाम	शिकायती बिन्दु
1–श्री गोकरन सिंह भदौरिया, महामंत्री, उ0 प्र0 मद्य निषेध प्रकोष्ठ, 110, किदवई नगर, कानपुर ।	कार्य विशिष्टियों के अनुरूप न कराना तथा कतिपय कार्यों का फर्जी भुगतान किया जाना।
2–दैनिक लोक भारती समाचार पत्र, कानपुर में दिनांक 27-8-87 को प्रकाशित शिकायत ।	पद का दुरुपयोग किया जाना ।
3–श्री सुरेन्द्र सिंह, एडवोकेट, 1/11, तिर्वा हाउस, फतेहगढ़ का पत्र दिनांक 15-6-89 ।	श्री उमेश दीक्षित, अधिशासी अभियन्ता द्वारा वर्ष 1988-89 के दौरान करोड़ों का गबन किए जाने के संबंध में ।
4–श्री सुरेन्द्र सिंह, एडवोकेट, 1/11 तिर्वा हाउस, फतेहगढ़ का पत्र दिनांक 22-11-88 ।	निर्माण खण्ड फतेहगढ़ के अधिशासी अभियन्ता द्वारा खुले रूप में लाखों रुपए का गबन किया जाना ।
5–कुंवर योगेन्द्र सिंह, 1/65 बजरिया, अलीगंज चौराहा, फतेहगढ़ ।	जी0 टी0 रोड के निर्माण में की गयी गम्भीर अनियमितताएं एवं गबन ।
6–नवभारत टाइम्स पत्र दिनांक 21-7-89 में प्रकाशित शिकायत ।	जी0 टी0 रोड के निर्माण में की गयी अनियमितताएं एवं फर्जी भुगतान ।

7—जिलाधिकारी, फर्रुखाबाद का पत्र दिनांक 22-9-88 । — कर्तव्यों के प्रति उदासीनता दिखाया जाना ।

8—श्री आर0 पी0 सिंह, तत्कालीन सहायक अभियन्ता, निर्माण खण्ड, फतेहगढ़ का शिकायती पत्र दिनांक 28-4-86 एवं सहायक अभियन्ता एसोसिएशन का पत्र दिनांक 13-5-86 । — आर0 पी0 सिंह, सहायक अभियन्ता से दुर्व्यवहार करने के संबंध में ।

इन परिवादों के जांच अधिकारी अधीक्षण अभियन्ता 46वां वृत्त, लोक निर्माण विभाग, इटावा है । जांच अधिकारी स्तर से पांच जांच आख्याएं प्रस्तुत की जा चुकी है, जो परीक्षणाधीन है तथा शेष तीन परिवादों की जांच प्रगति पर है ।

प्रश्न नहीं उठता

प्रश्न नहीं उठता ।

जनपद बाराबंकी में डीलाइट कन्स्ट्रक्शन द्वारा कृत कार्य में भ्रष्टाचार की जांच प्रमुख अभियन्ता लो0 नि0 वि0 द्वारा कराया जाना

10—श्री तीरथ राज—

क्या लोक निर्माण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रश्नकर्ता द्वारा प्रेषित उनके कार्यालय में अंकित पत्र संख्या-1759 वी0आई0पी0 दिनांकित 7-10-91 की विषय-वस्तु क्या है — पत्र में आरोपित तथ्यों की जांच किसके द्वारा करायी गयी — दोषी व्यक्तियों के विरुद्ध क्या कार्यवाही की गयी? किन-किन व्यक्तियों के विरुद्ध जांच के दौरान दोष सिद्ध हुए ?

डा0 सरजीत सिंह डंग—

प्रश्नगत पत्र जनपद बाराबंकी में हैदरगढ़—भिटरिया राजमार्ग पर डीलाइट कन्स्ट्रक्शन द्वारा कृत कार्य में भ्रष्टाचार की टेक्निकल आडिट कमेटी द्वारा जांच से संबंधित है ।

प्रश्नगत जांच प्रमुख अभियन्ता, लो0 नि0 वि0, उ0 प्र0 द्वारा करायी जा रही है ।

जांच आख्या प्रतीक्षित है, अतः फिलहाल किसी के विरुद्ध कार्यवाही करने का प्रश्न नहीं उठता ।

11—श्री तीरथ राज—

[आश्वासन समिति के विचाराधीन होने के कारण निरस्त ।]

ग्राम समाज की बंजर भूमि पर अनुसूचित जाति के व्यक्ति का अनाधिकृत कब्जा को उसी के नाम करने का प्राविधान

12—श्री तीरथ राज—

क्या राजस्व मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि ग्राम समाज की भूमि पर यदि किसी व्यक्ति या संस्था द्वारा पेड़ लगाए गए हैं अथवा संरक्षित है और वे राजस्व अभिलेखों में अंकित हैं तो ऐसी भूमि का पट्टा ग्राम समाज द्वारा किया जा सकता है ?

यदि नहीं, तो क्या मंत्री जी इस संबंध में स्पष्ट निर्देश जिला अधिकारियों को देने की कृपा करेंगे ? क्या ऐसे काश्तकारों के जिनके पेड़ बंजर भूमि पर अंकित हैं उनके विरुद्ध जमींदारी विनाश एवं भूमि व्यवस्था अधिनियम की धारा 122 बी0 के अन्तर्गत वाद न्यायालय में लाया जा सकता है ? यदि नहीं, तो क्या समस्त न्यायालयों में लम्बित इस प्रकार के वादों को शासन वापस लिए जाने पर विचार करेगा ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री बहुम दत्त द्विवेदी–

जी हां । ग्राम समाज की भूमि पर लगे पेड़ो का अंकन राजस्व अभिलखों में करने का प्राविधान नहीं है । ऐसी भूमि नियमों में खाली भूमि मानी जायेगी ।

जी नहीं, चूंकि नियमों में इसका प्राविधान है अतएव इसकी आवश्यकता नहीं है ।

जी हां । ग्राम सभा बंजर भूमि पर लगे पेड़ों के अभिलेखों में किसी व्यक्ति के नाम दर्ज करने का प्राविधान नहीं है । परन्तु यदि किसी अनुसूचित जाति/जनजाति के व्यक्ति का दिनांक 30-6-85 तक गांव-सभा भूमि का अनाधिकृत कब्जा है, तो उसी के पक्ष में उ0 प्र0 जमींदारी विनाश एवं भूमि व्यवस्था अधिनियम की धारा–122 बी (4-एफ) के अन्तर्गत उसका कब्जा विनियमित किए जाने का प्राविधान है ।

प्रश्न नहीं उठता ।

प्रश्न नहीं उठता ।

तहसील नवाबगंज, जनपद बाराबंकी स्थित गाटा सं0–2616 राजकीय भूमि होना

13–श्री नीरथ राज–

क्या राजस्व मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि ग्राम बाराबंकी परगना नवाबगंज, तहसील-नवाबगंज, जनपद-बाराबंकी स्थित गाटा संख्या-2616 किन-किन व्यक्तियों के नाम राजस्व अभिलेख में अंकित है ? क्या शासन ने गाटा संख्या-2616 का अधिग्रहण किया है ? यदि नहीं, तो संदर्भित गाटे पर वन विभाग द्वारा आवासीय भवन एवं कार्यालय बना लिए जाने का क्या औचित्य है ? क्या मंत्री जी यह भी बताने की कृपा करेंगे कि गाटा संख्या-2616 के कितने क्षेत्रफल पर वन विभाग द्वारा आवास एवं कार्यालय का निर्माण किया गया है ? क्या मंत्री जी गाटा संख्या-2616 के शेष भाग जिस पर निर्माण अभी नहीं हुआ है, पर वन विभाग द्वारा किसी प्रकार का निर्माण एवं अवैध हस्तक्षेप न किए जाने का स्पष्ट निर्देश देने की कृपा करेंगे ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री बहुम द्विवेदी–

ग्राम बाराबंकी, परगना व तहसील नवाबगंज, जनपद बाराबंकी में स्थित भूमि गाटा संख्या 2616 खेवट खाता-1 भारत सरकार की सम्पत्ति जेर इन्तजाम जिला परिषद् की श्रेणी 9 (3) कब्रिस्तान मरघट आदि के रूप में खतौनी के खाता संख्या 31 पर श्री बशीर, शकूर व नजीर पुत्रगण श्री मन्हे, निवासी घोसियाना के नाम अंकित है ।

जी नहीं ? उक्त भूमि राजकीय भूमि है, इसका अधिग्रहण नहीं किया गया ।

कोई औचित्य नहीं है । उक्त भूमि के वन विभाग को आवंटित होने क प्रमाण उपलब्ध नहीं है । मात्र इनका कब्जा है ।

वन विभाग द्वारा बाउण्ड्री वाल बना कर गाटा संख्या 2616 के कुल क्षेत्रफल 0-126 हेक्टेयर पर कब्जा किया गया है ।

उक्त गाटा के समस्त भूमि खण्ड पर वन विभाग का गत 25 वर्षों से कब्जा है । उक्त के संबंध में अंकित अनधिकृत नामों के निरस्तीकरण हेतु सक्षम न्यायालय में कार्यवाही विचाराधीन है ।

जनपद देवरिया में राज्य सेक्टर से कतिपय वर्षों में स्वीकृत सड़कों तथा पुलों का विवरण

14—श्री हरिवंश सहाय-

क्या लोक निर्माण मंत्री कृपया बतायेंगे कि देवरिया जनपद में राज्य सेक्टर से वर्ष 1989-90, 90-91 तथा 1991-92 में कौन-कौन सी सड़कें तथा पुल स्वीकृत हुआ ? किन-किन सड़कों पर कार्य प्रारम्भ कर दिया गया है ?

डा0 सूरजीत सिंह डंग—

देवरिया जनपद में राज्य सेक्टर के अन्तर्गत वर्ष 1989-90, 90-91 तथा 1991-92 में निम्नलिखित सड़कें एवं पुल स्वीकृत हुए :—

वर्ष 1989-90

नगरपालिका गौरा बरहज मार्ग की सीमा के अन्दर रुद्रपुर लार मार्ग।

वर्ष 1990-91

(1) प्रतापपुर से सिरसिया पवार मार्ग का निर्माण।
(2) मंसूरगंज-लक्ष्मीपुर का शेष भाग ।
(3) गोरयाघाट पर छोटी गण्डक नदी पर पुल का निर्माण ।

वर्ष 1991-92

(1) सेहनाग इन्दौली मार्ग।
(2) सतराव से दोहनी ।
(3) देवरिया बलिया सोनौली राज्य मार्ग से धनगड़ा मोड़ से चुनकी तक मार्ग ।
(4) लार बाइपास से धारीवारी समता विद्यालय होते हुए रम्सहा तक ।
(5) नरसिंह डाड़ से पनिका मार्ग ।
(6) धरमेर से तुर्तीपार रेलवे स्टेशन तक का मार्ग ।
(7) सुधियानी सोमली मंसूरगंज मार्ग ।
(8) सोमली पैमली मंसूरगंज मार्ग।
(9) धरमेर से तुर्तीपुर रेलवे स्टेशन तक का मार्ग।

उपरोक्त लिखित सड़कों में से निम्नलिखित सड़कों पर कार्य प्रारम्भ किया जा चुका है:—

(1) प्रतापपुर से सिरसिया पवार मार्ग का निर्माण ।
(2) मसूरगंज लक्ष्मीपुर का शेष भाग ।

(3) देवरिया बलिया सोनौली राज्य मार्ग से धनगड़ा मोड़ से चुनकी तक मार्ग।
(4) लार बाईपास से धारीवारी समता विद्यालय होते हुए रम्सहा तक ।
(5) नरसिंह डाड़ से पनिका मार्ग ।
(6) धरमेर से तुर्तीपार रेलवे स्टेशन तक का मार्ग ।
(7) सुधियानी सोमली मंसूरगंज मार्ग ।
(8) गोडरिया से दुबौली होते हुए शुकुल पट्टी तक मार्ग ।

तथा नगरपालिका गौरा बरहज मार्ग की सीमा के अन्दर रूद्रपुर मार्ग का निर्माण कार्य पूरा किया जा चुका है ।

प्रान्तीय खण्ड लोक निर्माण विभाग देवरिया में निलम्बित सहायक अभियन्ता की जानकारी

15–श्री हरिवंश सहाय–

क्या लोक निर्माण मंत्री कृपया बतायेंगे कि प्रान्तीय खण्ड लोक निर्माण विभाग देवरिया के किन-किन सहायक अभियन्ताओं को दिनांक 1-7-91 से 30-10-91 के बीच शासन द्वारा निलम्बित किया गया ? उनके ऊपर आरोप क्या है ?

डा0 सरजीत सिंह डंग–

किसी भी सहायक अभियन्ता को प्रश्नगत अवधि में निलम्बित नहीं किया गया ।
प्रश्न ही नहीं उठता ।

जनपद देवरिया के चुनकी घाट पर स्वीकृत पुल का निर्माण नियोजन विभाग द्वारा निरस्त किया जाना

16–श्री हरिवंश सहाय तथा श्री स्वामी नाथ यादव–

क्या लोक निर्माण मंत्री कृपया बतायेंगे कि क्या यह सही है कि पूर्वान्चल विकास निधि के देवरिया जनपद के चुनकी घाट पर पक्का पुल बनाने के लिए वर्ष 1990-91 में 35 लाख रुपया स्वीकृत था ? यदि हां, तो उस पर कार्य कब तक शुरु करा दिया जायेगा ?

डा0 सरजीत सिंह डंग–

जी हां ।
चूंकि प्रश्नगत पुल के निर्माण कार्य की स्वीकृति नियोजन विभाग द्वारा निरस्त की जा चुकी है, अतः सेतु का निर्माण कराया जाना सम्भव नहीं है ।

गेहूं आधारित परियोजनाओं में पुष्टाहार प्रोसेसिंग पैकिंग तथा ट्रान्सपोर्टेशन का वर्षवार विवरण

17–श्री महराज सिंह यादव, श्री अरुण प्रताप सिंह तथा श्री कटार सिंह–

11वीं विधान सभा के प्रथम सत्र 1991 के प्रथम गुरुवार के लिये निर्धारित तारांकित प्रश्न संख्या-2 के उत्तर के संदर्भ में क्या समाज कल्याण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि

पुष्टाहार के निर्माण से लेकर उपयोग तक प्रोसेसिंग, पैकिंग तथा ट्रान्सपोर्टिंग में संदर्भित अवधि में वर्षवार अलग-अलग कितना कितना रुपया व्यय किया गया है तथा यह तीनों का आदेश किन-किन फर्मों को दिया गया था ? क्या सरकार को जानकारी है कि इन तीनों कार्य एक ही स्थानीय फर्म को बिना किसी कोटेशन के यह कार्य दिया गया जो विभाग की काली सूची में अब दर्ज हो गया है तथा इसी लिए यह आपूर्ति अब बन्द हो गयी है?

श्री रमापति शास्त्री–

गेहूं आधारित परियोजनाओं में पुष्टाहार प्रोसेसिंग, पैकिंग तथा ट्रान्सपोर्टेशन में वर्ष 1986-87 से वर्ष 1990-91 तक की अवधि का वर्ष वार व्यय-विवरण संलग्न है ।

टेण्डर के आधार पर तीनों कार्य एक ही फर्म को दिया गया ।

जी नहीं ।

पुष्टाहार तैयार कराने में विकेन्द्रीकरण नीति के तहत पुष्टाहार तैयार कराने का कार्य 8 नवम्बर, 1990 से जनपद स्तर को सौंपा गया है ।

(देखिये नत्थी 'ग' आगे पृष्ठ 198 पर)

बालाहार एवं पुष्टाहार की आपूर्ति जारी रहना

18—श्री महराज सिंह यादव तथा श्री नरेन्द्र सिंह—

11वीं विधान सभा के प्रथम सत्र 1991 के पहले गुरुवार के लिए निर्धारित अतारांकित प्रश्न—22 के उत्तर के संदर्भ में क्या समाज कल्याण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि क्या उक्त बालाहार एवं पुष्टाहार की आपूर्ति अभी तक जारी है ? यदि नहीं, तो यह आपूर्ति किस दिनांक से बन्द हुयी है ? आपूर्ति कब से पुनः चालू करने पर सरकार विचार कर रही है ? क्या ऐसी एजेन्सियों की काली सूची बनाने पर सरकार विचार कर रही है ?

श्री रमापति शास्त्री—

जी हां ।

प्रश्न नहीं उठता ।

जनपद बांदा में रामनगर के पास पुख्ता रपटा का निर्माण की मांग

19—श्री राम प्रसाद सिंह—

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि जनपद बांदा के अन्तर्गत कालिंजर से रायनगर उ0 प्र0 से मध्य प्रदेश अजयगढ़ खजुराहा अन्तर्राज्यीय रोड का निर्माण हो चुका है और इसमें बागैनदी में रामनगर के पास पुख्ता रपटा का निर्माण काफी लम्बे अर्से से स्वीकृत है ? यदि हां, तो इसके निर्माण को कब तक पूरा किया जायगा ? यदि नहीं, तो क्यों ?

डा0 सरजीत सिंह डंग—

जी नहीं ।

प्रश्न नहीं उठता ।

वर्तमान में अपूर्ण सेतुओं एवं मार्गों को पूर्ण किए जाने को प्राथमिकता दी जा रही है ।

जनपद झांसी के अवर अभियन्ता श्री आर0 के0 तिवारी अ0 खण्ड पर सांयई बाईपास के धन के कथित दुरूपयोग का आरोप

20—श्री बाला प्रसाद—

क्या लोक निर्माण मंत्री कृपया बतायेंगे कि अवर अभियन्ता आर0 के0 तिवारी अ0 खण्ड, झांसी के ऊसर सांयई बाईपास के धन के दुरुपयोग संबंधी कोई कार्यवाही 16वां वृत्त कानपुर से हुई है ? यदि नहीं, तो क्यों ? क्या इनकी नियुक्ति कभी भी बुन्देलखण्ड क्षेत्र से बाहर हुई है ?

डा0 सरजीत सिंह डंग—

अवर अभियन्ता श्री आर0के0 तिवारी, अस्थाई खण्ड, झांसी को सांयई बाईपास के धन के दुरुपयोग के सम्बन्ध में अधीक्षण अभियन्ता 16वां वृत्त द्वारा कारण बताओ नोटिस दिया गया है ।

जी नहीं ।

वर्ष 1988 से लगातार डिप्लोमा इंजीनियर्स संघ के जनपदीय अध्यक्ष होने के कारण स्थानान्तरण नहीं किया गया ।

उच्चतम न्यायालय के आदेशानुसार कालपी सेतु की पथकर वसूली विभागीय पद्धति से किया जाना

21—श्री बाला प्रसाद—

क्या लोक निर्माण मंत्री कृपया बतायेंगे कि कालपी सेतु की पथकर वसूली हेतु नीलामी एक अवर अभियन्ता राजबहादुर तिवारी प्रान्तीय खण्ड झांसी ने अपनी पत्नी तथा बेनामी अन्य नाम से लिया है ? क्या स्टैम्प ड्यूटी जमा हो गई है ? यदि नहीं, तो उपर्युक्त विषय में अब तक क्या किया गया है और भविष्य में राजस्व की रक्षा हेतु क्या करने जा रहे हैं? क्या बिना बोली के पुल पुनः दे दिया गया है? यदि हां, तो क्यों?

डा0 सरजीत सिंह डंग—

कालपी सेतु पर फीस वसूली का ठेका मेसर्स राजशिला उरई, जालौन के नाम था। प्रारम्भिक जांच से इस बात की पुष्टि नहीं हो पायी कि श्री राज बहादुर तिवारी अवर अभियन्ता, प्रान्तीय खण्ड, झांसी ने उक्त ठेका अपनी पत्नी अथवा अन्य किसी छद्मनाम से लिया था ।

जी नहीं । मा0 उच्च न्यायालय, इलाहाबाद के अन्तरिम आदेशानुसार ठेकेदार द्वारा 6/-रु0 के स्टाम्प पेपर पर पट्टा अभिलेख पंजीकृत कराया गया था । इस मामले में अग्रेतर कार्यवाही न्यायालय के आदेशों पर निर्भर करती है ।

जी हां । आयुक्त झांसी मण्डल, झांसी द्वारा पट्टे की अवधि एक वर्ष के लिये बढ़ायी गयी थी । परन्तु मा0 उच्चतम न्यायालय के आदेश के अनुसार पुल का काज ठेकेदार से वापस ले लिया गया है और दिनांक 27-11-1991 से विभागीय पद्धति से वसूली की जा रही है ।

श्री राज बहादुर तिवारी, अवर अभियन्ता, प्रान्तीय खण्ड झांसी द्वारा तीन बार स्थगन आदेश न्यायालय से प्राप्त किया जाना

22—श्री बाला प्रसाद—

क्या लोक निर्माण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि अवर अभियन्ता श्री राजबहादुर तिवारी प्रा0 खण्ड झांसी के विभाग ने कितनी बार दण्डित किया है तथा कितनी बार इसने उच्च न्यायालय से स्थगन आदेश प्राप्त किया है? क्या इस अभियन्ता की नियुक्ति बुन्देलखण्ड क्षेत्र से बाहर कभी हुई है? यदि हां, कितनी बार और कितनी बार नान-वर्किंग डिवीजन में हुई है ?

डा0 सरजीत सिंह डंग—

श्री राज बहादुर तिवारी, अवर अभियन्ता, प्रान्तीय खण्ड, लोक निर्माण विभाग, झांसी को विभाग द्वारा एक बार निन्दित किया गया है और इन्होंने इसके विरुद्ध मा0 उच्च न्यायालय से कोई स्थगन आदेश प्राप्त नहीं किया है। इन्हें विभाग द्वारा तीन बार निलम्बित किया गया और तीनों बार इन्होंने मा0 उच्च न्यायालय से स्थगन आदेश प्राप्त किया है।

जी हां ।

तीन बार ।

यह दिनांक 3-8-72 से 26-7-74 तक (अकार्यकारी) मार्ग सर्वेक्षण खण्ड लोक निर्माण विभाग झांसी में कार्यरत रहे हैं।

ग्राम सभा की भूमि का वितरित करते समय सार्वजनिक प्रयोजनों हेतु भूमि आरक्षित किया जाना

23—श्री सुरेश प्रताप गांधी—

क्या राजस्व मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि क्या यह सही है कि ग्राम सभाओं की ऊसर, बंजर व बचत की भूमि को पट्टे/आवंटन कर वितरित करते समय, सार्वजनिक प्रयोजनों हेतु भविष्य में भूमि की आवश्यकता का ध्यान न रखे जाने के कारण जनहित की योजना स्कूल, अस्पताल, पशु चिकित्सा केन्द्र विद्युत सब स्टेशन, सहकारी गोदाम, रास्ते सड़क आदि के लिए आवश्यक भूमि उपलब्ध न हो पाने से क्षेत्रीय जनता इन योजनाओं के लाभ से वंचित रह जाती है और अनेक ग्रामों में नवनिर्गत कच्ची सड़कों का इन्द्राज ग्रामों के भू-अभिलेखों में न हो पाने के कारण, सड़क-रास्तों की भूमि के भी पट्टे कर देने पर, पट्टा प्राप्त करने वाले व्यक्तियों द्वारा कच्ची सड़क व रास्तों को काट-कर मार्ग अवरुद्ध कर देने से विवाद उत्पन्न हो गये हैं? क्या ग्राम सभा भूमि का आवंटन किये जाने से पूर्व सार्वजनिक प्रयोजनों हेतु पर्याप्त भूमि आरक्षित किये जाने व ग्राम की सीमा में विद्यमान सड़क रास्ता, स्कूल आदि अभिलेखों में दर्ज किये जाने की व्यवस्थायें अनिवार्यतः करायेंगे?

श्री ब्रह्मदत्त द्विवेदी—

जी नहीं। पर्याप्त जांच पड़ताल के पश्चात् गांव सभा की भूमि का आवंटन किया जाता है। फिर भी आवंटन के पश्चात् यदि कोई ऐसा मामला जिसमें सार्वजनिक

प्रयोजन की भूमि के आवंटन के फलस्वरूप जनता को कठिनाई होने की सम्भावना होती है, संज्ञान में आता है तो उसके निरस्तीकरण की कार्यवाही की जाती है।

सार्वजनिक प्रयोजन हेतु भूमि को आरक्षित रखने हेतु पर्याप्त व्यवस्था है।

राज्य सेक्टर के अन्तर्गत उन्नाव, रायबरेली आदि जनपदों को आवंटित धनराशि का विवरण

24—श्री हृदय नारायण दीक्षित—

क्या लोक निर्माण मंत्री कृपया बतायेंगे कि वर्ष 91-92 में नई सरकार ने सड़कों, पुलों आदि के निर्माण/ अधूरे कार्यों को पूरा कराने हेतु उन्नाव, रायबरेली, लखनऊ, हरदोई व अलीगढ़ को राज्य सैक्टर से जनपदवार कितनी-कितनी धनराशि अवमुक्त की है ? क्या सरकार अवगत है कि अधूरे कार्यों को पूरा कराने हेतु गत वर्ष 90-91 व 89-90 में जारी शासनादेशों के अनुसार उन्नाव जिले को पर्याप्त धन का आवंटन नहीं किया गया है ? क्या यह सच है कि वर्ष 89-90 के शासनादेशों के अन्तर्गत उन्नाव जिले में निर्माणाधीन हिलौली लउवा रोड का निर्माण धनाभाव के कारण रुक गया है ? यदि नहीं, तो 89-90 के शासनादेशों पर निर्माण क्यों रुक गया है ?

डा0 सरजीत सिंह डंग—

राज्य योजना के अन्तर्गत सड़कों/पुलों के निर्माण/अधूरे कार्यों हेतु प्रश्नगत-जनपदों को आवंटित धनराशि का विवरण निम्नवत् है—

जनपद	आवंटित धनराशि (लाख रु0)
1—उन्नाव	89.00
2—रायबरेली	11.00
3—लखनऊ	425.00
4—हरदोई	72.00
5—अलीगढ़	102.00

संसाधनों की अपर्याप्तता के कारण अवशेष कार्यों के अनुरूप आवंटन नहीं हो सका ।

जी हां ।

संसाधनों की अपर्याप्तता के कारण ।

जनपद बाराबंकी, तहसील रामसनेही घाट के भू-स्वामियों द्वारा स्वेच्छा से योजनाओं को भूमि दिया जाना

25—श्री तीरथ राज—

क्या लोक निर्माण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद बाराबंकी, तहसील रामसनेही घाट, परगना सूरजपुर स्थित चौरी अलादादपुर सम्पर्क मार्ग बनाया गया है ? यदि हां, तो किन-किन व्यक्तियों की भूमि से? क्या ऐसे व्यक्तियों को मुआवजा

(प्रतिकर) दिया गया है ? यदि नहीं, तो क्यों सम्बन्धित व्यक्तियों को कब तक मुआवजा दे दिया जायेगा ? क्या मंत्री जी प्रतिकर के संबंध में पत्रांक–1134/वी0 आई0 पी0/91, दिनांकित 3-9-91 प्राप्त हुआ है? यदि हां, तो उस पर क्या कार्यवाही की गयी?

डा0 सरजीत सिंह डंग–

जी हां ।

कुल 65 व्यक्तियों की भूमि से सम्पर्क मार्ग का निर्माण कराया गया था ।

जी नहीं ।

चौरी-अलादादपुर सम्पर्क मार्ग "सूखा राहत कार्यक्रम" एवं राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार कार्यक्रम" के अन्तर्गत बनाया गया था । उक्त योजनाओं के अन्तर्गत भू-स्वामियों द्वारा भूमि स्वेच्छा से दिये जाने तथा ऐसे कार्यों हेतु भूमि अध्याप्ति (प्रतिकर भुगतान) का प्राविधान न होने के कारण भू-स्वामियों को प्रतिकर का भुगतान नहीं किया गया था।

प्रश्न नहीं उठता है ।

जी हां ।

प्रश्नगत मार्ग सूखा राहत कार्यक्रम एवं राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार कार्यक्रम योजना के अन्तर्गत बनाया गया था जिसमें प्रभावित कृषकों की स्वेच्छा से भूमि प्राप्त की जानी थी एवं उन्हें मुआवजा भुगतान का कोई प्राविधान नहीं था । अतः किसी प्रकार की कार्यवाही किये जाने का प्रश्न नहीं उठता ।

तत्कालीन अधिशासी अभियन्ता प्रा0 खं0 बाराबंकी पर भ्रष्टाचार का आरोप

26–श्री तीरथ राज–

क्या लोक निर्माण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद बाराबंकी में चौरी अलादादपुर सम्पर्क मार्ग पर बिछाए गए खड़ंजे में भ्रष्टाचार करने से सम्बन्धित प्रश्न-कर्ता का पत्र संख्या–4646/वी0 आई0 पी0/90, दिनांक 16-6-90 एवं 28-6-90 के मध्य तत्कालीन लोक निर्माण मंत्री का था, प्राप्त हुआ ? यदि हां, तो सन्दर्भित प्रकरण की जांच किस अधिकारी द्वारा करायी गयी? जांच के पश्चात् कौन-कौन से आरोप सत्य पाए गए एवं दोषी व्यक्तियों के विरुद्ध क्या कार्यवाही की गयी ? यदि नहीं, तो क्यों ? क्या सन्दर्भित प्रकरण के संबंध में पत्रांक संख्या 1709 वी0आई0पी0/91, दिनांकित 4-10-91 भी मंत्री जी को प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो कथित पत्र पर क्या कार्यवाही हुई ?

डा0 सरजीत सिंह डंग–

जी हां ।

तत्कालीन अधिशासी अभियन्ता, प्रा0 खं0, बाराबंकी, जिनके पास अधीक्षण अभि0, 58वां वृत्त, लो0 नि0 वि0 का भी चार्ज था, द्वारा जांच करायी गयी ?

कोई आरोप सत्यापित नहीं हुए, अतः किसी के विरुद्ध कार्यवाही नहीं की गयी ।

प्रश्न नहीं उठता ।

जी हां ।

प्रकरण में पहले कारवाई गयी जांच के निष्कर्षों के आलोक में पुनः कार्यवाही करने का प्रश्न नहीं उठता ।

ग्राम सभा की भूमि पर अवधिकृत रूप से काबिज अनुसूचित जाति को आवास हेतु भूमिधर बनाए जाने की व्यवस्था

27–श्री तीरथ राज–

क्या राजस्व मंत्री उत्तर प्रदेश के ऐसे काश्तकारों को संक्रमणीय/असंक्रमणीय भूमिधरी की अधिकार को प्रदान करने की कृपा करेंगे कि ग्राम समाज की भूमि पर वर्ग 4 के स्वामी अंकित हैं ? क्या ऐसे काश्तकारों को भी भूमि का स्वामित्व प्रदान करने की कृपा करेंगे जिन्होंने बंजर (ग्राम समाज) की भूमि पर वृक्षारोपण किया है अथवा वृक्षों को संरक्षित किया है ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री ब्रह्मदत्त द्विवेदी–

जी नहीं। वर्ग–4 के व्यक्ति गांव-सभा की भूमि पर अनधिकृत रूप से काबिज होते हैं जिन्हें कोई अधिकार नहीं दिए जाते हैं । केवल अनुसूचित जाति अथवा अनुसूचित जनजाति के ऐसे खेतिहर मजदूर को, जो 30 जून, 1985 से पूर्व काबिज हैं, असंक्रमणीय भूमिधर बनाए जाने की व्यवस्था वर्तमान में विद्यमान है, यदि उसके पास कुल मिलाकर 3.125 एकड़ से अधिक भूमि नहीं हो ।

जी नहीं ।

प्रश्न नहीं उठता।

अनधिकृत कब्जेदारों को भूमिधरी के अधिकार दिये जाने से अनधिकृत कब्जे की प्रवृत्ति बढ़ेगी तथा विवाद उत्पन्न होंगे । वृक्षारोपण हेतु पट्टे पर दी गयी ग्राम समाज की भूमि पर स्वामित्व के संबंध में वर्तमान नियमों में व्यवस्था के अनुसार पट्टेदार केवल वृक्षों के ही स्वामी हो सकते, परन्तु भूमि पर उनका कोई स्वामित्व नहीं होगा । भूमि का स्वामित्व ग्राम सभा में निहित होगा ।

श्री रविचन्द्र पुत्र श्री सत्यभान सिंह जनपद बाराबंकी के जमींदारी विनाश बाण्डों के भुगतान की मांग

28–श्री तीरथ राज–

क्या राजस्व मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रश्नकर्ता द्वारा प्रेषित पत्र जो कि उनके कार्यालय में पत्रांक 2594/वी0 आई0 पी0/91, दिनांकित 20-9-91 पर अंकित है, की विषयवस्तु क्या है ? पत्र पर जांच के पश्चात अंतिम जांच आख्या का सारांश क्या है ?

श्री ब्रह्मदत्त द्विवेदी–

प्रश्नकर्ता द्वारा प्रेषित पत्र दिनांक 20-9-91 में श्री रविचन्द्र सिंह पुत्र श्री सत्यभान सिंह ग्राम बहरेलाडीह, परगना सूरजपुर, तहसील रामसनेहीघाट जनपद बाराबंकी के जमींदारी विनाश बाण्डों के भुगतान हेतु भारतीय रिजर्व बैंक, कानपुर को निर्देश देने का अनुरोध किया गया है ।

उक्त बाण्डों के भुगतान हेतु दिनांक 24 अक्टूबर, 1991 को प्रबन्धक, भारतीय रिजर्व बैंक, पी0 डी0 ओ0, कानपुर से अनुरोध किया जा चुका है ।

जनपद बाराबंकी की तहसील रामसनेही घाट के ग्राम बहरेलाडीह में स्थित चक मार्ग पर हुए अवैध कब्जे को हटाने की मांग

29–श्री तीरथ राज–

विधान सभा के तृतीय सत्र 1990 के प्रथम मंगलवार के लिए निर्धारित अता0 प्रश्न संख्या 15 के संबंध में क्या राजस्व मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि अपर तहसीलदार रामसनेहीघाट, जनपद बाराबंकी के आदेश को अपर जिला अधिकारी (वित्त एवं राजस्व) ने स्थगित कर दिया है ? यदि हां, तो अपर जिला अधिकारी (वित्त एवं राजस्व) के न्यायालय मे जमींदारी विनाश एवं भूमि व्यवस्था अधिनियम की धारा 122 बी0, जो कि चकमार्ग संख्या 201 स्थित ग्राम बहरेलाडीह, परगना सूरजपुर, तह0 रामसनेही घाट, जनपद बाराबंकी से संबंधित है, की अपील को जनहित में प्राथमिकता के आधार पर अविलम्ब निस्तारित करवाने हेतु शासन क्या कार्यवाही कर रहा है ?

श्री ब्रह्मदत्त द्विवेदी–

जी हां । अपर तहसीलदार के आदेश का क्रियान्वयन न्यायिक प्रक्रिया के अन्तर्गत अपर जिलाधिकारी (वित्त एवं राजस्व) द्वारा दिनांक 16-7-91 के अन्तर्गत दिनांक-3-8-91 तक के लिए स्थगित किया गया था। यह स्थगन आदेश दिनांक 27-8-91 को अग्रिम आदेश तक के लिये बढ़ाया गया है । अपील में नियमानुसार कार्यवाही हो रही है ।

जनपद देवरिया में जिला योजना के अन्तर्गत सड़क निर्माण हेतु उपलब्ध संसाधनों एवं स्थानीय प्राथमिकताओं के आधार पर वर्ष 91-92 में कम धनराशि स्वीकृति किया जाना

30–श्री स्वामी नाथ यादव–

क्या लोक निर्माण मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि वर्ष 91-92 में जनपद देवरिया में जिला योजना के अन्तर्गत वर्ष 90-91 के मुकाबले कितनी धनराशि सड़क निर्माण हेतु स्वीकृति करायी गयी ? क्या यह धनराशि पिछली बार स्वीकृति धनराशि से बहुत ही कम है ? यदि हां, तो इसका कारण क्या है ? क्या शेष धनराशि शीघ्र उपलब्ध करायी जायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

डा0 सरजीत सिंह डंग–

जनपद देवरिया के लिए वर्ष 1990-91 में 370.69 (अधिष्ठान रहित) लाख की स्वीकृति के मुकाबले 1991-92 में 206.836 (अधिष्ठान रहित) लाख की स्वीकृति दी गई ।

यह धनराशि गत वर्ष की तुलना में लगभग 55% है ।

प्रश्नगत धनराशि विकेन्द्रीकृत योजना के लिये उपलब्ध संसाधनों एवं स्थानीय प्राथमिकताओं के आधार पर निर्धारित की गयी है ।

प्रश्न नहीं उठता ।

प्रश्न नहीं उठता ।

प्रश्न नहीं उठता ।

श्री पटेल आदर्श विद्यालय एने, लखनऊ को आवंटित भूमि पर कब्जा दिला दिया जाना

31—श्री रमा कान्त यादव—

क्या राजस्व मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि पूर्व सदस्य, विधान सभा श्री सुवंश यादव का पत्र दिनांक 20 जुलाई, 90 जो जिलाधिकारी, लखनऊ को प्रेषित है, प्राप्त हुआ है जिसके साथ श्री अमरेश पाण्डे, सदस्य विधान सभा द्वारा 3सरे मंगलवार को गत सत्र में पूछे गये प्रश्नोत्तर की प्रति संलग्न है जिसमें बताया गया है कि श्री पटेल आदर्श विद्यालय एने, लखनऊ की भूमि की पैमाइश कर दी गयी है तथा अनाधिकृत रूप से कब्जेदारों के विरुद्ध कार्यवाही प्रारम्भ कर दी गयी है ? यदि हां, तो क्या उक्त कार्यवाही करके आवंटित भूमि पर संस्था को कब्जा दिला दिया गया है? यदि नहीं, तो विधान सभा में उत्तर दिए जाने के बाद भी इतने लम्बे अन्तराल के पश्चात् कार्यवाही क्यों नहीं की गयी? क्या आवंटित भूमि का कब्जा दिलाया जायेगा? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों? अब तक कार्यवाही न करने के लिए कौन दोषी है ?

श्री ब्रह्मदत्त द्विवेदी—

जी हां ।

जी हां ।

प्रश्न नहीं उठता ।

प्रश्नगत विद्यालय को आवंटित भूमि पर कब्जा दिला दिया गया है ।

प्रश्न नहीं उठता ।

श्री जी0 सी0 गर्ग, अधिशासी अभियन्ता द्वारा कराना, जनपद मेरठ पुल पर पथकर वसूली का ठेका किया जाना

32—श्री यदुनाथ सिंह—

क्या लोक निर्माण मंत्री कृपया बतायेंगे कि विधान सभा के प्रथम सत्र 1988 के 5वें मंगल के अता0 प्र0 सं0 64-65 में बताया गया था कि पथकर वसूली के ठेके के पट्टों को समुचित मूल्य के स्टाम्प पेपर पर निष्पादित न कराने के संबंध में शासन द्वारा मुख्य अभियन्ता (पश्चिमी क्षेत्र) लोक निर्माण वि0 मेरठ को निदेश दिये गये हैं कि जांच करके उत्तरदायित्व निर्धारित करने की कार्यवाही करें? यदि हां, तो कार्यवाही की गयी? कितने समुचित मूल्य के स्टाम्प पेपर लगने चाहिए थे? क्या सरकार बतायेगी कि अधिशासी अभियन्ता के पत्र दिनांक 14-5-80 की शर्तों के अधीन जो नीलामी 20-6-80 को की गयी थी वह थाना भवन मार्ग के कि0 मी0 21 पर हिन्डन नदी सेतु पर 20-6-80 को नीलामी की गयी थी? यदि हां, तो किस पत्र संख्या द्वारा की गयी थी? क्या दोनों पुलों का पट्टा ठेकेदारों को बिना स्टाम्प पेपर के किया गया था? यदि हां, तो थाना भवन मार्ग के हिन्डन नदी सेतु पर कितनी हानि हुई? क्या तत्कालीन अभि0 श्री जी0 सी0 गर्ग के विरुद्ध इस हानि के लिए कार्यवाही की जायेगी? यदि नहीं, तो क्यों?

डा0 सरजीत सिंह डंग—

जी हां।

संबंधित अधिकारी का स्पष्टीकरण मुख्य अभियन्ता मेरठ द्वारा प्राप्त किया गया। मुख्य अभियन्ता की जांच के अनुसार प्रश्नगत मामले में किसी स्तर पर कोई शिथिलता होना नहीं पाया गया।

यमुना सेतु करौराना पर रुपया 78,625 के तथा हिन्डन सेतु चरथावल पर रुपया 8,606.25 के स्टैम्प लगने थे।

जी नहीं।

प्रश्न नहीं उठता।

जी नहीं। यमुना सेतु करौराना का पट्टा 5 रुपया के स्टैम्प पेपर पर किया गया था लेकिन बाद में अवशेष स्टैम्प ड्यूटी वसूल कर ली गयी थी। थाना भवन मार्ग के कि0मी0 21 पर स्थित हिन्डन सेतु का ठेका रुपया 8,606.25 के स्टैम्प पेपर पर दिया गया था।

कोई हानि नहीं हुई।

प्रश्न नहीं उठता।

क्योंकि कोई हानि ही नहीं हुई।

स्व0 श्री मो0 शफीक सिद्दीकी, वरिष्ठ लिपिक, लोक निर्माण विभाग, लखनऊ के पेंशन, ग्रेच्युटी आदि के भुगतान की मांग

33—श्री भगवती सिंह विशारद—

क्या लोक निर्माण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि स्वर्गीय श्री मो0 शफीक सिद्दीकी, वरिष्ठ लिपिक, राष्ट्रीय मार्ग खण्ड नं0—2, लोक निर्माण विभाग, लखनऊ की मृत्यु किस तिथि में हुई एवं क्या उक्त के पेंशन, ग्रेच्युटी आदि का भुगतान हो गया है ? यदि नहीं, तो क्यों ? अब कब तक भुगतान कर दिया जायेगा ?

डा0 सरजीत सिंह डंग—

प्रश्नगत लिपिक की मृत्यु दिनांक 4-9-1988 को हुई।

श्री सिद्दीकी की पत्नी को अवकाश नकदीकरण का भुगतान कर दिया गया है। सामूहिक बीमा योजना की धनराशि के भुगतान के सम्बन्ध में संबंधित निदेशालय को लिखा गया है । पारिवारिक पेंशन तथा ग्रेच्युटी के भुगतान हेतु निर्धारित प्रपत्र पर प्रार्थना-पत्र तथा सत्यापित फोटोग्राफ स्व0 श्री सिद्दीकी की पत्नी द्वारा नहीं उपलब्ध कराया जा सका है । इस हेतु उन्हें लिखा गया है । वर्णित परिस्थितियों में कोई निश्चित तिथि इंगित करना सम्भव नहीं है।

जनपद गाजीपुर में अतिवृष्टि से हुई क्षति से मकान तथा पशुओं की हानि का विवरण

34—श्री सुरेन्द्र सिंह—

क्या राजस्व मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद गाजीपुर में वर्ष 1991 में अगस्त के तृतीय सप्ताह से लेकर सितम्बर के द्वितीय सप्ताह तक अतिवृष्टि से परगना, पचोतर, जहूराबाद एवं डेहमा में कुल कितने भवन एवं पशु तथा जान-माल की क्षति हुई? इसका सम्पूर्ण विवरण क्या है? प्रभावित लोगों को क्या राहत दी गयी? यदि नहीं, तो क्यों?

श्री ब्रह्मदत्त द्विवेदी–

वर्ष 1991 में अगस्त के तृतीय सप्ताह से लेकर सितम्बर के द्वितीय सप्ताह के मध्य परगना पचोतर जहूराबाद व डेहमा में अतिवृष्टि के फलस्वरूप परगना पचोतर में 1648 मकान आंशिक रूप से तथा 56 मकान पूर्णरूप से क्षतिग्रस्त हुए। 2 मनुष्यों तथा 3 पशुओं की जीवन हानि हुई, परगना जहूराबाद में 1684 मकान आंशिक रूप से, 11 मकान पूर्ण रूप से क्षतिग्रस्त हुए तथा 4 मनुष्यों की जीवन-हानि हुई तथा एक व्यक्ति घायल हुआ। परगना डेहमा में 130 मकान आंशिक रूप से क्षतिग्रस्त हुए हैं। पशु हानि दोनों परगनों (जहूराबाद एवं डेहमा) में नहीं हुई।

परगना पचोतर में रु0 22,500/- का अनुग्रह अनुदान वितरण किया जा चुका है। गृह अनुदान वितरण करने हेतु धनराशि शासन द्वारा जिलाधिकारी, गाजीपुर को आवंटित कर दी गयी है। परगना जहूराबाद में रु0 42,500/-का गृह अनुदान तथा रु0 40,500 का अनुग्रह अनुदान का वितरण किया गया है तथा परगना डेहमा में रु0 20,000/- का गृह अनुदान वितरित किया गया है।

श्री उमेश दीक्षित अधिशासी अभियंता, बांदा का बांदा से स्थानान्तरण अन्यत्र किये जाने की मांग

35—श्री नसीम उद्दीन सिद्दीकी—

क्या लोक निर्माण मंत्री बतलाने की कृपा करेंगे कि अधिशासी अभियंता, प्रान्तीय खण्ड, बांदा, श्री उमेश दीक्षित का स्थानान्तरण करने के बाद रोका गया है ? यदि हां, तो उन्हें रोकने का क्या कारण है जबकि इनके ऊपर भ्रष्टाचार के कई प्रकरण चल रहे हैं ? क्या इनका स्थानान्तरण तत्काल बांदा से अन्यत्र किया जायेगा ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

डा0 सरजीत सिंह डंग—

जी हां ।

उक्त स्थानान्तरण प्रशासनिक कारणों से रोका गया । सम्प्रति इनके प्रान्तीय खण्ड बांदा से संबंधित भ्रष्टाचार का कोई प्रकरण शासन स्तर पर विचाराधीन नहीं है । प्रश्नगत प्रकरण अन्य तैनातियों से सम्बन्धित है ।

फिलहाल मध्य सत्र में इनके स्थानान्तरण का कोई प्रस्ताव नहीं है ।

आगरा नगर में रिंग रोड़ निर्माण पर अनुमानित व्यय के संबंध में जानकारी

36—श्री विजय सिंह राणा—

क्या लोक निर्माण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि आगरा नगर की यातायात की गम्भीर समस्या के निराकरण के लिए आगरा के ऊपर रिंग रोड बनाये जाने के संदर्भ में कन्सल्टिंग इंजीनियरिंग सर्विस द्वारा प्रस्तुत सर्वेक्षण रिपोर्ट पर शासन द्वारा क्या कार्यवाही की गयी ? यदि नहीं, तो कार्यवाही कब प्रारम्भ कर दी जायेगी ? रिंग रोड बनाये जाने के संदर्भ में शासन का अन्तिम निर्णय क्या है ? क्या रिंग रोड बनायी जायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

डा0 सरजीत सिंह डंग—

मैसर्स कन्सल्टिंग इंजीनियरिंग सर्विस द्वारा प्रस्तुत सर्वेक्षण रिपोर्ट के अनुसार आगरा में रिंग रोड बनाये जाने पर 65 करोड़ का व्यय अनुमानित है। प्रदेश के सीमित वित्तीय संसाधनों को देखते हुये इस रिंग रोड का निर्माण फिलहाल संभव नहीं है।

हाथरस व कासगंज के मध्य स्थित स्पीकुल मार्ग के निर्माण हेतु धन उपलब्ध कराने की मांग

37—श्री सुरेश प्रताप गांधी—

(जनपद-अलीगढ़) व कासगंज (एटा) के मध्य चौड़ाई कम होने, मार्ग सिंगल लेन होने (जनपद-अलीगढ़) व कासगंज (एटा) के मध्य चौड़ाई कम होने, मार्ग सिंगल लेन होने से यातायात में असुविधा होती है ? यदि हां, तो मथुरा आयल रिफाइनरी से बरेली के मध्य चलने वाले ट्रैफिक की अधिकता तथा देश के उत्तरी सीमा को झांसी, मथुरा, आगरा आदि की छावनियों से जोड़ने वाला मार्ग होने के कारण, मार्ग का सामरिक महत्व देखते हुए इस मार्ग को हाथरस व कासगंज के मध्य डबल लेन चौड़ा मार्ग बनायेंगे ? यदि हां, तो कब तक ?

डा0 सरजीत सिंह डंग—

जी हां।

हाथरस व कासगंज के मध्य स्थित मार्ग के कि0 मी0 211 से 222 तक छोड़कर वे भाग जो वर्तमान में सिंगल लेन है, उन्हें 5.50 मीटर चौड़ा (इंढ़ लेन) किया जाना स्वीकृत है। कि0मी0 211 से 222 तक मार्ग की चौड़ाई 4.80 मी0 है। कार्य का पूरा होना धन की उपलब्धता पर निर्भर है।

कानपुर नगर में राजकीय आवासीय रावतपुर कालोनी से शासन को उपलब्ध धनराशि का विवरण

38—श्री श्याम बिहारी सिंह—

क्या लोक निर्माण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि राजकीय आवासीय रावतपुर कालोनी, कानपुर नगर में नव निर्मित श्रेणी-4 के 20 आवास शासन को कब प्राप्त हुए तथा क्रमवार उन आवासों से कितनी-कितनी धनराशि किराये के रूप में किस-किस तिथि से मिल रही है ?

डा0 सरजीत सिंह डंग—

प्रश्नगत आवास दिनांक 30-11-90 को जिलाधिकारी को आवंटन हेतु उपलब्ध हो गये थे।

वांछित विवरण संलग्न है।

(देखिये सत्थी 'घ' आगे पृष्ठ 199-201 पर)

परगनाधिकारी, मोहनलाल गंज, लखनऊ द्वारा ग्राम सभा राती की भूमि का पट्टा पात्र व्यक्ति को किया जाना

39—श्री बच्चा पाठक—

क्या राजस्व मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि तहसीलदार, मोहनलालगंज, लखनऊ (श्री वीरेन्द्र विक्रम सिंह) ने ग्राम सभा राती की भूमि का पट्टा अपात्र व्यक्ति के पक्ष में दिनांक 23-9-91 को कर दिया है? यदि हां, तो क्या यह सही है कि उक्त पट्टा ग्राम सभा के फर्जी प्रस्ताव के आधार पर किया गया है जिसकी लिखित शिकायत ग्राम प्रधान ने जिलाधिकारी, लखनऊ से की है? यदि हां, तो क्या सरकार इस पूरे प्रकरण की जांच सी0 आई0 डी0 से कराकर दोषी अधिकारी के विरुद्ध कार्यवाही करेगी? यदि नहीं, तो क्यों?

श्री ब्रह्मदत्त द्विवेदी—

जी नहीं।

जी नहीं। परगनाधिकारी मोहनलालगंज द्वारा भूमिहीन अनुसूचित जाति के पात्र व्यक्ति को सीलिंग भूमि का आवंटन किया गया है।

भूमि का आवंटन पात्र व्यक्ति को किया गया है, अतएव किसी कार्यवाही का प्रश्न नहीं उठता।

जनपद हरदोई में चीनी तथा मिट्टी के तेल के आवंटन का विवरण

40—श्री राम आसरे वर्मा—

क्या खाद्य एवं रसद मंत्री कृपया बतायेंगे कि जनपद हरदोई को चीनी एवं मिट्टी के तेल का क्रमशः कितना-कितना आवंटन 1991 के जुलाई एवं अगस्त महीनों में किया गया तथा इसमें तहसील बिलग्राम को किये गये आवंटन की स्थिति क्या रही?

श्री एजाज रिजवी—

जनपद हरदोई को माह जुलाई एवं अगस्त, 1991 में चीनी तथा मिट्टी का तेल का किया गया आवंटन निम्नलिखित था :—

माह	चीनी	मिट्टी का तेल
जुलाई	830 मी0 टन	1370 कि0ली0
अगस्त	830 मी0 टन	1370 कि0ली0

उपर्युक्त आवंटन में से तहसील बिलग्राम की स्थिति निम्न प्रकार रही :—

माह	चीनी	मिट्टी का तेल
जुलाई	176.5 मी0 टन	340.6 कि0ली
अगस्त	176.5 मी0 टन	340.6 कि0ली

आशुलिपिकों को समयमान वेतन दिया जाना

41—श्री देवेन्द्र पाल सिंह—

क्या लोक निर्माण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि शासनादेश सं0 वे0 आ0-2-210/दस-83 सं0 व्य0 सा0 82 दिनांक 4-2-83 के द्वारा जब 1-7-82 से आशु-

आशुलिपिकों को समय वेतनमान 16 वर्ष की सेवा पर स्वीकृत किया गया और शासनादेश सं0 वे0 आ0-2-1360 दस-85-सं0 व्य0 सा0-82 दिनांक 17-10-85 के प्रस्तर 1 के बिन्दु 5 में भी गणना की बात 1-7-82 से अथवा वास्तविक तिथि से कही गयी है? यदि हां, तो प्रस्तर 2 में यह शासनादेश दि0 1-7-85 से लागू करके भ्रांति पैदा करके जिनको समय वेतनमान मिल चुका है हानि पहुंचायी गयी है, जबकि अन्य कैडरों की तिथि बदली नहीं गयी है? यदि हां, तो क्यों?

डा0 सरजीत सिंह डंग–

प्रश्नगत शासनादेश दिनांक 4-2-83 के अन्तर्गत आशुलिपिकों को समयमान वेतनमान के अन्तर्गत सेलेक्शन ग्रेड का लाभ 16 वर्ष की नियमित सेवा पर नहीं अपितु 12 वर्ष की नियमित सेवा के उपरान्त दि0 1-7-82 से दिया गया था, जबकि शासनादेश दिनांक 17-10-85 का बिन्दु–5 समयमान वेतनमान के अन्तर्गत कुल 16 वर्ष की सेवा जिसमें 6 वर्ष की सेवा सेलेक्शन ग्रेड की अनिवार्य है, पूर्ण करने के पश्चात् प्रोन्नति का अगला वेतनमान स्वीकृत करने से संबंधित है। शासनादेश की शर्तों के अनुसार सेलेक्शन ग्रेड की सेवा की गणना दिनांक 1-7-82 अथवा उसके पश्चात् वास्तविक रूप से अनुमन्य सेलेक्शन ग्रेड के दिनांक से की जानी है।

शासनादेश दिनांक 4-2-83 में उल्लिखित कतिपय शर्तों में शासनादेश दिनांक 17-10-85 द्वारा शिथिलता प्रदान की गयी है जिनका लाभ शासनादेश दिनांक 17-10-85 के प्रस्तर–2 के अनुसार दिनांक 1-7-85 से अनुमन्य किया गया है। इससे किसी कर्मचारी को हानि नहीं होगी। उक्त शासनादेश केवल आशुलिपिक संवर्ग नहीं अपितु उक्त शासनादेश में वर्णित सभी संवर्गों पर लागू होता है।

लोक निर्माण विभाग में आशुलिपिकों को अनुमन्य प्रोन्नति का वेतनमान स्वीकृत किया जाना

42–श्री देवेन्द्र पाल सिंह–

क्या लोक निर्माण मंत्री कृपया बतायेंगे कि शासनादेश सं0 वे0 आ0-2-1450/दस-85 सं0 व्य0 सा0-2 दि0 6-11-85 के प्रस्तर 4 के अनुसार, जिनकी कुल 16 वर्ष की सेवा है, जिसमें 6 वर्ष की सेवा सेलेक्शन ग्रेड में कर ली गई हो, उनको प्रोन्नति का अगला वेतनमान वैयक्तिक रूप से प्रदान करने का प्राविधान है? क्या यही प्राविधान शासनादेश सं0 वे0 आ0-1-176/3 दस-39/एम0-89 दिनांक 3-6-89 के पैरा 10 में है कि सेलेक्शन ग्रेड की गणना दिनांक 1-7-82 अथवा वास्तविक रूप से अनुमन्य सेलेक्शन ग्रेड की तिथि जो भी हो, 6 साल की सेवा सेलेक्शन ग्रेड की होने के बाद प्रोन्नति का अगला वेतनमान वैयक्तिक रूप से अनुमन्य किया जाये? यदि हां, तो क्या लो0 नि0 वि0 के शासनादेश सं0 4706 ई0 जी0 23 सा0 नि0-5-100-1 ई0 जी0/60/टी0 सी0 दिनांक 8-12-89 द्वारा क्रमांक 15 पर खण्डीय कार्यालय के आशुलिपिकों का वेतनमान 1200–2040 निश्चित किया गया है? क्या शासनादेश दिनांक 3-6-89 के प्रस्तर 10 के अनुसार प्रोन्नति का अगला वेतनमान निर्धारित किया गया है, जिसके कारण किसी आशुलिपिक को प्रोन्नति का वेतनमान मिलता है ? क्या अन्य कैडरों को प्रोन्नति के वेतनमान शासन द्वारा स्वीकृत किए जा चुके हैं ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री सरजीत सिंह हंस–

जी हां । किन्तु यह मात्र नियमित पदधारकों को ही अनुमन्य है । इसमें कुछ भिन्नता है । लिए गए निर्णय के अनुसार पृथक से सेलेक्शन ग्रेड को समाप्त करते हुए ऐसे पदधारक जिनके वेतनमान का अधिकतम रु0 3500 तक है, को 10 वर्ष की निरन्तर संतोषजनक सेवा पर उसी वेतनमान में एक अतिरिक्त वेतनवृद्धि का लाभ, जो सेलेक्शन ग्रेड के लाभ के रूप में ही है, दिया गया है और नियमित पदधारकों को 16 वर्ष की अनवरत संतोषजनक सेवा, जिसमें 6 वर्ष के सेलेक्शन ग्रेड के लाभ की सेवा सम्मिलित होगी, के पश्चात् प्रोन्नति का वेतनमान और यदि प्रोन्नति का कोई पद उपलब्ध नहीं है तो अगला उच्च वेतनमान वैयक्तिक रूप से अनुमन्य होगा । सेलेक्शन ग्रेड के लाभ की सेवा दिनांक 1-7-82 अथवा वास्तविक रूप से अनुमन्य सेलेक्शन ग्रेड के लाभ की तिथि, जो भी बाद में हो, से देय होगा ।

प्रश्नगत शासनादेश समता समिति की संस्तुतियों पर लिए गए निर्णयानुसार नए वेतनमानों की स्वीकृति विषयक ये आदेश समयमान वेतनमान से संबंधित नहीं है ।

प्रस्तर–10 के अनुसार यह सामान्य आदेश है कि ऐसे कर्मचारी जिनके पुनरीक्षित वेतनमान का अधिकतम रु0 3500 तक है, उन्हें इस शासनादेश में उल्लिखित शर्तों को पूर्ण करने पर प्रोन्नति का अगला वेतनमान अनुमन्य होगा । ऐसे संवर्ग/पद जिनके लिए पदोन्नति का पद नहीं है, उनको उस वेतनमान से अगला वेतनमान देय होगा । जिसको उदाहरण द्वारा स्पष्ट भी कर दिया गया है ।

उक्त प्रस्तर में जो व्यवस्था की गयी है वह सामान्य आदेश है, जिसके अनुसार सभी कैडरों को जो उक्त शासनादेश से आच्छादित होते हैं, अपने संवर्ग/पद के अनुसार प्रोन्नति/उच्च वेतनमान देय होगा ।

प्रश्न नहीं उठता ।

लोक निर्माण विभाग में वेतनमान रु0 1200–2040 के स्थान पर रु0 1350–2200 का वेतनमान दिया जाना

43–श्री देवेन्द्र पाल सिंह–

क्या लोक निर्माण मंत्री कृपया बतायेंगे कि श्री इन्द्र कुमार पाण्डे, विशेष सचिव, उ0 प्र0 शासन, लखनऊ के अ0 शा0 प0 सं0 वे0 आ0-1-250/1/दस-10/एम 89 दिनांक 24-1-1991 के द्वारा मुख्य सचिव की अध्यक्षता में गठित समिति की संस्तुतियों पर निर्णय के अनुसार समस्त राजकीय कार्यालयों में दिनांक 1-1-86 से पूर्व जो रु0 470–735 के वेतनमान में विद्यमान थे, उन्हें केवल 1200-2040 रु0 का ही वेतनमान स्वीकृत किया गया है, जबकि उक्त वेतनमान के स्थान पर रु0 1350-2200 का वेतनमान अनुमन्य होने के आदेश हैं ? यदि हां, तो क्या अब तक यह आदेश लोक निर्माण विभाग में लागू नहीं किए गए हैं ? जबकि उ0 प्र0 शासन ने राजस्व परिषद् उ0 प्र0 लखनऊ में संदर्भित आदेश लागू करने हेतु आदेशित कर दिया है ? यदि हां, तो शासन द्वारा लो0 नि0 वि0 में यह आदेश कब तक लागू होंगे ? यदि नहीं, तो क्यों ?

डा0 सरजीत सिंह डंग–

वित्त विभाग के शा0 पत्र दिनांक 24-1-1991 द्वारा मुख्य सचिव समिति की संस्तुतियों पर लिए गए निर्णयानुसार कतिपय ऐसे पद जिनका पुराना वेतनमान 1-1-86 से पूर्व रु0 470–735 था और जिन्हें समता समिति की संस्तुतियों पर लिए गए निर्णयानुसार केवल रु0 1200–2040 का वेतनमान स्वीकृत किया गया था, के स्थान पर रु0 1350–2200 का वेतनमान स्वीकृत किए जाने के निर्णय से अवगत कराया गया था।

मुख्य सचिव समिति द्वारा लोक निर्माण विभाग के जिन-जिन पदों पर रु0 1200–2040 के बजाय रु0 1350–2200 अनुमन्य कराये जाने का अब तक निर्णय लिया गया है उनके संबंध में शासनादेश सं0 1197 ईजी/23-लो0 नि0-5-50 ईजी/91, दि0 30-11-1991 द्वारा आदेश जारी किए जा चुके हैं। मुख्य सचिव समिति की संस्तुतियों पर लिए गए निर्णयानुसार आशुलिपिक संवर्ग के पदों पर केन्द्र समकक्षता प्रदान करते हुए उसके समान वेतनमान का ढांचा स्वीकृत किए जाने का निर्णय लिया गया है । उक्त आदेश दिनांक 24-1-91 आशुलिपिक संवर्ग पर लागू नहीं होते हैं । राजस्व परिषद् में आशुलिपिक के संबध में आदेश जारी हो गया था जिसे निरस्त किया जा चुका है ।

प्रश्न नहीं उठता ।

जनपद बांदा के प्रान्तीय खण्ड में वर्ष 1990-91 के पूर्व वर्षों में बराबर के अनुपात को धनराशि आवंटित न किए जाने के संबंध में उच्चस्तरीय जांच किए जाने की मांग

44–श्री नसीम उद्दीन सिद्दीकी–

क्या लोक निर्माण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रान्तीय खण्ड बांदा को एक मार्च, 1990 से 31-10-91 तक (20 माह) लगभग 8 करोड़ रुपए की धनराशि आवंटित की गयी ? इसके पूर्व तीन वित्तीय वर्षों में क्या इसी अनुपात में धनराशि आवंटित की गयी है? यदि नहीं, तो इन पूर्व तीन वित्तीय वर्षों में आवंटित धन से अधिक धनराशि आवंटित करने का क्या कारण है ? यदि विगत वर्ष अत्यधिक वर्षा से प्रभावित मार्गों के मरम्मत व अनुरक्षण हेतु अधिक धन आवंटन हुआ है, तो क्या सरकार इस मद पर व्यय किए गए धन की उच्चस्तरीय जांच संबंधित जन-प्रतिनिधियों सहित तकनीकी उच्चस्तरीय समिति गठित करके करायेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

डा0 सरजीत सिंह डंग–

सूचना एकत्र की जा रही है ।

जनपद बांदा के चिल्ला फेरो पर व्यय धनराशि का विवरण

45–श्री नसीम उद्दीन सिद्दीकी तथा श्री विशम्भर प्रसाद निषाद–

क्या लोक निर्माण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि वित्तीय वर्ष 1990-91 में

लेखा शीर्षक 3054 के अन्तर्गत बांदा जनपद में चिल्ला फेरे हेतु 9 लाख रुपये का आवंटन किया गया है ? यदि हां, तो इस धनराशि का उपयोग किस-किस कार्य में कितना-कितना किया गया ? क्या इस धनराशि का उपयोग ठेकेदारों की आपूर्ति आदेश एवं वर्क आर्डर तथा टी0 आई0 द्वारा किया गया है ? यदि हां, तो अलग-अलग भुगतान का विवरण क्या है ?

डा0 सरजीत सिंह डंग–

जी हां ।

विवरण संलग्न है ।

इस धनराशि का भुगतान अनुबन्धों, आपूर्ति आदेशों तथा टी0 आई0 द्वारा किया गया है ।

(1) अनुबन्धों के द्वारा किया गया व्यय रु0 4.60 लाख ।

(2) आपूर्ति आदेशों के द्वारा किया गया व्यय रु0 2.81 लाख ।

(3) टी0 आई0 द्वारा किया गया व्यय रु0 1.59 लाख ।

(देखिये नत्थी 'ङ' आगे पृष्ठ 202 पर)

जनपद लखीमपुर खीरी की तहसील निघासन के ग्रामों के भूचित्र गलत बनाये जाने की शिकायत पर कार्यवाही करने की मांग

46–श्री निरवेन्द्र कुमार–

क्या राजस्व मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि ग्राम मजहा, त्रिकोलिया, पडवा, गजरौला, मकनपुर परगना पलिया तहसील निघासन जनपद लखीमपुर खीरी में चकबन्दी अधिकारी व कर्मचारियों द्वारा पट्टेदारों के खातों में अंकित भूमि को भूचित्र पर छोटा तथा बड़े जोतदारों के खातों में अंकित भूमि के अनुपात से भूचित्र बड़े बनाये गये हैं? यदि हां, तो क्या सरकार खातों में अंकित भूमि के अनुपात में भूचित्र बनाते हुए दोषी अधिकारी व कर्मचारियों के विरुद्ध दण्डात्मक कार्यवाही करेगी? यदि हां, तो कब तक? यदि नहीं, तो क्यों?

श्री ब्रह्मदत्त द्विवेदी–

जी नहीं ।

प्रश्न नहीं उठता।

इन ग्रामों के भूचित्र में गाटों की आकृति खातेदारों के नाम अंकित क्षेत्रफल के अनुसार सही बनाये गये हैं।

जनपद लखीमपुर खीरी के तहसील निघासन के सरदार दीलिप सिंह बनाम सरकार की सीलिंग की भूमि को भूमिहीन हरिजन मजदूरों को आवंटित करने की मांग

47–श्री निरवेन्द्र कुमार–

क्या राजस्व मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि ग्राम मुजहा व फुलवरिया परगना पलिया तहसील निघासन जनपद लखीमपुर खीरी में सरदार दीलिप सिंह मजिठिया की सरना फार्म के नाम से 190 एकड़ भूमि के खाते कायम थे जिसे सन् 1982 में सी0 एल0 सिक्स पर गोरखपुर से सीलिंग अतिरिक्त भूमि घोषित करके निघासन तहसील के

म्युटेशन रजिस्टर में दर्ज की गयी है ? यदि हां, तो क्या यह सही है कि उक्त सीलिंग भूमि का वाद पुनः सरदार दीलिप सिंह मजिठिया बनाम सरकार के नाम अतिरिक्त जिलाधिकारी, गोरखपुर के यहां सन् 1982 से विचाराधीन है? यदि हां, तो क्या सरकार उक्त वाद को खारिज कर सीलिंग भूमि घोषित करते हुए भूमिहीन हरिजन खेतिहर मजदूरों में आवंटित करवायेगी? यदि हां, तो कब तक? यदि नहीं, तो क्यों?

श्री ब्रह्मदत्त द्विवेदी–

सूचना एकत्र की जा रही है ।

जनपद लखीमपुर खीरी तहसील निघासन के भूमिहीन खेतिहार मजदूरों को भूमि आवंटित करने की मांग

48–श्री निरवेन्द्र कुमार–

क्या राजस्व मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रश्नकर्ता का एक पत्र सं0 1120/91 राम नरश आदि नि0 ग्राम मुजहा के प्रार्थना पत्र के साथ दिनांक 18-9-91 का जिलाधिकारी लखीमपुर खीरी को प्राप्त कराया गया ? यदि हां, तो उक्त पत्र पर क्या कार्यवाही की गयी ? क्या मंत्री जी को यह जानकारी है कि ग्राम मुजहा परगना पपलिया तहसील निघासन जनपद लखीमपुर खीरी में नरेन्द्र दीप सिंह पुत्र श्री लखवीर सिंह व लाल सिंह पुत्र श्री निरंजन सिंह के नाम दर्ज थी जिस पर भूमिहीन हरिजन खेतिहार मजदूर 30 जून 85 के पहले से काबिज हैं, जिसे कानूनगो पलिया द्वारा फरार 21-7-91 को दर्शाया गया है ? यदि हां, तो क्या 30 जून, 1985 के पहले से कब्जेदार भूमिहीन हरिजनों के नाम (122) (4) एफ के अन्तर्गत आवंटित किया जायेगा ? यदि हां, तो कब ? यदि नहीं, तो क्यों?

श्री ब्रह्मदत्त द्विवेदी–

जी नहीं ।

प्रश्न नहीं उठता ।

श्री नरेन्द्र दीप सिंह पुत्र लखवीर सिंह के नाम ग्राम मुजहा में 20.12 एकड़ एवं श्री लाल सिंह पुत्र निरंजन सिंह के नाम 12.98 एकड़ भूमि अभिलेखों में अंकित है, किन्तु इस भूमि पर भूमिहीन खेतिहर मजदूर 30 जून, 1985 के पहले से काबिज नहीं है ।

प्रश्न नहीं उठता ।

प्रश्न नहीं उठता ।

जनपद बांदा, कचहरी बांदा में वादकारियों के बैठने हेतु स्थान का निर्धारण तथा टीन सैड की मांग

49–श्री विशम्भर प्रसाद निषाद–

क्या सरकार जनपद बांदा में कचेहरी बांदा पर वादकारियों की समस्या तपती धूप व बरसात तथा जाड़े के निदान हेतु कलेक्ट्रेट कोर्ट कम्पाउन्ड के सामने बादकारियों के छाया व बैठने के लिए स्थान व टीन सैट लगवायेगी ?

श्री ब्रह्मदत्त द्विवेदी–

जी नहीं ।

वादकारियों की समस्या तपती धूप व बरसात तथा जाड़े के निदान हेतु, बांदा कलेक्ट्रेट कोर्ट कम्पाउन्ड के सामने वादकारियो के लिए छाया व बैठने के स्थान व टीन सैड लगवाने हेतु कोई प्रस्ताव शासन स्तर पर वर्तमान में विचाराधीन नहीं है ।

जनपद बांदा में कचेहरी बांदा के पड़े हुये वादकारियों की समस्या के निदान हेतु सप्ताह में एक दिन कमिश्नरी कोर्ट बैठाने की मांग

50–श्री विशम्भर प्रसाद निषाद–

क्या सरकार जनपद बांदा कचेहरी बांदा के बढ़ते हुए वादकारियों की समस्या को ध्यान में रखते हुए सप्ताह में एक दिन बांदा कचेहरी में कमिश्नरी कोर्ट लगवायेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री ब्रह्मदत्त द्विवेदी–

जी नहीं ।

व्यावहारिक एवं प्रशासनिक दृष्टि से सम्भव नहीं । अपील स्तर का विधिक परामर्श वादकारों को नहीं मिल सकेगा।

जनपद गाजीपुर में टौंस नदी से प्रभावित ग्रामों में राहत कार्य

51–श्री सुरेन्द्र सिंह–

क्या राजस्व मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद गाजीपुर में वर्ष 1991 अगस्त के अंतिम सप्ताह से सितम्बर के तृतीय सप्ताह तक टौंस नदी की बाढ़ से तहसील मोहम्मदाबाद के परगना जहूराबाद के गांव शिवरा, भरटोली, सतनापुर फरिदनपुर, अनुसूचित जाति बस्ती, दिनपुरवा ग्राम सभा रामगढ़, नसीरपुर पाली रंगा फतेह सराय मुबारकपुर नौपुरवा खैरा परगना डेहवा सिमरी, कमेसड़ी पाहुपट्टी, पाहदरिया, बिनटोली गांव सभा गौसालपुर प्रभावित रहे हैं ? जिसमें लाखों रुपए की खरीफ की फसल नष्ट हो गयी तथा गांव के कुछ लोगों के घर गिर गए हैं ? यदि हां, तो इन गांवों का उस समय में क्या राहत कार्य किया गया ? यदि नहीं, तो इसके लिए कौन से अधिकारी दोषी हैं ? क्या सरकार उनके विरुद्ध कार्यवाही करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री ब्रह्मदत्त द्विवेदी–

जनपद गाजीपुर में वर्ष 1991 अगस्त के अंतिम सप्ताह से सितम्बर के तृतीय सप्ताह तक टौंस नदी में निम्न स्तर की बाढ़ रही । जिसमें तहसील मुहम्मदाबाद के परगना जहूराबाद स्थित ग्राम सिवरा (मजरा भरटोली शामिल है), सातनपुर, फरीदनपुर, रामगढ़, ग्राम का बिनपुरवा, नासिरपुर. मुतलकेपाली, रंग, फतेहसराय, खैरा का नौपुरवा, परगना डेहगा के ग्राम सेमरी कमसड़ी, पाहुपट्टी, गौसलपुर ग्राम की बिनटोली, ग्राम प्रभावित रहा है ।

मुबारकपुर, पाहदरिया, रामगढ़ बिनटोली में 50% से कम क्षति रही है एवं शेष ग्रामों में फसल की पूर्ण क्षति रही है । इनमें से खैरा सिवेरा भरटोली चारों ओर से

पानी से घिरे थे । किसी भी ग्राम के आबादी वाले भूभाग पर पानी का प्रवेश नहीं था । जिस कारण बाढ़ के पानी से कोई आवासीय भवन की क्षति नहीं हुई है । चारों ओर से पानी से घिरे दो गांव खैरा, सिवरा भरटोली में पात्र व्यक्तियों के मध्य राहत सामग्री के रूप में गेहूं, मिट्टी का तेल, नमक तथा दियासलाई का वितरण किया गया । तात्कालिक राहत के रूप में खैरा, सिवरा भरटोली, फतेहसराय तथा रेंगा में नावें भी लगायी गयी थी ।

प्रश्न ही नहीं उठता ।

52–श्री यदुनाथ सिंह–

[आश्वासन समिति के विचाराधीन होने के कारण निरस्त]

53–श्री यदुनाथ सिंह–

[स्पष्टीकरण हेतु हटाया गया]

श्री हरदयाल श्रीवास्तव, तत्कालीन अधिशासी अभियन्ता द्वारा गुलजारबन्दी के कार्य की स्वीकृति आदेश दिया जाना

54–श्री यदुनाथ सिंह–

क्या लोक निर्माण मंत्री कृपया बतायेंगे कि रा0 मा0-24 के कि0 मी0 466 के बी0 एम0 कार्य हेतु भेजी गयी मिक्स गिट्टी दिनांक 11-3-88 को तीन टिपर एवं 12-3-88 को एक टिपर कि0 मी0 472 व 473 में उतार ली गयी ?यदि हां, तो कि0 मी0 472 व 473 में गुलजारबन्दी के संदेशन आदेश किस अधिकारी द्वारा कब दिए गए ? कि0 मी0 472 व 473 में बी0 एम0 का कार्य कब पूर्ण हुआ और कार्य पर कब-कब मस्टर रोल जारी किए गए? किन-किन लेबरों द्वारा बी0 एम0 का कार्य किस अभियन्ता की देखरेख में हुआ ? इन चार टिपर मिक्स गिट का क्या लागत है और इस हानि की वसूली किससे की जायेगी? यदि नहीं, तो क्यों?

डा0 सरजीत सिंह डंग–

जी हां ।

कि0 मी0 472 में गुलजारबन्दी के कार्य की स्वीकृति आदेश दिनांक 30-6-89 को तत्कालीन अधिशासी अभियन्ता श्री हरदयाल श्रीवास्तव द्वारा श्री ए0 के0 रस्तोगी, सहायक अभियन्ता एवं श्री मो0 शकील, अवर अभियन्ता की संस्तुति पर दिए गए । कि0 मी0 473 में गुलजारबन्दी के कार्य के लिए कोई आदेश नहीं दिए गए ।

कि0 मी0 472 में दिनांक 2-7-87 को एवं कि0 मी0 473 में दिनांक 24-6-87 को कार्य ठेकेदार मैसर्स नागिया कांस्ट्रक्शन कम्पनी द्वारा किया गया । अतः विभाग द्वारा मस्टर रोल जारी नहीं किए गए। चूंकि कार्य ठेकेदार द्वारा किया गया है अतः लेबरों की जानकारी विभाग के पास उपलब्ध नहीं है । उक्त कार्य श्री मो0 शकील, अवर अभियन्ता श्री मोहरमन सिंह, अवर अभियन्ता, श्री डी0 एन0 सक्सेना, सहायक अभियन्ता तथा श्री अब्दुल नबी खान, अधिशासी अभियन्ता की देखरेख में हुआ है ।

उक्त चार टिपर मिक्स की लागत लगभग 32,000 रु0 होती है ।

क्योंकि मिक्स गिट का उपयोग मार्ग के कार्यों पर ही हो रहा है अतः उसकी लागत की वसूली किसी से करने की आवश्यकता नहीं है ।

लो0 नि0 विभाग अस्थायी मार्ग खण्ड–2, लखनऊ के मुख्य लिपिक के विरुद्ध शिकायती पत्र पर जांच

55–श्री यदुनाथ सिंह–

क्या लोक निर्माण मंत्री को जानकारी है कि विधान सभा के द्वितीय सत्र 1986 के तीसरे मंगल के अता0 प्र0 सं0 17 के संबंध मे प्रश्नकर्ता के पत्र दिनांक 30-9-86 उन्हें प्राप्त हुआ ? यदि हां, तो इस बारे में अब तक क्या कार्यवाही की गयी ? यदि नहीं, तो क्यों और कब तक कार्यवाही की जायेगी ?

डा0 सरजीत सिंह डंग–

प्रश्नगत पत्र उपलब्ध नहीं हुआ है । अतः कार्यवाही का प्रश्न नहीं उठता ।

जिला बस्ती के ग्राम हण्डिया माफी तथा गांव में चकरोड पर अनधिकृत रूप से कब्जा किये जाने की शिकायत

56—श्री प्रताप सिंह—

क्या राजस्व मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि ग्राम हंडिया माफी पोस्ट गोविन्दगंज बाजार जिला—बस्ती में ग्राम प्रधान की मिली भगत से ग्राम समाज की जमीनों पर अनेक व्यक्तियों ने अवैध कब्जा कर मकान बना लिया है तथा गांव के चकरोड पर भी अनाधिकृत रूप से कब्जा कर लिए हैं ? क्या मंत्री जी इसकी जांच कराकर ग्राम समाज की जमीन तथा चकरोड को अविलम्ब खाली करवाने की कार्यवाही करेंगे? यदि हां, तो कब तक? यदि नहीं, तो क्यों?

श्री ब्रह्मदत्त द्विवेदी—

कुछ नम्बरान व चकरोड पर अनाधिकृत कब्जा किया गया है, प्रश्नगत अवैधानिक कब्जे के संबंध में ग्राम प्रधान की कोई मिली भगत नहीं पाई गई ।

अनाधिकृत काबिजदारों द्वारा कब्जा न हटाये जाने के फलस्वरूप दिनांक 31-1-92 को रिपोर्ट की गयी है । वाद न्यायालय तहसीलदार खलीलाबाद में विपक्षी की नोटिस की कार्यवाही में है। चकरोडों पर से अनाधिकृत कब्जा 8-2-92 से 10-2-92 तक पैमाइश करके हटा दिया गया है ।

प्रकरण न्यायिक प्रक्रिया के अन्तर्गत है ।

श्री राम विलास ग्राम लाल बाभी तहसील निघासन जनपद लखीमपुर खीरी के पत्र के साथ संलग्न प्रश्नकर्ता के पत्र पर कृत कार्यवाही

57—श्री निरवेन्द्र कुमार—

क्या राजस्व मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रश्नकर्ता का पत्र सं0—1108/91 राम विलास ग्राम लाल बाभी तहसील निघासन जनपद लखीमपुर खीरी के प्रार्थना-पत्र सहित दिनांक 28-8-91 को परगनाधिकारी निघासन को प्राप्त कराया गया? यदि हां, तो उक्त पत्र पर क्या कार्यवाही की गई? यदि नहीं, तो क्यों?

श्री ब्रह्मदत्त द्विवेदी—

जी हां ।

मामले की जांच की गई । प्रार्थी को आवंटित भूमि नं0—355 में गांव सभा का केवल 4—15 एकड़ क्षेत्रफल था, किन्तु 4—15 एकड़ के स्थान पर 10—95 एकड़ भूमि 13 पट्टेदारों को आवंटित कर दी गयी । इस कारण प्रार्थी श्री राम बिलास को स्थल पर कब्जा नहीं दिलाया जा सका। 6—95 एकड़ के 9 पट्टेदारों, के पट्टे निरस्त कराने हेतु उ0 प्र0 जमींदारी विनाश एवं भूमि व्यवस्था अधिनियम की धारा—198(4) के अन्तर्गत आख्या सक्षम न्यायालय को प्रेषित की गई है। पट्टे निरस्त होने पर प्रार्थी को स्थल पर कब्जा दिलाये जाने की नियमानुसार कार्यवाही की जायेगी ।

हरिजन एवं निर्बल वर्ग आवास निगम के महाप्रबन्धक के विरुद्ध खुली सतर्कता जांच के आदेश

58—श्री कृष्ण किंकर सिंह तथा श्री ओम प्रकाश (फतेहपुर)—

दशम् विधान सभा के प्रथम सत्र 1991 के पहले शुक्रवार के लिए निर्धारित अतारांकित प्रश्न संख्या—8 के उत्तर के संबंध में क्या समाज कल्याण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि क्या संबंधित जांच रिपोर्ट शासन को प्राप्त हो गयी है ? यदि हां, तो कब तथा उसमें क्या-क्या संस्तुतियां की गयी है ? क्या सरकार द्वारा उन संस्तुतियों का पालन कर लिया गया है ? यदि नहीं, तो क्या सरकार संबंधित महाप्रबन्धक को तत्काल निलम्बित किये जाने पर विचार करेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री रमापति शास्त्री—

जी नहीं ।

प्रश्न नहीं उठता ।

हरिजन एवं निर्बल वर्ग आवास निगम द्वारा कल्याण भवन का निर्माण प्रस्तावित नक्शा के मुताबिक न करने की शिकायत

59—श्री कृष्ण किंकर सिंह तथा श्री ओम प्रकाश—

क्या समाज कल्याण मंत्री को जानकारी है कि कल्याण भवन का निर्माण हरिजन एवं निर्बल वर्ग आवास निगम द्वारा प्रस्तावित नक्शा के मुताबिक नहीं करवाया गया है ? क्या इसी कारण भवन का नक्शा आज तक पास नहीं हुआ है ? यदि हां, तो इसके लिए जिम्मेदार अभियन्ता को क्या सरकार दण्डित करने पर विचार करेगी? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री रमापति शास्त्री—

सूचना एकत्र की जा रही है ।

हरिजन एवं निर्बल वर्ग आवास निगम में तैनात अधिशासी अभियंता को अवधि एवं अन्य विवरण

60—श्री कृष्ण किंकर सिंह तथा श्री ओम प्रकाश—

क्या समाज कल्याण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि हरिजन एवं निर्बल वर्ग आवास निगम में कितने ऐसे अभियन्ता स्तर के अधिकारी निर्धारित पांच सालों के बाद भी

एक स्थान पर तैनात हैं ? क्या यह भी बतायेंगे कि इस निगम में कितने अधिकारियों के विरुद्ध सतर्कता जांच तथा विभागीय जांच चल रही है तथा उन जांचों की क्या प्रगति है ? क्या निगम के महाप्रबन्धक के विरुद्ध जांच रिपोर्ट शासन को मिल गयी है ? यदि हां, तो उनके विरुद्ध अब तक क्या कार्यवाही की गयी है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री रमापति शास्त्री—

केवल एक अधिशासी अभियन्ता निगम मुख्यालय पर 5 वर्ष से अधिक अवधि से तैनात हैं क्योंकि वे 31-12-84 को सड़क दुर्घटना में घायल हो जाने के कारण शारीरिक रूप से अपंग हो गये हैं ।

इस निगम में एक सहायक अभियंता (विद्युत) तथा महाप्रबन्धक निर्माण के विरुद्ध सतर्कता जांच तथा 26 अधिकारियों के विरुद्ध विभागीय जांच चल रही है । 7 मामलों में जांच अन्तिम चरण में है शेष में जांच रिपोर्ट प्रतीक्षित है ।

महाप्रबन्धक निर्माण के विरुद्ध की जा रही जांच रिपोर्ट अभी प्राप्त नहीं हुई है ।

शेष भाग का प्रश्न नहीं उठता है ।

जनपद हरदोई में बिलग्राम रजबहा पर डामा से उन्नाव रोड क्रासिंग तक खड़ंजे की मरम्मत कराने की मांग

61—श्री राम आसरे वर्मा—

क्या लोक निर्माण मंत्री कृपया बताएंगे कि जनपद हरदोई में बिलग्राम रजबहा पर डामा से उन्नाव रोड क्रासिंग तक खड़ंजे का कार्य कितने वर्ष पूर्व कराया गया था ? उस समय से लेकर अब तक एक बार भी मरम्मत न कराये जाने के क्या कारण हैं तथा मरम्मत कब तक करा दी जायेगी ?

डा0 सरजीत सिंह डंग—

जनपद हरदोई में बिलग्राम रजबहा पर डामा से उन्नाव रोड क्रासिंग खड़ंजे का कार्य सात वर्ष पूर्व कराया गया था ।

वार्षिक रखरखाव के मद से सीमित संसाधनों के अन्तर्गत केवल मुख्य मार्गों की साधारण मरम्मत का कार्य किया जाता है ।

जनपद हरदोई की विभागीय निर्माण इकाई बिलग्राम के लम्बित कार्यों का विवरण

62—श्री राम आसरे वर्मा—

क्या लोक निर्माण मंत्री कृपया बतायेंगे कि जनपद हरदोई की विभागीय निर्माण इकाई (डी0 सी0 यू0) बिलग्राम के पास इस समय कौन-कौन कार्य निर्माणाधीन हैं तथा कौन-कौन से स्वीकृत कार्य लम्बित हैं और इन कार्यों को कब तक सम्पन्न करा दिया जायेगा ?

डा0 सरजीत सिंह हंस–

जनपद हरदोई में विभागीय निर्माण इकाई (डी0 सी0 यू0) बिलग्राम के पास इस समय निर्माणाधीन एवं लम्बित कार्यों का विवरण निम्नवत् है :–

निर्माणाधीन कार्य–

(1) गंगा नदी पर कन्नौज के निकट गंगा के पुल के पहुंच मार्ग का निर्माण।
(2) बिलग्राम उन्नाव इलाहाबाद मार्ग का चौड़ीकरण ।
(3) बिलग्राम रहूला मार्ग का निर्माण ।
(4) बिलग्राम कन्नौज मार्ग से राधवपुर मार्ग मोंहदीघाट तक विस्तार ।
(5) गौसगंज मल्लावा मोंहदीघाट से ऊचागांव ।
(6) हरदोई साड़ी से पैंग ।
(7) ननखारा से जैतपुर उमरौली ।
(8) बरौलिया से ननखारा मार्ग ।
(9) लमकन महेता एंड़ा भदार से कुचिला बिजना ।
(10) मल्लांवां उन्नाव रोड से शाहपुर गंगा ।
(11) ढाबा लिंक मार्ग ।
(12) रुदामऊ गौरा मार्ग से इकसाई ।
(13) म्यौरा मोड से म्यौरा गांव तक ।

(1) राघौपुर से रामपुर मार्ग ।
(2) कौटया भिखारीपुर मार्ग ।
(3) मयोडा भदार मार्ग पर करनपुर मतनी के पास नीलम नदी पर लघु सेतु का निर्माण ।
(4) बौरिया निजामपुर ।
(5) शिवालपुर के पास ।
(6) चौसार से श्रीमऊ मार्ग ।
(7) चौसार से बेहटा कटरी छोछपुर ।

कार्यों को पूर्ण किया जाना संसाधनों की उपलब्धता पर निर्भर है ।

श्री लक्ष्मी नरायन, ग्राम सिसकरी, तहसील निघासन जनपद लखीमपुर खीरी का भूमिहीन न होना

63—श्री निरवेन्द्र कुमार—

क्या राजस्व मंत्री कृपया बताएंगे कि प्रश्नकर्ता का पत्र सं0—1289/91 लक्ष्मी नरायन नि0 ग्रा0 सिसकरी तहसील निघासन जनपद लखीमपुर खीरी के प्रार्थना-पत्र सहित दिनांक 29-9-91 परगनाधिकारी निघासन को प्राप्त कराया गया ? यदि हां, तो उक्त पत्र पर क्या कार्यवाही की गई ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री ब्रह्मदत्त द्विवेदी—

जी हां ।

जांच के समय ग्रामीणों ने श्री लक्ष्मी नरायन पुत्र मोती लाल के पिता के नाम भूमि होना बताया । अतः श्री लक्ष्मी नरायन को भूमिहीन न होने के कारण पट्टा नहीं किया गया । शेष का प्रश्न नहीं उठता ।

श्री लालचन्द पुत्र श्री छेदम ग्राम गजरौरा जनपद लखीमपुर खीरी की भूमि का मामला न्यायालय में विचाराधीन

64—श्री निरवन्द्र कुमार—

क्या राजस्व मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रश्नकर्ता का पत्र सं0—1131/91 लालचन्द्र ग्रा0 गजरौरा परगना पलिया कलां जनपद लखीमपुर खीरी के प्रार्थना-पत्र के साथ संलग्न करके दिनांक 9-9-91 को उन्हें प्राप्त कराया गया ? यदि हां, तो उक्त पत्र पर क्या कार्यवाही की गई ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री ब्रह्मदत्त द्विवेदी—

जी हां ।

जांच में यह तथ्य प्रकाश में आया कि पट्टेदार लालचन्द्र पुत्र छेदम ग्राम—गजरौरा, परगना—पलिया की भूमि के संबंध में वाद न्यायालय में विचाराधीन है जिसके समाप्त होने पर कब्जा दिलाये जाने हेतु नियमानुसार कार्यवाही की जायगी । शेष का प्रश्न नहीं उठता ।

श्री रामबली पुत्र श्री रामनन्दन की भूमि का मामला न्यायालय में विचाराधीन

65—श्री निरवंन्द्र कुमार—

क्या राजस्व मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रश्नकर्ता का पत्र सं0—1138/91 रामबली नि0 ग्रा0 गजरौरा परगना पलिया जनपद खीरी के प्रार्थना-पत्र के साथ दिनांक 9-9-91 को परगना अधिकारी निघासन को प्राप्त कराया गया ? यदि हां, तो उक्त पत्र पर क्या कार्यवाही की गई ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री ब्रह्मदत्त द्विवेदी—

जी हां :

श्री रामबली पुत्र राम नन्दन के पट्टे की भूमि पर जोगा सिंह व बलवेन्दर का कब्जा है। यह भूमि सीलिंग में निकाली गयी थी ।इस भूमि का विवाद न्यायालय में विचाराधीन है । वाद का निस्तारण होने पर श्री रामबली को भूमि पर कब्जा दिलाये जाने हेतु नियमानुसार कार्यवाही की जायगी । शेष का प्रश्न नहीं उठता ।

66—श्री निरवेन्द्र कुमार—

[पुनरावृत्ति के आधार पर निरस्त]

समाज कल्याण विभाग वाराणसी मंडल के पर्यवेक्षकों को स्थायी करने की मांग

67—श्री उदय—

क्या समाज कल्याण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि समाज कल्याण विभाग वाराणसी मंडल में, जोकि राम समाज कल्याण पर्यवेक्षक को सन् 88 में स्थायी कर दिया गया और सन् 75 से पर्यवेक्षक के पद पर कार्य करने वाले कई पर्यवेक्षक उस मंडल में हैं जो सीनियर होते हुए भी आज तक स्थायी नहीं किये गये हैं? क्या सरकार इसकी जांच कराकर जितने सीनियर लोग हैं सबको स्थायी करने की आज्ञा प्रदान करेगी?

श्री रमापति शास्त्री–

जी हां।

जी नहीं ।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रश्नकर्ता के निर्वाचन क्षेत्र के सड़क व पुल का निर्माण की स्वीकृति के सम्बन्ध कार्यवाही का विवरण

68–श्री दल सिंगार–

क्या लोक निर्माण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रश्नकर्ता के क्षेत्र के सड़क व पुल के निर्माण के संबंध में कितने पत्र 1 जुलाई, 91 से 10 नवम्बर, 91 के बीच में उन्हें प्राप्त हुए? उन पत्रों पर क्या कार्यवाही की गई है? क्या उसकी रिपोर्ट सदन के पटल पर विवरण के साथ रखेंगे? यदि नहीं, तो क्यों?

डा0 सरजीत सिंह डंग–

मा0 विधायक जी के दिनांक 1 जुलाई, 1991 से 10 नवम्बर, 1991 के बीच शासन में कुल तीन पत्र प्राप्त हुए हैं।

संसाधनों की अपर्याप्तता के कारण स्वीकृति प्रदान नहीं की जा सकी।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद आजमगढ़ में जयराजपुर-परशुरामपुर मार्ग पर वर्षवार व्यय की गयी धनराशि का विवरण

69–श्री दल सिंगार–

क्या लोक निर्माण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद आजमगढ़ में, जयराजपुर-परशुरामपुर मार्ग पर मार्च, 1989 से 90–91 में कितना धन निर्माण पर खर्चा किया गया है? क्या मंत्री जी उसकी एक सूची हर वर्ष का खर्च के विवरण सहित सदन के पटल पर रखेंगे? यदि नहीं, तो क्यों?

डा0 सरजीत सिंह डंग–

रु0 1.79 लाख। प्रश्नगत मार्ग पर वर्षवार व्यय की गयी धनराशि का विवरण निम्नवत् है :–

वर्ष 1989–90 में 056 लाख रु0 वर्ष 1990–91 में 1.23 लाख रु0

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद आजमगढ़ में मन्दूरी से परशुरामपुर भटनी भवनपुर मार्ग पर निर्माण कार्य में व्यय धनराशि का विवरण

70–श्री दल सिंगार–

क्या लोक निर्माण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद आजमगढ़ में मन्दूरी स परशुराम भटनी, भवनपुर मार्ग पर आज तक कितना धन निर्माण कार्य पर खर्चा हुआ है? जो शेष मार्ग अधूरा पड़ा है, क्या इस पर मिट्टी, खड़ंजा, लेपन तक

निर्माण कराने की आज्ञा प्रदान करेंगे? आज तक जो धन इस मार्ग पर खर्च किया गया है क्या उसकी रिपोर्ट विवरण के साथ सदन के पटल पर रखेंगे? यदि नहीं, तो क्यों?

डा0 सरजीत सिंह डंग–

जनपद आजमगढ़ मे मन्दुरी से परशुरामपुर भटनी भवनपुर मार्ग पर माह दिसम्बर, 91 तक निर्माण कार्य पर रु0 8.98 लाख व्यय हुआ है।

प्रश्नगत मार्ग का शेष भाग स्वीकृत नहीं है। इसकी स्वीकृति जिला नियोजन एवं अनुश्रवण समिति की संस्तुति एवं संसाधनों की उपलब्धता पर निर्भर है। विषयगत मार्ग पर माह दिसम्बर, 91 तक रु0 8.98 लाख का जो व्यय हुआ है उसके विरुद्ध निम्नलिखित कार्य कराये गये :–

5.00 कि0 मी0 में मिट्टी (कि0मी0-1, 2, 10, 11 व 12) 10 पुलिया (कि0मी0 1, 2, 10, 11 व 12 में) तथा खड़ंजा 4 कि0मी0 (कि0मी0-1, 2, 10 व 11) योजना समाप्त हो जाने के कारण शेष 1.00 कि0 मी0 में खड़न्जा निर्माण का कार्य सम्प्रति सम्भव नहीं है।

प्रश्न नहीं उठता।

मेटसफाल्ट तथा कन्ज्यूम की जांच अधीक्षण अभियन्ता लोक निर्माण विभाग, बरेली द्वारा कराया जाना

71–श्री यदुनाथ सिंह–

क्या लोक निर्माण मंत्री को जानकारी है कि आ0 रा0 मा0 खण्ड सं0-2, सा0 नि0 वि0 लखनऊ में संबंधित दिनांक 12 अप्रैल, 88 के दो पत्रों की प्राप्ति शासन के पत्रांक-8237/23-6-49 (29) ई एम/87, दिनांक 3-10-88 से स्वीकार की गयी है ? यदि हां, तो खण्ड में कितना मेटसफाल्ट लाया और कितना कन्ज्यूम किया गया ? इसकी जांच किस अधिकारी से करायी गयी तथा जांच परिणाम क्या रहा ? यदि जांच पूर्ण नहीं हुई, तो विलम्ब का क्या कारण है और इसके लिए कौन उत्तरदायी है ?

डा0 सरजीत सिंह डंग–

जी हां ।

जांच की जा रही है जिसके पूर्ण होने पर स्थिति स्पष्ट हो सकेगी ।

जांच अधीक्षण अभियंता, 28वां वृत्त (रा0 मा0) लोक निर्माण विभाग, बरेली द्वारा की जा रही है ।

जांच पूर्ण होने पर ही विलम्ब की परिस्थितियों के संबंध में किसी निष्कर्ष पर पहुंचा जा सकेगा ।

लोक निर्माण विभाग के स्टेनोग्राफर्स की नियमावली, 1965 के अन्तर्गत पदोन्नति की व्यवस्था

72–श्री यदुनाथ सिंह–

क्या लोक निर्माण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि लोक निर्माण विभाग के अधिकारियों/कर्मचारियों को पदोन्नति के अवसर प्राप्त हैं ? यदि हां, तो उ0प्र0लो0नि0

विभाग के स्टेनोग्राफर को यह सुविधा क्यों नहीं दी गयी ? क्या शासन उन्हें पदोन्नति देने पर विचार करेगा ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ? क्या लोक निर्माण विभाग सिंचाई विभाग के विभागाध्यक्षों द्वारा स्टेनोग्राफर्स का नाम परिवर्तन करने की संस्तुति शासन को प्राप्त हुई है ? यदि हां, तो शासन इस पर कब तक विचार करेगा ? यदि नहीं, तो क्यों ?

डा0 सरजीत सिंह डंग–

जी हां ।

उ0 प्र0 सा0 नि0 वि0 लिपिकीय वर्गीय अधिष्ठान नियमावली, 1965 के अन्तर्गत अर्हकारी परीक्षा उत्तीर्ण करने पर ही लोक निर्माण विभाग के स्टेनोग्राफर्स की पदोन्नति की व्यवस्था है ।

जी हां ।

विचारोपरान्त अनुरोध स्वीकार किया जाना संभव नहीं पाया गया ।

73–श्री यदुनाथ सिंह–

[आश्वासन समिति के विचाराधीन होने के कारण निरस्त]

जनपद देवरिया में लोक निर्माण विभाग के अधीन कतिपय मार्गों के निर्माण पर व्यय धनराशि का विवरण

74–श्री नन्द किशोर मिश्र–

क्या लोक निर्माण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि देवरिया जनपद में कोई तमकुही राज से सिसवा माहर सड़क है ? यदि हां, तो क्या इस सड़क पर पुनः निर्माण हो रहा है ? यदि हां, तो कार्य कब प्रारम्भ हुआ और इस पर अब तक कितना धन व्यय हुआ है ? इसके कब तक पूरा हो जाने की सम्भावना है ?

श्री सरजीत सिंह डंग–

जी हां ।

जी हां, मार्ग की कुल लम्बाई 18 कि0मी0 है जिसमें से प्रथम 10 कि0मी0 लोक निर्माण विभाग के अधीन है । लोक निर्माण विभाग के अधीन मार्ग का प्रथम 4.7 कि0मी0 भाग निर्मित है । इसके आगे 2 कि0मी0 लम्बाई में (चेजेज 4.700 से 6.700 कि0मी0) पुनर्निर्माण का कार्य हो रहा है । चेनेज 4.70 से 6.70 कि0मी0 का कार्य जुलाई, 1989 में तथा चेनेज 6.70 से 10.00 कि0मी0 में फरवरी, 1991 में आरम्भ किया गया । उपरोक्त कार्यों पर 10.86 लाख रु0 व्यय हो चुका है ।

अवशेष कार्य को पूर्ण किया जाना जून, 1992 तक सम्भावित है ।

श्री छेदा पुत्र सुकई, ग्रा0 नलपुरवा, जनपद लखीमपुर खीरी के साथ संलग्न प्रश्नकर्ता के पत्र पर कृत कार्यवाही

75–श्री निरवेन्द्र कुमार–

क्या राजस्व मंत्री कृपया बतायेंगे कि प्रश्नकर्ता का पत्र सं0–1179/91, श्री छेदा, ग्रा0-नलपुरवा, परगना-गोलिया, जनपद-लखीमपुर-खीरी के प्रार्थना-पत्र सहित दिनांक

19-9-91 को परगनाधिकारी, निघासन खीरी को प्राप्त कराया गया है ? यदि हां, तो उक्त पत्र पर क्या कार्यवाही की गयी? यदि नहीं, तो क्यों?

श्री ब्रह्मदत्त द्विवेदी–

जी हां ।

जांच से यह तथ्य प्रकाश में आया कि ग्राम–ढाखा, परगना पलिया में छेदा पुत्र सुकई के नाम 1-00 एकड़ भूमि थी जिसमें चकबन्दी क्रियाओं के अन्तर्गत चकबन्दी अधिकारी के न्यायालय के निर्णय दिनांक 16-11-78 के अनुसार उक्त भूमि में से 0.50 एकड़ भूमि प्रार्थी के खाते से खारिज होकर रामस्वरूप पुत्र बिहारी लाल व प्रमोद कुमार पुत्र वेली के नाम अंकित हो गयी तथा शेष रकबा क्षेत्रफल की कमी के कारण खारिज हो गया । अब ग्राम दाखा में प्रार्थी के नाम कोई भूमि नहीं है । शेष का प्रश्न नहीं उठता ।

श्री दशरथ ग्राम मरौंचा, जनपद लखीमपुर-खीरी की सीलिंग भूमि का मामला चकबन्दी अधिकारी के न्यायालय में विचाराधीन

76–श्री निरवेन्द्र कुमार–

क्या राजस्व मंत्री कृपया बतायेंगे कि प्रश्नकर्ता का पं0-1191/91, श्री दशरथ ग्रा0 मरौंचा, परगना पलिया, जनपद–लखीमपुर-खीरी के प्रार्थना-पत्र के साथ दिनांक 19-9-91 को, परगनाधिकारी को प्राप्त कराया गया ? यदि हां, तो क्या उक्त पत्र पर क्या कार्यवाही की गयी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री ब्रह्मदत्त द्विवेदी–

जी हां ।

जांच से विदित हुआ कि पट्टेदार श्री दशरथ पुत्र मेधा को सीलिंग भूमि का पट्टा हुआ था जो मालियत से दूसरे स्थान पर अच्छी भूमि प्राप्त करने पर कम हो गया है जिसके संबंध में मुकदमा चकबन्दी अधिकारी के न्यायालय में विचाराधीन है । शेष का प्रश्न नहीं उठता ।

श्री कान्ता, ग्राम नया गांव, पटिदहन, जनपद लखीमपुर खीरी के प्रार्थना-पत्र के साथ संलग्न प्रश्नकर्ता के पत्र पर कृत कार्यवाही

77–श्री निरवेन्द्र कुमार–

क्या राजस्व मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रश्नकर्ता का पत्र सं0-1194/91, श्री कान्ता, ग्राम नया गांव, पटिदहन, जनपद लखीमपुर खीरी के प्रार्थना-पत्र के साथ दिनांक 19-9-91 को परगनाधिकारी, निघासन खीरी को प्राप्त कराया गया? यदि हां, तो उक्त पत्र पर क्या कार्यवाही की गयी? यदि नहीं, तो क्यों?

श्री ब्रह्मदत्त द्विवेदी–

जी हां।

जांच में यह तथ्य प्रकाश में आया कि ग्राम-पटिदहन में चकबन्दी चल रही है और जो पट्टेदार संदर्भ के अन्तर्गत थे उनके बारे में संदर्भ तैयार हो रहे हैं और चक तैयार होने पर ही कब्जा दिलाया जा सकेगा। शेष का प्रश्न नहीं उठता।

हरिकला, ग्राम पांया, पोस्ट बरवता, जिला–लखीमपुर-खीरी के प्रार्थना-पत्र के साथ संलग्न प्रश्नकर्ता के पत्र पर कृत कार्यवाही

78–श्री निरवेन्द्र कुमार–

क्या समाज कल्याण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रश्नकर्ता का पत्र सं0–1172/91 हरिकला ग्रा0 पांया, परगना कलां, जनपद लखीमपुर खीरी के प्रार्थना-पत्र सहित दिनांक 18-9-91 को समाज कल्याण अधिकारी, लखीमपुर को प्राप्त कराया गया है? यदि हां, तो उक्त पत्र पर क्या कार्यवाही की गयी? यदि नहीं, तो क्यों?

श्री रमापति शास्त्री–

जी हां।

कथित पत्र में श्रीमती हरिकला पत्नी श्री महादेव, ग्राम-पांया, पोस्ट-बरवता, जिला-लखीमपुर-खीरी को आंगनवाड़ी कार्यकर्ती पद पर नियुक्त करने की संस्तुति की गयी है। इस ग्राम में एक ही केन्द्र संचालित है जिसमें पहले से ही कार्यकत्री एवं सहायिका नियुक्त है इसलिए श्रीमती हरिकला को आंगनवाड़ी कार्यकर्ती पद पर नियुक्त करने का प्रश्न नहीं उठता।

जनपद वाराणसी में पिंडरा को तहसील बनाने की मांग

79–श्री ऊदल–

क्या राजस्व मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि स्थान पिंडरा, परगना कोल आगला, त0 व जिला वाराणसी में 89 के पूर्व राज्य सरकार ने एक नई तहसील पिंडरा में बनाने का प्रस्ताव स्वीकार किया था? यदि हां, तो तहसील अब तक न बनाने का कारण क्या है? क्या वाराणसी तहसील के आकार को देखते हुए यह निर्णय सरकार ने किया था? क्या इस सम्बन्ध में सचिव बोर्ड आफ रेवेन्यू, उ0 प्र0 का दिनांक 15-3-90 का प्रश्नकर्ता का पत्र प्राप्त हुआ? यदि हां, तो उस पर क्या निर्णय लिया गया? क्या सरकार पिंडरा तहसील शीघ्र बनाने पर विचार करेगी? यदि नहीं, तो क्यों?

श्री ब्रह्मदत्त द्विवेदी–

जनपद वाराणसी में पिंडरा नामक तहसील बनाने की संस्तुति उ0 प्र0 में तहसीलों का सृजन तथा पुनर्गठन हेतु गठित समिति ने अपने प्रतिवेदन 1982-83 में की थी।

तहसील अब तक न बनाने का कारण यह है कि अभी प्रस्तावित तहसील के मुख्यालय का निर्धारण नहीं हुआ है।

समिति ने तहसील सदर जिला वाराणसी को विभाजित कर तहसील पिंडरा के सृजन का प्रस्ताव दिया था ।

सचिव, राजस्व परिषद्, उ0प्र0 के प्रश्नकर्ता का पत्र दि0 15-3-90 प्राप्त हुआ था।

चूंकि अभी उच्चस्तरीय समिति द्वारा प्रस्तावित तहसील के मुख्यालय के संबंध में कोई आख्या/संस्तुति प्रेषित नहीं की गयी है। अतः वर्तमान में तहसील बनाने का प्रश्न नहीं उठता ।

संख्या 628 आराजी नं0 420 गांव सभा पिंडरा परगना कोल असला तहसील व जिला वाराणसी की मूल पत्रावली उपलब्ध न होने पर कार्यवाही की मांग

80–श्री उदल–

क्या राजस्व मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि वाद संख्या-628 आराजी नं0 420 गांव सभा पिंडरा परगना कोल असला तहसील व जिला वाराणसी जो पिंडरा के उत्तरी छोर पर असिला गांव में है उसका फैसला चकबन्दी अधिकारी ने ता0 5-8-76 को कर दिया था ? क्या चकबन्दी के कर्मचारियों एवं अधिकारियों ने उस 420 नं0 आराजी का अमल दरामद आ0 ए0 2क के गाटा संख्या-2987 के सामने किया है ? क्या यह सही है कि मूल पत्रावली उपलब्ध नहीं है और अभिलेखागार में पत्रावली नं0 च0 अ0 628 धारा 9ए0 12 ता0 फ0 31-7-76 उपलब्ध हुई है, जिसमें गाटा संख्या-420 ग्राम पिंडरा का ही उल्लेख व आदेश है ? क्या ऐसी रिपोर्ट सहायक चकबन्दी अधिकारी ने ता0 6-7-90 को च0 अ0 को दिया है ? यदि हां, तो वाद सं0 628 आ0 नं0 जो शेख सखावत वगैरह की है, यह कैसे आ0 नं0 2987 के सामने दर्ज किया गया है जबकि आराजी नं0 420 आ0 नं0 2987 से डेढ़ किलोमीटर उत्तर में है ? क्या इस संबंध में चकबन्दी अधिकारी ने सहायक चकबंदी अधिकारी की रिपोर्ट पर जो 6-7-90 की है, कोई कार्यवाही की ? मूल पत्रावली उपलब्ध न होने के संबंध में क्या कार्यवाही की गयी ? कौन-कौन इस जालसाजी के लिए जिम्मेदार हैं ? क्या यह सही है कि इसी हेराफेरी की वजह से बांके पुत्र बाबूनन्दन व हंसराज व मानिका गांव पिंडरा के चकों को हटाया गया है ? क्या सरकार इस फर्जी कार्यवाही की जांच करायेगी ?

श्री ब्रह्मदत्त द्विवेदी–

सूचना एकत्र की जा रही है ।

लोक निर्माण विभाग बांदा में मजदूरों को कम भुगतान किये जाने पर जांच के आदेश दिया जाना

81–श्री विशम्भर प्रसाद निषाद–

क्या लोक निर्माण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि शासन के अद्र्ध0 शा0 प0 सं0-885/23-6-91-3-1/ई0 एस0/91, दिनांक 14-2-91 द्वारा प्रान्तीय खण्ड लोक निर्माण विभाग बांदा में मजदूरों को निर्धारित मजदूरी दर से कम भुगतान करने की कोई जांच कराने का आदेश दिया गया था ? यदि हां, जांच अधिकारी कौन है तथा जांच आख्या क्या है ? यदि जांच नहीं हुई, तो विलम्ब का क्या करण है ? क्या शासन ने संबंधित अवर अभियन्ता के स्थानान्तरण का निर्देश जारी किया है ? यदि हां, तो स्थानान्तरण न करने का क्या कारण है ?

डा0 सरजीत सिंह डंग–

जी हां ।

अधिशासी अभियंता, प्रान्तीय खण्ड बांदा द्वारा जांच की जा रही है ।

जांच पूर्ण होने पर ही विलम्ब की परिस्थितियों के सम्बन्ध में किसी निष्कर्ष पर पहुंचा जा सकेगा ।

जी नहीं ।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद बांदा के उ0 प्र0 राज्य कर्मचारी कल्याण निगम के कर्वी डिपो के तत्कालीन श्री नरेन्द्र कुमार पाण्डेय को वित्तीय अनियमितताओं के आरोप में निलम्बित किया जाना

82–श्री राम प्रसाद सिंह–

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि जनपद बांदा के अंतर्गत उ0 प्र0 राज्य कर्मचारी कल्याण निगम के डिपो कर्वी के कर्मचारियों/अधिकारियों द्वारा वर्ष 1989-90 व 1990–91 में कार्य के दौरान अनियमितताएं एवं गबन आदि के आरोप सिद्ध हुए हैं? यदि हां, तो उनमें क्या कार्यवाही की गई ? यदि नहीं, तो क्यों ? क्या निगम के हित में प्रभावी कार्यवाही की जाएगी ? यदि हां, तो कब तक ?

श्री एजाज रिजवी–

जनपद बांदा के कर्वी डिपो के वर्ष 1989-90 एवं 1990-91 के लेखों का सम्प्रेक्षण कराये जाने के उपरान्त प्रथम दृष्टया तत्कालीन डिपो प्रबन्धक श्री नीरेन्द्र कुमार पाण्डेय के विरुद्ध कतिपय वित्तीय अनियमितताओं व गबन आदि के आरोप पाये गये । श्री नीरेन्द्र कुमार पाण्डेय को विधिवत् आरोपित किया गया है ।

प्रश्न नहीं उठता ।

श्री पाण्डेय को निलम्बित करके इनके विरुद्ध विभागीय कार्यवाही प्रारम्भ की जा चुकी है । उच्च न्यायालय द्वारा निलम्बन आदेशों के कार्यान्वयन पर रोक लगा दी गई है । विभागीय कार्यवाही शीघ्र पूरी करने के लिए निगम को निर्देश दे दिए गए हैं ।

श्री जाबिर अली ग्राम पठानन पुरवा जनपद लखीमपुर खीरी का मकान अग्निकाण्ड में प्रभावित न होने के कारण अनुदान न दिया जाना

83–श्री निरवेन्द्र कुमार–

क्या राजस्व मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रश्नकर्ता का पत्र सं0 1116/91 जाबिर अली ग्राम पठानन पुरवा तहसील निघासन जनपद लखीमपुर के प्रार्थना पत्र सहित दिनांक 9-9-91 तहसीलदार निघासन को अग्निकाण्ड के संबंध में प्राप्त कराया गया ? यदि हां, तो उक्त पत्र पर क्या कार्यवाही की गयी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री ब्रह्मदत्त द्विवेदी–

जी हां ।

श्री जाबिर अली का घर अग्निकाण्ड से प्रभावित नही हुआ था, इसलिए इन्हें कोई अनुदान नहीं दिया गया ।

श्री धर्मप्रकाश आदि ग्राम लालपुरा, जनपद लखीमपुर खीरी के पट्टे की पैमाइश करके कब्जा दिया जाना

84–श्री निरवेन्द्र कुमार–

क्या राजस्व मंत्री कृपया बतायेंगे कि प्रश्नकर्ता का पत्र सं0 1284/91, साकिनान ग्रा0 लालपुर, परगना पलिया, जनपद लखीमपुर खीरी के प्रार्थना पत्र सहित दिनांक 29-9-91 को परगनाधिकारी को प्राप्त कराया गया? यदि हां, तो उक्त पत्र पर क्या कार्यवाही की गयी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री ब्रह्मदत्त द्विवेदी–

जी हां ।

जांच में यह तथ्य प्रकाश में आया कि बैजू राम की मृत्यु हो गयी है । उसके पुत्र धर्म प्रकाश आदि के पट्टे की पैमाइश मौके पर कर दी गयी है तथा कब्जा दे दिया गया है । शेष का प्रश्न नहीं उठता ।

श्री बहादुर व गुलाब, ग्राम गजरौंरा, जनपद खीरी को भूमि पर पानी भरा होने के कारण कब्जा न दिया जाना

85–श्री निरवेन्द्र कुमार–

क्या राजस्व मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रश्नकर्ता का पत्र सं0 1106/91, बहादुर व गुलाब, ग्राम गजरौंरा, परगना पलिया कलां, जनपद लखीमपुर खीरी के प्रार्थना पत्र सहित दिनांक 28-8-91 को परगनाधिकारी निघासन को प्राप्त कराया गया ? यदि हां, तो उक्त पत्र पर क्या कार्यवाही की गयी ?

श्री ब्रह्मदत्त द्विवेदी–

जी हां ।

मामले की जांच की गयी । भूमि पर पानी भरा होने के कारण पट्टेदारों श्री बहादुर पुत्र दुर्जन, गुलाब पुत्र दुर्जन व पारवती बेवा नन्दू को भूमि पर कब्जा नहीं दिलाया जा सका है ।

शासन के परीक्षणाधीन होने के कारण पर्वतीय क्षेत्र के जनपदों से संबंधित सैगल समिति की रिपोर्ट का प्रकाशन न किया जाना

86–श्री मातवर सिंह कण्डारी–

क्या राजस्व मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि पर्वतीय क्षेत्रों के आठों जनपद में राजस्व पुलिस संवर्ग के सम्बन्ध मे डा0 अनादि नाथ सैगल समिति की रिपोर्ट का प्रकाशन क्यों नहीं किया जा रहा है ? यदि प्रकाशन किया जा रहा है, तो कब तक किया जायेगा ? यदि नहीं, तो क्यों नहीं ?

श्री ब्रह्मदत्त द्विवेदी–

पर्वतीय क्षेत्र के आठों जनपदों में पटवारियों की मांगों से संबंधित सैगल समिति की संस्तुतियां शासन को प्राप्त हो गयी हैं, जिसका परीक्षण किया जा रहा है ।

अतः सम्प्रति शासन के परीक्षणाधीन होने के कारण इसे प्रकाशित नहीं किया गया है ।

पर्वतीय पटवारी महासंघ द्वारा पुलिस कार्य का बहिष्कार करने का निर्णय लिया जाना

87–श्री मातवर सिंह कण्डारी–

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि पर्वतीय पटवारी महासंघ ने दिनांक 1-10-91 से पर्वतीय क्षेत्रों में पुलिस कार्य का बहिष्कार करने का निर्णय ले लिया है जिसका प्रस्ताव अब्बल ही संघ द्वारा उसको भेजा जा चुका है ? पर्वतीय क्षेत्रों में कानून व्यवस्था का सरकार ने क्या विकल्प ढूंढ़ा है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री ब्रह्मदत्त द्विवेदी–

पर्वतीय पटवारी महासंघ ने अपनी मांगों पर दबाव डालने के लिए 1-10-91 से पुलिस कार्य न करने की चेतावनी दी थी । जिससे गृह विभाग को अवगत करा दिया गया है । पर्वतीय क्षेत्रों में शान्ति एवं कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए वैकल्पिक व्यवस्था के संदर्भ में उपयुक्त कार्यवाही गृह विभाग द्वारा की गयी थी, परन्तु पर्वतीय पटवारियों ने प्रस्तावित पुलिस कार्य का बहिष्कार नहीं किया ।

88–श्री विशम्भर प्रसाद निषाद–

[पुनरावृत्ति के आधार पर निरस्त]

प्रान्तीय खण्ड, लोक निर्माण विभाग, बांदा द्वारा स्टोर क्रय करने की धनराशि का विवरण

89–श्री विशम्भर प्रसाद निषाद–

क्या लोक निर्माण बताने की कृपा करेंगे कि दिनांक 1-3-90 से 30-10-91 तक प्रान्तीय खण्ड लोक निर्माण विभाग, बांदा द्वारा कितनी धनराशि का स्टोर क्रय किया गया ? स्टोर क्रय का भुगतान किन-किन ठेकेदारों को कितनी-कितनी धनराशि का किया गया ? क्या मंत्री जी यह भी बतायेंगे कि स्टोर क्रय से संबंधित सप्लाई आर्डर, वर्क आर्डर व बाण्ड किस-किस सामग्री हेतु जारी किए गये? उन्हें जारी करने का दिनांक व नम्बर क्या है ?

डा0 सरजीत सिंह डंग–

प्रान्तीय खण्ड, लोक निर्माण विभाग, बांदा द्वारा दिनांक 1-3-90 से 30-10-91 तक कुल रु0 46,85,819.00 का स्टोर क्रय किया गया ।

वांछित विवरण संलग्न है ।

(देखिये नत्थी 'च' आगे पृष्ठ 203-206 पर)

बांदा शहर में रेलवे अपर गामीय सेतु में सर्विस रोड आदि के निर्माण में आवंटन एवं व्यय धनराशि का विवरण

90–श्री विशम्भर प्रसाद निषाद–

क्या लोक निर्माण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि बांदा शहर में रेलवे अपर गामीय सेतु में सर्विस रोड आदि के निर्माण हेतु कुल कितनी धनराशि का आवंटन अब तक लोक निर्माण विभाग, प्रान्तीय खण्ड बांदा को दिया गया है? इस आवंटित धनराशि में से कितनी धनराशि का व्यय ठेकेदारों को किया गया है ? उन समस्त ठेकेदारों का नाम, बाण्ड वर्क आर्डर, सप्लाई आर्डर नम्बर सहित अलग-अलग कार्य का विवरण व भुगतान की धनराशि क्या है ? टी0 आई0 द्वारा कराए गए कार्य विवरण, बाउचर संख्या तथा भुगतान की गयी धनराशि अलग-अलग तिथि में क्या है ?

डा0 सरजीत सिंह डंग–

तीस लाख रुपए

लगभग पांच लाख तैंतीस हजार रुपए ।

विवरण संलग्न है ।

(देखिये नत्थी 'छ' आगे पृष्ठ 207 पर)

प्रधान ग्राम सभा, तहसील अकबरपुर, जिला फैजाबाद के शिकायती पत्र पर नायब तहसीलदार अकबरपुर द्वारा जांच विषयक कार्यवाही

91–श्री रामेश्वर नाथ चौबे–

क्या राजस्व मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रधान ग्राम सभा, तुलसीपुर, सुल्तानपुर, तहसील-अकबरपुर, जिला–फैजाबाद ने माह दिसम्बर, 1990 से जनवरी, 1991 के बीच जिलाधिकारी फैजाबाद को अपने ग्राम से संबंधित परगनाधिकारी, अकबरपुर द्वारा अनियमितता बरतने के सम्बन्ध में क्वेई शिकायत की है? यदि हां, तो शिकायत में क्या आरोप हैं ? क्या सरकार प्रधान के शिकायती पत्र को सदन के पटल पर रखते हुए यह बताने की कृपा करेगी कि उक्त के संबंध में अब तक क्या कार्यवाही हुई और उसकी किस अधिकारी द्वारा जांच कराई गई ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री ब्रह्मदत्त द्विवेदी–

जी हां ।

प्रधान गांव सभा द्वारा अनियमित पट्टों के संबंध में शिकायत की गई थी । इन पट्टों का प्रस्ताव उक्त गांव सभा के भूतपूर्व प्रधान द्वारा परगनाधिकारी अकबरपुर को प्रेषित किया गया था ।

शिकायती पत्र सदन में पढ़ा जा सकता है । प्रश्नगत शिकायती पत्र की जांच नायब तहसीलदार अकबरपुर द्वारा की जा रही है ।

92–श्री रामेश्वर नाथ चौबे–

[आश्वासन समिति के विचाराधीन होने के कारण निरस्त]

जनपद बलिया में लो0 नि0 विभाग द्वारा राज्य सेक्टर के निर्माण कार्यों का विवरण

93–श्री रमाकान्त यादव–

क्या लोक निर्माण मंत्री को जानकारी है कि बलिया जनपद में पिछली सरकार के समय में राज्य सेक्टर से लोक निर्माण विभाग द्वारा कौन-कौन प्रोजेक्ट, कितने-कितने लागत से पूर्ण कराने की स्वीकृति, किस-किस राजाज्ञा द्वारा जारी करके दी गयी थी ? उसमें से कितने योजनाओं का निर्माण कार्य शुरू हुआ तथा कितनी-कितनी योजनाओं का कार्य पूर्ण हो गया है ?

डा0 सरजीत सिंह डंग–

विवरण संलग्न है ।

संलग्नक में दर्शाए गए कार्यों में से 26 योजनाओं पर कार्य प्रारम्भ हुआ लेकिन अभी तक कोई कार्य पूरा नहीं है ।

(देखिए नत्थी 'ज' आगे पृष्ठ 208-209 पर)

जनपद बलिया में लो0 नि0 विभाग द्वारा विकास खण्डवार स्वीकृत निर्माण कार्यों का विवरण

94—श्री रमाकान्त यादव—

क्या लोक निर्माण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि बलिया जनपद में लोक निर्माण विभाग द्वारा विकास खण्डवार, राज्य सेक्टर में कितनी योजनाएं कार्य कराए जाने के लिए स्वीकृत हैं ? कितने प्रोजेक्ट पर कार्य चल रहा है तथा कितने पुलों या अन्य योजनाओं का कार्य पूर्ण हो गया है ? क्या सरकार बलिया जनपद की राज्य सेक्टर की योजनाओं की लागत सहित अनुश्रवण आख्या सदन के पटल पर प्रस्तुत करेगी ?

डा0 सरजीत सिंह डंग—

बलिया जनपद में विकास खण्डवार कुल 42 कार्य स्वीकृत हैं जिनमें से 30 कार्यों पर कार्य चल रहा है एवं किसी पुल या अन्य योजनाओं का कार्य पूर्ण नहीं है । कार्यों का पूरा किया जाना संसाधनों की उपलब्धता पर निर्भर है ।

सूचना संलग्न है ।

(देखिए नत्थी 'झ' आगे पृष्ठ 210-213 पर)

श्री आर0 पी0 राम, अधिशासी अभियन्ता, प्रान्तीय खण्ड, लोक निर्माण विभाग, बलिया का स्थानान्तरण न किया जाना

95—श्री रमाकान्त यादव—

क्या लोक निर्माण मंत्री को जानकारी है कि श्री आर0 पी0 राम, अधिशासी अभियन्ता, प्रान्तीय खण्ड, लोक निर्माण विभाग, बलिया का स्थानान्तरण कब-कब बलिया जनपद से अन्यत्र किया गया है ? क्या यह भी बतायेंगे कि श्री राम के विवादास्पद होने के बावजूद उन्हें बलिया में रोके जाने का क्या कारण है ?

डा0 सरजीत सिंह डंग—

जी हां ।

फरवरी, 89 एवं जून, 1990 में श्री आर0 पी0 राम, अधिशासी अभियन्ता का स्थानान्तरण बलिया जनपद से अन्यत्र किया गया था, जो प्रशासनिक कारणों से बाद में निरस्त कर दिया गया ।

मात्र शिकायतों के आधार पर स्थानान्तरण की नीति नहीं है ।

श्रीमती जगरानी, ग्रा0 नौगवा, जनपद लखीमपुर खीरी के प्रार्थना पत्र के साथ संलग्न प्रश्नकर्ता के पत्र पर कृत कार्यवाही

96—श्री निरवेन्द्र कुमार—

क्या राजस्व मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रश्नकर्ता का पत्र सं0—1272/91 जगरानी, ग्रा0 नौगवा परसपुर पलिया जनपद लखीमपुर खीरी के प्रार्थना-पत्र सहित

दिनांक 23-9-91 को परगनाधिकारी निधासन को प्राप्त कराया गया ? यदि हां, तो उक्त पत्र पर क्या कार्यवाही की गयी ?

श्री ब्रह्मदत्त दिववेदी–

जी हां ।

मामले में जांच की गयी । प्रार्थिनी को भूमि नं0–777/2 रकबा 0-59, 789/0-47, एवं 632/0-94 कुल 2-00 एकड़ का पट्टा था । स्थल पर भूमि नम्बर 789/0-47, 632/0-94 आबादी है। अतः इन नम्बरों का पट्टा निरस्तीकरण की कार्यवाही उ0 प्र0 जमींदारी विनाश एवं भूमि व्यवस्था अधिनियम की धारा–198(4) के अन्तर्गत की जा चुकी है । शेष भूमि नम्बर 777/2 क्षेत्रफल 0-59 एकड़ मौके पर कृषि योग्य है, इस नम्बर पर पट्टेदार प्रार्थिनी जगरानी को कब्जा दिला दिया गया है ।

श्री मदन लाल, ग्राम परसपुर, जनपद लखीमपुर-खीरी द्वारा परगनाधिकारी निधासन को प्रेषित प्रार्थना पत्र पर कार्यवाही

97–श्री निरवेन्द्र कुमार–

क्या राजस्व मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रश्नकर्ता का पत्र सं0–1274/91 मदन लाल, नि0 ग्रा0 परसपुर पलिया जनपद लखीमपुर खीरी के प्रार्थना-पत्र सहित दिनांक 23-9-91 को परगनाधिकारी निधासन को प्राप्त कराया गया ? यदि हां, तो उक्त पत्र पर क्या कार्यवाही की गयी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री ब्रह्मदत्त दिववेदी–

जी हां ।

पत्र के संबंध में जांच की गयी । ग्राम मदनपुर की समस्त भूमि वन विभाग की है तथा ग्राम पतेड़ा में केवल तीन खातेदार हैं शेष भूमि वन विभाग की है एवं कोई पट्टेदार नहीं है । अतः कब्जा दिलाए जाने का प्रश्न नहीं उठता ।

धुरई, ग्रा0 कोठिया, परगना पलिया, जनपद खीरी के प्रार्थना-पत्र के साथ संलग्न प्रश्नकर्ता के पत्र पर कृत कार्यवाही

98–श्री निरवेन्द्र कुमार–

क्या राजस्व मंत्री कृपया बतायेंगे कि प्रश्नकर्ता का पत्र सं0–1291/91 धुरई, ग्रा0 कोठिया परगना पलिया जनपद खीरी के प्रार्थना पत्र सहित दिनांक 23-9-91 परगनाधिकारी निधासन को प्राप्त कराया गया? यदि हां, तो उक्त पत्र पर क्या कार्यवाही की गयी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री ब्रह्मदत्त दिववंदी–

जी हां ।

गाटा संख्या–790/88 का पट्टा जीवन की मृत्यु के पश्चात् श्रीमती मूला बेवा जीवन के नाम उत्तराधिकार से भूमि आयी । तत्पश्चात् मूला की मृत्यु के बाद नायब तहसीलदार पलिया के न्यायालय से भाई धुरई पुत्र अम्बर के नाम भूमि आयी जिन्हें उक्त भूमि पर कब्जा दिला दिया गया है । शेष का प्रश्न नहीं उठता ।

मु0 नं0 628, आ0 नं0 420 शेख शेखावत आदि वादकारों के संबंध में नियमानुसार कार्यवाही की मांग

99—श्री उदल—

क्या राजस्व मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि उपसंचालक चकबन्दी वाराणसी ने च0 अ0 मु0 नं0 628, दिनांक 5-8-76 गाटा संख्या 2987 रकबा—17 डि0 जो गांव पिंडरा प0 कोल असला त0 व जिला वाराणसी की मालियत से संबंधित है और पत्रावली दूसरी है, जो मु0 नं0 628 आ0 नं0 420 शेष शेखावत वगैरह की है उसके बारे में एस0 ओ0 सी0 वाराणसी को लिखा है कि संबंधित वादकारों का "ए" के अनुसार नियमानुसार कार्यवाही करें ? क्या यह सही है कि डी0 डी0 सी0 ने यह आदेश 31-8-90 को दिया है ? यदि हां, तो एस0 ओ0 सी0 ने उस पर क्या कार्यवाही की है ? क्या इसकी उच्च स्तरीय जांच कराकर कार्यवाही की जायेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री ब्रह्मदत्त द्विवेदी—

सूचना एकत्र की जा रही है ।

जनपद लखीमपुर खीरी के अन्तर्गत तहसील धौरहरा में राशन दुकानदारों तथा मिट्टी तेल विक्रेताओं के विरुद्ध शिकायतों का विवरण

100—श्री माता प्रसाद—

क्या खाद्य एवं रसद मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद लखीमपुर खीरी के अन्तर्गत तहसील धौरहरा में 1 जून, 1990 से नवम्बर, 91 तक किस-किस राशन दुकानदारों तथा मिट्टी के तेल के फुटकर विक्रेताओं के विरुद्ध जिलाधिकारी लखीमपुर खीरी को एवं जिलापूर्ति अधिकारी-लखीमपुर खीरी या परगना मजिस्ट्रेट, धौरहरा को किन-किन व्यक्तियों के शिकायती पत्र प्राप्त हुए हैं ? शिकायतों की जांच किस अधिकारी द्वारा करायी गयी है कितने दुकानदारों के विरुद्ध 3/7 ई0 सी0 एक्ट का अपराध पंजीकृत करके जांच कार्यवाही की जा रही है? क्या सरकार उन अधिकारियों के विरुद्ध भी कार्यवाही करने पर विचार कर रही है जिनकी लापरवाही से उपभोक्ताओं को राशन व मिट्टी का तेल नहीं प्राप्त हुआ है? यदि हां, तो कब तक?

श्री एजाज रिजवी—

जनपद लखीमपुर खीरी के अन्तर्गत तहसील धौरहरा में 1 जून, 1990 से माह नवम्बर, 91 तक जिन राशन दुकानदारों तथा मिट्टी के तेल के फुटकर विक्रेताओं के विरुद्ध जिलाधिकारी, लखीमपुर-खीरी, जिलापूर्ति अधिकारी, लखीमपुर-खीरी तथा परगना मजिस्ट्रेट धौरहरा को जिन-जिन व्यक्तियों के शिकायती-पत्र प्राप्त हुए हैं, उनका विवरण संलग्न है।

संलग्न विवरण में अंकित एक शिकायत को छोड़कर सभी शिकायतों की जांच परगना मजिस्ट्रेट, धौरहरा द्वारा कराई गयी और बिना लाइसेंस के डीजल विक्रय करने के कारण 2 व्यक्तियों के विरुद्ध आवश्यक वस्तु अधिनियम की धारा 3/7 के अंतर्गत प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज कराकर अपराध पंजीकृत कराया गया ।

चूंकि जांच के दौरान किसी अधिकारी अथवा कर्मचारी को दोषी नहीं पाया गया। अतः इस आशय की कार्यवाही का प्रश्न नहीं उठता।

(देखिये नत्थी "ञ" आगे पृष्ठ214-216 पर)

जनपद बांदा में सूखे से प्रभावित व्यक्तियों को राहत देने हेतु जवाहर रोजगार योजना तथा रोजगार परक योजना चलाया जाना

101—श्री विशम्भर प्रसाद निषाद—

क्या सरकार जनपद बांदा में सूखे की स्थिति से निपटने के लिए अविलम्ब राहत कार्य मानव श्रम कल्याण के लिए कराएगी ? यदि हां, तो कब से ? यदि नहीं, तो क्यों ? क्या सरकार द्वारा कोई सर्वेक्षण कराया गया है ? यदि हां, तो क्या ? इससे निपटने के लिए सरकार शुद्ध स्तर पर कौन-कौन से कार्य कर रही है ?

श्री ब्रह्मदत्त द्विवेदी—

परगनाधिकारियों द्वारा एवं क्राप कटिंग के आधार पर तहसील बांदा बबेरू, नरैनी व कर्वी में 60 से 75 पैसे, तहसील मऊ में 75 से 100 पैसे तथा तहसील अतर्रा में 30 से 40 पैसे तक का नुकसान खरीफ फसल में पाया गया। प्रभावित व्यक्तियों को मालगुजारी में नियमानुसार छूट दिये जाने की व्यवस्था है। प्रभावित व्यक्तियों को राहत पहुंचाने के उद्देश्य से ग्रामीण अंचलों में जवाहर रोजगार योजना रोजगार परक योजना तथा अन्य विभागों के विभागीय कार्यों द्वारा कई योजनायें चलाई जा रही हैं, जिससे मजदूरों को मजदूरी की कोई समस्या नहीं है।

जनपद मऊ अंतर्गत बलिया, लखनऊ राज्यमार्ग का निर्माण

102—श्री धुरहू—

क्या लोक निर्माण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि क्या यह सही है कि मऊ जनपद अंतर्गत बलिया, लखनऊ राज्य मार्ग के हलधरपुर अलवदिया मोड़ से होते हुए गहनी-कअमा-नाराडीह-किडीहरापुर मार्ग अधूरा, जीर्ण शीर्ण और निहायत खराब हालत में है और उसके निर्माण के लिए जनता की मांग काफी दिनों से चल रही है? यदि हां, तो उक्त सड़क का निर्माण सरकार कब करायेगी ?

डा0 सरजीत सिंह डंग—

जी हां।

जनपद मऊ में पड़ने वाले प्रश्नगत मार्ग का किमी0-6 व 7 आर0एल0ई0जी0पी0 के अंतर्गत सोलिंग स्तर तक स्वीकृत हुआ था जिसमें 0.3 किमी0 भाग छोड़कर शेष लम्बाई में भूमि विवाद के कारण कार्य नहीं हो सका। मार्ग का अन्य भाग न ही लोक निर्माण विभाग के अधीन है और न ही किसी योजना में स्वीकृत है। इसलिए निर्माण कराना सम्भव नहीं है।

जनपद मऊ के रतनपुर से बहादुरपुर तक का डा0 अम्बेडकर मार्ग का शिलान्यास एवं निर्माण

103–श्री घुरहू–

क्या लोक निर्माण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद मऊ अन्तर्गत राज्य मार्ग पर रतनपुर से बहादुरपुर तक डा0 अम्बेडकर मार्ग का शिलान्यास तत्कालीन राज्य मंत्री, लोक निर्माण, श्री शारदा नन्द अंचल ने किया था ? यदि हां, तो क्या उक्त मार्ग का निर्माण कार्य आज तक पूर्ण नहीं हुआ है ? यदि हां, तो सरकार उसका निर्माण कार्य कब तक सम्पन्न करा देगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

डा0 सरजीत सिंह डंग–

जी हां ।

कार्य स्वीकृत न होने के कारण निर्माण कराये जाने का प्रश्न नहीं उठता ।

104–श्री घुरहू–

[2रे सोम में अता0 प्र0 सं0 195 के अन्तर्गत स्थानान्तरित]

जनपद वाराणसी में रां0 मार्ग 56 के कि0मी0–256 पर स्थित पिण्डारा बाजार के आबादी वाला भाग नीचा होने के कारण वर्षाकाल में पानी भर जाना

105–श्री उदल–

क्या लोक निर्माण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि राष्ट्रीय मार्ग 56वां, वाराणसी-लखनऊ के स्थान पिंडरा बाजार, जिला-वाराणसी में बहुत नीचा है और वहां पर वर्षा काल में एक फिट से ज्यादा पानी भरे रहने से सड़क खराब हो गई है ? यदि हां, तो क्या शासन द्वारा उक्त मार्ग के आधुनिकीकरण के साथ-साथ संदर्भित एक किलोमीटर तक के मार्ग को ऊंचा करने के लिए दस लाख से ऊपर रुपये भी स्वीकृत किया गया है ? यदि हां, तो क्या उसको ऊंचा करने का कार्य 90-91 में किया गया ? यदि नहीं तो क्यों ? क्या 91-92 में उक्त कार्य को करा दिया जायेगा ? क्या एक पुलिया को जो मार्ग पर बीच बाजार में है उसे भी चौड़ा बनाया जायेगा ?

डा0 सरजीत सिंह डंग–

राष्ट्रीय मार्ग-56, कि0मी0-256 में स्थित पिंडरा बाजार के आबादी भाग में नीचा है ।

उक्त भाग नीचा होने एवं उसमें नाली न होने से प्रायः वर्षाकाल में अस्थाई रूप से पानी ठहरने से सड़क खराब हो जाती है ।

जी नहीं । प्रश्नगत कार्य हेतु जल भूतल परिवहन मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा अभी तक कोई स्वीकृति प्रदान नहीं की गई है ।

प्रश्न नहीं उठता है ।

स्वीकृत न होने के कारण वर्ष 1991-92 में कार्य कराना सम्भव नहीं है । मार्ग पर बीच बाजार में स्थित पुलिया वर्ष 1988 में चौड़ी एवं ऊंची की जा चुकी है अतः उसे पुनः चौड़ा करने की आवश्यकता नहीं है ।

जनपद आगरा में आगरा-बाह-कचौरा घाट मार्ग का सुदृढ़ीकरण

106—श्री विजय सिंह राणा—

क्या लोक निर्माण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि आगरा में आगरा-बाह-कचौरा घाट मार्ग का सुदृढ़ीकरण और चौड़ा करने के लिए छः करोड़ रुपए की धनराशि शासन द्वारा स्वीकार की गई थी? यदि हां, तो अब तक यह कार्य पूरा किया गया? यदि नहीं, तो अब तक कितना कार्य पूरा हो चुका है और उस पर कितनी धनराशि खर्च की गई है? शेष कार्य कब तक पूरा करा दिया जाएगा? उस पर कितनी धनराशि खर्च होने का अनुमान है ? अभी तक कार्य पूर्ण न होने के क्या कारण हैं ?

डा0 सरजीत सिंह डंग—

प्रश्नगत आगरा-बाह-कचौरा घाट मार्ग के लिए नहीं अपितु आगरा बाह-ऊदी-इटावा मार्ग के सुदृढ़ीकरण एवं चौड़ीकरण हेतु शासनादेश संख्या-1516/23-सा0 नि0अनु0-11/73ई/88, दिनांक 25-3-88 द्वारा रु0 6 करोड़ की स्वीकृति प्रदान की गई थी ।

जी नहीं ।

लगभग 50% प्रगति हो चुकी है तथा रु0 352.13 लाख जनवरी, 1992 तक व्यय हो चुका है ।

ससाधनों की उपलब्धता पर निर्भर है ।

आगरा एवं इटावा जनपदों में पड़ने वाले मार्ग के अवशेष कार्यों को पूर्ण करने हेतु क्रमशः लगभग रु0 175 लाख एवं रु0 103 लाख की आवश्यकता का अनुमान है ।

ससाधनों की अपर्याप्तता

श्री पंचम पुत्र श्री कंधई ग्राम-मछलीपुरवा, जनपद खीरी के प्रार्थना-पत्र के साथ संलग्न प्रश्नकर्ता के पत्र पर कृत कार्यवाही

107—श्री निरबेन्द्र कुमार—

क्या राजस्व मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रश्नकर्ता का पत्र स0—12/5/91, पंचम आदि ग्रा0 मछलीपुरवा परगना निघासन जनपद लखीमपुर खीरी के प्रार्थना-पत्र सहित दिनांक 23-9-91 परगनाधिकारी निघासन खीरी को प्राप्त कराया गया ? यदि हां, तो उक्त पत्र पर क्या कार्यवाही की गयी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री बृहमदत्त द्विवेदी—

जी हां ।

श्री पंचम पुत्र श्री कंधई आदि निवासी मछलीपुरवा मजरा लालपुर परगना व तहसील निघासन जनपद-खीरी को पट्टे की भूमि पैमाइश करके मौके पर कब्जा दे दिया गया है । शेष का प्रश्न नहीं उठता ।

श्री कधई ग्रा0 तौलियार, जनपद लखीमपुर खीरी के प्रार्थना-पत्र के साथ संलग्न प्रश्नकर्ता के पत्र पर कृत कार्यवाही

108—श्री निरवेन्द्र कुमार—

क्या राजस्व मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रश्नकर्ता का पत्र सं0 1281/91 कधई ग्रा0 तौलियार परगना निघासन जनपद लखीमपुर खीरी के प्रार्थना-पत्र सहित दिनांक 23-9-91 को परगनाधिकारी निघासन को प्राप्त कराया गया ? यदि हां, तो उक्त पत्र पर क्या कार्यवाही की गई? यदि नहीं, तो क्यों?

श्री ब्रह्मदत्त द्विवेदी—

जी हां।

प्रार्थना पत्र की जांच करायी गयी जिससे यह तथ्य प्रकाश में आया कि विवादित भूमि की वरासत के संबंध में चकबन्दी क्रियाओं के दौरान आदेश हो चुके हैं। प्रार्थीगण सक्षम न्यायालय में वाद प्रस्तुत कर सकते हैं। शेष का प्रश्न नहीं उठता।

श्री रामदेव ग्राम सिगाही खुर्द जनपद खीरी के प्रार्थना-पत्र के साथ संलग्न प्रश्नकर्ता के पत्र पर कृत कार्यवाही

109—श्री निरवेन्द्र कुमार—

क्या राजस्व मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रश्नकर्ता का पत्र सं0-765/91 राजदेव ग्राम सिगाही खुर्द परगना पलिया जनपद खीरी के प्रार्थना-पत्र के साथ संलग्न दिनाक 29-7-91 को परगनाधिकारी निघासन को प्राप्त कराया गया? यदि हां, तो उक्त पत्र पर क्या कार्यवाही की गई? यदि नहीं, तो क्यों?

श्री ब्रह्मदत्त द्विवेदी—

जी हां।

मामले की जांच कराई गयी ।

प्रार्थी को उसके पट्टे की भूमि पर दिनांक 26-8-91 को कब्जा दिलाया जा चुका है। शेष का प्रश्न नहीं उठता है।

जनपद फैजाबाद के अकबरपुर नगर में शासनादेश के अनुरूप खोली गयीं सहकारिता एवं राशन की दुकानों का विवरण

110—श्री पवन कुमार पाण्डेय—

क्या खाद्य एवं रसद मंत्री कृपया बतायेंगे कि क्या आवश्यक वस्तुओं के समुचित वितरण के लिए दो हजार की आबादी पर एक सरकारी सस्ते गल्ले/चीनी आदि की दुकान का लाइसेन्स निर्गत किए जाने के बारे में शासनादेश है? यदि हां, तो क्या जनपद फैजाबाद की अकबरपुर तहसील के नगरीय क्षेत्र सहित ग्रामीण अंचलों में शासनादेश के अनुरूप दुकान खुली हैं? यदि नहीं, तो क्या आबादी का सर्वेक्षण कराकर नई दुकानों को खोले जाने के बारे में विभागीय कार्यवाही करायेंगे?

श्री एजाज रिजवी–

जी हां।

शहरी क्षेत्र में प्रत्येक निजी क्षेत्र की उचित दुकान के साथ 2,000 यूनिट सहकारी क्षेत्र की दुकानों के साथ 4,000 यूनिट एवं आवश्यक वस्तु निगम के लिए 4000 से 8000 यूनिट सम्बद्ध करने का प्राविधान है। प्रत्येक ग्राम सभा में एक उचित दर की दुकान खोलने का प्राविधान है, किन्तु ग्राम सभा में 4000 से अधिक यूनिट होने पर एक से अधिक राशन की दुकान खोली जा सकती है।

जनपद फैजाबाद के नगर अकबरपुर में प्रचलित यूनिट 25594 के सापेक्ष्य 7 निजी क्षेत्र की एवं तीन सहकारिता क्षेत्र की कुल 10 राशन की दुकानें कार्यरत हैं।

प्रश्न नहीं उठता।

परगनाधिकारी अकबरपुर, जिला फैजाबाद द्वारा राम जानकी मंदिर शहजादपुर, खसराकार चौधरी हृदय नारायण के नाम किया जाना

111–श्री भगवती सिंह विशारद–

क्या राजस्व मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि कस्बा शहजादपुर अकबरपुर, जिला-फैजाबाद में श्री राम जानकी मंदिर व खसराकार चौ0 हृदय नारायण मेहरोत्रा के नाम कोई खाता है जिसमें स्व0 कश्मीरा देवी हलवाई श्रेणी सात दर्ज है? यदि हां, तो क्या यह नियमानुसार है? यदि नहीं, तो क्या यह सही है कि उक्त राम जानकी मंदिर के नाम की आराजी, जो श्रेणी सात में मृतक कश्मीरा देवी के नाम आज भी दर्ज है, की हल्के के लेखपाल द्वारा कोई रिपोर्ट परगनाधिकारी को भेजी गई है? यदि हां, तो उस रिपोर्ट पर अब तक क्या कार्यवाही की गई? यदि नहीं, तो क्यों?

श्री ब्रह्मदत्त द्विवेदी–

जी हां।

वर्ष 1395–1400 फ0 के खाता संख्या 38 पर स्व0 कश्मीरा देवी विधवा सोहन श्रेणी नौ अंकित है। न कि श्रेणी सात।

जी नहीं।

जी हां।

परगनाधिकारी, अकबरपुर द्वारा दिनांक 11-2-1992 को मृतक कश्मीरा देवी का नाम खारिज करके खाता सं0 1/38 खतौनी के भाग–1 में श्री राम जानकी मन्दिर शहजादपुर, खसराकार चौ0 हृदय नारायण निवासी ग्राम शहजादपुर के नाम की प्रविष्ट कर दी गई है।

प्रश्न नहीं उठता।

भूमि प्रबंधक समिति की सहमति के बगैर न्यायिक प्रक्रिया को आधार बनाकर गम्भीर घोटाला किया जाना

112–श्री तेजभान सिंह–

क्या राजस्व मंत्री कृपया बतायेंगे कि 11वीं विधान सभा के प्रथम सत्र 1991 के दूसरे गुरुवार हेतु निर्धारित प्रश्नकर्ता के अता0 प्रश्न सं0–11 के संदर्भ में उत्तरित्त

प्रश्नगत मामले में वाद दायर किया गया है ? यदि हां, तो उसका वाद कब पंजीकृत हुआ ? वाद की पंजीकरण संख्या क्या है ? वाद किसके प्रार्थना पत्र पर पंजीकृत हुआ ? क्या गांव सभा/भूमि प्रबंधक समिति को पक्षकार बनाया गया ? क्या आवश्यक पक्षकारों के बयान लिए गए? यदि हां, तो कब? यदि नहीं, तो क्यों? क्या यह सही है कि उक्त आदेश पूर्ण रूप से किसी एक को लाभ पहुंचाने के लिए भूमि प्रबंधक समिति की सहमति के बगैर न्यायिक प्रक्रिया को आधार बनाकर गम्भीर भूमि घोटाला किया गया है ? यदि हां, तो क्या इस वाद से संबंधित समस्त पत्रावली सदन के पटल पर रखने की कृपा करेंगे ?

श्री ब्रह्मदत्त द्विवेदी–

सूचना एकत्र की जा रही है ।

जिलाधिकारी न्यायालय, बहराइच में ग्राम सेमरी मलमला के व्यक्तियों के पट्टों का वाद प्रस्तुत किया जाना

113–श्री अछैवर लाल–

क्या राजस्व मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि ग्राम सभा सेमरी मलमला तहसील नानपारा जनपद बहराइच में भूमि प्रबंधक समिति के अध्यक्ष की सहमति के बिना लेखपाल द्वारा फर्जी पट्टे किए जाने विषयक प्रश्नकर्ता का पत्र दिनांक 24-10-91 उन्हें प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो उस पर उक्त पट्टों को निरस्त करने के लिए अब तक क्या कार्यवाही कराई गई है ? क्या सरकार लेखपाल के विरुद्ध कार्यवाही करेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री ब्रह्मदत्त द्विवेदी–

जी नहीं । ग्राम सेमरी मलमला में 102 पात्र व्यक्तियों को पट्टे किए गए हैं । ग्राम प्रधान सेमरी मलमला की ओर से जिलाधिकारी न्यायालय में जमींदारी विनाश एवं भूमि व्यवस्था अधिनियम की धारा 198 (4) के अन्तर्गत वाद प्रस्तुत किया गया है जिसमें कहा गया है कि उक्त ग्राम में 102 व्यक्तियों को किए गए पट्टे अवैध हैं, उन्हें निरस्त करके पुनः आवंटन की कार्यवाही की जाय । इस प्रकरण की जांच की जा रही है, जांचोपरान्त आवश्यक कार्यवाही की जायेगी ।

ग्राम अहेथा, तहसीलदार अकबरपुर, जिला फैजाबाद के प्रधान पर भ्रष्टाचार एवं अनियमित कार्यों का ग्रामवासियों द्वारा आरोप लगाया जाना

114–श्री रामेश्वर नाथ चौबे–

क्या राजस्व मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि ग्राम अहेथा, तहसील अकबरपुर, जिला-फैजाबाद के प्रधान के भ्रष्टाचार व अनियमित कार्यों के विरुद्ध ग्रामवासियों द्वारा प्रेषित शिकायती प्रार्थना-पत्र के आधार पर नायब तहसीलदार व कानूनगों द्वारा की गई जांच रिपोर्ट, दिनांक 23-3-90 से तहसीलदार अकबरपुर के पास लम्बित पड़ी है? यदि हां, तो संबंधित प्रार्थना-पत्र तथा नायब तहसीलदार अकबरपुर के पास लम्बित पड़ी है? यदि हां, तो संबंधित प्रार्थना-पत्र तथा नायब तहसीलदार की रिपोर्ट क्या है और अब तक उस पर क्या कार्यवाही हुई? यदि नहीं, तो क्यों?

श्री ब्रह्मदत्त द्विवेदी–

जी नहीं। प्रश्नगत प्रार्थना-पत्र पर जांच कराई गयी। जांच आख्या में ग्राम प्रधान द्वारा ग्राम सभा भूमि पर अवैध कब्जा करने तथा कर्तव्यों का पालन न करने पर ग्राम प्रधान को आरोप पत्र दिया गया। चूंकि ग्राम प्रधान अहेथा ने एक प्रार्थना-पत्र स्थलीय जांच के संबंध में दिया था इसलिए परगनाधिकारी द्वारा तहसीलदार अकबरपुर को वर्णित तथ्यों का परीक्षण करने के लिए दिनांक 30-1-92 को पुनः भेजा गया है। शेष का प्रश्न नहीं उठता।

जनपद पौड़ी में माह मई, 1991 में विवाह हेतु आवंटित चीनी का विवरण

115–श्री कृष्ण चन्द्र–

क्या खाद्य एवं रसद मंत्री को ज्ञात है कि जनपद पौड़ी में माह मई, 1991 में चीनी का अतिरिक्त कोटा विवाह आदि कार्यों के लिए नहीं दिया गया था? यदि हां, तो इसका कारण क्या रहा है? क्या वहां भविष्य में भी चीनी की कटौती होने की आशंका है? क्या यह सत्य है कि ग्राम वालासौड़ में सस्ते गल्ले की दुकान को आवंटित होने वाली चीनी की बोरी और मिट्टी का तेल, ब्लॉक में बंटे जाने से कार्ड धारकों को चीनी और मिट्टी का तेल नहीं मिलता है? क्या इसी दुकान से गेहूं, चावल आदि फर्जी ढंग से रजिस्टर में चढ़ाकर बेचा गया है? क्या इन्हीं सरकारी सस्ते गल्ले की दुकान के डीलरों को उसी कस्बे में परचून की दुकान करने का अधिकार दिया गया है? यदि हां, तो किस नियम के अधीन?

श्री एजाज रिजवी–

जनपद पौड़ी को शादी विवाह हेतु माह मई, 1991 में 25 मी0 टन लेवी चीनी आवंटित की गई थी।

जी नहीं।

जी नहीं। दुकान की आकस्मिक जांच क्षेत्रीय खाद्य अधिकारी द्वारा कराई गई जिसमें यह आरोप सत्य नहीं पाया गया।

जी नहीं। जांच में ऐसा कोई तथ्य प्रकाश में नहीं आया।

शासनादेश संख्या एफ/3967 दिनांक 3-7-90 तथा 5660 दिनांक 31-8-90 के अनुसार यह व्यवस्था है कि सरकारी सस्ता गल्ला विक्रेताओं की दुकान की नियुक्ति में परचूनी दुकानदारों को निर्धारित वरीयता दी जाय।

116–श्री स्वामी नाथ यादव–

[पुनरावृत्ति के आधार पर निरस्त]

जनपद महराजगंज में एक ही परिवार के सदस्यों को राशन की तीन दुकानें आवंटित किए जाने के आरोप

117–श्री शिवेन्द्र सिंह–

क्या खाद्य एवं रसद मंत्री को जानकारी है कि जनपद महराजगंज निचनौल तहसील के निचनौल ब्लाक में एवं निचनौल टाउन एरिया को मिलाकर राशन की तीन कोटे की

दुकानें एक ही परिवार के सदस्यों को आवंटित की गई हैं ? यदि हां, तो एक ही परिवार के सदस्यों को दुकानें आवंटित करना क्या नियमानुसार है ? क्या इसमें किसी प्रकार की अनियमितता की गई है? क्या मंत्री जी इस विषय में जांच करवाकर कार्यवाही करेंगे ?

श्री एजाज रिजवी–

जी नहीं ।

प्रश्न नहीं उठता ।

118–श्री यदुनाथ सिंह–

[आश्वासन समिति के विचाराधीन होने के कारण निरस्त]

जनपद फिरोजाबाद में लम्बे मार्ग के निर्माण में संसाधनों की अपर्याप्तता के कारण विलम्ब होना

119–श्री राम आसरे वर्मा–

क्या लोक निर्माण मंत्री कृपया बतायेंगे कि जनपद फिरोजाबाद में शिकोहाबाद से मुरनफाबाद मार्ग 21 किलोमीटर लम्बे मार्ग का निर्माण सम्प्रति किस स्थिति में है ? क्या शासन द्वारा इसके निर्माण की स्वीकृति दे दी गई है? यदि नहीं, तो क्यों? यदि स्वीकृति दे दी गई है तो निर्माण कार्य में विलम्ब का कारण क्या है ?

डा0 सरजीत सिंह डंग–

प्रश्नगत मार्ग की कुल लम्बाई (21 किलोमीटर) में से 2 कि0 मी0 लम्बाई (कि0 मी0 9 व 10) पहले से ही लेपित स्तर तक पूर्ण थे : शेष 19 कि0 मी0 लम्बाई में खड़ण्जा से लेपन स्तर तक के कार्य की दिनांक 15-3-90 के शासनादेश द्वारा जिला योजना में स्वीकृति दी गई, जिसके सापेक्ष वर्तमान में कि0 मी0 2 व 3 लेपन स्तर तक एवं कि0 मी0 1.4,5 व 6 ऊपरी सतह तक निर्मित हो चुके हैं । शेष कार्य प्रगति पर है ।

जी हां। जिला योजना में शासनादेश संख्या-1236ई0/23-लो0 नि0 अनुभाग-11 72ई/90, दिनांक 15-3-90 द्वारा उपरोक्तानुसार दी गई थी ।

प्रश्न नहीं उठता ।

संसाधनों की अपर्याप्तता ।

ग्राम गौरिया परगना निधासन जनपद खीरी के कब्रिस्तान विवाद के संबंध में प्रश्नकर्ता के पत्र पर कृत कार्यवाही

120–श्री निरवेन्द्र कुमार–

क्या राजस्व मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रश्नकर्ता का पत्र सं0-1089/91 ग्राम ग्राम गौरिया परगना निधासन जनपद खीरी के कब्रिस्तान विवाद के संबंध में परगनाधिकारी निधासन को दिनांक 28-8-91 को प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो उक्त पत्र पर क्या कार्यवाही की गई ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री ब्रह्मदत्त द्विवेदी–

जी हां ।

मामले की जाच कराई गयी । सर्वश्री याकूब अली आदि के समक्ष कब्रिस्तान की पैमाइश करवा दी गई है तथा अब विवाद समाप्त हो गया है । शेष का प्रश्न नहीं उठता है ।

श्री छेदीराम पुत्र श्री राम लाल ग्राम रानीपुरवा, जनपद लखीमपुर को भूमि का कब्जा दिया जाना

121–श्री निरवेन्द्र कुमार–

क्या राजस्व मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रश्नकर्ता का पत्र सं0 1090/91 छेदी-राम ग्राम रानीपुरवा परगनी निघासन जनपद लखीमपुर के प्रार्थना-पत्र सहित दिनांक 28-8-91 को पट्टे की भूमि पर कब्जा कराने के संबंध में परगनाधिकारी निघासन को प्राप्त हुआ? यदि हां, तो उक्त पत्र पर क्या कार्यवाही की गई? यदि नहीं, तो क्यों?

श्री ब्रह्मदत्त द्विवेदी–

जी हां ।

जांच करने पर यह तथ्य प्रकाश में आया कि श्री छेदीराम पुत्र श्री रामलाल, ग्राम-रानीपुरवा को मौके पर भूमि का कब्जा दिया गया है । शेष का प्रश्न नहीं उठता ।

श्री सीताराम निवासी ग्राम जगनपुरवा, जनपद खीरी के पट्टे की भूमि पर कब्जा पाने हेतु दिए गए प्रार्थना-पत्र पर की गई कार्यवाही की जानकारी

122–श्री निरवेन्द्र कुमार–

क्या राजस्व मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रश्नकर्ता का पत्र सं0-1092/91 श्री सीताराम ग्राम जगनपुरवा तहसील निघासन जनपद खीरी के प्रार्थना पत्र सहित दिनांक 28-8-91 को पट्टे की भूमि पर कब्जा कराने के संबंध में प्राप्त हुआ ? यदि हां, तो उक्त पत्र पर क्या कार्यवाही की गई ? यदि नहीं, तो क्यों?

श्री ब्रह्मदत्त द्विवदी–

जी हां ।

मामले की जांच कराई गयी । श्री करिमुल्ला पुत्र अलादीन के विरुद्ध थाना निघासन में प्राथमिकी दर्ज करायी गयी है ।

शेष का प्रश्न नहीं उठता है ।

श्री मोहन लाल ग्राम सिगाही जनपद खीरी के प्रार्थना-पत्र के साथ संलग्न प्रश्नकर्ता के पत्र पर कृत कार्यवाही

123–श्री निरवेन्द्र कुमार–

क्या राजस्व मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रश्नकर्ता का पत्र सं0-1096/91 मोहन लाल ग्राम सिगाही तहसील निघासन जनपद खीरी के प्रार्थना पत्र सहित दिनांक 28-8-91 को परगनाधिकारी निघासन को प्राप्त कराया गया ? यदि हां, तो उक्त पत्र पर क्या कार्यवाही की गयी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री ब्रह्मदत्त द्विववेदी–

जी हां ।

जांच करायी गयी ।

शिकायत निराधार पायी गयी ।

शेष का प्रश्न नहीं उठता है ।

124–श्री निरवेन्द्र कुमार–

[पुनरावृत्ति के आधार पर निरस्त]

जनपद उन्नाव में समाज कल्याण अधिकारी के रिक्त पद की पूर्ति करने की मांग

125–श्री भगवती सिंह विशारद–

क्या समाज कल्याण मंत्री कृपया बतायेंगे कि जनपद उन्नाव में जिला समाज कल्याण अधिकारी का पद कब से रिक्त पड़ा है ? इसकी पूर्ति कब तक कर दी जायगी ?

श्री रामगति शास्त्री–

जनपद उन्नाव में जिला समाज कल्याण अधिकारी का पद रिक्त नहीं है ।

प्रश्न ही नहीं उठता ।

126–श्री विजय सिंह राणा–

[विस्तीर्णता के आधार पर निरस्त]

जनपद आगरा के अंतर्गत 1971 की जनगणना के आधार पर सड़कों का कोलतार/लेपन के कार्य का विवरण

127–श्री विजय सिंह राणा–

क्या लोक निर्माण मंत्री कृपया बतायेंगे कि जनपद आगरा के अन्तर्गत वर्ष 1971 की जनगणना के आधार पर 1500 से ऊपर की आबादी वाले और 1000 से ऊपर की आबादी वाले कितने गांव कोलतार लेपन स्तर की सड़कों से जोड़ दिए गए हैं? कितने गांव शेष रह गए हैं तथा शेषबचे गांवों को कब तक कोलतार लेपन स्तर की सड़कों से जोड़ दिया जायेगा ?

डा0 सरजीत सिंह डंग–

1500 एवं इससे ऊपर की आबादी वाले 144 गांव तथा 1000 एवं इससे ऊपर (1499 तक) आबादी वाले 50 गांव लेपन स्तर की सड़कों से जोड़ दिये गये हैं ।

1500 एवं इससे ऊपर की आबादी वाले 98 गांव तथा 1000 से 1499 तक की आबादी वाले 120 गांव लेपन स्तर की सड़कों से जुड़ने शेष हैं ।

गांवों को जोड़ने के कार्य जिला योजना की परिधि में आते हैं जिनको लेपन स्तर के मार्गों से जोडा जाना जिला नियोजन एवं अनुश्रवण समिति द्वारा स्वीकृति के लिए अनुमोदन एवं धन की उपलब्धता पर निर्भर है ।

जनपद बांदा के तहसील बांदा के अंतर्गत सस्ते गल्ले व सामान के कोटेदारों की ग्रामवार सूची

128–श्री विशम्भर प्रसाद निषाद्–

क्या सरकार कृपया बतायेगी कि जनपद बांदा में तहसील बांदा के अंतर्गत कितने सस्ते गल्ले व सामान के कोटेदार हैं उनकी ग्रामवार सूची क्या है ? क्या प्रश्नकर्ता द्वारा दिया गया शिकायती पत्र जिलाधिकारी बांदा को पत्रांक सं0-ख 537356 दिनांक 3-9-91 को प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो उसका विवरण क्या है ? क्या यह सही पाया गया है कि कोटेदारों को परगनाधिकारी बांदा द्वारा अनावश्यक परेशान किया जाता है ? चीनी व गेहूं कोटेदारों को देने हेतु प्रति गांव क्या प्रक्रिया अपनायी गयी है ? क्या सरकार परगनाधिकारी बांदा को सदर बांदा से स्थानान्तरित करेगी ? यदि हां, तो कब तक? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री एजाज रिजवी–

जनपद बांदा के अन्तर्गत तहसील बांदा में कुल 174 उचित दर की दुकानें कार्यरत हैं जिसमें से 4 टाउन एरिया में एवं 170 ग्रामीण क्षेत्र में हैं । ग्रामीण क्षेत्र की ग्रामवार सूची संलग्न है ।

जी हां ।

एक की प्रतिलिपि संलग्न है ।†

जी नहीं ।

प्रत्येक गांव को चीनी वहां की यूनिटों के आधार पर आवंटित की जाती है तथा बांदा तहसील के ग्रामीण क्षेत्रों में परगनाधिकारी बांदा द्वारा गेहूं की उपलब्धता एवं स्थानीय मांग के आधार पर दुकानदारों को गेहूं आवंटित किया गया है ।

प्रश्न नहीं उठता ।

श्री हीरालाल ग्राम चिरकुआ, जनपद लखीमपुर खीरी के प्रार्थना पत्र के साथ संलग्न प्रश्नकर्ता के पत्र पर कृत कार्यवाही

129–श्री निरवेन्द्र कुमार–

क्या राजस्व मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रश्नकर्ता का पत्र सं0 888/91 श्री हीरा लाल चिरकुआ परगना निघासन जनपद लखीमपुर खीरी के प्रार्थना-पत्र सहित दिनांक 29-9-91 को परगनाधिकारी निघासन खीरी को प्राप्त कराया गया ? यदि हां, तो उक्त पत्र पर क्या कार्यवाही की गई ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री ब्रह्मदत्त द्विवेदी–

जी हां ।

जांच से विदित हुआ कि श्री हीरा लाल का नाम ग्राम मसुरहा की भूमिहीन सूची में अंकित किया गया था, किन्तु वह ग्राम पतवारा, परगना पलिया का निवासी पाया गया । अतः श्री हीरा लाल ग्राम मसुरहा में भूमि पाने के पात्र नहीं थे । इस कारण उन्हें उक्त ग्राम में भूमि का पट्टा नहीं किया गया । शेष का प्रश्न नहीं उठता ।

नोट :–†छापी नहीं गई ।

श्री सीताराम ग्राम नौरंगाबाद, जनपद लखीमपुर खीरी के प्रार्थना पत्र के साथ सलंग्न प्रश्न-कर्ता के पत्र पर कृत कार्यवाही

130–श्री निरवेन्द्र कुमार–

क्या राजस्व मंत्री बताने की कृपा करेंगें कि प्रश्नकर्ता का पत्र संख्या-790/91 श्री सीताराम ग्राम नौरंगाबाद, परगना निघासन, जनपद लखीमपुर खीरी के प्रार्थना पत्र सहित दि0 29-9-91 परगनाधिकारी, निघासन को प्राप्त कराया गया ? यदि हां, तो उक्त पत्र पर क्या कार्यवाही की गयी ? यदि नहीं, तो क्यों?

श्री ब्रह्मदत्त द्विवेदी–

जी हां ।

जांच के दौरान ग्रामवासियों ने बताया कि श्री सीताराम की मृत्यु हुए लगभग पांच वर्ष हो चुके हैं, उनके नाम से किसी ने फर्जी प्रार्थना-पत्र दिया है । अतः शेष का प्रश्न नहीं उठता ।

श्री बिन्द्रा नि0 ग्रा0 पचपोंड़ा, जनपद लखीमपुर खीरी के प्रार्थना पत्र के साथ संलग्न प्रश्नकर्ता के पत्र पर कृत कार्यवाही

131–श्री निरवेन्द्र कुमार–

क्या राजस्व मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रश्नकर्ता का पत्र सं0 759/91 बिन्द्रा नि0 ग्रा0 पचपोंडा. परगना निघासन, जनपद लखीमपुर खीरी के प्रार्थना पत्र सहित दिनांक 29-7-91 को परगनाधिकारी, निघासन को प्राप्त कराया गया? यदि हां, तो उक्त पत्र पर क्या कार्यवाही की गई? यदि नहीं, तो क्यों?

श्री ब्रह्मदत्त द्विवेदी–

जी हां।

जांच करने पर यह तथ्य प्रकाश में आया कि बिन्द्रा पुत्र मोहन लाल, ग्राम पचपोंडा रिछैया के पट्टे की भूमि की पैमाइश लेखपाल द्वारा की गयी, उसके पट्टे की भूमि पर कुछ हरिजनों के मकान बहुत समय से बने हुए हैं । शेष भूमि पर प्रार्थी का कब्जा पहले से ही है । जितने रकबे में आबादी बसी हुई है उसको पट्टे की भूमि से खारिज करने की कार्यवाही की जा चुकी है । अतः शेष का प्रश्न नहीं उठता ।

श्री बनवारी ग्रा0 परसपुर, जनपद लखीमपुर खीरी के प्रार्थना-पत्र के साथ सलंग्न प्रश्न-कर्ता के पत्र कृत कार्यवाही

132–श्री निरवेन्द्र कुमार–

क्या राजस्व मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रश्नकर्ता का पत्र सं0–913/91 बनवारी ग्रा0 परसपुर, परगना पलिया, जनपद लखीमपुर खीरी के प्रार्थना पत्र सहित दिनांक 3-8-91 को जिलाधिकारी, लखीमपुर खीरी को प्राप्त कराया गया ? यदि हां तो उक्त पत्र पर क्या कार्यवाही की गई ? यदि नही, तो क्यों ?

श्री बृह्मदत्त द्विवेदी–

जी हां ।

प्रार्थना-पत्र की जांच कराई गयी ।

शिकायत निराधार पायी गयी ।

शेष का प्रश्न नहीं उठता है ।

श्री रामसूरत पुत्र स्व0 श्री राम प्रसाद, निवासी-रिकाबगंज, फैजाबाद के प्रार्थना-पत्र पर कृत कार्यवाही

133–श्री पवन कमार पाण्डेय–

क्या खाद्य एवं रसद मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद फैजाबाद के बेरोजगार हरिजन युवक श्री रामसूरत पुत्र स्व0 श्री राम प्रसाद, निवासी मो0 रिकाबगंज ने पूर्व खाद्य मंत्री को सरकारी सस्ते गल्ले/चीनी आदि की दुकान हेतु लाइसेन्स आवंटित किये जाने में लगातार अन्याय होने विषयक कोई प्रार्थना-पत्र माह जनवरी, 1991 में प्रस्तुत किया है ? यदि हां, तो इस मामले में अब तक क्या कार्यवाही करायी गयी ? यदि नही, तो क्यों ?

श्री एजाज रिजवी–

जी हां ।

शिकायती पत्र की जांच जिलाधिकारी, फैजाबाद से करायी गयी । जांच में आरोप निराधार पाये गये ।

जिला नैनीताल की तराई कलानाइजिंग योजना में आवास का रकबा अलग-अलग न किया जाना

134–श्री भगवती सिंह विशारद–

क्या राजस्व मंत्री जिला नैनीताल की तराई-कालानाइजिंग योजना में नये आबाद हुए ग्रामों, जिनकी आबादी रकबा गिन-जुमला (एकजाई रकबा) है, में प्रत्येक आवास का रकबा अलग-अलग दर्ज कराने का आदेश प्रदान करेंगे ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री बृह्मदत्त द्विवेदी–

जी नहीं, क्योंकि प्रदेश में वर्तमान में लागू राजस्व विधियों में प्रत्येक आवास का रकबा अलग-अलग दर्ज कराने का प्राविधान नहीं है ।

नायब तहसीलदार, अकबरपुर, जिला–फैजाबाद, श्री गुलाब चन्द्र मौर्या, द्वारा श्री अलगू हरिजन निवासी हरखपुर-कांड़हा का प्रकरण न्यायालय में विचाराधीन होने के कारण कार्यवाही न किया जाना

135–श्री भगवती सिंह विशारद–

क्या राजस्व मंत्री कृपया बतायेंगे कि नायब तहसीलदार, अकबरपुर, जिला–फैजाबाद, श्री गुलाब चन्द्र मौर्या, द्वारा श्री अलगू हरिजन निवासी ग्राम हरखपुर-कांड़हा के प्रार्थना-पत्र पर दिनांक 26-6-85 को शासन को भेजी गई रिपोर्ट की मूल

रूप में सदन के पटल पर रखेंगे? क्या उक्त रिपोर्ट में कानूनगो द्वारा दिनांक 23-4-85 को खतौनी में वरासत आदेश प्र0 क0 11 के माध्यम से श्रीमती हुबिया के स्थान पर नान्हू व मुन्नू का नाम दर्ज करना स्वीकार किया गया है? क्या उक्त के संबंध में चकबन्दी में अभी तक वाद लम्बित है? यदि हां, तो अनियमित कार्य के लिए संबंधित अधिकारी के विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई है? यदि नहीं, तो क्यों? क्या सरकार उक्त अनियमित कार्यवाही को ठीक करने का आदेश देगी ? यदि नहीं, तो क्यों?

श्री ब्रह्मदत्त द्विवेदी--

नायब तहसीलदार की रिपोर्ट दिनांक 27-6-85 की है न कि 26-6-85 की ।

जी हां।

जी हां।

जी नहीं ।

प्रकरण के न्यायालय में विचाराधीन होने की अवधि में किसी अधिकारी या कर्मचारी के विरुद्ध कार्यवाही नहीं की जा सकी।

न्यायालय के निर्णयानुसार कार्यवाही की जायेगी।

श्री कौशल किशोर सिंह पुत्र श्री आर0 एन0 सिंह, गोपालपुर गोरखपुर पर बिक्रीकर का लाखों रुपया बकाया

136–श्री राधेश्याम वर्मा तथा

श्री छोटे लाल यादव–

क्या लोक निर्माण मंत्री कृपया बतायेंगे कि श्री कौशल किशोर सिंह पुत्र श्री आर0 एन0 सिंह, गोपालपुर, गोरखपुर के ऊपर वर्ष 1977-78 से 1984-85 तक बिक्रीकर का रुपया 2,40,541 बकाया है, जिसकी वसूली हेतु बिक्रीकर अधिकारी, खण्ड–4, गोरखपुर ने पत्रांक दिनांक 22-1-90 द्वारा अधिशासी अभियन्ता, प्रान्तीय खण्ड, लोक निर्माण विभाग, गोरखपुर को नोटिस दिया था? यदि हां, तो क्या अधिशासी अभियन्ता अपने पत्र संख्या—232/14 बी, दिनांक 24-1-90 को ओवरसाइट कर चेक संख्या–081/2191645, दिनांक 1-2-91 द्वारा श्री सिंह को रुपया 84,453 का भुगतान करके सरकारी कोष को क्षति पहुंचायी गयी थी ? यदि हां, तो राजकीय धन की वसूली में लापरवाही बरतकर राज्य को हानि पहुंचाने एवं ठेकेदार को नियम विरुद्ध भुगतान करने के लिए उपरोक्त अधिकारियों के विरुद्ध क्या कार्यवाही की गयी? यदि नहीं, तो क्यों?

डा0 सरजीत सिंह डंग–

जी हां । लेकिन बकाया रु0 2,40,641 था । जी हां। जी नहीं। ठेकेदार द्वारा किये जा रहे 5 लाख रुपये के कार्य के विरुद्ध 2.40 लाख रु0 बिक्री-कर के पेंडिंग रखकर रु0 84,453 का भुगतान किया गया था । बिक्री-कर अधिकारी खण्ड-4, गोरखपुर ने अपने पत्र संख्या-1552/वि0क0-4, दिनांक 26-3-90 द्वारा रोकी गई धनराशि का भुगतान फर्म को करने के आदेश मा0 न्यायालय द्वारा जारी स्थगनादेश के अनुपालन में दिये थे । प्रश्न नहीं उठता है ।

निर्माण खण्ड, लो0 नि0 वि0, जौनपुर के अधिशासी अभियन्ता पर भुगतान के सम्बन्ध में आरोप

137–श्री छोटे लाल यादव तथा
श्री राधेश्याम वर्मा–

क्या लोक निर्माण मंत्री कृपया बतायेंगे कि निर्माण खण्ड, लो0 नि0 वि0 जौनपुर में बाबा निर्माण संस्थान, भाटपाररानी, देवरिया व ए0 के0 एसोसिएट्स, गोरखपुर को किये गये रनिंग/फाइनल भुगतान के विरुद्ध आपूर्ति पूरी मात्रा में उपरोक्त फर्मों द्वारा कर दी गयी थी ? यदि नहीं, तो कितने लाख रुपए का अधिक भुगतान अधिशासी अभियन्ता द्वारा किया गया और इस अनियमितता के लिए शासन द्वारा उनके विरुद्ध क्या कार्यवाही की गयी?

डा0 सरजीत सिंह डंग–

जी हां । बाबा निर्माण संस्थान, भाटपाररानी द्वारा 9 अनुबन्धों के विरुद्ध केवल 6 का भुगतान किया गया है । दो अनुबन्धों का भुगतान नहीं हुआ तथा तीसरा अनुबन्ध निरस्त कर दिया गया है । ए0के0 एसोसिएट्स के 11 अनुबन्धों में से एक पर विभाग द्वारा तथा 2 पर ई0ए0सी0 द्वारा जांच की जा रही है ।

प्रश्न नहीं उठता ।

श्री सूर्यनाथ सिंह, सहायक अभियन्ता का स्थानान्तरण राष्ट्रीय मार्ग खण्ड, फैजाबाद किया जाना

138–श्री उमाकान्त यादव–

क्या लोक निर्माण मंत्री कृपया बतायेंगे कि श्रीमती कमला साहनी, तत्कालीन विधायिका की शिकायत की जांच पर मुख्य अभियन्ता, लो0 नि0 वि0, गोरखपुर ने अपने पत्रांक संख्या-6077/221 परि0 गो0 म0/89, दिनांक 29-10-91 द्वारा श्री सूर्यनाथ सिंह, सहायक अभियन्ता को सरकारी रिकार्ड में हेराफेरी करने एवं राज्य धन को क्षति पहुंचाने एवं गबन करने के लिए जिम्मेदार ठहराया गया है? यदि हां, तो शासनादेश संख्या–2772 ई0 जी0/23-लो0 नि0-अनु-5-49 ई0 जी0/91, दिनांक 25-7-91 के अनुपालन में श्री सिंह को अकार्यकारी खण्ड में स्थानान्तरित कर दिया गया है? यदि नहीं, तो क्यों? यदि किया जायेगा, तो कब तक ?

डा0 सरजीत सिंह डंग–

प्रश्न में सन्दर्भित पत्र द्वारा श्री सूर्यनाथ सिंह, सहायक अभियन्ता तथा अन्य के विरुद्ध प्रथम दृष्ट्या कतिपय अनियमिततायें प्रकाश में आयी है, जिनके सम्बन्ध में श्री सिंह सहायक अभियन्ता से स्पष्टीकरण मांगा जा रहा है । श्री सिंह प्रश्न में उल्लिखित शासनादेश के अनुसार स्थानान्तरण के पात्र नहीं थे, किन्तु प्रशासनिक कारणों से श्री सिंह का स्थानान्तरण राष्ट्रीय मार्ग खण्ड, फैजाबाद किया गया है ।

प्रश्न नहीं उठता ।

प्रान्तीय खण्ड, गोण्डा के श्री आर0 बी0 सिंह, अधिशासी अभियन्ता को नोटिस तथा श्री सी0 डी0 राय सहायक अभियन्ता को निलम्बित किया जाना

139—श्री उमाकान्त यादव—

क्या लोक निर्माण मंत्री कृपया बतायेंगे कि श्री हरिबंश सहाय, विधायक की शिकायत दिनांक 1-1-90 पर अधीक्षण अभियन्ता, 59वां वृत्त, लो0 नि0 वि0 गोरखपुर ने जांच की थी तथा जांच आख्या अपने पत्रांक–1683/5–कैम्प–59/90, दिनांक 5-5-90 द्वारा प्रमुख अभियन्ता लखनऊ को भेज दिया है ? क्या जांच में तत्कालीन अधिशासी अभियंता, प्रान्तीय खण्ड, गोण्डा श्री आर0 बी0 सिंह एवं श्री सी0 डी0 राय, सहायक अभियंता दोषी पाये गये हैं ? यदि हां, तो क्या इस अनियमितता के लिए इन दोनों अभियन्ताओं को निलम्बित कर दिया गया है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

डा0 सरजीत सिंह डंग–

जी हां ।

जी हां ।

प्रश्नगत प्रकरण में श्री सी0 डी0 राय, सहायक अभियन्ता को निलम्बित किया जा चुका है तथा श्री आर0 बी0 सिंह, अधिशासी अभियन्ता को कारण बताओ नोटिस देने का निर्णय लिया गया है ।

शासन की नीति के अनुसार जिलाधिकारी बांदा के आदेश पर लेखपालों का स्थानान्तरण

140—श्री राम प्रसाद सिंह—

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि जनपद बांदा जिला अधिकारी, बांदा के आदेश दिनांक 10-8-91 के द्वारा 135 लेखपालों का स्थानान्तरण किया गया है ? यदि हां, तो क्या शासन की नीति के अनुसार 31-7-91 के बाद स्थानान्तरण किया जाना शासन के आदेशों का उल्लंघन है ? क्या उसमें कोई कार्यवाही की जाएगी ? यदि हां, तो क्या ? यदि नहीं, तो क्यों?

श्री ब्रह्मदत्त द्विवेदी—

जी हां !

शासन की नीति के अनुसार 31 जुलाई, 1991 के बाद अपरिहार्य परिस्थितियों में स्थानान्तरण के लिए प्राधिकृत अधिकारी से एक स्तर ऊपर के अधिकारी के अनुमोदन से स्थानान्तरण किये जाने की व्यवस्था है । प्रश्नगत स्थानान्तरण लेखपालों की तैनाती/स्थानान्तरण की 20 मार्च, 1991 से लागू नई नीति के अनुसार किये गये हैं, जिसमें शासन के किसी आदेश का उल्लंघन नहीं हुआ है । इसलिए किसी कार्यवाही की आवश्यकता नहीं है ।

जनपद बांदा के तहसील कर्वी के प्रधान एवं ग्रामवासियों द्वारा प्रधान लेखपाल पर कथित आरोप

141—श्री राम प्रसाद सिंह—

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि जनपद बांदा के तहसील कर्वी के गांव पहाड़िया बुजुर्ग सानी के प्रधान एवं गांववासियों ने दिनांक 14-5-91 को अधर जिला अधिकारी (प्रशा) कर्वी, जिला अधिकारी, बांदा, कमिश्नर, झांसी आदि को डगर मीटिंग की जानकारी प्रधान लेखपाल द्वारा अवैध रूप से की गयी कार्यवाही की शिकायत दी है ? यदि हां, तो उसमें क्या कार्यवाही की गयी है ? यदि हां, तो क्यों ? क्या इन पदों की कार्यवाही में पू0 लेखपाल इन्द्रपाल सिंह के द्वारा स्थानान्तरण के बाद कार्यवाही करने का आरोप है ? यदि हां, तो क्या इसमें जांच की जायेगी ? यदि हां, तो कब तक ?

श्री ब्रह्मदत्त द्विवेदी—

जी हां । इस शिकायत में भूतपूर्व लेखपाल श्री इन्द्रपाल सिंह के द्वारा स्थानान्तरण के बाद कार्यवाही करने का आरोप लगाया गया है, जिसकी जांच हो रही है ।

सिसंवा बाजार जनपद महराजगंज की कतिपय सड़कों के सुधार हेतु स्वीकृत धनराशि और व्यय की गयी धनराशि का विवरण

142—श्री शिवेन्द्र सिंह—

क्या लोक निर्माण मंत्री को जानकारी है कि दिनांक 30 मार्च, 1988 के लोक निर्माण अनुभाग—11 की अधिसूचना सं0—1918 ई0/23 सा0 नि0 वि0 अनु-11 सिसवा बाजार ज0 महराजगंज की सड़कों की सुधार हेतु 45,25000 रुपया स्वीकृत हुआ था ? यदि हां, तो उसमें कितना पैसा निर्माण में व्यय हुआ था? शेष धन क्या हुआ? क्या इस अधिसूचना के पैरा-3 के द्वारा यह उल्लेख था कि सक्षम अधिकारी से स्वीकृति प्राप्त कर निर्माण कराया जाय ? यदि हां, तो शेष बची सड़कों का निर्माण बचे हुए धन से सक्षम अधिकारी द्वारा स्वीकृत कराकर क्यों नहीं किया गया ? क्या इसमें किसी लापरवाही का मामला प्रकाश में आया है ? क्या शेष धन से बाकी बचे मार्गों का भी निर्माण करायेंगे ? यदि हां, तो कब तक? यदि नहीं, तो क्यों?

डा0 रणजीत सिंह डंग—

जी हां । माह जनवरी, 1992 तक कुल व्यय रु0 35.00 लाख हुआ है । शेष धन का अभी व्यय नहीं हुआ । जी हां । जिन मार्गों के निर्माण कार्य स्वीकृति के अनुसार प्रस्तावित थे, उन पर सक्षम अधिकारी की स्वीकृति प्राप्त कर ही कार्यवाही की गयी है । जी, नहीं । स्वीकृत मार्गों का निर्माण कार्य पूर्ण है । केवल कुछ नालों/नालियों का निर्माण कार्य अवशेष है । प्रश्न नहीं उठता । अवशेष नालों/नालियों का निर्माण विवादित भूमि की अनुपलब्धता के कारण सम्प्रति संभव नहीं है ।

143–श्री राम औतार शाक्य–

[दिनांक 13-2-92 को अता0 प्र0 सं0 121 द्वारा उत्तरित]

जनपद मैनपुरी के सलेमपुर में ईसन नदी पर पुल निर्माण कराये जाने की मांग

144–श्री राम औतार शाक्य–

क्या लोक निर्माण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि विधान सभा क्षेत्र भोगांव, जनपद मैनपुरी में सलेमपुर पढीना घाट पर ईसन नदी पर पुल निर्माण कराये जाने की सरकार की क्या कोई योजना है ? यदि हां, तो पुल निर्माण कब तक कराया जायेगा? यदि नहीं, तो क्यों?

डा0 सरजीत सिंह डंग–

जी नहीं । प्रश्न नहीं उठता । सीमित वित्तीय संसाधनों के कारण ऊपूर्ण पुलों को पूर्ण कराने को प्राथमिकता दी जा रही है

विद्युत खण्ड अनुरक्षण खण्ड-2 में वर्तमान नीति के संदर्भ में वेतनभोगी कर्मचारियों को परमानेन्ट मस्टर रोल में न रखे जाने के कारणों की जानकारी

145–श्री सन्त बख्श रावत–

क्या लोक निर्माण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि विद्युत अनुरक्षण खण्ड–2 में सन् 1984 से दैनिक वेतन पर कर्मचारी कार्यरत हैं ?यदि हां, तो कार्यरत कर्मचारियों का विवरण क्या है और इनको अभी तक परमानेन्ट मस्टर रोल पर न रखे जाने का क्या कारण है? क्या यह सही है कि दैनिक वेतनभोगी कर्मचारियों को 3 वर्ष बाद परमानेन्ट मस्टर रोल पर रखे जाने का प्राविधान है ? यदि हां, तो इनको कब तक परमानेन्ट मस्टर रोल पर रख दिया जायेगा? यदि नहीं, तो क्यों?

डा0 सरजीत सिंह डंग–

जी हां । विवरण संलग्न है ।

शासनादेश संख्या-6732/23-4-89-145एनजी/88, दिनांक 12-2-90 द्वारा वर्कचार्ज कर्मचारियों की संख्या को फ्रीज कर दिया गया है । परमानेन्ट मस्टर रोल के कर्मचारियों को भी वर्कचार्ज की श्रेणी में माना जाता है । इस सम्बन्ध में प्रमुख अभियन्ता के वर्ष 1989 के निर्णय का अतिक्रमण उपर्युक्त शासनादेश से हो चुका है । वर्तमान नीति के संदर्भ में यह संभव नहीं है ।

प्रश्न नहीं उठता ।

(देखिए नत्थी 'ट' आगे पृष्ठ 217 पर)

श्री ओम प्रकाश श्रीवास्तव, लेखपाल, तहसील मुसाफिरखाना, जिला सुल्तानपुर को, विभाग द्वारा सभी प्रकार के बकाया देयों का भुगतान

146–श्री महेन्द्र नाथ पाण्डेय–

क्या राजस्व मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि तहसील मुसाफिरखाना, जिला-सुल्तानपुर के भू0 पू0 लेखपाल, श्री ओम प्रकाश श्रीवास्तव के जी0पी0एफ0 खाता संख्या-एल0आर0सी0/

699 में वर्ष 1981 में लेजर शीट में अंकित धनराशि रु0 1617.00 का भुगतान आठ वर्षों के बाद बिना ब्याज की गणना किए ही दिनांक 8-12-89 को किया गया है ? यदि नहीं, तो उक्त में किस-किस दर से कुल कितने ब्याज की धनराशि का भुगतान किया गया? दिनांक 1-7-1979 के वेतन आयोग के शासनादेश से संस्तुत नये वेतन के सम्बन्ध में (लगभग 29 माह का वेतन) भुगतान के आदेश का अनुपालन अब तक क्यों नहीं किया गया? क्या श्री श्रीवास्तव के जी0पी0एफ0 खाते में उक्त वेतन का बकाया जमा किया गया? यदि उन्हें भुगतान नहीं किया गया तो क्यों? यदि भुगतान किया जायेगा तो कब? क्या सरकार दोषी कर्मचारी/अधिकारी के विरुद्ध कार्यवाही करेगी? यदि नहीं, तो क्यों?

श्री ब्रह्म दत्त द्विवेदी–

जी हां, श्री ओम प्रकाश श्रीवास्तव 15-2-77 को लेखपाल पद पर नियुक्त हुये और 31-10-81 को सेवा से पृथक किये गये । उनके जी0पी0एफ0 का लेजर सीट में अंकित धनराशि रु0 1617 मनीआर्डर द्वारा कमीशन काटकर भेज दिया गया । सेवा समाप्ति के 6 माह के अन्दर कर्मचारी को आवेदन पत्र देना चाहिये जो नहीं दिया गया । परगनाधिकारी द्वारा अन्तिम भुगतान आदेश 2-12-83 को जारी किया गया परन्तु चूंकि श्री श्रीवास्तव अपने मूल निवास पर रहते हुये नहीं पाये गये, इसलिये उनका सही पता मिलने पर ही भुगतान किया गया । 1-7-79 से वेतन आयोग के शासनादेश के अनुसार बढ़े हुये वेतन का भुगतान सेवा अवधि में ही किया जा चुका है । श्री श्रीवास्तव के जी0 पी0 एफ0 के वेतन आयोग की संस्तुति के अनुसार वेतन का बकाया जमा किया गया, जिसका भुगतान भी 8-12-89 को किया जा चुका है । विलम्ब के लिये कोई कर्मचारी/अधिकारी दोषी नहीं है । इसलिये उनके विरुद्ध कोई कार्यवाही अपेक्षित नहीं है ।

आई0 सी0 डी0 एस0, लालगंज जनपद मिर्जापुर का कार्यालय वर्तमान में लालगंज में रखने की मांग

147–श्री हरिशंकर तिवारी*

दशम् विधान सभा के प्रथम सत्र 1991 के प्रथम शुक्रवार के लिये निर्धारित अतारांकित प्रश्न संख्या-26 के उत्तर के संदर्भ में समाज कल्याण मंत्री को जानकारी है कि आई0 सी0 डी0एस0 लालगंज (मिर्जापुर) का कार्यालय वहां से 10 कि0मी0 दूर साधन विहीन स्थान दुबार में रखा गया है ? यदि हां, तो उक्त कार्यालय शासन/विभाग के बार-बार निर्देश के बावजूद वहां क्यों रखा गया है ? क्या सरकार इस कार्यालय को लालगंज लाने के लिए निर्देश देगी ? यदि नहीं, तो कार्यालय भवन को दुबार में रखने का औचित्य क्या है ? कार्यालय लालगंज में कब तक स्थापित करा दिया जायेगा?

श्री रमापति शास्त्री–

वर्तमान में यह कार्यालय लालगंज में स्थित है । प्रश्न नहीं उठता ।

जनपद मिर्जापुर में कार्यरत 318 लेखपालों में से 197 लेखपालों का स्थायीकरण

148–श्री हरिशंकर तिवारी–

क्या राजस्व मंत्री को ज्ञात है कि जनपद मिर्जापुर में कुल कितने लेखपाल तीन वर्षों से कार्यरत हैं, जिनका अब तक स्थायीकरण नहीं किया गया है ? क्या यह सच है कि जिले की लालगंज, मड़िहान तहसील में संवारत अस्थायी लेखपालों को अब तक स्थायी न किए जाने से उनकी सेवाओं का शोषण किया जा रहा है ? सरकार इस जिले में कार्यरत ऐसे लेखपालों को कब तक स्थायी करा देगी?

श्री ब्रह्म-दत्त द्विवेदी–

प्राप्त सूचना के अनुसार जनपद मिर्जापुर में तीन वर्षों से कुल 318 लेखपाल कार्यरत हैं जिनमें से 197 लेखपालों को स्थायी किया जा चुका है, शेष 121 अस्थायी हैं, जिनमें 17 लेखपाल अप्रशिक्षित हैं, जो उच्च न्यायालय के स्थगन-आदेश के अन्तर्गत कार्यरत हैं, 5 लेखपाल आश्रित सेवा नियमावली के अन्तर्गत जिनका स्थायीकरण परिपक्व नहीं है । तहसील लालगंज के 33, मड़िहान तहसील के 11 तथा चुनार के 26 और सदर तहसील के 29 लेखपालों (कुल 99) की परीक्षा अवधि समाप्त हो चुकी है, उनके स्थायीकरण की कार्यवाही की जा रही है । माह मार्च, 1992 तक यह कार्यवाही पूर्ण कर ली जायेगी । इस प्रकार इन कर्मचारियों की सेवाओं का शोषण नहीं किया जा रहा है ।

जनपद बांदा के कर्वी तहसील के लेखपालों का स्थानान्तरण

149–श्री राम प्रसाद सिंह–

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि जनपद बांदा में जिला अधिकारी–बांदा द्वारा दिनांक 14-8-91 को कर्वी तहसील के पांच लेखपालों का स्थानान्तरण किया गया है ? यदि हां, तो उनका स्थानान्तरण दिनांक 10-8-91 की पूर्व सामान्य सूची में न करने का क्या कारण रहा है ? क्या इन स्थानान्तरणों में शासन की नीति दिनांक 31 जुलाई, 91 से पूर्व स्थानान्तरण की नीति का उल्लंघन हुआ है ? यदि हां, तो क्या शासन/प्रशासन स्थानान्तरण के इस प्रकरण की जांच करके दोषी के विरुद्ध कार्यवाही करने पर विचार कर रहा है ? यदि हां, तो क्या ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री ब्रह्मदत्त द्विवेदी–

जी हां ।

दिनांक 14-8-91 को कर्वी तहसील जनपद बांदा के पांच लेखपालों का स्थानान्तरण प्रशासनिक आधार पर किया गया है । दिनांक 10-8-91 को किए गए स्थानान्तरण सामान्य स्थानान्तरण थे । स्थानान्तरण करने वाले अधिकारी से एक स्तर ऊपर के अधिकारी के अनुमोदन से उक्त स्थानान्तरण किए गए हैं । इस कार्यवाही में शासन की स्थानान्तरण नीति का उल्लंघन नहीं हुआ है । इसलिए जांच की आवश्यकता नहीं है ।

विधान सभा क्षेत्र, भोगांव, मैनपुरी में सीमित संसाधनों को देखते हुए अपूर्ण सेतुओं के कार्यों को वरीयता दिया जाना

150–श्री राम अंतार शाक्य–

क्या लोक निर्माण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि विधान सभा क्षेत्र भोगांव, मैनपुरी में ईसन नदी या काली नदी पर कोई पुल स्वीकृत हुआ है ? यदि नहीं, तो क्यों ? क्या हुमायूंपुर राजघाट काली नदी एवं बौद्ध जगत के तीर्थ स्थल सकिसा से भोगांव को जोड़े जाने के लिए सड़क का निर्माण कराया जाना शासन के विचाराधीन है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

डा0 सरजीत सिंह डंग–

जी नहीं ।

प्रदेश के सीमित संसाधनों के परिपेक्ष्य में अपूर्ण सेतुओं को संसाधन आवंटन में वरीयता दी जा रही है ।

जी नहीं ।

यह मार्ग जिला योजना की परिधि में आता है ।

राजकीय आवासीय कालोनी, रावतपुर, कानपुर नगर के कर्मचारियों/अधिकारियों से किराया वसूल करने की कार्यवाही

151–श्री किशन लाल दिलेर–

क्या लोक निर्माण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि राजकीय आवासीय कालोनी, रावतपुर, कानपुर नगर में ऐसे कितने कर्मचारी/अधिकारी रह रहे हैं जो या तो सेवानिवृत्त हो गए हैं अथवा अनेक वर्षों पहले स्थानान्तरण पर दूसरे जनपदों में सेवारत हो गए हैं ? क्या उनसे "स्टेण्डर्ड रेन्ट" व पैनल रेन्ट वसूला जा रहा है ? यदि नहीं, तो इस प्रकरण में क्या तत्कालीन अपर जिलाधिकारी (नगर) श्री वी0 वी0 सिंह दोषी हैं ? यदि हां, तो उनके विरुद्ध क्या कार्यवाही हुई ? यदि नहीं, तो क्यों ?

डा0 सरजीत सिंह डंग–

जी हां । राजकीय कालोनी, रावतपुर में 14 सेवानिवृत्त तथा 12 स्थानान्तरित अधिकारी/कर्मचारी रह रहे हैं । ऐसे अधिकारियों/कर्मचारियों के विरुद्ध "स्टेण्डर्ड रेन्ट" व "पैनल रेन्ट" से किराया वसूलने की कार्यवाही प्रशासनिक स्तर पर तथा न्यायालयों में वाद दायर कर, की जा रही है ।

प्रकरण में उत्तरदायित्व निर्धारित किया जा रहा है ।

रावतपुर कालोनी कानपुर नगर में नवनिर्मित श्रेणी–4 आवास, व्हे जिलाधिकारी द्वारा निगमों के अधिकारियों को आवंटित किया जाना

152–श्री किशन लाल दिलेर–

क्या लोक निर्माण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि नवनिर्मित श्रेणी-4 आवास, रावतपुर कालोनी कानपुर नगर में उनके विभाग के शासनादेश के विपरीत "निगम" में कार्यरत

कर्मचारी/अधिकारी को आवास आवंटित किए हैं तथा इस प्रकरण में तत्कालीन अपर जिलाधिकारी नगर श्री बी0 बी0 सिंह दोषी हैं ? यदि हां, तो उनके विरुद्ध क्या कार्यवाही हुई ? यदि नहीं, तो क्यों ?

डा0 सरजीत सिंह डंग–

जी, हां । विशेष परिस्थितियों में जिलाधिकारी के अनुमोदन से निगमों के अधिकारियों को आवास आवंटित किये गये थे ।

जी नहीं ।

प्रश्न नहीं उठता ।

पूल्ड आवास के श्रेणी-4 के आवासों का आवंटन का अधिकार केवल जिलाधिकारी को है ।

श्री राम चन्द्र ग्राम लालपुर, जनपद लखीमपुर खीरी के प्रार्थना पत्र के साथ संलग्न प्रश्नकर्ता के पत्र पर कृत कार्यवाही

153–श्री निरवेन्द्र कुमार–

क्या राजस्व मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रश्नकर्ता का पत्र श्री रामचन्द्र ग्राम लालपुर परगना पलिया जनपद लखीमपुर खीरी के प्रार्थना पत्र सहित पत्र सं0-744/91, दिनांक 29-7-91 द्वारा परगनाधिकारी निघासन खीरी को प्राप्त कराया गया ? यदि हां, तो उक्त पत्र पर क्या कार्यवाही की गई ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री ब्रह्मदत्त द्विवेदी–

जी हां । प्रश्नकर्ता का पत्र सं0–774/91 श्री रामचन्द्र आदि ग्राम लालपुर के प्रार्थना-पत्र सहित दिनांक 29-7-91 को प्राप्त हुआ है ।

जांच से यह विदित हुआ कि स्थगन आदेश होने के कारण पट्टेदारों को ग्राम-भदेहा में कब्जा नहीं हो सका । वाद अपर कलेक्टर खीरी के न्यायालय में विचाराधीन है, जिसके निस्तारण होने के पश्चात् पट्टेदारों की भूमि पर कब्जा दिलाने हेतु नियमानुसार कार्यवाही की जायेगी । शेष का प्रश्न नहीं उठता ।

श्री अमृतलाल, ग्राम परसपुर, जनपद लखीमपुर खीरी के प्रार्थना पत्र के साथ संलग्न प्रश्नकर्ता के पत्र पर कृत कार्यवाही

154–श्री निरवेन्द्र कुमार–

क्या राजस्व मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रश्नकर्ता का पत्र सं0-810/90 श्री अमृत लाल, ग्रा0 परसपुर, परगना पलिया कलां, जनपद लखीमपुर खीरी के प्रार्थना पत्र सहित परगनाधिकारी, निघासन को दिनांक 29-7-91 को प्राप्त कराया गया ? यदि हां, तो उक्त पत्र पर क्या कार्यवाही की गयी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री ब्रह्मदत्त द्विवेदी–

जी हां ।

श्री अमृत लाल का विवाद पुरानी आबादी के संबंध में पड़ोसियों से था जो गांव वालों द्वारा आपस में वार्ता करके हल कर लिया गया है ।

शेष का प्रश्न नहीं उठता ।

श्री सुखदेव सिंह पुत्र श्री भाग सिंह निवासी गदनिया, जनपद लखीमपुर खीरी के मकान की छत मिलावटी सीमेंट के फलस्वरूप गिरने की शिकायत की जांच

155–श्री निरवेन्द्र कुमार–

क्या खाद्य एवं रसद मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि श्री सुखदेव सिंह पुत्र श्री भाग सिंह निवासी गदनिया थाना सम्पूर्णानगर जनपद लखीमपुर खीरी का एक आवेदन पत्र थानाध्यक्ष पलिया कलां को दुकानदार सुरेश चन्द्र द्वारा मिलावटी सीमेंट बेचे जाने के फलस्वरूप प्रार्थी की छत गिर जाने आदि से संबंधित दिनांक 3-9-91 को प्राप्त कराया गया ? यदि हां, तो दोषी के विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई ? क्या मुकदमा पंजीकृत किया गया ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री एजाज रिजवी–

जी हां । जांच के दौरान पाया गया कि छत गिरने का कारण सीमेंट नहीं है बल्कि अन्य तकनीकी कारणों से छत गिरी । अतः दुकानदार के विरुद्ध किसी कार्यवाही का प्रश्न नहीं उठता ।

दुगड्डा के कालागढ़, पौड़ी गढ़वाल के राशन कार्डों की जांच

156–श्री ओम प्रकाश (गोरखपुर)–

क्या खाद्य एवं रसद मंत्री को जानकारी है कि परगनाधिकारी कोटद्वार जनपद पौड़ी गढ़वाल द्वारा दिनांक 21-9-90 आदेश संख्या-मंमो/आ0 न0-90 राशन कार्डों की जांच कालागढ़ क्षेत्र (पौड़ी गढ़वाल) हेतु नायब तहसीलदार कोटद्वार को सौंपी गयी थी ? यदि हां, तो जांच अधिकारी द्वारा क्या रिपोर्ट दी गई और रिपोर्ट के आधार पर क्या कार्यवाही की गई ? क्या यह सत्य है कि जांच अधिकारी की स्पष्ट रिपोर्ट के बाद भी आपूर्ति निरीक्षक के विरुद्ध परगनाधिकारी कोटद्वार द्वारा जानबूझकर कोई कार्यवाही नहीं की गई है ?

श्री एजाज रिजवी–

जी हां ।

जांच में संबंधित पूर्ति निरीक्षक दुगड्डा के कालागढ़ क्षेत्र के राशन कार्डों की जांच में अनियमितता बरतने का दोषी नहीं पाया गया । अतः कार्यवाही का प्रश्न नहीं उठता।

प्रश्न नहीं उठता ।

जनपद गाजीपुर के ग्राम सुखपुरा के निवासी बृजवासी पुत्र श्री राम लच्छन का नाम अपर आयुक्त द्वारा काटा जाना

157–श्री अफजाल अंसारी–

क्या राजस्व मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद गाजीपुर की तहसील मुहम्मदाबाद के ग्राम सभा सुखपुरा में गांव समाज की बहुत सी जमीनों पर बड़े-बड़े काश्तकारों ने राजस्व अभिलेखों में अपने नाम का वर्ग 4 में इंद्राज करा लिया है जबकि मौके पर राजभर जाति के गरीब मजदूर बहुत पहले से आबाद हैं ? क्या मंत्री जी को ज्ञात है कि इसी गांव सभा के

बृजवासी प्रधान नामक एक व्यक्ति ने गांव समाज की एक जमीन पर वर्ग 4 का इन्द्राज कराया है और राजस्व अधिकारियों को मिला कर इसी वर्ष उस जमीन का भूमिधर भी बन गया है ? यदि हां, तो क्या मंत्री जी अब उस गांव समाज की भूमि पर पुनः गांव समाज का नाम चढ़ाने हेतु कार्यवाही करेंगे ?

श्री ब्रह्मदत्त द्विवेदी–

जी हां । ग्राम सभा सुखपुरा की भूमि पर 10 व्यक्ति काबिज हैं जो वर्ग-4 में अंकित हैं । ग्राम सरदारपुर के गाटा सं0-2 संगठक में 2 राजभरों की झोपड़ियां विगत चार माह के अंदर की बनी हुई हैं ।

आराजी नं0-2 संगठक रकबा 2-0-0 स्थित मौजा सरदारपुर बृजवासी पुत्र राम-लच्छन निवासी सुखपुरा के नाम वर्ग-4 अंकित था जिसे अपर आयुक्त प्रथम के न्यायालय में वाराणसी के आदेश दिनांक 17-1-91 द्वारा ग्राम सभा के नाम से काट कर बृजवासी के नाम संक्रमणीय भूमिधरी में अंकित कर दिया गया है । इन आदेशों के विरुद्ध "रेस्टोरेशन" आवेदन पत्र संबंधित न्यायालय में प्रस्तुत किया जा चुका है ।

तहसील अकबरपुर जिला फैजाबाद में ग्राम ससपना के प्रधान पर अनियमितता बरतने की शिकायतों की जांच

158–श्री भगवती सिंह विशारद–

क्या राजस्व मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि पूर्व विधायक श्री प्रियदर्शी जैतली ने तहसील-अकबरपुर, जिला-फैजाबाद के प्रधान, ग्राम सभा-ससपना के विरुद्ध भारी अनियमितता की शिकायत माह सितम्बर, 1990 से माह जनवरी, 1991 के बीच जिलाधिकारी को पत्र लिखकर की है ? यदि हां, तो वे मुख्य शिकायतें क्या हैं ? जांच में क्यो तथ्य प्रकाश में आये हैं और अब तक उन पर क्या कार्यवाही की गई है ? यदि नहीं, तो क्यों?

श्री ब्रह्मदत्त द्विवेदी–

प्रश्नगत पत्र प्राप्त नहीं हुआ, बल्कि दिनांक 3-4-91 को शिकायती पत्र प्राप्त हुआ है । प्रधान गांव-सभा ससपना के विरुद्ध जवाहर रोजगार योजना तथा डीजल मिट्टी तेल के संबंध में शिकायत है । जांच में जवाहर रोजगार योजना से संबंधित कोई अनियमितता नहीं पायी गई है । अन्य विषयक जांच हो रही है ।

अकबरपुर जनपद फैजाबाद के ग्राम दरगाह शाह रमजान के लेखपाल व प्रधान पर राजस्व अभिलेखों में हेराफेरी करने का आरोप

159–श्री भगवती सिंह विशारद–

क्या राजस्व मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि पूर्व विधायक श्री प्रियदर्शी जैतली द्वारा अकबरपुर जनपद फैजाबाद के ग्राम दरगाह शाह रमजान के लेखपाल व प्रधान द्वारा भूमिहीनों को दिए जाने वाले पट्टों में भारी जालसाजी राजस्व अभिलेखों मे हेरा-फेरी की शिकायत आवश्यक प्रमाण पत्रों के साथ माह जुलाई, अथवा अगस्त, 1987 में राजस्व मंत्री को दी थी ? यदि हां, तो संबंधित शिकायती पत्र व जांच रिपोर्ट को सदन के पटल पर रखते हुए यह बताने की कृपा करेंगे कि उक्त जांच में क्या तथ्य प्रकाश में आये और उन पर क्या कार्यवाही की गई ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री ब्रह्मदत्त द्विवेदी–

जी हां । प्रश्नगत शिकायती पत्र दिनांक 10-7-87 को दिया गया था ।

शिकायती पत्र की जांच में पाया गया कि 44 व्यक्तियों को कृषि भूमि आवंटित किए जाने का प्रस्ताव किया गया था । इनमें 12 आवंटी पात्रता की श्रेणी में नहीं पाये गये । शेष 32 के आवंटन प्रस्ताव स्वीकृत किये गये । श्री मुरली आदि द्वारा पट्टा निरस्तीकरण के बाद प्रस्तुत करने पर आवंटियों की पात्रता की पुनः जांच करायी गयी और तहसीलदार अकबरपुर ने 4 आवंटियों को अपात्र अवधारित करते हुए इनके आवंटन को निरस्त करने की संस्तुति की है ।

श्री मुरली आदि के वाद पत्र दिनांक 8-8-86/12-8-86 के अन्तर्गत 15 आवंटियों के विरुद्ध उ0 प्र0 जमींदारी विनाश एवं भूमि व्यवस्था अधिनियम की धारा–198 (4) के अन्तर्गत वाद विचाराधीन है । न्यायालय के निर्णय के उपरान्त अग्रिम कार्यवाही की जायेगी । प्रकरण न्यायालय में विचाराधीन है अतएव सदन में शिकायती पत्र व जांच रिपोर्ट रखना उचित नहीं होगा ।

फ्री सेल चीनी वितरण का लाइसेंस उप क्षेत्रीय विपणन अधिकारी या खाद्य नियंत्रक अधिकारी द्वारा दिया जाना

160–श्री उमाकान्त यादव–

क्या खाद्य एवं रसद मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि फ्री सेल चीनी वितरण के लाइसेंस देने की क्या प्रक्रिया है ? बलिया जनपद के बिल्थरा रोड व नगरा में कितनी-कितनी फ्री सेल चीनी की दुकानें चल रही हैं ? कितनी-कितनी ऐसी फ्री सेल की दुकानें चल रही हैं जिनका लाइसेंस नवीनीकृत नहीं हुआ है ? क्या सरकार उन अनियमित चीनी की दुकानों की जांच करायेगी जो बिना लाइसेंस की चलती हैं तथा उनको सरकारी सस्ते गल्ले की दुकानों की चोर बाजारी की चीनी ऊंचे दामों पर बेच दी जाती है ? क्या सरकार उनके विरुद्ध कार्यवाही करेगी ?

श्री एजाज रिजवी–

चीनी के लाइसेंस निर्धारित प्रतिभूति तथा फीस जमा किये जाने पर और सभी आवश्यक औपचारिकतायें पूर्ण करने पर उपक्षेत्रीय विपणन अधिकारी द्वारा जारी किये जाते हैं । जिन जनपदों में उपक्षेत्रीय विपणन अधिकारी तैनात नहीं है वहां यह लाइसेंस संभागीय खाद्य नियंत्रक द्वारा दिये जाते हैं । भारत सरकार के निर्देशों के अनुरूप चीनी के नए लाइसेंस जनपद में दिनांक 1-8-90 को प्रचलित चीनी के कुल लाइसेंसों के 50 प्रतिशत तक ही दिये जा सकते हैं ।

टाउन एरिया बिल्थरा रोड में 6 फ्री सेल थोक चीनी तथा 2 फुटकर लाइसेंस की दुकानें चला रही है । नगर में फ्री सेल लाइसेंस की कोई दुकान नहीं है ।

बिना लाइसेंस नवीनीकरण के फ्री सेल की दुकान चलाने के बारे में कोई सूचना शासन को नहीं है ।

इस आशय की विशिष्ट सूचना मिलने पर नियमानुसार कार्यवाही की जाती है ।

जनपद बलिया के क्षेत्रीय खाद्य अधिकारी तथा पूर्ति निरीक्षक द्वारा सरकारी सस्ते गल्ले की दुकानों पर छापा मारा जाना

161—श्री उमाकान्त यादव—

क्या खाद्य एवं रसद मंत्री को जानकारी है कि माह अक्टूबर व नवम्बर, 1991 के दौरान सार्वजनिक वितरण प्रणाली के सुधार संबंधी सरकारी आदेश पर जिलापूर्ति कार्यालय बलिया के किसी अधिकारी ने निरीक्षकों सहित छापा मार कर विकास खण्ड सीयर में कस्बा बिल्थरा रोड की 5 सरकारी सस्ते गल्ले की दुकानें व विशुनपुरा, चैनपुर गुलौरा में स्थित सरकारी सस्ते गल्ले की दुकानों को अनियमित पाते हुए स्थानीय पुलिस के सहयोग से उन दोषी पाये गये दुकानदारों को गिरफ्तार कराकर हवालात में बंद कराया तथा आवश्यक वस्तु अधिनियम के अन्तर्गत मुकदमा कायम कराया? क्या इसकी रिपोर्ट जिला प्रशासन को भी दे दी गयी है? क्या सरकार को यह भी जानकारी है कि उक्त अभियुक्तगण थाना उभांव (संबंधित) से बिना जमानत के छोड़ दिए गए हैं? क्या सरकार इस प्रकरण की जांच कराते हुए दोषी व्यक्तियों को दण्डित करायेगी?

श्री एजाज रिजवी—

जी नहीं । प्रश्नगत मामले में दिनांक 18-11-91 को श्री हरिश्चन्द्र बहादुर सिंह, क्षेत्रीय खाद्य अधिकारी एवं श्री वी0 के0 जायसवाल, पूर्ति निरीक्षक द्वारा सर्वश्री वीरेन्द्र कुमार, सरकारी सस्ता गल्ला/चीनी विक्रेता, केन्द्र चन्द्राकर कला एवं कुबेर प्रसाद सरकारी सस्ता गल्ला/चीनी विक्रेता चैनपुर गुलौरा विकास खण्ड सीयर की दुकानों का निरीक्षण किया गया । जांचोपरान्त मामले में पाई गई गम्भीर अनियमितताओं के आधार पर थाना उभांव में, उक्त दोनों विक्रेताओं के विरुद्ध दिनांक 18-11-91 को प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज कराई गई । अभियुक्तों को पकड़कर पुलिस के हवाले नहीं किया गया था । उपर्युक्त अभियुक्तगणों में से श्री कुबेर प्रसाद ने दिनांक 3-1-92 को श्री विरेन्द्र कुमार दिनांक 9-1-92 को विशेष न्यायाधीश, न्यायालय, बलिया के न्यायालय में आत्मसमर्पण किए जाने के फलस्वरूप न्यायालय द्वारा उनकी जमानत स्वीकार कर ली गई है ।

162—श्री हृदय नारायण दीक्षित—

[2सरे बुधवार में अता0प्र0सं0—182 के अन्तर्गत स्थानान्तरित]

ग्राम बांदूपुर परगना प्रन्द्रह तहसील व जिला बाराबंकी में चकबन्दी के शुरुआत में ए0 सी0 ओ0 द्वारा दो जगह कब्रिस्तान अंकित किया जाना

163—श्री उदल—

क्या राजस्व मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि गांव बांदूपुर परगना—प्रन्द्रह तहसील व जिला वाराणसी में चकबन्दी के शुरुआत में बिना कब्रिस्तान के दो जगह ए0 सी0 ओ0 ने कब्रिस्तान अंकित कर दिया और सी0 ओ0 ने सी0ओ0 स्टेट पर गलत तरीके से जहां कब्रिस्तान कभी थी ही नहीं ए0सी0ओ0 के फैसले को रद्द कर दिया ? क्या यह सही है कि दसियों वर्ष बीत जाने के बाद (टाइम बार्ड) एक व्यक्ति ने एस0ओ0सी0 को प्रार्थना-पत्र दिया था ? क्या सही है कि एस0ओ0सी0 चकबन्दी ने कब्रिस्तान दर्ज करने का आदेश दे

दिया है ? क्या सरकार इसकी जांच करायेगी और जहां कभी कब्रिस्तान नहीं था उसका रद्द करेगी और उक्त जमीन राजकीय एलोपैथिक अस्पताल दांदूपुर ब्लाक बड़ागांव वाराणसी की इमारत हेतु दे देगी?

श्री ब्रह्मदत्त द्विवेदी–

जी हां । प्रश्नगत ग्राम में चकबन्दी प्रक्रियायें प्रारम्भ होने पर सार्वजनिक प्रयोजनों हेतु भूमि सुरक्षित करते समय दो स्थानों पर कब्रिस्तान हेतु भूमि सुरक्षित की गई थी। चकबन्दी अधिकारी ने न्यायिक प्रक्रिया के अन्तर्गत ग्राम प्रधान तथा अन्य ग्रामीणों के सामूहिक प्रार्थना-पत्र पर उक्त दो स्थानों में से एक स्थान से कब्रिस्तान हेतु सुरक्षित भूमि को निरस्त कर दिया ।

एस0 ओ0 सी0 के समक्ष वर्ष 1988 में कालबाधित अपील दाखिल की गयी ।

जी हां । सहायक बन्दोबस्त अधिकारी चकबंदी के कब्रिस्तान यथावत् दर्ज करने संबंधी आदेश दिनांक 3-7-91 के विरुद्ध प्रस्तुत की गई निगरानी में उप संचालक चकबंदी द्वारा चकबंदी अधिकारी एवं सहायक बंदोबस्त अधिकारी चकबंदी के उपरोक्त दोनों आदेशों को निरस्त करके चकबन्दी अधिकारी को पुनः सुनवायी हेतु निर्देश दिया गया है ।

प्रकरण न्यायिक प्रक्रिया में चकबंदी अधिकारी न्यायालय में विचाराधीन है, जिसका निराकरण विधि सम्मत ढंग से ही सम्भव है ।

जनपद सोनभद्र की दुद्धी तहसील की सस्ते गल्ले की दुकानों से सम्बद्ध राशन कार्डों का सत्यापन

164–श्री विजय सिंह–

क्या खाद्य एवं रसद मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश में फर्जी राशन कार्ड के सत्यापन हेतु कोई अभियान चलाया गया था ? यदि हां, तो जनपद सोनभद्र के दुद्धी तहसील के कितने सस्ते गल्ले की दुकानें चेक की गयीं और कितने फर्जी राशन कार्ड पकड़े गये ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री एजाज रिजवी–

जी हां ।

जनपद सोनभद्र की दुद्धी तहसील की ग्रामीण एवं शहरी क्षेत्र के 131 सस्ते गल्ले की दुकानों से सम्बद्ध राशन कार्डधारियों का सत्यापन कार्य कराया गया और 12791 फर्जी राशन कार्ड पकड़े गये ।

प्रश्न नहीं उठता है ।

उ0 प्र0 राजकीय निर्माण निगम में कार्यरत वेतन भोगी अडीटिस अभियंताओं को नियमित करने की मांग

165–श्री राम ललित चौधरी–

क्या लोक निर्माण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि उत्तर प्रदेश राजकीय निर्माण निगम में कार्यरत दैनिक वेतन भोगी डिग्री/डिप्लोमा होल्डर अभियंताओं को नियमित

करने के लिए दो वर्ष की लम्बी अवधि तक दैनिक वेतन पर कार्य करने के बाद ही परीक्षा में बैठने की अनुमति दी जाती है जबकि श्रम कानून के अनुसार 240 दिन पूरा होने के बाद ही एक साधारण मजदूर को भी सेवा में नियमित समझा जाता है तथा अप्रेन्टिस एक्ट के अनुसार भी 240 दिन की अवधि पूरा करने के बाद अपने कार्य में दक्ष मान लिया जाता है ? यदि हां, तो क्या 2 वर्ष के बजाय 240 दिन या एक वर्ष की अवधि पूरा कर लेने पर श्रम एक्ट तथा अप्रेंटिस एक्ट को देखते हुए उ0 प्र0 राजकीय निर्माण निगम के दैनिक भोगी डिग्री/डिप्लोमा अभियन्ताओं का नियमितीकरण करेंगे ? यदि नहीं, तो क्यों ?

डा0 सरजीत सिंह डंग–

नियमावली में ऐसा कोई प्राविधान नहीं है लेकिन पूर्व में विशेष परिस्थितियों में दैनिक वेतन भोगी/डिप्लोमा धारक अभियन्ताओं को दो वर्ष की सेवा के बाद ही परीक्षा में बैठने की अनुमति दी गयी थी । औद्योगिक विवाद अधिनियम के प्राविधान उ0 प्र0 राजकीय निर्माण निगम पर लागू होने का प्रकरण मा0 उच्च न्यायालय में विचाराधीन है । अप्रेन्टिसो एक्ट में इन्जिनियरिंग डिग्री/डिप्लोमा धारकों को 240 दिन के प्रशिक्षण के बाद कार्य में दक्ष मान लेने का कोई प्राविधान नहीं है ।

जी नहीं ।

166–श्री राम ललित चौधरी–

क्या मंत्री जी को यह भी ज्ञात है कि उक्त निगम भी दैनिक वेतन पर नियुक्तियों के प्राविधान के पूर्व एक वर्ष की अप्रेंटिस पूरा कर लेने वाले डिग्री अथवा डिप्लोमा धारक अभियन्ताओं को बिना किसी लिखित परीक्षा के उन्हें नियमित कर लेता था ? यदि हां, तो क्या पुनः एक वर्ष की अप्रेंटिस या 240 दिन दैनिक वेतन की अवधि पूरा कर लेने के बाद कार्यरत डिग्री/डिप्लोमा धारक अभियंताओं के नियमित करेंगे ? यदि परीक्षा होती है तो क्या दो वर्ष की अवधि शिथिल करते हुए परीक्षा में सम्मिलित होने की अनुमति देने पर विचार करेंगे ?

डा0 सरजीत सिंह डंग–

दैनिक वेतन पर 240 दिन अथवा एक वर्ष का कार्यकाल पूरा कर लेने मात्र पर नियमित नियुक्ति प्रदान किया जाना नियमान्तर्गत संभव नहीं है । अंतिम बार यह कार्यवाही अक्तूबर 1987 में की गई है । जी नहीं । प्रश्न काल्पनिक है ।

167–श्री राम अंतार शाक्य–

[दिनांक 13-2-92 को अता0 प्र0 सं0 79 द्वारा उत्तरित]

लोक निर्माण विभाग में कार्यरत भण्डार नायकों को पुनः उनके अधिकार वापस करने का प्रकरण शासन के विचाराधीन

168–श्री बलराम यादव–

क्या लोक निर्माण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि लोक निर्माण विभाग में कार्यरत भण्डार नायकों को उनके अधिकार पुनः बहाल किये जाने के प्रकरण पर प्रमुख अभियन्ता

द्वारा तुलनात्मक आख्या शासन को तुरन्त निर्णय लेने हेतु प्रस्तुत की गई है? इस आख्या के आधार पर भण्डार नायकों को वित्तीय हस्तपुस्तिका भाग–6 पैरा-194 में वर्णित कर्तव्यों एवं उनके अधिकारों को कब तक वापस कर दिया जायेगा? यदि नहीं, तो क्यों?

डा0 सरजीत सिंह डंग–

जी हां । यह प्रकरण सम्प्रति शासन के विचाराधीन है ।

श्री याकूब, ग्राम धर्मापुर, जनपद लखीमपुर खीरी के प्रार्थना-पत्र के साथ संलग्न प्रश्नकर्ता के पत्र पर कृत कार्यवाही

169–श्री निरवेन्द्र कुमार–

क्या राजस्व मंत्री कृपया बतायेंगे कि प्रश्नकर्ता का पत्र सं0-1157/91 श्री याकूब, ग्राम धर्मापुर, परगना निघासन जनपद लखीमपुर खीरी के प्रार्थना-पत्र सहित दिनांक 19-9-91 को तहसीलदार निघासन को प्राप्त कराया गया था यदि हां, तो उक्त पत्र पर क्या कार्यवाही की गई? यदि नहीं, तो क्यों?

श्री ब्रह्मदत्त द्विवेदी–

जी हां । श्री याकूब आदि पट्टेदारों को स्थल पर पैमाइश करके कब्जा दिलाया जा चुका है । शेष का प्रश्न नहीं उठता ।

श्री त्रिलोकी लक्ष्मन, ग्राम फुलवरिया, जनपद लखीमपुर खीरी के प्रार्थना-पत्र के साथ संलग्न प्रश्नकर्ता के पत्र पर कृत कार्यवाही

170–श्री निरवेन्द्र कुमार–

क्वा राजस्व मंत्री कृपया बतायेंगे कि प्रश्नकर्ता का पत्र सं0 1162/91 त्रिलोकी लक्ष्मन, ग्राम फुलवरिया, परगना पलिया कलां, जनपद लखीमपुर खीरी के प्रार्थना-पत्र सहित दिनांक 19-9-91 को प्राप्त कराया गया? यदि हां, तो उक्त पत्र पर क्या कार्यवाही की गई? यदि नहीं, तो क्यों?

श्री ब्रह्मदत्त द्विवेदी–

जी हां । श्री त्रिलोकी पुत्र लक्ष्मी को ग्राम फुलवरिया का पट्टा हुआ था, इस पर दुलारे व प्यारे लाल का पूर्व से कब्जा था । दुलारे व प्यारे लाल ने माननीय उच्च न्यायालय से स्थगन आदेश प्राप्त कर लिया है । शेष का प्रश्न नहीं उठता ।

जनपद हरदोई में किसानों के अधिगृहीत किये गये खेतों के मुआवजा की धनराशि का भुगतान संसाधनों की कमी के कारण न किया जाना

171–श्री राम आसरे वर्मा–

क्या राजस्व मंत्री कृपया बतायेंगे कि जनपद हरदोई में गंगा नदी पर बने मेंहदीघाट पुल तक बनी हुई 14 किलोमीटर रोड में किसानों के अधिगृहीत किए गए खेतों का मुआवजा उन्हें अब तक न दिए जाने का कारण क्या है? शासन इसका भुगतान कब तक करा दिया जायेगा ? क्या मंत्री जी कृपया यह भी बतायेंगे कि उक्त रोड के सिलसिले में मुआवजे की कुल कितनी धनराशि ब्याज के रूप में किसानों को दी जायेगी? यदि नहीं, तो क्यों?

श्री ब्रह्मदत्त द्विवेदी–

प्रश्नगत योजना के लिए अर्जित भूमि के अनुमान्नित प्रतिकर की धनराशि संसाधनों की कमी के कारण अर्जन निकाय से प्राप्त न होने के फलस्वरूप अभिनिर्णय घोषित नहीं किया जा सका । फलत: कृषकों को अभी तक प्रतिकर भुगतान नहीं किया जा सका है । अर्जन निकाय के आश्वासन के अनुसार अभिनिर्णय होने की स्थिति में वर्ष 1992-93 में प्रतिकर का भुगतान किया जाना संभव होगा । अभिनिर्णय की घोषणा के पूर्व कृषकों को देय प्रतिकर तथा व्याज की धनराशि इंगित किया जाना संभव नहीं है ।

172–श्री रमाकान्त यादव–

[आश्वासन समिति के विचाराधीन होने के कारण निरस्त]

जनपद सोनभद्र में मूल निवासियों एवं आदिवासियों को नियमानुसार उनके कब्जे वाली भूमि पर भौमिक अधिकार प्रदान किया जाना

173–श्री विजय सिंह–

क्या राजस्व मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि जनपद सोनभद्र में दक्षिण केनूर भू-सर्वेक्षण एजेन्सी ओवर द्वारा किए जा रहे भू-सर्वेक्षण एवं अभिलेख प्रक्रिया के तहत वहां मूल निवासियों एवं आदिवासियों को उनके कब्जे वाली भूमि पर भौमिक अधिकार मिल रहे हैं ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री ब्रह्मदता द्विववेदी–

भू-सर्वेक्षण एवं अभिलेख क्रिया के अन्तर्गत निर्धारित प्रक्रिया व नियम के अनुसार यहां के मूल निवासियों एवं आदिवासियों को यदि उनका कब्जा सिद्ध एवं परिपक्व है, तो उनके कब्जे वाली भूमि पर उन्हें भौमिक अधिकार नियमानुसार प्रदान किया जा रहा है।

बांदा ओवर ब्रिज का कार्य अवरोधों के कारण पूर्ण न होना

174–श्री नसीम उद्दीन सिद्दीकी–

क्या सरकार यह बतायेगी कि बांदा ओवर ब्रिज का कार्य किस वर्ष प्रारम्भ हुआ ? वर्तमान समय में कार्य क्यों रुका हुआ है ? इसे पूरा करने में कितना समय लगेगा ? इसे पूरा करने का निर्धारित समय क्या है ? क्या सरकार इसे शीघ्र पूरा करवायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? पुल के वगल की पहुंच मार्गों के निर्माण हेतु विलम्ब का क्या कारण है ?

डा0 सरजीत सिंह डंग–

प्रश्नगत कार्य अक्टूबर, 1987 में प्रारम्भ हुआ । वर्तमान समय में कार्य प्रगति पर है । कार्य पूर्ण होने की तिथि, पहुंच मार्ग में आ रहे अवरोधों के निराकरण एवं सेतु के निर्माण हेतु संसाधनों की उपलब्धता पर निर्भर है ।

निर्धारित लक्ष्य के अन्तर्गत ।

पहुंच मार्ग के संरेखण में आने वाले पाइप लाइन, टेलीफोन और बिजली के खम्भों, पेड़ों तथा अतिक्रमणों को हटाने में कठिनाई के कारण ।

जिला कारागार बांदा में बगिया कमान भण्डार गोदाम एवं पोताई छपाई में श्रमिकों के कार्य का विवरण

175–श्री राम प्रसाद सिंह–

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि जिला कारागार बांदा में बगिया कमान (कृषि फार्म) भण्डार गोदाम एवं पोताई छपाई में श्रमिकों की आवश्यकता रहती है? यदि हां, तो वर्ष 1990 से जून, 1991 तक माहवारी श्रमिकों के विवरण का लेखा जोखा क्या है? कितने श्रमिक किस कार्य में तथा किस माह में लगाये गये? क्या जेल में आने वाले सभी श्रेणी के बन्दियों से उक्त कार्यों में काम लिया जाता है? यदि हां, तो क्यों और इसका क्या औचित्य है? क्या विचाराधीन एवं साधारण सजा के बन्दियों से काम लेना स्वेच्छा पर निर्भर है ? यदि हां, तो क्या स्वेच्छा का निर्धारण संबंधित न्यायालय के आदेश पर है ? यदि नहीं, तो क्या शासन संबंधित न्यायालय द्वारा स्वेच्छा से श्रम करने की स्वीकृति पर विचार कर रहा है? यदि नहीं, तो क्यों? जेल अधिकारियों द्वारा स्वेच्छा निर्धारण का क्या औचित्य है?

श्री उमानाथ सिंह–

जी हां । जनवरी 1990 से जून 1991 तक विभिन्न कार्यों का माहवारी विवरण संलग्न है । विवरण संलग्न है । जी नहीं । जेल नियमों में विचाराधीन बंदियों तथा साधारण सिद्ध दोष बन्दियों को कार्य के लिए प्रोत्साहित करने तथा स्वेच्छा से कार्य करने वाले बन्दियों से उनके परिसर में कार्य कराये जाने का प्राविधान है । प्रश्न ही नहीं उठता।

जी हां ।

जी नहीं ।

जी नहीं ।

आवश्यकता नहीं । जेल नियमों में विचाराधीन बन्दियों को तथा साधारण सजा के सिद्ध दोष बन्दियों को कार्य के लिए प्रोत्साहित करने और स्वेच्छा से कार्य करने वाले बन्दियों से उनके परिसर में कार्य कराये जाने का प्राविधान है ।

(देखिए नत्थी 'ठ' आगे पृष्ठ 218-219 पर)

जिला कारागार बांदा में विभिन्न कार्यों हेतु श्रमिकों का विवरण

176–श्री राम प्रसाद सिंह–

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि जिला कारागार बांदा में विभिन्न कार्यों के लिये श्रमिकों की आवश्यकता है? यदि हां, तो किस कार्य हेतु और कितने? क्या इन श्रमिकों में विचाराधीन बन्दी भी शामिल है ? यदि हां, तो कितने और क्यों? क्या इनमें साधारण सजा के भी बन्दी है ? यदि हां, तो कितने और क्या इन्हें कोई पारिश्रमिक देय है? यदि हां, तो कितना? यदि नहीं, तो क्यों?

श्री उमानाथ सिंह–

जी हां ।

जनवरी, 92 में विभिन्न कार्यों पर दैनिक औसत नियोजन निम्नवत् था :–

बाहर कमान	9
अन्दर बाग	30
गल्ला गोदाम	21
पाकशाला	40
अन्य	21

जी हां । दैनिक औसतन 91 बन्दी शामिल हैं । जेल नियमों में विचाराधीन बन्दियों को कार्य के लिए प्रोत्साहित करने और स्वेच्छा से कार्य करने वाले बन्दियों से उनके परिसर में कार्य कराए जाने का प्राविधान है । जी हां । साधारण सजा के हुए बन्दी, जो स्वेच्छा से कार्य करना चाहते हैं, सम्मिलित हैं । दैनिक औसतन 9 बन्दी । निर्धारित अवधि से अधिक काम करने पर कुशल बन्दी को रु0 4 अर्द्धकुशल बन्दी को रु0 3 तथा अकुशल बंदियों को रु0 2 प्रतिबन्दी प्रतिदिन की दर से प्रोत्साहन स्वरूप पारिश्रमिक दिए जाने की स्वीकृति शासन द्वारा दी गई है ।

प्रश्न नहीं उठता ।

जिला कारागार बांदा में बन्दियों को सजा काटने के बाद घर तक पहुंचाने हेतु ट्रेन या बस का किराया दिया जाना

177–श्री राम प्रसाद सिंह–

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि जिला कारागार बांदा में सजायाफ्ता बन्दियों को सजा काटने के बाद, रिहाई के वक्त उनके रिहायसी घरों तक पहुंचाने के बाद, रिहाई के वक्त उनके रिहायसी घरों तक पहुंचाने के लिये ट्रेन या बस किराया दिया जाता है? यदि हां, तो क्या इसका कोई लेखा जोखा रजिस्टर में है? यदि हां, तो वर्ष 1985 से 1990 तक किराया भाड़ा में वर्षवार कितना खर्च दिया गया है? यदि नहीं, तो क्यों? क्या किराया वितरण की व्यवस्था कैदियों की साझेदारी के माध्यम से कराये जाने पर शासन विचार कर रहा है ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री उमानाथ सिंह–

जी हां ।

जी हां ।

वांछित विवरण संलग्न है ।

प्रश्न नहीं उठता ।

जी नहीं ।

प्रश्न नहीं उठता ।

प्राविधान के सम्बन्ध में किसी पुनर्विचार की आवश्यकता नहीं है ।

(देखिए नत्थी 'ड' आगे पृष्ठ 220 पर)

जनपद सोनभद्र के बाल विकास परियोजना दुद्धी, म्योरपुर एवं दभनी में स्थानीय आंगनबाड़ी कार्यकत्रियों की नियुक्ति के आदेश

178—श्री विजय सिंह—

क्या समाज कल्याण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद सोनभद्र के बाल विकास परियोजना दुद्धी, म्योरपुर एवं दभनी में कितनी आंगनबाड़ी कार्यकत्री ऐसी हैं जो स्थानीय निवासी न होकर बाहरी हैं ? उनकी नियुक्ति कैसे और किस शासनादेश के तहत हुई है ? क्या मंत्री जी को जानकारी है कि स्थानीय हरिजन एवं आदिवासी प्रशिक्षित एवं शिक्षित महिलाएं उपेक्षित हो रही हैं ? यदि हां, तो स्थानीय कार्यकत्रियों को उचित स्थान परियोजना में देने हेतु मंत्री जी आदेश निर्गत करेंगे ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री रमापति शास्त्री—

बाल विकास परियोजना, म्योरपुर में कुल 19 आंगनवाड़ी कार्यकत्रियां स्थानीय नहीं हैं । दुद्धी एवं दभनी परियोजना में सभी आंगनवाड़ी कार्यकत्री स्थानीय हैं ।

बाहरी आंगनवाड़ी कार्यकत्रियों की शासनादेश के विपरीत हुई नियुक्ति के विरुद्ध कार्यवाही के आदेश दिये गये हैं ।

आंगनवाड़ी कार्यकत्रियां स्थानीय हो हों, इस संबंध में शासनादेश संख्या-2/1(4) /91-सात-1-91, दिनांक 25 नवम्बर, 1991 निर्गत किया जा चुका है ।

मृतक श्री सन्त लाल पाल, कलेक्ट्रेट, बांदा के पुत्र श्री जितेन्द्र कुमार पाल को नियमावली के अधीन सेवायोजन का लाभ न मिल पाना

179—श्री नसीम उद्दीन सिद्दीकी—

क्या सरकार कृपया बतायेगी कि श्री जितेन्द्र कुमार पाल पुत्र स्वर्गीय श्री सन्तलाल पाल जो कलेक्ट्रेट बांदा में कर्मचारी थे और जिनकी मृत्यु सेवाकाल में हो गयी थी, को कलेक्ट्रेट अधिष्ठान बांदा में सेवायोजित करने का मामला शासन में विचाराधीन है ? यदि हां, तो इस प्रकरण में अब तक क्या कार्यवाही हुई है? यदि नहीं, तो क्यों?

श्री ब्रह्म दत्त द्विवेदी—

स्व0 श्री सन्त लाल पाल की मृत्यु दिनांक 17-9-1971 को उनके सेवाकाल में हुई थी किन्तु उनके पुत्र श्री जितेन्द्र कुमार पाल को उ0 प्र0 सेवाकाल में मृत सरकारी सेवकों के आश्रितों की भर्ती (द्वितीय संशोधन) नियमावली 1991 (मूल नियमावली 1974) के अधीन सेवायोजन का लाभ अनुमन्य न होने के कारण उन्हें सेवायोजित नहीं किया जा सकता ।

ला0 नि0 वि0 बांदा निक्षेप मद के अन्तर्गत प्राप्त साख सीमा तथा भुगतान का विवरण

180—श्री नसीम उद्दीन सिद्दीकी—

क्या लोक निर्माण मंत्री कृपया बतायेंगे कि वर्ष 1990-91 व 91-92 में निक्षेप मद के अन्तर्गत ला0नि0वि0 बांदा को कितनी-कितनी धनराशि की साख सीमा किस किस मदों के भुगतान हेतु निर्गत की गयी तथा किन-किन मदों पर टी0 आई0 एवं ठेकेदारों के माध्यम से कितनी-कितनी धनराशि का भुगतान किया गया ? क्या अधीक्षण अभियन्ता,

क्या अधीक्षण अभियन्ता, 19वां, वृत्त ने पत्र दिनांक 6-2-91 द्वारा साख सीमा के दुरुपयोग से शासन को अवगत कराया है? यदि हां, तो शासन द्वारा इस पर क्या कार्यवाही की गई? यदि नहीं, तो क्यों?

डा0 सरजीत सिंह डंग–

वर्ष 1990-91 एवं 91-92 में निक्षेप मद के अन्तर्गत निम्न प्रकार से साख सीमा प्राप्त हुई:–

वर्ष 90-91 38-77 लाख

वर्ष 91-92 68-43 लाख

उक्त निक्षेप मद की साख-सीमा के विरुद्ध वर्ष 90-91 एवं 91-92 में निम्न प्रकार भुगतान किया गया:–

वर्ष	टी0 आई0 द्वारा	ठेकेदार द्वारा	जिलाधिकारी को रायल्टी का भुगतान	योग
90–91	16.50 लाख	7.72	13.78	38.00 लाख
61–92	23.90	34.50	7.60	66.00 लाख

जी नहीं ।

प्रश्न नहीं उठता ।

प्रश्न नहीं उठता ।

बांदा शहर में रेलवे उपरिगामी सेतु रोड आदि के निर्माण हेतु लोक निर्माण विभाग बांदा को धनराशि का आवंटन किया जाना

181–श्री नसीम उद्दीन सिद्दीकी–

क्या लोक निर्माण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि बांदा शहर में रेलवे उपरिगामी सेतु में सर्विस रोड आदि के निर्माण हेतु कुल कितनी धनराशि का आवंटन अब तक लोक निर्माण विभाग, प्रान्तीय खण्ड, बांदा को किया गया? इस आवंटित धनराशि में से कितनी धनराशि का व्यय ठेकेदारों को किया गया है ? ठेकेदार का नाम, बाण्ड, वर्क आर्डर, सप्लाई आर्डर, नम्बर सहित अलग-अलग कार्य का विवरण व भुगतान की धनराशि क्या है ? टी0 आई0 द्वारा कराये गए कार्य विवरण बाउचर संख्या व अलग-अलग तिथि में भुगतान की गयी धनराशि का विवरण क्या है ?

डा0 सरजीत सिंह डंग–

बांदा शहर में रेलवे उपरिगामी सेतु में सर्विस रोड आदि के निर्माण हेतु कुल 30.00 लाख की धनराशि का आवंटन अब तक लोक निर्माण विभाग, प्रान्तीय खण्ड बांदा को किया गया । उक्त आवंटित धनराशि में से 5.33 लाय रुपये की धनराशि का भुगतान ठेकेदारों को किया गया है ।

संलग्न विवरण के अनुसार ।

(देखिए नत्थी 'ढ' आगे पृष्ठ 221 पर)

182—श्री राम आंतार शाक्य—

[तीसरे सोम के अता0 प्र0 सं0 180 के अन्तर्गत स्थानान्तरित]

जनपद फर्रुखाबाद में प्रसिद्ध तीर्थ स्थल संकिसा में आने वाले तीर्थ यात्रियों हेतु भोगांव से संकिसा तक सड़क जोड़ने की मांग

183—श्री राम आंतार शाक्य—

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि जनपद फर्रुखाबाद में प्रसिद्ध तीर्थ स्थल संकिसा जहां पर बौद्ध जगत के हजारों तीर्थ यात्री आते हैं जो जनपद मैनपुरी के कस्बा भोगांव से करीब 13 कि0 मी0 उत्तर में है के आने जाने वाले तीर्थ यात्रियों की सुविधा हेतु भोगांव से संकिसा तक सड़क से जोड़ने की योजना शासन के विचाराधीन है? यदि हां, तो यह कार्य कब तक हो जायेगा? यदि नहीं, तो क्यों?

डा0 सरजीत सिंह डंग—

जी नहीं ।

प्रश्न नहीं उठता ।

कार्य कराया जाना स्वीकृति एवं संसाधनों की उपलब्धता पर निर्भर है ।

जनपद मैनपुरी के ग्राम नौनेर को 11 ग्रामों में विभाजित करने का प्रस्ताव उच्च न्यायालय इलाहाबाद द्वारा स्थगित होने के कारण शासन को प्राप्त न हो पाना

184—श्री राम आंतार शाक्य—

क्या राजस्व मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि तहसील व जनपद मैनपुरी में स्थित ग्राम नौनेर के 11 खण्डों में 11 राजस्व गांवों के विभाजन की प्रक्रिया किस स्तर पर है ? क्या जिलाधिकारी, मैनपुरी के 11 खण्डों का शासन द्वारा मंगाया गया औपचारिक प्रस्ताव शासन को प्राप्त हुआ है? यदि नहीं, तो विलम्ब का कारण क्या है?

श्री ब्रह्मदत्त द्विवेदी—

जनपद मैनपुरी के ग्राम नौनेर को 11 ग्रामों में विभाजित करने का प्रस्ताव जिलाधिकारी मैनपुरी के स्तर पर लम्बित है । शासन द्वारा उक्त ग्राम को 11 ग्रामों में विभाजित करने का प्रस्ताव मांगा गया था, किन्तु विभाजन की कार्यवाही उच्च न्यायालय, इलाहाबाद के आदेश दिनांक 14-8-1991 के द्वारा स्थगित कर दिए जाने के कारण औपचारिक प्रस्ताव शासन को प्राप्त नहीं हुआ है ।

जनपद देवरिया के समाज कल्याण अधिकारी को निलम्बित किया जाना एवं अन्य दोषी कर्मचारियों/अधिकारियों के विरुद्ध कार्यवाही की मांग

185—श्री स्वामी नाथ यादव—

क्या समाज कल्याण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद देवरिया के समाज कल्याण अधिकारी, श्री फूलचन्द यादव को निलम्बित किया गया है ? यदि हां, तो क्या सरकार ने उक्त अभिलेख के आधार पर दोषी पाये जाने वाले अन्य अधिकारियों एवं कर्मचारियों के विरुद्ध भी कोई एफ0 आई0 आर0 दर्ज करने के बारे में निर्णय ले लिया है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री रमापति शास्त्री–

जी हां ।

जी नहीं ।

प्रश्न नहीं उठता ।

प्रदेश में अत्यन्त पिछड़े नोनिया जाति के लोगों को पिछड़ी जाति संवर्ग की सूची में सम्मिलित करने की मांग

186–श्री दीना नाथ सिंह यादव–

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि प्रदेश में आर्थिक, सामाजिक एवं शैक्षणिक रूप से अत्यन्त पिछड़े नोनिया जाति के लोग पिछड़ी जाति संवर्ग में हैं ? यदि नहीं, तो क्या सरकार इन्हें शीघ्र पिछड़े संवर्ग की सूची में सम्मिलित करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री रमापति शास्त्री–

जी नहीं ।

मामला विचाराधीन है ।

प्रश्न ही नहीं उठता ।

जनपद हरदोई के ब्लाक माधोगंज की ग्राम सदरपुर में लोक निर्माण विभाग द्वारा नाली का निर्माण न कराने की शिकायत

187–श्री राम आसरे वर्मा–

क्या लोक निर्माण मंत्री कृपया बतायेंगे कि जनपद हरदोई के ब्लाक माधोगंज की ग्राम सदरपुर में लोक निर्माण विभाग द्वारा उन्नाव रोड से विधायक निवास तक के नाम से पेन्टेड मार्ग का निर्माण 1988-89 में कराया गया था ? यदि हां, तो क्या यह सही है कि गांव के अन्दर नाली निर्माण न होने से सारे मार्ग जीर्ण-शीर्ण स्थिति में पहुंच गये हैं ? यदि हां, तो मार्ग की मरम्मत तथा नाली निर्माण के बारे में शासन द्वारा क्या कार्यवाही की जा रही है ?

डा0 सरजीत सिंह बंग–

जी हां ।

मार्ग का निर्माण जिला योजना में स्वीकृत था, जिसमें नाली निर्माण का प्राविधान नहीं था । प्रश्नगत मार्ग का कुछ भाग गांव की आबादी में स्थित है, जहां लोगों ने घरों की नालियां सड़क पर खोल दी है परन्तु इस गन्दगी को दूर करने का ग्राम समाज द्वारा कोई प्रबन्ध नहीं किया गया है जिसके कारण मार्ग प्रभावित हो गया लेकिन यातायात सामान्य रूप से चालू है ।

मार्ग की मरम्मत तथा कच्ची नाली का निर्माण वार्षिक रख-रखाव के मद से किया जाता है । पक्की नाली का निर्माण जिला नियोजन एवं अनुश्रवण समिति द्वारा स्वीकृति एवं संसाधनों की उपलब्धता पर निर्भर है ।

उ0 प्र0 अनुसूचित जाति की सूची में "तुरहा" अथवा "तुरहैया" नाम की जाति का सम्मिलित न होना

188–श्री हरिनारायण–

क्या समाज कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि अनुसूचित जाति की तुरहा जाति को तुरहैया लिखकर अनुसूचित जाति को मिलने वाले लाभ से वंचित कर दिया गया है ? यदि हां, तो क्यों ? यदि नहीं, तो क्या इसे सुधार कर तुरहैया की जगह पर पुनः तुरहा कर दिया जायेगा ?

श्री रमापति शास्त्री–

जी नहीं ।

"तुरहा" अथवा "तुरहैया" अनुसूचित जाति की सूची में सम्मिलित नहीं है ।

प्रश्न नहीं उठता ।

प्रश्न नहीं उठता ।

श्री सी0 डी0 राय, सहायक अभियन्ता लो0 नि0 वि0 देवरिया की पुलिस अधीक्षक सतर्कता अधिष्ठान, गोरखपुर द्वारा की जा रही जांच की समय सीमा

189–श्री राधे श्याम वर्मा तथा श्री छोटे लाल यादव–

क्या लोक निर्माण मंत्री कृपया बतायेंगे कि श्री सी0 डी0 राय, सहायक अभियंता, लो0 नि0 वि0, देवरिया के विरुद्ध पुलिस अधीक्षक, सतर्कता अधिष्ठान, गोरखपुर द्वारा लगभग पिछले 10 वर्षों से जांच की जा रही है ? यदि हां, तो क्या जांच पूरी करने की समय सीमा शासन द्वारा निर्धारित कर दी गयी है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

डा0 सरजीत सिंह डंग–

जी नहीं ।

प्रश्न नहीं उठता ।

प्रश्न नहीं उठता ।

सहादतगंज क्षेत्र, लखनऊ में सैनाट पूर्ति निरीक्षक पर अनियमितता एवं भ्रष्टाचार का आरोप

190–श्री भाऊ लाल यादव–

क्या खाद्य एवं रसद मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि दि0 2-12-91 को सहादतगंज क्षेत्र, चौक, लखनऊ के निवासियों ने एक सामूहिक प्रार्थना-पत्र सेक्टर वार्डेन के उल्लेखपत्र सहित सहादतगंज क्षेत्र में सैनाट पूर्ति निरीक्षक द्वारा की जा रही अनियमितता व भ्रष्टाचार के संबंध में था, उन्हें प्राप्त हुआ है ? क्या यह सही है कि उनके द्वारा उस पत्र पर सचिव, खाद्य को जांच के आदेश दिए गये हैं ? क्या यह भी सही है कि राज्य मंत्री नागरिक आपूर्ति ने भी इन्हें लखनऊ से बाहर स्थानान्तरित करके जांच कराने के आदेश दिये हैं ? यदि हां, तो क्या उक्त पूर्ति निरीक्षक को स्थानान्तरित करके इस की जांच कराई जा रही है? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री एजाज रिजवी–

जी हां ।

माननीय खाद्य मंत्री जी ने खाद्य आयुक्त, को जांच कराकर आवश्यक कार्यवाही करने का आदेश दिया था ।

जी नहीं ।

माननीय राज्य मंत्री जी नागरिक आपूर्ति ने प्रश्नगत शिकायती पत्र पर जिला पूर्ति अधिकारी, लखनऊ को जांच कराने का आदेश दिया था । उक्त दोनों जांच अलग-अलग अधिकारियों द्वारा की गई व इन जांचों में संबंधित पूर्ति निरीक्षक के विरुद्ध लगाए गए आरोप सिद्ध नहीं पाए गए ।

लोनिया/नोनियां और पिछड़ी जाति को संशोधन कर नोनियां/चौहान करने की मांग

191–श्री हरिनारायण–

क्या समाज कल्याण मंत्री को जानकारी है कि लोनिया/नोनियां और पिछड़ी जाति सन् 1955 के गजट में थी, सन् 1958 के गजट से नोनिया शब्द निकाल दिया गया ? यदि हां, तो क्या संशोधन कर नोनिया/चौहान जोड़ दिया जायेगा ? यदि नहीं तो क्यों ?

श्री रमापति शास्त्री–

जी हां । वर्ष 1958 के गजट में "नोनिया" शब्द नहीं है । प्रकरण विचाराधीन है ।

तहसील अकबरपुर, जिला फैजाबाद की राइस मिलों में प्रतिमाह तैयार किये गये चावल का विवरण

192–श्री उमाकान्त यादव–

क्या खाद्य एवं रसद मंत्री कृपया बतायेंगे कि तहसील अकबरपुर, जिला फैजाबाद में कुल कितने राइस मिल स्थापित हैं ? इनमें जनवरी, 1990 से 31 अगस्त, 1991 तक कुल कितना चावल प्रति माह तैयार किया गया ? इनकी क्षमता प्रति माह कितनी है ?

श्री एजाज रिजवी–

इनमें प्रति माह निम्नलिखित मात्रा में चावल तैयार किया गया ।

जनवरी, 90	55,884 कुन्तल
फरवरी, 90	33,775 ,,
मार्च, 90	37,292 ,,
अप्रैल, 90	21,760 ,,
मई, 90	17, 267 ,,
जून, 90	20,167 ,,
जुलाई, 90	10,224 ,,
अगस्त, 90	5,874 ,,

सितम्बर, 90	3,447
अक्टूबर, 90	———
नवम्बर, 90	21,351 ,,
दिसम्बर, 90	61,499 ,,
जनवरी, 91	67,030 ,,
फरवरी, 91	59,576 ,,
मार्च, 91	48,285 ,,
अप्रैल, 91	32,522 ,,
मई, 91	25,883 ,,
जून, 91	18,154 ,,
जुलाई, 91	10,692 ,,
अगस्त, 91	4,493 ,,

इनकी क्षमता प्रति माह 2,58,300 कुन्तल है

लोक निर्माण विभाग के कार्यों के लिए जिला सेक्टर से निकाल कर प्रदेश स्तर पर रोकी गयी धनराशि का वितरण, जनप्रतिनिधियों के सुझावों के अनुरूप सुनिश्चित करने की मांग

193–श्री सुरेश प्रताप गांधी–

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि प्रदेश में जनपदों की योजनाओं के अन्तर्गत लोक निर्माण विभाग के कार्यों के लिए अनुमोदित संपूर्ण 148.34 करोड़ रुपये के परिव्यय में से 53 करोड रुपया जिला सेक्टर से निकाल कर प्रदेश स्तर पर रोके जाने के लिए प्रत्येक जनपद की जिला योजना में लो0 नि0 वि0 के मद में कटौती करने से प्रदेश के विभिन्न जनपदों में जनप्रतिनिधियों द्वारा प्रस्तावित अनेक जन-हित के कार्य नहीं होने से विकेन्द्रित नियोजन प्रणाली पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ा है यदि हां, तो क्या सरकार प्रदेश स्तर पर रोके गये 53 करोड़ रुपये का वितरण लो0 नि0 वि0 के कार्यों के लिए करते समय प्रत्येक जनपद की जिला योजना से काटी गयी धनराशि के बराबर धन, जनप्रतिनिधियों के सुझावों के अनुरूप देने की व्यवस्था सुनिश्चित करेगी ?

डा0 सरजीत सिंह डंग–

जी नहीं : राज्य योजना सेक्टर में अवशेष कार्यों का परिणाम अपेक्षाकृत अधिक होने के कारण वर्ष 1991-92 में जिला योजना से 53 करोड़ रु0 के व्यावर्तन का सुविचारित निर्णय लिया गया था । प्रदेश में राज्य योजना एवं जिला योजना में किये जा रहे सभी कार्य जनहित के हैं ।

प्रश्न नहीं उठता ।

दलित शिक्षा आन्दोलनकारियों द्वारा दारुलशफा विधायक भवन का घेराव किए जाने विषयक सूचना को नियम 311 के अन्तर्गत उठाने का प्रयास

(क्रमागत)

श्री बाबू राम यादव–

मान्यवर, आज सबेरे सारे के सारे दरवाजे बद हो गये, 34 गाड़ियां तोड़ी गयी हैं ।

श्री अध्यक्ष–

मेरा निवेदन सुन लें । कुछ नियम 301 तथा नियम 300 की सूचनायें आयीं हैं, उनको मैं ले लूं, उसके पश्चात् यह विषय लूंगा ।

श्री बाबूराम यादव–

मान्यवर, यह बहुत अविलम्बनीय प्रश्न है । साढ़े दस बजे तक हम लोग बंद रहे, खाना नहीं बना सके, दोनों दरवाजे बन्द कर दिये गए हैं, गाड़ियां तोड़ी गयी है ।

श्री अध्यक्ष–

मैं इस पर सुनूंगा । आप जिस बात की ओर सदन का ध्यान आकृष्ट कर रहे हैं वह बात सदन के संज्ञान में प्रारम्भ में 11 बजे आ गयी है ।

श्री यदुनाथ सिंह–

मान्यवर, माननीय बाबूराम यादव को प्रश्न उठाने दीजिये ।

श्री अध्यक्ष–

थोड़ा धैर्य रखिये, इसके बाद रख लीजियेगा ।

प्रश्नों के सम्बन्ध में व्यवस्था का प्रश्न उठाने का प्रयास

*श्री राम गोविन्द चौधरी–

मान्यवर, मेरा एक व्यवस्था का प्रश्न है । मैं आपके माध्यम से उस प्रश्न के संदर्भ में, जिसमें आपने समय समाप्त कर दिया, आग्रह करना चाहता हूं कि माननीय राजस्व मंत्री ने जवाब दिया कि भारत सरकार के भू-सर्वेक्षण विभाग द्वारा उसका पता लगाया जा रहा है, श्रीमन्, मैं आपके माध्यम से निवेदन करना चाहता हूं कि यह सारी जिम्मेदारी उत्तर प्रदेश सरकार की है । उत्तर प्रदेश में भूकम्प आए, केन्द्र सरकार पर भी जिम्मेदारी हो सकती है, लेकिन पूर्णतः जिम्मेदारी भूकम्प पीड़ितों के पुनर्वास की उत्तर प्रदेश सरकार की है और उत्तर प्रदेश सरकार अपना काम केन्द्र सरकार पर टाल रही है । मैं जानना चाहता हूं कि क्या उत्तर प्रदेश सरकार उन भूकम्प पीड़ितों के पुनर्वास की योजना चालू करने में बिल्कुल ध्वस्त हो गयी है, नाकाम हो गयी है, इसलिये केन्द्र सरकार की ओर देख रही है । क्या उत्तर प्रदेश सरकार अपना पल्ला छुड़ाकर भागना चाहती है । मेरा निवेदन है कि उत्तर प्रदेश की सरकार को उनके लिये कुछ करना चाहिये ।

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

श्री अध्यक्ष–

इस प्रकार का आरोप कोई व्यवस्था का प्रश्न नहीं है । इसलिये इसको स्वीकार नहीं कर रहा हूं । अब मैं नियम 301 की सूचनाएं ले रहा हूं ।

नियम 301 के अन्तर्गत सूचनाएं

श्री अध्यक्ष–

आज दिनांक 20 फरवरी, 1992 को सदन के संज्ञान में लाने हेतु नियम 301 के अन्तर्गत कुल 15 सूचनाएं प्राप्त हुईं । प्राप्त सूचनाओं में शलाका के आधार पर अग्राह्य को छोड़ते हुए निम्नलिखित 7 सूचनाएं स्वीकार की गयीं--(1) श्री राम स्वरूप वर्मा की, नसबन्दी आपरेशन के दौरान श्रीमती रानी देवी की मृत्यु होने के फलस्वरूप दोषी डाक्टरों के खिलाफ कार्यवाही करने एवं मृतका के परिवार को मुआवजा दिये जाने के सम्बन्ध में, (2) श्री बी0आर0 वर्मा की श्री राजपति ग्राम ककरही दुलार, आजमगढ़ (अनुसूचित जाति) द्वारा वर्ष 1984 में यूनियन बैंक द्वारा लिये गये रु0 25,000 के ऋण वसूली में की गयी धांधली की जांच करवाने हेतु, (3) श्री सुरेन्द्र सिंह की जनपद गाजीपुर के कासिमाबाद में तहसील खोले जाने के सम्बन्ध में, (4) श्री सतीश भाटिया की एलोपैथिक तथा होम्यो-पैथिक निर्माणशालाओं को पुनः अल्कोहल का आवंटन प्रारम्भ कराने के सम्बन्ध में, (5) डा0 दिनेश जहरी की स्वास्थ्य विभाग में वरिष्ठ पदों की रिक्ति एवं प्रोन्नति में विलम्ब के कारण विभाग में व्याप्त असंतोष के सम्बन्ध में, (6) श्री देवेन्द्र पाल सिंह की यूनिसेफ द्वारा चलाई जा रही आई0सी0डी0एस0 स्कीम के सकल संचालन हेतु लगभग 32 जिला कार्यक्रम अधिकारी के रिक्त पदों को भरे जाने के सम्बन्ध में तथा (7) श्री विशम्भर प्रसाद निषाद की जनपद बांदा के जिला अस्पताल महिला व पुरुष द्वारा कथित धांधली किये जाने के सम्बन्ध मे । ये सभी सूचनाएं पढ़ी हुई मानी गयी ।

नसबन्दी आपरेशन में श्रीमती रानी देवी की मृत्यु से सम्बन्धित डाक्टरों के खिलाफ कार्यवाही करने तथा मृतक के परिवार को मुआवजा दिये जाने की मांग के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना

*श्री राम स्वरूप वर्मा–

[माननीय, आपकी आज्ञा से मैं सदन के संज्ञान में निम्नांकित अविलम्बनीय लोक महत्व की घटना को लाना चाहता हूं:–

दिनांक 20-12-1991 को जिला कानपुर देहात के मुख्य चिकित्साधिकारी की ओर से नसबंदी की एक टीम टाउन एरिया सिकन्दरा विधान सभा क्षेत्र राजपुर में आयी और पहला आपरेशन श्रीमती रानी देवी पत्नी श्री रामचन्द्र कोटियार ग्राम-नन्दना जिला कानपुर देहात का किया गया । आपरेशन के दौरान ही श्रीमती रानी देवी की मौत हो गयी । अधिकारी लाश को लेकर कानपुर आये किन्तु उसके पति या अन्य सगे सम्बन्धी

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

के वहां पर मौजूद होते हुए भी नहीं साथ लिया । मामले की रिपोर्ट श्री रामचन्द्र कटियार ने थाना सिकन्दरा जिला कानपुर देहात में इन्द्राज करायी नसबन्दी आपरेशन के दौरान मृत्यु हो जाने से इलाके मे दहशत फैल गयी । अब तक न तो दोषी डाक्टरों का 304 में चालान हुआ, न मृतिका के परिवार वालों की दो लाख रुपये की मुआवजे की मांग ही पूरी की गई है । अत: मैं माननीय मुख्य मंत्री से इस अविलम्बनीय लोक महत्व के प्रश्न पर ध्यान देकर माँ के दोषी डाक्टरों को जेल भेजने और परिवार वालों को उक्त मुआविजा देने की मांग करता हूं । ताकि नसबन्दी में करती जाने वाली लापरवाही न की जा सके।]

श्री राजपति निवासी ग्राम ककरही दुलार आजमगढ़ द्वारा यूनियन बैंक से लिये गये ऋण की वसूली में धांधली किये जाने के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना

श्री बी0 आर0 वर्मा–

[माननीय श्री राजपति पुत्र फागू ग्रा0 ककरही दुलार पो0 बिलरियागंज आजमगढ़ के अनुसूचित जाति का शिक्षित नवयुवक है । इन्होंने वर्ष 1984 में यूनियन बैंक आफ इण्डिया शाखा परशुरामपुर आजमगढ़ से स्वत: रोजगार योजना अन्तर्गत 25000 हजार रुपया लिया था । जिसकी वसूली हेतु दिनांक 21-8-91 को नायब तहसीलदार बिलरियागंज श्री मोहन उपाध्याय गांव गये और उक्त श्री राजपति से पैसा मांगे श्री राजपति ने 10,000 हजार रुपया जिसे स्कूटर बेंचकर इकट्ठा किया था, दिया । नायब तहसीलदार ने रसीद तहसील पर देने को कहकर चले आये दिनांक 23-9-91 को रसीद मांगने पर नायब तहसीलदार ने शेष पैसा जमा करने पर ही रसीद दी जायेगी उक्त श्री राजपति ने अपना पैसा गायब होते देखकर स्वत. उसी दिन रजिस्टर्ड पत्र सम्बन्धित अधिकारियों को भेजा तथा नायब तहसीलदार ने पुलिस को साजिश में लेकर फर्जी मुकदमा कायम करा दिए । तभी से उक्त श्री राजपति को तरह-तरह से प्रताड़ित किया जा रहा है ।

अत: मैं आपके माध्यम से शासन से मांग करता हूं कि उक्त घटना की अविलम्ब जांच कराकर दोषी व्यक्ति के विरुद्ध आवश्यक कार्यवाही की जाय ।]

जनपद गाजीपुर के कासिमाबाद में तहसील खोले जाने के संबंध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना

*श्री सुरेन्द्र सिंह–

[माननीय, मैं आपका ध्यान अविलम्बनीय लोक महत्व के जनपद गाजीपुर में कासिमाबाद में तहसील खोले जाने हेतु आकर्षित करना चाहता हूं । यह स्थान–तहसील मुहम्मदाबाद से तथा तहसील गाजीपुर से क्रमश: 22 किमी0 व 30 किमी0 की दूरी पर है । इस क्षेत्र के गांव टमसा एवं भैंसही नदी के किनारे दूर-दूर में बसे हुए हैं, जिससे इस क्षेत्र के लोगों को अपने तहसील मुख्यालय जाने में बहुत कठिनाई उठानी पड़ती है, कासिमाबाद तहसील न खोले जाने के कारण स्थानीय जनता में रोष एवं क्षोभ व्याप्त है, इसके लिए स्थानीय कृषक, ग्रामीण व्यापारी युवक आदि जनता ने हजारों की संख्या में धरना व प्रदर्शन किया ।

अत: आससे निवेदन है कि आप सरकार को निर्देशित करे कि कासिमाबाद में जल्द से जल्द तहसील खोला जाय, जिससे उस क्षेत्र की जनता को न्याय मिल सके ।]

नोट–[ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया ।

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

एलोपैथिक तथा होम्योपैथिक निर्माण शालाओं को पुनः अल्कोहल का आवंटन प्रारम्भ कराये जाने के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना

*श्री सतीश भाटिया–

[मान्यवर, सुराकाण्ड के बाद उत्तर प्रदेश की समस्त औषधि निर्माण शालाओं को सुरासव का आवंटन बन्द कर दिया गया । लगभग 300 औषधि निर्माण शालाएं जिसमें 50,000 कर्मचारी कार्यरत हैं तथा 2 करोड़ रुपये प्रतिमाह का सेल्स टैक्स और आबकारी शुल्क का नुकसान भी सरकार को हो रहा है । क्या शासन एलोपैथिक तथा होम्योपैथिक निर्माणशालाओं को अल्कोहल आवंटन पुनः प्रारम्भ करेगी या नहीं ? करेगी तो कब तक और नहीं, तो क्यों ?]

स्वास्थ्य विभाग में रिक्त वरिष्ठ पदों पर प्रोन्नति में विलम्ब से विभागीय असन्तोष उत्पन्न होने के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना

*डा0 दिनेश जौहरी–

[मान्यवर, स्वास्थ्य विभाग में निदेशक स्तर के लगभग सौ एवं अन्य वरिष्ठ पद लगभग एक वर्ष से खाली पड़े हैं और सुपात्रों को प्रोन्नति नहीं मिल रही है । अनेक लोग बिना प्रोन्नति मिले रिटायर भी हो जायेंगे इसके कारण विभाग में भारी असन्तोष फैल रहा है व सरकार के प्रति विश्वास घट रहा है ।

अतः स्वास्थ्य विभाग में काफी समय से लम्बित वरिष्ठ पदों की प्रोन्नतियां यथाशीघ्र की जावें ।]

यूनिसेफ द्वारा चलाई जा रही आई0 सी0 डी0 एस0 स्कीम के सफल संचालन हेतु जिला कार्यक्रम अधिकारियों के रिक्त पदों को भरे जाने के सम्बन्ध में नियम 301 के अंतर्गत सूचना

*श्री देवेन्द्र पाल सिंह–

[मान्यवर, आपके माध्यम से मा0 सदन का ध्यान लोकहित के एक ज्वलन्त विषय की ओर आकृष्ट कर रहा हूं जिसमें अफसरशाही तथा लाल फीताशाही का पर्दाफाश होता है।

यूनीसेफ द्वारा चलाई जा रही आई0सी0डी0एस0 स्कीम के सफल संचालन हेतु प्रदेश में लगभ 32 जिला कार्यक्रम अधिकारी के पद सृजित/रिक्त हुए हैं जिनको भरने हेतु अधियाचन लोक सेवा आयोग को भेजे गये थे किन्तु लोक सेवा आयोग द्वारा पद पर चयन कर तैयारी कर सकने में लगने वाले समय को दृष्टिगत रखते हुए उ0प्र0 सचिवालय के अनुभाग अधिकारियों की सेवा से स्थानांतरित करते हुए इन पदों को भरने का प्रस्ताव रखा गया । मा0 मुख्य मंत्री महोदय का स्पष्ट आदेश भी इस पर हो गया कि फिलहाल एक वर्ष के लिए सचिवालय के अनुभाग अधिकारियों की सेवाएं स्थानान्तरित करते हुए इन पदों को भरा जाय तथा इससे पूर्व चयन आदि की कार्यवाही पूर्ण की जाय ।

नोट–[ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया ।

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

उ0 प्र0 सचिवालय के अनुभाग अधिकारियों में से लगभग 20 अनुभाग अधिकारियों ने प्रार्थना पत्र दिये जिनके सम्बन्ध में चार्ट आदि तैयार कर लिये गये तथा माननीय मुख्य मंत्री जी के आदेशों को दृष्टिगत रखते हुए अग्रेतर कार्यवाही यथाशीघ्र सम्पन्न करने हेतु समस्त तैयारी सक्रियतापूर्वक कर ली गई । इस स्टेज पर सचिव महिला कल्याण पर विभागीय सी0डी0पी0ओ0 लोगों का छल्छद्म तथा धन वर्षा का सीधा प्रभाव पड़ा तथा मा0 मंत्री जी से मंत्रणा कर उन्होंने पहले इसे चार बार घुमाया तथा अब इस पूर्व परिपक्व मामले को पूर्णतः समाप्त कर देने के लिए मौखिक निर्देश दे दिए हैं सचिव महिला कल्याण की व्यक्तिगत अन्यथा रुचि ने मा0 मुख्य मंत्री जी के स्पष्ट आदेशों की किस प्रकार सफाई कर दी यह एक आश्चर्यजनक तथा जांच कराये जाने का विषय है जिसमें अफसरशाही का हौसला कितना बुलन्द है तथा अनियमित कारगुजारी करने एवं मा0 मुख्य मंत्री जी के आदेशों तक को चाट जाने में वे कितने निपुण हैं यह बात स्पष्ट रूप से सामने आयेगी । कृपया स्वयं भी मामले की जांच करने का कष्ट करें ।

उल्लेखनीय है कि यदि मा0 मुख्य मंत्री जी के आदेशों का अनुपालन हो गया होता तो अब तक लगभग तीन माह पहले इन पदों को भर लिया गया होता जिसमें केवल सेवा स्थानान्तरण का ही मामला था तथा इसके लिए अनुभाग अधिकारियों ने प्रार्थना-पत्र दे भी रखा था । उ0प्र0 सचिवालय के अनुभाग अधिकारी प्रदेश शासन के संचालन में प्रमुख भूमिका निभाते हैं । एक ओर शासन इन्हें प्रशिक्षण देने तथा दिशा प्रशिक्षण देने की बात पर जोर देता है तथा दूसरी ओर एक ऐसे अवसर की किस प्रकार अनदेखी कर दी गई जिसमें इनका साक्षात तथा स्पष्ट योगदान होता एवं प्रदेश सरकार को स्पष्ट लाभ होता।

मा0 अध्यक्ष जी अभी भी समय है । कृपाकर मा0 मुख्य मन्त्री जी को आदेश दें कि वे कृपया सचिव, महिला कल्याण द्वारा किये गये इस अनियमित कार्य संबंधी पत्रावली मंगाकर अपने आदेशों का अनुपालन करायें तथा प्रदेश में अभी भी जो जिला कार्यक्रम अधिकारियों की सेवायें स्थानान्तरित कर तैनाती करें । इस कार्यवाही से अभी भी शासन को होने वाले लम्बे नुकसान से बचाया जा सकेगा तथा अन्तर्राष्ट्रीय कार्यक्रम का संचालन दक्षता से किया जा सकेगा । कृपया मामले से संबंधित अभिलेख आप भी मंगाकर स्वयं देख लें तथा स्थिति से सदन को भी बताने की कृपा करें ।]

जनपद बान्दा के जिला पुरुष एवं महिला चिकित्सालय में हो रही धांधली एवं अनियमितताओं के संबंध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना

श्री विशम्भर प्रसाद निषाद–

[माननीय, मैं आपका ध्यान तथा माननीय सदन का ध्यान अत्यन्त गम्भीर विषय की ओर आकर्षित करना चाहता हूं कि जनपद बांदा के जिला पुरुष एवं महिला चिकित्सालय में रोगियों से भर्ती फीस 50-150 रु0 लिये जाने एवं अपने घर बुलाकर रोगियों को निजी प्रैक्टिस में बाध्य करने एवं लाखों रुपये के फर्नीचर, पुताई व विद्युत आदि के नाम पर फर्जी बाउचर बनाकर व सरकारी दवाओं को बेंचकर सरकारी धन का गबन किया जा रहा है तथा हमेशा वार्डों में गन्दगी व विद्युत की गड़बड़ी एवं काला बाजारी के कारण अन्धेरा रहता है कई डाक्टर दस वर्षों से अधिक समय से जनपद बांदा में जमे

हैं तथा निजी प्रैक्टिस करते हैं तथा रोगियों के जिला चिकित्सालय में इलाज न करके घर के लिए बाध्य करते हैं। दिनांक 27-8-91 को रंगे हाथों डा0 केशव गुप्ता व ए0 के0 उपाध्याय को भर्ती के नाम पर रिश्वत लेते पकड़ा गया था जिसके संबंध में विभागीय तथा मजिस्ट्रीयल जांच चल रही है । मेडिकल प्रमाण-पत्र में भी मनमानी वसूली की जाती है।

जिला चिकित्सालय बांदा व महिला के डा0 बी0 डी0 रवि, डा0 केशव गुप्ता, डा0 रवि माथुर, डा0 भरद्वाज, डा0 मनोरमा तथा ज्ञानेश श्रीवास्तव कम्पाउण्डर व नर्स एस0 के डेविड द्वारा सरकारी अस्पताल को नर्क बनाकर सरकारी यन्त्रों को अपने घर ले जाया जाता है तथा खुले आम जनता से भर्ती के नाम पर दवा के नाम पर लूट की जा रही है इसलिए इन्हें नियमानुसार दण्डित कराया जाना आवश्यक है तथा जिले के बाहर उक्त दोषी डाक्टरों का स्थानान्तरण कर जांच विभागीय न कराकर शासन द्वारा जांच कराने के आदेश निर्गत किये जाने तथा स्थानान्तरण जिले से बाहर कराया जाय।]

माँगपत्र के प्रश्नों की सूचनायें

श्री अध्यक्ष–

मुझे आज नियम 300 में कुछ सूचनाएं प्राप्त हुई हैं।

श्री यदुनाथ सिंह–

मान्यवर, हमारा नियम 300 है, कृपया सुन लें।

श्री राम आसरे वर्मा–

मान्यवर, इसमें व्यवस्था दे दी गयी थी, सूनने के लिए, इसलिये सून लें।

श्री यदुनाथ सिंह–

मान्यवर, हम तो सफरर हैं।

श्री अध्यक्ष–

आज नियम 300 में मुश्किल से 5 सूचनाएं हैं।

श्री यदुनाथ सिंह–

मान्यवर, हम लोग नोटिस दे नहीं पाए । साढ़े नौ से साढ़े दस तक घिरे रहे और दलित छात्र आन्दोलन का डण्डा भी लगा।

श्री अध्यक्ष–

जितनी सूचनायें आयी हैं, उनका निस्तारण कर दूं । बहुत संक्षेप में हो जायेगा ।

श्री यदुनाथ सिंह–

मान्यवर, जब हृदय नारायण दीक्षित जी ने उठाया था तो आपने 301 के बाद उठाने के लिए कहा था ।

श्री अध्यक्ष–

बहुत संक्षेप में हो जायगा।

नोट :–[ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया ।

दलित शिक्षा आन्दोलनकारियों द्वारा दारुलशफा विधायक भवन का घेराव किये जाने तथा विधायकों को सदन की कार्यवाही में भाग लेने से रोके जाने के सम्बन्ध में औचित्य का प्रश्न

*श्री बेनी प्रसाद वर्मा–

मान्यवर, मैं नियम 300 के माध्यम से आप द्वारा सरकार का ध्यान आकृष्ट करना चाहता हूं कि मेरी सूचना स्पष्ट रूप से नियम 300 में आती है। मान्यवर, यह सरकार का संवैधानिक दायित्व है, हमने इसमें उल्लेख किया है कि भारत के संविधान के नीति निर्देशक तत्व 46 में राज्य को स्पष्ट निर्देश है कि "राज्य जनता के दुर्बल वर्गों के विशिष्टतया अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जन जातियों के शिक्षा और अर्थ संबंधी हितों की विशेष सावधानी से अभिवृद्धि करेंगे और सामाजिक न्याय और सभी प्रकार के शोषण से उनकी सुरक्षा करेगा।"

प्रदेश की राजधानी लखनऊ में महीनों से अनुसूचित जाति के छात्रों द्वारा दलित शिक्षा आन्दोलन चलाया जा रहा है । शैक्षणिक संस्थाओं में शिक्षकों एवं शिक्षार्थियों को संविधान के अनुसार आरक्षण तथा विद्यार्थियों को दी जा रही छात्रवृत्ति में अभिवृद्धि इस आन्दोलन की मुख्य मांगें हैं। इन्हीं मांगों को लेकर आज लखनऊ में दलित शिक्षा आन्दोलन विधान सभा का घेराव करने जा रहा है। मान्यवर, अनुसूचित जातियों एवं जनजाति की उक्त मांगें संविधान सम्मत तो हैं ही, साथ ही साथ राज्य सरकार की यह संवैधानिक जिम्मेदारी है कि उक्त मांगों के सम्बन्ध में चल रहे आन्दोलन को उनकी मांगों को मानकर बातचीत के द्वारा समाप्त करवाती। सरकार ने ऐसा न करके अपनी संवैधानिक जिम्मेदारी से मुंह मोड़ा है। आज के विधान सभा घेराव से उक्त आन्दोलन गम्भीर रूप ले सकता है और स्थिति विस्फोटक हो सकती है।

मान्यवर, जो इंजीनियरिंग में, मैडिकल में दिन प्रतिदिन उनकी तादाद घट रही है, उसको पूरा किया जाय। यह अलग से उनकी कोई मांग नहीं है। तीन महीने से हम समझ रहे हैं कि यह सरकार चुप्पी साधे हुए है। यह आरोप नहीं, बल्कि बिलकुल सत्य है । निर्बल वर्ग के छात्रों के प्रति यह सरकार भेदभाव कर रही है और यह सरकार बिलकुल निकम्मी साबित हुई है। श्रीमन् आज उसी के परिणाम स्वरूप विशेष रूप से हमारे माननीय सदस्यों को दारुलशफा से निकलने की दिक्कत हुई, पूरा उनका घेराव किया गया। मान्यवर, यह युवा वर्ग में बड़ा असन्तोष है। यह हम सबके लिए बड़े दुर्भाग्य की बात है । पिछले दिनों मंत्री जी की तरफ से यह जबाब आया था कि 30 अप्रैल के बजाय 31 मार्च तक ही कोटा पूरा कर लेंगे। श्रीमन् यह सरकार गुमराह कर रही है। मैडिकल और इंजीनियरिंग कालेज के जो शिक्षणार्थी हैं, उनकी उपेक्षा की जा रही है। यह सरकार असत्य जवाब दे देती है कि 30 अप्रैल नहीं, बल्कि 31 मार्च तक ही कोटा पूरा कर लेंगे। मैडिकल और इंजीनियरिंग कालेज के छात्रों को छात्रवृत्ति नामगात्र की दी जाती है । मान्यवर, आर्थिक सुरक्षा, शिक्षा के क्षेत्र में यह सरकार क्या बढ़ोत्तरी करने जा रही है और उनका जो आरक्षण कोटा है, वह कब तक पूरा कर दिया जायगा। मान्यवर, सरकार की ओर से इसका उत्तर दिलवाया जाय।

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

वित्त, संस्थागत वित्त, नियोजन एवं संसदीय कार्य मंत्री (श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त)–

मान्यवर, अभी यह आरोप लगाने का प्रयास किया गया . . .

(व्यवधान)

श्री यदुनाथ सिंह–

श्रीमन्, हम लोगों को भी बोलने का मौका नहीं देंगे?

श्री राम आसरे वर्मा–

मान्यवर, जो विधायक इससे प्रभावित हुए हैं, उनको भी मौका दिया जाय।

श्री अध्यक्ष–

यदि आप सब सहमत हों, तो माननीय वर्मा जी ने जो सूचना दी है, उसी के संदर्भ में सुन लिया जाय।

श्री राम आसरे वर्मा–

मान्यवर, घटना का संदर्भ माननीय वर्मा जी ने आज दिया है और उस घटना से संबंधित माननीय सदस्य आज सदन में मौजूद हैं।

श्री अध्यक्ष–

माननीय वर्मा जी की सूचना के आधार पर आप लोगों की बात सुन ली जायगी।

श्री बाबूराम यादव–

मान्यवर, मैं चाहता हूं कि माननीय वर्मा जी वाली जो सूचना है, उस पर गम्भीरता से सुन लें और जो दारुलशफा की बात है, उसको अलग से सुन लें।

*श्री यदुनाथ सिंह–

जो प्रश्न श्री हृदय नारायण दीक्षित जी ने सुबह उठाया था, हम लोग आपके रहते हुये, माननीय केशरी नाथ जी जैसे अध्यक्ष के रहते हुये, आज पीड़ित हुये। जिलाधिकारी को फोन किया गया, एस0 पी0 को फोन किया गया, गृह सचिव को फोन किया गया और मुख्य मंत्री जी को फोन किया गया, लेकिन हम लोग ढाई घंटे तक कैद से मुक्त नहीं हुये। लाठी डंडे दिखाये गये। दलित छात्रों का आन्दोलन ऐसा नहीं था कि विधायकों को पीटा जाये। दारुलशफा ए ब्लाक या बी ब्लाक के जितने भी विधायक हैं, चाहे वह इस पक्ष के हों और चाहे उधर के हों, आज कोई नोटिस नहीं दे पाये हैं और न कोई सूचना दे पाये हैं और पिटते पिटाते किसी तरह से यहां तक पहुंच पाये हैं। फर्रुखाबाद के वर्मा जी अपनी अटैची नहीं रख पाये। राज्य मंत्री श्री धनराज यादव के यहां से सभी को फोन किया गया। सभी लोग चाणक्य देखते हैं, लेकिन उसके अनुसार चलते नहीं हैं। सरकार को कल से मालूम है कि विधायकों को आने नहीं दिया जायेगा, फिर भी इस सरकार ने कोई प्रबन्ध नहीं किया। अगर सरकार पहले से कोई इन्तजाम करती तो, आज जो बदतमीजी विधायकों के साथ हुई है, वह न होती। दारुल-शफा के गेट पर प्रदर्शनकारियों का कैम्प लगा हुआ है, वहां पर किसी का कोई कैम्प नहीं लगना चाहिए। क्या मुख्य मंत्री जी अपने निवास के सामने इस प्रकार का कोई कैम्प लगवायेंगे। यह जो आज हुआ उसके कारण विधायी कार्यों में बाधा पहुंची है।

---

*वक्ता ने भाषण का पुनरीक्षण नहीं किया।

श्री शिव लाल मित्तल–

मैं भी बी0 ब्लाक से आया हूं । किसी ने कोई अवरोध नहीं उत्पन्न किया। यह आरोप लगा रहे हैं ।

(व्यवधान)

श्री यदुनाथ सिंह–

बी0 जे0 पी0 के विधायकों को ज्यादा पीटा गया है।

(व्यवधान)

श्री हृदय नारायण दीक्षित–

मान्यवर, सरकार की जिम्मेदारी होती है कि लोकतांत्रिक मान्यताओं और परम्पराओं के अनुरूप जो संविधान में अधिकार दिये गये हैं, उनकी परिधि में उन्हें मानते हुये जब कोई आन्दोलन होता है, तो सरकार को उनकी मांगों को सुनना चाहिये और उनकी मांगों पर विचार करना चाहिये, लेकिन इस सरकार के सामने जब किसी भी तरफ से कोई मांग आती है, तो सत्तापक्ष के लोगों द्वारा उसको अनसुना कर दिया जाता है और जब उसे विधान सभा में उठाया जाता है, तो पैसे की कमी की बात करते हैं। दलितों द्वारा जो इस समय आन्दोलन किया जा रहा है, उसमें जितनी भी मांगें हैं, औचित्यपूर्ण है, और वह संविधान में उल्लिखित नीति निर्देशक तत्वों के अनुरूप ही है और उनके संबंध में है । इन मांगों पर विचार करने के लिये कोई मंत्री या सरकार का कोई प्रतिनिधि उनके पास नहीं गया। चूंकि हम लोग वहां पर रहते हैं इसलिए हमें यह जानकारी है कि पहले उन्होंने ज्ञापन दिया था ।

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष–

कृपया शांत रहिये ।

श्री हृदय नारायण दीक्षित–

अगर कोई गया होता तो उन लोगों को इस तरह की कार्यवाही की कोई आवश्यकता नहीं थी । जो परचा बांटा गया, उसमें स्पष्ट लिखा है कि अपनी मांगों के समर्थन में 20 तारीख को विधान सभा का घेराव करेंगे । मान्यवर, इस समय विधान सभा का सत्र चल रहा है । तो सरकार को इस प्रकार की व्यवस्था करनी थी, जिससे हम लोग विधान सभा में आ जाते और उनकी मांगों को सरकार के पास तक संगत तरीके से पहुंचाते । यह परचा सरकार के पास भी पहुंचा है, लेकिन सरकार ने उस पर कोई कार्यवाही नहीं की है, उनकी मांगों को अनसुना कर दिया है, इसलिये उन्होंने मजबूरी में घिराव किया है। घेराव की परिस्थितियों में हम लोग श्री धनराज यादव मंत्री जी के यहां गये । मंत्री जी ने जिलाधिकारी को फोन किया । मान्यवर, जिलाधिकारी की तरफ से कोई रिसपान्स नहीं आया, कोई जिम्मेदारी की बात नहीं आई, माननीय मुख्य मंत्री जी को फोन किया गया, पुलिस अधीक्षक को फोन किया गया, कोतवाली को फोन किया गया मेरी तरफ से, मुख्यमंत्री के सचिव प्रथम श्री नृपेन्द्र मिश्रा को फोन किया गया, गृह राज्य मंत्री शाही जी को फोन किया गया (व्यवधान)

मान्यवर, यह परिस्थितियां इसलिए पैदा हुई कि खुल करके जब भी ऐसे आन्दोलन होते हैं तो सरकार ऐसे आन्दोलन से लाठी डन्डे से निपटना चाहती है तो एक स्थिति ऐसी आयेगी ही कि आक्रोश में जनता आयेगी (व्यवधान) और इस तरह की परिस्थितियां पैदा हो गयी । एक माननीय विधायक भागे, उनको चोटें भी आई । यह विषय नियम 300 में इसलिए आता है क्योंकि आदरणीय सदन में सुबह भी इसको कह चुका हूं । माननीय बेनी प्रसाद वर्मा जी ने जो विषय उठाया है, उससे स्वयं को सम्बद्ध करते हुए आपकी अनुज्ञा चाहता हूं । आपकी व्यवस्था चाहता हूं ।

(अनेक सदस्यों द्वारा लगातार बोलने का प्रयास करने पर व्यवधान)

श्री राम आसरे वर्मा–

मान्यवर, आज जो घटना घटी है दारुलशफा के परिसर में, बड़ी गम्भीर है और गम्भीर इस मायने में है कि दारुलशफा में अधिकांश विधायक विपक्ष के ही रहते हैं । मान्यवर, विपक्ष के विधायक सदन में न आ सकें और अपनी सूचनाएं न दे सकें, यह हमारे अधिकारों पर एक हमला माना जायेगा ।

(शोर)

मान्यवर, जब 9 बजे के करीब, चूंकि 9 बजे हम लोग आफिस में आकर के सूचनायें तैयार करके यहां देते हैं तो 9 बजे पता लगा कि दारुलशफा के चारों तरफ के दरवाजे घिरे हुए पड़े हैं, ताले पड़े हैं। मान्यवर, आपके आवास पर मैंने दो बार टेलीफोन करके इस बात की सूचना भी दी थी कि यह स्थिति यहां पर बनी हुई है । मान्यवर, दलित शिक्षा आन्दोलन से संबंधित छात्र आज हजारों की संख्या में लखनऊ में आये और उनके आन्दोलन की शुरुआत हुए कई महीने बीत भी गये । उनकी मांगों के औचित्य पर कोई प्रश्नचिन्ह नहीं लगा सकता । वे इंजीनियरिंग में अपने कोटे को भरने की बात करते हैं, मेडिकल में उनके कोटे के अनुसार उनको स्थान दिया जाय, उनको जो स्कालरशिप दी जा रही है, उससे संबंधित उनकी मांगें हैं और इतनी औचित्यपूर्ण मांगों के बारे में जो सरकार का नकारात्मक रूख है, आज उसने यह स्थिति पैदा कर दी और आज हमें अपने अधिकारों से वंचित कर दिया । मान्यवर, हमने एक विधायक से टेलीफोन करके कहा कि हमारा नाम डाल दीजिए, मैं यहां से निकलने की स्थिति में नहीं हूं हस्ताक्षर नहीं हो पायेगा, अभी यह बात आपके सामने आयेगी । मान्यवर, मैं कहना चाहता हूं कि आज दलितों के प्रति यह रूख सरकार ने बना रखा है, आज लगता है कि दलित शिक्षा प्रदेश में रहेगी नहीं । ऐसा लगता है मान्यवर, दलितों की आवाज को यह निकलने नहीं देंगे ।

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष–

आप लोग शान्त रहें ।

श्री राम आसरे वर्मा–

दलितों की मांगों के बारे में, दलितों के आंदोलन के बारे में अगर हमारे भाजपा के बन्धु ऐसे उत्तेजित हो जायेंगे तो मान्यवर, काम चलेगा नहीं । इन दलितों के सहयोग के बिना कल्याण इनका भी नहीं होना है । पूरी बात सुन नहीं रहे हैं और चीखने लगते हैं । मान्यवर, मैं निवेदन करना चाहूंगा कि आप संरक्षण दें हमें ।

दलित शिक्षा आंदोलन जो कई महीने से चल रहा है और उसकी चिंगारी प्रदेश के कोने-कोने में पहुंच रही है, अगर सरकार का उस पर इसी तरह का नकारात्मक रुख रहा तो आज दारुलशफा घेरा गया, हम लोगों का निकलना मुश्किल किया गया, और वही विद्यार्थी एक दिन मुख्यमंत्री का निकलना मुश्किल कर देंगे ।

[जनता दल (ब) के अधिकांश सदस्यों द्वारा सरकार विरोधी नारा लगाया गया जिससे व्यवधान हुआ] ।

श्री अध्यक्ष–

कृपया शान्ति बनाये रखें ।

श्री राम आसरे वर्मा–

मान्यवर, आप सरकार को निर्देश दें कि वे स्पष्ट करें कि दलित शिक्षा आन्दोलन के बारे में सरकार कौन से कदम उठा रही है, उनकी औचित्यपूर्ण मांगों के संबंध में सरकार की तरफ से क्या कार्यवाही की जा रही है ?

श्री अध्यक्ष–

अब आप समाप्त करें ।

श्री राम आसरे वर्मा–

मान्यवर, अगर नकारात्मक रुख रहेगा तो यह हादसे होते रहेंगे । मान्यवर, मेरी शिकायत है उन छात्रों से भी उनको गुमराह किया गया विपक्ष के विधायक जहां पर रहते हैं वहां पर घेराबंदी की गयी, अगर वही घेराबंदी सत्ता पक्ष की करते, मुख्यमंत्री जी की करते, तो हम भी साथ देते । मान्यवर, उनकी औचित्यपूर्ण मांगों के प्रति सरकार का नकारात्मक रुख बना हुआ है उनकी बात सुनने के लिए कोई तैयार नहीं है, संविधान की भावना का आदर नहीं हो रहा है, उस व्यवस्था के मुताबिक कार्य नहीं हो रहा है । मैं कहना चाहूंगा कि सरकार के कान खुलें और दलितों की आवाज को सुना जाये उनकी न्यायपूर्ण मांगों को देखा जाय ताकि इस तरह के हादसे न होने पायें ।

श्री रवीन्द्र शुक्ल–

मान्यवर, व्यवस्था का प्रश्न है ।

मान्यवर, मैं आपके माध्यम से यह व्यवस्था चाहता हूं कि आदरणीय सदस्य पुराने सदस्य हैं, मान्यवर, सदन में जो सूचनायें दी जाती हैं . .

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष–

कृपया शान्त रहें ।

श्री राम आसरे वर्मा–

मान्यवर, माननीय सदस्य आपकी व्यवस्था को चुनौती दे रहे हैं, इनको ज्ञान ही नहीं है ।

श्री रवीन्द्र शुक्ल–

मान्यवर, सदन में जो सूचनायें दी जाती हैं, सदस्यों से अपेक्षा होती है कि सदन को गुमराह न करें ।

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष–

आप लोग बैठें ।

विपक्ष की तरफ से कोई बात कहे, व्यवस्था का प्रश्न उठाये तो मैं सुनूं और सत्ता पक्ष की तरफ से कोई सदस्य कोई व्यवस्था का प्रश्न उठाये तो मैं न सुनूं यह ता नहीं होगा ।

श्री रवीन्द्र शुक्ल–

मान्यवर, माननीय राम आसरे वर्मा जी ने सदन को बताया कि दारुलशफा के अंदर केवल विरोधी दल के सदस्य अधिक रहते हैं । मैं आपके माध्यम से जानकारी के लिए बता रहा हूं कि वहां अनेकों मंत्री रहते हैं और न जाने कितने सत्ता पक्ष के सदस्य रहते हैं ।

श्री अध्यक्ष–

यह व्यवस्था का प्रश्न नहीं है ।

*श्री मुलायम सिंह यादव–

अध्यक्ष महोदय, अभी माननीय बेनी प्रसाद वर्मा जी और अन्य माननीय नेताओं और सदस्यों ने नियम 300 के अन्तर्गत और कुछ व्यक्तिगत परेशानियों को लेकर यह सवाल सदन में उठाया है ।

मान्यवर, मैं उन बातों को दोहराना नहीं चाहता हूं । जहां तक दलित वर्ग के छात्रों की मांग का सम्बन्ध है, उनको लेकर लगातार तीन महीनों से आन्दोलन चल रहा है किसी न किसी रूप में । उन्होंने इतना संयम और धीरज बरता है यह प्रमाण भी आपके सामने है कि इन तीन महीनों में इन्होंने उग्र रूप धारण नहीं किया । लेकिन आज सरकार की लापरवाही से इसने इतना उग्र रूप धारण कर लिया है । सरकार ने जो आज छात्रों को आतंकित करने का प्रयास किया है उसी का नतीजा है कि आज छात्रों ने विधायकों का घेराव किया । हो सकता है कि वह कल विधान सभा का भी घेराव करें । मूल बात यह है कि जो उनका आरक्षण का कोटा है, शिक्षण संस्थाओं में, उस कोटे को पूरा करना है । आज भारत रत्न बाबा साहब डा0 भीमराव अम्बेडकर की जन्म शताब्दी मनायी जा रही है उसके अन्तर्गत यह कोटा पूरा किया जाना चाहिए अगर यह नहीं पूरा हो पाता है वह यह कभी भी पूरा नहीं हो पायेगा ।

पिछली सरकार ने इस विषय में काफी कुछ किया था, उन्होंने बहुत से काम किये थे लेकिन आज यह सरकार उनकी मांगों को नहीं सुन रही है । वे उनकी मांगों को सुनते, उनको स्वीकार करते लेकिन हुआ इसका उल्टा, उन पर उल्टे लाठी चार्ज किया गया, उनकी पिटाई की गयी, उन्हें अपमानित किया गया । उसका नतीजा यह है कि आज सैकड़ों लोग घायल पड़े हैं, उन्हें गम्भीर चोटें आयी हैं और गम्भीर स्थिति बनी हुई है । यह स्थिति उत्तर प्रदेश की ही नहीं बल्कि पूरे देश की है ।

---

*वक्ता ने भाषण का पुनरीक्षण नहीं किया ।

अगर उनके साथ इन्साफ नहीं किया जायेगा, उनकी मांगों को स्वीकारा नहीं जायेगा, अल्पसंख्यकों के साथ न्याय नहीं होगा तो यह स्थिति सब जगह बनी रहेगी, और हम इसकी घोर निन्दा करते हैं । मान्यवर, जिन लोगों ने लड़कों पर गोली चलाने व लाठी चार्ज कराने के आदेश दिये हैं, यह ठीक है कि वे छात्र हैं और उन्होंने हमारा भी घेराव किया था लेकिन इसका यह मतलब नहीं उन्हें उत्तेजित होकर पीटा जाए, आप उसकी जांच करवाइये और जो लोग दोषी हैं उनके खिलाफ कार्यवाही कराइये ।

(शोर)

मान्यवर, आज सैकड़ों लोग घायल हैं । राजन नामक एक सुल्तानपुर का छात्र है, जो बी0 एस0 सी0 (द्वितीय) में है, उसकी उंगली में बहुत चोट आयी है, उसमें से खून बह रहा था, मैंने स्वयं वहां देखा वह चिल्लाता हुआ भाग रहा था, तो सरकार ने लड़कों की पिटाई की, उन्हें अपमानित किया इसलिए मेरी प्रार्थना है कि अगर दलित वर्ग के छात्रों के साथ इन्साफ करना है, उन्हें न्याय देना है, यह जो बाबा साहब डा0 भीमराव अम्बेडकर जन्म शताब्दी मनायी जा रही है उसका आदर करना है तो उन्हें सुनना पड़ेगा, उनकी मांगों को पूरा करना होगा। आज जो बाबा साहब डा0 भीमराव अम्बेडकर का अपमान हो रहा है, जो जुल्म और अत्याचार छात्रों पर हो रहा है इससे पूरे प्रदेश के हर वर्ग का छात्र उत्तेजित होगा । यह एक गम्भीर विषय है । इसलिए मैं मांग करता हूं कि जिन अधिकारियों ने लाठी चार्ज के आदेश दिये हैं उनके खिलाफ कार्यवाही की जाये और जो-जो छात्र गिरफ्तार किये गये हैं उन्हें तत्काल रिहा किया जाये। यही मेरी मांग है।

*श्री प्रमोद तिवारी–

मान्यवर, आज एक गम्भीर प्रश्न इस सदन के समक्ष उपस्थित हुआ है। पिछले 3 महीने से दलित शिक्षा के छात्र आन्दोलन चला रहे हैं, वह कोई गलत या नाजायज बात नहीं कह रहे हैं बल्कि जो उनका संविधान प्रदत्त अधिकार है, उनको ही वह मांग कर रहे हैं। मैं चश्मदीद गवाह हूं, जिस घटना का मैं यहां जिक्र कर रहा हूं । एक दिन महात्मा गांधी की मूर्ति जो खड़ी है, उस पर वे छात्र माल्यार्पण करना चाह रहे थे, उन छात्रों को माल्यार्पण करने से बलात रोका गया और उन पर लाठियां बरसाई गयीं। मान्यवर, ऐसी घटना पहली बार नहीं, अनेकों बार हुयी है, इस सदन की कार्यवाही गवाह है, इनकी मानसिकता गवाह है जब कभी भी विरोधी दलों के लोग दलों की सीमा खत्म कर दलितों की आवाज उठाते हैं, तो सदन के सत्तारूढ़ दल के सदस्य, जिनके लिए उनकी आवाज उठाना तो दूर, उनमें दलितों की आवाज सुनने का साहस भी नहीं है और जब इधर से दलितों की बात उठाई जाती है, तो कोई न कोई विरोधी खड़ा हो जाता है और बोलने से रोकने का प्रयास करता है।

मान्यवर, मैं इस सरकार से कहना चाहता हूं कि दलित छात्रों की जो मांगें हैं, वह उचित है, जिसे इस सरकार को मान लेना चाहिए। वैसे मुझे इस सरकार से आशा इसलिए नहीं है क्योंकि चाहे हरदोई में विधायक के भाई की हत्या का मामला हो, चाहे फर्रुखाबाद में हरिजनों को जिन्दा जलाने का मामला हो, चाहे उन्नाव की घटना हो, जिस सरकार की नींव हरिजनों की लाशों पर खड़ी होगी, वह ज्यादा दिनों

* वक्ता ने भाषण का पुनरीक्षण नहीं किया।

तक टिक नहीं सकती। मैं चाहूंगा कि जब संसदीय कार्य मंत्री जी इसका जवाब देने के लिए खड़े हों, तो वह इस बात का ध्यान रखें, वैसे तो वह हरिजन विरोधी रहे हैं, लेकिन वह अब सरकार में आ गये हैं और संविधान का पालन करना उनकी नैतिक जिम्मेदारी है। वह भले ही अलग रहकर हरिजनों का उत्पीड़न करें लेकिन सरकार में रहकर दलित छात्रों, हरिजन छात्रों पर लाठियां चलवायेंगे तो हम विरोधी दलों के लोग जरूर सड़कों पर आयेंगे और सरकार को उखाड़ फेकेंगे ।

(संसदीय कार्य मंत्री जी के जवाब देने के लिए खड़े होने पर विरोध पक्ष के अनेक सदस्य बोलने के लिए खड़े हो गये जिससे व्यवधान हो गया)

श्री अध्यक्ष–

इस पर काफी चर्चा हो गयी है और यहां सम्मानित वरिष्ठ नेताओं के विचार आ गये हैं । अब मैं कैलाश नाथ सिंह यादव, दिनेश चन्द्र सोनकर सहित तीन लोगों को और सुनूंगा, उसके पश्चात् माननीय संसदीय कार्य मंत्री को सुनूंगा (पुन: विरोध पक्ष के अनेक सदस्यों के खड़े होकर बोलने का प्रयास करने पर)

मैं प्रक्रिया तथा कार्य संचालन नियमावली के नियम 300 के उपनियम (4) की ओर ध्यान आकृष्ट करना चाहूंगा, जिसमें दिया है कि किसी औचित्य के प्रश्न पर वाद-विवाद की अनुज्ञा नहीं होगी, किन्तु अध्यक्ष यदि वह ठीक समझे, अपना विनिश्चय देने से पहले संक्षेप में बातें सुन सकेंगे, अब माननीय नेता जनता दल (अ) बोलें ।

श्री कैलाश नाथ सिंह यादव—

मान्यवर, यह जो प्रकरण सदन के समक्ष आया है, बड़ा ही गम्भीर मसला है और मैं यह कहता हूं कि जो पत्र हमारे हाथ लगा है, यह पिछली विधान सभा के सत्रावसान के दो दिन पहले का है । 11 अगस्त, 1991 को माननीय मुख्य मंत्री जी को एक पत्र दिया गया था और उसमें दलित शिक्षा आन्दोलन की तरफ से विभिन्न मांगों का उल्लेख था । मान्यवर, 7-8 महीने बीत चुके और पिछले 3 महीने से इन बातों को लेकर दलित शिक्षा छात्र आन्दोलन चला रहे हैं । मैं यह मानकर चलता हूं कि मंदिर के पुजारी अपनी उस बात को नहीं भूले होंगे, जब उन्होंने पढ़ने का अधिकार स्त्री व शूद्रों को नहीं दिया था और आज शूद्रों को उनकी स्कालरशिप से भी वंचित कर दिया है । मान्यवर, एक बात मुझे कहने में संकोच हो रहा है, लेकिन यह सत्य है कि तिवारी जी ने भी कहा, बनारस संस्कृत विश्वविद्यालय में बाबू जगजीवन राम ने डा0 सम्पूर्णानन्द की मूर्ति का अनावरण किया और उच्च वर्ग के लोगों ने उस मूर्ति को गंगाजल से धोने का काम किया, जो आर0एस0एस0 के लोग थे । मान्यवर, यह सच्चाई है कि आज जो कुछ भी कण्ड हुआ है, चाहे विधायक रोके गये, या वहां डंडा चला, इससे दुर्भाग्यपूर्ण बात कोई हो नहीं सकती । लेकिन जब डी0एम0 को कहा, एस0पी0 को कहा, या मंत्री के सचिव से कहा गया, तो तुरन्त इसकी व्यवस्था होनी चाहिये थी । मैंने स्वयं अपनी आंखों से देखा । आप भी इस बात को स्वीकारेंगे कि एक डंडा आपके कक्ष में अभी भी पड़ा होगा जो यदुनाथ सिंह जी आपके कमरे में लाये

थे । यह डंडा वहां पर बरामद हुआ जहां पुलिस डंडा चला रही थी । आप स्वयं बतायें कि वह डंडा आपके कक्ष में है कि नहीं ? वह डंडा कहां से आया ? उनको आन्दोलन करने की आवश्यकता नहीं थी । उनकी मांगें क्या हैं ? शिक्षा संस्थाओं में उनका कोटा भरा जाय । क्या यहां पर बैठे हुए लोग इस बात से सहमत नहीं हैं । उनकी मांग है कि हरिजनों के जो छात्रावास हैं, दलितों के जो छात्रावास हैं, उनकी मरम्मत कराई जाय । उनकी यह मांग नाजायज है ? जितने मेडिकल कालेजज हैं, इंजीनियरिंग कालेजज हैं, उनमें उनका कोटा भरा जाय ।

भारत के संविधान के अनुच्छेद 14 व 15 में इस बात का स्पष्ट उल्लेख है दी स्टेट शैल नाट डिस्क्रीमिनेट अगेन्स्ट एनी सिटिजन आन ग्राउण्डस ओनली आफ रिलीजन रेस कास्ट सेक्स प्लेस आफ बर्थ आर एनी आफ देम अर्थात् राज्य किसी नागरिक के विरुद्ध केवल धर्म, मूलवंश, जाति, लिंग, जन्म स्थान या इनमें से किसी के आधार पर कोई विभेद नहीं करेगा । जब डा0 भीमराव अम्बेदकर जी ने पढ़ना शुरू किया तो यह कहा गया कि इनकी पढ़ाई मत करों । आज उनका शताब्दी समारोह का आयोजन सरकार द्वारा किया जा रहा है, ऐसे में आज डा0 अम्बेदकर की आत्मा रो रही होगी । मैं एक उद्धरण देना चाहूंगा कि कुछ पत्रकारों ने कुछ ऐसी विभूतियों का राव के समय इन्टरव्यू लिया । वह कई विभूतियों के पास गये परन्तु जब वे पत्रकार डा0 अम्बेदकर के पास रात के 2.00 बजे पहुंचे तो उन्होंने देखा कि डा0 अम्बेदकर जागे हुए हैं । तब उन पत्रकारों ने डा0 अम्बेदकर से पूछा कि और लोग तो सो गये हैं और आप जाग रहे हैं तो उन्होंने कहा कि जिनके लोग जगे हुए हैं उनके नेता सो रहे हैं परन्तु जो दलित लोग आज तक सोये हुए हैं, उन्हें जगाने के लिए मैं दो बजे तक जाग रहा हूं ।

मेरा कहना है कि डा0 अम्बेदकर की आत्मा को कुचलने का प्रयास नहीं होना चाहिये। दलितों की जो मांग थी उसके संबंध में आठ महीने पहले एक पत्र माननीय मुख्य मंत्री जी को दिया गया था । शिक्षण संस्थाओं में उनके कोटे को पूरा किया जाय, उनके छात्रावासों की मरम्मत कराई जाय ताकि पढ़ लिखकर वे भी सही मायने में इन्सान बनकर समाज की रचना में अपना योगदान कर सके ।

श्री दिनेश चन्द्र सोनकर–

मान्यवर, आज इस सदन के सामने नियम 300 के अन्तर्गत जो मामला आया है, यह किस स्थान से और किस वर्ग से सम्बन्ध रखता है, मैं उन दोनों से सम्बन्ध रखता हूं। मैं विधायक निवास नम्बर-एक में रहता हूं । जब मैं इलाहाबाद से आया तो मैंने देखा कि पूरा दरवाजा घिरा हुआ है और चारों तरफ से पुलिस टहल रही है । अभी हमारे विपक्षी नेताओं ने अपनी बात कही । उन्होंने बताया कि दलितों का यह आन्दोलन तीन महीने से चल रहा है । दलित छात्रों के आन्दोलन में हमारे एक मंत्री उनके पंडाल तक गये थे । मान्यवर, मैं बताना चाहता हूं कि उनके आने के बाद ही पी0ए0सी0 के जवानों ने दलित शिक्षा आन्दोलन के लोगों को पीटा । उससे क्या हुआ कि जो विधायक वहां से आ रहे थे उन्हें आने नहीं दिया गया । दलित शिक्षा आंदोलनकारी वहां पर बैठे हुये हैं उनकी

जायज मांगें हैं और उन्होंने इसके लिये कम से कम एक महीने पहले ही सरकार को सूचना दे दी थी और कहा था कि अगर मांगें नहीं मानी गयी तो हम विधायकों का घेराव करेंगे। इसके बावजूद सरकार ने सुरक्षा व्यवस्था वहां पर नहीं की और उनकी जायज मांगों को न मानकर यह सरकार अपनी अक्षमता को प्रकट कर रही है (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष—

आप समाप्त करें ।

श्री दिनेश चन्द्र सांनकर—

जो वहां पर भा0जा0पा0 के विधायक थ उन्होंने पी0ए0सी0 वालों को दूर से उकसाया (व्यवधान) 10 साल के लडकों से लेकर 60 साल के लोग वहां पर थे और 10 साल के बच्चों तक की बुरी तरह पिटाई की गयी । विधायकों के साथ दुर्व्यवहार किया गया। वहां पर जो लोग पंडाल लगा कर बैठे थे उनको पीटा गया और उनका सामान पी0ए0सी0 वाले उठा ले गए हैं ।

श्री स्वामीनाथ यादव—

मान्यवर, विधायक निवास एक और दो में जब विधायक अपने घर से यहां आये तो वहां पर छात्रों का आन्दोलन उग्र हो गया था । दारूलशफा ए और बी ब्लाक से जो भी विधायक आ रहे थे चाहे वह सत्ता पक्ष के हों या विपक्ष के सब का घेराव कर लिया । विधायकों को देखकर वह उत्तेजित हो गये उनका कहना था कि यह सरकार दलितों को दबाने का षडयंत्र कर रही है । सवाल वहां का नहीं है जिलों में भी और गांवों में दलितों की उपेक्षा हो रही है । देवरिया की मैं बात बताता हूं जहां से राज्य गृह मंत्री आते हैं, वहां गांवों में दलितों को पीटा जा रहा है । (व्यवधान) पुलिस व न बाल पर प्रताड़ित किया जा रहा है ।

श्री अध्यक्ष—

आप ग्राह्यता पर बोलें ।

श्री स्वामी नाथ यादव—

मान्यवर, औचित्य के सवाल पर बोल रहा हूं । वहां पुलिस में कोई एस0ओ0 पिछड़ी जाति का नहीं है । सारे एस0ओ0 एक वर्ग विशेष के लोग हैं । कोई कोटा पूरा नहीं हो रहा है जिसके कारण यह आन्दोलन हो रहा है (व्यवधान) मात्र एक एस0 ओ0 अनुसूचित जाति का है । जबकि 5 एस0ओ0 अनुसूचित जाति के होने चाहिए ।

श्री अध्यक्ष—

नियम के अन्तर्गत बोलें ।

श्री स्वामी नाथ यादव—

हर जगह उनकी उपेक्षा हो रही है, उनको प्रताड़ित किया जा रहा है चाहे वह नौकरियों में हो या मेडिकल कालेजेज में हो। आजादी के 45 साल हो गये आज भी उनकी स्थिति ठीक नहीं है (व्यवधान) यह सरकार दलितों की विरोधी है । इस सरकार में दलितों पिछड़ी और अल्पसंख्यक को प्रताड़ित किया जा रहा है ।

श्री अध्यक्ष—

आप बैठें । मैंने शिव कुमार बेरिया जी को बुलाया है ।

*श्री शिव कुमार बेरिया—

मान्यवर, चाहे कोई भी सरकार हो अगर वह संविधान में दिये गये अधिकारों की अवहेलना करती है तो उसका विशेष होता है । हमारे दलित और पिछड़े वर्ग के लोगों और अल्पसंख्यकों के साथ यह सरकार जो कुर्सी में बैठी है उपेक्षा कर रही है । उनके प्रति संविधान में जो सरकार का दायित्व है उसका निर्वाह यह नहीं कर रही है । जब से यह सरकार बनी है तब से हरिजनों और दलितों का खून बहा रही है (व्यवधान) । मैं कहना चाहता हूं कि जब यह सरकार बनी तो सबसे पहले दलितों को उनके कुओं से पानी नहीं पीने दिया गया ।

(व्यवधान) दलितों के पीने वाले पानी के कुओं में पेशाब किया जाता ..... ।

(व्यवधान)

(नेता विरोधी दल के खड़े होने पर)

श्री अध्यक्ष—

माननीय सदस्य बेरिया जी आप बैठ जायं, नेता विरोधी दल खड़े हैं । आप बैठ जायं । (व्यवधान) माननीय सदस्य बेरिया जी आप बैठ जायं ।

श्री शिवकुमार बेरिया—

दलित वर्ग पर यह सरकार अत्याचार कर रही है ।

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष—

आप लोग शांत रहें । माननीय सदस्य बैठ जांय ।

श्री भगवन्त प्रसाद—

अध्यक्ष महोदय, यह दलित लोग जब तक शिलापूजन करते रहें तब तक उनकी पिटाई जारी रहे ।

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष—

जब नेता विरोधी दल खड़े हो गये तो आप लोगों को बैठ जाना चाहिए । आप लोग अपना-अपना स्थान ग्रहण करें ।

(व्यवधान)

(बहुजन समाज पार्टी के 6-7 माननीय सदस्य सदन के वेल में आ गये जिससे सदन में घोर व्यवधान उत्पन्न हो गया ।)

x x x

आप लोग अपना-अपना स्थान ग्रहण करें ।

(सदन के वेल में माननीय सदस्य नारे लगाते रहे)

x x x

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

नोट:—[×××] यह अंश श्री अध्यक्ष के आदेशानुसार कार्यवाही से निकाल दिया ।

मैं नेता विरोधी दल से निवेदन करूंगा कि वह इन सदस्यों से कहें कि वापस अपने-अपने स्थान पर जायं और मुर्दाबाद के नारे लगाना शोभनीय नहीं है ।

(माननीय सदस्यों के वापस जाने पर)

अभी माननीय सदस्यों ने उत्तेजना में जो अशोभनीय नारे लगाये वह कार्यवाही का अंग नहीं होगा ।

नेता विरोधी दल (कुंवर रेवती रमण सिंह)–

मान्यवर, यह संवेदनशील मामला है इसीलिये आप सी0पी0आई0 और एम0 को तथा बसपा नेताओं को सुनने की कृपा करें ।

श्री अध्यक्ष–

बहुजन समाज पार्टी के लोग मेरी मजबूरी को तो समझें, क्या वही अपनी बात कहते रहेंगे और यदि नेता विरोधी दल खड़े हों तो उन्हें बैठना नहीं चाहिए । परम्परा रही है कि जब नेता विरोधी दल खड़े हो तो दूसरे माननीय सदस्यों को बैठ जाना चाहिए । नेता विरोधी दल को प्राथमिकता मिलेगी और उनकी बात सुनूंगा । इसलिए अनावश्यक रूप से आप लोग उत्तेजित न हों ।

मैं एक-एक करके सदस्यों सुनने का मौका दे रहा हूं मैं आपको भी मौका दूंगा लेकिन जब माननीय नेता विरोधी दल खड़े हो जायं तो पहले तो उन्हें ही सुनूंगा। थोड़ी बहुत इस प्रकार की बातें हो गयीं । इस सदन को जीवंत रखने के लिए इस प्रकार के आरोप-प्रत्यारोप होते रहते हैं । आप लोग बसपा वाले पहले तय कर लें कि कौन बोलेगा उसके बाद नेता विरोधी दल बोलेंगे ?

*श्री बरखू राम वर्मा–

मान्यवर, दलितों के उत्पीड़न का यह पहला मौका नहीं है । आज की घटना में छात्रों के उत्पीड़न के कारण उन्होंने उत्तेजनावश यह कार्य किया । चाहे छात्रों का मामला हो या शिक्षकों का उनके साथ भेद-भाव का बर्ताव किया जाता रहा है । स्कूली संस्थाओं को ही ले लें इनके लिए जो आरक्षित कोटा है वह भी पूरा नहीं किया जाता है । संविधान में उनके अधिकार हैं वह उन्हें नहीं दिये जा रहे हैं । आज मैं इस सदन का ध्यान इस तरफ ले जाना चाहता हूं ।

समाज कल्याण विभाग द्वारा 83-84 के बाद से एक भी स्कूल को जो मान्यता प्राप्त हैं सरकारी ग्राण्ट के लिए नहीं चुना गया है । इन स्कूलों में जहां 50 प्रतिशत विद्यार्थी अनुसूचित जाति के हैं उन्हें किसी प्रकार की सहायता नहीं दी जा रही है। इस प्रदेश में दलित छात्रों के साथ यह ब्रह्मणवादी सरकार भेद-भाव कर रही है। छात्रों की उत्तेजना के कारण जो घटना हुई उसका कारण आज का नहीं है । यह छात्र तीन महीने से अपनी मांगों को रख रहे हैं । इसके विरोध में विधान भवन के समक्ष उन्होंने धरना दे रखा है । कोई भी सत्ता पक्ष का अधिकारी या मंत्री उनकी मांगों के बारे में उनसे बात-चीत करने के लिए नहीं गया । आज इस देश में डा0 अम्बेदकर द्वारा बनाये गये संविधान के तहत जो अधिकार दिए गए हैं, उनकी तरफ इनका ध्यान नहीं जाता । यह इस तरह के भेद-भाव का व्यवहार क्यों किया जा रहा है?

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

श्री अध्यक्ष–

आप अपनी बात अब समाप्त करें । आपकी बात सुन ली है ।

*श्री दीनानाथ सिंह यादव–

मान्यवर, आज जब यह घटना घटी । सुबह साढ़े आठ-पौने नौ बजे के करीब मैं श्री उदल जी, जो बीमार हैं । उनको 103–104 डिग्री के करीब बुखार था । मैं उन्हें अस्पताल जाने की तैयारी कर रहा था तो देखा कुछ छात्र उत्तेजित होकर गरमजोशी के साथ नारे लगा रहे थे । यह परिचित छात्र थे । रोज आते-जाते समय धरने पर बैठे दिखाई देते थे । मैंने कहा कि कम से कम विधायक जी जो बीमार हैं, अस्पताल से आना है इन्हें तो निकलने दो । वह कहने लगे रोज आते जाते हैं । सदन में बैठते हैं । तीन महीने से हम लोग धरना दिये हुए हैं । सरकार और पार्टी के लोग घड़ियाली आंसू बहाते हैं । हमारी बातों की कोई सुनवाई नहीं हो रही है ।

(समय 1 बजकर 20 मिनट)

आप सदन में जाकर कुछ नहीं कर रहे हैं इसलिए मैं सदन में नहीं जाने दूंगा । हमें उनकी बात 100 फीसदी जायज लगी । तीन-तीन महीने हो गये सरकार उनकी मांगों को नहीं मान रही है । पूरे उत्तर प्रदेश के छात्र भयंकर सर्दी में बैठे हैं और तीन महीने के बाद भी उनके बारे में सरकार ने कुछ विचार नहीं किया है । उनकी मांगों को मानने से सरकार इन्कार कर दी है । इसमें मेरी स्पष्ट राय है कि जो घटना हुई है उसमें सरकार की जिम्मेदारी है । दूसरा निवेदन यह करना है आपके माध्यम से कि सारी चीजों को छोड़कर सबसे पहले प्राथमिकता के आधार पर, दलितों के लिए जैसा कि संविधान में भी है, उत्तर प्रदेश के सारे कामों को छोड़कर सदन में स्पष्ट घोषणा करनी चाहिए । और उनकी मांगों को मानना चाहिए । यह मामला आन्दोलन बना हुआ है । मैं जिलों में गया था पार्टी के काम से वहां स्थिति विस्फोटक बनी हुई है । निश्चित रूप से मैं कहना चाहूंगा कि अगर उनकी मांगों को नहीं माना गया तो अभी तो दारूलशफा को घेरा गया है उसके बाद विधान सभा ने भी कोई अनहोनी घटना हो सकती है, तो प्राथमिकता के आधार पर उनकी मांगों को माना जाना चाहिए ।

श्री अध्यक्ष–

अब आप खत्म करें । महामहिम राज्यपाल महोदय के अभिभाषण पर बोलने का आपको अवसर मिलेगा उसमें आप अपनी बात को विस्तार से कह सकते हैं ।

(व्यवधान)

कुंवर रेवती रमण सिंह–

मान्यवर, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी के उदल जी नहीं हैं । माननीय सदस्य खड़े हुए हैं इनको बुलवा दीजिए ।

(व्यवधान)

---

*वक्ता ने भाषण का पुनरीक्षण नहीं किया ।

श्री राम प्रसाद सिंह–

मान्यवर, आज नौ बजे के आस पास छात्रों द्वारा विधायकों को रोका गया । दलित छात्रों की मांगे नयी नहीं हैं । संविधान के अन्तर्गत भी उनके मांगे सही हैं ।

(व्यवधान)

उनको पूरा नहीं किया गया है । यह प्रकरण तीन महीने से चल रहा है उनकी मांगे ऐसी नहीं हैं कि उनको न माना जाए । उनकी मांगों को इस सरकार को मानना चाहिए ।

(व्यवधान)

*श्री निर्वेन्द्र कुमार–

मान्यवर, नियम 300 के प्रश्न पर आपका ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा । तीन महीनों से दलित वर्गों की तरफ से आन्दोलन चल रहा है । उन्होंने ज्ञापन भी दे दिया था अगर हमारी मांगे पूरी नहीं हुई तो विधायकों का घेराव करेंगे । उनकी मांगों की तरफ कोई ध्यान नहीं दिया जा रहा था तो सरकार को तो यह चाहिए था, सरकार को ऐसी व्यवस्था करनी चाहिए थी कि विधायकों का घेराव न होता । यह भी मेरी मंशा नहीं है कि सत्ता में जो सरकार है उसकी मैं आलोचना करूं । लेकिन यह सत्यता अवश्य है कि पूरे उत्तर प्रदेश में दलितों के साथ, उनके लिये जो नियम और कायदे बनाये गये हैं उनके तहत उनको संरक्षण नहीं दिया जा रहा है । उदाहरण के तौर पर मैं कहना चाहता हूं कि कहीं पर भी उनका आरक्षण पूरा नहीं है । मेरे क्षेत्र में 2 सहकारी चीनी मिलें हैं । बार-बार मैं चिल्लाता रहा, क्षेत्रीय प्रतिनिधि कोटा पूरा कराने के लिए प्रयासरत रहे लेकिन उसके बावजूद भी दलितों का कोटा पूरा नहीं किया गया है और सवर्णों को उनकी जगहों पर नियुक्त कर दिया गया है। यहीं नहीं सीलिंग में जो जमीनें निकाली गयीं हैं उनके पट्टे हरिजनों को दिये गये हैं लेकिन हरिजनों को कब्जे नहीं दिये गये हैं ।

श्री अध्यक्ष–

ग्राह्यता पर आपके विचारों को आमंत्रित किया गया है, ग्राह्यता पर बोलें ।

श्री निर्वेन्द्र कुमार–

मान्यवर, जब मैं चुनाव लड़ रहा था तो 2 हरिजनों की हत्या कर दी गयी, एक पंडित जी ने कर दी । लेकिन हत्या की एफ0आई0आर0 नहीं लिखी गयी । लाशें पड़ी रही, कौवे, गिद्ध खाते रहे । (शोर)

श्री अध्यक्ष–

आप ग्राह्यता पर नहीं बोल रहे हैं । आप कृपया बैठिये ।

श्री निर्वेन्द्र कुमार–

मान्यवर, [× ×] मुझे अपने दिल की बात कह लेने दीजिये । मान्यवर, [× × ×] मुझे अपने दिल की बात कह लेने दीजिये ।

श्री अध्यक्ष–

आप कृपया बैठिये ।

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

नोट:–[×××] यह अंश श्री अध्यक्ष के आदेशानुसार कार्यवाही से निकाल दिया गया।

कुंवर रेवती रमण सिंह—

मान्यवर, आज इस विधान सभा में नियम 300 के अंतर्गत सजपा नेता माननीय वर्मा जी ने माननीय मुलायम सिंह जी ने, माननीय प्रमोद तिवारी जी ने, माननीय कैलाश नाथ सिंह जी ने अपने विचार रखे हैं । मान्यवर, पिछले 20-25 सालों से मैं देख रहा हूं लेकिन इस तरह की घटना ऐसी अभूतपूर्व घटना घटित नहीं हुयी है । यह चिंतन का विषय है कि यह घटना घटी क्यों? केवल यह कहकर टाला नहीं जा सकता है कि विधायक निवास का घेराव किया गया इसलिये सब चीजों का उत्तरदायित्व उनके ऊपर है । उन्होंने घेराव क्यों किया? पिछले तीन महीनों से, अगर मैं कहूं तो अतिशयोक्ति न होगी । पिछले 6 महीनों से लगातार वह इस बात का प्रयास कर रहे हैं कि जो संविधान में उनको अधिकार दिये गये हैं उनकी प्राप्ति हो, उनकी रक्षा हो सके । लेकिन मान्यवर, अफसोस इस बात का है कि बजाय उनसे बात करने के उनके ऊपर लाठी गोली चलायी गयी उनको निर्ममता से पीटा गया वह भी जब आज हम पूरे देश में डा0 अम्बेदकर जी की शताब्दी मना रहे हैं । मान्यवर, मुझे अफसोस इस बात का है कि एक मंत्री, मैं नाम नहीं लेना चाहता, वह मिलने गये दलित छात्रों से और जैसे ही वह मिलकर आये पी0ए0सी0 वालों ने उन पर लाठियां बरसायीं जिससे लोग लहूलुहान हो गये । उनका सामान तोड़ा गया। वहां पर पी0ए0सी0 का कैंप लगा हुआ है लेकिन उसके बावजूद भी उनको लूटा गया और उनको मारा गया । (शेम-शेम की आवाजें) .....मान्यवर, ज्यादा न कहूं, नहीं तो मैं भी ऐसी बात कह सकता हूं ..(व्यवधान)..कह दूं, भाजपा के लोगों ने उनको पीटा और लूटा । यह बड़े अफसोस की बात है...(घोर व्यवधान)..।

श्री अध्यक्ष—

कृपया स्थान ग्रहण कर लें, कृपया शांत रहें ।

कुंवर रेवती रमण सिंह—

मान्यवर, मुझे आप लोगों पर बड़ी दया आती है ।

श्री अध्यक्ष—

(घोर व्यवधान के मध्य) कृपया स्थान ग्रहण कर लें, कृपया शान्त रहें ।

कुंवर रेवती रमण सिंह—

मान्यवर, मुझे दया इस बात पर आती है कि ये बेचारे चुनाव में तो नारा लगाकर आए धर्म की ठेकेदारी का, लेकिन इनके आचरण से कुछ बचा है ? दलित छात्र क्या कह रहे हैं, आज आई0ए0एस0, आई0पी0एस0, आई0एफ0एस0 का केवल 8 परसेंट कोटा पूरा हो पाया है 45 साल की आजादी के बाद । मान्यवर, आज बड़े अफसोस की बात है कि शिक्षण संस्थाओं में, चाहे उनके प्रवेश का मामला हो, आरक्षण का मामला हो, चाहे जितनी भी शिक्षण संस्थाएं हैं, उसमें अध्यापन का मामला हो, वह कोटा लगातार गिरता जा रहा है । यह चिन्ता का विषय सबके लिये होना चाहिए । बजाय इसके लिये चिंता करें, बात करें और समाधान निकालें उन पर लाठियों से प्रहार करायें, अराजक तत्वों से प्रहार करायें, चाहे जो भी ऐसे कार्य रहे हों क्या आपको शोभा देता है ? मैं

मुख्य मंत्री जी से कहना चाहता हूं कि वे जबसे मुख्य मंत्री बने हैं फाइलों में इतने उलझे हैं कि देख नहीं पा रहे हैं कि प्रदेश में क्या हो रहा है । दलितों और अल्पसंख्यकों, पिछड़े वर्ग के लोगों और पिछड़े छात्रों सब पर गोलियां चलाई जा रही हैं (घोर व्यवधान)

श्री अध्यक्ष—

कृपया शांत रहें ।

कुंवर रेवती रमण सिंह—

आज उनसे अगर आपने बात कर ली होती और जो उनकी मांगें हैं, उनकी कोई भी मांग अनुचित नहीं है, उन पर बात कर ली होती तो सम्भवतः यह समस्या पैदा न होती । मैं आपसे कहना चाहता हूं कि यह सरकार दलित विरोधी, छात्र विरोधी, किसान विरोधी, पिछड़ा वर्ग विरोधी, अल्पसंख्यक विरोधी सरकार है । और इसलिये मान्यवर, यह सरकार चल नहीं पाएगी । जो तरीका आपने अपनाया है, इससे शासन नहीं चल पाएगा । आपको जाना तो है ही । आपको जाना है ही, लेकिन ऐसा कर्म क्यों करते हो। मैं आपसे आग्रह करूंगा कि मुख्य मंत्री जी को निर्देश दें कि वे आज ही इन छात्रों को बुलाकर इनके प्रतिनिधि-मंडल से बात करें । और उनकी सभी उचित मांगों को आज ही पूरा करने का काम करें ।

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त—

माननीय अध्यक्ष जी, बड़े गम्भीर विषय पर चर्चा हुई, इस चर्चा को दो हिस्सों में बांटता हूं, एक तो आज घेराव हुआ..(व्यवधान)

श्री बेनी प्रसाद वर्मा—

मान्यवर, चर्चा नहीं हुई ।

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त—

मान्यवर, चर्चा हुई ग्राह्यता पर और दूसरी उनकी मांगों के बारे में । मुझे यह स्वीकार करते किंचित संकोच नहीं है कि आजादी मिलने के बाद आज तक इन दलितों के साथ बहुत हकतलफी की गयी, उनके साथ बहुत अन्याय किया गया । यह बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है, आज उन्हें अपनी न्यायोचित मांगों के लिए आंदोलन करके सड़क पर आना पड़ा । लेकिन मान्यवर, किसी भी आन्दोलन के दो उद्देश्य होते हैं, एक तो सरकार का ध्यान आकर्षण करना और दूसरा उस आंदोलन के द्वारा राजनीतिक लाभ प्राप्त करना । यह आरोप लगाया गया कि इन आंदोलनकारी छात्र में से कोई मिला नहीं ।

मैं बड़े सम्मान के साथ आपके माध्यम से आदरणीय सदन को अवगत करना चाहता हूं कि आंदोलनकारी छात्रों से दो बार हमारी वार्ता हुई । मुझे सही जानकारी है कि माननीय समाज कल्याण मंत्री उनके धरने पर स्वयं वार्ता करने गये । उन्होंने अपना धरना वापस भी कर दिया, भूख हड़ताल वापस कर दिया । लेकिन मान्यवर, आगे की सूचना देने में मुझे तकलीफ हो रही है, नाम तो नहीं लेना चाहता हूं । आज जो लोग नैतिकता की बड़ी दुहाई दे रहे हैं और हमारे लिए कह रहे हैं कि जनता ठुकरा देगी, जनता ने उनको ठुकरा दिया है । उनके एक नेता द्वारा उन लोगों को दुबारा आंदोलन

के लिए मजबूर किया गया । अभी माननीय नेता विरोधी दल ने बहुत अच्छी बात कही कि पिछले वर्षों से देखते रहे हैं कि उनकी न्यायोचित मांगों पर विचार नहीं किया गया ।

(व्यवधान)

श्री बेनी प्रसाद वर्मा—

मान्यवर, यह सीधा-सादा आरोप है । (घोर व्यवधान) ये गुमराह कर रहे हैं। (अनेक सदस्यों द्वारा एक साथ खड़े होकर बोलने का प्रयास करने पर घोर व्यवधान हो गया तथा विरोध पक्ष के कई सदस्य सदन के मध्य आ गये और नारे लगाने लगे तथा माननीय अध्यक्ष की पीठ की ओर बढ़ने का प्रयास करने लगे)

श्री अध्यक्ष—

माननीय सदस्य कृपया अपना-अपना स्थान ग्रहण कर लें ।

(घोर व्यवधान)

कृपया अपना स्थान ग्रहण करें ।

[सरकार के विरोध में नारे लगाये जाते रहे]

आप लोग अपने स्थान पर जायें ।

माननीय सदस्य अपना आसन ग्रहण करें ।

सभी लोग सदन का त्याग करें । मैं मार्शल को आदेश देता हूं कि इन सभी माननीय सदस्यों को सदन के बाहर कर दें । (घोर व्यवधान)

मैं सदन को 2 बजे तक के लिये स्थगित करता हूं ।

(तत्पश्चात् श्री अध्यक्ष ने 1 बजकर 40 मिनट पर सदन की कार्यवाही दो बजे तक के लिये स्थगित कर दी ; 2 बजे मार्शल ने सदन को सूचित किया कि श्री अध्यक्ष ने सदन का स्थगन 2 बजकर 15 मिनट के लिए और बढ़ा दिया है । तदोपरान्त दो बजकर 15 मिनट पर श्री अध्यक्ष के सभापतित्व में सदन की कार्यवाही पुनः आरम्भ हुई ।)

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त—

माननीय अध्यक्ष जी, मैंने जिन नेता का नाम लिया ।

श्री बेनी प्रसाद वर्मा—

मान्यवर, मैं भी कुछ कहना चाह रहा हूं ।

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त—

पहले मेरी बात सुन लें । उनका इनके दल से कोई संबंध नहीं है । मान्यवर, मैंने माननीय नेतागण का भाषण बड़े ध्यान से सुना, उन्होंने एक बात कही है जिससे हम सहमत हैं कि पिछले वर्षों में हकतलफी हुई है । दूसरी बात माननीय मुख्य मंत्री जी के लिये कही गयी कि फाइलों में उलझे रहते हैं । मान्यवर, मुझे भी सदन की सेवा करने का पुराना अनुभव रहा है, कई माननीय मुख्य मंत्रियों को देखा है, यह जो हमारे माननीय मुख्य मंत्री जी हैं, उद्घाटन, भाषण, माला पहनना इन सब कामों से दूर रहकर 24 घन्टे का पूरा समय प्रशासनिक कामों में लगाकर मान्यवर, उत्तर प्रदेश को एक नयी दिशा देने का काम कर रहे हैं, इसके लिये हमें उन्हें बधाई देनी चाहिये ।

(सत्ता पक्ष की ओर से मेजों की थपथपाहट)

श्री स्वामी नाथ यादव–

क्या यह बात आप दिल से कह रहे हैं ?

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त–

मान्यवर, जैसा कि मैंने कहा माननीय सदस्यों की इस बात से सहमत हूं कि पिछले वर्षों में हकतलफी हुई है ।

श्री प्रमोद तिवारी–

अकेले में कहते हो कि सब चौपट किया है ।।

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त–

हकतलफी का जिम्मेदार कौन है, उन्हें 40 सालों से हक क्यों नहीं मिला, आरक्षण का कोटा क्यों नहीं पूरा किया गया, समाज में एक सम्मानित नागरिक के नाते एक स्वाभिमान के साथ जिन्दा रह सके इसका मौका क्यों नहीं दिया गया, इसकी जिम्मेदारी किस पर है? भारतीय जनता पार्टी का यह फैसला है, हमारी सरकार का फैसला है हम समाज के सभी वर्गों के साथ इन्साफ देने के लिये पूरी तरह से प्रतिबंद्धित है ।

(सत्ता पक्ष की ओर से मेजों की थपथपाहट)

जहां तक अनुसूचित वर्ग के भाइयों का ताल्लुक है, हम सरकार में आये हैं मैं आपके माध्यम से सदन को याद दिलाना चाहता हूं, यहां नियुक्तियों पर प्रतिबन्ध लगा हुआ था, हमने नियुक्तियों पर से प्रतिबन्ध हटाया, और यह घोषणा की कि सबसे पहले जो अनुसूचित वर्ग का कोटा है उसे भरा जाना चाहिए, हमने तब तक अन्य नियुक्तियों पर विशेष बल नहीं दिया । मान्यवर, आजकल आप समाचार-पत्रों मे विज्ञापन देखते होंगे, विज्ञापन में रहता है कि अनुसूचित वर्ग का कोटा पूरा होना है । बराबर मानिटरिंग की जा रही है कि अनुसूचित वर्ग का कोटा भरा जाना चाहिये ।

मान्यवर, हमने सरकार में आतेआते, अनुसूचित वर्ग के बालकों को जो वजीफा दिया जाता है उसकी राशि में वृद्धि कर दी हमने उसकी मात्रा बढ़ा दी । अभी शिक्षा संस्थाओं का नाम लेकर बात कही गयी, मैं एक जानकारी देना चाहता हूं, हमने माध्यमिक विद्यालय की जो संस्थायें है उन पर धारा 18 प्रतिबन्धित किया, हम नियुक्तियां कर देना चाहते हैं, लेकिन जब हिसाब लगाया गया तो 1986 से आरक्षण का नाम बहुत है, सब विचार करके देखा, जो विद्यालयों के मैनेजर भी है (समय 2 बजकर 20 मिनट) उनके प्रबन्धक है क्या उत्तर प्रदेश में कोई माध्यमिक विद्यालय है जहां आरक्षण को कोटा पूरा है । एक भी विद्यालय ऐसा नहीं मिलेगा जहां आरक्षण का कोटा पूरा हो, 1986 से आज हमने धारा 18 बंद की है हमने एक के स्थान पर 4 कमीशन एप्वाइन्ट करने का फैसला किया है। यह भी फैसला किया है कि आगे जो नियुक्तियां की जायेंगी वह सेक्टर के हिसाब से होंगी। पहले आरक्षण कोटा फिर जनरल कोटा । यह जो पुराना बैक-लाग है, इसे हमने पूरा करने का फैसला किया है । हमने शिक्षकों की सुविधायें भी बढ़ायी है और हम उनकी समस्याओं का निराकरण भी कर रहे हैं । हमने माननीय समाज कल्याण मंत्री जी से बातचीत की है और हम आपका सहयोग भी चाहते हैं और अगर आपका सहयोग हमें मिलेगा तो हम इनकी समस्याओ का निराकरण कर सकते हैं । मान्यवर, यह जो अनुसूचित जाति के लोग हैं यह हमारे भाई हैं, वे समाज के बराबर है और हम एक ऐसे समाज की रचना करना चाहते हैं जिसमें न कोई छोटा हो और न कोई बड़ा ।

मान्यवर, डा0 भीमराव अम्बेडकर का नाम लिया गया । जिस समय जनता पार्टी की सरकार थी उस समय माननीय मुलायम सिंह यादव जी मंत्री थे, मैं भी उस समय सत्ता पक्ष में था, अगर मेरी स्पीच निकाल कर देखें तो उसमें यह पता लग जायेगा कि मैंने कितने कठोर शब्दों में इसकी निन्दा की थी और मेरी मांग थी कि जिन लोगों ने यह काम किया है उसके खिलाफ कड़ी कार्यवाही की जाये और कार्यवाही की भी गयी । जहां तक डा0 भीम राव अम्बेडकर का ताल्लुक है वे एक ऋषि थे, सन्त थे, उन्होंने समाज के दलित वर्गों को उठाने में काफी योगदान दिया । उनका अपना एक महत्व है । आज आप भारतीय जनता पार्टी के किसी भी कार्यालय में चले जाइये वहां पर आपको डा0 अम्बेडकर का चित्र जरूर मिलेगा । उन्होंने कमजोर वर्ग के लोगों, पिछड़े हुए लोगों के हितों के लिए श्रेष्ठ काम किया है और यह हमारी प्रतिबद्धता है कि उनका सम्मान किया जाना चाहिए । हमारा कोई इरादा उन्हें अपमानित करने का नहीं है ।

एक बात और है । यहां पर माननीय यदुनाथ सिंह जी का भाषण सुना एक स्वर में बुराई की और दूसरे स्वर में उन्होंने यह कहा कि वहां पर धरना दे रहे हैं, नारे लगा रहे हैं जिससे माननीय विधायकों के अध्ययन में बाधा पड़ रही है

कुंवर रेवती रमण सिंह–

मान्यवर, मैं माननीय संसदीय कार्य मंत्री जी से एक स्पष्टीकरण चाहता हूं । मान्यवर, यह जो माननीय संसदीय कार्य मंत्री जी भाषण दे रहे हैं वह सिर्फ भाषण देने के लिए है । उन्होंने सवाल का कोई जवाब नहीं दिया है । मान्यवर, इन्होंने डा0 अम्बेडकर की फोटो तो अपने दफ्तर में टांग दी है लेकिन दलितों को ये लाठियों से पिटवा रहे हैं और साथ ही साथ इन्होंने यह भी नहीं कहा कि जो आरक्षण का कोटा है उसे हम पूरा करेंगे कि नहीं । मान्यवर, यह जो फायरी स्पीच दे रहे हैं वह सिर्फ वहीं तक है, जो यह घोषणायें करते हैं वह सिर्फ कागजों तक ही सीमित है । इस लिए मैं और मेरा दल इस सदन का बहिष्कार करता है ।

(कुंवर रेवती रमण सिंह अपने दल के सदस्यों के साथ सदन त्याग कर चले गये)

श्री प्रमोद तिवारी–

मैं आपके माध्यम से यह कहना चाहता हूं कि दलितों ने जो अपनी मांग उठायी थी, उन जायज मांगों को माननीय वित्त मंत्री जी ने इस सदन में पूरा न करके, उनकी घोषणा न करके उसकी जगह उन पर गोलियां व लाठियां चलायी जिससे मैं और मेरा दल इस सदन का त्याग करते हैं ।

(श्री प्रमोद तिवारी अपने दल के सदस्यों के साथ सदन त्याग कर चले गये)

श्री यदुनाथ सिंह–

मान्यवर, मेरा नाम माननीय संसदीय कार्य मंत्री जी ने लिया है । यह सही है कि सरकार ने दलितों की मांग को पूरा नहीं किया है, उनका उत्पीड़न किया गया है, यह दलित विरोधी है, जन विरोधी है इसलिए मैं और मेरा दल इस सदन का त्याग करता है ।

(श्री यदुनाथ सिंह अपने दल के सदस्यों के साथ सदन त्याग कर चले गये)

श्री मुलायम सिंह यादव–

मान्यवर, माननीय संसदीय कार्य मंत्री ने माध्यमिक शिक्षकों के कोटे को पूरा करने की बात कही । इसलिए मैं जानना चाहता हूं कि एक तरफ तो दलित वर्ग के छात्रों की पिटाई की, जबकि उनकी मांग है कि शिक्षकों का कोटा पूरा किया जाये, तो एक तो छात्रों की रिहाई के बारे में कुछ नहीं कहा और दूसरी तरफ जिन लोगों ने छात्रों को पीटा है, मान्यवर, आपको पता होगा कि पहले भी छात्रों को पीटा गया, उनके कपड़े फाड़ डाले गये, उन्हें खाना नहीं दिया गया तथा कई दिन तक भूखा रखा गया ।

मान्यवर, माध्यमिक शिक्षा आयोग जो था, जिसके माध्यम से शिक्षण संस्थाओं में दलितों का कोटा पूरा हो सके, उस पर पूरी तरह से नियुक्तियों पर प्रतिबंध लगा दिया गया । मैं बताना चाहता हूं कि यह काम भाषण से नहीं, बल्कि काम करने से होगा । अगर इस सरकार में जरा भी संवेदनशीलता है, तो मैं जानना चाहता हूं कि आपने इन नियुक्तियों पर रोक क्यों लगा दी ? दूसरी बात, जो दलित वर्ग के छात्र बंद हैं, उनकी तुरन्त रिहाई का आदेश दिया जाय और जिन लोगों ने उनकी पिटाई की है, उनके खिलाफ कार्यवाही की जाय ।

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त–

मान्यवर, कदाचित अगर मेरी बात पूरी सुनी जाती, तो मुलायम सिंह को आगे आगे कुछ कहने का अवसर नहीं मिलता । मैं लम्बा समय बोल गया क्योंकि बहुत सी बातें कही गयीं थीं और उनका संक्षेप में जवाब देना आवश्यक था । जहां तक उनकी मांगों का सवाल है, मैं फिर दोहराना चाहता हूं कि उनकी मांगों के साथ इंसाफ करने का हमारा पूरा इरादा है, पूरी सहानुभूति है और उसी दिशा में सरकार एक-एक कदम बढ़ाकर चलने को कमिटेड है । मुलायम सिंह जी ने एक बात कही, माध्यमिक शिक्षा आयोग के बारे में । नियुक्तियां नहीं हो रहीं, मान्यवर, यह तदर्थ नियुक्तियां थीं, हमने तय किया और तदर्थ नियुक्तियों को रेगुलराइज कर दिया और साथ ही एक से ज्यादा चार आयोग गठित करने का फैसला किया । अब ऐसा नहीं होगा कि उपेक्षा करके अपनी मनचाही नियुक्ति कर लें, अब हर नियुक्ति आयोग के अनुसार होगी । मान्यवर, यह भी कहा गया कि आरक्षण के हिसाब से कोटा नहीं भरा गया । मान्यवर, हमने आरक्षण के कोटे को भरने का निश्चय किया और अब जो नियुक्तियां होंगी. उसमें पहले एक आरक्षण कोटा का व्यक्ति लिया जायगा, उसके बाद दूसरा व्यक्ति, लेकिन प्राथमिकता आरक्षण कोटा को भरने की ही है । जहां तक शैक्षिक संस्थाओं में कोटा देने का सवाल है, इन सब बातों पर सरकार कदम उठा रही है । मैं विनम्र शब्दों में निवेदन करना चाहता हूं कि इस संवेदनशील मामले को राजनीतिक दृष्टि से न देखें और हमें ऐसे समाज के निर्माण में सहयोग दें, जहां समता का वातावरण हो ।

मान्यवर, बड़ा भारी बैकलाग है, उसको पूरा करने की जिम्मेदारी हम पर पड़ी है । मैं इस आदरणीय सदन को आश्वस्त करना चाहता हूं कि जो हकतलफी हुई है, यह सरकार अपने कार्यकाल में उसको दूर करेगी और कार्यकाल में इस कोटे को पूरा करके नया कीर्तिमान स्थापित करेगी, इसकी मैं घोषणा करना चाहता हूं ।

मान्यवर, एक बात और कहकर अपनी बात समाप्त करना चाहूंगा । जहां तक नियम 300 का ताल्लुक है, आप स्वयं विचार कर लें, कि यह 300 की परिधि में आता नहीं, न तो इसमें सदन के सामने कोई मामला है, फिर भी इसे 300 में दिया गया है । 2-3 बातें मुलायम सिंह जी ने कही हैं, आवश्यकता से ज्यादा बल प्रयोग की बात भी कही, मैं इसको स्वीकार करने को तैयार नहीं हूं, कि ज्यादा बल प्रयोग किया गया है, उसके बाद यदि कोई जानकारी मिलेगी, तो उसको दिखवा लिया जायेगा ।

श्री बेनी प्रसाद वर्मा–

मान्यवर, संसदीय कार्य मंत्री की तरफ से जो उत्तर दिया गया, उसमें कोई बात स्पष्ट नहीं है । दलितों का जो उत्पीड़न हुआ है, उसके बारे में कुछ नहीं कहा । जो माध्यमिक शिक्षा आयोग का अध्यक्ष है, उसको भी परोक्ष रूप से हटाने की घोषणा कर दी गयी है, इसलिये मैं सरकार के दलित विरोधी आचरण तथा निकम्मेपन के विरोध में अपने दल के साथ बहिर्गमन करता हूं ।

(श्री बेनी प्रसाद वर्मा ने अपने दल के सदस्यों सहित सदन का त्याग किया)

श्री अध्यक्ष–

यह सूचना अग्राह्य की जाती है ।

सूचना एवं जनसम्पर्क विभाग की सूचना निदर्शनी में सांसदों की संख्या गलत प्रकाशित किये जाने के सम्बन्ध में औचित्य का प्रश्न

श्री अध्यक्ष–

नियम 300 के अन्तर्गत माननीय श्री अमरेश चन्द्र पाण्डेय ने सूचना एवं जनसम्पर्क विभाग की सूचना निदर्शनी में गलत जानकारी दिये जाने की सूचना दी है । श्री पाण्डेय, अपनी बात कहें ।

(श्री बेनी प्रसाद वर्मा व उनके दल के सदस्य जाते समय सरकार विरोधी नारे लगाते रहे ।)

(व्यवधान के मध्य)

(बहुजन समाज पार्टी के सदस्य भी यह कहते हुए सदन से चले गये कि यह सरकार दलित विरोधी है)

*श्री इम्तियाज अहमद–

मान्यवर, सरकार की तरफ से कोई सन्तोषजनक उत्तर नहीं आया है । यह सरकार दलितों का उत्थान नहीं चाहती है। इसलिए मैं अपने दल के साथ सदन का त्याग करता हूं ।

(श्री इम्तियाज अहमद और उनके दल के सभी सदस्यों ने सदन का त्याग किया)

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

*श्री अमरेश चन्द्र पाण्डेय—

मान्यवर, सूचना एवम् जन सम्पर्क विभाग की डायरी आपको भी मिली होगी। मैंने जब इस डायरी को देखा व पढ़ा तो मैंने पाया कि उत्तर प्रदेश के लोक सभा के सदस्यों के जो नाम प्रकाशित किये गये हैं, उसमें हमारे यहां के जो संसद सदस्य श्री कल्पनाथ राय जी हैं, उनका नाम नहीं है जबकि वह भारत सरकार में ऊर्जा राज्य मंत्री भी हैं। दूसरा यह कि लोक सभा सदस्यों की जो संख्या सूची में दी गई है, वह 84 दी गई है, जबकि सभी जानते हैं कि पूरे उत्तर प्रदेश में लोक सभा के सदस्यों की संख्या 85 है। श्री कल्पनाथ राय जी के नाम को अनदेखी करके यह डायरी छापी गई है, जबकि वह निर्वाचित सदस्य हैं।

श्री अध्यक्ष—

मैंने आपकी बात को सुन लिया है। यह नियम 300 के अन्तर्गत नहीं आता है। फिर भी मैं इस मामले में शासन का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं।

श्री प्रमोद तिवारी—

मान्यवर, ध्यान तो आपने आकर्षित कर दिया है। इनसे खेद भी प्रकट करवाइयें।

दिनांक 14 फरवरी, 1992 के अल्पसूचित तारांकित प्रश्न संख्या 1 का मुख्य मंत्री द्वारा गलत एवं भ्रामक उत्तर दिये जाने के सम्बन्ध में औचित्य का प्रश्न

*श्री नरेश अग्रवाल—

मान्यवर, इस आदरणीय सदन का यह संवैधानिक अधिकार है और साथ ही नियमों के अन्तर्गत माननीय सदस्यों को भी अधिकार दिया गया है कि मंत्रिगण व मुख्य मंत्री जो कुछ भी सूचना इस सदन में देंगे, वह सही देंगे। परन्तु मान्यवर, पिछले कुछ दिनों से यह देखने में आया है कि एक परम्परा बनती जा रही है कि सदन के नेता झूठी घोषणायें व झूठे आंकड़े देकर या तो केन्द्र सरकार को दोषारोपित कर रहे हैं या फिर इस सदन के माध्यम से प्रदेश की जनता को गुमराह कर रहे हैं। अब मैं अपने औचित्य के प्रश्न पर आना चाहता हूं।

मान्यवर, 14 फरवरी 1992 को अल्पसूचित तारांकित प्रश्न संख्या-1 पर श्री हृदय नारायण दीक्षित जी का एक प्रश्न था। उस प्रश्न के उत्तर में माननीय मुख्य मंत्री जी ने जवाब दिया था कि केन्द्र सरकार प्रदेश की योजनाओं में कटौती करती है, जिसके कारण विकास व मुख्य मंत्री की घोषणायें लागू नहीं हो पा रही हैं। मान्यवर, इस प्रकार का गलत उत्तर देना सदन का सरासर अपमान है। मैं मौखिक रूप से मुख्य मंत्री जी के विरुद्ध सदन की अवमानना की नोटिस देता हूं। लिखकर मैं बाद में भेज दूंगा। मान्यवर, वर्ष 1991-92 में प्लानिंग कमीशन ने उत्तर प्रदेश की जो योजना थी, उसमें 377 करोड़ रुपए स्वीकृत किए थे। जो मूल योजना थी वह 2213 करोड़ रुपए की थी, उसमें 700 करोड़ रुपए आनापारा-बी, जो विद्युत परियोजना है, उसके लिए लोन की थी। तत्कालीन मुख्य मंत्री जी ने 787 करोड़ रुपए की दीर्घकालिक योजना को उसमें

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

जुड़ाना दिया था अपनी झूठी घोषणा करने के लिए और जनता को खुश करने के लिए । जबकि प्लानिंग कमीशन ने 25 अगस्त, 1991 को ही स्पष्ट रूप से अपने पत्र में लिख दिया था कि यह 787 करोड़ रुपए, सब्जेक्ट टु दि एप्रुवल आफ फाइनेन्स मिनिस्ट्री के बाद ही तय हो पायेगा । वैसे यह योजना स्वीकार नहीं होगी क्योंकि केन्द्र सरकार के पास आय के साधन कम हैं ।

श्रीमन्, हमको टोटल 1991।92 में 29 सौ 13 करोड़ रु0 दिया गया । श्रीमन्, 25 दिसम्बर को माननीय मुख्य मंत्री जी ने दिल्ली से लौटने के बाद यहां आते ही घोषणा की थी कि गाडगिल फारमूले के अनुसार जो स्वीकार कर लिया गया है उत्तर प्रदेश को 4 सौ 5 सौ करोड़ अतिरिक्त धन उपलब्ध होगा । लेकिन समझ में नहीं आता है जब यह बात यहां कैसे कह रहे हैं । माननीय मुख्य मंत्री जी आंकड़े निकाल रहे होंगे 1992-93 के लिये 25 सौ 59 करोड़ की योजना स्वीकृत हुई । श्रीमन्, 7 सौ करोड़ रु0 जो आनपारा के लिये था अब वह 751 करोड़ राष्ट्रीय सहारा में उनका स्टेटमेन्ट है कि वह 751 करोड़ की स्वीकृति नहीं मिली है । तो यह सदन की अवमानना है ।

अगर देखा जाय तो इस साल की जो योजना प्रस्तुत की गयी है वह 25 सौ 59 और 751 करोड़ को जोड़ कर 33 सौ 10 करोड़ स्वीकृत हुई है । इसके अतिरिक्त उन्होंने घोषणा की कि योजना आयोग ने एक सौ करोड़ का और आश्वासन मुख्य सचिव को मौखिक आश्वासन दिया है जो प्रदेश सरकार को पीने के पानी के लिये, गरीबों को दवा उपलब्ध कराने के लिये है । तो यह अलग से है जो प्रदेश सरकार को मिल चुका है उसको भी माननीय मुख्य मंत्री जी ने स्वीकार नहीं किया है । उनका केवल एक ही आरोप है कि केन्द्र सरकार ने और योजना आयोग ने कटौती करके प्रदेश के साथ सौतेला व्यवहार किया है । तो यह बिल्कुल झूठ है । अगर 1991-92 और 1992-93 की योजनाओं को देखा जाय तो यह 14 प्रतिशत पिछले साल से अधिक है । इससे माननीय मुख्य मंत्री जी सहमत होंगे । लेकिन इसके बावजूद भी योजना आयोग ने प्रदेश सरकार को कहा है कि वह अपने संसाधन बढ़ायें तो उसके अनुरूप और सहायता दी जायेगी ।

श्री अध्यक्ष-

ग्राह्यता पर कहें ।

श्री नरेश अग्रवाल–

ग्राह्यता पर कह रहा हूं । योजना आयोग ने प्रदेश सरकार से अपने संसाधन बढ़ाने के लिये कहा है अगर यह ससाधन बढ़ायेंगे वहां से और सहायता पर विचार किया जायेगा जिसको माननीय मुख्य मंत्री भी जानते हैं । लेकिन बड़े दुख की बात है कि उसके आंकड़े यह केन्द्र सरकार को नहीं दे सके. केन्द्र सरकार प्रदेश की योजना में बढ़ोत्तरी करना चाहती है लेकिन यह नहीं हो पा रहा है । अभी तमिलनाडू की मुख्य मंत्री ने सदन में घोषणा की कि वह नये टैक्स लगाकर प्रदेश की आय बढ़ायेंगे ताकि केन्द्र से ज्यादा सहायता उपलब्ध हो सके ।

मैं निवेदन करना चाहता हूं सदन का सदस्य होने के नाते यह हमारा संवैधानिक अधिकार है कि जो सूचना इस सदन में मिले वह सही हो आज एक भ्रामक प्रचार, झूठा प्रचार प्रदेश की जनता को गुमराह करने के लिये किया जा रहा है । श्रीमन् इस नियमावली का कोई औचित्य नहीं रह जायेगा अगर यहां पर स्पष्ट स्थिति नहीं उपलब्ध कराई जाय । माननीय मुख्य मंत्री जी से निवेदन है जनता के समस सही स्थिति रखें और केन्द्र सरकार पर प्रदेश सरकार दोषारोपण करे यह उचित नहीं है और जो स्थिति उत्पन्न की गयी है यह स्पष्ट यहां पर आ जाये ।

*मुख्यमंत्री (श्री कल्याण सिंह)–

माननीय अध्यक्ष जी, माननीय नरेश जी का मैं आभारी हूं एक बार फिर उन्होंने मुझे मौका दिया है प्रदेश की जनता को बताने का कि केन्द्र सरकार किस प्रकार लगातार 1951 से प्रदेश की जनता के साथ पक्षपात कर रही है ।

मैं पुनः दोहराना चाहता हूं कि यह तो आंकड़ों का प्रश्न है, आप पढ़ लें प्रति व्यक्ति के हिसाब से, पिछड़ेपन, गरीबी और जनसंख्या के हिसाब से, जो मिलना चाहिए था 1950-51 से वह नहीं मिला है । 1992-93 में कटौती हुई है । मेरा तर्क था कि 1950-51 से ऐसा हो रहा है । सान्यवर, पुनः दोहराना चाहता हूं कि कभी भी किसी सरकार और मुख्य मंत्री ने उत्तर प्रदेश की जनता के साथ हकतलफी की लड़ाई नहीं लड़ी इसलिए आज लड़ाई हम कर रहे हैं लेकिन यह संघर्ष का नाता नहीं है, कंफ्रन्टेशन का नहीं है बल्कि भारत सरकार से कोआपरेशन प्राप्त करने के हिसाब से यह बात उठा रहे हैं । खुशी होती यदि नरेश चन्द्र जी कहते कि हम भी कोशिश करेंगे कि भारत सरकार उत्तर प्रदेश के पिछड़ेपन, गरीबी और जनसंख्या को देखते हुए अधिक सहयोग करें । आज जो प्रति व्यक्ति राष्ट्रीय औसत है उनमें कई प्रदेश पीछे हैं, उनमें उत्तर प्रदेश भी एक है ।

आज हमें इस बात की लड़ाई लड़नी चाहिए कि कम से कम राष्ट्रीय औसत पर पिछड़े प्रदेशों को लाने के लिए कुछ विशेष आर्थिक सहायता दी जानी चाहिए थी । अन्यथा यह प्रदेश पिछड़ते चले गये और क्षेत्रीय असंतुलन होता चला गया । तो स्वाभाविक है देश में तनाव होगा जो किसी के लिए उचित नहीं होगा । इसी नाते जो कुछ भी हमारे साथ हुआ वह हम यहां कह रहे हैं । आंकड़ों की बात कही गयी तो मैं 1991-92 की ओर आपका ध्यान आकर्षित करते हुए कहना चाहता हूं कि 3710 करोड़ रुपये का योजना का आकार स्वीकृत हुआ । लगभग 200 करोड़ रुपये विशेष सहायता पर्वतीय अंचल के लिए स्वीकृत हुई, इस प्रकार 3910 करोड़ रुपये हुआ । लेकिन इसमें से जो नहीं मिला उसके आंकड़े मैं बता देना चाहता हूं । भारत सरकार द्वारा राज्य सरकार को 787 करोड़ रुपये का दीर्घकालीन आयोजनागत ऋण दिया जाना चाहिए था । अब यह 787 करोड़ रुपये नवां वित्त आयोग के अनुच्छेद 6.1(3) में संस्तुति की हुई है कि जिन राज्यों का राजस्व घाटा अधिक है उनके लिए केन्द्र सरकार विशेष सहायता देगी । तत्कालीन उपाध्यक्ष, योजना आयोग, श्री मोहन धारिया का पत्र मौजूद है. उन्होंने कहा कि पैसा भारत सरकार को देना चाहिए, हम भी लिख रहे हैं, तो यह 787 करोड़ रुपये नहीं मिला है ।

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

श्री नरेश अग्रवाल–

मैं एक स्पष्टीकरण चाहता हूं कि क्या उस पत्र में यह लिखा है कि सब्जेक्ट टू दि एप्रूवल आफ दि फाइनेन्स मिनिस्ट्री ।

श्री कल्याण सिंह–

योजना आयोग की कोई सैन्क्टिटी नहीं रहेगी यदि उसके द्वारा कही गयी बात को वित्त मंत्रालय ओवर रूल करें । यह बात तो उपाध्यक्ष से कही गयी है कि हमारे प्रदेश के पिछड़ेपन, गरीबी, जनसंख्या माननीय दृष्टिकोण से आपको विचार करने की आवश्यकता है और क्षेत्रीय असंतुलन दूर करने के लिए कोई व्यवहारिक योजना का आकार स्वीकार करने की आवश्यकता है । आपने तो केवल कम्प्यूटराइज्ड तरीके से एक आंकड़े को जोड़, घटाकर और भाग देकर जवाब दे दिया कि 2559 करोड़ रुपये स्वीकार करना चाहिए आपको । आनपारा के बारे में 751 करोड़ रुपये की बात कर रहे हैं । मैंने उनसे प्रश्न किया कि आनपारा में 751 करोड़ का क्या होना है, इस पर उन्होंने कह दिया कि वित्त मंत्रालय से कहें . . . ।

श्री नरेश अग्रवाल–

आप सच कहें ।

श्री कल्याण सिंह–

क्या कह दूं जो खुश हो जायं । मेरे पास कोई स्वीकृति नहीं आई है ।

श्री नरेश अग्रवाल–

योजना आयोग ने स्वीकृति भेज दी है । मैं सदन के समक्ष कह रहा हूं ।

श्री कल्याण सिंह–

मैं कह रहा हूं कि मेरे पास कोई स्वीकृति नहीं आई है । योजना आयोग ने दिल्ली में बैठकर अपनी पत्रावली में क्या लिखा क्या नहीं, मैं टिप्पणी नहीं करना चाहता । जहां तक अधिकृत सूचना मुझे मिलनी चाहिए थी आज तारीख है 20 फरवरी, 1992 के 2 बजकर 45 मिनट तक मेरे पास 291 करोड़ की स्वीकृति नहीं है । एक तथ्य तो यह है कि 787 करोड़ रुपये की स्वीकृति के बाद भी वह अभी तक नहीं दिया गया । अब मैं बताता हूं आनपारा बिजली परियोजना के लिए 700 करोड़ रुपये भारत सरकार द्वारा प्रदान किये जाने की बात थी । 700 करोड़ रुपये का परिव्यय था इसके समतुल्य भारत सरकार के द्वारा जो सहायता मिलनी थी उसमें 440 करोड़ की सहायता मिलने की आशा बंधाई गई । अब इसमें शेष 260 करोड रुपये बचा ।

यहां मैं इतना और बता दूं कि यह जापान के कालेबरेशन से चलने वाली परियोजना है । जापान से जो पैसा मिलता वह हमको मिलता । इस प्रोजेक्ट के लिए यह बात तय हुई थी कि स्थानीय खर्चों के लिए शत प्रतिशत पूर्ति केन्द्र सरकार करेगी । केन्द्र सरकार ने शत प्रतिशत पूर्ति नहीं की । बाद में चलते-चलते 50 प्रतिशत की बात की गई । उत्तर प्रदेश ने 50 प्रतिशत की बात भी मान ली । उसके बाद जो 260 करोड़ रुपये का खर्च हुआ उसमें से जो आधा मिलना चाहिए था वह अभी तक आश्वासन दिया है लेकिन अभी तक वह भी नहीं मिला है । इसी प्रकार मान्यवर,

पर्वतीय क्षेत्र के लिए 200 करोड़ रुपये की योजना थी उसमें से 18 करोड़ काटकर 182 करोड़ रुपये कर दिया । 10 करोड़ की विशेष योजना थी वह भी निरस्त कर दी गई है। तथ्य यह है मान्यवर कि कुल जो हमको मिलना चाहिए था 91-92 में वह नहीं दिया गया है। पर्वतीय क्षेत्र की योजना जो 200 करोड़ की थी उसमें से 18 करोड़ निरस्त कर दिया गया। यह जो 2559 करोड़ की योजना का आकार वर्ष 92-93 के लिए स्वीकार किया गया है इसमें आनपारा बिजली परियोजना के लिए 751 करोड़ रुपये की । इनके पास सूचना होगी मेरे पास नहीं है । यह सब मिला करके 3310 करोड़ रुपये होता है । हमने अपने प्रदेश की आवश्यकताओं को, प्रदेश की गरीबी को, प्रदेश के पिछड़ेपन को ध्यान में रखते हुए योजना का आकार बनाया । इसके बावजूद योजना आयोग ने केवल 2559 करोड़ की बात कह दी । मैं आज भी कह रहा हूं कि पूरे सदन का सहयोग चाहिए जितने प्रश्न उठा रहा हूं सिर्फ कन्सल्टेशन के लिए नहीं । उत्तर प्रदेश की जनता के साथ जो हकतल्फी होती रही है । हमारी योजनाओं के आकार के अनुसार, उत्तर प्रदेश की आवश्यकता के अनुसार, यहां की गरीबी के अनुसार, पिछड़ेपन के अनुसार भारत सरकार विचार करे । मैं आपसे प्रार्थना कर रहा हूं कि किसी भी दल की बात नहीं हो रही है । हम साथ-साथ मिलकर प्रदेश की जनता के लिए पैसे की व्यवस्था करायें । जब पैसा आ जाये तब आप कह सकते हैं कि अमुक को इतना दे रहे हैं, अमुक को इतना और हमें इतना दीजिए । तब इस प्रकार की बात कहें ।

लेकिन इसमें कोई विवाद नहीं होना चाहिए । उत्तर प्रदेश सरकार की 14 करोड़ जनता की भलाई के लिए, उसके पिछड़ेपन को दूर करने के लिए, क्षेत्रीय असन्तुलन दूर करने के लिए भारत सरकार से पैसा आवे । योजना आयोग के यहां जाकर संस्तुति करनी चाहिए कि पैसा आवे । मुझे अत्यन्त खेद हो रहा है यह बताते हुए कि योजना आयोग ने जो कटौती की है उसमें वकालत की जा रही है ऐसा करके यह प्रदेश की जनता के साथ अच्छा सुलूक नहीं कर रहे हैं ।

(शेम-शेम की आवाजें)

*श्री प्रमोद तिवारी–

मान्यवर, मुख्य मंत्री जी ने कहा कि प्रदेश का हित इसमें है । मान्यवर, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की ओर से उस दिन जब नेता विरोधी दलों की बैठक हुई थी उसमें नेतागण मौजूद थे, कुछ मौजूद नहीं थे तब यह कहा गया था कि यह प्रदेश की लड़ाई है इसको हम लड़ेंगे । माननीय मुख्य मंत्री जी यहां बैठे हुए हैं वह इस बात से इंकार नहीं करेंगे कि उन्होंने निर्देशित किया था कि सचिवालय में जो पत्र और जो सूचनायें योजना आयोग से आई हैं उनको उपलब्ध करा दिया जाएगा । मैं आपके माध्यम से बताना चाहता हूं कि आज की तारीख में 15 दिन हो गए हैं आपकी हमारी बैठक को, लेकिन आज तक एक पत्र एक सूचना नहीं आई है

(शोरगुल)

नोट:–*वक्ता ने भाषण का पुनरीक्षण नहीं किया ।

गम्भीर विषय पर लफ्फाजी न करें । यह पूरे प्रदेश के हित का प्रश्न है । संयम से काम लें माननीय मुख्य मंत्री जी से मैं यह जानना चाहूंगा कि विरोधी दल के नेताओं की जो बैठक हुई उसमें योजना आयोग के संदर्भ में जो सूचना और पत्र मुझे देने को कहा गया था उसको न दिए जाने के क्या कारण है ?

दूसरी बात, माननीय मुख्य मंत्री जी ने कह दिया कि योजना आयोग का पत्र लिखा, तो बिना सहयोग के यह नहीं होना चाहिए था । कल हम भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पांच सदस्य योजना आयोग गये थे, प्रधानमंत्री जी से भी मिले थे । यहां इतनी महत्वपूर्ण बात हो रही है और आप लोग लफ्फाजी कर रहे हैं ऐसा नहीं होना चाहिए । वहां हमने पता लगाया कि वहां पर उत्तर प्रदेश की प्रगति करने में यह सरकार पूरी तरह विफल रही है । योजना आयोग की संस्तुति में लिखा है कि वित्त मंत्रालय को संस्तुति जाएगी यह कहने में इनको संकोच हो रहा है कि वित्त मंत्रालय ने संस्तुति को स्वीकार नहीं किया । एक बात और समझ में नहीं आई मुख्य मंत्री जी की । हम साधारण सदस्य के रूप में इधर बैठते हैं । आनपारा के बारे में आपके अधिकारी क्या कर रहे हैं जब आप इधर बैठते थे तब आप बातें उठाते थे तब तो ठीक था अब आपकी सरकार है आपको प्रदेश का हित देखना चाहिए सिर्फ नारों से काम नहीं चलेगा प्रदेश की जनता के बारे में आपको सोचना होगा वरना उत्तर प्रदेश की जनता आपको कभी माफ नहीं करेगी ।

यही नहीं योजना आयोग के संदर्भ में मैं स्पष्ट रूप से कहना चाहता हूं कि हम सब चाहते हैं कि प्रदेश को ज्यादा से ज्यादा धनराशि आवंटित होनी चाहिए । लेकिन सौभाग्य से या दुर्भाग्य से उत्तर प्रदेश का पक्ष प्रस्तुत करने की जिम्मेदारी आज एक ऐसे दल को मिली हुयी है जिसको एक बीमारी हो गयी है उस बीमारी का नाम है सेंट्रोफोबिया । अपनी सारी गलतियों को यह नहीं समझते हैं और हर बात की जिम्मेदारी सेंटर पर मढ़ देने की आदत पड़ गयी है । तो माननीय मुख्य मंत्री जी इस सेंट्रोफोबिया का इलाज करा लीजिए और स्वीकार करें कि 100 करोड़ रुपया प्राप्त हुआ है या नहीं । 752 करोड़ रुपया जो आनपारा के लिए मिला है वह अभी तक किन कारणों से प्राप्त नहीं हुआ है । आपने विरोधी दल के नेताओं की एक बैठक की थी उसमें तय हुआ था कि आपका पक्ष हम लोग प्रस्तुत करेंगे । आपने निर्देशित किया था कि योजना आयोग के संबंध में मुझको जानकारी उपलब्ध करायी जाय । क्या आप बता सकते हैं कि वह जानकारी आजतक मुझको क्यों नहीं उपलब्ध करायी गयी है ?

श्री कल्याण सिंह–

मान्यवर, माननीय प्रमोद तिवारी जी ने जो कहा उस संबंध में मैं यह कहना चाहता हूं कि उत्तर प्रदेश सरकार ने बड़ा ही तर्क संगत तरीके से अपना पक्ष योजना आयोग के सामने रखा है । यह इस तथ्य से प्रकट हो जाता है कि योजना आयोग के विशेषज्ञों की टीम ने हमारे पक्ष को स्वीकार किया और स्वीकार करते हुए 4542 करोड़ रुपये की रिकमेंडेशन की । लेकिन हमने अपने सारे संशाधनों को देखकर, उत्तर प्रदेश का पिछड़ापन इसलिए भी रहा है कि लोगों ने केवल लफ्फाजी दिखायी, वास्तविकता की धरती पर फैसले नहीं लिये हमने अपने तर्क सारे आंकड़े देकर सिद्ध किया । योजना आयोग के विशेषज्ञों की टीम पहली बार हमारे आग्रह पर लखनऊ आयी ।

श्री प्रमोद तिवारी–

माननीय नारायण दत्त तिवारी जी के समय में भी पूरा आयोग यहां आ चुका है ।

श्री कल्याण सिंह–

आया होगा, मान लिया । मान्यवर, योजना आयोग की टीम के सामने सरकार ने तर्कों के साथ, सफलता के साथ अपना पक्ष प्रस्तुत किया यह इस बात से सिद्ध हो जाता है कि उन्होंने हमारे तर्कों को माना और कहा कि 4542 करोड़ रुपये की आवश्यकता है । उसके बावजूद हमने केवल 4034 करोड़ रुपये का आकार प्रस्तुत किया अपने संसाधनों को देखते हुए । हमने 600–700 करोड़ रुपये के संसाधन बढ़ाये हैं जिसकी सूचना वहां पर दी है । दूसरी बात मैं पुनः कहता हूं कि आयोग की पत्रावली में क्या लिखा है, 751 करोड़ रुपया स्वीकार किया है या नहीं किया है, जब तक उनके यहां से अधिकृत तौर पर कोई सूचना मेरे पास लिखित में न आ जाय तब तक उस पर कोई टिप्पणी कैसे कर दूं कि रुपया मिल गया है मुझे खुशी होगी, मैं धन्यवाद दूंगा कि 751 करोड़ रुपया स्वीकार होकर आ जाय । मैं धन्यवाद तब और ज्यादा दूंगा जब भारत सरकार उत्तर प्रदेश के लिए हमारे द्वारा प्रस्तुत 4034 करोड़ रुपये की हमारी योजना के आकार को स्वीकार कर लें । मैं फिर निवेदन करूंगा कि यह विषय दलगत राजनीति का नहीं है हम सभी को मिलकर इसमें सहयोग करना चाहिए ।

श्री प्रमोद तिवारी–

मुझको पत्र क्यों नहीं मिले ?

श्री कल्याण सिंह–

भिजवा दूंगा ।

श्री प्रमोद तिवारी–

चूंकि मुख्य मंत्री जी सारे उत्तर प्रदेश के हितों को योजना आयोग के समक्ष तर्क संगत रूप से रखने में असमर्थ रहे और मुख्य मंत्री जी चाहते हैं कि उत्तर प्रदेश को पिछड़ेपन और गरीबी से मुक्ति न मिले इसलिये इसके विरोध में मैं और मेरा दल सदन का त्याग करता है ।

(श्री प्रमोद तिवारी अपने दल के सदस्यों के साथ सदन त्याग चले गये ।)

प्रदेश में गठित ग्राम्य विकास अभिकरणों में विधायकों की उपेक्षा किये जाने के संबंध में औचित्य का प्रश्न

*मोहम्मद रिजवानुल हक–

मान्यवर, इस सदन में बार-बार यह आश्वासन दिया जाता रहा है कि जनपदों में गठित ग्राम्य विकास अभिकरणों में विधायकों के माध्यम से निर्माण कार्यों के प्रस्ताव लिए जायगें । लेकिन इस वर्ष हुआ यह कि जितने भी सदस्य थे सभी के प्रस्ताव लिए गये और वहां पर लड़ाई का माहौल पैदा हो गया । उन सदस्यों का जिनका क्षेत्र भी नहीं पड़ता है उनसे भी प्रस्ताव लिये गये ।

(इस समय 3 बजे अधिष्ठाता डा0 सांभनाथ शुक्ल पीठासीन हुए ।)

नोट:–*वक्ता ने भाषण का पुनरीक्षण नहीं किया ।

माननीय विधान परिषद् के सदस्य, जिनके क्षेत्र नहीं पड़ते हैं और जो शिक्षक दलों के सदस्य हैं, उनसे भी प्रस्ताव लिये गये हैं । इस तरह से वहां पर लड़ाई का माहौल पैदा हो गया है । हम सरकार से चाहेंगे कि इस सिलसिले में एक नया बयान दे दें कि विधायकों से प्रस्ताव लिये गये ।

वित्त, संस्थागत वित्त, नियोजन एवं संसदीय कार्यमंत्री (श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त)–

माननीय अधिष्ठाता महोदय, अभी माननीय सदस्य ने इस बात की ओर ध्यान आकृष्ट किया कि जो ग्राम्य विकास अभिकरण हैं उनकी कार्यशैली के बारे में, तो ग्राम्य विकास अभिकरण को उत्तर प्रदेश के बजट की स्वीकृति के अनुसार जो दिया जाता है, उसका आवंटन वे स्वयं करते हैं । उसमें माननीय विधायकों, सांसदों और विधान परिषद् सदस्यों की जिम्मेदारी है कि वे उसका पूरा उपयोग आपस में बैठकर जिस तरह से पैसे का आवंटन करके करना चाहें, करें । इसके सम्बन्ध में यदि किसी विशेष जिले की जानकारी हमें मिले तो हम उसका निराकरण का प्रयास करेंगे । यह मैं सदन के संज्ञान में लाना चाहता हूं । वैसे यह नियम 300 में नहीं आता, इसलिये इसको निरस्त कर दें । माननीय सदस्य ने एक जिले के बारे में कहा, इसमें क्या व्यवस्था है, दिखवा लिया जायगा ।

*नेता विरोधी दल (कुंवर रेवती रमण सिंह)–

मान्यवर, अभी तक मैं आपको अवगत कराना चाहूंगा कि जो परम्पराएं रही हैं डी0 आर0 डी0 ए0 में, वे परम्पराएं ये रही हैं कि जो माननीय विधान सभा के सदस्य हैं, वही धनराशि का आवंटन विकास के कार्यों में करते रहे हैं मान्यवर, यह एक मान्य परम्परा अभी तक चली आयी, या इसमें कोई संशोधन हुआ हो तो यहां से सरकार उस परम्परा को चाहती है कि कायम रहे तो यहां से हर ग्राम्य अभिकरण को निर्देश भिजवा दें कि जो परम्परा चली है और विधायकों द्वारा निष्पादित होती रही है, वही परम्परा चलती रहे । माननीय सदस्य मुरादाबाद ने जो कहा, इससे कठिन परिस्थितियां पैदा हो रही हैं । मैं ध्यान आकृष्ट करना चाहूंगा कि इसको देख लें कि परम्परा क्या रही है और वही चले तो बेहतर होगा ।

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त–

मान्यवर, इसमें अलग-अलग जिले की अलग-अलग परम्परा रही है । इसके बारे में प्रदेश सरकार की ओर से कोई निर्देश देना उचित न होगा । मुरादाबाद के बारे में दिखवा लिया जायगा । अलग-अलग जिलों में जो परम्परा चली आ रही है, वही परिपाटी चलती रहे, तो ठीक होगा । उसी परिपाटी को आगे बढ़ाना वहां के माननीय सदस्यों का अधिकार है । इसमें राज्य सरकार का कोई हस्तक्षेप उचित नहीं है ।

श्री मोहम्मद रिजवानुल हक–

मान्यवर, ग्राम्य विकास अभिकरणों में कलेक्टर, सी0डी0ओ0 ने अपना शेयर अलग कर दिया है । उनका कहना है कि भारतीय जनता पार्टी के लिये काम करेंगे ।

अधिष्ठाता–

यह नियम 300 में नहीं आता ।

नोट:–*वक्ता ने भाषण का पुनरीक्षण नहीं किया ।

*श्री राम गोविन्द चौधरी–

श्रीमन्, यह जो मामला माननीय सदस्य मुरादाबाद ने उठाया, माननीय संसदीय कार्य मंत्री एक मिनट हमारी बात सुन लें । इस बात को 80-85 वाले समय में आपने भी उठाया था । और हमको पूर्णतया याद है कि उस समय माननीय नेता सदन स्वर्गीय वीर बहादुर सिंह वहां पर मौजूद थे और विधान सभा में इसकी बड़ी लड़ाई हुई । बड़े वाद-विवाद के बाद इस बात का निष्कर्ष सदन में निकला कि जो जिला अभिकरण में जो धन का बटवारा होगा, वह केवल माननीय विधायकों की संस्तुतियों पर ही होगा । यह यहां पर तय हुआ कि हमेशा विधायकों की संस्तुतियों पर सड़क, पुलिया आदि पर काम होता रहे । इस बार पहली दफा विधायकों के साथ विधान परिषद् सदस्य, चाहे लोकल बाडीज के हों, उसमें सी0 डी0 ओ0, सबके बराबर-बराबर हिस्सा बांटने के लिए या तो आपकी तरफ से निर्देश गये हों या किसी की तरफ से गये हों । हमारे जिले में तो हमको केवल 4 लाख रु0 मिला है । मान्यवर, सारे विधायकों के जिम्मे विकास का भी काम है । आपके पहले उसमें ऐसा होता था कि विधायकों की संस्तुतियों पर ही पैसे का बंटवारा होता था । जो अलग से एम0 पी0, विधान परिषद् के सदस्य हैं, उसमें बंटवारा कर दिया जाय । बैठक में विकास कार्य से संबंधित केवल माननीय विधायकों की संस्तुति के आधार पर ही होगा ।

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त–

मान्यवर, माननीय सदस्य ने बार-बार हमारी तरफ इशारा किया । उन्होंने मारे जल्दबाजी के हमारी बात को भी नहीं सुने होंगे । मान्यवर, माननीय सदस्य ने जो बात कही, मैंने पहले ही कह दिया था कि इसमें राज्य सरकार की ओर से कोई निर्देश देना कदाचित उचित नहीं होगा । माननीय चौधरी जी इस आदरणीय सदन के वरिष्ठ सदस्य हैं यह मामला हम लोगों ने एक बार उठाया था, क्योंकि यह मामला माननीय सदस्यों के अधिकारों का है । विकास कार्य के लिए जो इसका अधिकारी है, वह जिलाधिकारी होता है हमारी बात कितनी सुनी गयी । एक दिन हमने सदन में सुना कि सभी माननीय सदस्य कमेटी से निकाल दिये गये । मान्यवर, मैं आज भी उसी मत का हूं, विधायकों का आदर आज भी होना चाहिए । अभिकरण के सदस्य माननीय विधान सभा के सदस्य, सांसद होते हैं, सदस्य राज्य सभा भी होते हैं । ये बैठकर कोई निर्णय लेते हैं । अब यह सवाल परिपाटी का है । लेकिन इस समय जो व्यवस्था है, जिसकी जानकारी मेरी याददास्त में है, उसके लिए कोई राज्य सरकार की ओर से शासनादेश नहीं गया है, जिसमें कि पुरानी परम्परा को तोड़ा गया हो ।

कुंवर रेवती रमण सिंह–

मान्यवर, मैं एक सुझाव देना चाहता हूं कि आप हर जिले की प्रोसीडिंग्स मंगवा लें, जो सी0 डी0 ओ0 हैं या ए0 डी0 एम0 प्रोजेक्ट हैं, एक बात मैं आपको याद दिलाना चाहता हूं, क्योंकि विधायक सीधे अपने क्षेत्र के विकास से जुड़ा रहता है, जवाहर रोजगार योजना चलने से पहले सब पैसे का आवंटन विधायक के द्वारा होता था, कहां की सड़क बनेगी, कहां की पुलिया बनेगी, कहां बिजली लगेगी, कहां पर कितना धन आवंटन होगा

नोटः–*वक्ता ने भाषण का पुनर्दीक्षण नहीं किया ।

लेकिन जब से जवाहर योजना चली, उसका 20 प्रतिशत ही विधायकों को मिल पाता है । एक बात और है, कि जितने भी सम्मानित संसद सदस्य हैं, उनको दौरा करने के लिए भारत सरकार के निर्देश पर, उनको जीप, गाड़ी, कार या जिप्सी जो भी हो, डी0 एम0 उपलब्ध कराता है । हमारे विधायकों को यह सुविधा नहीं है और अब आपने ग्रेजुएट कान्स्टीटुएन्सी के एम0एल0सी0 को रख दिया, जो विधान सभा क्षेत्र के एम0एल0सी0 हैं और जो लोकल बाड़ीज के एम0एल0सी0 हैं उनको भी रख दिया है । इनके अतिरिक्त एम0पी0 को भी रख दिया है । हम लोगों ने यह तय किया था, कि आप दिल्ली से अलग धन लायें और इस धन में बंटवारा नहीं होना चाहिए । यह अच्छा नहीं है कि यहां पर झगड़ा हो । इसका आप निराकरण करवा लें ।

श्री अधिष्ठाता–

यह सूचना नियम 300 के अन्तर्गत नहीं आती है ।

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्ता–

आप से बैठकर बात कर लेंगे ।

*श्री बाबूराम यादव–

मान्यवर, यह पूरे प्रदेश का सवाल है और पूरे प्रदेश के विकास की बात है । मान्यवर, अभी संसदीय कार्य मंत्री जी उत्तर दे रहे थे, लेकिन आपने आना निर्णय दे दिया । आपको इतनी जल्दी नहीं करनी चाहिए थी । सदन के पूरे सदस्य इसको सुन रहे थे और आशा थी कि आज इस पर कोई निर्णय हो जायेगा । आज सारी चीजें तय हो जायेगी । मैं आपसे प्रार्थना करूंगा कि इसको चलने दें ।

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त–

मान्यवर, यह किसी दल विशेष का सवाल नहीं है । विकास के कार्य में मैं इधर या उधर का भेद नहीं मानता । एक तो माननीय विधान परिषद् के सदस्य होते हैं, जिनकी उपेक्षा करने का सवाल नहीं है और जो इस सदन के सदस्य हैं, जहां तक उनका संबंध है माननीय नेता विरोधी दल के साथ बैठकर बात कर लेंगे और ऐसा रास्ता निकालने का प्रयास करेंगे जिससे किसी की भावनाओं को ठेस न पहुंचे ।

*श्री शाद अली–

डिस्ट्रिक्ट प्लान का जो पैसा होता है, वह माननीय सदस्यों के बीच बटवारा किया जाता है और माननीय मंत्री जी द्वारा सही आश्वासन नहीं मिल रहा है, इसलिए मैं खुला आरोप लगा रहा हूं कि अपने विधायकों को अलग से पैसा देने की साजिश है और जो विपक्षी दलों के जो विधायक हैं उनके डी0आर0डी0ए0 के पैसे का बटवारा करना उनके अधिकारों का हनन करना है ।

*श्री सुरेन्द्र नाथ–

माननीय संसदीय कार्य मंत्री जी ने एक तार्किक बात कही है, मैं उसका स्वागत करता हूं और अपने को उससे सम्बद्ध करता हूं । मैं उन से अनुरोध करूंगा कि हम लोग डाइरेक्ट निर्वाचन के माध्यम से आते हैं और आप सहमत होंगे कि हमारे

नोट:—*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

ऊपर जनता का ज्यादा प्रभाव पड़ता है, ज्यादा भार पड़ता है । मैं कहना चाहता हूं कि हमारे यहां पर 8 विधायक हैं, लेकिन बटवारा होता है 16 आदमियों में ।

तो निश्चत रूप से उसमें विकास प्रभावित होता है तो इसको निर्धारित समय में आप और नेता विरोधी दल इस समस्या का निस्तारण कर दें जिससे इस समस्या का निदान हो जाय निर्धारित समय में ।

श्री अधिष्ठाता—

अब आयें दूसरे विषय पर ।

कुंवर रेवती रमण सिंह—

माननीय, सुनाई नहीं दे रहा है कृपया माइक पर बोलें ।

विधान सभा सदस्यों को सदन से निष्कासन में अनियमितता बरते जाने के सम्बन्ध में औचित्य का प्रश्न

श्री अधिष्ठाता—

दिनांक 14 फरवरी, 1992 के उपवेशन में कार्य संचालन प्रक्रिया एवं नियमावली के नियम विरुद्ध एवं परम्परा विरुद्ध 4 सदस्यों के निष्कासन के विरोध में माननीय राम गोविन्द जी बोलें ।

*श्री राम गोविन्द चौधरी—

माननीय अधिष्ठाता जी, मैं बड़ी विनम्रतापूर्वक आपसे आग्रह करना चाहता हूं कि यह सुनना तो चाहिए था माननीय अध्यक्ष जी को, क्योंकि कुछ बातें इसमें आपसे भी संबंधित थी लेकिन दुर्भाग्य से वह चले गये और आप ही आसन पर आ गये । लेकिन मेरा आपसे आग्रह है कि उस दिन के मामले के विरुद्ध आप मेरी बातों को सुनियेगा, चाहे बाद में उसे काट दीजिएगा, या जो भी आप चाहें निर्णय लें । मान्यवर, हमने जो नियम 300 में दिया है वह 14 तारीख के उपवेशन के दिन की घटना के सम्बन्ध में है उसी में मैं यह कहने जा रहा हूं कि आपने जिद पूर्वक या किसी पूर्वाग्रह से ग्रसित होकर उस दिन 4 सदस्यों को निकलवा दिया ।

मान्यवर, जो आपकी सुविधा के लिए, सदन की सुविधा के लिए कुछ बातें कहना थे । उसके एक दिन पहले भी मैंने कहा था माननीय अध्यक्ष जी से कि इस सदन को नियम पूर्वक शांतिपूर्वक और परम्पराओं के अनुरूप चलाने के लिए सभी सदस्यों का सहयोग जरूरी

नोट:—*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

है और सदस्य अपने नेताओं का सहयोग नहीं करते हैं इसलिए नेता भी अपनी कही हुई बातों पर अडिग नहीं हो पाते हैं । और ठीक वही काम उसी के विपरीत आपके आसन से हो गया । उसमें आपने 4 विधायकों को नियम के विपरीत निकलवा दिया । जिस नियम 299 का मैंने हवाला दिया है । मैं यह नहीं कहना चाहता हूं कि आपको अधिकार हैं या नहीं, आपको पूर्ण अधिकार है इस सदन में चाहे जो व्यवस्था करें, जैसी कार्यवाही चाहें वैसी चलायें लेकिन आपके भी अधिकार नियमावली, संविधान और परम्पराओं के अनुसार ही बांधे गये हैं । आपने जिन 4 विधायकों को उस दिन निकाला उसकी नियमावली में जो प्रक्रिया दी हुई है 299 उसका पूरी तरह से उल्लंघन कर दिया । आपने मार्शल को आदेश दे दिया कि उन विधायकों को उठाकर सदन से फेंक दिया जाय । आप पुराने सदस्य हैं, आपको ऐसा नहीं करना चाहिए था। आपको सदस्यों को इंगित करना चाहिए था, इंगित करने के बाद अगर सदस्य हाउस से बाहर नहीं जाते हैं तो माननीय संसदीय कार्यमंत्री को पुकारना चाहिए था कि वे प्रस्ताव ले आएं उसके बाद माननीय संसदीय कार्यमंत्री एक-एक नाम का प्रस्ताव ले आते और सदन में प्रस्ताव प्रस्तुत करा देते सदन में हां में या नहीं में वोट करा लेते । इसके बाद मार्शल को आदेश देते, इसके बाद भी सदस्य बाहर नहीं जाते हैं तो बलपूर्वक बाहर निकाल देते ।

मान्यवर, आप हमारी बात सुन लीजिए । आपने इसी तरह से कुछ भी नहीं कहा और न जाने कैसे आवेश में पूर्वाग्रह में ग्रसित थे कि एकदम से आदेश दे दिया सदन में कि सदस्यों को निकाल दिया जाय उसका नतीजा यह हुआ कि विधान सभा के रक्षक मार्शल और सदस्य का जो आपसी सामंजस्य स्थापित रहा है उनमें भी विरोधाभाष उत्पन्न हो गया। आपके अविवेक-पूर्ण निर्णय से सदन में गुत्थमगुत्था हो गयी । मान्यवर, नेता विरोधी दल, नेता सदन कोई भी आदमी संसदीय कार्यमंत्री की बातों को बड़ी गम्भीरता से लेता है लेकिन उस दिन संसदीय कार्यमंत्री की अवहेलना आपकी पीठ के माध्यम से की गयी । इसलिए मैं विनम्रतापूर्वक प्रार्थना करना चाहता हूं और आपको बताना चाहता हूं कि जब आप उठकर गये हैं, पीठ से उठकर गये हैं तो आपने पत्रकारों से कहा है कि मैंने कैसा सदन चलाया है.. तो पत्रकार महोदय ने कहा कि आपने ठीक नहीं चलाया । उन्होंने कहा कि हमको तो अध्यक्ष जी ने कई मंत्रियों ने और कई सदस्यों ने इसके लिये बधाई दी है कि आपने ठीक सदन चलाया है।

(समय 3 बजकर 20 मिनट)

मान्यवर, मेरे कहने का मतलब यह है कि आप उस कुर्सी पर बैठे हैं तो आप माननीय अधिष्ठाता हैं, माननीय बसन्त लाल गुप्त जी बैठे तो वे माननीय अधिष्ठाता थे, केशरी नाथ त्रिपाठी जी वहां अध्यक्ष की हैसियत से आते हैं । माननीय नेता सदन कल्याण सिंह जी यहां कल्याण सिंह जी की हैसियत से नहीं माननीय नेता सदन की हैसियत से आते हैं इसी तरह से माननीय नेतागण आते हैं, सबकी अपनी-अपनी गरिमा है अपनी-अपनी प्रतिष्ठा है । संविधान के अन्तर्गत, नियमों के अन्तर्गत कार्य करने हेतु एक प्रक्रिया बनी हुई है, एक नियमावली बनी हुई है । मान्यवर, जब पीठ से उन नियमों की धज्जियां उड़ा दी जायेंगी, पीठ से ही माननीय सदस्यों की प्रतिष्ठा की धज्जियां उड़ा दी जायेंगी तो उससे न तो उस आसन की प्रतिष्ठा रहेगी और न उत्तर प्रदेश विधान सभा की प्रतिष्ठा रहेगी ।

मान्यवर, पूर्वाग्रहों को छोड़कर मैं विनम्रतापूर्वक आग्रह करना चाहता हूं कि नियम 300 के अन्तर्गत जो मैंने औचित्य का प्रश्न उठाया है, उस पर आप अपनी व्यवस्था दें।

(संसदीय कार्यमंत्री के खड़े होने पर)

श्री राम आसरे वर्मा—

मान्यवर, इस सिलसिले में कुछ और भी माननीय सदस्यों की सूचना है, आप सुन लें।

श्री विशम्भर प्रसाद निषाद—

मान्यवर, माननीय अधिष्ठाता महोदय उस दिन सदन में जो घटित हुआ है, उसके सम्बन्ध में मैं आपका ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा। मान्यवर, यह सदन पवित्र है और यह माननीय सदस्यों की गरिमा का सदन है। यहां पर माननीय सदस्यों को न्याय मिलता है। मान्यवार, विधान सभा क्षेत्रों में, जिलों में, जो पुलिस का उत्पीड़न होता है, उस सम्बन्ध में सूचना नियम 311 के अन्तर्गत दिये थे। मान्यवर, विधायकों की सुरक्षा का सवाल है, मान्यवर, सूचनाओं के देने पर माननीय सदस्यों पर जान लेवा हमला हो, और उनकी आवाज उठाकर यदि आपके माध्यम से सरकार के कान खोलने का यदि काम किया जाय और ऐसा करने वालों को बेरहमी से नियमों का उल्लंघन कर गार्डों द्वारा बाहर घसीट-घसीट कर निकाला जाय तो हम जानना चाहेंगे कि हमें संरक्षण कहां मिलेगा?

मान्यवर, यह बड़ी शर्मनाक बात है, ऐसा नहीं होना चाहिये। अधिष्ठाता महोदय, हम लोग पुलिस से पीड़ित हैं और उस बाबत बात को उठाना चाहते थे। मान्यवर, सदन में अपनी बात आपसे नहीं कहेंगे तो फिर किस से कहेंगे? मान्यवर, उस दिन की बात बढ़-चढ़ कर छप गई, गंभीर बात तो यह है कि अखबार में छपा कि किसी विधायक ने डिप्टी मार्शल की उंगली काट ली। यह कितनी शर्मनाक बात है कि विधायकों पर ऐसे इल्जाम लगाये जायें। इससे विधायकों की गरिमा को ठेस पहुंचती है। मान्यवर, इस औचित्य के प्रश्न पर मैं आपकी व्यवस्था चाहता हूं, मान्यवर, इसमें मुझे व्यवस्था दी जाय।

श्री राम आसरे वर्मा—

मान्यवर, मेरा भी नाम इसमें है।

*मुख्यमंत्री (श्री कल्याण सिंह)—

मेरी प्रार्थना है सभी माननीय नेताओं से और माननीय सदस्यों से कि माननीय नेता विरोधी दल का भाषण होना है, हमारी सबकी बड़ी उत्सुकता है कि आपका भाषण सुनें, मूल्य विचार सुनें। अच्छा रहेगा कि यह जो विषय हैं इन पर कम से कम समय लिया जाय और वही समय माननीय नेता विरोधी दल को दिया जाय ताकि हम उनके विचार जान सकें।

*श्री बरखू राम वर्मा—

मान्यवर, जो 14 तारीख को घटना हुई वह इस सदन की गरिमा और माननीय सदस्य की गरिमा के विपरीत है जिसकी सूचना मैंने आपको नियम 300 के अन्तर्गत दी है। उस दिन जैसा कि अभी माननीय राम गोविन्द चौधरी जी ने कहा है कि जो आपकी गरिमा-

---

नोट:—*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

मय कुर्सी है उसके द्वारा इंगित किया जाना चाहिए था उसके तहत माननीय संसदीय कार्य मंत्री जी प्रस्ताव करते । लेकिन इस प्रकार नहीं किया गया। आप कार्यवाही निकलवा कर देख लें उसमें कहीं भी उल्लेख नहीं किया गया है कि किसका निष्कासन किया गया है। मान्यवर, माननीय विधायक अपने क्षेत्र में सभा कर रहे थे परन्तु उनको सभा नहीं करने दी गयी, पुलिस द्वारा उत्पीड़ित किया गया और जब उस पुलिस अधिकारी के खिलाफ रिपोर्ट करनी चाही तो उसे नहीं करने दिया गया । मान्यवर, उन सदस्यों को वहां के थानेदार द्वारा धमकी देना और एक कार्यकर्ता का गायब रहना यह सब हमारे साथ हो रहा है ।

मान्यवर, हमारे दल के एक विधायक श्री तिशम्भर प्रसाद निषाद जी व श्री दिनकर जी ने नियम-311 के तहत एक बात उठायी थी । उस समय सदन अव्यवस्थित था तथा माननीय अध्यक्ष जी भी अपनी सीट पर नहीं थे । उस समय माननीय अधिष्ठाता जी विराजमान थे । उनसे अनुरोध किया गया कि थोड़ी-थोड़ी देर हमारी बात सुन लें । लेकिन उन्होंने कहा कि नियम-311 की सूचनाओं को नहीं सुना जायेगा तो उसके विरोध में हम अपनी बात कह रहे थे। यह एक गम्भीर मसला था । यह एक ऐसा मसला है जिसे इस सदन में सुना जाना चाहिए था । माननीय सदस्यों के साथ जो उनके क्षेत्र में सलूक किया जाता है वह उचित नहीं है। यदि उनकी इज्जत और सुरक्षा पुलिस द्वारा नहीं की जायेगी तो इस प्रदेश की जनता का क्या होगा । मान्यवर, जब प्रक्रिया नियमावली का उल्लंघन होगा और उसके तहत कार्य नहीं होगा तो इस सदन की गरिमा घटेगी और इस कुर्सी की महिमा घटेगा इसलिए मैं इसे नियम 300 के अंतर्गत औचित्य प्रश्न के रूप में उठाता हूं ।

वित्त, संस्थागत वित्त, नियोजन एवं संसदीय कार्य मंत्री (श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त)–

मान्यवर, जिस समय यह घटना आदरणीय सदन में घटी और जो दृश्य मैंने देखा वह बहुत ही अशोभनीय था । मैं चाहता हूं कि ऐसे क्षण इस सदन में न आयें अभी जो व्यवस्था का प्रश्न माननीय राम गोविन्द चौधरी ने उठाया है तथा जिस प्रक्रिया नियमावली के नियम–299 का उल्लेख किया है उसमें माननीय अध्यक्ष को पूरा अधिकार है कि वह सदन को शांतिपूर्ण ढंग से चलाने के लिए कोई भी कदम उठा सकते हैं, उन्हें सदन को व्यवस्थित करने का पूरा अधिकार है । मैं ज्यादा विस्तार में नहीं जाना चाहूंगा । जो बिन्दु उन्होंने उठाया है और मेरा भी उल्लेख किया है कि कभी मैंने भी उधर बैठकर इस आशय का प्रश्न उठाया था नियम–299 के अन्तर्गत ।

तो प्रक्रिया नियमावली के नियम-299 के अंतर्गत जब माननीय अध्यक्ष ने माननीय सदस्य से सदन छोड़ने को कहा था तो उन्हें तत्काल सदन को छोड़ देना चाहिए था । यह बात उठायी गयी कि इंगित नहीं किया गया और संसदीय कार्य मंत्री द्वारा प्रस्ताव नहीं किया गया तो मैं यह कहना चाहूंगा कि माननीय पीठ को पूरा-पूरा अधिकार है कि वह किस तरह से सदन को व्यवस्थित करे । इस सम्बन्ध में पूर्व दृष्टान्त देना चाहता हूं । वह पूर्व दृष्टान्त है पृष्ठ संख्या-42 की 19वीं पंक्ति में । एक बार हमारे सदन में भी इसी प्रकार का दृश्य उपस्थित हो गया था । उस समय माननीय उपाध्यक्ष अध्यक्ष पीठ पर विराजमान थे हमारे पुराने परिचित हैं, सदन में साथ बैठा करते थे । मान्यवर, 27 अगस्त, 1971 को प्रश्नोत्तरकाल के उपरान्त श्री सुखपाल पाण्डेय ने इसी तरह का व्यवस्था का प्रश्न उपस्थित किया था । उन्होंने कहा कि कल जब उपाध्यक्ष

जी आसन पर बैठे थे, उस समय मैंने एक व्यवस्था का प्रश्न उठाया था । उपाध्यक्ष जी ने 5 बजकर 4 मिनट पर मार्शल के माध्यम से मुझे सदन के बाहर करवा दिया, बिना सदन के नेता के प्रस्ताव किये, इस प्रकार उन्होंने अनाधिकार चेष्टा करके मेरे अधिकार का हनन किया ।

इस पर माननीय अध्यक्ष ने सुनने के बाद अपनी व्यवस्था दी और कहा कि अगर कोई सदस्य अनियमितता करता है तो उसको हटाने का उनको अधिकार है, यह एक पूर्व दृष्टान्त है। मैंने जैसा कि अभी पूर्व में कहा कि ऐसे क्षण न आयें, तो अच्छा है, लेकिन अगर ऐसा मौका आता है, तो अध्यक्ष पीठ को पूरा अधिकार है कि वह किस प्रकार कार्य संचालन व्यवस्था से सदन को व्यवस्थित करे। इसलिए मैं समझता हूं कि माननीय अधिष्ठाता ने जो भी कार्यवाही की है, वह न्यायसंगत है और उसमें कहीं भी नियमों का उल्लंघन नहीं हुआ है। मान्यवर, हमारी यह भी परिपाटी रही है कि माननीय अध्यक्ष पीठ से जो भी निर्देश दिये जाते हैं, उसकी हम कभी आलोचना नहीं करते हैं। कभी-कभी ऐसे क्षण आते हैं जब उत्तेजना में नियमों का उल्लंघन माननीय सदस्य कर दें, लेकिन उसमें जो अध्यक्ष का निर्णय है, उसको हमें स्वीकार करना पड़ेगा। वैसे मान्यवर, वह नियम 300 में उठाने लायक नहीं है।

श्री अधिष्ठाता–

प्रक्रिया नियमावली के नियम 299 के उपनियम 1 तथा उपनियम 5 में अध्यक्ष को यह अधिकार है कि वे सदन में अव्यवस्था फैलाने वाले सदस्य को सदन से निकलवा दें । अधिष्ठाता को भी वही शक्तियां प्राप्त हैं, जो अध्यक्ष, विधान सभा को हैं ।

श्री राम गोविन्द चौधरी–

मान्यवर, हम यह नहीं कह रहे हैं कि अधिष्ठाता को वह अधिकार नहीं है, जो अध्यक्ष, विधान सभा को है। लेकिन माननीय अध्यक्ष को खुली मनमानी करने की छूट नहीं है और न ही अधिष्ठाता को है। आपका जो आसन है, उस आसन से दिये जाने वाले निर्देश और सभा को चलाने की प्रक्रिया पर मैंने 300 में मामला उठाया है। अगर माननीय अध्यक्ष कोई गलती करते हैं, तो क्या अधिष्ठाता भी वही गलती करेगा। आसन को सलाह देने के लिए हम सब यहां बैठे हैं, ताकि वह सदन चलाने में सहायक हों। संसदीय कार्य मंत्री ने धीरे से कह दिया कि हम लोग अध्यक्ष के निर्णय को मानते हैं, हम लोग भी उनके निर्णय को मानते हैं। मान्यवर, संविधान, नियमावली और परम्पराओं के अनुरूप इस सदन को चलाने की जिम्मेवारी आपकी है, लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि खुली मनमानी करने की छूट है, इसलिए मैंने आपको केवल याद दिलाया है, आप इस पर कृपा पूर्वक अपना निर्णय दें।

श्री अधिष्ठाता–

यह नियम 300 के अन्तर्गत नहीं आता । इस प्रसंग में मैं अध्यक्ष पीठ से दिये गये निर्णयों के संकलन (अप्रैल, 1952 से 22 दिसम्बर, 1967) तक के पृष्ठ 323 पर उल्लिखित निर्णय संख्या 259 की ओर आपका ध्यान आकृष्ट करूंगा। अब इस सूचना को मैं अग्राह्य करता हूं।

अब श्री राज्यपाल के अभिभाषण पर चर्चा माननीय नेता विरोधी दल प्रारम्भ करेंगे। समय की कमी को देखते हुए माननीय अध्यक्ष ने नियम 311 के अन्तर्गत प्राप्त सूचनाओं को निरस्त कर दिया है।

विधान सभा के वर्ष 1991 के प्रथम सत्र दिनांक 31 जुलाई, 1991 से 13 अगस्त, 1991 तक की अवधि में नियम 301 के अन्तर्गत प्राप्त सूचनाओं पर कृत कार्यवाही का विवरण †

वित्त, संस्थागत वित्त, नियोजन एवं संसदीय कार्य मंत्री (श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त)–

माननीय अधिष्ठाता महोदय, मैं आपकी आज्ञा से उत्तर प्रदेश विधान सभा के अध्यक्ष द्वारा जारी किये गये प्रक्रिया सम्बन्धी निदेश (नवम् संस्करण) के निदेश 14(3) के अनुसार 11वीं विधान सभा के वर्ष 1991 के प्रथम सत्र (दिनांक 31 जुलाई, 1991 से 13 अगस्त, 1991 तक) में नियम 301 के अन्तर्गत प्राप्त सूचनाओं पर कृत कार्यवाही का विवरण सदन के पटल पर रखता हूं।

उत्तर प्रदेश राज्य विधान मण्डल (सदस्यों की उपलब्धियां और पेंशन) (आठवां संशोधन) नियमावली, 1991 ††

वित्त, संस्थागत वित्त, नियोजन एवं संसदीय कार्य मंत्री (श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त)–

माननीय अधिष्ठाता महोदय, मैं आपकी आज्ञा से संसदीय कार्य अनुभाग–1 की अधिसूचना संख्या 2541/सत्रह-सं-1-91-72 सं0–87, दिनांक 27 नवम्बर, 1991 के साथ प्रकाशित उत्तर प्रदेश राज्य विधान मण्डल (सदस्यों की उपलब्धियां और पेंशन) (आठवां संशोधन) नियमावली, 1991 को उत्तर प्रदेश साधारण खण्ड अधिनियम 1904 की धारा 23–क की उपधारा (1) की अपेक्षानुसार सदन के पटल पर रखता हूं।

श्री हृदय नारायण दीक्षित, सदस्य विधान सभा द्वारा राजस्व मंत्री के विरुद्ध दिये गए विशेषाधिकार की अवहेलना के प्रश्न के संबंध में परीक्षण कराये जाने की सूचना

श्री अधिष्ठाता–

मुझे श्री हृदय नारायण दीक्षित, सदस्य विधान सभा की माननीय राजस्व मंत्री के विरुद्ध विशेषाधिकार की अवहेलना के प्रश्न की सूचना आज प्राप्त हुई है। मैं इस संबंध में परीक्षण करा रहा हूं।

---

†छापा नहीं गया।
††छापी नहीं गयी।

उत्तर प्रदेश स्टेट सीमेन्ट कारपोरेशन लिमिटेड (अंशों का अर्जन) विधेयक, 1992†

गृह राज्य मंत्री (श्री सूर्य प्रताप शाही)–

मान्यवर, मैं आपकी आज्ञा से उत्तर प्रदेश स्टेट सीमेन्ट कारपोरेशन लिमिटेड (अंशों का अर्जन) विधेयक, 1992 को पुरःस्थापित करने हेतु सदन की अनुज्ञा मांगता हूं ।

श्री अधिष्ठाता–

प्रश्न यह है कि उत्तर प्रदेश स्टेट सीमेन्ट कारपोरेशन लिमिटेड (अंशों का अर्जन) विधेयक, 1992 को पुरःस्थापित करने हेतु सदन की अनुज्ञा दी जाय ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ)

श्री सूर्य प्रताप शाही–

मान्यवर, मैं आपकी आज्ञा से उत्तर प्रदेश स्टेट सीमेन्ट कारपोरेशन लिमिटेड (अंशों का अर्जन) विधेयक, 1992 को पुरः स्थापित करता हूं ।

भारतीय स्टाम्प (उत्तर प्रदेश संशोधन) विधेयक, 1992††

संसदीय वित्त राज्यमंत्री (श्री हरद्वार दूबे)–

मान्यवर, मैं आपकी आज्ञा से भारतीय स्टाम्प (उत्तर प्रदेश संशोधन) विधेयक, 1992 को पुरः स्थापित करने हेतु सदन की अनुज्ञा मांगता हूं ।

श्री अधिष्ठाता–

प्रश्न यह है कि भारतीय स्टाम्प (उत्तर प्रदेश संशोधन) विधेयक, 1992 को पुरः स्थापित करने हेतु सदन की अनुज्ञा दी जाय ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ)

श्री हरद्वार दूबे–

मान्यवर, मैं आपकी आज्ञा से भारतीय स्टाम्प (उत्तर प्रदेश संशोधन) विधेयक, 1992 को पुरःस्थापित करता हूं ।

राज्यपाल के अभिभाषण पर धन्यवाद का प्रस्ताव ‡

नेता विरोधी दल (कुंवर रेवती रमण सिंह)–

मान्यवर, मैं आपकी आज्ञा से प्रस्ताव करता हूं कि श्री राज्यपाल के अभिभाषण के लिए धन्यवाद के प्रस्ताव में संशोधन के रूप में प्रस्ताव के अंत में निम्नलिखित जोड़ दिया जाय :–

नोट:–†दिनांक 22 फरवरी, 92 के विधायी परिशिष्ट के भाग–3 खण्ड (क) में छापा है ।

††दिनांक 24 फरवरी, 92 के विधायी परिशिष्ट के भाग–3 खण्ड (क) में छापा

‡दिनांक 14 फरवरी, 1992 की कार्यवाही से ।

"किन्तु खेद है कि श्री राज्यपाल ने अपने अभिभाषण में निम्नलिखित के संबंध में कोई उल्लेख नहीं किया है :–

[1–गढ़वाल क्षेत्र के भूकम्प पीड़ितों को यथोचित सहायता उपलब्ध कराने में राज्य सरकार की असफलता के संबंध में ।

2–प्रदेश में बढ़ते हुए आतंकवाद एवं साम्प्रदायिकता पर अंकुश लगाने एवं भयमुक्त समाज बनाने में वर्तमान सरकार की असफलता के संबंध में ।

3–देश की सांस्कृतिक धरोहर तथा राष्ट्रीय मूल्यों को जो हमारे राष्ट्रीय स्वतंत्रता संग्राम की धरोहर है उन्हें वर्तमान शासन नष्ट कर रहा है, अल्पसंख्यकों के मन में भय व्याप्त है । दलित, वर्तमान शासन को अविश्वास की दृष्टि से देख रहे हैं और पिछड़े वर्ग को उनके अधिकारों से वर्तमान शासन द्वारा वंचित रखने के संबंध में।

4–केन्द्र एवं राज्य सरकारों के मध्य विश्वास की कमी के कारण प्रदेश का विकास अवरुद्ध हो गया है जनता शासन के समय की सभी योजनाएं रुकी पड़ी हैं तथा विकास की गति शून्य हो गयी है, के संबंध में ।

5–विद्युत की बढ़ी हुई दरों से आम जनता में व्याप्त असंतोष के संबंध में ।

6–बाबा साहब भीम राव अम्बेदकर की जन्म शताब्दी पर राज्य सरकार द्वारा किए गए किसी भी घोषणा पर पालन नहीं किए जाने के संबंध में।

7–गन्ने का उचित मूल्य किसानों को उपलब्ध नहीं कराये जाने के संबंध में ।

8–खाद्यानों के बढ़े हुए मूल्य के कारण जन-जीवन की बदहाली के संबंध में ।

9–लोक निर्माण विभाग द्वारा नवीन निर्माण कार्य न किए जाने के कारण प्रदेश का विकास ठप्प हो जाने के संबंध में।

10–वर्तमान सरकार ने अपने चुनाव घोषणा पत्र में जो भी घोषणा की थी उनमें से कोई भी घोषणा पूरी न किए जाने के संबंध में ।"]

मान्यवर, मैंने बड़े गौर से श्री बसन्तलाल गुप्ता जी जिन्होंने धन्यवाद प्रस्ताव रखा और श्रीमती जोत्सना श्रीवास्तव जी ने जो उसका समर्थन किया, उनकी बातों को सुना लेकिन अफसोस है कि जो कुछ उन्होंने कहा उसके अन्त में कम से कम मुझे कुछ समझ में नहीं आया, मुझे लगा कि सरकार की तरफ से उनके पास कुछ कहने को है ही नहीं । मान्यवर, महामहिम राज्यपाल का अभिभाषण केवल एक औपचारिकता नहीं होती, सरकार के कार्यकलापों का वह दर्पण होता है, एक दस्तावेज के रूप में इस सदन में पेश किया जाता है और मुझे उम्मीद यह थी कि 8वीं पंचवर्षीय योजना का प्रारम्भ होने पर यह पहला सत्र है और इस सत्र में माननीय मुख्य मंत्री जी तथा सरकार इसे गम्भीरता से लेगी । लेकिन अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि राज्यपाल के अभिभाषण में जो सरकार की नीतियों का मार्गदर्शन होता है उसका

नोट–[ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया ।

इसमें सर्वथा अभाव पाया जा रहा है । सरकार के कार्यों की प्रस्तावना इसमें होती है, आने वाले बजट में कौन से प्रमुख बिन्दु हैं जिनका सरकार उसमें समावेश करेगी उसका उल्लेख होता है लेकिन इसमें उसका अभाव है । इससे पता चलता है कि जो बजट आयेगा उसकी शक्ल राज्यपाल महोदय के अभिभाषण में दिखाई पड़ती है । लेकिन इस दस्तावेज को देखने से ऐसा लगता है कि सरकार में आये हुये यह लोग अपने पुराने वादों को भूल गये हैं । उन्होंने अपने पुराने अनुभव का भी लाभ नहीं लिया ।

माननीय मुख्य मंत्री जी स्वयं 1977 के मंत्रिमंडल में मंत्री रह चुके हैं और माननीय राजेन्द्र गुप्ता जी संसदीय कार्यों में, संसदीय प्रणाली में बड़ा अनुभव रखते हैं लेकिन उन्होंने इससे सबक नहीं लिया । जो कपोलकल्पित घोषणायें इन्होंने की उसको यह पूरा नहीं कर सकते हैं यह इससे जाहिर होता है और उन्हें यह कभी पूरा नहीं कर पायेंगे । मैं आगे चलूं इसके पहले मैं भारतीय जनता पार्टी की सरकार को याद दिलाना चाहता हूं इन्होंने वायदा किया था कि सब को परखा बार-बार हमको परखो एक बार । तो मान्यवर, एक ही बार परखने पर इस 8 महीने में इन्होंने जनता की वह छीछालेदर कर दी है कि आज कोई वर्ग ऐसा नहीं बचा है जो इनके कार्यकलापों से त्रस्त न हुआ हो आज सबेरे का ही इनका कार्य इस बात का सबूत है । (व्यवधान) मान्यवर, सच्ची बात बड़ी कड़वी लगती है, कृपया धैर्य रखें, जरा चिंतन करें, केवल वाह-वाह करने से वायदों को पूरा नहीं कर पायेंगे ।'

मान्यवर, इनका दूसरा वायदा था, मुख्य मंत्री जी और पूरी सरकार उत्तर प्रदेश की अयोध्या गयी थी और वहां इन्होंने नारा दिया था "राम लला हम आयेंगे और मंदिर यहीं बनायेंगे" (जय श्री राम कहा गया) तो जय श्री राम का यह दूसरा नारा जब-जब विधान सभा में गम्भीर मामलों में विचार होता है तो "जय श्रीराम" कहते हुए नारा लगाते हैं बजाए समस्याओं के निदान करने के यहां मजाक करते हैं। आपके ही वायदे को मैं याद दिलाना चाहता हूं जो अयोध्या में जाकर आपने किया था कि मंदिर बनायेंगे तो आज 8 महीने हो गये हैं मंदिर की एक ईंट भी नहीं पड़ी है।

मान्यवर, तीसरा नारा इनका था "सबको रोटी सबको काम, भाजपा का है यह एलान।" मान्यवर, मैं पूछना चाहता हूं कि 8 महीने हो गये हैं अभी तक आपने इसका एक अंश भी पूरा किया है क्या ? कदाचित नहीं किया है और न कर पायेंगे क्योंकि आपकी दृष्टि साफ नहीं है। आप क्या करना चाहते हैं इसका मसौदा आपके पास नहीं है। आप क्या आर्थिक सुधार करेंगे, क्या राजनीतिक सुधार करेंगे, क्या विकास के काम करेंगे, यह राज्यपाल के अभिभाषण में स्पष्ट नहीं किया गया है। मान्यवर, राज्यपाल के अभिभाषण से पूरी तरह से स्पष्ट हो गया है कि यह सरकार बिना नीति के, बिना कार्यक्रम के चल रही है। जय श्री राम के नारे लगाने से या अन्य थोथे नारे जो मैंने बताये हैं उनसे समस्याओं का निदान नहीं होगा । यदि उनसे समस्याओं का निदान हो गया होता तो संभवतः भारत और उत्तर प्रदेश दुनिया के सबसे गरीब मुल्कों में न होता। मैं आपसे पूछना चाहता हूं जो आपके यह नारे थे क्या इसके अनुकूल आपकी यह सरकार चल रही है, कदाचित नहीं चल रही है।

मान्यवर, जो भय मुक्त समाज और दंगा रहित समाज बनाने की घोषणा मुख्य मंत्री जी ने यहां और बाहर बार-बार किया था लेकिन मान्यवर, दरअसल में कुछ और मिलता है। आज समाज और प्रदेश भयमुक्त नहीं हो पाया है। लेकिन आपकी पुलिस और प्रशासन जरूर भयमुक्त पूरी तरह से हो गया है और निरंकुश हो गया है। यह कहने में मुझे कोई हिचकिचाहट नहीं है। विपक्ष में बैठकर जिन मुद्दों की आप आलोचना करते थे जिनके बारे में संसदीय प्रणाली की आप दोहाई देते थे, आपत्ति उठाते थे लेकिन आज जब आप स्वयं सरकार में हैं तो उन्हीं कार्यों को धड़ल्ले से कर रहे हैं और जो भी संसदीय प्रणाली में मान्यताएं हैं वे एक-एक करके ध्वस्त आप करते जा रहे हैं बजाए उन मान्यताओं को आगे बढ़ाने के। आज पूरी तरह से आप इस बात पर लिप्त हो गये हैं कि उन मान्यताओं को ध्वस्त कर दिया जाये। मैं श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त, संसदीय कार्य मंत्री को याद दिलाना चाहता हूं, सम्भवत: वह चले गये हैं कि मान्यवर, एक बार नहीं अनेक बार उन्होंने इस बात को उठाया कि विधान सभा का सत्र कम से कम 90 दिन चलना चाहिए लेकिन मान्यवर, इन आठ महीनों में न तो आप का शीतकालीन ना ही वर्षाकालीन अधिवेशन चलाने का आपको समय मिला न उस परिपाटी को, जिसकी की आप दुहाई देते थे। जिस नियमावली को लेकर आप विधान सभा में बार-बार कहते थे, उसको कार्यरूप आपने कदाचित नहीं दिया और सम्भवत: मान्यवर, इतने आठ महीने में जितना कम यह विधान सभा का उपवेशन हुआ है उतना पहले कभी नहीं हुआ। आप कहते हैं भविष्य में हम करेंगे।

आठ महीनों में तो मैंने देखा नहीं कि आप अपने वायदे में खरे उतरे हों और यह जो सत्र चलाया जा रहा है यह मजबूरी में बुलाया गया है। 6 महीने पूरे होने वाले थे और संविधान में जो साफ-साफ दिया हुआ है कि 6 महीने के अन्दर एक उपवेशन से दूसरा उपवेशन बुलाया जाय। इसीलिये मजबूर होकर दो दिन पहले आपको यह सत्र आहूत करना पड़ा। मान्यवर, अभी भी दोनों तरफ के सदस्य, चाहे सत्ता पक्ष के हों या विपक्ष के यह आशान्वित नहीं हैं, इस बात से कि यह सदन पूरा बजट-कालीन सत्र होगा अथवा नहीं। पूरा समय चल पायेगा अथवा नहीं। मान्यवर, इसी प्रकार से मुझे याद है कि जब माननीय मुख्यमंत्री जी उधर बैठते थे विरोध में और राजेन्द्र गुप्त जी भी वहीं बैठते थे उन्हीं की बगल में तब इन लोगों ने यह बात एक बार नहीं अनेक बार कही थी कि अध्यादेशों के द्वारा सरकार नहीं चलाई जानी चाहिए।

मैं राजेन्द्र गुप्त जी की, जब वह भारतीय जनता पार्टी के सदन में नेता थे। 14 मार्च, 1984 को तो उन्होंने जो विधान सभा में कहा था कि मैं हमेशा यह कहता रहा हूं कि जहां तक सम्भव हो, अध्यादेश जारी नहीं करने चाहिए। शासन ने जानबूझकर हमारे विधान मण्डल के विधायी अधिकारों का हनन किया है अत: उसका अतिक्रमण कर रहा है। श्री मावलंकर ने प्रथम प्रधानमंत्री श्री जवाहर लाल नेहरू को पत्र लिखा था कि अध्यादेश जारी किया जाना अप्रजातांत्रिक है, अन डेमोक्रेटिक है चाहे यह अध्यादेश के रूप में हो अथवा न हो उसकी प्रोप्राइटी में कोई फर्क नहीं पड़ता। इस प्रकार अध्यादेश को जारी करने पर संविधान में इसका कुप्रभाव पड़ता। इस प्रकार अध्यादेश को जारी करने पर संविधान में इसका कुप्रभाव पड़ता है और जनता की धारणा होने

लगती है कि सरकार अध्यादेशों के द्वारा चलाई जा रही है । वह राजेन्द्र गुप्त जी ने कहा था और आज जब वह संसदीय कार्य मंत्री और आप मुख्य मंत्री हैं तब क्या हालत है? 24 अध्यादेश आपने जारी किये हैं एक दो नहीं चौबीस अध्यादेश । इसमें क्या लगता है? आप विधान सभा नहीं चलाना चाहते हैं । आप अपनी सरकार अध्यादेशों के द्वारा ही चलाना चाहते हैं । उन्हीं के द्वारा आप सब काम करना चाहते हैं । संभवत: विधान सभा में अगर आप बिल के रूप में लाए होते तो आलोचना हुई होती । कई अध्यादेश जारी कर दिए गए जबकि सदन आहूत किया जा चुका था । आप जनता के द्वारा दिए गये वोट से चुनकर आए हैं । जनता ने ही इस सरकार के रूप में आपको प्रतिस्थापित किया है उस कुर्सी पर आते ही आपने जो आचरण किया है सम्भवत: आने वाला समय आपको कभी माफ नहीं करेगा । जो प्रतिस्थापित मूल्य थे आपने उन सबको प्रभावित कर दिया ।

(व्यवधान)

दो अध्यादेश की तरफ आपका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं । सहकारिता अध्यादेश इसमें आपने सब बैंकों को सुपरसीट कर दिया । चुनाव कराने की आपकी हिम्मत नहीं हुई । बड़ी दुहाई आप देते थे जनतंत्र की और संसदीय मर्यादाओं की । अब क्यों नहीं आपने चुनाव कराए? सुपरसीट करने की क्या आवश्यकता पड़ गई । आप देखिए कि आपने क्या कमाल और क्या बाजीगरी किया है । आप अपने कार्यकर्ताओं को पुनर्स्थापित कर रहे हैं । आप चाहते हैं कि सहकारिता का आन्दोलन जो दम तोड़ रहा है उसे एकदम घाट किनारे पहुंचा दिया जाए । आपने महाराष्ट्र गुजरात से नहीं सीखा । आज सहकारिता आन्दोलन चल रहे हैं और विकास कार्यों में अहम भूमिका अदा कर रहे हैं 50 फीसदी नामांकन होंगे और 50 फीसदी चुनाव होंगे । चुनाव नहीं हो रहे हैं । जब तक आप सत्ता में रहेंगे तब तक चुनाव नहीं होने वाले हैं । बल्कि सरकार द्वारा नामांकित व्यक्ति उसमें अध्यक्ष होगा ।

समितियों बैंकों सब संस्थाओं, पी0सी0डी0एफ0, पी0सी0एफ0 हों चाहे जिले की इकाइयां हों, सरकार द्वारा नामांकित व्यक्ति अध्यक्ष होगा। इसी तरह मंडी समिति में संशोधन कर दिया। मंडी समिति का चुनाव नहीं कराया। आपके पास पर्याप्त समय था कोई ऐसी जल्दी भी नहीं थी, लेकिन मंडी समिति जिले से लेकर उ0 प्र0 से लेकर व्यय मंडी समितियां हैं सबमें आपने चेयरमैन की सीट मनोनयन कर दी, नामांकन कर दिया। यह परम्परा आप स्थापित कर रहे हैं। क्या इसी परम्परा की दुहाई आप देते थे। क्या इस प्रदेश में इस तरह से उन मूल्यों को आप स्थापित कर सकेंगे जिनके बारे में आपने बहुत दुहाई दी थी, जब आप इधर बैठते थे । मोटर वेहिकिल एक्ट के तहत दोपहिया वाहन पर आपने टैक्स बढ़ा दिया । ऐसी क्या जल्दी थी विधान सभा होने वाली थी । आपकी मंशा इससे दिखाई दे रही है कि आप किसका प्रतिनिधित्व कर रहे हैं । ट्रक वालों का बस वालों का आपने टैक्स नहीं बढ़ाया और स्कूटर वालों का टैक्स आपने बढ़ा दिया, क्योंकि उनके बगैर आपका काम नहीं चलने वाला है, जो टैक्स बढ़ाया गया यह सब क्या प्रदर्शित करता है कदाचित यह कि जिन लोगों ने आपको चुनाव में जिताया उनको

बचाने के लिए आप हर तरह से कटिबद्ध हैं । चाहे आम जनता को इसके लिये कितना कष्ट उठाना पड़े आपके मन में उसके लिये कोई दर्द नहीं है । मान्यवर, एक बात मैं माननीय मुख्य मंत्री जी से यह जरूर कहना चाहता हूं कि आप इस सदन के बहुत ही वरिष्ठ सदस्य हैं लेकिन मान्यवर, मैं भी इस सदन का एक सदस्य होने के नाते, अकिंचन सेवक होने के नाते मैं भी देखता आ रहा हूं : मान्यवर मैं कहना चाहता हूं कि माननीय मुख्य मंत्री जी से मिलने में जितनी कठिनाई मुझको या विरोधी दल के नेताओं को या सभी सम्मानित सदस्यों को होती है वह शायद आप जानते होंगे । एक आइरन करटेन सा लगा हुआ है, आइरन करटेन टूट गया है और बैम्बू करटेन शिथिल हो गया है । आपको फोन करो तो कोई जवाब नहीं । हम लोग फोन करें या माननीय सदस्य करें कोई जवाब नहीं आता है । जितने माननीय सदस्य आपको चिठ्ठी लिखते हैं जवाब नहीं आता है।

मान्यवर, एक नयी परम्परा पहली बार बनी है कि आपके हस्ताक्षर से जवाब नहीं जाता है। पहले माननीय सदस्यगण, चाहे इधर के हों या उधर के हों सबको मुख्य मंत्री की तरफ से जवाब भेजा जाता था और उनके हस्ताक्षरों से जाता था। लेकिन इस ब्यूरोक्रेसी ने, अफसरशाही ने आपको समझा दिया है कि फाइलें ही सब कुछ हैं। जब पता करो आप फाइल पढ़ते रहते हैं। यह प्रदेश फाइलों के द्वारा नहीं चलता है। जन प्रतिनिधियों से भी मिलना चाहिये। आज जो घटना घट गयी दलित शिक्षार्थियों के संबंध में अगर आप उन लोगों से मिलते या हम लोगों द्वारा बात करते तो यह समस्या न होती । 8 महीने बीत गये हैं जब पता चलता है कि आप फाइल पढ़ रहे हैं । फाइल पढ़ना तो क्लर्कों का काम है, मुख्य मंत्री फाइलों में उलझता है, यह ब्यूरोक्रेसी जब मुख्य मंत्री को फाइलों में उलझा देती है तो उसका परिणाम यही होता है कि आने वाले दिनों में जनता द्वारा वह तिरस्कृत कर दिया जाता है । इसलिये मैं विनम्र प्रार्थना करूंगा कि आप अपने कार्य-कलापों में बदलाव लायें । मैं एक उदाहरण देना चाहूंगा के0 कामराज का, वह तामिलनाडु के मुख्य मंत्री थे पढ़े लिखे आदमी नहीं थे लेकिन कामनसेंस के इतने धनी थे कि जहां जाते थे वहां 90 प्रतिशत काम हो जाता था । उनके वाक्यों द्वारा ही काम हो जाता था । फाइल आप जरूर देखें यह मैं मना नहीं करता; देखना भी चाहिये लेकिन हजारों फाइलों का अम्बार आपके दफ्तर में लगा दिया जाता है और उन्हीं में उलझे रहते हैं, इससे इस प्रदेश का भला नहीं होने वाला है । आपको अपने तौर तरीकों में आपको बदलाव लाना चाहिये । हम लोगों से, विधायकों से मिलना चाहिए हम अपने निजी कामों से नहीं बल्कि सार्वजनिक कामों से, क्षेत्र के कामों के लिये, प्रदेश के कामों के लिए आपसे समय चाहते हैं । सत्तापक्ष के विधायक भी इससे संतुष्ट नहीं है । मान्यवर, एक बात और याद दिलाना चाहता हूं कि इस सदन की परिपाटी रही है, एक यहां इतिहास रहा है विगत कई वर्षों से, किसी मुख्य मंत्री ने 5 साल का कार्यकाल कभी पूरा नहीं किया इस प्रदेश में, तो यह समझ कर काम करिये । कदाचित आप शायद 5 साल लगातार न रह सकें, वैसे मेरी शुभकामना है।

गृह राज्य मंत्री (श्री सूर्य प्रताप शाही)–

अबकी पूरे 5 साल रहेंगे, नयी परम्परा हम बनायेंगे ।

कुंवर रेवती रमण सिंह–

मान्यवर, जो इतिहास रहा है और जो इस प्रदेश की परम्परा रही है, मैंने देखा है कि अभी तक विगत 20-25 सालों से कोई मुख्य मंत्री 5 साल का कार्यकाल पूरा नहीं कर पाया है ।

मान्यवर, मैं एक ही बात कहूंगा कि शिष्टाचार से बड़ी और कोई चीज नहीं है। लेकिन मान्यवर, आप तो राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ की पाठशाला में पढ़े हुए विद्यार्थी हैं। कदाचित राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की पाठशाला में शिष्टाचार को बड़ा महत्व दिया जाता है। क्या यही शिष्टाचार उस पाठशाला में आपको सिखाया गया?

मेजर जे0 पी0 सिंह–

जो संस्था यहां मौजूद नहीं है, उसके संबंध में बोलने का क्या अधिकार है ?

कुंवर रेवती रमण सिंह–

मेजर साहब, अबकी बार आप जीत कर चले आए हो, विधान सभा की कार्यवाही पढ़ लें तो बोलें तो अच्छा होगा । मैं मुख्य मंत्री जी से कह दूंगा कि भविष्य में मंत्रियों की लिस्ट बनावें तो आपको भी रखें । मान्यवर, यह सरकार लोगों को गुमराह राह करके थोथे नारों पर यहां पर आयी है । लेकिन मान्यवर, मैं याद दिलाना चाहता हूं कि दोनों सरकारों को दिल्ली में और यहां पर, कांग्रेस पार्टी ने अपने घोषणा पत्र में कहा था कि 100 दिन में महंगाई को कम करेंगे और मान्यवर, आपने तो कोई वादा नहीं किया था, केवल एक किया था कि मंदिर का निर्माण वहीं पर करायेंगे । लेकिन मान्यवर, मैंने डा0 मुरली मनोहर जोशी, जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, भाजपा के उनका बयान पढ़ा तो उन्होंने उसमें कहा कि मंदिर बनाने की बात हमने कहीं नहीं कही। यह हमारा वादा कहीं नहीं रहा ।

लेकिन जनता को जो गुमराह किया था वह मंदिर के सवाल पर किया था, लेकिन आपके अध्यक्ष यह बात कह रहे हैं । राम रोटी और इन्साफ का वादा आपने किया था । राम मिले नहीं, रोटी खतम हो गयी, गरीब दो वक्त की रोटी नहीं खा पा रहा है । न राम मिले, न रोटी मिली । इन्साफ को देखा जाय तो आज इस प्रदेश में जितना अपराध बढ़ा है, उतना संभवतः कभी नहीं बढ़ा । यह मैं नहीं सरकारी आंकड़े कह रहे हैं, मैं आगे बताऊंगा । तो मान्यवर, राम, रोटी और इन्साफ कह कर सत्ता में आए, लेकिन आपका आचरण इसके एकदम विपरीत रहा । मान्यवर, यह कहना कदाचित उचित हो कि श्री विश्वनाथ प्रताप सिंह, जब तत्कालीन प्रधान मंत्री थे, उन्होंने दो माह का समय मांगा तो 30 अक्टूबर से आपने कहा कि एक दिन का भी समय और देने के लिये तैयार नहीं हैं । आपने कहा कि उस सरकार को गिरा देंगे और गिरा भी दिया, लेकिन मान्यवर, वह क्यों गिरायी गयी, मंदिर के मसले पर नहीं गिरायी गयी, मसला तो मण्डल का था । मण्डल को खत्म करने के लिये यह कमण्डल धारण करके विश्वनाथ प्रताप सिंह जी की सरकार को धाराशायी किये और मान्यवर उसी में बड़े-बड़े पूंजीपति, साम्प्रदायिक ताकतें, ये सब आपके साथ जमा हुई और इन सब ताकतों ने एकत्र होकर उस सरकार को गिराने में आपका सहयोग किया।

और मान्यवर, उसकी वजह यह था कि भारत के इतिहास में यह स्वर्ण अक्षरों से लिखा जायेगा कि जो वायदा उस समय की तत्कालीन जनता दल की सरकार ने माननीय विश्वनाथ प्रताप सिंह के शासन काल में किया था, वह सब वायदा पूरा किया जायगा । उसमें वृद्धों की पेंशन का भी था, 10 हजार रुपये के कर्जे की माफी का भी था, विधवाओं को 100 रु0 पेंशन देने का भी था, दो लाख शौचालयों का भी था, बुनकरों की बहबूदी का भी काम था । लेकिन यह सब आपसे गंवारा नहीं हुआ । मान्यवर, जहां पर यह बात कही जाती है, मैं इस सदन में स्पष्ट कहना चाहूंगा कि माननीय विश्वनाथ प्रताप सिंह ने मण्डल कमीशन जल्दबाजी में लागू किया, यह सही नहीं है ।

मण्डल कमीशन की रिपोर्ट 1980 से आकर अलमारी में बन्द थी, धूल उस पर पडी हुई थी, उस मण्डल कमीशन की रिपोर्ट को माननीय विश्वनाथ प्रताप सिंह ने यही काम किया कि उसको अक्षरशः लागू किया और इसीलिए उनकी सरकार गिरा दी गयी । उनके लिए यह कहा जाता रहा है कि वे सवर्ण जाति के विरोधी थे । उनका घोषणा-पत्र मैं आपके पास भेज दूंगा । उसमें 5 से 10 प्रतिशत तक जो आर्थिक रूप से कमजोर सवर्ण के लोग हैं, उनको आरक्षण दिया जायगा । मण्डल कमीशन का आप बड़ा विरोध करते रहे और यह आपने कहा कि किस रूप में मण्डल कमीशन को लागू कर दिया गया और क्या-क्या कहा उसके डिटेल में मैं नहीं जाना चाहता हूं । मैं इतना कहना चाहता हूं कि मण्डल कमीशन जिस भावना से माननीय विश्वनाथ प्रताप सिंह जी ने अपने अध्यादेश के द्वारा लागू किया था, उसमें अगर परिवर्तन होगा, तो उसके मूलभूत जो सिद्धान्त हैं, वे वहीं समाप्त हो जायेंगे और मण्डल कमीशन का कोई मतलब नहीं रह जायगा ।

मैं आपसे कहना चाहता हूं कि अभी दिल्ली की सरकार ने 27 फीसदी के साथ वर्गीकरण कर दिया है । मैं बताऊं काहे का वर्गीकरण कर दिया । आपने वर्गीकरण कर दिया जोकि कभी पूरा नहीं हो पायेगा उसी में 10 फीसदी सवर्ण जाति का भी कर दिया, उसका नतीजा क्या होगा कि सुप्रीम कोर्ट से, यह जो अध्यादेश हुआ है, वह रद्द कर दिया जायगा । तो मान्यवर, अगर उसकी मंशा को ही आप समाप्त कर दोगे, तो अगर एक बार समाप्त हो गया, तो फिर मण्डल कमीशन कभी लागू नहीं होने वाला है । आपकी पोर्टी ने यह कहा है कि उसमें संशोधन करेंगे । संशोधन का क्या प्रारूप होगा, वह आज तक हमारे सामने नहीं आया है । उसमें यह है कि महिलाओं को 30 प्रतिशत कर दिया जायगा और 27 प्रतिशत वह भी रहेगा। 18 प्रतिशत हमारे दलित भाइयों का रहेगा । जरा हिसाब लगा लीजिए, इतने आरक्षण पर कोटा कहां अब लागू कर पाओगे । इसका मतलब यह है कि वह हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट के द्वारा रद्द कर दिया जायगा । मान्यवर, मैं आपसे यह चाहूंगा कि हमारे पिछड़े भाइयों के साथ इस तरह का अन्याय न करिये । जिस मंशा से यह मण्डल कमीशन लागू किया गया है, उस मंशा से उसे पूरा करिये भले ही आपका विरोध रहा हो, उसी मंडल कमीशन के उदय से आप मुख्य मंत्री के रूप में सुशोभित हैं । वह बहुत बड़ा फैक्टर रहा है ।

मान्यवर, उसमें जो खास बात है, जो संविधान में प्रदत्त है कि सामाजिक और शैक्षिक पिछड़ेपन के कारण उनको आरक्षण दिया जायेगा । अब उसमें लोग कहते हैं

कि सामाजिक और शैक्षिक के अतिरिक्त आर्थिक आधार और बढ़ा दिया जायेगा। इससे मंडल कमीशन की जो मंशा है, वह समाप्त हो जायेगी, फिर लागू हो और चाहे न लागू हो, उसका कोई मतलब नहीं रह जायेगा। मान्यवर, अभी भी ऐसी चीज चल रही है कि मंडल कमीशन को लागू न किया जाये और अगर लागू किया जाये तो उसका स्वरूप इस तरह से परिभाजित कर दिया जाये कि उसका कोई मतलब नहीं रह जाये। मान्यवर, सत्ता में आने के लिये, चुनाव के पहले आप लोगों ने तमाम दल, बजरंग दल विश्व हिन्दू परिषद्, ऐसे कितने ही साम्प्रदायिक संस्थाओं के साथ हो गये और उनके साथ गठजोड़ किया और साम्प्रदायिकता की सीढ़ी के द्वारा आप सत्ता में विराजमान हुए। बार बार राम जन्म भूमि के मंदिर का मुद्दा जनता में उठाया गया और यह प्रचार किया गया कि आप सत्ता में आते ही मंदिर का निर्माण करा देंगे। जब विश्व नाथ प्रताप सिंह कहते थे कि यह मसला दोनों सम्प्रदायों के लोग बातचीत से तय कर लें, या न्यायालय से जो फैसला हो जाये, उस फैसले के अनुसार दोनों लोग कार्यवाही करें, तब आप लोग मानने के लिये तैयार नहीं थे।

राष्ट्रीय एकीकरण की मीटिंग में जो आपने लिखित रूप से दिया है कि मस्जिद की पूर्ण रूप से आप सुरक्षा करेंगे और जो न्यायालय का आदेश होगा उसका अनुपालन करेंगे, उसको पूरी तरह से आप मानेंगे यही बात जब विश्वनाथ प्रताप सिंह और हम सब लोग कहते थे, तो आप उसको मानने के लिये तैयार नहीं थे और आज राष्ट्रीय एकीकरण की मीटिंग में लिखित रूप से दिया है कि न्यायालय द्वारा दिया गया निर्णय शिरोधार्य होगा और मस्जिद के ढांचे को बरकरार रखेंगे और उसको किसी तरह से भी हानि नहीं पहुंचेगी। मान्यवर, बात तो आप लोगों की ही मान रहे हैं, लेकिन सत्ता में आने के लिये पता नहीं क्या-क्या किया, जिससे यह प्रदेश और देश साम्प्रदायिकता की आग में झुलसने लगा है और उसके कारण इतने दंगे हुये और कराये गये जो संभवतः उत्तर प्रदेश के इतिहास में अभी तक नहीं हुये होंगे, लेकिन मैं बड़े गर्व के साथ कहूंगा कि जब विश्वनाथ प्रताप सिंह की सरकार थी, तब इतने दंगे नहीं हुये और सभी जगह पर शान्ति थी और उनके हटते ही दंगों का सिलसिला चालू हो गया और यह देश और प्रदेश आग की लपटों में झुलसने लगा।

(समय 4 बजकर 20 मिनट)

मान्यवर, अब लगता यह है कि मंदिर बनाने का जो आपका नारा था, जो मंदिर बनाने की बात आपने कही थी वह जोश आपका ठंडा पड़ गया। अब मान्यवर, आप कहते हैं कि मंदिर निर्माण में आने वाली बाधाओं को हम दूर करेंगे, मंदिर नहीं बनायेंगे मंदिर निर्माण में आने वाली बाधाओं को दूर करने की आप चेष्टा करेंगे, कोशिश करेंगे, कितना फर्क हो गया। मुझे वह दिन याद है इतना फर्क मैंने कभी देखा नहीं था। मान्यवर, इतना नहीं पहले तो मस्जिद को ध्वस्त करने की बात करते थे तो मस्जिद गिराते-गिराते अब मंदिर गिराने लगे और एक नहीं तीन मंदिर आपने ध्वस्त कर दिये, तीन प्राचीन मंदिरों को ध्वस्त करके नेस्तनाबूत कर दिया। मान्यवर, संभवतः किसी भी हिन्दू ग्रंन्थ में जहां तक मैं जानता हूं, हो सकता है कि आपका पांडित्य ज्यादा हो, आप लोग ज्यादा जानते हों।

लेकिन जहां तक मैंने अध्ययन किया है, मैंने पढ़ा है किसी भी प्राचीन मंदिर की जिसमें प्राण प्रतिष्ठा हो उसको किसी भी तरह गिराया नहीं जा सकता, यह प्राविधान है। मौनी बाबा के प्राचीन मंदिर को आपने बुलडोजर से गिरा दिया, उसमें जो प्रतिस्थापित मूर्ति थी उसमें बुलडोजर चलवाया या नहीं, मुझे नहीं मालूम है लेकिन मंदिर को आपने बुलडोजर से ढहा दिया। आपने मंदिर ही नहीं ध्वस्त किया, मंदिरों में आपने ताले भी लगवाने शुरू कर दिये। यह हमने कभी नहीं सुना था संभवतः मान्यवर, मुस्लिम कालीन युग में, मुगल युग में नहीं, अंग्रेजों के शासनकाल में भी नहीं और पिछली जितनी भी सरकारें उत्तर प्रदेश में रही हैं, किसी के शासनकाल में मैंने नहीं देखा कि मंदिरों में ताले लगा दिये जायं, पूजा अर्चना सब बन्द कर दी जाय, वहां के पुजारी को भगा दिया जाय और मंदिर में स्थापित भगवान की मूर्ति बेचारी दाने-दाने के लिए तरस रही है।

मान्यवर, मैं एक बात कहना चाहता हूं आपकी अनुमति से जगतगुरू शंकराचार्य ज्योतिष पीठाधीश्वर श्री स्वामी स्वरूपानन्द सरस्वती जी महराज बद्रिकाश्रम ने जो लिखा है, मुझे नहीं मालूम है कि सरकारी हैं या गैर सरकारी है, यही तो आप ही बता सकते हैं, उन्होंने लिखा है, वह पढ़ना चाहता हूं—

श्री अवधपुरी में महन्त श्री मौनी बाबा की छावनी में सनातन मंदिर के रूप में प्रसिद्ध आश्रम परम सिद्ध सन्त मौनी बाबा द्वारा स्थापित इस आश्रम में लाखों श्रद्धालु आध्यात्मिक लाभ लेते हैं। दुर्भाग्य का विषय है कि इस पवित्र भूमि में जहां अनवरत भगवान की सेवा पूजा होती रहती है, उत्तर प्रदेश की सरकार द्वारा मंदिर में ताला लगवा दिया गया है एवं वहां के पुजारी को हटाकर पुलिस का पहरा बैठा दिया गया है। मंदिर में अभी तक ताला बन्द है स्वयं को राम राज्य लाने वाली सरकार से हिन्दू समुदाय क्षुब्ध है, देव मंदिरों की सेवा पूजा बन्द हो यह अनिष्टकारक होता है"।

मान्यवर, मैं यह नहीं कह रहा हूं, मेरा कहना नहीं है, यह जगतगुरू की चिट्ठी मैंने पढ़ी है और मान्यवर, जिन्होंने कभी आपका समर्थन किया था जिन्होंने आपको राजगद्दी पर रहने का आशीर्वाद दिया था और आपके लिए वोट मांगा था। लेकिन मान्यवर, दुर्भाग्य है कि अब आप भगवान को भी नहीं बख्श रहे हो। मान्यवर, सरकार को उन्होंने यह आगे लिखा भी है कि मालूम करके पूर्व व्यवस्था स्थापित करनी चाहिए, ऐसा नहीं करेंगे तो इनके लिये हानिकारक सिद्ध होगा।

धार्मिक नारों पर, धार्मिक उन्माद पर बनी हुई सरकार ज्यादा दिनों तक टिकाऊ नहीं हो सकती। लोगों की समस्यायें, लोगों की परेशानियां जो हैं उनको आप दूर करिये। मैंने देखा कि 8 महीने के कार्यकाल में पूरे प्रदेश में विकास के कार्य ठप्प पड़े हुए हैं, कहीं कोई विकास का काम नहीं हुआ। आप कहते हैं कि हमारे पास तन्ख्वाह बांटने के लिये पैसा नहीं है। लेकिन, कहीं कोई ओवरड्राफ्ट भी नहीं हुआ। धन तो है, फिर विकास क्यों नहीं? यह आठ महीने में विकास का पैसा कहां चला गया? मान्यवर, एक बात मैं यह कहना चाहता हूं, माननीय मुख्य मंत्री जी को उनकी शब्दावली में याद दिलाना चाहता हूं। 20 नवम्बर,

1990 को तत्कालीन मुख्य मंत्री श्री मुलायम सिंह यादव जी की सरकार के समय विधान सभा प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया तब श्री कल्याण सिंह ने मांग की थी कि अयोध्या में मरने वालों की घटना पर श्वेत पत्र जारी किया जाय मरने वालों के परिवारजन को 5-5 लाख रु0 दिया जाय ।

श्री कल्याण सिंह ने कहा था कि कभी कहा जा रहा है 5 मरे कभी कहा जा रहा है कि 9 मरे जबकि शहीदों की संख्या सैकड़ों में है। अब आप जब सत्ता में आ गये तो मान्यवर वाणी में बड़ा परिवर्तन हो गया । अब आपने ही जब बताया कि 14 ही मरे। कहां सैकड़ों की संख्या से कहां 14 की संख्या पर आ गये । 5-5 लाख रु0 की बात कही थी आपने खुद कही थी कदाचित किसी को भी 5-5 लाख रु0 नहीं दिया गया, जहां तक मुझे जानकारी है अगर हुआ होगा तो आप बता देंगे, मैं अपने विचार में संशोधन कर लूंगा । मान्यवर, श्वेत पत्र की बात आपने कही थी, जब आप स्वयं सत्तारूढ़ हो गये तो कोई श्वेत पत्र आपने नहीं निकाला, न तो सदन को बताया और न घोषणा ही की । मान्यवर, लोगों की धार्मिक भावनाओं को उकसाने के लिये, एक जन असंतोष पैदा करने के लिये आपने इस तरह का बयान दिया, इस तरह से लोगों का असंतोष बढ़ाया, यह कहां तक उचित है?

मान्यवर, आज आपके राज्य में जो कुछ भी हो रहा है उसके बारे में बहुत विस्तार से नहीं लेकिन थोड़ा संक्षेप में ही सदन का ध्यान आकृष्ट करना चाहूंगा और आपका भी । मान्यवर, माननीय मुख्यमंत्री जी अपराधों पर नियंत्रण करने के लिये, निष्पक्ष एवं कड़ी कार्यवाही करने के लिये बार-बार घोषणा कर चुके हैं, जबकि वास्तविकता यह है कि, बिना नाम लिये मैं यह कहना चाहूंगा, आपके बहुत से सदस्य और कार्यकर्ताओं ने आपसे खुली छूट लेकर आज प्रदेश में इस तरह का काम प्रारम्भ कर दिया है जो पहले कभी नहीं हुआ था । मान्यवर, खास तौर से अभी सीतापुर में, फिर उसी से आपने एक नयी रणनीति तैयार की । इस रणनीति के तहत जो अल्पसंख्यक भाई हैं उनको इतना त्रस्त कर दिया जाय, उनकी सम्पत्ति उनके कारोबार को इतना नष्ट कर दिया जाय कि वह इस लायक ही न रह पायें कि वह कोई प्रतिरोध कर सकें । मान्यवर, बनारस में देखें । बनारस ने केवल उत्तर प्रदेश का बल्कि हिन्दुस्तान का और मध्य एशिया का सबसे बड़ा साड़ी केन्द्र है । इतना बड़ा केन्द्र हमारे देश के बंगलौर में भी नहीं है, मद्रास में भी नहीं है और न ही बम्बई में है । लेकिन अगर देखा जाय तो दंगा सुनियोजित ढंग से कराया गया, चुनाव में भी कराया गया । चुनाव से दो दिन पहले वहां पर दंगा कराया गया । वहां पर अकलियत के लोगों को इस तरह से डराया गया कि वह वोट न दे सकें । वहां मैंने देखा था, बैनिया पार्क में, उसमें घोषणा की गयी थी कि बुल्डोजर के द्वारा ध्वस्त कर दिया जाय और किया भी गया। बुल्डोजर तो नहीं चला लेकिन सम्पत्ति का विनाश, लोगों का विनाश इस तरह से किया गया कि पहले कभी नहीं हुआ । नजीर बनारसी के साथ जो घटना घटी, जो राष्ट्रकवि हैं, उनके भतीजे को जिस तरह से लाक अप में मार डाला गया वह तो आपको मालूम ही है । डा0 मोहसिन अभी तक बी0 एच0 यू0 के हास्पिटल में पड़े हैं, उन्हें बड़ी बेदर्दी से मारा गया ।

डा0 अनीस को इतना पीटा गया कि उन्होंने वहां पर दम तोड़ दिया और उनकी लाश को वहीं दफना दिया गया, उनके परिवार वालों को नहीं दिया गया और उनकी लाश को पुलिस कस्टडी में ईदगाह में दफना दिया गया । मान्यवर, इतनी बड़ी दरिन्दगी हमने कहीं नहीं देखी । अतहर जमाल लारी जो कि हमारी पार्टी के सदस्य हैं, उनको भी पुलिस मार डालना चाहती है, उन्हें फसाना चाहती है जबकि आज तक उनके ऊपर किसी दफा में मुकदमा दर्ज नहीं है । मैंने बनारस के डी0 एम0 से पूछा कि क्या वे साम्प्रदायिक हैं तो उन्होंने कहा कि नहीं, अगर वह साम्प्रदायिक होते तो एक भी मुसलमान नहीं बचता । मान्यवर, बनारस में ही नहीं हुआ उसके बाद फिर जलालपुर में हुआ। वहां भी एक करोड़ रुपये की सम्पत्ति लूट ली गयी, टांडा में चुनाव के पहले वहां दंगा कराया गया, चुनाव वाले दिन वहां पर दो लोग मारे गये, दुकानें लूट ली गयीं, जिनकी दुकानें लूटी गयीं उन्हें क्षतिपूर्ति भी नहीं की गयी । मान्यवर, इसी तरह से हापुड़ में भी हुआ । आप स्वयं गये थे, आपने देखा होगा कि हापुड़ में साम्प्रदायिक दंगा नहीं था । वहां पुलिस और बहुसंख्यक के लोगों के बीच झगड़ा था जिसके फलस्वरूप गोली चली और बाद में उसे साम्प्रदायिक रूप दे दिया गया और साम्प्रदायिक कहकर मुसलमान भाइयों को चुनाव से पहले मार दिया गया ।

मान्यवर, मैं कहना चाहता हूं कि इसी तरह की घटना किशनगंज में हुयी, वहां मैं गया था, वहां मस्जिद को आग लगा दी गयी, उसका सामान लूट लिया गया । यह घटनायें केवल दिलों को तोड़ने वाली नहीं हैं, बल्कि इससे देश और प्रदेश कभी एक नहीं रह पायेगा । मान्यवर, हमारे सिख भाईयों के साथ जो कुछ हुआ, उसका नतीजा आज तक देश भुगत रहा है और उससे उबर नहीं सका है । अगर आप नफरत और अविश्वास हमारे अकलियत के भाईयों में पैदा करेंगे, तो यह देश और प्रदेश कैसे कायम रहेगा, इस पर आज हमें विचार करना है । आपने कहा कि हम हिन्दू, मुसलमान, सिख और ईसाई में भेद नहीं करते हैं, लेकिन जो आचरण देखा जाता है, वह एकदम इसके प्रतिकूल दिखाई पड़ता है । मेरी आपसे प्रार्थना है कि इस देश की और प्रदेश की एकता व अखण्डता के लिये कृपया इस तरह की जो वारदातें हो रही हैं, जो अविश्वास पैदा हो रहा है, उसको रोकिये, वरना एक समय ऐसा आ जायेगा, जब यह देश टूट जायेगा । मान्यवर, आपने देखा कि सोवियत रूस ऐसा देश जो 70 सालों से दुनिया की एक महाशक्ति के रूप में जाना जाता था मिनटों में ही बिखर गया । मैं कहना चाहूंगा कि चाहे हिन्दू हों, चाहे सिख हों, चाहे मुसलमान हों, चाहे ईसाई हों, सब इस देश के वासी हैं ।

(एक सदस्य द्वारा बैठे-बैठे ईसाई शब्द कहने पर व्यवधान)

कुंवर रेवती रमण सिंह–

मैंने सभी का नाम लिया है, आप कार्यवाही में देख लीजियेगा । मान्यवर, मैं कहना चाहता हूं कि अगर इस देश को बचाना है, इस प्रदेश की एकता अखंडता कायम रखनी है तो सचिये । पूरे ईस्ट यूरोपियन देश इसी के चलते टूट गये, बिखर गये । काश्मीर के बारे में भी कहना चाहता हूं । कश्मीर भारत का अभिन्न अंग है, मैं इसे मानता हूं, यह पहले भी था, आज भी है और आगे भी रहेगा । (मेजों की थपथपाहट)

मेरे दल के लोग और मैं तथा सम्पूर्ण विपक्ष इस बात के लिये कटिबद्ध हैं । मान्यवर, काश्मीर में कुछ गलतियां अवश्य हुयीं, जैसा पंजाब में हुआ उसी तरह काश्मीर में हुआ, वहां पर जो चुनाव हुये, उसमें एक चुनाव को छोड़कर कभी निष्पक्ष चुनाव नहीं हुआ, जिससे वहां के लोगों को यह मालूम हो गया कि हम चाहें जिसे वोट दें, चुना वही जायेगा, जिसे सरकार चाहेगी । मान्यवर, हम भारत के लोग सब एक देश के वासी हैं, आपस में भाई हैं, यह चीज विश्वास से पैदा की जाती है और विश्वास को तोड़कर, मिलेट्री के बल पर, पुलिस के बल पर कभी कायम नहीं की जा सकती ।

मान्यवर, इनके राष्ट्रीय अध्यक्ष ने एकता यात्रा की और कहा यह गया कि काश्मीर में तिरंगा झण्डा फहराया जायेगा । मान्यवर, जहां तक मुझे मालूम है, काश्मीर में लाल चौके पर शुरू से ही तिरंगा झण्डा फहराया जाता रहा है । लेकिन हम लोग सब सुन रहे थे कि श्री जोशी जी 11.00 बजे जम्मू से अपने काफिले के साथ वहां पहुंचकर झण्डा फहरायेंगे । परन्तु एकाएक समाचार आया कि उन्होंने यात्रा रद्द कर दी है । एयरफोर्स के विमान से वहां ले जाये गये और रात्रि में उन्होंने वहां विश्राम किया और 8.00 बजे मिलिट्री, सी0आर0पी0एफ0 व पुलिस के साये में उन्होंने झण्डा फहरा दिया। मैंने इलाहाबाद में बी0बी0सी0 के करोस्पोन्डेन्ट श्री मारकटुले से पूछा कि क्या सही मायने में पहाड़ गिरा था । क्योंकि आप भी गये थे । उन्होंने बताया कि पहाड़ तो कहीं नहीं गिरा । दो कारों पर जर्नलिस्ट गये । कार द्वारा ही जम्मू से श्रीनगर गये। अगर पहाड़ गिरा होता तो कैसे जाते ? इस प्रकार मिलिट्री का सहारा लेकर, केन्द्र सरकार का सहारा लेकर और एयरफोर्स के जहाज में जाकर झण्डा फहराने से कदाचित कोई फायदा नहीं हुआ । इससे नुकसान यह हुआ कि वहां से मार्च शुरू हो गया ।

मान्यवर, गोरखपुर में आपके एक सम्मानित विधायक ने यह घोषणा की कि अगर एक हिन्दू मरे तो दस मुसलमान मरें । अगर न मार सको तो हमें बताओ । आपने उस विधायक के खिलाफ कार्यवाही नहीं की । वहीं प्रतिपक्ष के लोगों को थोड़ी सी बात पर कड़े से कड़े बंधनों में बंद करने में आपकी पुलिस को कोई हिचकिचाहट नहीं होती है ।

इसी तरह से मान्यवर, पहले आतंकवाद पंजाब व जम्मू-काश्मीर तक ही सीमित था । लेकिन आपकी सरकार बनते ही आज आतंकवाद का जो नंगानाच उत्तर प्रदेश में हो रहा है, वह पहले कभी नहीं हुआ । यह कहने में मुझे कोई संकोच नहीं है । उसका कारण क्या है, इसे आप समझने की कोशिश करें । पहले इक्का-दुक्का घटनायें होती थीं लेकिन अगस्त, 1991 के महीने में पीलीभीत में पुलिस के हाथों ग्यारह निर्दोष लोगों को मौत के घाट उतार दिया । वे सब तीर्थयात्री थे । दो महीने से तीर्थ यात्रा करके लौटे थे । पुलिस ने अपनी बहादुरी दिखाने के लिए उनको निर्ममता से मौत के घाट उतार दिया ।....

मान्यवर, मैं यह भी कहना चाहूंगा कि उसमें सच्चाई यह है कि सुप्रीम कोर्ट ने भी आपको निर्देश दिया कि प्राइमाफ्रेसी केस बनाने के बाद 50, 50 हजार रुपया जो 11 लोग मार गए हैं उनके परिवार वालों को दें । इतना ही नहीं आपने यही मान

कर अपने पुलिस अधीक्षक को वहां से स्थानान्तरित भी किया । तो इसके परिणामस्वरूप वहां आतंकवाद चरम सीमा पर है । मान्यवर, 6 महीने के अंदर उस तराई के इलाके में आतंकवादियों के जितने लोग शिकार हुए हैं उतने सम्भवतः 6 महीने में पंजाब में भी नहीं हुए होंगे ।

मेरे पास जो सूचना है उसके मुताबिक 350 लोग आतंकवाद के शिकार हुए हैं । आपके यहां केन्द्र ने जो अत्यन्त संवेदनशील जिले चिन्हित, देहरादून, सहारनपुर, बिजनौर, बरेली, नैनीताल और मुजफ्फरनगर वैसे तो 17 जिले हैं जिनको केन्द्र ने अत्यंत संवेदनशील माना है लेकिन इनमें हालत ज्यादा खराब है 7 बजे के बाद लोग अपने घरों से नहीं निकलते हैं । वहां पुलिस भी अपने को बंकरों में बन्द कर लेती है और जो कोई रिपोर्ट लिखाने जाता है उसको सुबह बुलाते हैं । तो इतनी भयंकर स्थिति वहां हो गयी है ।

मैं बताना चाहता हूं कि 15 जुलाई, 91 को पीलीभीत में 8 लोग मारे गए, 17 अक्तूबर को रुद्रपुर में 40 लोग मारे गए, 19 अक्तूबर को 7 लोग घायल हुए, 10 नवम्बर 91 को 9 लोग मारे गए, 17 नवम्बर को 9 लोग मारे गए, 30 नवम्बर को 3 लोग मारे गए, 13 नवम्बर को 8 लोगों की हत्या हुई, 1 दिसम्बर को 3 पुलिस कर्मी मारे गए, 5 दिसम्बर को 14 लोगों की हत्या हुई, 28 दिसम्बर को 4 खाड़ूका मारे गए और एक आदमी मारा गया, 5 दिसम्बर को 6 हत्या खीरी में हुईं और 10 दिसम्बर को 6 हत्याएं हुईं, 31 दिसम्बर को 4 हत्याएं पुनः उसी दिन 3 हत्याएं हुईं । तो इस तरह से आपके राज्य में लोग मारे जा रहे हैं । आपकी गलत नीतियों के कारण साढ़े तीन सौ लोग मारे जा चुके हैं । आज स्थिति आपके नियंत्रण में नहीं है उसके दो कारण हैं एक तो यह कि आपकी पुलिस के पास आधुनिक हथियार नहीं हैं जो आतंकवादियों के पास हैं जिसके कारण पुलिस उनका मुकाबला नहीं कर पा रही है । पता नहीं कब तक यह हथियार उनको आप दे पायेंगे । इसके कारण आज पुलिस वाले भी भयभीत हैं । मान्यवर, मैं आपका ध्यान 18-12-91 को थाना 39 सेक्टर नोयडा की ओर दिलाना चाहता हूं वहां पर सन्त राम को थाने के अन्दर आपके राम राज्य में गोली से मार दिया गया उसका दोष यह था कि वह गरीब था और पुलिस को चौथ नहीं दे पा रहा था । संतराम गूजर को इसलिए मारा गया कि उसने कहा था कि हम महिनवारी देते हैं चौथ नहीं दे पायेंगे, इसलिए उसे कनपटी पर गोली मारी गयी और वह वहीं धराशायी हो गया और उसकी लाश को उसके परिवार वालों को नहीं दी गयी । पुलिस ने उसकी लाश का पता नहीं कहां क्रियाकरम कर दिया । उसकी पत्नी, बच्चे और बूढ़े पिता उसकी लाश को देखने में असमर्थ रहे। इतना ही नहीं वहां जब हमारे विधायक, श्री महेन्द्र सिंह भाटी, जो उद्घाटन के सिलसिले में उपस्थित थे उन्हीं के सामने संतराम को मौत के घाट उतार दिया गया और जब भाटी ने प्रतिरोध किया तो कह दिया गया कि श्री महेन्द्र सिंह भाटी थाने को जलाने आए थे । मान्यवर, पुलिस का यह एक नया हथकण्डा हमने देखा और यही हथकण्डा परसपुर तथा फर्रुखाबाद में अपनाया गया कि पुलिस स्वयं आग लगाती है और कहती है कि लोग आग लगा दिए जिससे उनको बन्द कर देती है।

मान्यवर, श्री महेन्द्र सिंह भाटी जो तीसरी बार इस विधान सभा के सदस्य चुने गए और अबकी बार 52 हजार वोटों से जीते हैं और उनको टांडा में में बन्द किया गया है । सम्भवत: मैंने अपने जीवन में ऐसी घटना नहीं देखी थी कि एक विधायक जो गाजियाबाद, दादरी के हैं, टाडा लगाकर बन्द किया जाए । आतंकवादियों को आप गिरफ्तार नहीं कर पाए हैं. उनके खिलाफ टाडा नहीं लगा पाए लेकिन एक सम्मानित विधायक के खिलाफ टाडा लगाकर निरुद्ध किया । यही नहीं उनके लड़के, भतीजे संजय और अनिल जिनकी उम्र 14 और 16 वर्ष की है उनको तक निरुद्ध किया गया टाडा में । यही नहीं 82 साल के बूढ़े को भी टाडा में निरुद्ध किया गया । इसके अलावा और 59 लोगों को टाडा में बंद किया गया है । तो मान्यवर, संभवत: दुनिया के किसी देश में इस तरह से 60 आदमियों को टाडा में निरुद्ध करने का इतिहास नहीं मिलेगा । पुलिस ने कह दिया कि खतरनाक आदमी है और आपने निरुद्ध कर दिया लेकिन न्यायालय ने कहा कि महेन्द्र सिंह भाटी और उनके परिवार के लोग तथा जो 59 लोगों को निरुद्ध किया गया है यह सरासर गलत है । पुलिस के खिलाफ स्ट्रक्चर भी न्यायालय ने पास किया है । यही राम राज्य की कल्पना आपकी है । यह मैं मान सकता हूं कि भाजर्न राम राज्य की कल्पना है पुरानी राम राज्य की कल्पना यह नहीं है ।

मान्यवर, इतना ही नहीं यह कहते हैं कि गाजियाबाद में स्थिति एकदम कन्ट्रोल में है । मान्यवर, मैं समयाभाव के कारण आज नहीं जनरल एडमिनिस्ट्रेशन के बजट में बता दूंगा कि आज क्या स्थिति है । रहीजुद्दीन, देव सिंह हरिजन और उड़ीसा के एक और आदमी को पुलिस हिरासत में मार डाला गया । एक नया सिलसिला जारी हुआ है पिछड़ी जाति के लोगों को दलितों को पुलिस की कस्टडी में थाने में मार डाला गया ; मान्यवर, थोड़ा तो आप अपने सहयोगियों को सचेत करें । थोड़ा परम्पराओं का पालन करना उन्हें बता दें । बस्ती में एक सम्मानित मंत्री जी ने एक विधायक को इसीलिये पिटवा दिया क्योंकि वह उस मकान में रह रहे थे जो उनके नाम एलाट था । मंत्री जी चाहते तो दूसरा मकान ले सकते थे । कलेक्टर को बुलवा कर दूसरा ले लेते । मान्यवर, यह सिलसिला पूरे प्रदेश में चालू है कोई एक जगह नहीं । इसको जरूर दिखलाइये । इस तरह की घटनाओं से शासन की छवि धूमिल होती चली जा रही ।

मान्यवर, महामहिम राज्यपाल के अभिभाषण में गढ़वाल मण्डल के भूकम्प के बारे में बड़े विस्तार से कहा गया । मान्यवर, गढ़वाल मण्डल में यह विनाश लीला 20 अक्टूबर, 1991 को हुई । 30 हजार मकान वहां धराशायी हो गये, 25 हजार मकान रहने के योग्य नहीं रह गये और लगभग 2 हजार लोगों की जीवन लीला वहां समाप्त हो गयी । सम्भवत: मान्यवर, मुझे जहां तक याद है कि इस सदी का, इस देश का सबसे बड़ा भूकम्प गढ़वाल में आया था । मान्यवर, मैंने राज्यपाल के अभिभाषण में जो पढ़ा, जो ब्यौरा आपने दिया मैं एक बात आपको बताना चाहता हूं आप उनको जानते होंगे । डा0 सिद्धू जो कि यहां के प्लेयर रहे हैं और लखनऊ से सांसद भी रहे हैं । वह बेचारे वहां राहत सामग्री बांटने गये थे उनको वहां एक तहसीलदार ने पीटा और आर0 एस0 एस0 के लोगों ने पीटा और सब सामग्री खाने-पीने की लूट ली । वहां

पर इस तरह से घटनाएं हुईं । एक तो वहां पर लोग मारे गए हैं और उस पर कफन खसोटी हो रही है । मान्यवर, आप जांच करवा लें अगर मैं असत्य कह रहा हूं । स्वामी राम जो हिमालय इन्सटीट्यूट के कर्ता हैं आदर के पात्र हैं । विदेशों में भी लोग उनको सम्मान की दृष्टि से देखते हैं । एक बार नहीं अनेकों बार उन्होंने कहा कि ऐसा हुआ है । विदेशों से जो माल आया है आर0 एस0 एस0 के लोगों ने लूट लिया है । उस दिन गुप्ता जी कह रहे थे कि सुदूर गांवों में जाकर राहत कार्य किया जा रहा है ।

मान्यवर, जो कम्बल बांटे गये वह कम्बल एकदम झिलझिले थे । जो त्रिपाल बांटे गये वह ऐसे थे कि एक दरसात के पानी को न रोक सके । टिन जो दिये गये वह ऐसे कि जरा सी हवा में उड़ गये । इसी तरह से खाद्य सामग्री उनको मुहैया नहीं करवा सके । अक्टूबर से फरवरी आज तक इस इलाके में समुचित प्रबन्ध करने में सरकार असफल रही है । मान्यवर, उनको चीनी की जगह खाण्डसारी बांटी जा रही है । घटिया किस्म के तेल बांटे जा रहे हैं । मान्यवर, जब उस दिन यहां यह घटना घटी फैजाबाद में एक बड़ा भारी आयोजन हो रहा था सारे मंत्री वहीं थे ।

"जब रोम जल रहा था तो नीरो बांसुरी बजा रहा था" यह कहावत है, इसको आपने चरितार्थ कर दिया आप फैजाबाद चले गए, यह तो आपकी मानसिकता है । मान्यवर, दलित शिक्षार्थियों की बात उठी दलित शिक्षार्थियों की बात उठाने पर गुप्ता जी ने कह दिया मैं देख रहा हूं, देखूंगा, देखता रहूंगा, निवारण करता रहूंगा ।

(हंसी)

मान्यवर, यहां राजस्व मंत्री जी नहीं हैं अन्य मंत्रीगण बैठे हुए हैं । थोड़ी सी जानकारी चाहूंगा जब आप भाषण दें तो बता दें । अभी तक कितने दलित लोगों को उनके पट्टों के कब्जे आठ महीनों में दिलवाए हैं ? कितने नए लोगों को पट्टा दिया है, कृपया मेरा ज्ञान वर्धन करा दीजिएगा । किसी जिले में मान्यवर, एक भी कैम्प नहीं लगाया गया है । आठ महीने में अगर आप देखेंगे राज्य विद्युत परिषद में मुख्य अभियंता के स्तर के 22 पद हैं जिसमें चार अनुसूचित जाति के आरक्षित हैं, लेकिन मान्यवर उसमें एक ही पद मुख्य अभियन्ता का, अनुसूचित जाति के व्यक्ति को नहीं दिया गया है । और तो और जनरल प्रथा हो गई । जब दलितों के फायदे की बात आई तो किसी दलित को अनुसूचित को नहीं भरा गया है । आपने कहा है कि जी0 ओ0 निकाला है तो आप देख लें कि आचरण अनुकूल है या नहीं । मुख्य अभियन्ता के दो पद हैं वह नहीं भरे गये । अधीक्षण अभियन्ता के 54 पद अनुसूचित जाति और दलित के हैं इसमें 12 पद भरे गए हैं शेष पद नहीं भरे गए हैं । इसमें तो प्रमोशन देने की बात है इसमें भी प्रमोशन नहीं देना चाहते हैं। सहायक अभियन्ता के साढ़े तीन सौ पद हैं जिसमें से केवल 60 पद ही भरे गए हैं। अवर अभियन्ताओं के एक हजार दो सौ पच्चीस पद में से मात्र 275 पद ही भरे गए हैं । आप कहते हैं कि जी0 ओ0 निकालते हैं और भर्ती चालू है । समाज कल्याण मंत्री जी बैठे हुए हैं, कहीं दिखाई नहीं देता है जो यह विज्ञापन निकालते हैं मैं इनसे कहना चाहूंगा कि यह विभाग से कह दें कि कोई विज्ञापन वह निकलवाएं तो उसकी एक कापी हमें भी भेज दिया करें । इसी तरह से लोक निर्माण विभाग में, सिंचाई विभाग में सहायक अभियन्ता के क्रमशः 146 पद हैं और आरक्षित 123 हैं । जिन अवर अभियन्ताओं के पद प्रमोशन से भरे जाने हैं उसमें भी कोई कार्यवाही नहीं की गई है । जो आप यहां कहते हैं उसको कार्य के

रूप में करा करिये । सरकार ने अपने घोषणा पत्र में कहा है कि वह हर हाथ को काम देगी । लेकिन मान्यवर, काम देना तो दूर रहा प्रतापगढ़ में जो आटो ट्रैक्टर्स में कार्यरत कर्मचारी हैं उनके भूखों मरने की नौबत आज आ गयी है । 15 महीनों से उनको तनख्वाह नहीं मिली है । मान्यवर, आप कह सकते हैं कि पहले की सरकार ने कर दिया था तो मैं कहना चाहता हूं कि पहले की सरकार ने तो डाला सीमेंट फैक्टरी को किया था उसको कैसे आपने ले लिया ? अगर आप उनको नहीं ले सकते हैं तो उन कर्मचारियों को वेतन दिलाइए और उनको समायोजित कराइए । 20-25 साल से काम करने वाले वह कर्मचारी हैं जो भुखमरी के कगार पर हैं । इस सदन की, हम सबकी यह जिम्मेदारी है, सरकार में रहने के नाते आपकी जिम्मेदारी ज्यादा है कि आप आटो ट्रैक्टर्स के कर्मचारियों को तत्काल समायोजित करायें । आप उनको काम नहीं दे पा रहे हैं तो उनको रोटी तो दें । नया काम सृजित नहीं कर पा रहे हैं तो जो लोग पहले से काम कर रहे हैं उनको फिर से काम पर लगायें और उसके लिए तत्काल एक जी0 ओ0 सरकार की तरफ से निकालना चाहिए ।

इस विषय पर चाहे सत्ता पक्ष के विधायक हों या इधर के हों, सब एक मत हैं । इस बारे में कहीं कोई विरोध नहीं है । मान्यवर, दलित शिक्षा आन्दोलन के बारे में यहां पर बहुत चर्चा हुई है, मैं ज्यादा न कहकर सरकार से केवल एक बात कहूंगा कि इसको हल्के तरीके से मत लीजिए । यह बात आज गांव-गांव फैल चुकी है । अभी वह शान्तिपूर्ण आन्दोलन कर रहे हैं, समय रहते हमारा प्रयास होना चाहिए कि उनके आरक्षण के कोटे को पूरा कराया जाय । एक विडम्बना यह है कि बजाय उनका कोटा भरने के दिन पर दिन उनका कोटा घटता जा रहा है । स्वाभाविक है कि उनमें गुस्सा है, उनके गुस्से को शान्त करने के लिए सरकार को तत्काल पहल करनी चाहिए । मान्यवर, मुझे अफसोस है कि अभी तक सरकार ने कोई पहल नहीं की है । महामहिम राज्यपाल महोदय ने डा0 अम्बेदकर शताब्दी वर्ष के बारे में चर्चा की है । लेकिन इस सरकार ने डा0 अम्बेदकर का जो सपना था उसको चकनाचूर कर दिया है ।

मैं पूछना चाहता हूं कि डा0 अम्बेदकर के नाम से एक विश्वविद्यालय यहां पर बन रहा था, इस सरकार ने 8 महीने में क्या कोई पैसा उसको दिया है । एक पैसा भी इन 8 महीनों में नहीं दिया गया है और आप बात करते हैं दलितों की । मान्यवर, केवल जबान से कह देने से यह काम नहीं होगा । आज जनता में यह साबित हो रहा है कि यह सरकार दलित विरोधी है । मान्यवर छात्रों के साथ आप जो कर रहे हैं वह सम्भवतः आज तक किसी सरकार ने नहीं किया । छात्राओं पर गोलियां चलायी गयी हैं । छात्रों को गोली से उड़ा देने की खुली छूट पुलिस को दे गयी है । माडर्न राम राज्य का सबूत इससे बड़ा और क्या हो सकता है ? मैं परसपुर गया था, वहां लड़कों का कोई कुसूर नहीं था । वह बी0 डी0 ओ0 को ज्ञापन देने जा रहे थे लेकिन थाने के पास उनको निर्ममता से पीटा गया । पशु डाक्टर के क्वार्टर में मैंने देखा कि 35 जगहों पर गोलियां लगी हुई हैं । वहां छात्रों को दौड़ा दौड़ा कर मारा गया, यह आपके राम राज्य की कल्पना है । गाजियाबाद में छात्रों को मारा गया, हाथ में उन पर लाठी चार्ज किया गया, फर्रुखाबाद में एक छात्र को

मारा गया । मान्यवर, यह स्थिति है कि लगभग एक दर्जन छात्र आपकी गोली के शिकार हुए हैं और मुझे अफसोस है कि यह सरकार केवल गोली की ही भाषा समझती है । बलिया में दो मारे गए, एक आदमी गाजीपुर में मारा गया । मान्यवर, यह निर्मम हत्याएं छात्रों की आप काहे कर रहे हैं । मैं जानना चाहता हूं, गौड़ साहब बैठे हैं, इसी लखनऊ में 11 हजार इण्टर पास छात्रों को प्रवेश नहीं दिया जा सका । पूरे प्रदेश में देखें तो 5 लाख की संख्या हो जायगी । जो इण्टर के बाद बी0 ए0 भी प्रवेश नहीं कर पाए । आप कहते हैं कि संसाधन नहीं हैं । आप केरल का उदाहरण लें, वहां पर शत-प्रतिशत शिक्षित हैं और वहां बजट का बहुत बडा भाग शिक्षा में खर्च किया जाता है। लेकिन दुर्भाग्य है कि उत्तर प्रदेश में शिक्षा के मद में इतना कम धन आवंटित होता है कि विद्यार्थियों को शिक्षा के बजाय गोली देते हैं । तमाम महाविद्यालयों में शिक्षकों के पद सृजित नहीं कर सकते हैं । इण्टर कालेज, हाई स्कूल में साइंस और मैथ्स के टीचर नहीं हैं । आप कहीं भी पद सृजित करने के लिए धन का अभाव बताते हो । मान्यवर, आखिर इस प्रदेश का भविष्य क्या होगा, कभी आपने सोचा । आपने एक नकल विरोधी कानून पास किया, मैं पूछना चाहता हूं कि कभी सोचा कि छात्र नकल क्यों करते हैं । नकल की मजबूरी कहां है ।

श्री सूर्य प्रताप शाही–

आपकी देन है ।

कुंवर रेवती रमण सिंह—

मेरी ही देन है । मेरी देन मानते-मानते आप गीत को प्राप्त हो जाएंगे । मान्यवर, नकल क्यों होती है । कभी प्राइमरी स्कूलों की पढ़ाई देखी । अध्यापक आते ही नहीं आते हैं तो पढ़ाते ही नहीं । शिक्षा मंत्री बैठे हैं । किसी प्राइमरी स्कूल में जाकर 10 और 5 का पहाड़ा पूछ लें, लड़का नहीं बता सकेगा ।

श्री प्रमोद तिवारी–

10 का इनको ही नहीं मालूम होगा । आप खड़ा करके पुछवा लें ।

(हंसी)

कुंवर रेवती रमण सिंह–

मान्यवर, यह बेचारे विद्यार्थी जिनका कोई दोष नहीं है, न उसको भूगोल पढ़ाई जाती है, न इतिहास पढ़ाया जाता है । आज से 15 साल पहले प्राइमरी शिक्षा इतनी अच्छी थी कि अंग्रेजी को छोड़कर बाकी विषयों में विद्यार्थी पारंगत रहता था । आप अच्छा पढ़ाते नहीं हो, पढ़ने की सुविधा देते नहीं हो, टीचर नहीं देते हो, बैठने की व्यवस्था नहीं करते और स्कूल कालेजों में नकल विरोधी कानून बना-कर पुलिस को दे दिया । किस पुलिस को दे रहे हो ? उस पुलिस को, गांव में जब अपराधी जाता है तो कुछ ही लोग भागते हैं, लेकिन पुलिस चली जाती है तो पूरा गांव खाली हो जाता है । यह छवि पुलिस की है । आज कोई आरोप पुलिस से बचा नहीं है जिसमें पैसा न कमाते हों । कतल से लेकर ऐसी कोई दफा नहीं है जिसमें पुलिस की भागीदारी न हो । अभी तक तो 3-4 ही भागीदार थे, अब

पुलिस भी भागीदार हो गयी । देना था तो मैजिस्ट्रेट को अधिकार देते । विद्यार्थी को आता नहीं तो कैसे इम्तहान देगा ? मैं नकल के बारे में जो आज चलन हो गया था उसका समर्थन मैं नहीं कर रहा हूं । लेकिन हमको, आपको सोचना पड़ेगा । कि विद्यार्थी नकल करने के लिए क्यों मजबूर हो गया है । आपकी दोहरी शिक्षा नीति चलेगी । प्राइमरी स्कूल का बच्चा जब हाई स्कूल में जायगा, तो वह 10 तक का पहाड़ा नहीं पढ़ पायेगा, तो वह नकल नहीं करेगा, तो क्या करेगा ? मैं गुप्ता जी को याद दिलाना चाहता हूं कि उन्होंने अभी कहा कि यह कह दिया गया है कि पहले हरिजन कोटा को भरो । मान्यवर, 8 महीने हो गए कहीं पर भी कोटा नहीं भरा गया है, हो सकता है कि कागज पर कुछ कोटा भर लिया गया होगा । आज तमाम तृतीय और चतुर्थ श्रेणी में आरक्षित पद रिक्त हैं, जिसमें कहीं कोई इस बात की जरूरत नहीं है कि उसके भरने में यह देखा जाय कि वह पास हुआ कि नहीं हुआ है ।

चपरासी में और बाबू में इस समय प्रदेश में 1 लाख 75 हजार जगहें सामान्य और आरक्षित दोनों प्रकार की खाली हैं, जिसमें खर्चा पौने दो करोड़ का आयेगा । आपने यह कह दिया कि इसमें मितव्ययिता बरतने के लिए यह आदेश कर दिया है कि उन पदों को भरा न जाय । इस प्रदेश में कोई नया उद्योग नहीं लग रहा है, पौने दो करोड़ का मैं हिसाब बता दूंगा, कभी पूछ लीजिएगा कि इस प्रदेश को कहां से मिलेगा, लेकिन इन पदों को तत्काल भरवा दीजिए । मैं एक जी0 ओ0 की तरफ आपका ध्यान दिलाना चाहता हूं, इसे 8 दिसम्बर को शासन ने निर्गत किया था, जिसमें यह कहा गया था कि कोई एम0 डी0, कोई चेयरमैन एक गाड़ी से ज्यादा प्रयोग नहीं करेगा, लेकिन, कहीं पर भी क्रियान्वयन नहीं हुआ ।

मान्यवर, 8 दिसम्बर से आज 20 फरवरी हो गयी, एक-एक जगह पर 3-3 गाड़ियां मौजूद हैं । इसीलिए मैं माननीय मुख्य मंत्री जी से कहता हूं कि फाइल में मत उलझो, आदेश तो आप करते हो, लेकिन आदेश, आदेश ही रह जाता है, उसका क्रियान्वयन नहीं हो पाता है । मान्यवर, बिजली के रेट में आपने बढ़ोत्तरी कर दी है । गुप्ता जी आप जब इधर बैठते थे, तो आप इसका बड़ा विरोध करते थे । आपने यह देखा नहीं कि इस बढ़ोत्तरी से क्या होने वाला है, इससे हमारे प्रदेश को सर्वाधिक हानि हो जायगी, कोई भी नया उद्योग नहीं लग पायेगा और जो उद्योग हैं, वे भी बंद हो जायेंगे। त्रिपुरा में 20 हार्स पावर पर 800 रु0, 50 हार्स पावर पर 1000 रु0 हिमांचल प्रदेश में 416 रु0 20 हार्स पावर पर, और 50 हार्स पावर पर 1400 रु0 और 80 हार्स पावर पर 2100 रु0 । मान्यवर, जरा उत्तर प्रदेश को देख लें । उत्तर प्रदेश में 20 हार्स पावर पर 1780 रु0, 50 हार्स पावर पर 4230 रु0, 80 हार्स पावर पर 8,400 रु0 । यह हमारे पास 15-16 राज्यों के जो आंकड़े हैं, अगर आप देख लें, तो उससे पता चलता है कि आज इस प्रदेश में चाहे छोटे उद्योग हो, चाहे मध्यम उद्योग हो, चाहे वृहद् उद्योग हो आज आपके उत्तर प्रदेश

में इससे महंगी बिजली और किसी प्रदेश को नहीं मिल रही है । कारण क्या है

(समय 5 बजकर 20 मिनट)

मान्यवर, आप कारण देखें तो आज जिस अखिल भारतीय उत्पादन पर प्लान्ट लोड फैक्टर, पी0 एल0 एफ0 42 फीसदी का है, वह आपके यहां पर 32 फीसदी का है । मैं बताना चाहता हूं कि यह जो आंकड़े दिए जाते हैं, 52 फीसदी, 54 फीसदी या 50 फीसदी के0वी0 बिजली का उत्पादन हुआ है, एक महीने के आंकड़े होते हैं। 32 फीसदी उत्पादन हुआ है, जबकि अखिल भारतीय स्तर पर औसत उत्पादन 42 फीसदी का है और अगर आप एन0 टी0 पी0 सी0 का देख लें तो उनका 65 से 60 फीसदी है । ऐसे ही महाराष्ट्र का है और आन्ध्र का है । आप देखें कि छीजन के नाम पर चोरी हो रही है, उस पर आप ध्यान दें तो आप देखेंगे कि 40 फीसदी लाइन लासेज हो रहे हैं । जितने लाइन लासेज हमारे प्रदेश में हैं उतने और किसी राज्य में नहीं है । जहां पर साढ़े 33 के0 वी0 का पावर स्टेशन है, वहां पर मीटर लगा हुआ है, कि कितनी बिजली जाती है, वह दर्ज हो जाता है ।

आप इसको 10 प्रतिशत मान लें, लेकिन इसके बाद बिजली का पैसा मिलना चाहिए, लेकिन नहीं मिल रहा है । बिना देखे, बिजली के उत्पादन को ठीक किए हुए आपने 40 फीसदी लगा दिया, एक तरह से ईमानदार उपभोक्ता को सजा दे दी । मेरा दावा है कि चोरी और बढ़ेगी इससे । 750 करोड़ रुपए का बकाया है, उसी को आप अगर वसूल लेते तो नया टैक्स न लगाना पड़ता । ऊंचाहार तापीय विद्युत गृह को आपने 250 करोड़ रुपए में बेच दिया । 8वीं पंच वर्षीय योजना में केवल अनपरा को छोड़कर और कोई ताप विद्युत गृह नहीं आने जा रहा है । उसकी आज की लागत 850 करोड़ रुपए है और आपने उसको केवल 250 करोड़ रुपए में बेच दिया है । 500 करोड़ रुपया एन0 टी0 पी0 सी0 का बकाया है और 250 करोड़ रुपया कोयले का बाकी है । यह सब अगर आप जोड़ दें तो काफी बकाया हो जायेगा और आपने ऊंचाहार विद्युत ताप गृह को पानी के भाव बेंच दिया ।

(व्यवधान)

आज स्थिति यह है कि आपके प्रदेश में पिछले 8 महीनों में कोई भी एक उद्योग आया हो तो उसे आप बता दें । पिछले 8 महीनों में उत्तर प्रदेश में न तो कोई सार्वजनिक क्षेत्र में और न ही कोई निजी क्षेत्र में उद्योग आया है । कोई एक नया उद्योग आपके शासनकाल में नहीं आया है और न ही आने वाला है। बिजली का रेट इतना ज्यादा है कि बिजली की सप्लाई से उपभोक्ता परेशान है । बिजली विभाग में हड़ताल चल रही है, विद्युत कर्मचारियों की हड़ताल चल रही है । आप 5 करोड़ की बिजली एन0 टी0 पी0 सी0 से खरीद रहे हैं, तो 8वीं पंचवर्षीय योजना में कहां से ले आयेंगे । माननीय नेता कांग्रेस पार्टी, प्रमोद तिवारी जी बोल रहे थे और आपने आंकड़ों की बात सुनी थी । मैं कहना चाहता हूं कि 8वीं पंचवर्षीय योजना बहुत ही महत्वपूर्ण योजना है । कल ही दोनों पक्ष के विधायकों को आपने बुलाया था और इसके बारे में बात की थी कि योजना का प्रारूप क्या हो, यह मेरी समझ में अभी तक नहीं आया है ।

जब मान्यवर, वहां से पैसे की कटौती हो गयी तो आप दूसरा आंकड़ा पढ़ते हो और प्रमोद तिवारी जी दूसरा आंकड़ा पढ़ते हैं और मुझे यह भी याद है कि जब अडवानी जी अमेरिका गए थे तो उन्होंने यह बयान दिया कि नरसिंहाराव जी की सरकार पूरे 5 साल चलेगी । उन्होंने अन्तर्राष्ट्रीय मुद्राकोष विश्व बैंक अमेरिका को यह आश्वासन दिया है कि यह पूरे 5 साल सरकार चलेगी और लोकसभा में कांग्रेस की सभी आर्थिक नीतियों का आपकी पार्टी ने समर्थन भी किया है, पूरा समर्थन किया है कि जितना पूंजीनिवेशवाद इस देश में लाया जाय आपकी पार्टी पूरी तरह से उसका समर्थन करती है । तो मान्यवर, एक तरफ आप कहते हो कि हम उनसे सहमत नहीं हैं, उनकी बात मानते नहीं, आपको ऊपर से मदद नहीं मिलती है लेकिन मेरे हिसाब से आप लोगों की यह जो मिलीजुली सरकार चल रही है दिल्ली और प्रदेशों में, इसका भगवान ही मालिक है । आपकी रस्साकसी में इस देश की जनता भूखमरी की कगार पर पहुंच रही है ।

मैं आपका ध्यान जो एक सबसे बड़ी परियोजना पनबिजली की चल रही है, उसकी ओर आकर्षित करना चाहता हूं, वैसे तो 7 पनबिजली योजनाएं हैं लेकिन 6 पर काम ठप है पैसे के अभाव में । पैसा आपके पास है नहीं, आप पैसा मुहैया करा नहीं पा रहे हैं । अब आपका ध्यान टिहरी परियोजना की ओर ले जाना चाहता हूं पांच हजार अट्ठावन करोड़ की परियोजना है । इससे इस समय 6 लाख हैक्टेयर भूमि की सिंचाई हो रही है । इसके बन जाने के बाद 2.7 लाख हेक्टेयर अतिरिक्त भूमि की सिंचाई होगी और 2400 मेगावाट बिजली का उत्पादन होगा, और पीने का पानी दिल्ली और अन्य शहरों को मिलेगा, एक नए शहर का सृजन होगा । लेकिन मान्यवर, 14 दिसम्बर से इस पर कार्य बन्द है । श्री सुन्दर लाल बहुगुणा जी वहां बैठे हुए हैं कुछ लोगों को लेकर । आपकी सरकार ने वहां पर बार-बार आश्वासन दिया कि हम अति शीघ्र काम चालू करवा रहे हैं 14 तारीख से आज 20 तारीख हो गयी सवा दो महीने हो गए लेकिन उसको हटवा नहीं पाए और टिहरी परियोजना में काम नहीं चला पाए । अगर किसी माननीय सदस्य को आशंका है भूकम्प आया था, तो वहां रूस के लोग आए थे भारत सरकार के लोग भी गए थे और जांच के बाद उसे खराब नहीं पाया गया ।

मान्यवर, मैं उदाहरण देना चाहता हूं कि सोवियत यूनियन रूस में आर्मीनिया एक जगह है वहां भूकम्प आया था और एक लाख लोग मरे थे लेकिन वहां पर आज भी जो वहां का बांध था, टूटा नहीं । मान्यवर, इस समय बिजली के लिए, सिंचाई के लिए दूसरी परियोजना हमको मिल नहीं सकती है । लेकिन यह सरकार, जिसका पैसा भी इस सरकार को बहुत कम देना है, भारत सरकार का और रूस का उसमें शेयर है, उसे नहीं चला रही है । इससे दुखद बात और क्या हो सकती है । जिस चीज को गम्भीरता से लेना चाहिए उस पर आज तक कोई काम नहीं करवा पा रहे हैं । मान्यवर, इसी तरह से मैं आपका ध्यान आकृष्ट करना चाहता हूं जो सिंचाई के बारे में कल हमारे किसी माननीय सदस्य ने कही, मान्यवर, सिंचाई के बारे में मुझे

यह कहना है कि जो बड़ी परियोजनाएं आज प्रदेश में चल रही हैं वह प्राय: ठप्प हैं । बाण सागर परियोजना जो मध्य प्रदेश के समझौते से विगत कई वर्षों से चल रही है, पता नहीं उस पर आप ध्यान देंगे या नहीं । बाण सागर से हमारे मिर्जापुर, सोनभद्र और इलाहाबाद को फायदा मिलेगा । मान्यवर, वही राजघाट परियोजना जो बुन्देलखण्ड की सबसे बड़ी परियोजना है वह भी आज समाप्त नहीं हो पा रही है । राजघाट परियोजना से झांसी, बुन्देलखण्ड, ललितपुर, उरई इन 4-5 जिलों को उससे पानी मिलना है लेकिन उस पर कोई धन आवंटित नहीं हो पाया है और आज वह भी अधर में लटकी हुई है । इसी तरह से सरयू परियोजना जो पूर्वी उ0 प्र0 की बहुत ही महत्वपूर्ण है, आज भी सरयू परियोजना में कोई काम नहीं चल रहा है उसका समय भी निर्धारित नहीं है और वह परियोजना कब तक पूरी हो पायेगी पश्चिम में गंगा आधुनिकीकरण नहर परियोजना जो विश्व बैंक की मदद से चल रही है काम इतना धीमा चल रहा है कि वह काम कब पूरा होगा यह कहना मुश्किल है ।

1800 गांवों के विद्युतीकरण का लक्ष्य आपने रखा था आपने कितना प्राप्त किया दिसम्बर तक मात्र 200 गांव का विद्युतीकरण कर पाए हैं । मार्च तक क्या स्थिति होगी अब इसकी परिकल्पना कर लीजिए ज्यादा से ज्यादा कर सकेंगे 1800 में से तो 400 से अधिक नहीं कर पायेंगे, हरिजन बस्तियों का नगण्य है, 40 हजार नलकूपों का ऊर्जीकरण करना था, वह आपने रोक दिया है । गांव में चक्की के कनेक्शन पर भी आपने बैन कर दिया है, किसान गांव में चक्की का कनेक्शन लेना चाहे तो वह उसे प्राप्त नहीं हो पायेगा तो फिर ऐसी स्थिति में प्रदेश में कौन उद्योग लगाने आयेगा । बिजली 15-15 दिन कस्बों में आती नहीं, गांवों में बिजली पूरा समय आती नहीं, अविरल गति से बिजली गांव में नहीं पहुंच पा रही है । कोई निर्धारित कार्यक्रम नहीं है । कर्मचारियों से लड़ने की आप में बड़ी शक्ति है । कर्मचारियों से बुलाकर पता भी नहीं किया कि सुधार कैसे हो चोरी कैसे रुके उत्पादन कैसे बढ़े । इसके लिए आपके पास कभी समय नहीं है ? इसके लिए मुझे बहुत ही अफसोस है ।

महंगाई के बारे में बता देना चाहता हूं, राम राज के चलते माडर्न रामराज के चलते, गेहूं जनवरी, 1990 में 228.11 आज कितना है नवम्बर में 348.56 बढ़ोत्तरी कितनी हुई प्रतिशत में 53 प्रतिशत जनवरी, 1990 से नवम्बर, 1991 तक गेहूं में 53 प्रतिशत वृद्धि हुई उसका क्या असर पड़ा है आज प्रदेश में साढ़े छः रुपए किलो गेहूं का आटा बिका है । यह आपकी महंगाई का सबसे बड़ा कदम है । आपने बताया कि पौने दो करोड़ फर्जी राशन कार्ड पकड़ लिए । यह भी देखें राशन की दुकानों में कितना राशन इधर मिल रहा है । एक साल पहले जनता दल के शासन में 8 किलो गेहूं, 6 किलो चावल दिया जाता था आज क्या दे रहे हैं 800 ग्राम गेहूं, 700 ग्राम चावल अब 1500 ग्राम में पेट भर लेगा यह कल्पना आप ही कर सकते हो हम यह कल्पना नहीं कर सकते हैं ।

जब हम यह बात कहेंगे तो आप जय श्री राम कहने लगते हैं लेकिन उससे भूख कैसे मिटेगी ? भूख श्री राम कहने से नहीं मिटेगी उसके लिए कुछ करिए ।

मान्यवर, इसी तरह से जौ 210.63 था जनवरी, 90 में अब 307 हो गया है यानि 46 प्रतिशत वृद्धि हो गयी है । जौ कौन खाता है, गरीब आदमी या फिर मजदूर उसमें भी 46 प्रतिशत की वृद्धि हो गयी है । इसी तरह से चावल 355 था अब वह 483 हो गया है यानि कि 36 प्रतिशत की वृद्धि हो गई है । ज्वार जो कि सामान्यत: बहुत कम लोग खाते हैं, गरीब आदमी या फिर मजदूर खाता है 183 था अब 291 हो गया है यानि 59 प्रतिशत की वृद्धि हुई है । इसी तरह से बाजरा और अन्य सब है । मेरे कहने का मतलब यह है कि आज महंगाई को रोको तो आप कहते हैं कि केन्द्र चलवा रहे हैं । हम कहते हैं कि महंगाई को रोको तो आप कहते हैं कि केन्द्र सरकार हमें नहीं दे रही है और केन्द्र सरकार यह कहती है कि हम उत्तर प्रदेश को सबसे ज्यादा दे रहे हैं ।

मान्यवर, यह जो नूरा कुश्ती चल रही है आपके और केन्द्र सरकार के बीच इस नूरा कुश्ती को बन्द कीजिये । आप यहां पर जनता को राहत दिलाने के लिए आये हैं लेकिन आज आप बजाय राहत देने के उल्टा उसे भूखमरी के कगार पर खड़ा कर रहे हैं । मान्यवर, एक बात और कहना चाहता हूं कि आपने जो भय मुक्त समाज की घोषणा की है तो मान्यवर, आप देखें कि जब आपके मंत्रिगण कहीं जाते हैं तो एक जिप्सी कार उनके पीछे-पीछे चलती है । मान्यवर, सौभाग्य से इस अकिंचन को भी उसपर बैठने का मौका मिला है । जब हम बाहर जिलों में जाते थे तो एसकार्ट हमारे साथ चलता था लेकिन आपने तो पूरा कमान्डो बना दिया है 45 आदमियों का । यह मेरी समझ में नहीं आया । आपके पास तो यह सब है लेकिन उस गरीब आदमी के बारे में सोचिये । आज जो पुलिस है उसका तो भगवान ही मालिक है । मैंने कई लोगों को यह कहते सुना कि हमारी पुलिस बहुत ही बहादुर है, हम उसका मनोबल नहीं छूटने देंगे, लेकिन उन लोगों से पूछिये जिन लोगों के साथ पुलिस वालों ने अभद्रतापूर्ण व्यवहार किया । इस प्रकार का व्यवहार पहले कभी नहीं हुआ था ।

मान्यवर, थोड़ा इस तरह की बातों पर रोक लगाइये और यह भी कहिये कि विधायकों के साथ कोई भेदभाव नहीं बरता जावेगा । मान्यवर, उस दिन आगरा की घटना की सूचना आपको दी थी, आगरा के ब्लाक प्रमुख की । आपने यह कहा था कि तत्काल कार्यवाही करेंगे । एक बार मैंने एक विधायक के बारे में कहा था कि सी0 आई0 डी0 इन्क्वायरी करायी जाये । लेकिन जब उसकी रिपोर्ट आयी तो आपने यह कहा कि जाने दो इसको पुलिस द्वारा ही जांच करा दो । तो मान्यवर, तीन मर्डर हुए लेकिन आज तक उसकी सी0 आई0 डी0 इन्क्वायरी नहीं हुई है । आप वहां स्वयं गये थे और आपने देखा भी था । मान्यवर, इसी तरह से गन्ना किसानों के बारे में भी कहना चाहूंगा । मैंने आपको बताया है कि विद्यार्थियों की हालत जो आप कर रहे हैं, दलितों की हालत जो आप कर रहे हैं, अल्पसंख्यक को दहशत से भरी जिन्दगी जीने को जो आप मजबूर कर रहे हैं

मैं यह भी बताना चाहूंगा कि आज किसान उस दुर्दशा को प्राप्त हो गया है, जिसकी कल्पना भी नहीं की जा सकती । गन्ने का रेट 4 रुपया बढ़ा दिया गया और बड़ी ताली बजी, आपने अपनी पीठ थपथपा ली । हम लोगों ने भी सोचा कि चलो अच्छा हुआ, कम से कम गन्ना किसान का कुछ फायदा हुआ । लेकिन हुआ क्या, 4 रुपये तो बढ़ा दिये, लेकिन 4 रुपया ढुलाई काट ली, मिला कितना एक रुपया और वह एक रुपया भी उस किसान को नहीं मिल सका, क्योंकि मिल मालिक जाकर स्थगनादेश ले आये, मैं पूछता हूं, कैसे मुख्यमंत्री हो आप, कैसी सरकार है आपकी ? मैं समझ नहीं पा रहा हूं कि आपके आदेश के बावजूद, एक मिल मालिक स्थगनादेश लेकर आ जाय, कैसी उसकी मजाल है ।

मान्यवर, एक दिन मैंने अखबार में पढ़ा कि आई0 ए0 एस0 की एक कान्फ्रेंस में आपने कहा कि छापा मत मारो, अगर छापा मारना है तो बड़े-बड़े देश के पूंजीपतियों पर मारो । मान्यवर, आज खुली कालाबाजारी हो रही है, होर्डिंग हो रही है, इसे तो मध्यम और छोटे वर्ग के व्यापारी कर रहे हैं, बड़े व्यापारी टाटा, बिरला अनाज का व्यापार करने तो यहां नहीं आ रहे हैं, तो फिर छापा तो इन्हीं पर मारना पड़ेगा, लेकिन आई0 ए0 एस0 अफसरों के सामने आपने इस बात को कह दिया । आज पूरे प्रदेश में खुली लूट की छूट दे दी गयी है । मान्यवर, आज गन्ना किसान बहुत परेशान है। कहीं कांटे भी नहीं लगे, पिछले साल मेरठ, मुजफ्फरनगर, इलाहाबाद, मिर्जापुर आदि कई कई जगहों पर कांटे लगे थे, वह भी इस साल नहीं लगे और हालत यह है कि अभी तक जिलों में केवल 30 प्रतिशत गन्ने की पेराई हो पाई है, शेष गन्ना खेतों में ही खड़ा है और अगर यही स्थिति बरकरार रही, जैसा मैंने लखीमपुर-खीरी, सीतापुर, देवरिया और फतेहपुर तथा पश्चिम के कई जिलों में देखा कि 15 से 20 रुपये क्विंटल में गन्ना किसान अपना गन्ना बेचने को मजबूर है, उसको घबड़ाहट है कि कहीं उसका गन्ना खेतों में ही खड़ा न रह जाय, कैसी व्यवस्था है आपकी ? मान्यवर, अगर यही स्थिति रही तो इस बार गन्ना खेतों में जलाया जायेगा और इस दुर्दशा के लिये आप ही जिम्मेदार होंगे ।

मान्यवर, पिछले साल की तुलना में आप इस साल का खरीफ उत्पादन देख लीजिये, 40 फीसदी की गिरावट आई है और पूरे प्रदेश में कहीं भी धान के क्रय केन्द्र नहीं खोले गये, किसानों को समर्थन मूल्य देने के लिये । इसके विपरीत दलालों और बिचौलियों से अनाज खरीद कर गोदाम भर दिये गये । मान्यवर, यह सरकार किसानों के लिये है या व्यापारियों के लिए । मैं पूछना चाहता हूं कि क्यों नहीं खोले गए क्रय केन्द्र ? अगर यही स्थिति रही तो जो गेहूं का समर्थन मूल्य किसानों के लिये घोषित किया गया है, वह भी उन्हें प्राप्त नहीं होगा ।

मान्यवर, उर्वरकों के भाव जो भारत सरकार ने तय किये थे, किसानों को एक ही चीज पर सब्सिडी मिलती थी, वह खाद में मिलती थी, लेकिन भारत सरकार ने उस सब्सिडी

को खत्म कर दिया और सीमान्त और लघु किसानों के लिये अलग-अलग दाम निर्धारित कर दिया । मान्यवर, आप पता करा लें, पूरे प्रदेश में कहीं भी लघु और सीमान्त कृषकों को निर्धारित मूल्य पर खाद इस बार नहीं मिल पाई और डाई खाद तो पूरे प्रदेश में कहीं मिली ही नहीं, पता नहीं कहां चली गयी ? बरहाल किसानों को इस साल डाई खाद अपने खेत में डालने के लिये नहीं मिला, जिससे उत्पादन में गिरावट आई । मान्यवर, 8-8 साल से पुराने क्रय केन्द्र गन्ना के आपने बंद कर दिये और कहीं गन्ना नहीं लिया जा रहा है । मैं यह चाहूंगा कि तत्काल इसकी व्यवस्था कराई जाय । किसानों का जो गन्ना है और मिलों में जो निर्धारित संख्या है, उतना कम से कम गन्ना अवश्य पेरा जाय।

मान्यवर, आज कृषि-ऋणों, बुनकरों के ऋण व आई0 आर0 डी0 पी0 के ऋणों को बड़ी तेजी से वसूल किया जा रहा है। खरीफ की फसल में एक तरह से प्रदेश में पूरा का पूरा सूखा रहा है। किसानों का उत्पादन नहीं हुआ, जैसा कि आपका लक्ष्य स्वयं इस बात को बताता है, इसलिए मेरा आपसे आग्रह है कि कृषि के ऋणों, बुनकरों क ऋणों व आई0 आर0 डी0 पी0 के ऋण की वसूली को मार्च तक के लिए स्थगित कर दिया जाय। बुनकरों के जो कर्ज हैं, उन्हें आसान किस्तों में आप लें। आज बुनकरों की स्थिति बड़ी ही दयनीय हो गई है। बुनकरों को कोआपरेटिव मिलों से व सरकारी मिलों से जो सूत मिल रहा है, वह बहुत ही मंहगा मिल रहा है। उसकी निकासी इसीलिए नहीं हो रही है कि बाजार में कपड़ा बहुत महंगा हो गया है और वह बाजार में बिक नहीं पा रहा है । जो बुनकर के कारीगर हैं, हाथ से काम करने वाले हैं, आज उनको फांके करने की नौबत आ गई है। आज वह रिक्शा चलाने के लिए मजबूर हो गये हैं । इस पर सरकार को संवेदनशीलता से विचार करना चाहिये । आप बड़े-बड़े उद्योगपतियों से वसूल करें, कारखाने वालों से वसूल करें और सेल्स टैक्स वालों से वसूल करें लेकिन जनहित में मार्च तक इन गरीबों के ऋणों को स्थगित कर दें।

मान्यवर, इसी तरह से आज पूरे प्रदेश में सार्वजनिक वितरण प्रणाली पूरी तरह से छिन्न-भिन्न हो गई है । आपने इसमें भी पार्टीबन्दी कर दी । यह कह दिया कि दो इस तरफ के होंगे और पांच उस तरफ के होंगे । हालांकि माननीय खाद्य मंत्री जी ने कहा कि हम इसमें किसी पार्टी कैडर को नहीं देंगे । परन्तु जो प्रक्रिया आपने अपनाई है, उससे तो पता चल जाता है कि दुकानें किसको मिलेंगी । आप आर0 एस0 एस0 को इसके साथ न जोड़िये । वितरण प्रणाली तो ध्वस्त हो ही रही है, आपकी यह आर0 एस0 एस0 भी ध्वस्त हो जायेगी । आप सार्वजनिक वितरण प्रणाली को मजबूत कीजिए क्योंकि इससे गरीब आदमी को राहत मिलती है । आज इन सरकारी सस्ते गल्ले की दुकानों से गरीब आदमी को कोई अनाज मिलना असम्भव हो गया है ।

मान्यवर, अब आप चिकित्सालयों की हालत देख लीजिए । माननीय मुख्य मंत्री जी स्वयं स्वास्थ्य विभाग के मंत्री हैं । वह पहले भी स्वास्थ्य मंत्री रह चुके हैं । आप इनकी दूरदर्शिता को जाकर देखें । इसीलिए मैं कह रहा हूं कि आप जरा फाइलों से बाहर निकलें। मैं के0 जी0 एम0 सी0 का उदाहरण देना चाहता हूं । आज वहां गाज और बैन्डेजेज

नहीं हैं, वहां पर वार्डों में बिस्तरा बदलने के लिए चादर नहीं हैं । प्राण रक्षक दवाइयों की बात कौन करें, आज वहां पर ग्लूकोज चढ़ाने के लिए ग्लूकोज बोतल नही हैं । जब के0 जी0 एम0 सी0 की यह हालत हैं तो ग्रामीण अंचलों में जो चिकित्सालय हैं, उनकी क्या हालत होगी । आज चिकित्सालयों की स्थिति जरजर हो गई हैं । आज लोगों को उपचार कराने के लिए मजबूरी में प्राइवेट नर्सिंग होमों में जाना पड़ रहा हैं। मरीजों की हालत यह हैं कि वह बढ़े हुए दामों पर, जितना पैसा वह मांगते हैं अपना इलाज प्राइवेट लोगों से कराते हैं और सरकारी अस्पताल आज खाली पड़े हैं वहां कोई सामान नहीं दिखाई देता हैं ।

अभी जो सुरा कांड हुआ उसके अपराधियों को पकड़ा नहीं गया हैं जिसके कारण इतने लोगों की जानें गयीं और प्रदेश में एक दुखद माहौल बना और बदनामी भी हुई । यहां के ड्रग कंट्रोलर को भ्रष्टाचार के मामले में बरखास्त किया गया लेकिन उन्होंने कोर्ट से स्टे ले रखा हैं और आज वह वही कार्य कर रहे हैं । आपके शासन काल में कई तरह की ऐसी-ऐसी घटनाएं हो रही हैं जो पहले कभी नहीं हुई । सी0 पी0 एम0 टी0 के इम्तहान पूर्वान्चल विश्वविद्यालय ने कराये । मैंने पूर्वान्चल विश्वविद्यालय के तत्कालीन उप कुलपति का ब्यान पढ़ा मुझे उससे हैरत हुई उन्होंने कहा हैं कि मंत्रियों तथा राजनीतिक लोगों ने मेरे ऊपर दबाव डाला कि मैं उनके लड़कों, लड़कियों को पास कराऊं । मेरे इनकार करने पर उन्होंने सी0पी0 एम0 टी0 की परीक्षा रद्द करा दी ।

इसी तरह से मैं उम्मीद करता था कि महामहिम राज्यपाल के अभिभाषण में आयुर्वेदिक महाविद्यालयों, गैर सरकारी आयुर्वेदिक संस्थाओं को प्रोत्साहन देने के बारे में कोई उल्लेख नहीं किया गया हैं यह बड़े दुख की बात हैं । आज अंग्रेजी चिकित्सा पद्धति बहुत महंगी हैं वह गरीब आदमी तक सुलभ नहीं हैं । यह आयुर्वेदिक, यूनानी और होम्योपैथी चिकित्सा सस्ती दवाएं उपलब्ध कराते हैं । आप उनको मान्यता नहीं देते हैं । यहां धामपुर खैतासराय महाविद्यालय और जौनपुर महाविद्यालय के विद्यार्थी धरने पर महीनों से बैठे हैं उनकी मांगों पर आप विचार करें । उनके लिए पैनेलिंग हो चुकी हैं केवल मान्यता देना बाकी हैं उसे आप दे दें । आयुर्वेदिक डाक्टरों को 15 महीनों से तनख्वाह नहीं मिली हैं, वह पहाड़ पर रह आए हैं और देहातों में भी काम कर चुके हैं लेकिन उनकी कोई सुनने वाला नहीं हैं । जब आपका सारा काम अधिकारी ही करेंगे तो फिर लोगों को न्याय मिलना मुश्किल हैं । मुझे याद हैं जब होम्योपैथी छात्रों का आन्दोलन हुआ था उस समय आप ही स्वास्थ्य मंत्री थे चार साल लड़ाई लड़ने के बाद होम्योपैथी अस्पताल को प्रोवेंसियलाइज़ किया गया उसका प्रान्तीयकरण किया गया । तो इन दो विद्यालयों की मांगें भी मान लें और उनको मान्यता प्रदान करें ।

मान्यवर, मैं थोड़े से आंकड़े चूंकि इस समय कम हैं ? देना चाहता हूं और चाहूंगा कि जो विकास की योजनाएं आप बना रहे हैं और जो बजट बना रहे हैं

उसमें इस पर विचार कर लें । आपको इस प्रदेश की आज की स्थिति का अध्ययन करना पड़ेगा और उसका विश्लेषण करना पड़ेगा मैं माननीय संसदीय कार्य मंत्री जी से कहूंगा कि शहरी क्षेत्र में जमींदारी समाप्त करने के लिए 6 मई, 86 को एक निर्णय लिया गया था लेकिन मान्यवर, वह अभी लम्बित है और किन्हीं कारणों से वह सदन में पुनर्स्थापित नहीं हो पा रहा है । मैं चाहता हूं कि उसको पुनर्स्थापित करके शहरी जमींनदारी को भी समाप्त करने के लिए यहां पर कार्यवाही करें । 1988 से यह लम्बित है लेकिन इसमें कहीं कुछ हो नहीं पा रहा है । आप विचार करें कि राष्ट्रीय स्तर पर गरीबी रेखा के नीचे आने वाला प्रतिशत 37.4 है जबकि उत्तर प्रदेश का 45.3 प्रतिशत है । तो आप देखें गरीबी रेखा के नीचे प्रतिशत जितना हमारे प्रदेश का रहा है सम्भवत: एक दो प्रदेशों को छोड़कर और देश में कहीं नहीं है । इसी तरह 88-89 में उत्तर प्रदेश में प्रति व्यक्ति आय 2448 रुपए थी जबकि राष्ट्रीय आय 3284 रुपए थी । इसमें भी आप विचार करें तो आप देखेंगे कि इसमें हम कितने पीछे हैं और योजना का एक प्रारूप आप बना देंगे और क्रियान्वित भी कर देंगे लेकिन इन कारणों का जब तक आप विश्लेषण नहीं करेंगे तब तक प्रदेश पिछड़ता जायेगा और हम इसको अखिल भारतीय स्तर पर लाने में कभी भी सक्षम नहीं हो पायेंगे ।

आठवीं पंचवर्षीय योजना ऐसी है जिसके माध्यम से हम इस कमी को दूर कर सकते हैं । इसलिए पिछड़ेपन को दूर करने के लिए आपको हम राय देना चाहेंगे । इस सदन के सभी सम्मानित सदस्यों को आप कमिश्नरी वाइज बुलाकर इस संबंध में बात करें जिससे इसका कोई समुचित हल निकाला जा सके । मान्यवर, मैं यह भी कहना चाहता हूं कि नाबार्ड कृषि और सहकारिता के लिए बना है जो हमारा शेयर है वह भी उससे नहीं मिल रहा है । पंजाब में देखें हरियाणा में देखें, पश्चिमी उत्तर प्रदेश में देखें तो कृषि का उत्पादन हमारे पूर्वी उत्तर प्रदेश में, बुन्देलखण्ड में, पर्वतीय अंचलों में और मध्य उत्तर प्रदेश में यह स्थिति है कि उत्पादन बढ़ नहीं रहा है ? इसके कुछ कारण समझ में आ रहे हैं । नाबार्ड से या कोई राष्ट्रीय बैंक हैं उससे हमको जो हिस्सा मिलना चाहिए वह हम नहीं ले पा रहे हैं । जो हमारा जमा अंशदान है राष्ट्रीय बैंकों में वह वहां से उत्तर प्रदेश को अपना हिस्सा नहीं मिल रहा है ।

नाबार्ड महाराष्ट्र, पंजाब, गुजरात, हरियाणा को यहां से तीन गुना ज्यादा लोनिंग करते हैं, पैसा देते हैं सहकारिता के लिए हम उनसे पैसा लेने में असमर्थ रहे हैं । इसके लिए हम उम्मीद करते हैं कि राज्यपाल के अभिभाषण में आप उसका उल्लेख करेंगे लेकिन उसका कहीं उल्लेख दिखाई नहीं दिया । मान्यवर, एक समस्या की ओर आपका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं कि आज उत्तर प्रदेश की आबादी 14 करोड़ है और आठवीं पंचवर्षीय योजना के अंत तक उत्तर प्रदेश की आबादी 16 करोड़ हो जायेगी । आपके राज्यपाल के अभिभाषण में इस जनसंख्या की बढ़ोत्तरी पर रोक के संबंध में कोई उल्लेख नहीं है । पता नहीं इस संबंध में आपकी दृष्टि

क्यों नहीं गयी है, आपकी कोई सोच क्यों नहीं है, आप कहां से संसोधन लायेंगे, यह समझने में मैं असमर्थ हूं कि दो करोड़ लोग चार सालों में बढ़ जायेंगे किन्तु उनके भी रोकथाम के लिए आपने कोई कारगर कदम अभी तक नहीं उठाए हैं ।

मान्यवर, सीरिया और तमाम देशों की तरह विशाल उत्तर प्रदेश है किन्तु आपके क्रियाकलाप इस तरह के हैं कि आपकी सोच में इनके संबंध में कोई योजना नहीं जबकि उनको नौकरियों में प्रोत्साहन दे सकते हैं । मान्यवर, मैं चाहूंगा खेती में, खास तौर से पूर्वी उत्तर प्रदेश में जो जोत है जिस पर फसल नहीं होती है । इस पर भी विचार करना होगा कि जो आधे एकड़ से जोत कम है उसकी उत्पादन क्षमता किस प्रकार किस तरह की सुविधा हम दें जिससे कि उत्पादन क्षमता बढ़ सके और पंजाब हरियाणा की तरह उत्पादन हम कर सकें । मान्यवर, इस तरह से मैं आपका ध्यान थोड़ी सा जो आपने यहां पर बताया है कि इस देश में कानून व्यवस्था बहुत ही अच्छी चल रही है।

(व्यवधान)

मैं थोड़ा सा समय लेकर खत्म कर देता हूं । मान्यवर, माननीय मंत्री जी का ध्यान इस ओर आकृष्ट करना चाहता हूं कि 1990 जून में हत्याओं की संख्या 7,947 और दिसम्बर 91 में 8.875 वृद्धि हुई 24 प्रतिशत की । दंगे जून में 9146 दिसम्बर में 9257 वृद्धि हुई 25.48 प्रतिशत की । यह 6 महीने की बता रहा हूं ।

(व्यवधान)

यह मेरे आंकड़े नहीं हैं, गृह विभाग के आंकड़े हैं । उन्हीं को बता रहा हूं डकैती जून में 1,587 दिसम्बर में 1,768 इसमें 4.85 प्रतिशत की वृद्धि हुई है । लूट की संख्या जून में 5,241 और दिसम्बर में 5,748 इसमें 15,37 प्रतिशत की वृद्धि हुई । नकबजनी जून में 14,493 और दिसम्बर में 15,486 इसमें 42 प्रतिशत की वृद्धि हुई । मान्यवर, कुल अपराधों में 25 प्रतिशत की वृद्धि हुई है ।

(व्यवधान होने पर)

यह आंकड़े मेरे नहीं हैं । गृह विभाग के हैं । गृह विभाग झूठे आंकड़े देता है या नहीं मुझे नहीं मालूम । कल्याण सिंह जी मुख्य मंत्री हैं । इन्हीं के पास गृह विभाग है। जरा सोच समझ कर बोला करें ।

(व्यवधान)

श्री अधिष्ठाता–

आप लोग कृपया शान्त रहें ।

कुंवर रेवती रमण सिंह–

मान्यवर, अभी मैं मुख्य मंत्री जी का ध्यान इस ओर आकृष्ट करना चाहता हूं । इलाहाबाद की पुलिस के संबंध में, परदे में रहने दो परदा न उठाओ । थाने में नर्स के साथ सामूहिक रूप से बलात्कार किया गया । यही एक घटना नहीं है । मैं आपको इस तरह की दर्जनों घटनाओं के उदाहरण दे सकता हूं । मान्यवर, मुझे बड़ा दुःख है कि आप लोग क्या कहते थे और क्या कर रहे हैं ? आप कहते थे चुनाव के समय भा0 ज0 पा0 का शासन होगा, सस्ता कपड़ा राशन होगा । राशन कपड़ा सस्ता नहीं हो पाया । गरीब लोग बेमौत मर रहे हैं, लूटे जा रहे हैं खाने के लिए दो जून की रोटी नहीं है।। रोटी के लिए मोहताज हैं ।

बदल गए हैं आज मौसमों की तरह,
जो कह रहे थे कि मौसम बदलने वाला है ।

यह कहते थे कि "सबको देखा बार बार, हमको देखो एक बार" जो जय श्रीराम बोलते हैं आने वाले दिनों में जय श्रीराम कहकर यह जनता इनको विदा कर देगी ।

श्री अधिष्ठाता–

महामहिम राज्यपाल महोदय के अभिभाषण के संबंध में जो माननीय सदस्यों ने संशोधन उपस्थित किए हैं उनको उपस्थित माना जाए । दलों के नेताओं और माननीय मंत्रियों हेतु 10 मिनट व माननीय सदस्यों हेतु 5 मिनट का समय दिया जाता है ।

लोक निर्माण मंत्री (डा0 सरजीत सिंह डंग)–

मान्यवर, मा0 बसंत लाल गुप्त तथा श्रीमती ज्योत्सना श्रीवास्तव ने जो महामहिम राज्यपाल के अभिभाषण पर धन्यवाद का प्रस्ताव रखा है उससे मैं अपने को सम्बद्ध करता हूं ।

बड़ा शोर सुनते थे पहलू में दिल का,
जो चीरा तो कतरा-ए-खूं न निकला ।

मैं सोचता था माननीय नेता विरोधी दल अभी बोल रहे थे तो कुछ अच्छी बात कहेंगे, नेता विरोधी दल बड़े विद्वान व्यक्ति हैं, लेकिन यह बात भी है कि कभी-कभी आफ कलर हो जाते हैं । सच्चाई कहने में आवाज में दम होता है । एक बात पहले सुनी जाती थी कि कर्ण पिशाचनी होती है, जो लोगों के कानों में फूंकती है । लगता है कि कर्ण पिशाचनी जो आधा सच और आधा झूठ बोलती है, वह नेता, विरोधी दल के कान में झूठ ज्यादा बोल गई है ।

टिप्पणी :–श्री राज्यपाल के अभिभाषण के लिए धन्यवाद के प्रस्ताव में और संशोधन के लिए देखिए नत्थी "प" आगे पृष्ठ 222-296 पर ।

एक सदस्य—

क्या आप ज्योत्सजी जी के लिए कह रहे हैं ?

डा0 सरजीत सिंह डंग—

अगर आपका और प्रमोद तिवारी जी का चोली चुलबुलापन बना रहे तो चाहने वालों के दिल को भी ठंडक मिलती रहेगी। मान्यवर, मैं अपेक्षा कर रहा था कि नेता विरोधी दल की ओर से महामहिम राज्यपाल के अभिभाषण पर कुछ ऐसी बात आएगी जिसमें कुछ तथ्य होंगे। केवल आरोप के लिए आरोप यह तो कोई बात नहीं हुई। केवल आलोचना के लिए आलोचना और वह भी ऐसी आलोचना जो बात राज्यपाल के अभिभाषण की हो रही हैं और तीर चल रहे हैं केन्द्र सरकार की ओर, अन्य दलों की ओर, कि उन्होंने अतीत में क्या किया है ? मैं कहना चाहता हूं कि यह सरकार आठ महीने से चल रही है अगर जनता हमें पसन्द नहीं करती तो हम शासन में यहां नहीं बैठे होते जनता तो आपको पसन्द नहीं करती थी इसलिए आप वहां बैठे हैं।

(मेजों की थपथपाहट)

मान्यवर, कहा जा रहा है कि आप राम का नाम लेकर आए हैं मैं कहना चाहता हूं कि राम मन्दिर के बारे में संकल्प हमारी पार्टी का था और आज भी वह है। महामहिम राज्यपाल के अभिभाषण में यह बात स्पष्ट कर दी गई है कि वार्ता के अनुसार, वार्ता के माध्यम से इसका हल निकाला जाएगा किन्तु आवश्यकता पड़ी तो सारे अवरोधों को कानून के माध्यम से भी दूर करना है। (मेजों की थपथपाहट)

(एक सदस्य के खड़े होने से व्यवधान)

डा0 सरजीत सिंह डंग—

मैं कहना चाहता हूं कि हमने ढाई घंटे झेला है तो थोड़ा आप भी हमें झेल लें। (शोर)

श्री लालजी वर्मा—

मान्यवर, व्यवस्था का प्रश्न है। यह सदन आपके निर्देशों से चलता है। अभी माननीय सदस्य बैठे-बैठे कर रहे थे, कृपया आप निर्देश दे कि सदन आपके निर्देशों से चलेगा या माननीय सदस्यों की [×××] से चलेगा। दूसरी बात यह जानना चाहता हूं कि माननीय मंत्री जी ने "झेला" शब्द का प्रयोग किया है। तो "झेला" शब्द संसदीय है या असंसदीय ?

श्री अधिष्ठाता—

आप लोग कृपया शांत रहें।

श्री लालजी वर्मा—

मान्यवर, "झेलना" शब्द संसदीय है या असंसदीय इस पर आप निर्णय दें। यह सदन आपके निर्देशों से चलेगा या माननीय सदस्यों को [×××] चलेगा।

एक सदस्य—

तहजीब और तमीज दोनों खो जायगी तो सदन नहीं चलेगा।

श्री अधिष्ठाता—

कार्यवाही को देख लिया जायगा और यदि कोई शब्द असंसदीय है तो उसे एक्सपंज कर दिया जायगा, निकाल दिया जायगा।

डा0 सरजीत सिंह डंग—

मान्यवर, यहां पर कुछ बातें कही गयीं, ऊंवाहार की चर्चा की गयी, सांप्रदायिकता के बारे में चर्चा की गयी। यह बात कही गयी कि स्थिति पहले से बिगड़ी है, मैं बड़े विनम्र शब्दों में

नोट—[×××] यह अंश श्री अधिष्ठाता के आदेशानुसार कार्यवाही से निकाल दिया गया।

निवेदन करना चाहूंगा कि जरा पिछले वर्षों के आंकड़े उठाकर देखें तो उनसे सच्चाई स्पष्ट हो जायगी । जो आंकड़े आपने दंगों के बारे में दिये हैं मैं जानता हूं कि स्वयं आपका उन पर विश्वास नहीं है । सच्चाई सबके सामने है । जनता ने जो निर्णय पहले दिया है वह निर्णय फिर देगी । मैं निवेदन करना चाहूंगा कि भा0 ज0 पा0 के शासन में जाति के आधार पर, संप्रदाय के आधार पर, वर्ग के आधार पर निर्णय नहीं लिया जायगा । सामान्य नागरिक के जानमाल के आधार पर निर्णय नहीं लिया जायगा । सामान्य नागरिक के जानमाल की सुरक्षा की गारंटी हमने ली है और हम पूरी तरह आश्वस्त करते हैं प्रदेश की जनता को कि हम इस गारन्टी को पूरा करेंगे, पूरा किया है और पूरा कर रहे हैं । (मेजों की थपथपाहट) । मान्यवर, काश्मीर के बारे मे चर्चा की गयी जिससे एक सच्चाई सामने आ गयी, मैं चर्चा नहीं करना चाहता था । जब पिछले वर्ष हमारे प्रधानमंत्री माननीय विश्वनाथ प्रताप सिंह जी थे तो काश्मीर में विद्यार्थी परिषद के लोगों ने झंडा फहराने की बात कही थी तब कार्यकर्ताओं को गिरफ्तार किया गया था । उनसे आग्रह किया गया था कि आप इस देश के सर्वोच्च प्रशासक हैं आप चलकर वहां पर राष्ट्रीय झंडा फहरायें । सारा विश्व जानता है कि और सारी दुनिया परिचित है कि उनका साहस नहीं हुआ था कि काश्मीर मे, श्री नगर में लाल चौक में जाकर राष्ट्रीय झंडा फहरा दें । मान्यवर, मै आपको यह भी बताना चाहूंगा कि आज जब माननीय नेता विरोधी दल बोल रहे थे तो ऐसा नहीं लग रहा था कि माननीय नेता विरोधी दल बोल रहे हों, ऐसा लग रहा था कि किसी विशेष दल का नेता बोल रहा हो । अपना पक्ष माननीय विश्वनाथ प्रताप सिंह, बाकी में अजीत सिंह, माननीय चन्द्रशेखर सिंह नहीं, और लोगों की चर्चा नहीं, चर्चा हुई केवल एक दल की, केवल एक नेता की । मुझे दुख है कि इस अवसर का इस प्रकार का लाभ उन्होंने उठाया और यह कष्ट की बात है कि बीच-बीच में कुछ लोगो ने बार-बार कहनेकी चेष्टा की कि यह सरकार 5 साल नहीं चलेगी । एक साहब ने तो एक साल का टाइम दे दिया । मैं बताना चाहता हूं कि बिल्ली के भाग से छींका नहीं टूटता । यह सरकार 5 साल चलेगी । केन्द्र में भी हम आ रहे हैं । आप रोक नहीं पाएंगे । हम अपनी नीतियों और कार्यों के आधार पर आयेंगे । हमने जनता की सेवा की है । हमारी नीयत साफ है । आपकी तरह से गोल-मोल और ज्यादा बाते हम नहीं करते । हम प्रत्येक वर्ग को महत्व देना चाहते हैं । बजट आने दीजिये, हम बता देंगे कि कितना आपने किया था और कितना हमने किया है । कितना धन आपने दिया था और कितना हम दे रहे है ? मान्यवर, मैं आपको बहुत धन्यवाद देता हूं कि मुझे अपने बिचार रखने का अवसर दिया । अनुशासन का पूरा-पूरा पालन करके जितना समय दिया था, पुनः एक बार महामहिम राज्यपाल के अभिभाषण के धन्यवाद प्रस्ताव पर बल देते हुए उसका समर्थन करता हूं ।

*श्री प्रमोद तिवारी––

माननीय अधिष्ठाता महोदय, मैं आपका आभारी कि आपने मुझे महामहिम राज्यपाल से अभिभाषण पर बोलने का अवसर दिया । मान्यवर, 1980 से लगातार इस सदन की सेवा करने का मुझे अवसर प्राप्त हुआ है । लेकिन बड़े दुख के साथ कहना पड़ रहा है कि 1980 से 1992 के बीच आज तक इतना निरर्थक, दिशा विहीन, सुगन्धविहीन, अविवेकपूर्ण और ऐसा निराशाजनक और ऐसा दुखद राज्यपाल का अभिभाषण सदन में सुनने को नहीं मिला । मान्यवर मैं तो कहना चाहूंगा कि स्पष्ट रूप से ये कुछ करते नहीं तो कह, तो देते । मान्यवर, गांधी जी की प्रतिमा राष्ट्र की अस्मिता की प्रतीक है, जब मुख्य मंत्री जी अभिभाषण बना रहे थे तो उसमें महात्मा गांधी का जिक्र नहीं किया तो नाथूराम गोडसे का ही जिक्र कर देते तो स्थिति तो साफ हो जाती । मैं केवल इतना ही कहना चाहूंगा कि केवल भरे मन से समर्थन करना भी चाहूं महामहिम राज्यपाल के अभिभाषण का तो इसमे एक भी बिन्दु ऐसा नहीं दिखाई दे रहा है कि समर्थन कर सकूं । मान्यवर, मुझे याद आता है कि इन्होंने दो-तीन आपदाओं को झेला है ।

नोट––*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

उसमे असलियत सामने आ गयी। गढ़वाल के राहत कार्य में मुख्य मंत्री जी कहते हैं कि केन्द्र से सहायता नहीं मिली, लेकिन उस समय इनके सांसद वहां बैठे थे जब गृहमंत्री ने सदन में कहा कि इसके लिए 201 करोड़ रुपये रख गये हैं। उस समय बोले नहीं और यहां कह रहे हैं कि ऋण के रूप में, अनुदान के रूप में मिला है। ऋण के रूप में, अनुदान के रूप मे नहीं मिलेगा तो क्या मनमोहन सिंह नकद जेब में रख देंगे ? आप बता दें कि इतना पैसा मिला है, इतना खर्च कर लिया। सरकार को सरकार की तरह से चलावें, लफ्फाजी की तरह से न चलावें। भयमुक्त समाज की बात हेतु शारदा प्रसाद रावत पर हमला हुआ, कहां गया भयमुक्त समाज ? फिर गृह मंत्री के सामने आश्वासन दिया कि कल्याण सिंह सोलंकी की जान की हिफाजत सरकार करेगी और आश्वासन के दूसरे दिन ही उनकी लाश मिल जाती है। कहां है आपका भयमुक्त समाज, मैं पूछना

(समय 6 बकर 20 मिनट)

चाहता हूं, आपका इन्साफ कहां है? मैं आपका इन्साफ छात्रों की लाशों में जाकर ढूंढू मान्यवर, इन्साफ अगर नहीं हुआ है, इन्साफ अगर आपने नहीं किया है, तो बताइये। इन्साफ तो आप भगवान के साथ नहीं कर पाये, तो जनता के साथ कैसे कर पायेंगे। लोग तो सिद्धान्त बेचा करते थे, आपने तो भगवान को ही बेच दिया। रोटी की बात आप कहते हैं, रोटी मिल रही होगी उधर के लोगों को, मिल रही होगी इनके दलालों को, लेकिन इधर के लोगों को नहीं मिल रही है।

(शोर-गुल और व्यवधान)

जो लोग संविधान की बात करते हैं, एकता यात्रा की बात करते हैं .....

(व्यवधान)

आपने लाखों करोड़ों रुपये एकता यात्रा पर खर्च कर दिया। यह रुपया आप कहां से लाये हैं। एक तरफ तो आप कहते हैं कि खजाना बढ़ाया है। (व्यवधान)

सरकार ने जो करोड़ों रुपया खर्च किया है, उसे गढ़वाल के राहत कार्य में लगाना चाहिए था। यही नहीं मैं आपसे एक बात और कहना चाहता हूं कि एकता यात्रा का नाटक जो आपने किया है, उससे भारत माता का सिर झुक जाता है। पुलिस कमांडेट ने जहां तिरंगा झंडा फहराया था, वहां पर आपके राष्ट्रीय नेता ने जाकर झंडा फहरा दिया। मैं इनसे स्पष्ट रूप से जानना चाहता हूं कि एकता यात्रा के रूप मे जो आपने करोड़ों रुपये खर्च किये, उसका हिसाब आप देंगे ? बड़े रोब से आप कहते थे कि सैकड़ों लाशें अयोध्या में गिर गयी थीं। मान्यवर, मैं माननीय मुख्य मंत्री का श्री कल्याण सिंह के नाम से बड़ा आदर करता हूं, लेकिन मुख्य मंत्री के रूप में आप असफलतम मुख्य मंत्री आप रहे हैं। 16 फरवरी, 1989 को यहां पर बैठकर आपने कहा था कि हमारी पार्टी इसकी पक्षधर है कि बेरोजगारों को बेरोजगारी भत्ता दिया जाय। अगर आपने यहां पर घड़ियाली आंसू बहाये थे, तो आप वहां पर जाकर क्यों भूल गये ?

आपने यहां पर बैठकर कहा था कि बिक्रीकर समाप्त करेंगे, लेकिन माननीय मुख्य मंत्री जी मैं आपका बयान पढ़कर सुनाना चाहता हूं, बिक्रीकर समाप्त करने के लिए गम्भीरतापूर्वक आपको विचार करना चाहिये। हम तो गम्भीर नहीं थे, दूसरी सरकार गम्भीर नहीं थी, क्या आप भी गम्भीर नहीं थे ? आप गम्भीरता से विचार करके इसको समाप्त करने की घोषणा क्यों नहीं करते हैं ? यहां पर बैठकर आप बीमा योजना की बात करते थे, लेकिन वह आपकी बीमा योजना कहां पर चली गयी ? बनारस में दंगा नहीं हो रहा है, तो क्या हो रहा है ? दंगा अगर हुआ है, तो सिर्फ फर्क इतना है कि पहले दंगा सरकार के बाहर के लोग कराते थे, लेकिन दुःख इस बात का है कि अब सरकार के लोग दंगा करा रहे हैं। आपकी इज्जत आपके हाथ में है। मान्यवर, मैं बड़े विश्वास के साथ कहना चाहता हूं कि इस सरकार में ऐसे लोग शामिल हैं, जिनके खिलाफ दफा 302 के मुकदमे चल रहे हैं। आपने साम्प्रदायिकता का सहारा लिया है और उसके सहारे आप मुख्य मंत्री की कुर्सी तक पहुंच गये हैं। आपने 13 करोड़ जनता के सामने झूठ बोला है। अभी पी0डब्ल0डी0मंत्री जी बोल रहे थे, मैं तो सोंचता था कि वह यह बतायेंगे कि

कितनी सड़कें बना रहे हैं, कितनी बनायेंगे, लेकिन उन्होंने इस पर कोई प्रकाश नहीं डाला और जो बनी हुई सड़कें थीं, वह भी बही जा रही हैं। जो सड़कें आपसे पहली की सरकारों ने बनवायी हैं, उनको बनवाइये, ठीक करवाइये। अगर आप कोई नई सड़क नहीं बनवा सकते है, तो कम से कम जो हैं, उन्हीं को बहने से बचाये रखिये। आप यह नहीं कर सके हैं, आप शर्म करें, बैठे रहे।

(लाल बत्ती होने पर)

मान्यवर, नेताओं को बोलने के लिए कम से कम 10 मिनट तो मिलते ही हैं, यह परम्परा रही है। कम से कम आधा घण्टा तो बोलने दीजिये।

श्री अधिष्ठाता—

आप 10 मिनट बोलें।

श्री प्रमोद तिवारी—

मैं आपका बड़ा आभारी हूं कि आपने इतना समय बोलने के लिए दिया। मान्यवर, आतंकवाद की समस्या है। यह समस्या किसी दल विशेष की समस्या नहीं है, सभी दलों की समस्या है। आपने कभी कोई इस मामले पर विरोधी दल के नेताओं को नहीं बुलाया, आप बुलाते और कहते कि इस समस्या का निदान किस प्रकार से किया जा सकता है? आप को उस समय विरोधी दल के नेताओं की याद नहीं आयी। अगर आपने कोई मिल जुल कर कार्यक्रम बनाया होता, तो मैं कहना चाहता हूं कि हर आदमी आतंकवाद से लड़ना चाहता है, लेकिन आपने गुमराह किया है। जब आतंकवादियों के हमले हुए तो आपने अपने को असहाय और निर्बल माना और आपने कहा कि हमारे पास पर्याप्त साधन नहीं है, आतंकवाद से मुकाबला करने के लिए और जिस समय यह आप बोले थे, उस समय 13 करोड़ की जनता को उनके सामने गिरवी रख दिया था और खुली दावत दी थी। आपको कहना चाहिये था कि या तो आतंकवाद रहेगा या कल्याण सिंह रहेंगे, लेकिन आपने ऐसा नहीं किया और आतंकवाद का मुकाबला नहीं कर पाये। माननीय मुख्य मंत्री जी को बीमारी हो गयी है, कि जब कोई बात आती है, तो कहते हैं कि केन्द्र की सरकार के कारण हम नहीं कर पा रहे हैं।

मुख्यमंत्री (श्री कल्याण सिंह)—

जनसंख्या बढ़ाने का आरोप इनके ऊपर और केन्द्र सरकार पर नहीं लगायेंगे ? क्योंकि यह इस मामले में कम है।

श्री प्रमोद तिवारी—

मान्यवर, मैं खुली चुनौती देता हूं कि वह इसका परीक्षण करा लें। तो मान्यवर, अतंकवाद की बात कर रहा था। आपने कहा कि 40 मांगें थीं 25 मिली और जब गृह मंत्री जी आये तो उन्होंने कहा कि 53 मिली तो आपकी आवाज नहीं निकली। झूठ कम बोलिये। मैं कहना चाहता हूं कि गन्ने के दाम 44 रुपये से 48 रुपये कर दिये और आपने 2–3 रुपये मिल मालिको को वापस कर दिये, उनको वापस कर दिया जिनके चन्दे के बल बूते पर आप चुनाव जीत कर आये हैं। गन्ने की बकाया को वसूलने के लिये आपने कोई ठोस कदम नहीं उठाया है। यह सरकार किसान विरोधी सरकार के रूप मे सर्वविदित है। एक बात जरूर कहना चाहता हूं कि मुझे बहुत विश्वास है और इधर बैठे हुए सभी लोगों को विश्वास है आप ज्यादा दिन वहां रहेंगे नहीं, हम नहीं हटायेंगे आपको, यह नहीं हटायेंगे आपको, आपका जो वायदा है पाप भरा, वह आपको कुर्सी पर नहीं बैठने देंगे क्योंकि आपने जो वायदा किया है वह गैरसंविधानिक वायदा है। एक तरफ तो आप कहते हैं कि राम लला हम आयेंगे, मंदिर वहीं बनायेंगे। हमने पहले दिन का नजारा देखा था, शपथ हो रही थी तो हर भा0 ज0 पा0 का सदस्य राम नाम का दुपट्टा डाले हुए था, अब कहां गया वह दुपट्टा। अभी तो आपक सरकार का आठवां महीना ही चल रहा है और दुपट्टा उतर गया है और नवें महीने में मन्दिर भी भूल जायेंगे। जिस समय आप रामनामी दुपट्टा ओढ़ कर आये थे उस समय नारा लगा रहे थे कि राम लला हम आयेंगे और मन्दिर वहीं बनायेंगे और अब कहते हैं कि राम लला हम आयेंगे और मंदिर बगल में बनायेंगे।

आपने यह भी नारा दिया था कि सबको परखा बार बार, हमको परखो एक बार, तो ये दूबारा नहीं आना चाहते हैं। जनता ने आपको परख लिया है और खोटे चवन्नी साबित हो हुये हैं और खोटे चवन्ने टकसाल में नहीं जाते है वह कूड़े घर मे जाते हैं और आपकी सरकार भी एक दिन वहीं जाने वाले है।

मान्यवर योजना आयोग के बारे मे भी कहना चाहता हूं कि योजना आयोग के सामने माननीय मुख्य मंत्री जी आपने अपना पक्ष सही ढंग से नहीं रखा। और योजना आयोग के सामने अपना पक्ष प्रस्तुत न कर पाने से आपने पूरे उत्तर प्रदेश की जनता के विकास को गिरवी रख दिया है। अगर आप योजना आयोग से सही पैसा प्रदेश को नहीं दिला पायेंगे तो इस प्रदेश की प्रगति रुक जायेगी।

मै माननीय मुख्य मंत्री जी से कहना चाहता हूं कि सी0पी0एम0टी0 के बारे में जो बात सामने आई है और कुलपति ने शपथ-पत्र मे जिस तरह के आरोप लगाये है, उस शपथ-पत्र को पढ़ दीजिएगा तो आपके मंत्रियों की बानगी खुलकर सामने आ जायेगी।

मान्यवर, माननीय मुख्य मंत्री जी जब तक नेता सदन हैं तो वे सम्पूर्ण उत्तर प्रदेश का प्रतिनिधित्व करते हैं। मुख्यमंत्री जी की एक आदत है कि हम लोगों के सामने रहते हैं तो बहुत दहाड़ के बोलते हैं और जब ब्यूरोक्रेसी के सामने जाते हैं तो गिड़गिड़ाने लगते हैं और इनको पसीना छूटने लगता है। आज एक किताब मैंने देखी, इनकी फोटो बहुत अच्छी उस पर छपी थी तो मैंने उस पुस्तक को ले लिया तो देखा कि मुख्यमंत्री सत्ता मे पहुंचकर कहां से कहां पहुंच गये ? मान्यवर, इस किताब की कुछ पंक्तियों की ओर आपका ध्यान आकृष्ट करना चाहूंगा इसका विषय है हर नागरिक की सुरक्षा और सम्मान रक्षा पहली प्राथमिकता मुख्यमंत्री श्री कल्याण सिंह का सम्बोधन। इसमें लिखा है कि, "आपको प्रशासन चलाते-चलाते इतना अनुभव है। मुस्तकिल तो आप ही हैं, बाकी तो सब टेम्प्रेरी हैं। यह तो व्यवस्था है लोकतंत्र में और यह भी जानता हूं कि लोकतंत्र में सत्ता कोई पतिव्रता नारी नहीं हैं कि एक बार जिसके साथ फेरे फेर लेगी तो फिर भी नहीं छोड़ेगी। आती है, जाती है।"

मान्यवर, आप मुख्य मंत्री के रूप में लोकतंत्र को भूल गये हैं, संविधान को भूल गये हैं। लोकतंत्र में यह अधिकार जनता ने दिया है आपको सरकार चलाने का। इन अधिकारियों की जिस तरह से नकेल अपने हाथ में रखेंगे, उसी तरह से यह काम करेगी। लेकिन जब आप जैसे लोग होंगे, नौसिखिए घुड़सवार होंगे, तो 12 करोड़ जनता की प्रगति रुक जायेगी घोड़े से गिरेंगे रौंदे जायेंगे। आप पूंजीपतियों से छुटकारा पाइये थोड़ा बदले की भावना दूर कीजिए और विकास की ओर चलिये। मान्यवर जिस वक्त आप शुरू में बोले थे उस वक्त आपकी शुरूआत थी, अब आपका आठ महीने हो गये हैं ब्यूरोक्रेसी के सामने मजबूती से खड़े होइये, क्योंकि जब आप खड़े होते हैं तो लोकतंत्र खड़ा होता है। आप ऐसी कोई परम्परा छोड़कर न जाइये जिससे आगे आने वाले मुख्य मंत्रियो को दिक्कत का सामना करना पड़े।

जो सब्सिडी के बारे में कहा गया है, उसके बारे में बताना चाहता हूं कि इस प्रदेश में 90 प्रतिशत किसान लघु और सीमान्त हैं तो जब आप जवाब दें तो यह कृपया बताइयेगा कितने लघु और सीमान्त कृषक इस प्रदेश में हैं ?

यह जो छूट सबसिडी वापस हुई है वह बड़े किसानों से वापस हुई है। क्या आप दावे के साथ कह सकते हैं कि 90 प्रतिशत लघु सीमान्त कृषकों की खाद उचित दाम पर मुहैया करा दिया है ? और मुख्यमंत्री कम करते रहे हैं या नहीं करते रहे, लेकिन माननीय कल्याण सिंह जी ने वही काम किया है, प्रशासनिक अधिकारियों से कह दिया कि जिनके बूते पर चुनकर आये हैं, छोटे बड़े पूंजीपतियों पर हाथ मत डालना। आज किसी लाइसेन्स परमिट की जरूरत नहीं है, आज चोरी से कालाबाजारी करने की जरूरत नहीं है, माननीय कल्याण सिंह का फोटो रख लो जितनी चाहे

चोरी करो. कालाबाजारी करो, सब माफ है । जो बात माननीय नेता विरोधी दल ने कही, उनके विचारों से सम्बद्ध करता हूं । माननीय मुख्यमंत्री जी, आपके निर्देश पर यह जो अभिभाषण प्रस्तुत हुआ है, यह अब तक का उत्तर प्रदेश के लोकतांत्रिक इतिहास का, आजादी के बाद का, दिशा-विहीन, आडम्बरपूर्ण महामहिम राज्यपाल का, अभिभाषण है । हमारी तरफ से जो संशोधन इस पर रखे गये हैं, उन पर मैं बल देता हूं ।

श्री अधिष्ठाता—

इधर से अब और कोई माननीय सदस्य बोलना चाहेगा ?,

नियम 51 के अन्तर्गत सूचनायें

श्री अधिष्ठाता—

आज दिनांक 20 फरवरी, 1992 को नियम 51 के अन्तर्गत कुल 7 सूचनाएं प्राप्त हुई ।

1—श्री स्वामी नाथ यादव	प्रदेश मे विद्युत कर्मचारियों की हड़ताल से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में ।
2—श्री मुन्ना चौहान	जनपद देहरादून मे जूनियर प्राथमिक विद्यालयों के रिक्त पदों (प्रधानाध्यापकों) में के सम्बन्ध में ।
3—श्री राम गोविन्द चौधरी	प्रदेश के राजकीय बालिका विद्यालयों में प्रवक्ता के पदों पर अवैधानिक ढंग से तदर्थ नियुक्तियों से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में ।
4—श्री बरखू राम वर्मा	जिलाधिकारी, आजमगढ़ द्वारा फर्जी मुठभेड़ में हत्या करने वाले पुलिस कर्मियों के विरुद्ध कार्यवाही न किये जाने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में ।
5—श्री अमरेश चन्द्र पाण्डेय	जनपद मऊ में नीलगायों से फसलों को हो रही क्षति से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में ।
6—श्री लालजी वर्मा	श्री नरेन्द्र देव कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय कुमारगंज, फैजाबाद में एम0एन0सी0 कृषि प्रथम वर्ष में प्रवेश के सम्बन्ध में ।
7—श्री राम ललित चौधरी	जनपद बस्ती में शिवाघाट पुल के निर्माण में विलम्ब होने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में ।

यह जो कुल सात सूचनाएं प्राप्त हुई, उनमें से पहली सूजना जो श्री स्वामीनाथ यादव की है वह वक्तव्य के लिए और दूसरी सूचना जो श्री मुन्ना चौहान की है, केवल वक्तव्य के लिए स्वीकार हुई है ।

अब हम उठते हैं, कल पूर्वान्ह 11.00 बजे पुनः बैठेंगे ।

(इसके बाद सदन 6 बजकर 37 मिनट पर अगले दिन के 11 बजे तक के लिये स्थगित हो गया) ।

लखनऊ :

प्रेम चन्द्र सक्सेना,
सचिव, विधान सभा,
उत्तर प्रदेश ।

20 फरवरी, 1992 ।

नत्थी 'क'

(देखिए तारांकित प्रश्न संख्या 9 का उत्तर पीछे पृष्ठ 24 पर)

उ0 प्र0 समाज कल्याण निर्माण निगम लि0 द्वारा गत चार वर्षों मे पी0एल0ए0 में हस्तांतरित धनराशि का तिथिवार विवरण

वर्ष 1987–88

हस्तान्तरण की तिथि		धनराशि
		रु0
18–4–87	..	3,64 24,000.00
30–4–87	..	7,70,000.00
18–7–87	..	3,05,000.00
23–7–87	..	1,44,05,000.00
10–9–87	..	6,10,000.00
12–9–87	..	1,22,00,000.00
3–12–87	..	1,11,00,000.00
12–12–87	..	4,42,000.00
18–12–87	..	1,49,840.00
21–12–87	..	2,70,46,000.00
6–1–88	..	81,000.00
13–2–88	..	5,20,000.00
7–3–88	..	24,63,000.00
12–3–88	..	38,00,000.00
17–3–88	..	3,00,000.00
19–3–88	..	13,40,000.00
21–3–88	..	3,10,08,000.00
23–3–88	..	3,49,000.00
30–3–88	..	5,27,33,400.00
31–3–88	..	7,14,92,000.00
	..	
	.. योग ..	26,75,38,240.00

वर्ष 1988-89

हस्तान्तरण की तिथि		धनराशि
11-7-88	..	30,20,000.00
16-7-88	..	32,00,000.00
18-7-88	..	4.67.53,600..00
27-7-88	..	20,00,000.00
3-8-88	..	6,00,000.00
31-8-88	..	2,46,000.00
17-9-88	..	1,81,39,000.00
30-12-88	..	1,21,36,000 00
13-1-89	..	5,00,000.00
14-1-89	..	2,64,74,400.00
16-1-89	..	10,00,000.00
24-1-89	..	3,66,000.00
30-1-89	..	61,00,000.00
10-2-89	..	1,20,00,000.00
23-3-89	..	66,00,000.00
28-3-98	..	1,30,700.00
31-3-89	..	9,12,76,550.00
	योग ..	23,05,42,250.00

वर्ष 1989-90

5-8-89	..	21,25,000.00
16-8-89	..	9,19,000.00
26-9-89	..	6,17,33,000.00
21-10-89	..	10,00,000.00
23-10-89	..	75,35,000.00
11-1-90	..	18,45,500.00
16-1-90	..	64,37,800.00
25-1-90	..	2,75,000.00
28-2-90	..	10,46.900.00
31-3-90	..	4.47,18,000.00
	योग ..	12,76.35,200.00

वर्ष 1990–91

हस्तान्तरण की तिथि		धनराशि
17–8–90	..	80,000.00
15–10–90	..	2,00,000.00
20–10–90	..	1,26,70,000.00
26–10–90	..	10,00,000.00
14–11–90	..	50,00,000.00
24–11–90	..	2,34,09,000.00
12–12–90	..	10,00,000.00
13–12–90	..	1,50,000.00
21–12–90	..	3,03,48,000.00
8–1–91	..	50,00,000.00
16–2–91	..	7,82,96,000.00
25–2–91	..	9,65,000.00
12–3–91	..	1,13,22,000.00
23–3–91	..	1,80,21,000.00
26–3–91	..	8,10,000.00
27–3–91	..	28,000.00
30–3–91	..	60,00,000.00
31–3–91	..	32,28,62,369.50
	योग ..	51,71,61.369.50

नत्थी 'ख'

(देखिए अता० प्र० सं० 6 का उत्तर पीछे पृष्ठ 33 पर)

सीलिंग से अतिरिक्त घोषित भूमि के सीलिंग खातेदारों की सूची तहसील सदर, गोरखपुर

क्रमांक	नाम ग्राम	तप्पा	परगना	खातेदार का नाम	अतिरिक्त घोषित भूमि का क्षेत्रफल (एकड़ मे)	अन्य विवरण
1	2	3	4	5	6	7
	पिपरं	खुटहन,	हवेल	श्री हासिम अली पुत्र सादिक अलं, मु० जाफरा बाजार ।	0–28	
	,,	,,	,,	श्री राजाराम पुत्र रामचन्दर, ग्राम जाफरा-बाजार ।	0–12	
	,,	,,	,,	श्री अमीर अली, निवासी जाफराबाजार	0–09 1/4	
	सिरसिया गदाई उर्फ बरगदहा	,,	,,	श्री हासिम अली पुत्र सादिक अली नि० जाफराबाजार ।	2–22 5/6	
	,,	,,	,,	श्री अमीर अली पुत्र सैयद आरिफ अली, मु० जाफराबाजर ।	1–02	
	,,	,,	,,	श्री सादिक अली पुत्र साजिद अली, नि० जाफराबाजार ।	1–00	
	जं० माधो	,,	,,	श्रीमती जनकराज बेवा चुन्नी, नि० ग्राम जं० माधो ।	0–11 2/3	

उत्तर प्रदेश राजपत्र असाधारण

		"	"	श्री ताहिर अली पुत्र कासिम अली, नि0 मु0 जाफराबाजार ।	22–81	मा0 एडिशनल डिस्ट्रिक्ट जज गोरखपुर के आदेश दिनांक 7–2–81 द्वारा स्थगित है ।
9	"	"	"	श्रीमती कुरेशा बेगम पत्नी सैयद सज्जाद अली नि0 जाफराबाजार ।	1–57	
10	तरकुलहा	खुटहन	हवेली	श्री सैयद साजिद अली पुत्रकासिम अली नि0 जाफराबाजार ।	35–09	मा0 एडिशनल जज गोरखपुर के आदेश दिनांक 7–2–81 द्वारा स्थगन आदेश है ।
11	"	"	"	श्रीमती जौहरा बीबी पत्नी कासिम अली, नि0 जाफराबाजार ।	8–09	
12	बैली	पतरा	हवेली	श्री सैयद साजिद अली पुत्र कासिम अली नि0 जाफराबाजार ।	6–99	मा0 एडिशनल जज गोरखपुर के आदेश दि0 7–2–81 द्वारा स्थगन आदेश है ।
13	"	"	"	श्रीमती कुरेशा बेगम पत्नी सैयद सज्जाद अली, नि0 मु0 जाफराबाजार ।	0–25	
				योग ..	79–64 3/4	

उत्तर प्रदेश सभा

नत्थी 'ग'
(देखिये अता0 प्र0 सं0 17 का उत्तर पीछे पृष्ठ 38-39 पर)
संलग्नक

(व्यय रूपयों मे)

वर्ष	प्रोसेसिंग	पैकिंग	इंसपेक्टेशन
1986-87	55,20,714.00	4,58,542.00	3,29,607.55
1987-88	15,8,68,636.00	13,15,900.70	9,58,040.47
1988-89	2,13,85,280.00	17,71,923.20	11,01,315.09
1989-90	64,59,320.00	5,35,200.80	3,27,630.80
1990-91	13,86,840.00	1,14,909-60	81263.75

नत्थी 'घ'

देखिये अता0 प्र0 सं0 38 का उत्तर पीछे पृष्ठ 49 पर)

विधान सभा के प्रथम सत्र 1992 के दूसरे गुरुवार के लिये निर्धारित श्री श्याम विहारी सिंह द्वारा पूछे गये अता0 प्र0सं0 038 का संलग्नक

क्रम-संख्या	आवास संख्या	अध्यासी का नाम/पदनाम	आवास में रहने की तिथि	किराया प्राप्त होने की तिथि	वसूल की जा रही धनराशि (रु0) प्रतिमाह	टिप्पणी
1	2	3	4	5	6	7
1	4/1	जगदीश प्रसाद. स0 अ0. लो0नि0 वि0	1-1-91	1-1-91	260.00	
2	4/3	आर0 एम0 साहू. ए0सी0एम0	9-2-91	9-2-91	145.00	
3	4/4	आर0 ए0 गुप्ता. वरिष्ठ लेखाधिकारी. उद्योग विभाग ।	11-2-91	11-2-91	260.00	
4	4/6	सुनील कुमार चौहान, अधि0 अभि0 लघु उद्योग निगम ।	11-1-91	11-1-91	260.00 260.00 520.00	निगम के कर्मचारी होने के कारण
5	4/9	सी0 पी0 पाठक, एस0 डी0 एम0. सदर	11-1-91	11-1-91	145.00	

उत्तर प्रदेश विधान सभा

1	2	3	4	5	6		7
6	4/11	डा0 हरीश पाण्डे, सी0 एम0 ओ0	16-8-91	16-8-91	260.00		
7	4/13	धनी राम वर्मा, डिप्टी कलेक्टर	3-1-91	जनवरी, 91	145.00		
8	4/18	हरीश चन्द्र पाठक, उप पुलिस अधीक्षक	4-2-91	जून, 91	260.00		
9	4/18	श्रीमती अनुपमा गुप्ता, सहा0 प्रबन्धक निर्यात, सूती वस्त्र निगम ।	15-2-91	15-2-91	260.00 400.00	660.00	निगम के कर्मचारी होने के कारण
10	4/20	डा0 आर0 के 0 वर्मा, उप निदेशक. च0 आ0 कृषि विश्वविद्यालय, कानपुर	1-2-91	1-2-91	260.00		
11	4/2	ए0 बी0 सिंह, आई0पी0एस0 अपराध शाखा अप0 अनु0 कानपुर ।	5-4-91	..	..		किराया भुगतान की सूचना प्राप्त की जा रही है ।
12	4/5	योगेन्द्र शर्मा, उप पुलिस अधी0 कार्यालय ज्येष्ठ पुलिस अधी0. कानपुर ।	20-1-91	..	..		तदैव
13	4/7	राजेन्द्र कुमार, ए0 सी0 एम0 कार्यालय जि0 अ0 कानपुर नगर	20-8-91	..	..		तदैव

उत्तर प्रदेश विधान सभा

14	4/8	डा0 ए0 सी0 यादव, आर्थोसर्जन, ए0एच0एस0 अस्पताल, कानपुर।	1–4–91	..	..	निःशुल्क आवास की अर्हता	
15	4/11	जे0 बी0 गुप्ता, निदेशक, प्रा0 शि0 विभाग, कानपुर।	19–12–90	..	..	किराया भुगतान की सूचना प्राप्त की जा रही है।	
16	4/12	देव दत्त, पुलिस अधी0, सतर्कता अधि0, कानपुर।	7–8–91	..	..	तदैव	
17	4/14	डा0 विजय पाल सिंह, आफिसर इंचार्ज, च0 आ0 कृषि विश्व-विद्यालय, कानपुर।	28–12–90	..	..	तदैव	
18	4/15	बी0 आर0 कठौरिया, आर0 टी0 ओ0, परिवहन विभाग।	24–1–91	..	..	तदैव	
19	4/16	डा0 डी0 एस0 सिंह, प्राध्यापक, च0 आ0 कृ0 विश्वविद्यालय, कानपुर।	4–1–92	..	..	तदैव	
20	4/17	डा0 विनय कृष्ण, प्रवक्ता, हृदय रोग संस्थान, कानपुर।	1–2–91	..	..	तदैव	

उत्तर प्रदेश विधान सभा

नत्थी 'ङ'

(देखिए अता0 प्र0 सं0 45 का उत्तरपीछें पृष्ठ 53–54 पर)

चिल्ला फेरी पर व्यय से सम्बन्धित विवरण

क्र0 सं0	कार्य का नाम		धनराशि
1	2		3
1	कर्मचारियों का एरियर व वेतन	. .	1,59,541.00
2	टाल टैक्स बुकलेटें आदि	. .	19,723.00
3	शीशल रोप	. .	1,17,187.00
4	गनीला रोप व नारियल रोप	. .	1,10,310.00
5	वायर रोप	. .	1,13,644.00
6	फेरी के चौकीदारों हेतु शेड आदि	. .	19,684.00
7	पान्टूनों की मरम्मत आदि	. .	2,66,963.00
8	पान्टूनों की पेंटिंग इत्यादि	. .	48.950.00
9	सीमेन्ट व अप्रोच रोड	. .	43,945.00

नत्थी 'च'

(देखिए अता0 प्र0 सं0 89 का उत्तर पीछे पृष्ठ 71 पर)

अतारांकित प्रश्न संख्या 89 का संलग्नक

दिनांक 1-3-90 से दिनांक 30-10-91 तक स्टोर में क्रय की गई सामग्री का विवरण

नाम सामग्री	राशि	ठेकेदार का नाम	आपूर्ति आदेश संख्या	एवं दिनांक
1	2	3	4	5
पेंटिंग किट्स	24,408.88	श्री सुरेश चन्द्र वर्मा	751/ए-30	16-3-91
			956/ए-30	21-3-90
			978/ए-30	21-3-90
वैनिस्टर ब्रुश	9,987.00	श्री नत्थू तिवारी	965/ए-30	21-3-90
स्टील वायर ब्रुश	8,100.00	श्री सुरेश वर्मा	943/ए-30	दिनांक 21-3-90
थर्मामीटर	1,650.00	,,	तदैव	तदैव
ब्रास वूम ब्रुश	9,987.00	,,	965/ए-30	दिनांक 21-3-90
वास्केट्स	5,000.00	,,	894/ए-30	दिनांक 21-3-90
फावड़ा हैण्डिल	5,000.00	,,	869/ए-30	दिनाँक 20-3-90
गैती हैण्डिल	5,000.00	,,	,,	
चापेट बास्केट	9,450.00	श्री सुरेश चन्द्र वर्मा	864/ए-30	दिनाँक 20-3-90
सीमेन्ट विद वैग	55,176.00	सीमेन्ट फ्राम जै0 पी0 रीवा सीमेन्ट		
कन्ट्री बास्केट्स	10,400.00	श्री नत्थूराम तिवारी	1298/ए-30	दिनांक 7-5-90
पेंटिंग फिट्स	10,296.00	तदैव		
वैनिस्टर ब्रुश				
वास ब्रुम ब्रुश				
स्टील वायर ब्रुश	9,901.50	तदैव	आपूर्ति आदेश सं0 1401/ए-30 दि0 11-5-90	
पेंटिंग किट्स				

उत्तर प्रदेश विधान सभा

1	2	3	4
सीमेन्ट	47,736.00	मे0 कैमूर सीमेन्ट आपूर्ति	आदेश वर्क्स कैमूर सं0 1319/एम–12 दि0 7–5–90
सीमेन्ट	79,560.00	मे0 कैमूर सीमेन्ट आपूर्ति वर्क्स कैमूर	आदेश सं0 1319/एम–12 दि0 7–5–90
सीमेन्ट	1,41,086.00	मे0 कैमूर वर्क्स कैमूर	आपूर्ति आदेश सं0 1319/एम–12 दि0 7–5–90
सीमेन्ट	46,675.00	मे0 कैमूर सीमेन्ट वर्क्स कैमूर	आपूर्ति आदेश सं0 1319/एम–12 दि0 7–5–90
सीमेन्ट	2,43,360.00	मे0 कैमूर सीमेन्ट वर्क्स कैमूर	आपूर्ति आदेश संख्या 0115077 दि0 31–1–91 आ0 यू0 आदेश संख्या 255/ए–30 दि0 28–1–91 एस0ओ0नं0 341/ए-30 दि0 1–2–91
बल्क बिटुमिन	2,40,560.00	मे0 इण्डियन आयल कारपोरेशन आपूर्ति	आदेश सं0 540/एम–30 दि0 9–3–89
सीमेन्ट	4.62,146.88	मे0 कैमूर सीमेन्ट वर्क्स कैमूर	आपूर्ति आदेश सं0 341/एम–30 दि0 1–2–91 एवं आपूर्ति आदेश सं0 943/एम–12 दि0 23–3–91
मैक्सफाल्ट	2,12,800.00	मथुरा रिफाइनरी मथुरा	आपूर्ति आदेश सं0 2169/ए0पी0/8 ए0पी0/ 90 दि0 21–8–90
सीमेन्ट	61,401.60	मे0 ए0एस0 सीमेन्ट कैमूर	आपूर्ति आदेश सं0 947/एम–12 दि0 23–3–91 एवं आपूर्ति आदेश सं0 341/ए-30 दि0 1–2–91
मैक्सफाल्ट	2,49,280.00	मे0 भार पेट्रो0 कार्पो0 मथुरा	आपूर्ति आदेश सं0 2169/ए0पी0 8 ए0पी0/ 90, दि0 21–8–90।
मैक्सफाल्ट	48,640.00	मे0 भारत पेट्रो0 कार्पो0, मथुरा	आपूर्ति आदेश सं0 2169/ए0पी0 8 ए0पी0/ 90, दि0 21–8–90

मैक्सफाल्ट	48,640 00	मे0 मथुरा रिफाइनरी, मथुरा	आपूर्ति आदेश सं0 2169/ए0पी 0/8 ए0पी-90 दि0 21–8–90
मैक्सफाल्ट	97.280.00	मे0 मथुरा रिफाइनरी, मथुरा	आपूर्ति आदेश सं0 2169/ए0पी0 8 ए0पी0/ 90 दि0 21–8–90
पेंटिंग किट्स	1,09,200.00	मे0 प्रिंस इण्डस्ट्रियल कापो0, कानपुर	आपूर्ति आदेश सं0 1180/ए–30 दि0 20–4–91
फाउन्ड्री क्लेट ब्रुश वैनिश्टर ब्रुश पुसस्वेपिंग ब्रुश चापेट बास्केट	1,13,426.00	मे0 गोयल एण्ड कं0 इटावा	आपूर्ति आदेश सं0 1477/ए–30 दि0 15–5–91
	1,04,758.00	मे0 गोयल एण्ड कं0 इटावा	आपूर्ति आदेश सं0 1478/ए 30 दि0 15–5–91
रोड साइन बोर्ड 4×3, 3×2	1,14,700.00	मे0 हरिजन आवास निर्बल वर्ग पुनर्वास केन्द्र, कानपुर ।	आपूर्ति आदेश सं0 1370/एम 30 दि0 7–5–91
मैक्सफाल्ट	42.560.00	मे0 मथुरा रिफाइनरी, मथुरा	आपूर्ति आदेश सं0 2169/ए0पी0/8 ए0पी0– 90 दि0 21–8–90
मैक्सफाल्ट	42.560.00	मे0 मथुरा रिफाइनरी, मथुरा	आपूर्ति आदेश सं0 2169/ए0पी0 दि0 21–8–90
मैक्सफाल्ट	42,560.00	मे0 मथुरा रिफाइनरी, मथुरा	आपूर्ति आदेश सं0–2169/ए0 पी0/8 ए0पी0/ 90, दि0 21–8–90
बल्क विटुमिन	9,18,660.00	मे0 मथुरा रिफाइनरी, मथुरा	आपूर्ति आदेश संख्या 1216/एम–20 दि0 27–4–91
मैक्सफाल्ट पैण्ड	51,680.00	मे0 मथुरा रिफाइनरी, मथुरा	आपूर्ति आदेश सं0–2169/ए0पी0/8 ए0पी0/ 90 दि0 21–8–90
बल्क विटूमिन	5,78,160.00	मे0 मथुरा रिफाइनरी, मथुरा	आपूर्ति आदेश सं0–1216/एम–20 दि0 27–4–91
मैक्सफाल्ट	1,42,880.00	मे0 भारत पैट्रो0, मथुरा	आपूर्ति आदेश सं0 2169 ए0पी0/8 ए0पी0 /90 दि0 21–8–90 ।

1	2	3	4	5	6	7
उडेन हैण्डिल फावड़ा		18,750.00	मे0 हरिजन आवास निर्बल वर्ग पुनर्व स केन्द्र, कानपुर	आपूर्ति आदेश सं0–2238,ए–30 दिनांक 1–8–91		
—गैती		16,500.00				
—दुरमुट		720.00	तदैव			
उडेन दुरमुट		1,395.00				
नारियल रोप		1,500.00				
टी गार्ड		18,000.00				
रोड साइन बोर्ड						
4×3"		13,440.00				
—3×2"		17,250.00				
दी गार्ड		54,000.00	मे0 हरिजन निर्बल वर्ग, कानपुर पत्रांक आदेश–2246/ए–30 दि0 20–8–91			
ट्रैफिक वेल्डर्स स्पीड रोड ब्रेक्स		40,000.00	तदैव			
रिफ्लेक्टर		30,000.00	तदैव			
पेंटिंग किटस		56,100.00	मे0 इण्डस्ट्रीज कार्पो0 आपूर्ति आदेश सं0 2286/ए–30 दि0 28–3–91 कानपुर ।			

उत्तर प्रदेश विधान सभा

नत्थो 'छ'

(देखिये आ0प्र0 सं0 90 का उत्तर पीछे पृष्ठ 71–72 पर)

अतारांकित प्रश्न संख्या 90 का संलग्नक

विवरण व्यय रेलवे उपरगामें सेतु मे मार्ग निर्माण हेतु

नाम ठेकेदार/अन्य	बान्ड/वर्क आर्डर/सप्लाई आर्डर नम्बर	राशि	कार्य का विवरण
1––श्री रामेश्वर राय	बान्ड 89/स0अ0 पंचम दि0 28–3–91	49,624.00	आपूर्ति 40–90, 25–50 एवं मुरम
2––अधिशासी अभियन्ता जल संस्थान, कर्वी ।		3,66,300.00	पाइप लाइन की शिपिंटग हेतु
3––अधिशासी अभियन्ता विद्युत वितरण खण्ड, बांदा ।		60,082.00	बिजली के खम्भों की शिपिंटग हेतु ।
4–– तदैव		21,764.00	,,
5–– तदैव		1,252.00	
	टी0आई0 द्वारा व्यय		
बाउचर नं0 225 दिनांक 30–7–91	टी0आई0 द्वारा	33,570.00	मिट्टी, गिट्टी कुटायी ।

नत्थी 'ज'

(देखिये अता0 प्र0 सं0 93 का उत्तर पीछे पृष्ठ 72–73 पर)

अतारांकित प्रश्न संख्या–93 का संलग्नक

क्रम-सं	शासनादेश संख्या व दिनांक (राज्य सेक्टर)	मार्ग/पुल का निर्माण	स्वीकृत लागत (लाख रू0 में)
1	2	3	4
1	394 बी0ई0/23–सा0नि0 अनु0–11–102 ई0/88. दिनांक 24–1–90	जयप्रकाश नगर से लक्ष्मण छपरा मार्ग ।	12.00
2	तदैव	गंगापांडे टोला से पियरौटा दुर्घला मार्ग ।	8.00
3	1414ई/23–सा0 नि0 अनु0–11 162 ई/8.8 दिनांक 24–3–90	सीताकुंड से चैनछपरा मार्ग	6.00
4	तदैव	तुर्तीपार श्रीनगर अंधा	30.00
5	तदैव	धरहरा धरम पुरा	12.00
6	4426ई/23–लो0नि0अनु0–11 110 ई/90, दिनांक 7–11–90	लखनऊ बलिया मार्ग से चौरा चवर	12.00
7	तदैव	नीरूपुर से बिगही	4.40
8	तदैव	सिकन्दरपुर से देवकली नहर की पटरी	8.00
9	तदैव	कपूरी चेरूइया मोहान की मठिया	8.00
10	तदैव	छितौनी कैम्प से पन्द्रह माइनर इन्दौली कमरौली होते हुए इकइल	7.0
11	तदैव	सिकन्दरपुर से देवकली मार्ग का भाग	8.00
12	तदैव	नीरूदुर से बिगही	2.00
13	तदैव	प्रधानदुर हरदासपुर घाट पर टोंस नदी पर निर्माणाधीन पुल के पहुंच मार्ग की अतिरिक्त लम्बाई	15.00
14	871(1)/ई।23–लो0नि0 अनु0–11–135ई/90, दिनांक 1–4–91	गजियापुर मुहम्मदपुर इब्राहिम-पट्टी मार्ग के अधूरे भाग को को पूर्ण करना (मं0 सं0 मा तक)	6.30
15	तदैव	इब्राहिम पट्टी से बसरा होते हुए बरौली नहर मार्ग ।	4.95
16	तदैव	इब्राहिमपट्टी से भिड खूंटा तक सम्पर्क मार्ग ।	10.35
17	तदैव	इब्राहिमपटटी से नेमडांड़ होते हुए सेमरी भिमपुरा ।	11.25

1	2	3	4
18	तदैव	सीयर पशुहारी	30.00
19	तदैव	देवकली से सुजनापुर सिकन्दर-पर रजवाहा का मार्ग ।	31.50
20	871(1)ई/23-लो0नि0अनु0-II 135ई/90. दिनांक 1–4–91	ढेकवारी भीमपुरा किशोरगंज	36.00
21	तदैव	शाहपुर तेलमा जमालुद्दीनपुर रछौली करनी किशोरगंज ।	30.00
22	तदैव	रामपुर हजिया से हजिया रामपुर ।	19.50
23	तदैव	बरौली चकरा. हाल्ट मार्ग के कि0मी0 5 मे 3×8 मी0 लघु सेतु का निर्माण	14.40
24	तदैव	छितौनी कैम्प से करनी नाला मार्ग एवं 1×4 मी0 लघु सेतु का निर्माण ।	47.00
25	तदैव	मधुवन बैल्थरा के कि0मी0 57 से 60 तक चौड़ीकरण एवं सुदृढ़ीकरण का कार्य ।	19.20
26	तदैव	बेलथरा बाजार से मोलनापुर वाया पिपरौली शाहपुर ।	40.00
27	तदैव	हल्दीरामपुर से किशोरगंज	30.00
28	तदैव	बरौली से इब्राहीमपट्टी	14.65
29	तदैव	सीयर चरौवा केसेसर मार्ग भीमपुरा वलौली	37.50
30	तदैव	वेल्थरा बाजार से घाघराघाट तक मार्ग का निर्माण	1.50
31	तदैव	देवकली से ककरी भीमपुरा नं0–2 तक मार्ग का निर्माण	12.00
32	तदैव	एवंरागोपालपुर चिन्तामनपुर का निर्माण ।	18.00
33	तदैव	सलेमपुर पिराचट्टी बहोरापुर का निर्माण	9.00
34	तदैव	मन्नापुर फतेहपुर कल्पानीनाथ मठिया मार्ग ।	12.00
35	तदैव	दौलतपुर के पास मगई नदी पर सेतु का निर्माण ।	40.00
36	तदैव	शिवाली से नेवादा मार्ग	12.00
37	तदैव	शेरपुरा खादवा से जवाकादा	7.50
38	तदैव	सुरेमनपुर डुमरीगढ़	20.25

नत्थी 'झ'

(देखिये अता० प्र० सं० 94 का उत्तर पीछे पृष्ठ 73 पर)

अतारांकित प्रश्न संख्या 94 का संलग्नक

जनपद बलिया में विकास खण्डवार राज्य सेक्टर के अन्तर्गत स्वीकृत कार्यों का विवरण—

क्र० संख्या	खण्ड का नाम	कार्य का नाम	स्वीकृत लागत (लाख रु०)	जनवरी 92 तक व्यय धनराशि (लाख रु०)	विवरण
1	2	3	4	5	6
1	सोयर	गजियापुर मुहम्मदपुर इब्राहीम पट्टी कोअबूरे मार्ग को पूर्ण करना (मऊ सीमा तक)	6.30	0.05	कार्य प्रगति पर है।
2	तदैव	इब्राहीमपट्टी से बसरा होते हुये बरौली नहर मार्ग तक	4.95	—	तदैव
3	तदैव	इब्राहीमपट्टी से भीड़ खूटा तक सम्पर्क मार्ग।	10.35	—	तदैव
4	तदैव	इब्राहीमपट्टी से नेमडाड़ होते हुये सेमरी भीमपुरा।	11.25	0.13	तदैव
5	तदैव	सोयर पशुहारी मार्ग का निर्माण	30.00	—	तदैव
6	तदैव	शाहपुर तेलमा जमालुद्दीनपुर से रछौली करनी किशोरगंज।	30.00	0.01	तदैव
7	तदैव	मधुबन बेलथरा के किमी० 0–57 से 60 तक चौड़ीकरण एवं सुदृढ़ीकरण।	19.20	1.84	तदैव
8	तदैव	बेलथरा बाजार से मोलनापुर वाया पिपरौली शाहपुर	40.00	0.02	कार्य आरम्भ नहीं।

उत्तर प्रदेश विधान सभा

9	तदैव	हल्दीरामपुर से किशोरगंज	30.00	0.94	कार्य प्रगति पर है ।
10	तदैव	बरौली से इब्राहीमपट्टी ।	14.65	—	तदैव
11	तदैव	सियर चरौवा कसेसर भीमपुरा बेलौली	37.50	—	तदैव
12	तदैव	बेलथरा बाजार से घाघरा घाट तक मार्ग का निर्माण ।	1.50	—	तदैव
13	नगरा	ढैववारी से भीमपुरा किशोरगंज	36.00	3.00	तदैव
14	तदैव	बरौली चकरा हाल्ट के किमी 0–5 मे 3×8 मी0 लघु सेतु का निर्माण ।	14.40	—	कार्य प्रारम्भ नहीं ।
15	तदैव	छितौनी कैम्प से करनीनरला एवं 1×4 मी0 लघु सेतु का निर्माण ।	47.00	0.02	कार्य आरम्भ है ।
16	तदैव	ढेकुआरी से ककरी भीमपुरा नं0 2 तक मार्ग का निर्माण ।	12.00	—	यह मार्ग क्रम सं0–13 पर पर अंकित मार्ग का भाग है जिसे निरस्त किया जाना प्रस्तावित है ।
17	नगरा	देवकली से सुजनापुर सिकन्दरपुर रजवहा का विभाग	31.50	0.03	कार्य प्रगति पर है ।
18	तदैव	रामपुर हजिया से हजिया–रामपुर	19.50	0.02	तदैव
19	तदैव	छितौनी कैम्प से पन्दह माइनर इन्दौली करमौली होकर इकइल मार्ग ।	7.00	9.50	तदैव
20	रसड़ा	लखनऊ बलिया से रौरा चवर मार्ग	12.00	1.08	तदैव

1	2	3	4	5	6
21	नवानगर	सिकन्दरपुर से देवकली नहर पटरी	8.00	4.57	तदैव
22	तदैव	सिकन्दरपुर देवकली मार्ग का भाग	8.00	10.51	तदैव
23	चिलकहर	प्रधानपुर हरदासपुर घाट टोंस नदीपर निर्माणाधीन सेतु के पहुंच मार्ग का निर्माण ।	15.00	1.31	भूमि अध्याप्ति का कार्य प्रगति पर है ।
24	तदैव	तदैव	15.00	—	—
25	तदैव	मटिही घाट पर पहुंच मार्ग	6.80	21.27	कार्य प्रगति पर है ।
26	तदैव	संवरा गोपालपुर चिन्तामणीपुर नराछ वैश्य बोझ मार्ग	18.00	—	तदैव
27	तदैव	सलेमपुर पिपरापट्टी ।	9.00	—	कार्य प्रारम्भ नहीं ।
28	तदेव	मन्नोपुर फतेहपुर कल्यानीवाथ मठिया मार्ग ।	12.00	—	तदैव
29	हनुमानगंज	घरहराघरमपुरा मार्ग	12.00 6.10	6.46	कार्य प्रगति पर है ।
30	तदैव	कपुरी चेरूईया से मोहन के मठिया मार्ग ।	8.00	7.38	तदैव
31	सोहांव	ग्राम दौलतपुर के पास मगई नदी पर आर0सी0सी0 सेतु का निर्माण ।	40.00	—	कार्य प्रारम्भ नहीं ।
32	बांसडीह	तुर्तीपार से श्रीनगर बंधा मार्ग किमी 0–11 से 20 तक	30.00	17.25	निर्माणधीन है ।
33	बेलहरी	सीताकुण्ड से चैनछपरा	6.00	0.33	कार्य प्रारम्भ नहीं ।

उत्तर प्रदेश विधान सभा

34	तदैव	गंधौपाण्डे टोला से पियरौटा दुगला मार्ग	8.00	(–)	1.93	निर्माणाधीन
35	तदैव	नीरूपुर से विगही मार्ग (मिट्टी से लेपन)	4.40	(–)	5.92	तदैव
36	तदैव	नीरूपुर से विगही मार्ग (खरंजा से लेपन)	2.00		—	कार्य प्रारम्भ नहीं।
37	मुरलीछपरा	जनपद बलिया में बी0बी0आर0 मार्ग पर पहुंच मार्ग एवं गाइडबंध का निर्माण।	127.00		—	तदैव
38	मुरलीछपरा	जनपद बलिया मे माझीघाट पर निर्माणाधीन सेतु के पहुंच मार्ग का निर्माण।	27.40		0.30	कार्य प्रारम्भ है।
39	तदैव	जयप्रकाश नगर से लक्ष्मण छपरा मार्ग	12.00		0.87	तदैव
40	जनपद बलिया	शिवाली से निवासा मार्ग	12.00		—	निरस्तीकरण हेतु प्रस्तावित है।
41	तदैव	शेरूपुरा खंडवा से जवासा	7.50		—	तदैव
42	तदैव	सुरेमनीपुर से डुमरीगढ़ी मार्ग	20.25		—	तदैव

उत्तर प्रदेश विधान सभा

नत्थी 'ञ'

(देखिए अता० प्र० सं० 100 का उत्तर पीछे पृष्ठ 75–76 पर)

जनपद लखीमपुर खीरी के अन्तर्गत तहसील धौरहरा में जिला पूर्ति कार्यालय के अभिलेखों के अनुसार जून 90 से नवम्बर, 91 तक प्राप्त शिकायतों की जांच का विवरण

क्रम-संख्या	शिकायतकर्ताओं का नाम व पता	जिनके विरुद्ध शिकायत की गई है	सारांश	शिकायत किस अधिकारी को की गई	जांच किसके द्वारा की गई	जांच का प्रतिफल
1	2	3	4	5	6	7
1	श्री गुलाब आदि, अमेठी	श्री सच्चिदानन्द, कोटेदार, अमेठी ।	चीनी वितरण में अनियमितता	परगनाधिकारी, धौरहरा ।	परगनाधिकारी धौरहरा ।	दुकान निरस्त
2	श्री रामपाल तिवारी, करौहा	श्री राजाराम, खरवहिया	,, ,,	जिलापूर्ति अधि०	,, ,,	निरस्त
3	श्री तेजनरायन नि० ,,	,, ,, ,, ,,	,, ,,	,, ,,	,, ,,	,,
4	श्री भगवान दीन, सिसेधा चौरहा ।	श्री आलताफ अहमद	बिना लाइसेन्स डीजल वितरण की शिकायत	,, ,,	,, ,,	प्र० सू० रि० दर्ज हुई ।
5	प्रार्थीगण ग्राम सोहरिया	श्री बहोरीलाल, कोटेदार	चीनी वितरण में अनियमितता संबंधी ।	,, ,,	,, ,,	शि० पत्र निक्षेपित ।
6	प्रार्थीगण ग्राम जटपुरवा	रमाशंकर कोटेदार	,, ,,	,, ,,	,, ,,	प्रतिभूति जब्त की गई ।
7	श्री शौकत अली, कुम्भैना	राधेश्याम, अभिकर्ता	शक्कर/मिट्टी तेल वितरण में अनियमितता ।	,, ,,	,, ,,	शि० पत्र निक्षेपित ।

8	चक्रधर, उपप्रधान, बसढ़िया	चन्दकी प्रसाद, कोटेदार, बसढिया ।	शक्कर/मिट्टी तेल वितरण में अनियमितता	जिला पूर्ति अधिकारी	परगनाधिकारी धौरहरा	शि0 पत्र निक्षेपित
9	ग्राम प्रधान/प्रार्थीगण, ग्रामसभा सरपतहा (ईसानगर)	बिन्द्रा प्रसाद, अभिकर्ता के विरुद्ध ।	,, ,,	जिलाधिकारी	,, ,,	प्रतिभूति जब्त की गई ।
10	यासीन खां आदि ग्राम सभा बिनौरा ।	सरीफ अहमद, बिनौरा	,, ,,	,, ,,	,, ,,	शि0 पत्र निक्षेपित ।
11	राम किशोर आदि ग्राम नकैहा ।	रमाशंकर, अभिकर्ता	मिट्टी तेल वितरण में धांधली ।	जिलापूर्ति अधि0	,, ,,	प्रतिभूति जब्त की गई ।
12	ग्राम प्रधान/प्रार्थीगण सिमरी	राजीव कुमार, अभिकर्ता	मि0 तेल/चीनी वितरण करने संबंधी ।	,, ,,	,, ,,	शि0 पत्र निक्षेपित ।
13	प्रधान, ग्राम सभा. घुरघट्टा	हरिनारायन, अभिकर्ता	चीनी/मिट्टी तेल न बांटने की शिकायत ।	,, ,,	,, ,,	शिका0 पत्र निक्षेपित ।
14	श्री मंगला प्रसाद, संयुक्त सचिव के माध्यम से प्राप्त ।	सामान्य शिका0	होली व संक्रांत के अवसर पर चीनी/मि0 तेल न बांटने के संबंध में ।	जिला अधिकारी	परगनाधिकारी धौरहरा ।	शि0 पत्र प्राप्त होने के पूर्व ही अनुबन्ध निरस्त ।
15	श्री बाबूराम पाहूटे, औरंगाबाद ।	बहोरी लाल, कोटेदार रामलोक ।	शक्कर/मिट्टी तेल वितरण में अनियमितता ।	जि0 पू0 अधि0	,, ,,	शिका0 पत्र निक्षेपित ।
16	प्रार्थीगण ग्राम अमेठा, (क्षेत्रीय विधा0 के माध्यम से) ।	श्रीमती अनुराधा देवी अमेठा, अभिकर्ता ।	प्रस्ताव के आधार पर हुई दुकान निरस्त किये जाने के सम्बन्ध में ।	परगनाधिकारी, धौरहरा ।	,, ,,	दुकान निरस्त ।
17	जगदम्बा प्रसाद व जरावन लाल अटवा, फिरोजाबाद ।	हुकुम प्रसाद, अभिकर्ता ग्राम अटवा	चीनी वितरण में अनियमितता ।	जि0 पू0 अ0 परगनाधिकारी धौरहरा ।	,, ,,	शिका0 पत्र निक्षेपित

1	2	3	4	5	6	7
18	ग्राम प्रधान, कोडरी रूप	बृजेश कुमार, अभिकर्ता	चीनी वितरण में अनियमितता	जि0पू0 अ0/परगनाधिकारी धौरहरा	परगनाधिकारी धौरहरा।	दुकान निरस्त
19	ग्राम प्रधान श्याम मनोहर व शिवकुमार भार्गव आदि ग्राम सभा चन्द्रपुरा।	विजय कुमार, अभिकर्ता चन्द्रपुरा।	वितरण संबंधी शि0	,, ,,	,, ,,	शि0 पत्र निक्षेपित।
20	विमल चन्द मिश्रा, निवा0 होकना मटेरा।	राम लखन, अभिकर्ता, होकना मटेरा	,, ,,	पर0अधि0, धौरहरा	,, ,,	प्र0 मू0 जब्त
21	राम किशोर वर्मा, नकैहा	राधेश्याम, अभिकर्ता, लौखनिया	वितरण मे अनियमि0	जि0पू0 अधि0	,, ,,	,,
22	ग्राम प्रधान, महाराजनगर	राधेश्याम, अभिकर्ता	,, ,,	पर0अधि0 धौरहरा	,, ,,	दुकान निरस्त
23	राधारमन मिश्रा, पत्रकार, पकरिया।	रामखेलावन, अभिकर्ता, पकरिया।	,, ,,	,, ,,	,, ,,	,,
24	निवासीगण ग्रा0 देउवाकलां	धनीराम, अभिकर्ता	,, ,,	,, ,,	,, ,,	शिका0 पत्र निक्षेपित।
25	राम आसरे आदि	धौरहरा के अभिकर्ता सवलिया प्रसाद।	,, ,,	जि0पू0 अधिकारी	,, ,,	,,
26	प्रार्थीगण ग्राम सभा कौवरहा (क्षेत्रीय विधा0 के माध्यम से)	ग्राम कविरहा के प्रस्ताव के विरुद्ध।	गलत प्रस्ताव होने के कारण।	पर0अधि0, धौरहरा	,, ,,	जांच की जा रही है।
27	दौरान जांच	श्री अशफाक अहमद, ढकेरवा चौराहा।	बिना लाइसेन्स के डीजल विक्रय करने के कारण	,, ,,	जि0पू0 अधि0	प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज कराई गई।

उत्तर प्रदेश विधान सभा

नत्थी 'ट'

(देखिए अता0 प्र0 सं0 145 का उत्तर पीछे पृष्ठ 93 पर)

दैनिक वेतन भोगी कर्मचारियों का विवरण

क्र0 सं0	पदनाम	संख्या
1	हेल्पर	183
2	प्लम्बर	2
3	पम्प चालक	17
4	मेट/वर्क एजेन्ट	9
5	वायर मैन	20
6	लिफ्ट चालक	9
7	चिलर अटेन्डेन्ट	1
8	ए0सी0 आपरेटर	6
9	कूलिंग टावर अटेन्डेन्ट	1
10	साउण्ड आपरेटर (टे)	2
11	साउण्ड आपरेटर (नान टे)	2
12	सहायक ए0सी0 आपरेटर	1
13	जेनरेटर आपरेटर	1
14	सब-स्टेशन अटेन्डेन्ट	1
15	ए0सी0 अटेन्डेन्ट	2
	कुल ..	257

सत्यमेव जयते

नत्थी 'ठ'

(देखिए अता0 प्र0 सं0 175 का उत्तर पीछे पृष्ठ 106 पर)

विधान सभा के प्रथम सत्र 1992 के दूसरे गुरुवार के लिए निर्धारित श्री राम प्रसाद सिंह, सदस्य विधान सभा द्वारा पूछे गये अतारांकित प्रश्न संख्या–175 के उत्तरालेख्य का संलग्नक––

क्र0 सं0	माह	कमान का नाम	संख्या
1	जनवरी, 1990	बगिया कमान (कृषि फार्म)	1000
		गल्ला गोदाम	72
		पोताई–छपाई	156
2	फरवरी, 1990	बगिया कमान (कृषि फार्म)	1135
		गल्ला गोदाम	141
		पोताई–छपाई	—
3	मार्च, 1990	बगिया कमान (कृषि फार्म)	868
		गल्ला गोदाम	8
		पोताई–छपाई	—
4	अप्रैल, 1990	बगिया कमान (कृषि फार्म)	809
		गल्ला गोदाम	—
		पोताई–छपाई	—
5	मई, 1990	बगिया कमान (कृषि फार्म)	863
		गल्ला गोदाम	—
		पोताई–छपाई	—
6	जून, 1990	बगिया कमान (कृषि फार्म)	561
		गल्ला गोदाम	12
		पोताई–छपाई	—
7	जुलाई, 1990	बगिया कमान (कृषि फार्म)	246
		गल्ला गोदाम	194
		पोताई–छपाई	—
8	अगस्त, 1990	बगिया कमान (कृषि फार्म)	436
		गल्ला गोदाम	174
		पोताई–छपाई	—
9	सितम्बर, 1990	बगिया कमान (कृषि फार्म)	850
		गल्ला गोदाम	421
		पोताई–छपाई	—
10	अक्टूबर, 1990	बगिया कमान (कृषि फार्म)	797
		गल्ला गोदाम	339
		पोताई–छपाई	—
11	नवम्बर, 1990	बगिया कमान (कृषि फार्म)	719
		गल्ला गोदाम	329
		पोताई–छपाई	—
12	दिसम्बर, 1990	बगिया कमान (कृषि फार्म)	776
		गल्ला गोदाम	294
		पोताई–छपाई	—

क्र0 सं0	माह	कमान का नाम	संख्या
13	जनवरी, 1991	बगिया कमान (कृषि फार्म)	768
		गल्ला गोदाम	326
		पोताई--छपाई	---
14	फरवरी, 1991	बगिया कमान (कृषि फार्म)	895
		गल्ला गोदाम	261
		पोताई--छपाई	---
15	मार्च, 1991	बगिया कमान (कृषि फार्म)	848
		गल्ला गोदाम	232
		पोताई--छपाई	---
16	अप्रैल, 1991	बगिया कमान (कृषि फार्म)	563
		गल्ला गोदाम	333
		पोताई--छपाई	---
17	मई, 1991	बगिया कमान (कृषि फार्म)	566
		गल्ला गोदाम	340
		पोताई--छपाई	---
18	जून, 1991	बगिया कमान (कृषि फार्म)	618
		गल्ला गोदाम	263
		पोताई--छपाई	---

उमानाथ सिंह,
राज्य मंत्री, कारागार।

सत्यमेव जयते

नत्थी 'ड'

(देखिए अता0 प्र0 सं0 177 का उत्तर पीछे पृष्ठ 107 पर)

श्री राम प्रसाद सिंह, सदस्य, विधान सभा द्वारा पूछे गये आतरांकित प्रश्न संख्या–177 के सन्दर्भ मे जिला कारागार, बांदा के बन्दियों को दिये गये यात्रा-व्यय का विवरण वर्ष 1985 से 1990 तक निम्नवत् है :

वर्ष	यात्रा व्यय (रुपयों में)
1985	रु0 1512.00 मात्र
1986	रु0 553.50 मात्र
1987	रु0 655.00 मात्र
1988	रु0 1974.00 मात्र
1989	रु0 713.00 मात्र
1990	रु0 527.00 मात्र

नत्थी 'ढ'

(देखिए अता0 प्र0 सं0 181 का उत्तर पीछे पृष्ठ 109 पर)

अतारांकित प्रश्न संख्या 181 का संलग्न

विवरण व्यय रेलवे उपरिगामी सेतु में मार्ग निर्माण हेतु

क्र0 सं0	नाम ठेकेदार/अन्य	बान्ड/वर्क आर्डर/ सप्लाई आर्डर नं0	भुगतान की राशि	कार्य का विवरण
1	श्री रामेश्वर राय	बान्ड 89/स0अ0 पंचम दिनांक 28--3--91	49.629.00	आपूर्ति 40-90, 25-50 एवं मुरम ।
2	अधिशासी अभियन्ता जल संस्थान, कर्वी		3,66,300.00	पाइप लाइन की शिफ्टिंग हेतु ।
3	अधिशासी अभिन्यता, विद्युत वितरण खण्ड, बांदा		60,082.00	बिजली के म्बों की शिफ्टिंग हेतु ।
	—तदैव--		21,764.00	
	—तदैव—		1,252.00	
		टी0 आई0 द्वारा व्यय		
	बाउचर नं0 225	दिनांक 30—7--91 टी0 आई0 द्वारा ।	33,570.00	मिट्टी, गिट्टी कुटायी ।

नत्थी 'ण'

(महामहिम राज्यपाल के अभिभाषण में संशोधन पीछे पृष्ठ 158-192 पर)

प्रस्तावक का नाम व संशोधन का रूप

2–श्री प्रमोद तिवारी–

प्रस्ताव के अन्त में निम्नलिखित जोड़ दिया जाय :–

"किन्तु खेद है कि श्री राज्यपाल ने अपने अभिभाषण में निम्नलिखित के संबंध में कोई उल्लेख नहीं किया है :–

1–प्रदेश में बढ़ते हुए आतंकवाद की रोकथाम, सैकड़ों निर्दोष व्यक्तियों का आतंकवादियों द्वारा मार दिए जाने के बावजूद भी सरकार द्वारा समुचित कदम न उठाने के संबंध में ।

2–गढ़वाल में आए इस सदी के भयंकर भूकम्प से पीड़ित हजारों नागरिकों को समुचित राहत न दिए जाने तथा केन्द्रीय सरकार तथा विभिन्न संस्थाओं द्वारा की गई भरपूर सहायता के बावजूद भूकम्प पीड़ितों को न्याय संगत सामग्री का वितरण तथा भूकम्प में प्रभावित नागरिकों के भवनों का निर्माण आदि न किए जाने के संबंध में ।

3–गन्ना किसानों की इस पेराई सीजन में हो रही दुर्दशा, सैकड़ों टन गन्ना खेतों के दाम बिकना अथवा पशुओं के चारे के रूप में प्रयोग होने तथा किसानों के गन्ना मिलों पर करोड़ों रुपए की बकाया राशि का भुगतान न होने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में ।

4–अनेकों सामाजिक उपक्रमों की दुर्दशा, उनको निजी हाथों में बेचने तथा हजारों की संख्या में इन संस्थाओं से छंटनी किए जाने से उत्पन्न स्थिति के संबंध में ।

5–प्रदेश की विद्युत आपूर्ति, विद्युत चोरी, विद्युत परिषद् के भारी घाटे तथा विद्युत परिषद् में पूर्ण व्यवस्था तथा उसके सुधार के लिए कोई योजना प्रस्तुत करने तथा विद्युत दरों में बढ़ोत्तरी का षड़यंत्र करने से उत्पन्न स्थिति के संबंध में ।

6–परिवहन विभाग द्वारा मार्ग कर में बढ़ोत्तरी किए जाने से उत्पन्न हुई महंगाई के संबंध में ।

7–प्रदेश में छिन्न भिन्न हुई सामाजिक वितरण व्यवस्था को सुधारने, कटौती किए गए राशन की पूर्ति करने तथा ग्रामीण क्षेत्रों तक समस्त गल्ले की दुकानों की समुचित व्यवस्था करने के संबंध में ।

8–प्रदेश के लगभग 50 हजार सफाई कर्मचारियों की छंटनी करने से उत्पन्न स्थिति के संबंध में ।

9–सहकारिता विभाग में अर्हता प्राप्त लगभग 40 हजार जनप्रतिनिधियों को हटाकर सत्ता दल द्वारा अपने आदमियों को पद स्थापित करने के षड़यंत्र से उत्पन्न स्थिति के संबंध में ।

10–प्रदेश में निरन्तर छात्रों पर विभिन्न जनपदों में विशेषकर बलिया, गोंडा, जौनपुर, मेरठ, मऊ, हापुड़ तथा मथुरा आदि में बर्बरतापूर्ण लाठी

चार्ज व गोली काण्ड से अनेकों छात्रों की मृत्यु होने एवं सैकड़ों छात्रों के घायल होने से उत्पन्न स्थिति के संबंध में ।

11–इस वर्ष लाखों छात्रों को स्कूल और कालेजों में प्रवेश न मिल पाने से उत्पन्न स्थिति के संबंध में ।

12–सी0 पी0 एम0 टी0 की परीक्षा में उच्चस्तरीय घोटाले के कारण परीक्षाओं के स्थगित होने तथा पूरी परीक्षा लिए जाने से छात्रों का एक वर्ष अकारण ही खराब होने तथा छात्रों में असंतोष बढ़ने से उत्पन्न स्थिति के संबंध में ।

13–प्रदेश में अनुसूचित जाति, जनजाति, पिछड़े वर्ग, अल्पसंख्यकों एवं महिलाओं पर विशेषकर फिरोजाबाद, प्रतापगढ़ जनपद में भदेवरा गांव बेरिया पुलिस थाना मथुरा जनपद में बल्देव पुलिस थाना के अन्तर्गत खडेरा गांव नामक स्थानों पर विशेष रूप से तथा सामान्यतः सभी जगहों पर उत्पीड़न से उत्पन्न स्थिति के संबंध में ।

14–राजनैतिक दुर्भावना से प्रदेश भर में विशेषकर मऊ, मड़हरगंज, दोहरी घाट, मथुरा, सुल्तानपुर, बलिया तथा बरेली आदि स्थानों पर विपक्षी दलों के कार्यकर्ताओं पर अत्याचार व झूठे मुकदमें बनवाने से उत्पन्न स्थिति के संबंध में ।

15–प्रदेश की लगभग सभी स्वायत्तशासी संस्थाओं के धन आवंटन में कटौती आदि से उत्पन्न स्थिति के संबंध में ।

16–प्रदेश में निरन्तर बिगड़ती हुई कानून व्यवस्था से उत्पन्न स्थिति के संबंध में ।

17–प्रदेश के महाविद्यालयों, माध्यमिक राजकीय तथा निजी प्रबन्ध वाले विद्यालयों के अध्यापकों तथा बेसिक शिक्षा में कार्यरत अध्यापकों के प्रति निरन्तर उपेक्षा से उत्पन्न स्थिति के संबंध में ।

18–प्रदेश में व्यापारियों की जमाखोरी व कालाबाजारी से उत्पन्न मूल्य वृद्धि से पैदा हुई भारी आर्थिक संकट के संबंध में ।

19–प्रदेश में निरन्तर बढ़ती हुई बेरोजगारी से उत्पन्न स्थिति के संबंध में ।

3–श्री कैलाश नाथ सिंह यादव–

प्रस्ताव के अन्त में निम्नलिखित जोड़ दिया जाय–

"किन्तु खेद है कि श्री राज्यपाल ने अपने अभिभाषण में निम्नलिखित का उल्लेख नहीं किया है :–

1–उ0 प्र0 सरकार आर्थिक, सामाजिक और राजनैतिक मोर्चों पर सर्वथा विफल रही है । सरकार धर्मान्ध शोषण तथा अत्याचार से आतप्रोत होने के संबंध में ।

2–इस सरकार के शासनकाल में कानून और व्यवस्था केवल कागजों पर सिमट कर रह गई है, छात्र उत्पीड़न, उनकी नृशंस हत्यायें, महिलाओं के साथ बलात्कार, पिछड़ों, दलितों और अल्पसंख्यकों का उत्पीड़न आम बात होने के संबंध में ।

3–आतंकवाद की सुरसा की तरह मुंह फैलाने के संबंध में ।

4–किसान, मजदूर, बुनकर बेहाल हैं, समाज भयमुक्त के बजाय भययुक्त हो गया है राम, रोटी और इंसाफ कहीं दिखाई न देने के संबंध में ।

5–शासन पर नौकरशाही हावी है, बिजली की दरों तथा बस भाड़ा और वाहनों के मार्ग कर में बढ़ोत्तरी, भूकम्प पीड़ितों की कराह, हरद्वार कुम्भ मेला में भ्रष्टाचार, काष्ठ उद्योग पर बिक्रीकर, दूषित सार्वजनिक वितरण प्रणाली जन विरोधी कार्यों के संबंध में ।

6–सहकारी समितियों के पदों पर नामांकन, नकल को संज्ञेय अपराध घोषित करना लोकतांत्रिक मर्यादाओं के विपरीत है ।

7–जिला योजनाओं में कटौती, साम्प्रदायिक दंगे, एकता यात्रा में सरकारी मशीनरी का दुरुपयोग, बिजली की अनापूर्ति, जनप्रतिनिधियों को रासुका में निरुद्ध करना आदि से जनजीवन अस्त व्यस्त होने के संबंध में ।"

4–श्री बेनी प्रसाद वर्मा–

प्रस्ताव के अन्त में निम्नलिखित जोड़ दिया जाय:–

"किन्तु खेद है कि श्री राज्यपाल ने अपने अभिभाषण में निम्नलिखित का उल्लेख नहीं किया है :–

1–प्रदेश के अन्त में अधिकांश जनपदों जिनमें वाराणसी फैजाबाद, रामपुर, मेरठ तथा बुलन्दशहर प्रमुख हैं, में साम्प्रदायिक हिंसा से सैकड़ों लोगों की मृत्यु होने के संबंध में ।

2–खाद और कीटनाशक दवाओं के वितरण में सरकार की लापरवाही से धान का उत्पादन कम होने तथा आलू की फसल, झुलसा रोग से पूरे प्रदेश में 50 प्रतिशत से अधिक समाप्त होने के संबंध में ।

3–तुरन्त पूर्ववर्ती सरकार द्वारा सभी स्वीकृत विकास कार्यों को राजनैतिक प्रतिशोध की भावना से रोक दिए जाने के संबंध में ।

4–समाजवादी जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं को बदले की भावना से उत्पीड़ित करने के संबंध में ।

5–इटावा के उप चुनाव में सरकारी मशीनरी का समाजवादी जनता पार्टी कार्यकर्ताओं को मतदान स्थल पर न पहुंचने देने के उद्देश्य से खुलकर दुरुपयोग और हजारों कार्यकर्ताओं पर फर्जी आपराधिक मुकदमें कायम करने के संबंध में ।

5–श्री जनेश्वर तथा श्री राम प्रसाद–

प्रस्ताव के अन्त में निम्नलिखित जोड़ दिया जाय :–

"किन्तु खेद है कि श्री राज्यपाल ने अपने अभिभाषण में निम्नलिखित के सम्बन्ध में कोई उल्लेख नहीं किया है–

1–प्रदेश में बढ़ती हुई महंगाई तथा सार्वजनिक वितरण प्रणाली के चरमरा कर बैठ जाने तथा उसके अस्त व्यस्त हो जाने और चोरबाजारी के संबंध में।

2–पुलिस द्वारा निरन्तर छात्रों, आम नागरिकों के ऊपर जुल्म ढाने तथा फरीदपुर गोण्डा, बलिया, जौनपुर आदि स्थानों में छात्रों को गोली मारकर हत्या करने के संबंध में;

3-तराई तथा पश्चिमी उत्तर प्रदेश में आतंकवादी गतिविधियों को रोकने तथा निरापराध लोगों को आतंकवादी बनाकर इनकाउन्टर तथा हत्या करने के सम्बन्ध में ।

4-बिजली का रेट 38 फीसदी बढ़ाकर बिजली उपभोक्ताओं की परेशानियों को बढ़ाने तथा औद्योगिक बिजली का मूल्य पूरे देश के सभी प्रान्तों के मुकाबले कई गुना करने के संबंध में।

5-पूर्वान्चल विकास निधि में कटौती करने, विकास कार्यों में रुचि न रखने तथा विकास कार्य धन के अभाव में एकदम ठप्प हो जाने के संबंध में।

6-प्रदेश में साम्प्रदायिक दंगों को रोकने तथा दंगों में खास कर जनपद वाराणसी में निरीह लोगों की हत्या करने व निरापराध लोगों को जेल में बन्द करने के संबंध में तथा डा0 अनीश की लाश भी हत्या करने के बाद न देने के संबंध में।

7-बिजली विभाग में आवश्यक सामानों जैसे ट्रांसफारमरों, बिजली के तार, खम्भों व लैम्पों की आवश्यकतानुसार व्यवस्था न करने से वर्षों के एस्टीमेन्ट वालों को कनेक्शन न देने के संबंध में तथा विद्युत परिषद् की दुर्व्यवस्था को ठीक करने के संबंध में।

8-नेवादा पावर हाउस बड़ागांव चोलापुर पावर हाउस ब्लाक चोलापुर अनेई हरहुआं लेठूपुर (आशापुर) वाराणसी पावर हाउस की दुर्व्यवस्था के संबंध में तथा निकम्मे अफसरों द्वारा लूट खसोट रोकने के संबंध में।

9-आटो ट्रैक्टर प्रतापगढ़ को पुनः सरकारी क्षेत्र में लेने और मजदूरों द्वारा आन्दोलन व उनकी मांगों पर विचार न करने के संबंध में।

10-सरकार द्वारा प्रशासनिक कार्यों में गलत दबाव डालकर प्रशासन का मनोबल तोड़ने के संबंध में।

11-शिक्षा संस्थाओं में इतिहास को तोड़ मरोड़ कर पाठ्य पुस्तकों में शामिल कर जनभावनाओं को इतिहास के खिलाफ उभाड़ने के संबंध में।

12-बावतपुर राजताहा में गांव असवारी व हमीरपुर भगवानपुर बीकापुर कुवार बड़ागांव वाराणसी में सीवेज को रोकने, सैकड़ों एकड़ किसानों की जमीन को बचाने तथा नहर को पक्का करने के संबंध में।

13-मच्छाताल वरही नेवादा ताल जिला वाराणसी में जल निकासी हेतु नये नाले खुदवाने तथा पुरान नालों को गहरा व चौड़ा करने के सम्बन्ध में ।

14-प्रदेश भर के नलकूपों की नालियां क्षतिग्रस्त हो गयी हैं और पानी से खेत भर गये हैं उनकी पुनर्निर्माण के संबंध में।

15-उत्तरकाशी में आये भूकम्प से पीड़ित नागरिकों को समुचित आवास व खाने आदि की व्यवस्था को ठीक करने के संबंध में।

16-प्रदेश की सरकार द्वारा धार्मिक मामलों को उठाकर तथा तीर्थ-स्थलों का नाम लेकर धार्मिक भावनाओं को उभाड़ने के संबध में तथा धर्मनिरपेक्षता के स्वरूप को बदलने के संबंध में।

17-उत्तरांचल या उत्तरा खण्ड राज्य स्थापित करने के संबंध में सरकार द्वारा अपनायी गई ढुलमुल नीतियों के संबंध में।

18–प्रदेश भर के गन्ना किसानों के गन्ने को ठीक से न खरीदने तथा मिल मालिकों के छलावे में आकर दाम कम कर देने के संबंध में।

19–वाराणसी विकास प्राधिकरण वाराणसी द्वारा मनमाने तरीके से अधिग्रहण कर ऊंचे दामों पर बेचने तथा अनधिकृत कब्जा भ्रष्टाचार एवं तानाशाही को खत्म करने के संबंध में।

20–बालिकाओं की अशिक्षा को दूर करने हेतु अलग से योजना बनाकर माध्यमिक शिक्षा अधिनियम के कड़े प्रतिबन्धों को समाप्त करने तथा ज्यादे से ज्यादे बालिका विद्यालयों को साइंस आदि की वित्त के साथ मान्यता देने के संबंध में तथा इसको प्रोत्साहित करने हेतु बालिकाओं के लिए कालेज खोलने हेतु प्राइवेट लोगों को प्रोत्साहित करने के संबंध में ।

21–प्रदेश के हथकरघा और छोटे पावरलूम उद्योग की बरबादी और उसमें कार्यरत लाखों बुनकरों के समक्ष व्याप्त भीषण बेरोजगारी और फाकाकशी व सूती रेशमी व सभी प्रकार के कृत्रिम धागों की कीमतों में भारी वृद्धि तथा तैयार माल की निकासी का सरकार द्वारा कोई प्रबन्ध न करने, उ0 प्र0 हथकरघा निगम व यूपिका के ठीक ढंग से कार्य न करने व बुनकरों के कर्जों की जबरी वसूली के संबंध में।

6–श्री दीना नाथ सिंह यादव–

प्रस्ताव के अन्त में निम्नलिखित जोड़ दिया जाय :–

"किन्तु खेद है कि श्री राज्यपाल ने अपने अभिभाषण में निम्नलिखित के संबंध में कोई उल्लेख नहीं किया :–

1–प्रदेश की वार्षिक योजना में केन्द्र द्वारा कटौती का पूर्व से चला आ रहा सिलसिला तथा केन्द्र राज्य सम्बन्धों पर राज्य सरकार की नीति के संबंध में,

2–तराई तथा पश्चिमी उत्तर प्रदेश में आतंवादी गतिविधियों को रोकने में प्रदेश सरकार के असमर्थ साबित होने व इसे रोकन के सम्बन्ध में विपक्षी दलों से राय-मशविरा न करने, निरापराध लोगों को आतंकवादी बताकर इनकाउण्टर करने के संबंध में ।

3–प्रदेश में बढ़ती हुई मंहगाई तथा सार्वजनिक वितरण प्रणाली के पूरी तरह ध्वस्त हो जाने और चोर बाजारी के संबंध में ।

4–बिजली का रेट 38 फीसदी बढ़ाकर उपभोक्ताओं की परेशानियों को बढ़ाने तथा औद्योगिक बिजली का भार देश के अन्य प्रान्तों के मुकाबले कई गुना करने के संबंध में ।

5–बिजली विभाग को सामानों की जैसी ट्रांसफार्मर, तार, खम्भे, केबिल आदि को आवश्यकतानुसार व्यवस्था न करने, वर्षों से एग्रीमेन्ट वालों को कनेक्शन न देने तथा विद्युत परिषद् की दुर्व्यवस्था को ठीक करने के सम्बन्ध में।

6–प्रदेश भर के राजकीय नलकूपों की क्षतिग्रस्त नालियों को ठीक करने रिबोरिंग आदि की समस्या विशेष कर 246 गंगापुर विधान सभा क्षेत्र में जांच कराकर इन समस्याओं को हल करने के संबंध में ।

7–सिंचाई साधनों के बढ़ाने व मौजूद सिंचाई साधनों का पुनर्निर्माण, रख-रखाव आदि ठीक करने के संबंध में ।

8–प्रदेश के गन्ना किसानों के गन्ने की ठीक से खरीद न करने, ढुलाई भाड़ा बढ़ाने के संबंध में ।

9–विकास कार्य में रुचि न रखने, पूर्वांचल विकास विधि में कटौती करने तथा विकास कार्य हेतु धनाभाव के कारण विकास कार्य के ठप्प हो जाने के संबंध में ।

10–उद्योग के बारे में सुसंगत नीति न अपनाने तथा उद्योग के मामले में पिछड़े हुए प्रदेश को और अधिक पिछड़ा बनाये रखने व रोजगार के नये-नये अवसर न उपलब्ध कराने के संबंध में ।

11–इतिहास को तोड़-मरोड़ कर शिक्षण संस्थाओं की पाठ्य पुस्तकों में शामिल करके शिक्षण संस्थाओं में सांप्रदायिकता का जहर भरने के संबंध में ।

12–दंगामुक्त भयमुक्त राज्य की जगह वाराणसी जैसे शहर के भयंकर दंगों, कत्ले आम, सैकड़ों निरीह लोगों को जेल में डालने तथा देवरिया, बरेली आदि जनपदों से अल्पसंख्यकों के पलायन के संबंध में ।

13–बाबरी मस्जिद/राम जन्म भूमि विवाद को वार्ता से हल करने, मगर विवादित ढांचे को गिराकर मंदिर बनाने की राज्य सरकार की प्रतिबद्धता की घोषणा के संबंध में ।

14–अल्पसंख्यकों, महिलाओं, अनुसूचित जातियों तथा छात्रों पर बढ़ते उत्पीड़न व पुलिस जुल्म के संबंध में ।

15–कानून व्यवस्था की चौपट हालत, प्रशासन तंत्र को सत्ता पक्ष द्वारा पार्टी हित में इस्तेमाल करने व निरंकुश बना देने तथा स्थानान्तरण को उद्योग बना देने के संबंध में ।

16–प्रदेश खासकर पूर्वांचल में लाखों बुनकरों की बेरोजगारी, धागों की कीमतों में भारी बढ़ोत्तरी, निकासी की समस्या तथा उनकी बिगड़ती हालत के संबंध में ।

17–शिक्षा व चिकित्सा पर समुचित ध्यान न दिये जाने के संबंध में ।

18–गढ़वाल के भूकम्प पीड़ित नागरिकों के समुचित आवास, दवा, खाने आदि की ठीक से व्यवस्था न किये जाने के संबंध में ।

19–आटो ट्रैक्टर, प्रतापगढ़ को पुनः सरकारी क्षेत्र में लिये जाने तथा वहां के आन्दोलनरत मजदूरों की मांगों पर विचार किए जाने के संबंध में ।

20–प्रदेश के सूखा, बाढ़, भूकम्प व आतंकवाद की चपेट में आने के बावजूद विधान सभा की बैठक न बुलाने, अध्यादेशों से काम चलाने तथा जनतंत्र की हत्या किये जाने के संबंध में ।

21–246 गंगापुर विधान सभा क्षेत्र अन्तर्गत पेयजल (ग्राम समूह पेयजल योजना) की अधूरी योजनाओं को पूरा किये जाने के संबंध में ।

7–श्री राम स्वरूप वर्मा–

प्रस्ताव के अन्त में निम्नलिखित जोड़ दिया जाय :–

"किन्तु खेद है कि श्री राज्यपाल ने अपने अभिभाषण में निम्नलिखित के संबंध में कोई उल्लेख नहीं किया :–

1–खेती में साधन के रूप में प्रयुक्त होने वाली वस्तुओं जैसे-खेती के औजार,

ट्रैक्टर, खाद्य, बीज, डीजल, कीटनाशक औषधियां आदि प्रदेशीय सरकारों करों से मुक्त रखे जाने के संबंध में ।

2—अनुसूचित जातियों, गिरिजनों व प्रजाजनों के निरादर एवं दरिद्रता का एक साथ नाश करने के लिये सरकारी वन भूमि, बंजर आदि पर इंसानी बस्ती बसाये जाने के संबंध में ।

3—आठवें तक की शिक्षा अनिवार्य और सारी शिक्षा मुफ्त, राष्ट्रीयकृत, मानदवादी व एक समान करने के संबंध में ।

4—अमरहट पम्प कैनाल जिला कानपुर देहात के 610 क्यूसेक्स की पम्प नहर के द्वितीय चरण का निर्माण करना, तथा प्रदेश की सारी सिंचन योग्य असिंचित भूमि को सींचने के लिए काल बद्ध योजना बनाने के संबंध में ।

5—बोधिसत्व बाबा साहब डा0 भीमराव अम्बेदकर का सारा साहित्य प्रदेश के अछूत छात्रावासों, अछूत पुस्तकालयों, सरकारी अनुदान प्राप्त पुस्तकालयों के अछूत छात्रावासों और सरकारी पुस्तकालयों में अनिवार्य रूप से रखा जाने तथा संविधान विरोधी पुस्तकों को जब्त करने के संबंध में ।

6—15 अगस्त, 1947 से पूर्व जो पूजा स्थल जिसका था उसे उसी स्थिति में बहाल रखे जाने के संबंध में ।

7—गन्ने के लाभकारी मूल्य किसानों को उपलब्ध कराने, सस्ती चीनी तैयार करने, विदेशी मुद्रा बचाने, हजारों लोगों को काम पर लगाने, तथा पेट्रोल का विकल्प तैयार करने के लिये प्रदेश में व्यापक पैमाने पर चीनी संस्थान (शुगर काम्पलेक्स) स्थापित करने के संबंध में ।

8—समस्त सरकारी उपक्रमों को लाभ के साथ जनहित में चलाने के लिए उनका समाजीकरण किया जाना जिसमें धनदाता (सरकार), उत्पादक (मजदूर-आदि), तथा उपभोक्ता तीनों की प्रबन्ध में समान भागीदारी होने के सम्बन्ध में।

9—प्रदेश के हर गांव का विद्युतीकरण पांच वर्ष के अंदर किये जाने के संबंध में।

10—गांव का हर व्यक्ति जिला केन्द्र तक आसानी से पहुंच सके इसके लिए प्रदेश के हर गांव को कच्ची सड़क द्वारा पक्की सड़क से जोड़े जाने के संबंध में।

11—कत्ल, डकैती, राहजनी और आतंकवाद पर नियंत्रण करने के संबंध में।

8—श्री लाल जी वर्मा—

प्रस्ताव के अन्त में निम्नलिखित जोड़ दिया जाय :—

"किन्तु खेद है कि श्री राज्यपाल ने अपने अभिभाषण में निम्नलिखित के संबंध में कोई उल्लेख नहीं किया :—

1—प्रदेश के बुनकरों में भुखमरी के संबंध में।

2—गन्ना किसानों के गन्ना खरीद सुनिश्चित किये जाने तथा गन्ना मूल्यों के भुगतान नहीं होने के संबंध में।

3—प्रदेश सरकार को राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ द्वारा चलाये जाने के संबंध में।

4—जनपद फैजाबाद के अकबरपुर, टाण्डा एवं जलालपुर तहसीलों को मिलाकर नये जनपद बनाये जाने के संबंध में।

5–दुद्धी लुम्बनी मार्ग पर टाण्डा में घाघरा नदी पर प्रस्तावित पुल बनाये जाने के संबंध में।

6–टाण्डा जनपद फैजाबाद में महिला डिग्री कालेज स्थापित किये जाने के संबंध में।

7–जनपद फैजाबाद का जवाहर रोजगार योजना के अंतर्गत द्वितीय एवं तृतीय किश्त का आवंटन न किए जाने के संबंध में ।

8–सम्पूर्ण प्रदेश में चल रहे विकास के कार्यों को ठप्प कर दिये जाने के संबंध में।

9–बुनकरों के 5 हजार तक के कर्ज माफ करने के संबंध में ।

10–जनपद फैजाबाद में औद्योगिक कनेक्शन पर रोक लगा दिये जाने के संबंध में।

11–बुनकरों को सस्ते दामों पर धागा उपलब्ध कराये जाने के संबंध में।

12–टाण्डा तापीय परियोजना टाण्डा जनपद फैजाबाद के प्रभावित काश्तकारों को नौकरी देने के संबंध में।

13–विद्युत की बढ़ी हुई दर से पावरलूम को राहत दिये जाने के संबंध में।

14–अकबरपुर जनपद फैजाबाद में चीनी मिल लगाए जाने के संबंध में ।

9–श्री यदुनाथ सिंह–

प्रस्ताव के अन्त में निम्नलिखित जोड़ दिया जाय :–

"किन्तु खेद है कि राज्यपाल ने अपने अभिभाषण में निम्नलिखित के संबंध में कोई उल्लेख नहीं किया :–

1–प्रदेश के किसानों कामदारों के भुखमरी का उल्लेख के संबंध में।

2–गन्ना किसानों के गन्ना खरीद सुनिश्चित किये जाने तथा गन्ना मूल्यों के भुगतान नहीं होने के संबंध में।

3–वाराणसी के साम्प्रदायिक दंगों के कराने के संबंध में।

4–प्रदेश सरकार को राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ द्वारा चलाये जाने के संबंध में।

5–दुद्धी लुम्बनी मार्ग पर प्रस्तावित पुल बनाए जाने के संबंध में ।

6–चुनार मिर्जापुर में गंगा नदी पर पीपे के पुल का पथकर समाप्त करने तथा महाविद्यालय चुनार तहसील में मुंसिफ मजिस्ट्रेट कोर्ट स्थापित करने के संबंध में।

7–पूरे प्रदेश में विकास कार्यों के ठप्प होने के संबंध में।

8–गोण्डा परसपुर में छात्रों पर गोलीकाण्ड के संबंध में।

9–छात्रों को नकल करते समय अभिभावकों एवं अध्यापकों पर दण्डनीय अपराध बनाकर विद्या बल को पुलिस बल में बदलने के संबंध में ।

10–बिजली दर, खाद दर एवं महंगाई के बढ़ने के संबंध में ।

11–अहरौरा जलाशय, जरगो जलाशय रिहन्द जलाशय, अपर खजुरी जलाशय से सितम्बर माह में अतिरिक्त पानी छोड़ने से करोड़ों रुपये की जनधन की क्षति होने के संबंध में।

12–एकता यात्रा से पूरे प्रदेश में दुर्भावना फैलने के आशंका के संबंध में। यह स्पष्ट है कि बी0 जे0 पी0 सरकार साम्प्रदायिक सौहार्द तोड़कर जै श्रीराम नारा के अंतर्गत रामलला आयेंगे, मंदिर वहीं बनायेंगे तिथि नहीं बतायेंगे इसका कोई उल्लेख नहीं किया गया है।

13–बन्देमातरम के नाम पर भारत माता की जै के साथ धरती से जुड़े हुए खेतों और खलिहानों से जुड़े हुए करोड़ों व्यक्तियों के मन में ठेस पहुंचाने के संबंध में।

14–पूरे प्रदेश में सरकार नाम की कोई चीज नहीं है नौकरशाही का बोलबाला है, कामरेड राम प्रसाद सिंह एम0एल0ए0 बांदा एवं सर्वश्री डी0पी0 यादव एम0एल0ए0 बुलन्दशहर, अतीक अहमद एम0एल0ए0 इलाहाबाद जैसों को रा0 सु0 का0 ए0 गैंगस्टर एक्ट में बन्दी बनाने के संबंध में।''

10–श्री विश्वनाथ–

प्रस्ताव के अन्त में निम्नलिखित जोड़ दिया जाय :–

''किन्तु खेद है कि श्री राज्यपाल ने अपने अभिभाषण में निम्नलिखित के संबंध में कोई उल्लेख नहीं किया :–

1–प्रदेश की प्राथमिक, माध्यमिक और उच्च शिक्षा में व्याप्त भ्रष्टाचार व एक तरह की शिक्षा का उल्लेख करने के संबंध में।

2–दलित पिछड़े और अल्पसंख्यकों को 60 प्रतिशत आरक्षण दिए जाने का उल्लेख करने के संबंध में ।

3–स्वास्थ्य विभाग की सेवाओं को ग्रामीण अंचल में सुलभ कराने का उल्लेख के संबंध में ।

4–पूर्वी उत्तर प्रदेश के विकास के लिए कृषि पर आधारित उद्योगों की स्थापना के संबंध में ।

5–देवरिया जनपद के ऐतिहासिक स्थलों के विकास के संबंध में ।

6–देवरिया जनपद की नारायणी नदी जो देवरिया जनपद के उत्तरांचल व पूर्वान्चल में बाढ़ द्वारा व कटाव द्वारा अनिष्ठ करती है से निजात दिलाने के संबंध में ।

7–देवरिया जनपद के तमकुही रामऊर सड़क उ0 प्र0 और बिहार को जोड़ती है और अन्तरप्रान्तीय महत्व की है, के निर्माण के संबंध में ।

8–देवरिया जनपद की झरही नदी जो बाढ़ ही नहीं बल्कि नहरों के पानी के गिराए जाने के कारण क्षेत्र के लिए घोरतम अहितकर हो गयी है, में रिंग बांध योजना के कार्यान्वियन के संबंध में ।

9–देवरिया जनपद जो उत्तर प्रदेश में गन्ना उत्पादन में अग्रणी है, के गन्ना पेराई और समय से मूल्य भुगतान की विषम समस्या के समाधान के संबंध में ।

10–आवश्यक वस्तुओं के बढ़ते मूल्य और अनुपलब्धता पर नियंत्रण कर उचित मूल्य पर सुलभ कराने की सगुण कार्यवाही के संबंध में ।

11–देवरिया जनपद में बालिकाओं की माध्यमिक शिक्षा प्राप्त करने के लिए सरकारी कन्या कालेजों की स्थापना के संबंध में ।

12–देवरिया जनपद के खनुआ नदी के त्रिमुहानी घाट पुल तथा झरही नदी पर ग्राम डिबनी, बसन्तपुर घोरट और संरहवां के सामने पुल बनाए जाने के संबंध में ।

13–देवरिया जनपद में साम्प्रदायिक तनाव और पुलिस जो सुनियोजित ढंग से सरकारी दल द्वारा चलाया जा रहा है उसे समाप्त करने का उल्लेख करने के संबंध में ।"

11–श्री दलवीर सिंह–

प्रस्ताव के अन्त में निम्नलिखित जोड़ दिया जाय :–

"किन्तु खेद है कि श्री राज्यपाल ने अपने अभिभाषण में निम्नलिखित के संबंध में कोई उल्लेख नहीं किया है :–

1–जनपद अलीगढ़ के हरदुआगंज, तापीय विद्युत गृह के (अ) पावर हाउस को इस वित्त वर्ष में धन उपलब्ध करा के पुनर्जीवित कर मजदूरों को रोजगार देने के संबंध में।

2–एसडैम में अधिग्रहीत भूमि के कृषकों के बालकों को रोजगार दिलाने के संबंध में।

3–क्षेत्र बरौली में निर्माणाधीन विद्युत गृह बीरपुरा, भरतरी तथा प्रस्तावित बरौली बिजली घरों को शीघ्र चालू कराने के संबंध में ।

4–बरौली क्षेत्र में पेयजल व्यवस्था हेतु शीघ्र हैण्ड पम्प लगवाये जाने के संबंध में।

5–गयाना बरौली, जी0 टी0 रोड से कलुआ, जी0 टी0 रोड से रायट, सौमना खैर रोड से बरका, तिसारा, रामपुर, चन्डौंस मार्ग से कसेरू व डावर मार्ग, सुनामई मार्ग को पूर्ण कराने के संबंध में ।

6–बीरपुरा, गयाना, बिसारा, दारुू, ऊयरी, कसेरू, साथा, जवां, बरौली, सांगरा पिलौना, तालिबनगर, लोधा पर टंकी बनवाने के संबंध में ।

7–कसेरू, किनुआ, बीरपुरा, जिरौली, बिसारा, बौती, टमकोली, पिलौना, कलुवा, जमालपुर जाटान, अमरौली, रामपुर, शाहपुर रायठ पर उप स्वास्थ्य केन्द्र बनवाने के संबंध में ।''

12–श्री विजय सिंह राणा–

प्रस्ताव के अंत में निम्नलिखित जोड़ दिया जाय :–

''किन्तु खेद है कि श्री राज्यपाल ने अपने अभिभाषण में निम्नलिखित के संबंध में कोई उल्लेख नहीं किया :–

1–प्रदेश का शासन किसी राजनैतिक चिन्तन और राजनैतिक सोच समझ वाले किसी राजनैतिक दल के द्वारा नहीं चलाये जाने के फलस्वरूप प्रदेश का लोकतांत्रिक, धर्मनिरपेक्ष स्वरूप विखण्डित होने के संबंध में।

2–प्रदेश के आर्थिक पिछड़ेपन की स्थिति से निपटने के लिए कोई समय-बद्ध कार्यक्रम बनाये जाने के संबंध में।

3–किसान जनता की ज्वलन्त समस्याओं के लिए कोई कारगर ठोस और प्रभावी योजनायें प्रस्तुत करने के संबंध में।

4–आगरा और मथुरा जिलों की भयंकर पेयजल की समस्या के निराकरण के संबंध में।

5–आगरा और मथुरा जिलों में किसानों के लिए सिंचाई की समस्या के संबंध में।''

13–श्री देवेन्द्र पाल सिंह–

प्रस्ताव के अन्त में निम्नलिखित जोड़ दिया जाय :–

''किन्तु खेद है कि श्री राज्यपाल ने अपने अभिभाषण में निम्नलिखित के संबंध में कोई उल्लेख नहीं किया है :–

1–शाहजहांपुर जनपद के ग्रामीण क्षेत्र के लिए 20 जूनियर हाईस्कूल नए खोले जाने के संबंध में ।

2–शाहजहांपुर व अन्य तराई के जिलों में आत्म रक्षा की दृष्टि से शस्त्र लाइसेंस दिए जाने के संबंध में ।

3–जनपद शाहजहांपुर के मुमुक्ष आश्रम से चांदपुर होते हुए चौहानपुर मार्ग 11 कि0मी0 की पी0 डब्लू0 डी0 विभाग द्वारा राज्य सेक्टर से पूर्ण कराये जाने के संबंध में ।

4–शाहजहांपुर के राष्ट्रीय मार्ग पर बाई पास निर्माण तुरन्त कराए जाने के संबंध में ।

5–शाहजहांपुर की ब्लाक जलालाबाद में बहगुल नदी पर बुधयाना गांव पर छोटे पुल के निर्माण के संबंध में ।

6–शाहजहांपुर की टाउन एरिया काट में छात्र-छात्राओं की शिक्षा हेतु इण्टरमीडिएट स्कूल की स्थापना किए जाने के संबंध में ।

7–शाहजहांपुर की नगर पालिका तिलहर में डिग्री कालेज खोले जाने के संबंध में ।

8–शाहजहांपुर की ब्लाक भावल खेड़ा के ग्राम सरासवां व पड़रा सिकन्दरपुर में सुस्तों नाले पर राज्य सैक्टर से छोटे छोटे पुलों के निर्माण के संबंध में ।

9–शाहजहांपुर की रिपोर्टिंग चौकी मदनापुर को थाना बनाये जाने के संबंध में।

10–शाहजहांपुर के कांठ थानों के अंतर्गत कुरिर्या कला पुलिस चौकी को रिपोर्टिंग चौकी बनाये जाने के संबंध में ।

11–शाहजहांपुर के कुरिर्या कला चौहनापुर पी0 डब्लू0 डी0 मार्ग पर क्षतिग्रस्त छोटे पुल को राज्य सरकार द्वारा तुरन्त ठीक कराए जाने के संबंध में ।

12–शाहजहांपुर की गल्ला खपत को देखते हुए ब्लाक कांट व जलालाबाद के बीच एक नयी चीनी मिल लगाये जाने के संबंध में ।

13–जनपद शाहजहांपुर के ग्रामीण क्षेत्र में क्षतिग्रस्त 80 प्रतिशत विद्युतीकृत लाइन को सरकार द्वारा तुरन्त ठीक कराये जाने के संबंध में ।

14–नगर शहर शाहजहांपुर की जर्जर सड़कों की मरम्मत, गन्दगी सफाई, विद्युत अव्यवस्था को सुचारू रूप दिए जाने के संबंध में ।

15–जनपद शाहजहांपुर में निरन्तर बढ़ रही लूट, चोरी, डकैती व हत्याओं के रोकने के प्रयासों तथा दोषी उच्चाधिकारियों के विरुद्ध कार्यवाही किए जाने के संबंध में ।

16–शाहजहांपुर की ब्लाक ददरौल ग्राम कादरदह उर्फ लिलथरा पर गर्रई नाले पर छोटे पुल को राज्य सरकार द्वारा निर्मित कराये जाने के संबंध में।

17–शाहजहांपुर की ब्लाक कज्ट के ग्राम बाबरपुर सिकन्दरपुर खुर्द, हुसैनपुर दौलतपुर तथा ब्लाक की ग्राम पींग में नहर विभाग के जे0 ई0 व उच्चाधिकारियों की लापरवाही से कटी नहर से हुई तबाही से कृषकों को मुआवजा दिए जाने तथा दोषी कर्मचारियों के विरुद्ध कार्यवाही किए जाने के संबंध में ।''

14–श्री स्वामी नाथ यादव–

प्रस्ताव के अन्त में निम्नलिखित जोड़ दिया जाय :–

"किन्तु खेद है कि श्री राज्यपाल ने अपने अभिभाषण में निम्नलिखित के संबंध में कोई उल्लेख नहीं किया :–

1–उत्तर प्रदेश के किसानों के राहत के लिए कोई ठोस योजना बनाई जाने के संबंध में,

2–महंगाई पर तत्काल रोक लगाने हेतु ठोस नीति निर्धारण के संबंध में ।

3–धर्म निरपेक्षता को कायम रखने के लिए सरकार की स्पष्ट नीति की घोषणा के संबंध में,

4–देवरिया जनपद में छोटी नदी गण्डक के चनूकी घाट पर पुल का निर्माण कराये जाने के संबंध में,

5–देवरिया जनपद के सलेमपुर तहसील में मुन्सफी न्यायालय की स्वीकृति हो चुकी है, उसे तत्काल देवरिया से सलेमपुर स्थानान्तरित कराये जाने के संबंध में,

6–सलेमपुर तहसील (देवरिया) के लार में कागज का कारखाना लगाने के संबंध में,

7–घाघरा नदी (देवरिया) के भागलपुर में निर्माणाधीन पुल का कार्य शीघ्र शुरू कराये जाने के संबंध में,

8–देवरिया रेलवे लाईन के पश्चिमी ओवर ब्रिज का निर्माण तत्काल पूरा कराये जाने के संबंध में,

9–सलेमपुर (देवरिया) के मझौली राज में प्रस्तावित 30 शैय्या के अस्पताल का शुभारम्भ कराये जाने के संबंध में,

10–भटनी से सलेमपुर (देवरिया) की सार्वजनिक निर्माण की सड़क को पक्की बनाई जाने के संबंध में,

11–सब्रेजी, नोनापार, दनउर-नोनापार तथा नोनापार से सलेमपुर की सार्वजनिक निर्माण विभाग की सड़क को पक्की बनाई जाने तथा अधूरे निर्माण को पूरा किये जाने के संबंध में,

12–देवरिया का सबसे पिछड़ा तहसील सलेमपुर के सभी गांवों का विद्युतीकरण कराये जाने के संबंध में,

13–मुसैला से मईल तथा सोनूघाट से बरहज की सड़क को जोड़ने वाली सड़क भलुअनी से महुई श्रीकान्त तक पक्की बनाई जाने के संबंध में,

14–दनउर के उसरहवा, मड़पही, मालीबारी बड़कागांव, नरंगा, मझौली राज भगड़ा, छोटका गांव, सलेमपुर के क्षेत्र के सभी गांवों में सिंचाई की व्यवस्था हेतु नलकूप लगाये जाने के संबंध में,

15–सेवायोजन कार्यालय को सलेमपुर (देवरिया) में स्थापित कराये जाने के संबंध में।

16–सलेमपुर में स्वीकृत आई0 टी0 आई0 का निर्माण तथा पढ़ाई शीघ्रातिशीघ्र करायी जाने के संबंध में,

17–मण्डल कमीशन को तत्काल लागू करने की व्यवस्था के संबंध में,

18–पिछड़ी जातियों के छात्रों को छात्रवृत्ति देने की घोषणा के संबंध में,

19–प्रदेश में कानून व्यवस्था बिल्कुल अपंगु हो गयी है, आतंकवाद फैल चुका है, चोरी, डकैती, कत्ल जोरों पर बढ़ रहा है, इसे रोकने हेतु सरकार की स्पष्ट नीति की घोषणा के संबंध में,

20–पूर्वी उत्तर प्रदेश को अत्यधिक पिछड़ेपन से दूर करने हेतु आयोग का गठन किये जाने के संबंध में,

21–सभी माध्यमिक तथा पूर्व माध्यमिक गैर सहायता प्राप्त विद्यालयों को अनुदान सूची पर लेने हेतु ठोस नियम का निर्धारण के संबंध में।''

15–श्री हरिवंश सहाय–

प्रस्ताव के अन्त में निम्नलिखित जोड़ दिया जाय :–

''किन्तु खेद है कि श्री राज्यपाल ने अपने अभिभाषण में निम्नलिखित के संबंध में कोई उल्लेख नहीं किया :–

1–मंडल कमीशन लागू करने के संबंध में।

2–धर्मनिरपेक्षता को कायम रखने के संबंध में।

3–बेतहाशा महंगाई बढ़ने के संबंध में।

4–बहुराष्ट्रीय कम्पनियों को प्रदेश के भीतर जमीन न देने के संबंध में।

5–विदेशी कम्पनियों के बने सामानों के बहिष्कार करने के संबंध में ।

6–स्थानान्तरणों में घोर भ्रष्टाचार, भाई भतीजावाद एवं जातिवाद समाप्त करने के संबंध में।

7–गन्ने के दाम 60 रु0 प्रति क्विंटल घोषणा कटौती के संबंध में तथा क्रय केन्द्रों से तीन रुपए प्रति क्विंटल कटौती बन्द करने के संबंध में ।

8–पिछड़ी जातियों के छात्रों को अनिवार्य रूप से छात्रवृत्ति देने के संबंध में।

9–चोरी, डकैती, कत्ल, लूट एवं राहजनी को रोकने के संबंध में।

10–बेरोजगारों को काम या बेरोजगारी का भत्ता देने के संबंध में।

11–नौकरियों में भरती पर लगे रोक को हटाने के संबंध में ।

12–पूर्वी उ0 प्र0 के आर्थिक पिछड़ेपन को दूर करने के लिए आयोग गठन के संबंध में।

13–सभी माध्यमिक एवं पूर्व माध्यमिक गैर सहायता प्राप्त विद्यालयों को अनुदान सूची पर लाने के संबंध में।

14–शिक्षा का राष्ट्रीयकरण किये जाने तथा दोहरी शिक्षा व्यवस्था को समाप्त करने के संबंध मे।

15–60 वर्ष के सभी वृद्ध व्यक्तियों को अनिवार्य रूप से पंन्शन देने के संबंध में।

16–कृषि को उद्योग का दर्जा देने के संबंध में।

17–महंगाई पर रोक लगाने के लिए दाम बाधों नीति अपनायी जाने के संबंध में।

18–महिलाओं के उत्थान की सुनिश्चित नीति की घोषणा करने के संबंध में।

19–कृषि उपजों और कल कारखानों की उपजों में सन्तुलन बनाये रखने के संबंध में ।

20–कृषि उपजों का लाभकारी मूल्य दिलाने के संबंध में ।

21–अंशकालिक नलकूप चालकों को पूर्ण वेतनमान देने के संबंध में ।

22–लोक निर्माण विभाग एवं जिला परिषद् की सड़कों पर कार्यरत मजदूर, बेलदार व मेटों को स्थायी करने के संबंध में ।

23–फसल का बीमा योजना लागू करने के संबंध में।

24–खराब नलकूपों को ठीक करने एवं नालियों को बनाने के संबंध में ।

25–छोटे किसानों को सस्ती बिजली, सस्ता पानी, सस्ती खाद तथा कीट-नाशक दवा देने के संबंध में।

26–महिलाओं तथा हरिजनों पर हो रहे अत्याचार को रोकने के संबंध में।

27–सार्वजनिक वितरण प्रणाली को चुस्त एवं दुरुस्त करने के संबंध में।

28–भाटपाररानी में नई चीनी मिल निर्माण के संबंध में।

29–देवरिया जनपद के प्रतापपुर शुगर मिल के प्रबन्धकों द्वारा व्यापक पैमाने पर तौल में कटौती रोकने के संबंध में।

30–मालवीय आयुर्वेद कालेज भाटपार रानी जिला देवरिया द्वारा बी0 ए0 एम0 एस0 की फर्जी डिग्री देने के लिए छात्रों से डोनेशन के नाम पर लाखों रुपये वसूलने की जांच करने के संबंध में।

31–देवरिया जनपद में :–

(क) कृषि विश्वविद्यालय खोलने के संबंध में।

(ख) भाटपाररानी को तहसील बनाने के संबंध में।

(ग) सलेमपुर में मुन्सफी न्यायालय खोलने के संबंध में।

(घ) भाटपाररानी में पेपर मिल खोलने के संबंध में।

(ङ) भटनी में नई चीनी मिल के निर्माण को तत्काल चालू करने के संबंध में।

(च) बनकटा में राजकीय कोल्ड स्टोरेज के निर्माण के संबंध में।

(छ) भाटपार रानी क्षेत्र में मसाला उद्योग स्थापित करने के संबंध में।

(ज) बनकटा, किंगारी बाजार तथा घाटी में विद्युत सब स्टेशन बनाने के संबंध में।

32–जिला देवरिया तहसील सलेमपुर के गांव सोहनपुर, खागपार, रामपुर बाजार, भिंगारी बाजार, बंगए बाजार तथा घाटी बाजार को टाउन एरिया घोषित करने के संबंध में।

33–देवरिया जनपद के ब्लाक भटनी के अंतर्गत खनुआ नदी पर खैराट तथा बकुआ अफगान व रायवारी में पक्का पुल बनाने के संबंध में।

34–देवरिया जनपद के नूनखार, सठियाव, डस्परी घाटी, झुकुर घाटी, रघुनाथपुर, भिंगारी बाजार, खामपार, प्रतापपुर तथा सोहनपुर के प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों का पक्का भवन बनाने के संबंध में।

35–राज्य विद्युत परिषद् द्वारा देवरिया जिले में ट्रांसफारमर, खम्भे, कण्डक्टर आदि की कमी को दूर करने के संबंध में।

36–भाटपार रानी क्षेत्र में पालीटेक्निक स्कूल खोलने के संबंध में।

37–देवरिया जिले के भटनी एवं भाटपार रानी में पेयजल योजना के अधूरे निर्माण को पूरा कर चालू करने के संबंध में।

38–जंगल पार्टी तथा आतंकवाद की समस्या की समाप्ति हेतु देवरिया जनपद में उ0 प्र0 तथा बिहार सीमा के बीच पक्की सड़कों का निर्माण तथा बिजली लगाने के सम्बन्ध में ।

39–देवरिया जनपद में प्राइमरी स्कूलों तथा माध्यमिक विद्यालयों में छात्रों के बृद्धि को देखते हुए तत्काल अध्यापकों की भर्ती करने के सम्बन्ध में ।

40–देवरिया जनपद की सभी नदियों को गहरा किया जाय तथा उसे पक्की नहरीकरण योजना में बदलने के संबंध में।

41–देवरिया जनपद के ब्लाक भटनी में खनुआ नदी पर ग्रा0 विन्दवलिया तथा धर्मखोर दूबे तथा छोटी गंडक नदी पर ग्रा0 भटिचौरा सठियांव, तेनुआ तथा बनकटा शिव व बनकटा तिवारी में ठोकर बनाने के संबंध में ।

42–देवरिया जनपद के बनकटा, भाटपार रानी एवं भटनी ब्लाकों के गांवों में प्राथमिकता के आधार पर नलकूप तथा बिजली लगाने के संबंध में।

43–देवरिया जनपद में बैकुण्ठपुर में भवानीछापर, प्रतापपुर, रामपुर बुजुर्ग होते हुए हथपुरा तक चिहारी सीमा की बाउन्ड्री पर सड़क को बनाने के संबंध में।

44–भाटपार रानी जिला देवरिया में खनुआ नदी के किनारे बांध तथा रेगु-लेटर का कार्य पूरा करने के संबंध में।

45–न्याय पंचायतों के गठन के संबंध में।

46–देवरिया जिले के बनकटा, भाटपार रानी एवं भटनी ब्लाकों में महिला हाई स्कूल खोलने के संबंध में।

47–आई0 आर0 डी0 योजना में लूट खसोट को रोकने के लिए युद्धस्तर पर जांच एवं कार्यवाही कराने के संबंध में ।

48–दस लाख कूप योजना में व्याप्त भ्रष्टाचार रोकने तथा जांच करने के संबंध में।

49–जवाहर रोजगार योजना में की जा रही घोर अनियमितता को रोकने के संबंध में।

50–देवरिया जनपद में छोटी गंडक नदी पर बनकटा, शिव, सठियाव तथा चनुकी घाट पर पक्का पुल बनाने के संबंध में।

51–सड़कों पर पुलिया के निर्माण के संबंध में।''

16–श्री धनीराम वर्मा–

प्रस्ताव के अन्त में निम्नलिखित जोड़ दिया जाय :–

''किन्तु खेद है कि श्री राज्यपाल ने अपने अभिभाषण में निम्नलिखित के संबंध में कोई उल्लेख नहीं किया है :–

1–बढ़ती हुई महंगाई पर रोकथाम हेतु किसी प्रभावी कार्यक्रम की घोषणा के संबंध में,

2–बेरोजगारों को रोजगार दिलाने अथवा उन्हें बेरोजगारी भत्ता देने की घोषणा के संबंध में,

3–काम के बदले अनाज कार्यक्रम की घोषणा नहीं की गयी है जिससे मजदूर काम के बदले अनाज पाकर अपना व अपने परिवार का पेट भर सकें, के संबंध में,

4–पिछली सरकार के अधूरे कार्यों को पूर्ण कराये जाने की घोषणा करने के संबंध में,

5–चीनी के मूल्य में वृद्धि के अनुपात में गन्ने के मूल्य में बढ़ोत्तरी की घोषणा न करने के संबंध में।

6–सभी कृषकों को पिछली सरकार की तरह यूरिया खाद की बोरी 115-00 रुपये में एवं डी0 ए0 पी0 की बोरी 190-00 रुपये की दिलवाने हेतु घोषणा

नहीं की गयी है जिससे खाद्यान्न कम होने की आशंका पैदा हो गयी है, के सम्बन्ध में,

7–गेहूं का मूल्य 350-00 रुपये प्रति कुन्तल एवं धान का मूल्य 300-00 रुपये प्रति कुन्तल करने की घोषणा के संबंध में,

8–पिछड़ी जाति एवं हरिजनों के बच्चों को कक्षा 6 से ही अनिवार्य रूप से छात्रवृत्ति दिलाने की घोषणा के संबंध में,

9–लोहा एवं सीमेंट की बढ़ती हुई कीमतों को कम करने की घोषणा के संबंध में,

10–आतंकवाद के रोकथाम में विफल सरकार को बर्खास्त न करने की घोषणा के संबंध में,

11–समूचे प्रदेश में बढ़ते हुए पुलिस उत्पीड़न की रोकथाम हेतु कोई प्रभावी घोषणा न करने के संबंध में,

12–सरकारी सस्ते गल्ले की दुकानों पर खाद्यान्न एवं अन्य आवश्यक वस्तुयें उपलब्ध कराने हेतु कोई प्रभावी कदम उठाये जाने की घोषणा न करने के संबंध में,

13–बिजली की बढ़ी हुयी दरों को कम करने हेतु घोषणा न करने के संबंध में,

14–त्रिवर्षीय डिग्री कोर्स समाप्त करने की घोषणा नहीं की गयी है जिससे छात्रों के जीवन का एक बहुमूल्य समय नष्ट होने से बचने के संबंध में,

15–सरकार की घोषणा के बाद बहुत काश्तकारों को कर्जमाफी की परिधि में आने के बाद भी 10,000 रुपया तक का कर्ज माफ न करने के संबंध में,

16–कृषि उपजों और कल कारखानों की उपजों के मूल्य में संतुलन कायम न करने के संबंध में,

17–प्रदेश में सिंचन क्षमता में वृद्धि के लिए कोई कारगर एवं ठोस उपाय न करने के संबंध में,

18–प्रदेश में शान्ति व्यवस्था के नाम पर पुलिस ने गोली चलाकर निरीह निर्दोषों को गोली से भूना लेकिन पुलिस प्रशासन के विरुद्ध न्यायिक जांच न कराये जाने के संबंध में,

19–प्रदेश का जनजीवन भय और दहशत से ग्रस्त होने के संबंध में,

20–सीलिंग कानून को प्रभावी बनाकर जमीन चोरों से जमीन निकालकर गरीबों में बांटी जाने की घोषणा न करने के संबंध में,

21–प्रदेश की बद से बदतर होती जा रही कानून व्यवस्था तथा बढ़ते जा रहे लूट, डकैती, बलात्कार व हत्याकाण्डों को रोकने में सरकार की विफलता के दृष्टिकोण से प्रभावी सुधार की किसी परिणामकारी योजना की घोषणा न करने के संबंध में,

22–प्रदेश में निरंकुश नौकरशाही की मनमानी तथा निरन्तर बढ़ रहे भयंकर रूप से भ्रष्टाचार को रोकने की घोषणा के संबंध में,

23–मंडल कमीशन के अनुसार आरक्षण कोटा को पूरा करने के लिए सक्षम कानून बनाने की घोषणा करने के संबंध में,

24—इटावा जनपद की विधूना तहसील के पुरहा नदी पर भसारा घाट पर एवं अहनैया घाट पर दिवरौल घाट पर पिछली सरकार द्वारा बनाये जा रहे अपूर्ण पुलों को पूर्ण कराये जाने की घोषणा न करने के संबंध में,

25—विधूना तहसील (जनपद-इटावा) की सहायक याकूबपुर, अछल्दा हरचन्दपुर, सहार-विधूना, इलाहाबाद ब्रांच के पटना नहर पुल से पूर्वी कमल सिंह नहर पुल तक विधूना-दिविदयापुर अपूर्ण सड़कों को पूर्ण कराये जाने की घोषणा न करने के संबंध में,

26—शिक्षा को व्यवसाय से जोड़े जाने के संबंध में,

27—जिन व्यक्तियों की आय 500 रु0 प्रति माह से कम हो उनके बच्चों की निःशुल्क शिक्षा, वस्त्र एवं भोजन की व्यवस्था के संबंध में,

28—प्रदेश के समस्त स्थायी मान्यता प्राप्त जूनियर हाई स्कूलों, हाई स्कूलों, इण्टर कालेजों को सहायता प्राप्त विद्यालय घोषित किए जाने के संबंध में,

29—वित्त विहीन मान्यता प्राप्त हाई स्कूलों, इण्टर कालेजों को सवित्त मान्यता प्राप्त घोषित किए जाने, के संबंध में,

30—जूनियर हाई स्कूलों की मान्यताओं की शर्तों में शिथिलता बरतने के संबंध में,

31—प्रत्येक सहायता प्राप्त इण्टर कालेज में एकाउन्टेंट पद सृजित किये जाने के संबंध में,

32—समस्त सम्बद्ध प्राइमरी पाठशालाओं का चाहे वे जूनियर हाई स्कूलों से सम्बन्ध हों या हाई स्कूलों एवं इन्टर कालेजों से सम्बद्ध हों उन्हें सहायता प्राप्त घोषित किए जाने राज्य सरकार ने प्राइमरी शिक्षा निःशुल्क घोषित किए जाने के संबंध में,

33—व्यक्तिगत प्रबंधतंत्र द्वारा संचालित वाचनालयों एवं पुस्तकालयों पर राज्य सरकार के प्रदेश के बजट का 5 प्रतिशत धन उपलब्ध कराने के संबंध में,

34—ऐसे सभी ग्रामों का विद्युतीकरण अनिवार्य रूप से करवाया जावे जहां इण्टर कालेज चल रहे हैं भले ही वह उपग्राम हो, के संबंध में,

35—प्रत्येक ग्राम चाहे ग्राम हो या उप ग्राम का विद्युतीकरण किए जाने के संबंध में,

36—ऋण की वसूली में उत्पीड़न की कार्यवाही रोक और खाने पीने का सामान कुर्क न किए जाने के संबंध में,

37—फसल बीमा सारे प्रदेश में लागू करने के संबंध में,

38—प्रत्येक ऐसे ग्रामों में जहां इंटर कालेज हो चिकित्सालय खोले जाने के संबंध में,

39—जिन नम्बरी ग्रामों की मतदाता संख्या 250 से अधिक हो गई है नियमानुसार पृथक ग्राम सभा घोषित करने के संबंध में,

40—नालों की सफाई 15 जून से पहले कराया जाना सुनिश्चित कराये जाने के संबंध में,

41—भारतीय जनता पार्टी के चुनावी वायदे के अनुसार सबको रोटी सबको काम दिलाने के संबंध में,

42–प्रत्येक ग्राम पंचायत स्तर पर एक कुटीर उद्योग एवं अदालत पंचायत स्तर पर लघु उद्योग एवं ब्लाक स्तर पर बड़ा उद्योग स्थापित करने के संबंध में,

43–500 से अधिक आबादी वाले ग्रामों को मुख्य सड़कों से जोड़ने के संबंध में,

44–वार्षिक परीक्षाओं के समय 24 घंटे बिजली देने के संबंध में,

45–सजपा सरकार द्वारा घोषित भूमि सेना का गठन करने के संबंध में,

46–उद्योग शून्य तहसीलों में डेयरी फार्म खुलवाने के संबंध में,

47–हमारे निर्वाचन क्षेत्र बिधूना में बहने वाली अहनैया नदी पर ग्राम सलेमपुर के निकट एवं अरिन्द नदी पर पिपरौलिया अथवा लखुना घाटों पर पुल बनवाये जाने के संबंध में,

48–5 एकड़ से कम भूमि वाले सभी वृद्धों को 150 रु0 प्रतिमाह पेंशन दिये जाने के संबंध में,

49–प्रदेश की सभी विधवाओं एवं अपंगों को अनिवार्य रूप से 150 रु0 प्रतिमाह पेंशन दिये जाने के संबंध में ।

50–भूमिहीन तथा 250 रु0 माह से कम आमदनी वाले व्यक्ति के लिए निःशुल्क आवास बनाये जाने के संबंध में,

51–भिक्षा मांग कर पेट पालने वाली जातियों को स्थायी रूप से बसाये जाने तथा उन्हें योग्यतानुसार रोजगार दिये जाने के संबंध में ।''

17–श्री सन्त बख्श रावत–

प्रस्ताव के अन्त में निम्नलिखित जोड़ दिया जाय :–

''किन्तु खेद है कि श्री राज्यपाल ने अपने अभिभाषण में निम्नलिखित के संबंध में कोई उल्लेख नहीं किया है :–

1–प्रदेश भर में तुरन्त पूर्व की सरकार तथा अन्य पूर्व सरकारों में ग्रामीण अंचल में ग्रामीण सम्पर्क मार्गों, सेतु एवं लघु सेतुओं का जो कार्य प्रारम्भ किया गया था जिसे मौजूदा सरकार ने रोक दिया है परन्तु चालू किये जाने के संबंध में,

2–प्रदेश में तुरन्त पूर्व सरकार ने किसानों को खाद एवं कीटनाशक औषधियों में जो अनुदान देकर सस्ता किया गया था । वह छूट आगे भी देकर उसे लागू रखेंगे तथा रासायनिक उर्वरक सस्ते करने के संबंध में,

3–प्रदेश के किसानों को उपज का लाभकारी मूल्य आगामी फसल से अवश्य दिये जाने के संबंध में,

4–प्रदेश में तुरन्त पूर्व की सरकार ने प्रत्येक तहसील में एक कन्या इण्टर कालेज स्थापित किये जाने के आदेश को तत्काल लागू किये जाने तथा आगामी शिक्षा सत्र से विद्यालय चालू होने के संबंध में,

5–प्रदेश के ग्रामीण अंचलों के प्रत्येक विधान सभा क्षेत्र में कम से कम एक विकास खण्ड में एक डिग्री कालेज की स्थापना करने के संबंध में,

6–लखनऊ जिले में तहसील मोहनलालगंज में शारदा सहायक पोषक नहर की दाहिनी पटरी के 22 हजार हेक्टेयर क्षेत्रफल के जो किसान पहले नहरों से सिंचाई करते थे और जो अब असिंचित हो गया है उसमें शारदा सहायक पोषक नहर तथा शारदा नहर और राजकीय नलकूपों द्वारा इसी वर्ष से पोषित किये जाने और किसानों को सिंचाई सुविधा उपलब्ध कराने के संबंध में,

7–प्रदेश सरकार के अधीन सभी विभागों, निगमों एवं सार्वजनिक प्रतिष्ठानों में सभी संवर्गों में अनुसूचित जाति/जनजाति का आरक्षण कोटा इसी वर्ष पूर्ण किये जाने के संबंध में ।''

18–श्री राम ललित चौधरी–

प्रस्ताव के अन्त में निम्नलिखित जोड़ दिया जाय :–

''किन्तु खेद है कि श्री राज्यपाल ने अपने अभिभाषण में निम्नलिखित का कोई उल्लेख नहीं किया है :–

1–जिला बस्ती के विकास खण्ड रुधौली के अंतर्गत शिवाघाट पुल के निर्माण को पूरा कराने के संबंध में,

2–जिला बस्ती में टिनिच-गौर मार्ग पर 30 मी0 स्पैन के पुल निर्माण के सम्बन्ध में,

3–जिला बस्ती के सबसे पिछड़े विधान सभा क्षेत्र राम नगर में अति महत्वपूर्ण एवं उपेक्षित मार्ग जैसे महनुआ-दसिया, नरखोरिया से मझारी होते हुए पिरैला, सल्टौवा से रूदलपुर होते हुए मुड़बरा, मझौवाभीर से हनुमानगंज, लोहरौली से पकरी जई मार्ग, नारायणपुर से नमैचा, नरखोरिया से अहिरौला होते हुए सगरा, परसालाल शाही से पलान होते हुए तरेता आदि कच्चे मार्गों पर मिट्टी से कम सोलिंग एवं लेपन स्तर तक निर्माण के संबंध में,

4–रेरूआ नाला व रेहावर नाला पर पुल ठगहवा पर पुल, मथुरापुर के पास पुल, रौना कला से डुमरी मार्ग पर पुल आदि के निर्माण के संबंध में,

5–जनपद बस्ती में लालगंज में 30 मीटर का पुल एवं टांडा के पास घाघरा में बड़े पुल के निर्माण के संबंध में,

6–जनपद बस्ती में नये नलकूपों का निर्माण एवं पुराने नलकूपों के मरम्मत के संबंध में,

7–बस्ती-बांसी मार्ग एवं बस्ती-डुमरियागंज मार्ग के सभी प्रमुख चौराहों पर बढ़ती हुई आबादी को देखते हुए इंडिया मार्का हैण्ड पम्प एवं बिजली की व्यवस्था के संबंध में,

8–15 प्रतिशत वार्षिक वापसी योजना के तहत कम से कम 3 व्यक्ति के बिजली लेने पर एक पोल फ्री देने के संबंध में,

9–वर्ष 1991 में लखनऊ हाई कोर्ट द्वारा बाबरी मस्जिद के मरम्मत आदेश के बावजूद सरकार द्वारा उसका पालन न किये जाने के संबंध में,

10–माह अक्टूबर-नवम्बर में अयोध्या में विवादित बाबरी मस्जिद को क्षतिग्रस्त करने एवं उस पर झण्डा फहराने के लिए उपद्रवी तत्वों द्वारा किये गये प्रयास के विरुद्ध सरकार द्वारा आज तक कोई कार्यवाही न किये जाने के सम्बन्ध में ।

11–प्राइमरी स्तर एवं जूनियर स्तर में नियुक्त स्कूल माताओं के वेतन को अन्य चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों के बराबर करने के संबंध में,

12–फार्मासिस्टों को पूर्व की भांति रजिस्ट्रेशन के आधार पर नि[illegible] के संबंध में,

13–पूरे उत्तर प्रदेश का विकास कार्य प्रायः ठप् सा हो गया है जिसे आरम्भ कराने के संबंध में ।

14–गन्ना किसानों की समस्याओं के सम्बन्ध में ।

15–कुर्सी रोड विस्तार योजना लखनऊ विकास प्राधिकरण द्वारा किसानों की भूमि के मुआवजे के संबंध में ।

16–लखनऊ शहर में पटरी दुकानदारों की समस्याओं के संबंध में।

17–जनपद-बस्ती में खलीलाबाद शुगर मिल पुनः चलाये जाने के संबंध में ।

18–जूनियर हाई स्कूल स्थायी मान्यता के लिए 8 कमरे लिन्टर का प्रतिबन्ध हटाकर हाई स्कूल की भांति मान्यता प्रदान करने के सम्बन्ध में ।

19–जूनियर हाई स्कूल एवं हाई स्कूल तथा इण्टर के विद्यालयों में क्षतिपूर्ति हमेशा की भांति देने के सम्बन्ध में ।

20–किसानों व बुनकरों का बकाये के नाम पर किये जा रहे उत्पीड़न को बन्द करने तथा खाद एवं बिजली की बढ़ी दरों को वापस लेने आदि के संबंध में ।

21–पिछड़ों और दलितों पर हो रहे पुलिस उत्पीड़न को रोकने के संबंध में।''

19–श्री अरदमन सिंह–

प्रस्ताव के अंत में निम्नलिखित जोड़ दिया जाय :–

''किन्तु खेद है कि श्री राज्यपाल ने अपने अभिभाषण में निम्नलिखित का उल्लेख नहीं किया है :–

1–भा0 ज0 पार्टी के भय रहित समाज संरचना में बढ़ते हुए आतंकवाद विशेषकर तराई क्षेत्र में आतंकी गतिविधियों का उल्लेख ।

2–अर्द्ध एवं पूर्ण शिक्षित एवं बेरोजगार युवकों को रोजगार देने के संबंध में।

3–बाबा अम्बेडकर जन्म शताब्दी के अन्तर्गत आदर्श ग्राम व सर्वांगणीय विकास को अवरुद्ध कर देने के संबंध में ।

4–आगरा जनपद में चम्बल डाल परियोजना को तात्कालिक प्रभाव से पूर्ण करने के संबंध में ।

5–बालिकाओं की शिक्षा हेतु विशेषकर ग्रामीण क्षेत्र में ब्लाक स्तर पर बालिका हायर सेकेण्डरी स्कूलों के खोलने के संबंध में।

6–धौलपुर में तापीय विद्युत उत्पादन केन्द्र बनाने से आगरा के ऊपर पड़ने वाले पर्यावरण संबंधी प्रभावों के संबंध में ।

7–आगरा जनपद के पिनहट पर चम्बल नदी पर बनने वाले पुल का निर्माण कार्य, प्रारम्भ कराने के संबंध में ।

8–जिलायोजना के अन्तर्गत प्रस्तावित एवं अनुमोदित योजनाओं की कटौती किए जाने के संबंध में ।

9–उत्तर प्रदेश में सहकारी आन्दोलन को गतिशील बनाने हेतु लोकतांत्रिक रूप देने के संबंध में ।

10–जनपद उन्नाव के विकास खण्ड बिछिया में बालिकाओं की शिक्षा दिलाने हेतु ग्राम तौरा में एक कन्या हायर सेकेण्डरी स्कूल की स्थापना के संबंध में ।

11–वर्ष 1987-88, 1988-89, 1989-90 तथा 1990-91 एवं फरवरी, 1991-92 तक हुए जनपद उन्नाव में विकास खण्ड बिछिया, पुरवन एवं असोहा बिजली तारों से चोरी विद्युत उपभोक्ताओं मिनिमम चार्जेज एवं बिल माफ न होने के संबंध में ।

12–जनपद उन्नाव में विद्युत लाइन चोरी होने पर महीनों लाइन न जोड़ी जाने के संबंध में ।''

20–श्री किशोरी लाल–

प्रस्ताव के अन्त में निम्नलिखित जोड़ दिया जाय :–

''किंतु खेद है कि श्री राज्यपाल ने अपने अभिभाषण में निम्नलिखित का उल्लेख नहीं किया है :–

1–विधान सभा क्षेत्र-मडियाहूं जनपद जौनपुर के जमुआ गांव के चारो तरफ 1 कि0 मी0 तक खारे पानी के संबंध में ।

2–जौनपुर मिर्जापुर पर मड़ियाहूं कस्बे में बाई पास बनाने के संबंध में ।

3–स्वतंत्रता प्राप्ति के 44 वर्षों बाद मड़ियाहूं के पचासों गांवों तक पहुंचने के लिए कोई सम्पर्क मार्ग न होने के संबंध में ।

4–विधान सभा मड़ियाहूं में सैकड़ों गांवों का विद्युतीकरण न किये जाने के संबंध में ।

5–गांवों के विकास के लिए कोई जिक्र न किये जाने के संबंध में ।

6–लार्ड मैकाले की चली आ रही शिक्षा नीति में परिवर्तन के लिए कोई ठोस उपाय का जिक्र न किये जाने के संबंध में ।''

21–श्री राम पाल वर्मा–

प्रस्ताव के अन्त में निम्नलिखित को जोड़ दिया जाय :–

''किन्तु खेद है कि श्री राज्यपाल ने अपने अभिभाषण में निम्नलिखित के संबंध में कोई उल्लेख नहीं किया :–

1–प्रदेश में व्यापक रूप से पनप रहे साम्प्रदायिक उन्माद के निराकरण के संबंध में ।

2–कृषि उपज का सही मूल्य व कृषि के आवश्यक संसाधनों की आपूर्ति के संबंध में ।

3–प्रदेश में शिक्षा के गिरते स्तर को सुधारने के संबंध में ।

4–बेरोजगार नौजवानों को रोजगार की गारन्टी देने के संबंध में ।

5–प्रदेश की जनता को आतंकवाद से मुक्ति दिलाने के संबंध में ।

6–बढ़ती हुई महंगाई, अव्यवस्था भ्रष्टाचार को रोकने के संबंध में ।

7–प्रदेश में अनुसूचित जाति, जनजाति व पिछड़े वर्ग के लोगो पर हो रहे अत्याचार को रोकने व उन्हें न्याय दिलाने के संबंध में ।

8–जनपद हरदोई के अन्तर्गत पूर्वी सीमा पर गोमती नदी में भटपुर घाट के पुल का निर्माण शीघ्र कराने के संबंध में।

9–जनपद हरदोई में अतरौली स्थित विद्युत उपकेन्द्र का निर्माण कराने के संबंध में ।

10–जनपद हरदोई की सबसे जर्जर टाउन एरिया बेनीगंज की स्थिति सुधारने के संबंध में ।''

22–श्री बलराम यादव–

प्रस्ताव के अन्त में निम्नलिखित को जोड़ दिया जाय :–

'किन्तु खेद है कि श्री राज्यपाल ने अपने अभिभाषण में निम्नलिखित के संबंध में कोई उल्लेख नहीं किया :–

1–इस सरकार ने प्रदेश में धर्मोन्माद फैलाकर नफरत के बीज बोने के सिवा सामाजिक, आर्थिक एवं राजनैतिक सभी क्षेत्रों में दिशा विहीनता का परिचय दिया है, प्रदेश का जन जीवन अस्त व्यस्त कर दिया है ।

2–कृषि को उद्योग का दर्जा दिए जाने के संबंध में ।

3–प्रदेश के किसानों के प्रयोग में आने वाले रासायनिक उर्वरकों, कीटनाशक दवाओं तथा कृषि उपकरणों में बेतहासा की गई मूल्य वृद्धि समाप्त करने के सम्बन्ध में ।

4–बेरोजगार नवजवानों को रोजगार की गारन्टी दिए जाने के संबंध में ।

5–सचरित्र एवं शान्तिप्रिय नागरिकों को अपनी सुरक्षा हेतु आग्नेयास्त्रों के लाईसेन्स दिए जाने के संबंध में ।

6–अनुसूचित जातियों एवं जनजातियों के आरक्षण के कोटे को पूर्ण किए जाने के संबंध में ।

7–बुनकरों के कर्ज माफ करने के संबंध में ।

8–पूर्व मुख्य मंत्री श्री मुलायम सिंह यादव की सरकार द्वारा पूर्वांचल के विकास हेतु स्थापित विकास निधि कायम रख कर 30 करोड़ से बढ़ाकर 100 करोड़ किए जाने के संबंध में ।

9–जनपद आजमगढ़ के किसानों की कठिनाइयों को देखते हुए कि किसान सहकारी मिल, छठियांव में केवल जनपद आजमगढ़ जनपद का ही गन्ना पेराई किए जाने के संबंध में ।

10–आजमगढ़ जनपद को उद्योग शून्य किए जाने तथा मण्डल का दर्जा दिए जाने के संबंध में ।

11–जनपद आजमगढ़ के अतरौलिया में प्रस्तावित चीनी मिल के निर्माण कार्य को प्रारम्भ कराये जाने के संबंध में ।

12–अतरौलिया विधान सभा के विकास खण्ड कोयलासा जनपद आजमगढ़ में निर्माणाधीन 132 के0 वी0 सब-स्टेशन पूर्ण कराये जाने के संबंध में।

13–निर्माणाधीन राजकीय बालिका विद्यालय अतरौलिया के भवन को पूर्ण कराकर बालिकाओं की शिक्षा प्रारम्भ किये जाने के संबंध में।

14–विकास खण्ड अतरौलिया, कोयलासा तथा अहरौला में औद्योगिक केन्द्र स्थापित करके प्रशिक्षण देकर लघु उद्योग स्थापित किये जाने के संबंध में ।

15–जनपद आजमगढ़ के विकास खण्ड अतरौलिया के गोहनारपुर अदालत पंचायत में दोहरी शासन प्रणाली समाप्त किए जाने के संबंध में ।

16—स्थायी मान्यता प्राप्त जू0 हा0 स्कूल बाबा बरुआदास बाजिदपुर, बू0 हा0 स्कूल मादेपुर विकास खण्ड कोयलसा तथा बाबा मुसईदास बू0 हा0 स्कूल भगवानपुर भदेवा, जू0 हा0 स्कूल चकचाँबे को तत्काल अनुदान सूची पर लिए जाने के सम्बन्ध में ।"

23—श्री अंगद सिंह यादव—

प्रस्ताव के अंत में निम्नलिखित जोड़ दिया जाय :—

किन्तु खेद है कि श्री राज्यपाल ने अपने अभिभाषण में निम्नलिखित के संबंध में कोई उल्लेख नहीं किया :—

1—प्रदेश में साम्प्रदायिक सद्भावना सुनिश्चित करने के लिए साम्प्रदायिक दलों, संगठनों, समूहों तथा गिरोहों पर प्रतिबन्ध लगाए जाने के संबंध में ।

2—प्रदेश में पूर्व मुलायम सिंह यादव सरकार द्वारा प्रारम्भ कराए गए व स्वीकृत विकास कार्यों को जनहित में पूर्ण धन देकर पूरा कराए जाने के संबंध में ।

3—श्री मुलायम सिंह यादव के नेतृत्व वाली पूर्व सरकार द्वारा गठित पूर्वान्चल विकास निधि में प्रति वर्ष पचास करोड़ रुपए देकर आजादी की लड़ाई में अग्रणी रहे पूर्वान्चल उ0 प्र0 के गांवों का विकास जनहित में सुनिश्चित किए जाने के संबंध में ।

4—प्रदेश के जिलाधिकारियों व परगनाधिकारियों को दायित्व सौंपा जाय कि सार्वजनिक वितरण प्रणाली के हित में संचालित सरकारी सस्ते गल्ले की दुकानों व मिट्टी तेल की दुकानों की उठान पुस्तिका, वितरण पुस्तिका और धारक के कार्डों के अनुसार वितरण सत्यापन सुनिश्चित करने तथा प्रति सप्ताह प्रति विकास खण्ड में कम से कम पांच दुकानों के वितरण का सत्यापन अनिवार्य कराये जाने के सम्बन्ध में ।

5—प्रदेश सरकार पिछड़े वर्ग के लिए 27 प्रतिशत आरक्षण से संबंधित मुकदमों की सक्षम पैरवी कराने तथा 52 प्रतिशत आबादी वाले नागरिकों को मात्र 27 प्रतिशत का आरक्षण न दिया जाना सामाजिक अन्याय होने के संबंध में ।

6—आजादी की लड़ाई में भाग लेने व भारत की राजनीति में दलित पिछड़े वर्ग व अल्पसंख्यकों को सामाजिक न्याय के लोकतांत्रिक अधिकार दिलाने के आन्दोलन का समय-समय पर नेतृत्व करने वाले महान नेता स्व0 डाक्टर राम मनोहर लोहिया, स्व0 डा0 भीमराव अम्बेदकर, स्व0 चौधरी चरण सिंह के जन-हित के सिद्धान्तों के प्रचार, प्रसार व विचार से संबंधित पुस्तक प्रकाशन के लिए विशेष कार्यक्रम चलाए जाने के संबंध में ।

7—बलिया जनपद के नगर बिल्थरा रोड में पूर्व प्रधान मंत्री स्व0 चौधरी चरण सिंह की आदमकद प्रतिमा, बलिया नगर में स्व0 डा0 राम मनोहर लोहिया व स्व0 शम्भू नाथ चौधरी की प्रतिमा स्थापित करने के लिए संबंधित स्मारक समितियों को पूर्ण धन दिए जाने के संबंध में ।

8—प्रदेश में सर्वाधिक पिछड़े भाग के सर्वांगीण विकास के लिए पूर्वान्चल विकास परिषद् गठित करने एवं उसमें समुचित धन दिए जाने तथा पूर्वान्चल विकास परिषद् उत्तरांचल विकास परिषद् जैसा अलग मंत्री के अन्तर्गत रखे जाने के संबंध में ।

9—मण्डल आयोग के मूल बिन्दुओं को प्रदेश सरकार कार्यक्रम बनाकर प्रचारित करने तथा लागू कराने के संबंध में ।

10—बलिया के छात्रों की पुलिस गोली काण्ड में हत्या, मऊ, गाजीपुर आजमगढ़ और गोण्डा जनपद में हुई छात्र हत्याओं की सी0 बी0 आई0 जांच कर कर दोषी व्यक्तियों को दण्डित कराए जाने के संबंध में ।

11—शाहजहांपुर जनपद के तिलहर थाने में भाजपा विधायक के नेतृत्व में पुलिस व गुण्डों के संयुक्त गोल द्वारा लोध किसानों के घरों की सामूहिक लूट, बलात्कार अपमान और अपहरण के दोषी व्यक्तियों को दण्डित कराए जाने तथा पीलीभीत में बस से उतार कर कराई गई सिक्खों की सामूहिक हत्या को मुठभेड़ का ढंग देने वाले अधिकारियों को दण्डित किए जाने तथा बरेली जनपद में हुए बारह गांवों के अल्पसंख्यकों की हत्या व सामूहिक लूट में शामिल अपराधियों को दण्डित किए जाने और देवरिया जनपद के बिन्दुवलिया गांव में हुई सामूहिक लूट करने वालों के विरुद्ध जांच एवं कार्यवाही सुनिश्चित कराये जाने एवं उन्हें दण्डित कराए जाने के संबंध में ।

12—बलिया जनपद के बिल्थरा रोड में तापीय विद्युत गृह की स्थापना इसी वित्तीय वर्ष में कराने के लिए केन्द्र सरकार से वर्ता कर उसका कार्यारम्भ कराए जाने के सम्बन्ध में ।

13—बलिया जनपद के बिल्थरा रोड में बनने वाली नई तहसील का उद्घाटन जनहित में अविलम्ब कराए जाने के संबंध में ।

14—बलिया जनपद में नया विकास खण्ड भीगपुरा गठित किए जाने के सम्बन्ध में ।

15—प्रदेश में सरस्वती शिशु मंदिरों सहित सभी संस्थागत विद्यालयों के शिक्षकों व कर्मचारियों के लिए न्यूनतम वेतन अधिनियम लागू कराए जाने के संबंध में ।

16—आजमगढ़ जनपद, मऊ जनपद और बलिया जनपद के सर्वांगीण विकास के लिए पूर्व सरकार द्वारा स्वीकृत सभी कार्यों को प्राथमिकता से धन देकर कराए जाने के संबंध में ।

17—आजमगढ़ को कमिश्नरी घोषित कर कमिश्नरी मुख्यालय सुनिश्चित किए जाने के संबंध में ।

18—25 जनवरी को मऊ में जिलाधिकारी द्वारा युवा नेता के0 के0 पाण्डेय व सुवास यादव को अपमानित करने व पिटाई कराने की अलोकतांत्रिक घटना की रपट दर्ज कराकर दोषी व्यक्तियों पर कार्यवाही कराये जाने के संबंध में ।"

24—श्री नरेश अग्रवाल—

प्रस्ताव के अन्त में निम्नलिखित जोड़ दिया जाय :—

"किन्तु खेद है कि श्री राज्यपाल ने अपने अभिभाषण में निम्नलिखित के संबंध में कोई उल्लेख नहीं किया है:—

1—प्रदेश में व्याप्त भय आतंक, असुरक्षा पूर्णतया कानून व्यवस्था को ठीक कराये जाने के सम्बन्ध में ।

2—बढ़ती हुई महंगाई को रोकने हेतु प्रभावी योजना बनाये जाने के संबंध में।

3—किसानों, मजदूरों, अध्यापकों, छात्रों, वकीलों तथा व्यवसाइयों में असंतोष तथा क्षोभ को दूर करने के लिए उनकी मांगों को स्वीकृत किये जाने के संबंध में ।

4—बेरोजगार युवकों को रोजगार उपलब्ध कराना अथवा बेरोजगारों को जीवन निर्वाह भत्ता दिए जाने के संबंध में ।

5—महिलाओं के सम्मान और अस्मत की सुरक्षा की गारन्टी के सम्बन्ध में ।

6—सर्वमान्य जनता को सस्ते दामों पर जीवन के दैनिक उपयोग की सामग्री उपलब्ध कराने की व्यवस्था कराये जाने के संबंध में ।

7—पुलिस की निरंकुशता और पुलिस द्वारा निर्दोष तथा निरपराध नागरिकों की हत्या और हिन्सा पर नियंत्रण करने की कार्यवाही किये जाने के संबंध में।

8—किसानों के लिए खाद, बीज, बिजली, कीटनाशक औषधियों तथा कृषि उपकरणों के दाम कम करने के संबंध में।

9—कृषि उद्योगों के लिए आवश्यकतानुसार भरपूर मात्रा में बिजली सप्लाई के संबंध में ।

10—बिक्री कर की समाप्ति के संबंध में।

11—गरीबों को निःशुल्क शिक्षा, चिकित्सा सुविधा और पेयजल व्यवस्था के सम्बन्ध में ।

12—सचरित्र और शान्ति प्रिय नागरिकों को अपनी सुरसा के लिए आग्नेयस्त्रों के लाइसेन्स देने की सरल प्रक्रिया के संबंध में,

13—चोरी, डकैती, हत्या, लूट, आगजनी और अपहरणों की बढ़ती वारदातों को रोकने के उपाय और निर्बल वर्गों को सुरक्षा की गारन्टी के संबंध में,

14—प्राइमरी स्कूलों की इमारतों की मरम्मत करने, छात्रों के अनुपात में शिक्षकों की नियुक्ति तथा प्रत्येक बड़े गांव में स्कूल खोलने के संबंध में ।

15—नौकरियों पर भर्ती (नयी) के लिए लगे प्रतिबन्ध को तत्काल समाप्त करने के संबंध में ।

16—इलाहाबाद उच्च न्यायालय की खण्डपीठ जसवन्त सिंह आयोग की संस्तुति के अनुरूप स्थापित करने के संबंध में ।

17—चुंगी समाप्त के बाद प्रदेश के स्थानीय निकायों को आर्थिक दृष्टि से आत्मनिर्भर बनाये जाने के लिए किसी ठोस नीति की घोषणा के संबंध में ।

18—बढ़े हुए विद्युत दरों को वापस लेने के संबंध में ।

19—परसपुर में हुए गोली काण्ड में शहीदों के लिए दोषी व्यक्तियों के विरुद्ध कार्यवाही के संबंध में ।

20–प्रदेश में निर्बल वर्गों पर विशेषकर हरिजन समुदाय पर सामंती हमलों को रोकने के लिए तथा हरिजन भूमिहीनों को बीज भूमि वितरण तथा खेत मजदूरों को उचित मजदूरी दिलाने के संबंध में ।

21–सरकार की फिजूली खर्ची पर रोक और नियमों पर होने वाले प्रतिवर्ष के अरबों रुपए के अनाप शनाप घाटे को समाप्त करने के उपायों का उल्लेख न किए जाने के संबंध में ।''

25–श्री अमरेश चन्द्र पाण्डेय–

प्रस्ताव के अन्त में निम्नलिखित को जोड़ दिया जाय,

''किन्तु खेद है कि श्री राज्यपाल ने अपने अभिभाषण में निम्नलिखित के संबंध में कोई उल्लेख नहीं किया :–

1–जनपद मऊ के नत्थूपुर विधान सभा क्षेत्र के अन्तर्गत घाघरा नदी के भीषण कटाव से प्रभावित क्षेत्र की निम्नलिखित ग्राम सभाएं सूरजपुर, रोशनपुर, नूरुल्लाहपुर, सिसवा, बखरिया, धर्मपुर, मूसादोही, मोलनापुर, चौहानपुर, परसिया जयराम गिर आदि गांवों को बचाने हेतु पक्के ठोकर के निर्माण के संबंध में ।

2–दुबारी से बेलथरा रोड जाने वाली सड़क जो लोक निर्माण विभाग द्वारा निर्मित है पर ग्राम सभा अहीरूपुर के सामने हाहा नाला पर पुल बनाने के संबंध में ।

3–मर्यादपुर से गोजियापुर जाने वाली सड़क पर ग्राम सभा बौरियाडीह के सामने हाहा नाला में पुल के संबंध में ।

4–हिन्दुस्तान की आजादी की लड़ाई में अमर शहीदों की स्थली मधुबन मऊ में शहीद स्मारक बनाने के संबंध में ।

5–मूल्य वृद्धि, जमाखोरी, जखीरेबाजी से जनजीवन त्रस्त होने के संबंध में।

6–बेरोजगार नौजवानों को रोजगार की गारन्टी देने के संबंध में ।

7–मजदूरों को सुविधापूर्वक जीवन यापन करने लायक न्यूनतम मजदूरी के संबंध में ।

8–कृषि लागत व्यय को कम करने के लिए खाद, बीज, बिजली, पानी, कीटनाशक दवाओं और कृषि उपकरणों में मूल्य दरों की कमी की घोषणा के संबंध में ।

9–किसानों को लागत व्यय के हिसाब से कृषि उत्पादन में पर्याप्त लाभकारी मूल्य की घोषणा के संबंध में ।

10–प्रदेश में जातिवाद, साम्प्रदायवाद, अल्पसंख्यकवाद, अलगाववाद और जाति के अपराधिकरण को रोकने के संबंध में ।

11–जनपद मऊ में घोसी चीनी मिल के गन्ना कृषकों की लूटखसोट करने के संबंध में ।

12–नगरी एवं ग्रामीण अंचलों में शुद्ध पेयजल के संकट को हल करने के लिए कारगर कदम उठाने के संबंध में ।

13-सच्चरित्र व शान्ति प्रिय नागरिकों को अपनी सुरक्षा के लिए आग्नेयास्त्रों के लाइसेंस देने की सरल प्रक्रिया के संबंध में ।

14-प्राइमरी स्कूलों की इमारतों की मरम्मत कराने, छात्रों के अनुपात में शिक्षकों की नियुक्ति तथा प्रत्येक बड़े गांवों में स्कूल खोलने के संबंध में ।

15-ग्रामीण अंचलों में चौदह घण्टे बिजली की आपूर्ति के संबंध में ।

16-फसल बीमा योजना पूरे प्रदेश में लागू करने के संबंध में ।

17-जनपद मऊ के नत्थूपुर विधान सभा क्षेत्र के प्रत्येक गांव को पक्की सड़कों से जोड़ने के संबंध में ।

18-तदर्थ एवं अंशकालीन अध्यापकों, आयुर्वेदिक व यूनानी डाक्टरों को नौकरियों में नियमित करने के संबंध में ।

19-अंशकालीन नलकूप चालकों को पूरा वेतन देने के संबंध में ।

20-खराब नलकूपों को ठीक कराने एवं नलकूप नालियों को बनवाने के संबंध में ।

21-जनपद मऊ के नत्थूपुर विधान सभा क्षेत्र के अन्तर्गत पड़ने वाले सभी गांवों में विद्युतीकरण के संबंध में ।

22-जनपद मऊ में विकास प्राधिकरण की स्थापना करने के संबंध में ।

23-जनपद मऊ के बुनकरों को सस्ते दर पर सूत उपलब्ध कराने तथा उत्पादित माल की सरकारी खरीद के संबंध में ।

24-जनपद मऊ के नत्थूपुर विधान सभा के अन्तर्गत विकास खण्ड फतेहपुर मंडाव में स्थित तालस्तीय के पानी के निकास के संबंध में ।

25-बालिकाओं के शिक्षा प्रसार हेतु जनपद मऊ के नत्थूपुर विधान सभा क्षेत्र के अन्तर्गत सरकार द्वारा बालिका इण्टर कालेज खोलने के संबंध में ।

26-जनपद मऊ में नत्थूपुर विधान सभा क्षेत्र के अन्तर्गत उच्च शिक्षा हेतु महाविद्यालय खोलने के संबंध में ।

27-गन्ने का मूल्य 60 रुपया प्रति कुन्तल की घोषणा करने के संबंध में ।

28-नौकरियों में नियुक्ति पर लगे रोक को हटाने के संबंध में ।

29-पूर्वी उत्तर प्रदेश के आर्थिक पिछड़ेपन को दूर करने हेतु आयोग का गठन करने के संबंध में ।

30-सभी माध्यमिक तथा पूर्व माध्यमिक गैर सहायता प्राप्त विद्यालयों को अनुदान सूची पर लाने के संबंध में ।

31-जनपद मऊ में मधुबन को तहसील बनाने के संबंध में ।

32-जनपद मऊ में घोसी तहसील में मुन्सिफ मजिस्ट्रेट न्यायालय खोलने के संबंध में ।

33-उ0 प्र0 राज्य विद्युत परिषद् द्वारा जनपद मऊ में ट्रांसफार्मर, पोल, कण्डक्टर आदि की कमी को दूर करने के संबंध में ।

34-जनपद मऊ में नत्थूपुर विधान सभा के अन्तर्गत पालिटेक्निक स्कूल खोलने के संबंध में ।

35-जनपद मऊ में सदर अस्पताल में पोस्टमार्टम की व्यवस्था कराने के संबंध में ।''

26–श्री अशोक कुमार–

प्रस्ताव के अन्त में निम्नलिखित जोड़ दिया जाय–

"किन्तु खेद है कि श्री राज्यपाल ने अपने अभिभाषण में निम्नलिखित के संबंध में कोई उल्लेख नहीं किया:–

1–मलिहाबाद विधान सभाई क्षेत्र एशिया का सबसे बड़ा आम उत्पादक फल पट्टी क्षेत्र है । इस क्षेत्र में सिंचाई की समुचित प्रबन्ध/व्यवस्था के संबंध में ।

2–लखनऊ हरदोई मार्ग स्थित लखनऊ विकास प्राधिकरण द्वारा संचालित कामधेनु नगर प्रसार योजना के अन्तर्गत ग्राम छन्दोइया पीर नगर, बरी कला, वरावन खुर्द, मंसूर नगर आदि ग्रामों की वर्ष 1981 में अधिग्रहीत की गयी करीब ढाई हजार (2500) एकड़ भूमि का मुआवजा दिलाए जाने के संबंध में ।

3–फल पट्टी क्षेत्र मलिहाबाद में आवागमन की बेहतर सुविधाओं हेतु राज्य कृषि उत्पादन मण्डी परिषद् द्वारा मण्डी शुल्क से अर्जित धनराशि से सड़कों का निर्माण किए जाने के संबंध में ।

4–राज्य के विभिन्न भागों में अनुसूचित जाति एवं जन जाति/पिछड़ा वर्ग का निर्धारित आरक्षित कोटा पूरा किए जाने के संबंध में ।

5–अनुसूचित जाति एवं पिछड़े वर्ग के शिक्षित नवयुवकों को राज्य सरकार द्वारा रोजगार हेतु आर्थिक सहायता के रूप में कम ब्याज पर धन उपलब्ध कराए जाने के संबंध में ।

6–अनुसूचित जाति/पिछड़े वर्ग/अल्पसंख्यकों को राज्य सरकार द्वारा संचालित निगमों द्वारा ही विभिन्न योजनाओं के लिए मार्जिन ऋण के अतिरिक्त योजनाओं का पूर्ण ऋण निगम द्वारा ही दिए जाने के संबंध में ।

7–प्रदेश में बढ़ते हुए आतंकवाद से ग्रस्त इलाकों में लगे सुरक्षा कर्मियों के परिवारों को सुरक्षा दिए जाने के संबंध में ।

8–नगर विकास विभाग के द्वारा विभिन्न स्वयं सेवी संस्थाओं को प्रदेश में सामाजिक कार्य हेतु मान्यता/प्रोत्साहन दिए जाने के संबंध में ।

9–पर्वतीय क्षेत्र में पर्यावरण के बिगड़ते असंतुलन को रोके जाने के संबंध में ।

10–प्रदेश में बढ़ती हुई अपराधिक घटनाओं को देखते हुए सामान्य नागरिकों को सुरक्षा हेतु असलहों के लाइसेंस दिए जाने के संबंध में ।"

27–श्री अरविन्द प्रताप सिंह–

प्रस्ताव के अन्त में निम्नलिखित जोड़ दिया जाय:–

"किन्तु खेद है कि श्री राज्यपाल ने अपने अभिभाषण में निम्नलिखित के संबंध में कोई उल्लेख नहीं किया :–

1–महते पुरवा में अल्लागंज गिट्टी मार्ग पर डामर लेपन का कार्य ।

2–क्षेत्र के ईंट सोलिंग, गिट्टी तथा कंकड़ मार्ग डमर लेपन न किए जाने के कारण मार्ग नष्ट हो रहे हैं ऐसे मार्गों पर डामर लेपन कराने के संबंध में ।

3–हसेरन में 33 के0 वी0 ए0 का स्वीकृत बिजली घर के निर्माण कार्य पूर्ण कराने के संबंध में ।

4–अरिन्द नदी पर मिशुरपुर घाट पर पुल का निर्माण कार्य पूर्ण कराने के संबंध में ।

5–सौरिख से नादेमऊ नदी के किनारे वाले क्षेत्र तथा चुपन्ना से एराही वाले नदी के किनारे वाले क्षेत्र में राजकीय नलकूपों का निर्माण कराने के संबंध में ।

6–इन्दरगढ़ विधूना मार्ग पर पाण्डु नदी के पुल का निर्माण कराने के संबंध में ।

7–हिवा-ऊसार मार्ग पर पाण्डु नदी के पुल का निर्माण कराने के संबंध में ।

8–सरैया माईनर, किसई माईनर, नैकपुर माईनर आदि माईनर में पानी टेल तक पहुंचाने हेतु निचली गंग नहर में खड़नी पुल के पास फीडर का निर्माण कराने के संबंध में ।

9–निचले क्षेत्र में पानी भराव के परेशानी से बचने के लिये नाला बधन गरिया, धूरपुर, कन्सुआ, टिहुला, सकतपुर आदि नालों की सफाई के संबंध में ।

10–ग्राम सुर्सा से दलेलपुरवा (मीतयापुर) मार्ग पर मदारी नाला पर बने पुल को बड़ा करने के संबंध में ।

11–विकास खण्ड हसेरन ग्राम उघदमपुर तथा ग्राम देहकापुरवा में हरिजन विभाग द्वारा स्वीकृत हरिजन आवास पूर्ण न कराए जाने के संबंध में ।

12–पिछड़े विधान सभा क्षेत्र के ग्राम-ठीकया, औसेर, उमर्दा, नादेमऊ, इन्दरगढ़, तिर्वा, सौरिख, खडनी में बालिका विद्यालय खोलने के संबंध में ।

13–ग्राम मिर्जापुर (खिरिया) गुबरया, उमरन, मनकापुर, बहादुरपुर आदि ग्रामों में प्रा0 पा0 भवन बनवाने के संबंध में ।

14–ग्राम भुन्ना में सामूहिक पेयजल योजना के अन्तर्गत स्वीकृत ओवरहेड टैंक के निर्माण कार्य कराने के संबंध में ।

15–उच्चीकृत प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र हसरनपुर में स्वीकृत ओवर हेड टैंक का निर्माण कार्य प्रारम्भ कराने के संबंध में ।

16–औसेर में प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र खोलने के संबंध में ।

17–जल निगम द्वारा बरेली, रामपुर, मुहद्दी नगर बसवारी, खिरिया, पुनगरा, लिलुइया, हथरइया, तरौर नगला, मांजा अहेरे आदि गांवों में इण्डिया मार्क–2 के नल लगवाने के संबंध में ।

18–विधान सभा क्षेत्र उमर्दा क्षेत्र की भूमि संरक्षण विभाग द्वारा सुधार कार्य कराने के संबंध में ।''

28—श्री राम सेवक यादव—

प्रस्ताव के अंत में निम्नलिखित जोड़ दिया जाय:—

"किन्तु खेद है कि श्री राज्यपाल ने अपने अभिभाषण में निम्नलिखित के संबंध में कोई उल्लेख नहीं किया :—

1—राष्ट्रीय एकता एवं साम्प्रदायिक सद्भाव के प्रतीक बाबा साहब डा0 भीमराव अम्बेडकर की प्रतिमा कस्बा बेवर के चौराहे पर एवं करहल बाई पास चौराहा, मैनपुरी में स्थापित किए जाने के संबंध में ।

2—देश की आजादी में कस्बा बेवर के शहीद हुए की बेवर तिराहे पर प्रतिमाएं लगाने के संबंध में ।

3—कस्बा बेवर में शहीदों की यादगार में लगने वाले शहीदों के मेले को शासकीय स्तर पर लगवाने एवं बजट का प्राविधान करने के संबंध में ।

4—मैनपुरी जनपद में आजादी के आन्दोलन में शहीद हुए देश प्रेमियों एवं राजनैतिक पीड़ितों का शासकीय स्तर पर इतिहास लिखने के संबंध में।

5—मैनपुरी जनपद में हिन्दी साहित्य के कवियों एवं लेखकों को अनुदान दिए जाने तथा उनकी कृतियों को शासकीय स्तर पर प्रकाशित कराने के संबंध में।

6—कुसभरा जनपद मैनपुरी में पैदा हुए महाकवि देव की यादगार में शासकीय महाकवि देव महाविद्यालय की स्थापना के संबंध में ।

7—मैनपुरी जनपद का क्षेत्रफल बढ़ने तथा पूर्व की भांति जनपद बनाने के संबंध में ।

8—भोगांव विधान सभा क्षेत्र में चीनी उद्योग, आलू एवं लहसुन पर आधारित उद्योग लगाने के संबंध में ।

9—कस्बा भोगांव (मैनपुरी) में मण्डी समिति का निर्माण किये जाने के संबंध में ।

10—कस्बा भोगांव में वन चेतना केन्द्र की स्थापना के संबंध में ।

11—कस्बा भोगांव में 100 चारपाइयों वाला अस्पताल खोले जाने के संबंध में।

12—भोगांव विधान सभा क्षेत्र में अत्तिशीघ्र मोतेल खोले जाने के संबंध में ।

13—हिशन नदी पर सुलेमपुर पढ़ीना घाट पर तथा काली नदी पर हुमायुपुर राजघाट पर पुल निर्माण कराए जाने के संबंध में ।

14—अपर फीडर एवं नहर बेवर ब्रांच्च पर नगला शम्भू एवं सूरजपुर के मध्य फुट ब्रिज बनाने, शोभनपुर मौजा परौंखां वि0 स0 क्षेत्र भोगांव में तथा ग्राम नीमयां के पास खारिज में पक्की पुलिया निर्माण किए जाने के संबन्ध में।

15—कस्बा नवीगंज के पश्चिम तरफ खारिजा में तथा जी0 टी0 रोड से लक्ष्मनपुर के मध्य सड़क में पक्की आर0 सी0 सी0 की पुलियां निर्माण कराये जाने के संबंध में ।

16—डाकू ग्रस्त योजना में पूर्व केन्द्रीय सरकार द्वारा 18-2-91 को स्वीकृत सड़कों एवं प्रदेश की पूर्व सरकार द्वारा सड़कों एवं पुलों के निर्माण के लिए निर्गत निर्देशों को क्रियान्वित कर विकास कार्य कराए जाने के संबंध में ।

17—उक्त पूर्व सरकार द्वारा की गई सभी घोषणाओं को पूरा कराये जाने के संबंध में ।

18—मैनपुरी जनपद में माफिया गिरोहों को समाप्त करने के संबंध में।

19—मैनपुरी जनपद को बिकास की ओर अग्रसर करने के लिए उसे उद्योग शून्य घोषित करने के संबंध में।

20—विधान सभा क्षेत्र भोगांव में सभी ग्रामों में बिजली पहुंचाये जाने के संबंध में ।

21—मैनपुरी जनपद में खास तौर से भोगांव विधान सभा क्षेत्र में समाजवादी जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं की हत्या रोकने, स0 ज0 पा0 के लोगों का उत्पीड़न रोकने के संबंध में ।

22—मैनपुरी जनपद में भा0 ज0 पा0 के कार्यकर्ताओं द्वारा शासन में अनावश्यक दखलन्दाजी करने तथा अधिकारियों एवं कर्मचारियों को डरा धमका कर कार्य करवाने की प्रवृत्ति को रोकने के संबंध में ।

23—मैनपुरी जनपद में शासकीय अधिवक्ताओं के सभी पिछड़े वर्ग के लोगों को हटाकर शासकीय अधिवक्ताओं की नियुक्ति किए जाने के संबंध में ।

24—मैनपुरी जनपद में भा0 ज0 पा0 के लोगों द्वारा किए गए जघन्यतम अपराधों से बचाने के लिए गलत तरीके से सी0 आई0 डी0 जांच करवाकर आतंकवाद फैलाना तथा गरीबों का शोषण रोकने के संबंध में ।

25—मैनपुरी जनपद में विशेष तौर पर भोगांव विधान सभा क्षेत्र में अल्पसंख्यकों, अनुसूचित जाति/जन-जाति एवं पिछड़े वर्ग के लोगों का कत्ले आम कराने व उनमें फैली असुरक्षा की भावना को दूर कराने के संबंध में ।

26—भोगांव विधान सभा क्षेत्र में किसानों को उनकी उपज का उचित मूल्य प्राप्त करने के मण्डी समितियों तक अपने माल को बेचने के लिए जी0टी0 रोड से पदम्पुरछयोकणि तक, जी0टी0 रोड नवीगंज से मुड़ई, जी0टी0 रोड से सलेमपुर पड़ोना घाट, जी0टी0 रोड से हुमायूंपुर राजघाट काली नदी, फर्रुखाबाद-मैनपुरी मार्ग से भोगांव वाया अहिरवा-रामनगर, बेवर मोता मार्ग से अकबरपुर गनू वाया नाला खोख, जी0टी0 रोड से कमालपुर महमुदिया, जी0टी0 रोड से बीलपुर वाया कासपुर, बेवर-कुसमरा मार्ग से शोभनपुर वाया परौटवा, बेवर से जल्लापुर-श्वद्दइयां वाया गंगनवारा बेवर-कुसमरा मार्ग से घुतारा वाया गढ़िया, जी0टी0 रोड से फर्रुखाबाद-मैनपुरी मार्ग वाया नगलादोपा, जी0 टी0 रोड से विनोदपुर, मानपुर हरी सी बेवर-मोटा मार्ग वाया बाढ़ापुर, हन्नूखेड़ा से नगला सेमर वाया नगला मिलकर, नगला सौर से हन्नूखेड़ा मार्ग वाया नगला मिलकर, हन्नूखेड़ा से भनऊ, जी0 टी0 रोड से मैरापुर छदामी वाया नौरंगाबाद-बांकीपुर, जी टी0 रोड से नरसिंहपुर, जी0 टी0 रोड से आलीपुर खेड़ा झाल बम्बा की पटरी, जी0 टी0 रोड से बनाकिया रजवाह पर जल्लापुर वाया चन्दीपुर फर्रुखाबाद-मैनपुरी मार्ग से सुल्तानगंज वाया वीनेपुर, सुरजनपुर, संतोषपुर एवं फकौता, बेवर-

भोगांव मार्ग से दिवन्नापुर चौधरी, जी0 टी0 रोड से मांजेपुर-हीवरिलया, जी0 टी0 रोड से बघैला, बेवर झाल से तोडरपुर वाया रायपुर, शोभनपुर आदि डामर की पक्की सड़कों का निर्माण कराये जाने के संबंध में ।

27–बिना भेदभावपूर्ण नीति को अपनाते हुए श्री तोताराम यादव, बेवर, श्री तिलक सिंह यादव निवासी सेहाखुर्द, थाना-कुर्रा, श्रीमती प्रभादेवी विधवा ओंकार सिंह निवासी नवीगंज व अन्य समाजवादी जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं को उनकी जान व माल की सुरक्षा के लिए गनर व पुलिस गार्ड दिलवाने के संबंध में ।

28–जनपद फर्रुखाबाद में ऐतिहासिक बौद्ध तीर्थ स्थल को सुरक्षित कराने तथा बौद्ध तीर्थ स्तूप पर अन्य धर्मावलम्बियों द्वारा किए गए अतिक्रमण को हटाने के संबंध में ।

29–भोगांव विधान सभा क्षेत्र में विद्यालयों को अनुदान दिए जाने के संबंध में ।

30–भोगांव विधान सभा क्षेत्र में कम से कम 50 जल निगम के इण्डिया मार्का हैण्ड पम्प लगाने के संबंध में ।

31–भोगांव विधान सभा क्षेत्र में बलारपुर, सांडा, दलपतिपुर, सुरजनपुर, सुल्तानगंज, महोलीखेड़ा, गोविन्दपुर, भवानी नगर, महाबतपुर, जल्लापुर, बददइया, धुतारा, मौता, मुड़ई आदि ग्रामों में सिंचाई हेतु राजकीय नलकूपों की स्थापना के संबंध में ।

32–विछवा से आगे महदवा माइनर को बढ़ाकर व्योतीखुर्द तक वाया सुल्तानगंज बढ़ाने के संबंध में ।

33–भोगांव विधान सभा क्षेत्र व जनपद के अन्य ग्रामीण अंचलों में बिजली की 18 घण्टे की आपूर्ति सुनिश्चित कराने के संबंध में।

34–मैनपुरी जनपद में जान व माल की सुरक्षा के लिए गुहार करने वाले समाजवादी जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं को आग्नेयास्त्रों के लाइसेंस निर्गत कराने के संबंध में ।

35–मैनपुरी शहर में राजकीय परिवहन निगम की डिपो खोले जाने के संबंध में ।

36–माननीय मुलायम सिंह सरकार द्वारा घोषित पिछड़े वर्गों के लिए किए गए आरक्षण को लागू कराने के संबंध में ।

37–पिछड़े वर्गों के अलावा उच्च वर्गों के आर्थिक रूप से पिछड़े लोगों को कौशिक समिति की रिपोर्ट के अनुसार आरक्षण दिए जाने के संबंध में ।

38–छात्रों के उत्पीड़न एवं कत्लेआम को रोकने के संबंध में ।

39–किसानों को उनकी उपज का लाभकारी मूल्य दिलाने तथा खाद, बिजली एवं कीटनाशक दवाइयों को सस्ती दरों पर किसानों को उपलब्ध कराने के सम्बन्ध में ।

40–हिन्दी भाषा को सम्मान दिलाने के लिए अंग्रेजी हटाने के संबंध में ।

41—उत्तर प्रदेश में भूख एवं ठण्ड से मरने वाले लोगों की छानबीन करने तथा शासन द्वारा सूचनायें छिपाने के लिए दण्डित करने के संबंध में।

42—प्रत्येक जिले में पिछड़े, अल्पसंख्यक एवं अनुसूचित जाति के अधिकारियों एवं कर्मचारियों को दण्डित करने, नाजायज स्थानान्तरण करने एवं अपमानित करने के संबंध में।

43—उत्तर प्रदेश की भा0 ज0 पा0 सरकार द्वारा फासिस्टवाद, आतंकवाद, साम्प्रदायिकता को बढ़ाकर देश की एकता एवं साम्पदायिक सद्भाव खत्म करने के संबंध में ।

44—भा0 ज0 पा0 सरकार द्वारा सरकारी एवं अर्द्ध सरकारी संवाओं में साम्प्रदायिक लोगों की भर्ती करने के संबंध में ।

45—जातिवाद एवं सम्प्रदायवाद खत्म करने के लिए हिन्दू, मुसलमान, सिक्ख, ईसाई, बौद्ध, पारसी, जैन धर्मावलम्बियों का संयुक्त आयोग गठित करने के संबंध में।

46—राष्ट्रीय एकता को बढ़ाने के लिए अन्तर्जातीय विवाहों को प्रोत्साहन देने एव इस योजना को क्रियान्वित करने वाले पक्षों को शासकीय सेवाओं में वरीयता दिए जाने के संबंध में ।

47—पाठ्य पुस्तकों में धार्मिक उन्माद पैदा करने वाले साहित्य को हटाने तथा राष्ट्रीय एकता, साम्प्रदायिक सद्भाव एवं सामाजिक समरूपता को बढ़ावा देने वाला साहित्य को जोड़े जाने के संबंध में।"

29—श्री सुल्तान रजा मिर्जा—

प्रस्ताव के अन्त में निम्नलिखित जोड़ दिया जाय:—

"किन्तु खेद है कि श्री राज्यपाल ने अपने अभिभाषण में निम्नलिखित के संबंध में कोई उल्लेख नहीं किया :—

1—जनपद-जौनपुर में इस वर्ष ग्रामों के विद्युतीकरण का लक्ष्य शून्य है ग्रामीण अंचल के विकास के लिए प्राथमिकता के आधार पर इसी वित्तीय वर्ष में धन उपलब्ध कराकर ग्रामों का विद्युतीकरण कराए जाने के संबंध में ।

2—जनपद-जौनपुर में प्राथमिक विद्यालयों और उच्चतर प्राथमिक विद्यालयों के भवन जर्जर हैं जिनके पुनर्निर्माण की व्यवस्था इसी वित्तीय वर्ष में धन उपलब्ध कराकर कराये जाने के संबंध में ।

3—जनपद-जौनपुर की बिगड़ती कानून व्यवस्था को अविलम्ब सुधारे जाने के संबंध में ।

4—जनपद-जौनपुर में यातायात की कठिनाइयों को ध्यान में रखते हुए सड़क एवं पुलों की योजना बनाकर इसी वित्तीय वर्ष में धन उपलब्ध कराकर निर्माण कराये जाने के संबंध में।

5—जनपद-जौनपुर में बेरोजगारी की समस्या को ध्यान में रखते हुए एक चीनी मिल की स्थापना इसी वित्तीय वर्ष में धन उपलब्ध कराकर कराए जाने के संबंध में।

6–जनपद-जौनपुर में सिंचाई हेतु नहरों की मरम्मत एवं उनके विस्तार तथा नलकूपों की मरम्मत एवं नए नलकूप लगाने हेतु इसी वित्तीय वर्ष में धन उपलब्ध कराकर बनवाया जाय ।

7–जनपद-जौनपुर के विधान सभा क्षेत्र, रारी में पेयजल की विकराल समस्या को देखते हुए इण्डिया मार्क–2 हैण्ड पाइप एवं गहरे नलकूप लगवाए जाने के संबंध में ।''

30–श्री भागीरथी–

प्रस्ताव के अन्त में निम्नलिखित जोड़ दिया जाय :–

''किन्तु खेद है कि श्री राज्यपाल ने अपने अभिभाषण में निम्नलिखित के संबंध में कोई उल्लेख नहीं किया :–

1–अनु0 जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों के पदोन्नति में आरक्षण की प्रभावी व्यवस्था के संबंध में ।

2–अनुसूचित जातियों एवं जनजातियों के लिए सरकारी नौकरियों में आरक्षित कोटा को पूरा करने के संबंध में।

3–कृषकों को खाद, बीज, पानी व कीटनाशक दवाओं तथा बिजली की आपूर्ति की सुनिश्चित व्यवस्था के संबंध में ।

4–जनपद-इलाहाबाद के गन्ना उत्पादन में अग्रणी दोआबा क्षेत्र में चीनी मिल लगाने, जिससे कि किसानों को गन्ने का लाभकारी मूल्य मिल सके और बेरोजगारों को रोजगार मिल सके के संबंध में ।

5–जनपद इलाहाबाद के दोआबा क्षेत्र को उद्योग शून्य क्षेत्र मानकर औद्योगिकीकरण किए जाने के संबंध में ।''

31–श्री इम्तियाज अहमद–

प्रस्ताव के अन्त में निम्नलिखित जोड़ दिया जाय :–

''किन्तु खेद है कि श्री राज्यपाल ने अपने अभिभाषण में निम्नलिखित के संबंध में कोई उल्लेख नहीं किया :–

1–जीवनोपयोगी वस्तुओं की तेजी के साथ बढ़ रही महंगाई को रोकना एवं सार्वजनिक वितरण प्रणाली को चुस्त दुरुस्त करके नागरिकों को आवश्यक वस्तुएं समुचित मात्रा में सस्ती दरों पर उपलब्ध कराना।

2–उ0 प्र0 के हथकरघा व छोटे पावरलूम उद्योग का भयंकर संकट, सभी प्रकार के धागों की कीमतों में भारी वृद्धि, बुनकरों के तैयार कपड़ों के निकासी का ठप्प होना, उ0 प्र0 हथकरघा निगम तथा प्रदेश की शीर्षस्थ सहकारी संस्था यूपिका द्वारा कपड़ों की नियमित खरीदारी न करना तथा लम्बी अवधि के बुनकरों के लम्बित दामों का समय से भुगतान न करना तथा बुनकरों से बैंक कर्जे की जबरी वसूली करना, कुर्की व नीलामी की कार्यवाहियों में तेजी लाना, मऊ जनपद के हथकरघा एवं पावरलूम उद्योग को वर्तमान और भू0 पू0 संकट से निकालने के लिए मऊनाथभंजन नगर में एक बड़ा फिनिशिंग व छपाई का कारखाना लगाना ।

3–मऊ जनपद के ग्रामीण क्षेत्रों में त्वरित गति से विद्युतीकरण कराना तथा नलकूपों व पावरलूम उद्योग के लिए 24 घन्टे नियमित विद्युत आपूर्ति कराना, नलकूपों के लिए वर्षों से विद्युत कनेक्शन के लम्बित प्रार्थनापत्रों का शीघ्र निस्तारण करके विद्युत कनेक्शन दिलाना ।

4–बिजली की बढ़ी हुई दरों को वापिस लेना और पावरलूम उद्योग के संरक्षण के लिए विद्युत दरों की वृद्धि से नलकूपों की भांति विकेन्द्रित शक्ति चालित करघों को मुक्त रखना ।

5–छात्रों के प्रवेश संबंधी कठिनाइयों का निराकरण करना व नवसृजित जनपद मऊ के जिला मुख्यालय पर एक तकनीकी विद्यालय तथा एक महिला महाविद्यालय की शीघ्र स्थापना करना ।

6–मऊ नगर, कोपागंज व परदहाँ ब्लाकों में मुख्य सड़कों को सम्पर्क मार्गों से जोड़ना व कच्ची सड़कों को पक्की सड़कों में परिवर्तित करना तथा जनपद मऊ के कोपगंज भातकोल मार्ग पर चिस्तीपुर चौड़े नाले पर स्थित लकड़ी के जर्जर पुल के स्थान पर पक्के पुल का निर्माण कराना व मुहम्मदाबाद नगर में चौक से रोडवेज तक पक्की सड़क का निर्माण कराना ।

7–नवसृजित जनपद मऊ के जिला मुख्यालय के निवासियों को पेयजल सुलभ कराने के लिए पेयजल योजना का भी विस्तार करना, नये नलकूपों तथा ओवर हेड टैंकों का निर्माण कराना, ग्रामीण क्षेत्रों में पेयजल समस्याओं का समाधान कराना ।

8–मऊनाथ भंजन नगर में टौंस नदी पर बने बन्धे को बक्तावरगंज तक विस्तारित करके उस पर पिच रोड बनाना ।''

32–श्री बी0 आर0 वर्मा– .

प्रस्ताव के अन्त में निम्नलिखित जोड़ दिया जाय :–

''किन्तु खेद है कि श्री राज्यपाल ने अपने अभिभाषण में निम्नलिखित के संबंध में कोई उल्लेख नहीं किया :–

1–सफाई मजदूरों को नरकीय जीवन से निकालने और उन्हें सामाजिक प्रतिष्ठा तथा आर्थिक उन्नत जीवन प्रदान करने के संबंध में ।

2–भारतीय दस्तकारों जैसे-जुलाहा, बढ़ई, नाई, लुहार, दर्जी, मोची, कुम्हार की आर्थिक एवं सामाजिक दशा सुधारने हेतु उन्हें आर्थिक सहायता तथा कच्चा माल उपलब्ध कराकर इनके द्वारा बनाई गई वस्तुओं की विपणन व्यवस्था सुनिश्चित करने के संबंध में ।

3–गांव के सामन्तों के अन्याय, अत्याचार, अनाचार, दुराचार तथा आतंक से परेशान होकर रोजी-रोटी हेतु शहरों में आकर गन्दे जगहों पर झुग्गी-झोपड़ी बनाकर रहने वाले भारतीय नागरिकों के जीवन स्तर सुधारने तथा बसने हेतु जमीन एवं मकान उपलब्ध कराने के सम्बन्ध में ।

4–इस प्रदेश में कृषि योग्य बहुत अधिक जमीन सरकार तथा गांव सभा के कब्जे में बेकार पड़ी हुई हैं । ऐसी जमीनों को कृषि योग्य बनाकर भूमिहीन कृषि मजदूरों को आवंटित करने के संबंध में ।

5–सरकार द्वारा निर्धारित न्यूनतम मजदूरी देने की पूरी जिम्मेदारी राज्य सरकार द्वारा निर्वहन करने के संबंध में ।

6–सर्दी गर्मी और बरसात में खेतों खलिहानों में काम करने वाले अच्छा से अच्छा अन्न फल-फूल पैदा करने वाली श्रम देवियों को सम्मानित एवं पुरस्कृत करने तथा उन्हें खुशहाली पूर्ण जीवन यापन और अधिकाधिक उत्पादन हेतु श्रम को महंगा करने के संबंध में ।

7–जब तक इस देश में जाति व्यवस्था बरकरार है तब तक जाति को उसकी आबादी के मुताबिक इस प्रदेश के धन में, धरती में शासन-प्रशासन एवं सरकारी अर्द्धसरकारी तथा सरकार द्वारा वित्त पोषित संस्थाओं की नौकरियों में समुचित भागीदारी देने के संबंध में ।

8–हुजूर और मजूर बनाने वाली शिक्षा व्यवस्था के स्थान पर एक समान शिक्षा व्यवस्था लागू करने के संबंध में ।

9–6 वर्ष से 14 वर्ष के बच्चों के लिए संविधान की व्यवस्था के अनुसार मुफ्त एवं अनिवार्य शिक्षा व्यवस्था लागू करने के संबंध में ।

10–ढोंग, ढकोसला, मनगढ़न्त, अन्ध विश्वासों से रहित विज्ञान सम्मत पाठ्यक्रम पर आधारित शिक्षा व्यवस्था लागू करने के संबंध में ।

11–हाई स्कूल तक विज्ञान अनिवार्य विषय के रूप में पढ़ाया जाता है, परन्तु जिन विद्यालयों में विज्ञान के प्रशिक्षित अध्यापक नहीं है वहां तत्काल विज्ञान के प्रशिक्षित व्यक्तियों की नियुक्ति करने के संबंध में ।

12–शिक्षा के क्षेत्र में जातियों के आबादी के मुताबिक आरक्षण देने के संबंध में ।

13–महाविद्यालयों एवं विश्वविद्यालयों में छात्रसंघ की सदस्यता ऐच्छिक करने के संबंध में ।

14–सरकारी विभागों की कालोनियों, पुलिस थानों, जेलों एवं पुलिस लाइनों में किसी धर्म विशेष का पूजा गृह सरकारी जमीनों पर बनाना प्रतिबंधित करने के संबंध में ।

15–प्रदेश के मंत्रिमंडल के सदस्यों द्वारा सरकारी कालोनियों, फैक्ट्रियों पुलों आदि के उद्घाटन शिलान्यास को नारियल फोड़कर हाथ में रक्षा बांध कर तथा एक धर्म विशेष के मंत्रोचार द्वारा करने की परम्परा को समाप्त करने के संबंध में ।

16–चुनावों में हो रही बूथ कैप्चरिंग, वोट न डालने देना, वोट लूटना आदि लोकतंत्र की हत्या करने वाली घटनाओं की जांच करके जिनके वोट लूटे और रोके जाते हैं उनकी ही बस्तियों में ही मतदान केन्द्र बनाए जाने हेतु भारतीय चुनाव आयोग को परामर्श देने के संबंध में ।

17–इन्सान-इन्सान में भेदभाव पैदा करने वाले साहित्यों एवं धार्मिक पुस्तकों के प्रकाशन पर रोक लगाने के संबंध में ।

18–आतंकवाद को समाप्त करके भयमुक्त समाज के नारे को सफल करने के सम्बन्ध में ।

19–प्रत्येक वर्ष नदियों में आने वाली बाढ़ का स्थायी समाधान करके बाढ़ रहित नदी बनाने के संबंध में ।

20–घाघरा नदी द्वारा आजमगढ़ जनपद के सगड़ी तहसील में होने वाले कटाव का स्थायी समाधान करने के संबंध में ।

21–आजमगढ़ जनपद को उद्योग शून्य जनपद घोषित करके उद्योगों के लगाने के संबंध में ।

22–आजमगढ़ जनपद एवं मऊ जनपद में जल निकासी हेतु पुरानी सरजू नदी की खुदाई करने के संबंध में ।

23–आजमगढ़ जनपद के सगड़ी तहसील में महुला-गढ़वाल बांध को चौड़ा करके लेपन कराकर पक्की सड़क बनाने के संबंध में ।

24–घाघरा नदी के कटाव से विस्थापित लोगों को तत्काल जमीन देकर बसाने के संबंध में ।

25–आजमगढ़ जनपद में छोटी सरजू नदी पर तटबन्ध बनाकर बाढ़ से जल प्लावित होने वाली हजारों हेक्टेयर भूमि को बचाने के संबंध में ।

26–आजमगढ़ जनपद में भारी गन्ना उत्पादन को देखते हुए सठियांव मिल की क्षमता दूनी की जाय तथा अतरौलिया एवं सगड़ी में नई चीनी मिलें खोलने के संबंध में ।

27–आजमगढ़ जनपद में जियनपुर कस्बे में राजकीय इण्टर कालेज खोलने के संबंध में ।

28–आजमगढ़ जनपद के सगड़ी तहसील में एक भी कोल्ड स्टोरेज नहीं है । किसानों की समस्याओं को देखते हुए एक कोल्ड स्टोरेज जियनपुर के पास खोले जाने के संबंध में ।''

34–श्री हृदय नारायण दीक्षित–

प्रस्ताव के अंत में निम्नलिखित जोड़ दिया जाय :–

''किन्तु खेद है कि श्री राज्यपाल ने अपने अभिभाषण में निम्नलिखित के संबंध में कोई उल्लेख नहीं किया है :–

1–संविधान के मूलभूत तत्वों लोकतंत्र, धर्म निरपेक्षता व समाजवाद के प्रति प्रतिबद्धता का उल्लेख करते हुए काम करने के किसी संकल्प का उल्लेख ।

2–दलित शिक्षा आन्दोलन के शिक्षित युवा आन्दोलन कारियों की मांगों को स्वीकार किए जाने व आन्दोलन के दौरान की गयी उनकी पिटाई की जाच की घोषणा ।

3–अनुसूचित जातियों/जनजातियों को रोजगार उपलब्ध कराने में सहायक राज्य स्तरीय प्रशिक्षण केन्द्रों को नई सरकार द्वारा बन्द किए जाने का उल्लेख ।

4–अंधाधुन्ध स्थानान्तरण के माध्यम से समूचे प्रशासन तंत्र को अव्यवस्थित करने के स्थानान्तरण उद्योग की खामियों पर आत्म निरीक्षण का उल्लेख ।

5–बिक्रीकर के खात्मे के भारतीय जनता पार्टी के चुनाव घोषणा पत्र के हिस्से का पालन करते हुए बिक्रीकर समाप्ति की घोषणा ।

6–परीक्षाओं में अनुचित साधनों के प्रयोग को रोकने में पुलिस बेजा प्रयोग के अध्यादेश की वापसी की घोषणा ।

7–पूर्व सरकार द्वारा घोषित प्रस्तावित सभी विकास योजनाओ के लिए प्राथमिकता के आधार पर धन के आवंटन का उल्लेख,

8–अनुसूचित जातियों पर हो रहे अत्याचारों की रोकथाम के प्रभावी कदम उठाने की घोषणा ।

34–श्री राम प्रसाद सिंह–

प्रस्ताव के अन्त में निम्नलिखित जोड़ दिया जाय :–

"किन्तु खेद है कि श्री राज्यपाल ने अपने अभिभाषण में निम्नलिखित के संबंध मे कोई उल्लेख नहीं किया है :–

1–कर्वी (चित्रकूट) की स्थिति को देखते हुए वर्तमान में जनपद बांदा की बनावट में लम्बाई को देखते हुए जिला मुख्यालय एकदम पश्चिमी सीमा पर स्थापित है तथा पूरब की ओर कर्वी । मऊ तहसीलों का क्षेत्र करीब सौ किलोमीटर दूर है हर तरह से पिछड़ा, आवागमन के साधनों का अभाव, समस्याओं से ग्रस्त है । विकास के लिए प्रथम आवश्यकता के रूप में नए जिला कर्वी (चित्रकूट) के सृजन की घोषणा के संबंध में ।

2–यमुना नदी में राजापुर के पास बांदा फतेहपुर एवं इलाहाबाद जिलों को जोड़कर आवागमन की सुविधा हेतु पुल निर्माण के संबंध में ।

3–जनपद बांदा के किसानों को सिंचाई जल उपलब्ध कराने हेतु विचाराधीन सिंचाई परियोजनाएं जैसे ग्रेटर गजऊ बांध परियोजना, पयस्वनी बांध परियोजना, रीसन बांध परियोजनाओं को स्वीकार कर निर्माण कराने के संबंध में ।

4–अर्धनिर्मित शुनम बांध सिंचाई परियोजना को संसाधन मुहैया कर चालू कराने के संबंध में ।

5–प्रदेश में सिंचाई के संसाधनों को बढ़ाने की दृष्टि से निम्न आवश्यकतायें यथा भूगर्भ जल की उपलब्धता व गहराई को प्रदेश के विभिन्न क्षेत्रों को देखते हुए राजकीय नलकूपों की वर्तमान मानक क्षमता बुन्देलखण्ड बांदा के कर्वी मऊ की भूगर्भीय जल की उपलब्धता व गहराई के अनुसार मानक घटाकर 90 गैलन प्रति घन्टा की क्षमता निर्माण कर राजकीय नलकूपों को बढ़ाकर सिंचित क्षेत्र बढाने,

वर्तमान में 1983 के लागत खर्चे के आधार पर अनुदान संचालित नि:शुल्क बोर, इनवेल बोर एवं हैवी रिंग बोर में दी जा रही अनुदान धनराशि को वर्तमान लागत खर्चा को देखते हुए क्रमश: 90 हजार 20 हजार एवं 60 हजार अनुदान राशि कर दिया जाये तथा

लघु सिंचाई योजनायें आई0 आर0 डी0 में चयनित लाभार्थियों को वर्तमान में स्वीकृत 10 हजार प्रति प्रोजेक्ट ऋण सीमा तथा पांच हार्स पावर के पम्प के स्थान पर गहराई से पानी खींचने की क्षमतावान 8 हार्स पावर के पम्प सेट की स्वीकृति के साथ-साथ पन्द्रह हजार की ऋण सीमा का आर0आर0डी0 प्रोजेक्ट बनाया जाय तथा योजना को उपयोगी एवं व्यावहारिक रूप दिए जाने के संबंध में ।

6–कर्वी/मऊ तहसीलों के पाठा जैसे इलाकों में उपलब्ध प्राकृतिक संसाधनों एवं वन उपजों के आधार पर उद्योगों की स्थापना के संबंध में।

7--कर्वी/मऊ में बागैन नदी, पयस्वनी नदी, जमुना नदी, बालमीकी नदी में वर्तमान में चल रही लिफ्ट योजनाओं के विस्तार, सुधार एवं अनेकों प्रस्तावित लिफ्ट सिंचाई योजनाओं जैसे बागैन नदी में पहाड़िया बुजुर्ग सानी, गढीघाट, पयस्वनी नदी में दंवल के पास बालमीकी नदी दंवकली, सुरीकहा के पास गुन्ता नदी में रौंपुरा के पास कम से कम खरीफ की फसल के लिए दिसम्बर माह तक सिंचाई जल उपलब्ध कराने के निर्माण एवं विस्तार के सम्बन्ध में।

8--चोरी, डकैती, हत्या, लूट, आगजनी एवं अपहरणों की बढ़ती घटनाओं के रोकने के उपाय व निर्बल तथा पिछड़े वर्गों की सुरक्षा की गारण्टी लिए जाने के संबंध में।

9--प्रदेश के गांवों का विद्युतीकरण किये जाने के संबंध में।

10--जनपद बप्दा के कर्वी/मऊ तहसीलों के सूखा की हालत को देखते हुए सरकारी देयों की वसूली रोकने एवं राहत कार्यों के संचालन के संबंध में।

11--कालीकर, मडका, चित्रकूट, राजापुर एवं प्रषाम को जोड़ने के लिए प्रमुख राजमार्ग निर्माण के संबंध में ।

12--पहाड़ी रघुवंशीपुर वरछी लोहदा आहदा मिर्जापुर वरदारा, अतरौली से खोवा सड़क, कर्वी राजापुर वाया बूढा मार्ग, खोही ठरी, छपरा मैनहाई मार्ग के डामरीकरण व निर्माण के संबंध में।

13--बुन्देलखण्ड एवं बांदा विशेष कर कर्वी मऊ तहसीलों में छितरी एवं दूर-दूर बिखरी आबादी तथा पेयजल संसाधनों के अभाव को देखते हुए वर्तमान पेय-जल हैण्ड एम्पों के स्थापना के 250 आबादी के मानक को घटा कर 150 आबादी के मानक पर हैण्ड पम्प लगाकर पेयजल उपलब्ध कराने के संबंध में।

14--बुन्देलखण्ड बांदा एवं कर्वी/मऊ सम्भागों में गांवों की दूरी को देखते हुए एवं सभी को प्राथमिक शिक्षा की संवैधानिक अनिवार्यता के उद्देश्य की पूर्ति हेतु प्रत्येक गांव सभा एवं 500 की आबादी के पुरवों में एक किलोमीटर की दूरी पर प्राइमरी स्कूलों को खोलने एवं उनके विद्यालय भवन निर्माण के संबंध में।

15--महिला शिक्षा विस्तार हेतु पंचायत स्तर पर कन्या जूनियर बैसिक विद-यालय एवं ब्लाक स्तर पर कन्या उच्चतर माध्यमिक विद्यालयों की स्थापना के सम्बन्ध में ।

16--लोकतांत्रिक व्यवस्था को सुदृढ़ करने प्रशासनिक व्यवस्था में चल रही सहकारी स्स्थाओं, स्थानीय निकायों, मण्डी समितिओं आदि में चुनाव कराकर जनभागीदारी को बढ़ाने के सम्बन्ध में।

17--जनपद बांदा के कस्बा अतर्रा में पुलिस द्वारा छात्रों एवं व्यापारियों के ऊपर बर्बर लाठी चार्ज से सैकड़ों छात्रों के घायल होने एवं एक जाति विशेष के छात्रों के ऊपर दर्जनों धाराएं लगाकर झूठे मुकदमें कायम कर के दोषी पुलिस जनों को दण्डित करने के संबंध में।

18--कर्वी तहसील के अन्तर्गत गदाखान, रामपुर, कल्यानगढ़ वाँता पुरवा के पांच लोगों के अपहरण की घटनाओं, अपहरण की घटनाओं की रपट न लिखे जाने तथा अपहरणकर्ताओं व पुलिस की सांठगांठ से जाति विशेष के ऊपर अत्याचार उत्पीड़न रोकने के संबंध में ।

19–जमुना नदी में औमासी के पास पुल निर्माण के संबंध में।

20–उत्तर प्रदेश श्रमिक संघ, सा0 नि0 वि0 शाखा कर्वी द्वारा अपर जिला अधिकारी, कर्वी के कार्यालय के समक्ष चल रहे धरना, अनशन जिसमें ड्यूटी-रत कर्मचारियों को कर्वी पुलिस द्वारा बन्द करने, लूटपाट, उत्पीड़न के दोषी पुलिस कर्मियों को दण्ड देने व मुकदमा वापसी के संबंध में।''

45–श्री नसीम उद्दीन सिद्दीकी–

प्रस्ताव के अन्त में निम्नलिखित जोड़ दिया जाय :–

''किन्तु खेद है कि श्री राज्यपाल ने अपने अभिभाषण में निम्नलिखित के संबंध में कोई उल्लेख नहीं किया :–

1–बुन्देलखण्ड में व खास कर बांदा जनपद में पेयजल का गम्भीर संकट है जिसके समाधान हेतु सरकार को तत्काल कदम उठाना चाहिए बांदा जनपद में ग्रीष्मकाल में लोग बूंद-बूंद पानी के लिए वर्षों से तरसते चले आ रहे हैं। इस संबंध में शासन द्वारा स्वीकृत धनराशि का उपभोग सही दिशा में होना चाहिए जिसके लिए समय-समय पर समीक्षा होती रहनी चाहिए तब ही कोई सकारात्मक परिणाम सामने आ सकता है।

2–बांदा जनपद वर्षा होने के बाद भी सूखा जैसा ही प्रतिवर्ष पड़ा रहता है उसका कारण यह है कि वहां ट्यूबवेल जितने होना चाहिए उतने नहीं हैं। केन नहर में आवश्यकता अनुसार पानी नहीं आ पाता है क्योंकि इसमें मध्य प्रदेश झगड़ा चलता रहता है। पम्प नहरें भी कम हैं, सिंचाई की कमी बांदा जनपद में आर्थिक कमी होने का मुख्य कारण है। इसलिए बड़े तादाद में सिंचन विषमता को दूर करने के लिए भारी संख्या में आवश्यकतानुसार ट्यूबवेल सरकार द्वारा लगाये जाना चाहिए व पम्प कैनाल बढ़ाये जाना चाहिए।

3–चूंकि बांदा जनपद दस्यु प्रभावित क्षेत्र है। इसका कारण जनपद में बीहड़ इलाका अधिक होने व सड़कें न होने के कारण ही मुख्य है। अतः बांदा जनपद में जो मार्ग कच्चे हैं व आवश्यक है उनका निर्माण सरकार को यथाशीघ्र करवाना चाहिए।

4–जैसा कि आपको व सरकार को ज्ञात है कि बांदा जनपद आर्थिक स्थिति में पूरे प्रदेश में सबसे पीछे है विकास में भी सबसे पीछे है। इसका कारण यह है कि बांदा जनपद में कोई उद्योग नहीं है इस संबंध में भी सरकार को उद्योग लगाना चाहिए।''

36–श्री विशम्भर प्रसाद निषाद–

प्रस्ताव के अन्त में निम्नलिखित जोड़ दिया जाय :–

''किन्तु खेद है कि श्री राज्यपाल ने अपने अभिभाषण में निम्नलिखित के संबंध में कोई उल्लेख नहीं किया:–

1–प्रदेश के मंदिरों को प्राप्त दान सम्पत्ति के लेखा जोखा के संबंध में।

2–गरीब मजदूरों नंगे भूखे लोगों के प्रति दिन रोजी, रोटी, कपड़ा एवं रोजगार देने के संबंध में।

3–शिक्षा की असमानता एवं कक्षा 1 से 12 तक निःशुल्क शिक्षा के संबंध में।

4–उ0 प्र0 के किसानों, मजदूरों द्वारा 1987 से लिए गए समस्त ऋणों को रुपया 10,000 तक माफ करने के सम्बन्ध में।

5–उत्तर प्रदेश के एक करोड़ निषादों मल्लाहों के पैत्रिक धन्धे बालूघाट नाव घाट, नदियों की जलधार को स्वतंत्र कराकर नीलामी खत्म कर पट्टे पर देने एवं बाढ़ग्रस्त क्षेत्र में आवासीय सुविधा उपलब्ध कराने के सम्बन्ध में ।

6–भारतीय मजदूर किसान जो अपने हाथ से स्वयं खेती करता है उनके लिए खेत की व्यवस्था कराने के सम्बन्ध में ।

7–जनपद बांदा में तुर्रा नाले पर पुल निर्माण एक वर्ष के अन्दर पूरा कराने के सम्बन्ध में।

8–जनपद बांदा में बांदा–तिन्दवारी के बीच उसरा नाले पर पुल एवं तिन्दवारी बबेरू मार्ग पर गडरा नाले पर पुल बनवाने के सम्बन्ध में ।

9–जनपद बांदा में भूरागढ़ पम्प कैनाल व अछरोड़ पम्प कैनाल व अगारा व पम्प कैनाल व भौरा पम्प कैनाल व इछावर पम्प कैनाल व सिन्धन कला पम्प कैनाल निकालने के संबंध में ।

10–जनपद बांदा में पौलानी घाट पर पार्क बनवाने एवं राजकीय बस स्टाप बनवाने के सम्बन्ध में ।

11–उ0प्र0 में कन्ट्रोल की राशन वितरण प्रणाली शहरी एवं ग्रामीण क्षेत्र में बराबर करने के सम्बन्ध में ।

12–जनपद बांदा में पौलानी तहसील एवं कानाखेड़ा ब्लाक पूर्व की भांति बनाने के सम्बन्ध में ।

13–जनपद बांदा में प्राथमिक पाठशाला 250 से अधिक आबादी वाले पुरवों जैसे ब्लाक जसपुरा में गजपुरवा, क्योटरा (सिकहुला) सिन्नेसपुरवा ब्लाक तिन्दवारी में, चकला (चिल्ला) छनिहन डेरा (खप्टिहाला) आबादी (भरसाँड़ा) बड़ोसर खुर्द में बाँधीपुरवा (भूरागढ़) बंशीपुरवा (टुरेड़ी) में खुलवाने के सम्बन्ध में ।

14–जनपद बांदा के तिन्दवारी व जासपुरा क्षेत्र में फैक्ट्री खुलवाने के संबंध में।

15–जनपद बांदा के ग्राम बुधेड़ा नरायढ़, हरवंशपुरवा धरीखेड़ा, चाँकीपुरवा, हूसीपुरवा, झंझरी में विद्युतीकरण करने के सम्बन्ध में ।

16–जनपद बांदा में ब्लाक जसपुरा के ग्राम झंझरीपुरवा व तिन्दवारी ब्लाक के साड़ी ग्राम में पुलिस चाँकी खुलवाने के सम्बन्ध में ।

37–श्री महेन्द्र प्रताप सिंह–

प्रस्ताव के अन्त में निम्नलिखित जोड़ दिया जाय:–

"किन्तु खेद है कि श्री राज्यपाल ने अपने अभिभाषण में निम्नलिखित के संबंध में कोई उल्लेख नहीं किया:–

1–पूरे प्रदेश में पुलिस उत्पीड़न, छात्रों पर गोलीबारी, भयंकर महंगाई के बारे में ।

2–मण्डल कमीशन की रिपोर्ट लागू कराने हेतु समयबद्ध कार्यक्रम की घोषणा के सम्बन्ध में ।

3–प्रदेश में विद्युत आपूर्ति की दुर्दशा, पूरे प्रदेश में ठप्प पड़ गए विकास कार्यों तथा अल्पसंख्यकों के दिलों में व्याप्त भय के निवारण के संबंध में,

4–इलाहाबाद जनपद के झूंसी विधान सभा क्षेत्र में पूर्व वर्ष में स्वीकृत जी0 टी0 रोड, चन्दौहा मार्ग, तारडीह लिंक रोड पर लेपन का कार्य जो रोक दिया गया है तथा सहसों गुलाल पुर मार्ग, थानापुर मार्ग मेंड़ुआ मार्ग का कार्य मण्डी परिषद् से शीघ्र पूरा कराये जाने के सम्बन्ध में,

5–बाबूगंज चिलोड़ा मार्ग, सिकन्दर गारापुर, झूंसी मार्ग, जी0 टी0 रोड विरगापुर मण्डौर मार्ग, सराय इनायत बरियारी मलावां मार्ग, सहसों चन्दौहा मार्ग, बाबूगंज कनेहती मार्ग गौरापुर बलीपुर खेवराजपुर मार्ग पर रपटा निर्माण मार्ग, जमुनीपुर बेलवार मार्ग, जी0 टी0 रोड, सुदनीपुर मार्ग, जमुनीपुर बेलवार मार्ग, चमनगंज रिठैया मार्ग आदि मार्गों के निर्माण कार्य पूर्ण कराने के संबंध में,

6–झूंसी विधान सभा क्षेत्र में बहादुरपुर ब्लाक एवं बहरिया ब्लाक में कन्या हायर सेकेण्डरी स्कूल की स्थापना के सम्बन्ध में,

7–झूंसी विधान सभा क्षेत्र के बलीपुर, लखरावां, प्रतापपुर बसौधा, मनेथू कनेहटी, पूरनपुर चक हुसैना, सराय हुसैना, फुलहां, सराय रहियां, बभन-कुईंया, महेशपुर, चिखड़ी, कौड़रू आदि ग्रामों का विद्युतीकरण का कार्य शीघ्र कराये जाने के सम्बन्ध में,

8–डुडरी माइनर पर अन्दवां ग्राम में तीन पुलों का निर्माण नूरपुर माइनर पर तथा बनकट माइनर पर पुलों का निर्माण कार्य, पतुलकी, कनेहली तथा भरहरी के सामने शारदा सहायक पर पुलों का निर्माण कराये जाने के संबंध में,

9–कमला नगर, हेतापट्टी में पशु अस्पताल की स्थापना तथा अन्दावां पशु-अस्पताल का भवन निर्माण कराए जाने के सम्बन्ध में ।''

38–श्री सुरेश प्रताप गांधी, श्री राम सरन सिंह तथा श्रीमती ज्ञानवती सिंह–

प्रस्ताव के अंत में निम्नलिखित जोड़ दिया जाय:–

किन्तु खेद है कि श्री राज्यपाल ने अपने अभिभाषण में निम्नलिखित के संबंध में कोई उल्लेख नहीं किया :–

1–न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम के अन्तर्गत प्रदेश के एक हजार से अधिक जनसंख्या वाले ग्रामों को लेपन स्तर तक पक्के मार्गों से जोड़ दिए जाने के संबंध में।

2–प्रदेश के राजकीय चिकित्सालयों में चिकित्सकों के दीर्घकाल से रिक्त स्थानों पर चिकित्सकों की नियुक्ति किए जाने तथा औषधियों व अन्य चिकित्सीय आवश्यक सुविधायें सुलभ कराने के संबंध में ।

3–प्रदेश के प्रत्येक विकास खण्ड के कम से कम एक हरिजन बाहुल्य ग्राम में दीन दयाल सिंचाई योजना के अन्तर्गत राजकीय नलकूप लगाने व सिंचन सुविधा सुलभ कराये जाने के संबंध में।

4–प्रदेश के तापीय विद्युत गृहों में द्रुतगति से गिरते उत्पादन में सुधार लाने तथा विद्युत गृहों को कोयले की आपूर्ति समय से किया जाना सुनिश्चित किये जाने के सम्बन्ध में ।

5–ग्रामीण क्षेत्रों में निर्धारित अवधि में अबाधित गति से विद्युत आपूर्ति सुनिश्चित किये जाने के सम्बन्ध में ।

6–अलीगढ़ जनपद के ग्रामीण क्षेत्रों में बढ़ते हुए आतंक, अपराध, डकैती, अपहरण तथा हत्या की घटनाओं को रोकने व उन पर नियन्त्रण करने के संबंध में अपराधियों को संरक्षण देने वाले के विरुद्ध कार्यवाही करने के विषय में ।

7–अलीगढ़ जनपद की सिकन्दरामऊ तहसील में राजकीय डिग्री कालेज खोले जाने तथा मुंसिफ न्यायालय की स्थापना किए जाने के सम्बन्ध में।

8–अलीगढ़ के इगलास में उच्चीकृत प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र में विद्युत व जल आपूर्ति की व्यवस्था किए जाने के सम्बन्ध में ।

9–दीन दयाल विकास योजना के अन्तर्गत प्रदेश के सभी विकास खण्डों में सघन मिल्क डेरी योजना तथा पशु विकास की स्वरोजगार योजना को एक साथ चलाए जाने के सम्बन्ध में ।

10–अलीगढ़ के हाथरस व सिकन्दरामऊ नगरों में पेयजल की समुचित व्यवस्था आगामी ग्रीष्म ऋतु से पूर्व किए जाने के सम्बन्ध में ।

11–अलीगढ़ की सलेमपुर पेट्रोकैमिकल परियोजना की स्थापना के लिए राज्य सरकार के स्तर पर किये जाने वाले कार्यों के सम्बन्ध में ।

12–पश्चिमी उ0प्र0 में कृषि उत्पादन की नयी तकनीक के अध्ययन प्रचलन के लिए आगरा में कृषि विश्व विद्यालय की स्थापना के किए जाने के सम्बन्ध में ।

13–जनपद अलीगढ़ के ऐतिहासिक महल के स्थान अगसौली मंदिर व धरणीधर इगलास के समन्वित पर्यटन विकास के सम्बन्ध में ।

14–अलीगढ़ के हाथरस और इगलास के मध्य नई चीनी मिल की स्थापना के सम्बन्ध में ।

15–हाथरस को जिला बनाये जाने के सम्बन्ध में ।

39–श्री महेन्द्र सिंह भाटी–

प्रस्ताव के अन्त में निम्नलिखित जोड़ दिया जाय:–

"किन्तु खेद है कि श्री राज्यपाल ने अपने अभिभाषण में निम्नलिखित के संबंध में कोई उल्लेख नहीं किया:–

1–ग्रेटर नोएडा एवम् नोएडा को प्रशासनिक जनपद के रूप में गठित करने के संबंध में ।

2–ग्रेटर नोएडा द्वारा प्रस्तावित भू-अधिग्रहण की दस प्रतिशत भूमि को विकसित कर किसी भी अधिभार से मुक्त करके उस भूमि पर किसानों को पुनर्स्थापित किए जाने के संबंध में ।

3–ग्रेटर नोएडा में भूमिहीनों, खेतिहर मजदूरों को ग्राम सभा की भूमि पर भवन बनाकर किश्तों में भवन उपलब्ध करने के संबंध में ।

4–ग्रेटर नोएडा में श्रमिकों को भजन उपलब्ध कराने में प्रबन्धकों एवम् हुडको की साझीदारी के सम्बन्ध में।

5–नोएडा एवम् इंटर नोएडा में औद्योगिक इकाइयों में ठेकेदारी प्रथा समाप्त करने के सम्बन्ध में।

6–स्टेलियन शॉक्स लि0 सूरजपुर श्री रठार पेपर मिल लि0 चिठेरा, फिनीक्स लि0 नोएडा, विवीएट लि0 नोएडा 11 के अवैधानिक तालाबन्दी के सम्बन्ध में।

7–कासना जनपद बुलन्दशहर में थाना बनाये जाने के सम्बन्ध में ।

8–दुजाना तहसील दादरी जनपद गाजियाबाद में स्वीकृत आई0टी0आई0 के चालू न किये जाने के सम्बन्ध में,

9–सूरजपुर औद्योगिक क्षेत्र में ई0एस0आई0 अस्पताल बनाये जाने के संबंध में।

10–भू-अधिग्रहण से प्रभावित नवयुवकों को प्रेरित कर प्राथमिकता के आधार पर औद्योगिक प्रशिक्षण देकर उद्योग लगाने के सम्बन्ध में,

11–दादरी तहसील में जनपद गाजियाबाद में कन्या डिग्री कालेज खोलने के संबंध में।

12–जनपद गाजियाबाद में प्रस्तावित प्राथमिक चिकित्सा केन्द्रों के निर्माण के संबंध में ।

13–जनपद गाजियाबाद के विकास खण्ड दादरी एवं विसरख के असंवित ग्रामों में प्राथमिक पाठशालाएं खोलने के संबंध में।

14–एन0टी0पी0सी0 विद्युत नगर (महाराणा प्रताप नगर) से दादरी, ग्रेटर नोएडा एवम् नोयडा को प्राथमिकता के आधार पर विद्युत वितरण के संबंध में ।

15–अपट्रान सार्वजनिक उपक्रम साहिबाबाद जनपद गाजियाबाद को बेचे जाने के संबंध में ।

16–यमुना नदी पर हरियाणा उत्तर प्रदेश को जोड़ने वाले प्रस्तावित पुल के निर्माण के संबंध में,

17–जनपद गाजियाबाद में पुलिस हिरासत में हुई हत्या रहीसुद्दीन, देवी सिंह एवम् लिंक रोड थाने में उड़िबावासी के सम्बन्ध में ।

40–श्री नरेन्द्र सिंह भाटी–

प्रस्ताव के अंत में निम्नलिखित जोड़ दिया जाय:–

"किन्तु खेद है कि श्री राज्यपाल के अभिभाषण में निम्नलिखित के सम्बन्ध में कोई उल्लेख नहीं किया :–

1–बुलन्दशहर जनपद के क्षेत्र सिकन्दराबाद के कस्बा दनकौर पर यमुना नदी पर मझावली के प्रस्तावित पुल जो हरियाणा व उत्तर प्रदेश को जोड़ता है, का निर्माण तुरन्त किये जाने के सम्बन्ध में,

2–बुलन्दशहर के क्षेत्र सिकन्दराबाद के भवनहीन प्रा0 पाठशालाओं का निर्माण तथा 1000 आबादी वाले ग्रामों में प्राइमरी पाठशाला खुलवाए जाने के संबंध में,

3–ग्रेटर नोएडा हेतु प्रस्तावित अधिग्रहण में 20 प्रतिशत विकसित भूमि किसानों को फ्री होल्ड दिये जाने के संबंध में,

4–प्रस्तावित ग्रेटर नोएडा भू-अधिग्रहण से प्रस्तावित किसानों के बच्चों को अनिवार्य रूप से औद्योगिक इकाइयों में रोजगार दिए जाने के सम्बन्ध में,

5—ग्रेटर नोएडा से भूमिहीन खेतिहर मजदूरों को आवासीय पट्टे अन्यथा ई0 डब्लू0 एस0 मकान बनाकर दिए जाने के सम्बन्ध में,

6—20-5-91 को हुए दंगे में कस्बा सिकन्दराबाद में जो लोग मारे गए अलावा जिन दुकानों व मकान को जलाकर राख कर दिया गया, उनको उचित मुआवजा अविलम्ब दिए जाने के सम्बन्ध में,

7—औद्योगिक क्षेत्र सिकन्दराबाद में विलार्ड इण्डिया लि0 के तालाबन्दी के संबंध में ।

8—कस्बा सिकन्दराबाद में कन्या डिग्री कालेज खोलने के सम्बन्ध में।

9—कस्बा सिकन्दराबाद की जलापूर्ति की समस्या के निदान हेतु एक ओवर हेड टैंक तथा चार नलकूप के निर्माण के सम्बन्ध में।

41—श्री श्याम नारायन तिवारी—

प्रस्ताव के अंत में निम्नलिखित जोड़ दिया जाय:—

"किन्तु खेद है कि श्री राज्यपाल ने अपने अभिभाषण में निम्नलिखित के संबंध में कोई उल्लेख नहीं किया:—

1—पूरे प्रदेश में बिजली विभाग द्वारा मीटर, स्विच और लोड के नाम पर जो विद्युत आतंक पैदा किया गया है और चारों तरफ हाहाकार मचा है उसे तुरन्त रोके जाने के संबंध में,

2—बिजली के लिए तरसते हुए फरेन्दा-लक्ष्मीपुर पनियरा, सिसवा और महराजगंज के गांवों में जहां कागज में बिजली लगी हुई दिखा कर विद्युतीकरण रोका गया है का तुरन्त विद्युतीकरण कराये जाने के सम्बन्ध में,

3—गन्ना पैदा करने वाले किसानों को सरकार द्वारा निर्धारित बढ़ा मूल्य और बकाया दिलाए जाने और किसानों के गन्ना की समय से बिक्री हेतु सट्टा एवं अतिरिक्त सट्टे की व्यवस्था को ठीक कराये जाने के सम्बन्ध में,

4—आनन्द नगर गन्ना मिल के विस्तार के लिए सरकार द्वारा धन की व्यवस्था करने के सम्बन्ध में,

5—रतनपुर (लक्ष्मीपुर) में खोलने वाले चीनी मिल की वहीं स्थापना के संबंध में,

6—फरेन्दा और नौतनवा तहसीलों के सभी गांवों में सरकारी नलकूप समूह में लगवाये जाने तथा प्रस्तावित सरजू नहर परियोजना को पूरा कराकर लक्ष्मीपुर फरेन्दा और पनियरा के गांवों को नहरों से जोड़ दिए जाने के संबंध में,

7—खड़खड़िया का पीपे का स्वीकृत पुल राप्ती नदी पर तुरन्त बनवाये जाने के संबंध में,

8—बंसार से खुरहापुर हाड़याकोट, सोनावन्दी, राजपुर होते हुए नौटन तक जाने वाली सड़क को तुरन्त पिच कराये जाने के सम्बन्ध में,

9—पचरूखी, परसावेनी, लेजार महादेवा, उदितापुर, भगवतनगर महुअवा समरधीरा सोरहा, वेला, नयनसर, मनिकौरा, सेमरा महराज ढेढ़घाट-करमहा, लेहड़ा, कवलदह, इलाहावास-लालपुर-मोहनापुर तथा जंगल से बरडाड की सड़कों को तुरन्त पिच करवाये जाने के सम्बन्ध में,

10—श्रीनगर ताल पर पुल, कवलदह फवलपुर मार्ग पर पुल, सेमरहनी मार्ग पर पुल, वरडाड़, श्रीनगर मार्ग पुल, दुर्गा मंदिर मार्ग में नाले पर पुल, मधुकरपुर महदेवा का पुल, ढांढ़घाट से वसहवा का पुल, खरकटवा का पुल तुरन्त बनवाये जाने के संबंध में,

11—महाव नाले पर लक्ष्मीपुर पुराने स्वीकृत तटबन्ध को बनवाये जाने के संबंध में,

12—नौतनवां से महराजगंज वाया अड्डा बाजार मुड़ली-बैलवा-लक्ष्मीपुर-समरधीरा मार्ग पिच स्तर तक बनवाने जाने के सम्बन्ध में,

13—तहसीलों और ब्लाकों का पुनरसीमांकन करा कर थानों के साथ ठीक किये जाने के संबंध में जिससे फरेन्दा तहसील के जो गांव नौतनवा के पास है वहां और जो नौतनवां के फरेन्दा के पास हैं तथा फरेन्दा के जो ग्राम गोरखपुर में गए हैं फरेन्दा में व्यवस्थित हो सकें,

14—बनटांगिया सूरसार, खुर्रमपुर अचलगढ़, तिनकोनिया, दर्रा को गांव माने जाने और उनकी जमीनों का तुरन्त बन्दोबस्त कराकर माल विभाग से सभी सुविधायें दिये जाने, टांगियां मजदूरों पर चलने वाले सभी मुकदमें वापस लिये जाने तथा उन्हें मकान बिजली और सिंचाई की सुविधा दिए जाने के सम्बन्ध में,

15—न्याय पंचायत का गठन तुरन्त करा करके न्याय व्यवस्था को सरल बनाए जाने के संबंध में,

16—वन कर्मचारियों, ठूठ लिपिकों, वन अध्यापकों व वन निगम के सभी कर्मचारियों की छंटनी रोककर उन्हें स्थायी किए जाने के संबंध में,

17—औशिक नलकूप चालकों को स्थायी किए जाने के संबंध में,

18—होमगार्डों एवं प्रान्तीय रक्षा दल के जवानों को स्थायी सुरक्षा बलों में व्यवस्थित किए जाने के संबंध में,

19—आंगन वाड़ी के कार्यकत्रियों और गांवों में कार्यरत दाइयों को स्थायी किए जाने, सभी हेल्थ गाइडों (स्वास्थ्य रक्षकों) को स्थायी कर्मचारी माने जाने के संबंध में,

20—साम्प्रदायिक दंगा को रोकने के लिए दंगा निरोधक बल बनाए जाने तथा पुलिस, होम गार्ड एवं अन्य नौकरियों में अल्पसंख्यक वर्ग का प्रतिनिधित्व एवं आरक्षण दिए जाने के संबंध में,

21—आरक्षण नीति को लागू कर समाज में पिछड़े हुए लोगों को उनका हक दिए जाने के संबंध में,

22—लेहड़ा फौजी छावनी की जमीन को आस-पास के पात्र व्यक्तियों में बांटे जाने के संबंध में,

23—आनन्दनगर को नगरपालिका, बृजमनगंज और कोल्हुई को टाउन एरिया बनाए जाने के संबंध में,

24—धानी, सोनीचरइया और हरपुर मानीपिपरा में बिजली का सब-स्टेशन खोले जाने के संबंध में,

25—लेहड़ा, घघवा, दुर्गा मंदिर (अदरौना) चौतरवा, सेमरहनी शिकारगढ़ में सरकारी अस्पताल खोले जाने के संबंध में,

26–आनन्दनगर (फरेन्दा) 30 शैय्या वाले पहले से मंजूर अस्पताल को बन-कटी पोखरे पर तुरन्त बनाए जाने के संबंध में,

27–खादों के दाम में अनुदान देकर कमी किए जाने और पुराने दामों पर ही दिए जाने के संबंध में,

28–प्रदेश में आयुर्वेद फार्मासिस्टों के परीक्षा पर लगे प्रतिबंध को समाप्त किए जाने तथा उत्तीर्ण आयुर्वेद फार्मासिस्टों की तुरन्त नियुक्ति किए जाने के संबंध में,

29–परीक्षा में नकल रोकने से संबंधित काले अध्यादेश को तुरन्त वापस किए जाने के संबंध में,

30–फरेन्दा (आनन्दनगर) कन्या विद्यालय को स्नातक स्तर तक किए जाने के संबंध में,

31–मक्तबों को उर्दू भाषा के प्रोत्साहन के लिए मदद दी जाने के संबंध में,

32–फरेन्दा क्षेत्र में चलने वाले रानीपुर, पिपराखल्ली मीरपुर, निरनाम, लेहड़ा, बरगाहपुर, कोल्हुई (चन्दनपुर) आदि स्कूलों को अनुदान सूची में रखे जाने के संबंध में,

33–अनुसूचित जाति की सूची में मुस्लिम वर्ग के अंसारी नद्दाक, भंगी आदि जातियों को रखे जाने के संबंध में,

34–सीलिंग कानून को और प्रभावी बनाकर, लम्बित और फर्जी मुकदमों को समाप्त कराकर गरीबों में जमीन बांटी जाने के संबंध में,

35–बृजमनगंज-सहजनवां-रुदखोड़ी मार्ग तथा गुजरवलिया मार्ग पिच करवाया जाय,

36–पुलिस जुल्म पर अंकुश लगाने एवं राजनैतिक भेदभाव के आधार पर राजनैतिक नेताओं और कार्यकर्ताओं का उत्पीड़न तुरन्त रोकने के संबंध में,

37–कृषि एवं प्रसार डिप्लोमा होल्डर्स की तुरन्त पोस्टिंग किये जाने के सम्बन्ध में,

38–सभी नौकरियों पर नियुक्तियों पर लगी रोक हटाने के संबंध में,

39–पी0 डब्लू0 डी0 और वन विभाग में दैनिक वेतन भोगी सभी कर्मचारियों को स्थायी किये जाने के संबंध में,

40–आनन्दनगर रेलवे स्टेशन के पास मुद्दत से रोजी करने वाले नाई, मोची, फल विक्रेता व ठेले वालों को पूर्व के अनुसार कार्य करने दिए जाने के संबंध में,

41–पुलिस विभाग के उपनिरीक्षकों, हेड सिपाहियों एवं सिपाहियों को कार्य के अनुसार सुविधा व उच्च वेतनमान दिए जाने के संबंध में।''

42–श्री राम कृष्ण–

प्रस्ताव के अन्त में निम्नलिखित जोड़ दिया जाय :–

''किन्तु खेद है कि श्री राज्यपाल ने अपने अभिभाषण में निम्नलिखित के संबंध में कोई उल्लेख नहीं किया :–

1–सीतापुर जिले में विधान सभा क्षेत्र मछरेहटा में रायगढ़ में स्वीकृत चीनी मिल का निर्माण कार्य प्रारम्भ कराने हेतु ।

2–सन्दना सीतापुर में विद्युत सब स्टेशन बनाने के संबंध में ।

3–मछरेहटा-जलालपुर मार्ग सीतापुर में रायपुर का पुल बनाने के संबंध में ।

4–नैमिष में अधूरा परिक्रमा मार्ग व सराय नदी पर पुल बनाने हेतु ।

5–बनियगा मऊ से मधवापुर तक पक्का व बेतवा नदी पर पुल बनाने के संबंध में ।

6–मधवापुर से परसवा व मछरेहटा तक मार्ग पक्का करने के संबंध में ।

7–विधान सभा क्षेत्र मछरेहटा में औरंगाबाद सन्दना व मछरेहटा में टाउन एरिया बनाने हेतु ।

8–प्रदेश में आंगन बाड़ी कार्यकत्री व सहायिकाओं को स्थायी नियुक्ति व राज्य सरकार के समान वेतन देने के संबंध में ।

9–उत्तर प्रदेश में दलित छात्रों पर लखनऊ में लाठी चार्ज की जांच व उनकी मांगों को लेकर चल रहे आन्दोलन को खत्म कराने के संबंध में ।

10–उत्तर प्रदेश में थानों पर चौकीदारों को राज्य सरकार के कर्मचारियों के समान वेतन देने हेतु ।

11–रामगढ़ चीनी मिल द्वारा बोया तीन लाख कुन्टल गन्ना खड़ा है जो मिल मालिक ने बीज देकर बुवाया था, उसकी सप्लाई की व्यवस्था के संबंध में ।

12–मछरेहटा क्षेत्र में हरिजनों व दलितों को पानी पीने हेतु हैण्ड पम्प लगवाने के संबंध में ।

13–उत्तर प्रदेश में अनुसूचित जाति व दीनतों की सुरक्षा के सम्बन्ध में ।''

4.3–श्री पूरन प्रकाश–

प्रस्ताव के अन्त में निम्नलिखित जोड़ दिया जाय :–

''किन्तु खेद है कि श्री राज्यपाल ने अपने अभिभाषण में निम्नलिखित के संबंध में कोई उल्लेख नहीं किया :–

1–नहरों की सफाई एवं खुदाई व किसानों के टेल (आखिरी) तक पानी पहुंचाने के संबंध में ।

2–किसानों के ट्यूबवेल को एवं गांवों में कम से कम 18 घण्टे बिजली आपूर्ति के संबंध में ।

3–अनुसूचित जाति के बेरोजगार युवकों को उद्योग धन्धे लगाकर अपनी जीवकोपार्जन के संबंध में,

4–अनुसूचित जाति के आरक्षण कोटा को समस्त श्रेणियों में पूरा कराने के संबंध में,

5–मथुरा जनपद में अधिकांश खारा पानी है एवं पेयजल की विकराल समस्या को दूर करने के संबंध में,

6–मथुरा जनपद के गोवर्धन क्षेत्र जो कि काफी पिछड़ा हुआ है फरह ब्लाक व गोवर्धन ब्लाक के ग्रामों में सड़क सम्पर्क मार्ग जोड़ने के संबंध में,

7–प्राइमरी स्कूल की इमारतें जो जर्जर हैं एवं बच्चे खुले आसमान के नीचे पढ़ते हैं, ऐसे स्कूलों की इमारत बनाने के संबंध में,

8–अनुसूचित जातियों को जो भूमि ग्राम सभा की बचत में दी गयी है एवं मकान बनाने के पट्टा दिये गये हैं, उस भूमि का कब्जा दिलाने के संबंध में,

9–जल निगम द्वारा पेयजल योजना के अन्तर्गत आए ग्रामों को पेयजल मुहैय्या कराने के संबंध में,

10–अनुसूचित जाति, पिछड़ी जाति के विद्यार्थियों को वजीफा प्रदान करने की प्रक्रिया के सरलीकरण के संबंध में,

11–मथुरा जनपद में 20 से अधिक पुलिस स्टेशन हैं परन्तु सिर्फ 2 पर अनुसूचित जाति के इन्चार्ज हैं इन्हें बढ़ाने के संबंध में,

12–जनपद मथुरा में राम गंगा कमाण्ड द्वारा 6 वर्ष पूर्व गूल नालियों, खेतों में जो यह कह कर बनायी थी कि सरकार उन्हें बना रही है और आज उन नालियों गूलों का पता नहीं है जबकि इसकी रु0 8,000, 10,000 की राशि तहसील से वसूल की जा रही है इसे रोकने के संबंध में,

13–मथुरा में आवास विकास परिषद् द्वारा बनाए गए विभिन्न श्रेणी के मकानों के आवंटन में अनुसूचित जाति आरक्षण कोटा को पूरा कराने के संबंध में,

14–मथुरा जनपद में मथुरा वृन्दाबन विकास प्राधिकरण में गोलमाल एवं ऊंची बांगर जो कि यू0 पी0 के सबसे बड़ी कालोनी है के फेल होने के संबंध में,

15–मथुरा वृन्दावन के विकास प्राधिकरण के अधिशासी अभियन्ता द्वारा अवैध रूप से नक्शा पास करके धन वसूलने की जांच के संबंध में ।

44–श्री दल सिंगार यादव–

प्रस्ताव के अंत में निम्नलिखित जोड़ दिया जाय:–

"किन्तु खेद है कि श्री राज्यपाल ने अपने अभिभाषण में निम्नलिखित के संबंध में कोई उल्लेख नहीं किया है :–

1–जनपद आजमगढ़ के निर्वाचन क्षेत्र गोपालपुर वर्ष 1991-92 में भीषण सूखा के बारे में,

2–प्रदेश में पुलिस उत्पीड़न, कत्ल, डकैती, रोहजनी, बलात्कार, पिछड़े दलितों एवं अल्पसंख्यकों पर अत्याचार के बारे में,

3–प्रदेश में महंगाई एवं भ्रष्टाचार के बारे में,

4–प्रदेश में बिजली और पानी के अभाव से किसानों के प्रभावित होने के बारे में,

5–प्रदेश के किसानों के लिए उर्वरक एवं बीज को घटाने के बारे में,

6–प्रदेश की विकास योजनाओं को पूरी तरह से लागू न होने के बारे में,

7–जनपद आजमगढ़ के निर्वाचन क्षेत्र गोपालपुर में राज्य योजनाओं के अंतर्गत सड़क की स्वीकृति न दिए जाने के बारे में,

8–आजमगढ़ जनपद के भूड़िलवपुर से द्वारा जदीद जो कि स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों का ऐतिहासिक स्थान है और इस गांव की आबादी लगभग 10,000 है उक्त गांव तक सड़क निर्माण करने के बारे में ।

9–छोटी सरजू नदी पर पुल का निर्माण, भैरव जी के स्थान महाजीसिंहवारा जमालपुर कटया पर पुल निर्माण कराये जाने के बारे में,

10–भैरव जी के स्थान को पर्यटन केन्द्र जो पहले से ही शासन से स्वीकृत कर रखा है, बनाने के बारे में ।

11–प्रदेश में डिप्लोमा होल्डर, कृषि विभाग में हजारों हजार नवयुवकों को खपाने के बारे में ।

12–महबलगड़वर बांध को चौड़ा करके सड़क बनाने तथा फ्लड सेन्टर बनाने के बारे में ।

13–जनपद आजमगढ़ को जिला योजना द्वारा कम आवंटित धन बढ़ाकर अधिक से अधिक धन के आवंटन के बारे में ।

14–जनपद आजमगढ़ में जो पहले से राज्य सेक्टर से विकास योजना स्वीकृत थी उसे तुरन्त लागू किया जाए और जो शासन के विचाराधीन है उसके बारे में ।

45–श्री धरहू–

प्रस्ताव के अंत में निम्नलिखित जोड दिया जाय :–

किन्तु खेद है कि श्री राज्यपाल ने अपने अभिभाषण में निम्नलिखित के संबंध में कोई उल्लेख नही किया :–

1–प्रदेश में साम्प्रदायिक सद्भावना सुनिश्चित करने के लिए साम्प्रदायिक दलों, संगठनों, समहों तथा गिरोहों पर प्रतिबंध लगा दिया जायेगा ।

2–प्रदेश में पूर्व सरकार द्वारा प्रारम्भ कराए गए व स्वीकृत विकास कार्यों को पूर्ण धन देकर पूरा कराया जायेगा ।

3–प्रदेश के जिलाधिकारियों एवं परगनाधिकारियों को दायित्व सौंपा जायेगा कि सार्वजनिक वितरण प्रणाली के हित में संचालित सरकारी सस्ते गल्ले की दुकानों का उठान पुस्तिका और धारक के कार्डों के अनुसार वितरण सत्यापन तथा प्रति सप्ताह प्रति विकास खण्ड में कम से कम 5 दुकानों के वितरण का सत्यापन सुनिश्चित एवं अनिवार्य होगा ।

4–प्रदेश सरकार पिछड़े वर्ग के लिए 27 प्रतिशत आरक्षण से संबंधित मुकदमों की सक्षम पैरवी करेगी क्योंकि 52 प्रतिशत आबादी वाले नागरिकों को मात्र 27 प्रतिशत आरक्षण न दिया जाना सामाजिक अन्याय है ।

5–मण्डल आयोग के मूल बिन्दुओं को प्रदेश सरकार कार्यक्रम बनाकर प्रचारित करेगी तथा लागू कराने हेतु हर कदम उठायेगी ।

6–आजमगढ़, मऊ तथा बलिया जनपदों के सर्वांगीण विकास के लिए पूर्व सरकार द्वारा स्वीकृत सभी कार्यों को प्राथमिकता से धन देकर कराया जायेगा ।

7–मुंसिफ मजिस्ट्रेट की अदालत जो पूर्व में जनपद बलिया के तहसील रसड़ा में था पुनः रसड़ा में मुंसिफ मजिस्ट्रेट की नियुक्ति कर अदालत का कार्य कराया जायेगा ।

8–प्रधानपुर पुल जो बलिया जनपद एवं गाजीपुर जनपद को जोड़ता है का कार्य रुका है उसे अविलम्ब जनहित में बनवाया जायेगा ।

9–जनपद मऊ को कमिश्नरी घोषित कर कमिश्नरों का मुख्यालय सुनिश्चित किया जायेगा ।

10–बलिया जनपद के बिल्थरा रोड में तापीय विद्युत गृह की स्थापना इसी वित्तीय वर्ष में कराने के लिए केन्द्र सरकार से वार्ता कर उसका कार्य प्रारम्भ कराया जायेगा ।

11–जनपद मऊ एवं जनपद बलिया में 100 प्रतिशत विद्युतीकरण कराया जायेगा ।

12–जनपद मऊ के अम्बेदकर मार्ग जो रतनपुरा से बहादुरगंज गाजीपुर को जोड़ता है को अविलम्ब बनवाया जायेगा ।

46–श्री सुखवीर सिंह गहलौत–

प्रस्ताव के अन्त में निम्नलिखित जोड़ दिया जाय :–

"किन्तु खेद है कि श्री राज्यपाल ने अपने अभिभाषण में निम्नलिखित के संबंध में कोई उल्लेख नहीं किया :–

1–समाना तथा फरीदनगर जनपद-गाजियाबाद में डिस्पेन्सरी (स्वास्थ्य विभाग) खोलने के संबंध में ।

2–पिलखुआ जनपद-गाजियाबाद में 30 बिस्तरों के अस्पताल खोलने के संबंध में ।

3–मोदी नगर गाजियाबाद में 30 बिस्तरों के अस्पताल खोलने के संबंध में ।

4–मोदी नगर कपड़ा मिल तथा मोदी नगर डिस्टलरी जनपद-गाजियाबाद में चल रही अवैधानिक तालाबन्दी के संबंध में ।

5–मोदी नगर जनपद-गाजियाबाद के श्रमिकों की आवासीय समस्या के निदान हेतु श्रम विभाग की ओर से लेबर कालोनी के निर्माण किए जाने के संबंध में ।

6–पिलखुआ जनपद-गाजियाबाद में डिग्री कालेज खोलने के संबंध में ।

7–सपनावत व धोलाना में आई0 टी0 आई0 तथा धोलाना और भोजपुर ब्लाक में असेंक्ति ग्राम सभाओं में प्राथमिक पाठशाला खोले जाने के संबंध में ।

8–समाना जनपद गाजियाबाद में 32 के0 वी0 विद्युत केन्द्र के खोले जाने के संबंध में ।

9–फगौता में पशु चिकित्सालय खोले जाने तथा सपनावत जनपद गाजियाबाद में पशु चिकित्सालय भवन के पुनर्निर्माण के संबंध में ।"

47–श्री जगदीश सिंह राजा–

प्रस्ताव के अन्त में निम्नलिखित जोड़ दिया जाय :–

"किन्तु खेद है कि श्री राज्यपाल ने अपने अभिभाषण में निम्नलिखित के संबंध में कोई उल्लेख नहीं किया :–

1–मुजफ्फराबाद जनपद-सहारनपुर में पीने के पानी की व्यवस्था करीब 80 गांवों में न होने के बारे में ।

2–मुजफ्फराबाद जनपद सहारनपुर में कम से कम 100 नलकूप होने के संबंध में ।

3–मुजफ्फराबाद जनपद सहारनपुर में लगभग 200 किलोमीटर सड़क पर पेन्टिंग का कार्य होने के संबंध में ।

4–निर्वाचन क्षेत्र मुजफ्फराबाद सहारनपुर में एक डिग्री कालेज छुटमलपुर में खोलने के संबंध में ।

5–ब्लाक भगवानपुर जिला-हरिद्वार में सोलानी नदी पर पुल बनाने के संबंध में ।

48–श्री खालिद गौरी–

प्रस्ताव के अन्त में निम्नलिखित जोड़ दिया जाय :–

"किन्तु खेद है कि श्री राज्यपाल ने अपने अभिभाषण में निम्नलिखित का उल्लेख नहीं किया :–

1–प्रदेश के भूतपूर्व राज्यपाल श्री गणपति राव देव जी तपासे के निधन पर संवेदना का उल्लेख नहीं किया,

2–ग्रामीण युवकों तथा शिक्षित बेरोजगारों की बेरोजगारी दूर करने अथवा उन्हें बेरोजगारी भत्ता देने के संबंध में,

3–1990 में राम जन्मभूमि बाबरी मस्जिद विवाद को लेकर हुए प्रदेश व्यापी दंगों के दौरान मारे गए लोगों की विधवाओं को पेंशन देने तथा जिनके मकान या दुकानें नष्ट हुई को मुआवजा देने के संबंध में,

4–जवाहर रोजगार योजना के धन के उचित व्यय, दुरुपयोग रोकने तथा उसकी देखरेख हेतु किसी उचित व्यवस्था के संबंध में,

5–मण्डी समितियों के प्रजातांत्रिक ढंग से संचालन हेतु समितियों के चुनाव कराए जाने के संबंध में,

6–लघु सिंचाई कार्यक्रम को प्रभावशाली बनाने तथा सूखे से निपटने हेतु नए नलकूप लगाए जाने की किसी योजना के संबंध में,

7–प्रदेश के लघु तथा सीमान्त कृषकों के सिंचाई कर माफ किए जाने के संबंध में,

8–आतंकवाद से प्रभावित जिलों व निकटवर्ती जिलों में जैसे हरदोई, शाहजहांपुर, सीतापुर, फर्रुखाबाद आदि में शस्त्र लाइसेंस जारी करने के संबंध में.

9–ग्रामीण क्षेत्रों में आमतौर पर मिलावट किए गए डीजल की बिक्री पर रोक तथा निरीक्षण की किसी योजना के संबंध में,

10–प्रदेश के नगरीय क्षेत्रों में फर्जी राशन कार्डों की जांच तथा उन्हें समाप्त अथवा निरस्त किए जाने के संबंध में,

11–तकनीकी शिक्षा प्राप्त बेरोजगारों, इंजीनियरों तथा डाक्टरों आदि को रोजगार की गारन्टी दिए जाने के संबंध में,

12–प्रदेश की प्रत्येक तहसील स्तर पर एक डिग्री कालेज तथा ब्लाक स्तर पर इण्टर कालेज खोले जाने के संबंध में,

13–जनपद हरदोई के पिहानी विधान सभा क्षेत्र की निम्नलिखित समस्याओं के संबंध में :–

(क) पिहानी विधान सभा क्षेत्र के अन्तर्गत ग्रामों में खराब पड़े सिंचाई नल-कूपों को शीघ्र ठीक कराया जाना,

(ख) पिहानी में निर्मित मण्डी स्थल में शीघ्र मण्डी चालू किया जाना,

(ग) पिहानी नगर में सड़कों तथा नालियों का निर्माण कराया जाना,

(घ) ब्लाक टोडरपुर के गांव सिकन्दरपुर बाजार व ग्राम अमूरा के जल भराव में निपटने हेतु ड्रेन बनाए जाने की योजना,

(ङ) पिहानी कस्बे के विभिन्न मुहल्लों में प्रकाश व्यवस्था ठीक कराये जाने की योजना,

(च) पिहानी नगर में जल निगम की अर्द्ध निर्मित ओवरहेड टंकी के तुरन्त चालू कराया जाना,

(छ) पिहानी विधान सभा क्षेत्र के अन्तर्गत नहरों तथा अल्पिकाओं की समुचित सफाई (डीसिल्टिंग) कराये जाने की योजना,

14–संविधान के अनुच्छेद 333 के अन्तर्गत विधान सभा में आंग्ल भारतीय समुदाय के प्रतिनिधि को नियुक्त करने के संबंध में,

15–ऐसे भूतपूर्व विधायकों को जिनका कार्यकाल पांच वर्षों से कम रहा हो उन्हें पूरी पेंशन दिए जाने के बारे में ।''

49–श्री राजेन्द्र प्रसाद सिंह–

प्रस्ताव के अंत में निम्नलिखित जोड़ दिया जाय :–

'किन्तु खेद है कि महामहिम राज्यपाल ने अपने अभिभाषण में निम्नलिखित के के संबंध में कोई उल्लेख नहीं किया :–

1–राजगढ़ विधान सभा क्षेत्र के घोरावल विकास खण्ड 28 कडिया क्षेत्र के 28 गांवों एवं राजगढ़ विकास खण्ड के सतेश गढ़ एवं तेन्दुवा न्याय पंचायत के 26 गांव सभा में पेयजल समस्या का उल्लेख,

2–विधान सभा राजगढ़ क्षेत्र (मिर्जापुर) में सिंचाई सुविधा उपलब्ध कराने का उल्लेख नहीं किया,

3–पाषाण व्यवसाय से जुड़े हुए लोगों को कुटीर उद्योग का दर्जा नहीं दिया गया,

4–जनपद मिर्जापुर को शून्य उद्योग क्षेत्र घोषित किया जाय और पर्वतीय क्षेत्र का दर्जा देने एवं पर्वतीय क्षेत्र की सुविधाएं प्रदान करने का उल्लेख नहीं किया है ।

5–मिर्जापुर और सोनभद्र जनपद में भयंकर सूखे की स्थिति उत्पन्न होने वहां भुखमरी की स्थिति पैदा हो गयी है ऐसी परिस्थिति में दोनों 20-20 करोड़ रुपया राहत दिया जाने का उल्लेख नहीं किया है । किसानों की समस्त देय वसूली को रोकने का उल्लेख नहीं किया है ।

6–राजगढ़ विधान सभा क्षेत्र महाविद्यालय तथा एक राजकीय कन्या इण्टर कालेज खोलने का उल्लेख नहीं किया है ।

7–राजगढ़ विधान सभा क्षेत्र में नलकूप लगाये जाने का उल्लेख नहीं किया है।

8–राजगढ़ विधान सभा में नागरिकों की आवागमन सुविधा हेतु सड़कों के निर्माण का उल्लेख नहीं किया है ।

9–छात्रों एवं किसानों पर पुलिस द्वारा किये जा रहे अत्याचार, गोली वर्षा को रोकने का उल्लेख नहीं किया गया है ।

10–बिजली और खाद के बढ़े हुए मूल्यों को कम करने का कोई उल्लेख नहीं है ।

11–किसानों पर लगे मण्डी शुल्क संबंधी प्रतिबन्धों को हटाये जाने तथा किसानों को शुल्क मुक्त किये जाने के संबंध में कोई उल्लेख नहीं है ।

12–किसानों को मिलने वाली ऋण सुविधा में पड़ने वाली स्टाम्प डियूटी समाप्त किये जाने का उल्लेख नहीं है ।

13–राजगढ़ विधान सभा क्षेत्र के अंतर्गत भोइली और सेरवां के निवासियों को खारे पानी पीने की समस्या को हल करने का कोई उल्लेख नहीं है । यहां पर लगभग 20 हजार लोग खारा पानी पी रहे हैं ।

14–किसानों को उर्वरक बीज एवं खाद सस्ते दाम पर उपलब्ध कराने तथा रबी की फसल में लगे हुए कीड़ों के उपचार हेतु जनपद मिर्जापुर एवं सोनभद्र में दवा उपलब्ध कराने का उल्लेख नहीं है ।

15–प्रदेश में बीड़ी मालिकों द्वारा अपने यहां कार्यरत मजदूरों को शासन द्वारा निर्धारित मजदूरी दिलाये जाने का कोई उल्लेख नहीं है।

16–जनपद मिर्जापुर में पाषाण उद्योग को नीलामी प्रथा से रोके जाने का कोई उल्लेख नहीं है ।

50–श्री बाबू खां–

प्रस्ताव के अंत में निम्नलिखित जोड़ दिया जाय :–

"किन्तु खेद है कि श्री राज्यपाल ने अपने अभिभाषण में निम्नलिखित के संबंध में कोई उल्लेख नहीं किया :–

1–यह सरकार पूरी तरह असफल सिद्ध हुई है ।

2–विकास के कार्य ठप्प पड़ गये हैं ।

3–कानून व्यवस्था पर कोई नियन्त्रण नहीं रह गया है।

4–दलितों, पिछड़ों एवं अल्प संख्यकों के कल्याण की कोई भी योजनाए नहीं बनाई गयी है।

5—जनपद हरदोई के शाहाबाद क्षेत्र में सड़कों, ड्रेनों के निर्माण की रूप रेखा प्रस्तुत नहीं की गई है ।

6—उक्त जिले के शाहाबाद कस्बे में डिग्री कालेज नहीं खोला गया है ।

7—शाहाबाद क्षेत्र के ग्रामीण क्षेत्रों में सिंचाई के साधन उपलब्ध कराना सुनिश्चित नहीं किया गया है ।

51—श्री दिनेश चन्द्र सोनकर—

प्रस्ताव के अंत में निम्नलिखित जोड़ दिया जाये :—

"किन्तु खेद है कि श्री राज्यपाल ने अपने अभिभाषण में निम्नलिखित के संबंध में कोई उल्लेख नहीं किया :—

(1) चायल तहसील जिसका मुख्यालय शहर में स्थित है उसे ग्रामीणों के सुविधा हेतु चायल के ग्रामीण क्षेत्र में स्थापित करने के संबंध में ।

(2) चायल में मनौरी एवं पुरखांस में पेयजल सुविधा हेतु पानी की टंकियां (पाइप लाइन द्वारा पेयजल आपूर्ति) के संबंध में ।

(3) चायल में चरवा भरवारी मार्ग से काजू, घूरी होते हुए बेनीराम बटरा मोड़ तक एवं तिलहपुर मोड़ से औंधन घाट तक तथा चायल से जलालपुर शाना उमरच्छा तक की सड़क बनाने के संबंध में ।

(4) चायल में उद्योग शून्यता समाप्त करने हेतु किसी बड़े कारखाने की स्थापना के संबंध में।

(5) चायल में सिंचाई की समस्या के निराकरण हेतु अधिक से अधिक क्षेत्र में नलकूप लगवाने के संबंध में ।

(6) चायल में विद्युतीकरण की सुविधा से वंचित गांवों में विद्युतीकरण कराने के संबंध में ।

(7) चायल में नेवादा ब्लाक में घूरी से बैर आम्द करारी (बैरगांव) जाने वाली सड़क पर एवं बीच में पड़ने वाली कसैन्दा से बलहेपुर पर जाने वाली सड़क पर बीच में पड़ने वाले सुरखदेरी नदी पर पुल बनवाने के संबंध में ।

(8) चायल के ब्लाक मूरतगंज, नेवादा एवं चायल से उच्चस्तर के चिकित्सालयों के निर्माण के संबंध में ।

(9) इलाहाबाद के दुवाबा क्षेत्र से स्थित ऐतिहासिक स्थल कौशाम्बी, पभोसा एवं कड़ा को पर्यटक केन्द्र घोषित करने के संबंध में ।

(10) विगत 1991 के माह मई में चायल के सरायअकिल कस्बे में हुये दंगों में मारे गये लोगों के परिवारों को एवं जलायी गयी दुकानों के मालिकों के आत्मविश्वास को जगाने एवं समुचित मुआवजा देने के संबंध में।

(11) उत्तर प्रदेश में कोलजाति को अनुसूचित जन जाति में शामिल करने के संबंध में ।

52–श्री दुलारे लाल–

प्रस्ताव के अन्त में निम्नलिखित जोड़ दिया जाय:–

"किन्तु खेद है कि श्री राज्यपाल ने अपने अभिभाषण में निम्नलिखित के संबंध में कोई उल्लेख नहीं किया :–

1–मिर्जापुर के छानवे क्षेत्र में आदिवासियों के भूखमरी की समस्या के निराकरण के संबंध में ।

2–छानवे क्षेत्र के पहाड़ी एवं जंगली क्षेत्रों को प्राथमिकता के आधार पर विकसित करने के संबंध में ।

3–छानवे क्षेत्र के अन्तर्गत गांव के सम्पर्क मार्गों के निर्माण के संबंध में ।

4–छानवे क्षेत्र के हलिया ब्लाक के भँसोड़ ब्लाक तहाड़ (लहुरिया दह) मतवार, उमरिया, बेंवघाट न्याय पंचायतों तथा लालगंज ब्लाक के रानीबारी पजरा, दुबार तथा छानवे न्याय पंचायत के क्षेत्र में सूखे की स्थिति तथा पेयजल की समस्या के संबंध में ।

5–छानवे क्षेत्र में अधिक से अधिक विद्युतीकरण करने के संबंध में ।

6–छानवे क्षेत्र में शिक्षा के स्तर को ऊंचा उठाने हेतु कालेजों एवं प्राइमरी पाठशालाओं को आवश्यकता अनुसार खुलवाने के सम्बन्ध में।

53–श्री निरबन्द कुमार–

प्रस्ताव के अन्त में निम्नलिखित जोड़ दिया जाय :–

"किन्तु खेद है कि श्री राज्यपाल ने अपने अभिभाषण में निम्नलिखित के संबंध में कोई उल्लेख नहीं किया :–

1–प्रदेश के विकास कार्य ठप्प पड़ जाने के संबंध में ।

2–कानून व्यवस्था नाम की कोई चीज न रह जाने के सम्बन्ध में,

3–आतंकवाद से निपटने के कोई ठोस उपाय न किये जाने के संबंध में,

4–राजनीति में साम्प्रदायिकता का जहर घोले जाने के संबंध में,

5–जनपद खीरी के विधान सभा निधासन क्षेत्र के पिछड़ेपन को दूर करने के कोई उपाय न किये जाने के संबंध में,

6–जनपद खीरी की निधासन तहसील में सीलिंग एवं ग्राम समाज की भूमि को अवैध तरीके से वन विभाग के नाम गजट करा दिए जाने के संबंध में,

7–जनपद लखीमपुर खीरी के निधासन तहसील में 95 प्रतिशत घर घास फूस कोरव, बल्ली, धाम, थुन्नी से बने हुए है । प्रति वर्ष हजारों घर आग में जल जाते है । इन्हें तत्काल राहत न देकर कुटि बीमा भरकर भेज दिये जाते है जिसके कारण वर्षों अग्नि पीड़ितों को जले हुए घरों को उन्हें बनाना दूभर होता है । पूर्व वर्षों के भांति दैवी आपदा कोष से ही उन्हें नगद भुगतान कराये जाने के संबंध में,

8–जनपद लखीमपुर खीरी के निधासन तहसील में वर्षों पूर्व सीलिंग पट्टेदारों एवं ग्राम समाज के पट्टेदारों को कब्जे दिलाये जाने के संबंध में।

9–जनपद लखीमपुर खीरी के तहसील निघासन की कालोनियों की भूमि का नियमितीकरण किए जाने के संबंध में,

10–जनपद लखीमपुर खीरी के तहसील नियासन में सुहेली नदी के दक्षिण किनारे पर बन्धा न बनाये जाने के कारण सूहेली नदी का पानी उफना कर पलिया ब्लाक के लगभग समस्त किसानों की फसलों को तबाह कर दे रहा बन्धा बनवाये जाने के संबंध में,

11–शारदा घाघरा नदियों द्वारा प्रतिवर्ष हजारों एकड़ भूमि खेती योग्य कटान करती चली जा रही है जिसे रोकने हेतु पत्थरों की ठोकरें लगवाए जाने के सम्बन्ध में ।

12–साठ वर्ष से अधिक वृद्धा अवस्था पेंशन समस्त बारिसहीनों को दिलाए जाने के सम्बन्ध में ।

13–वर्तमान जनसंख्या के आधार पर चीनी, मिट्टी का तेल दिलाए जाने के सम्बन्ध में ।

14–चकबन्दी विभाग द्वारा खतौनियों में अंकित भूमि रकबा के विपरीत लगभग समस्त ग्रामों में नक्शे पर चक (शूचित) छोटे व बड़े बनाए जाने के सम्बन्ध में ।

15–सम्पूर्णानगर मझगई निघासन तिकुनिया को टाउन एरिया घोषित किए जाने के सम्बन्ध में ।

16–आतंकवाद से ग्रसित निघासन तहसील के पलिया को जिला घोषित किए जाने के सम्बन्ध में ।

17–लखीमपुर खीरी के निघासन तहसील में बम्हनपुर में सहकारी चीनी मिल की स्थापना कराए जाने के सम्बन्ध में ।

18–शासन द्वारा निर्धारित मजदूरी सभी श्रमिकों को दिलाए जाने के सम्बन्ध में ।

19–जनपद लखीमपुर खीरी के निघासन तहसील में कोई भी रोडवेज बसें नहीं चल रही है । वहां पर रोडवेज बसें चलाए जाने के सम्बन्ध में ।

20–आतंकवाद से प्रभावित निघासन तहसील के प्रत्येक ग्रामों में जनसंख्या के आधार पर शस्त्रों के लाइसेंस दिए जाने के संबंध में ।

21–जनपद लखीमपुर के तहसील निघासन में पचपेड़ी घाट का पुल बनवाकर जिला मुख्यालय से जोड़े जाने के सम्बन्ध में ।

22–जनपद लखीमपुर खीरी के निघासन ब्लाक के अन्तर्गत दिंगाही से सिहोना होते हुए दोनों ओर पी0 डब्लू0 डी0 रोड होने के पश्चात् सिन्हौना पुल नहीं बना है । उसे वर्ष 1992 में ही बनाए जाने के सम्बन्ध में ।

23–जनपद लखीमपुर खीरी के निघासन तहसील में एक एक परिवार में हजारों एकड़ भूमि जोत रखी है । बेनामी सीलिंग फाइलें बनाकर भूमिहीन खेतिहर मजदूरों में बांटे जाने के सम्बन्ध में ।

24–सीलिंग से प्रभावित भू-स्वामियों ने उच्च न्यायालयों एवं कमिश्नरी से स्थगन प्राप्त कर सीलिंग की जमीन का अपना स्वामित्व बनाए हुए हैं, स्थगन आदेश निरस्त कराते हुए पट्टेदारों को कब्जा दिलाए जाने के सम्बन्ध में ।

25–पालिया ब्लाक सरकारी नलकूपों जो कि थारू जनजाति क्षेत्र में अधिकांश हैं लगभग 10, 12 वर्षों से मोटर नाली एवं हौज खराब होने के कारण किसी भी नलकूप से कोई किसान सिंचाई नहीं कर पा रहे हैं । उसमें सुधार करवाकर नलकूप चलवाए जाने के सम्बन्ध में ।

26–दुधवा नेशनल पार्क के बने कठोर नियमों के कारण तथा पार्क के उचित स्थान की परिस्थिति न होने के कारण जनपद खीरी की तहसील निघासन की जनता में भारी असन्तोष है । इसलिए पार्क को निरस्त कराकर सुरक्षित वन घोषित किए जाने के संबंध में ।

27–जनपद लखीमपुर खीरी के तहसील निघासन में घास फूस धाम, घुन्नी, कांस, बल्ली के बने घरों में आग लगने के कारण हजारों घर प्रति वर्ष जल जाते हैं । ऐसे अग्निपीड़ितों को पुनः घर बनाने के लिए सरकार द्वारा उक्त सामग्री निशुल्क दिए जाने के संबंध में ।''

54–श्री रामेश्वर दयाल बाल्मीकि–

प्रस्ताव के अन्त में निम्नलिखित जोड़ दिया जाय :–

''किन्तु खेद है कि श्री राज्यपाल ने अपने अभिभाषण में निम्नलिखित के संबंध में कोई उल्लेख नहीं किया :–

1–सरकार द्वारा स्थानीय निकाय में लगे सफाई कर्मचारी व अन्य कर्मचारियों को समूचे प्रदेश में एक माह से लेकर 10, 20, 30, 40, महीने का वेतन नहीं मिला है । सरकार से बराबर उत्तर प्रदेशीय सफाई मजदूर संघ मांग करता रहा अन्त में मांग न पूरी होने पर सफाई कर्मचारी भूखों मरने के मांग करता रहा अन्त में मांग न पूरी होने पर सफाई कर्मचारी भूखों मरने के कगार पर पहुंच गए हैं । सरकार पर जू तक नहीं रेंगा । समूचे प्रदेश के स्थानीय निकाय कर्मचारियों ने 10 अक्टूबर, 1991 से समूचे प्रदेश में अनिश्चितकालीन हड़ताल की । अन्त में 16 अक्टूबर, 1991 को सरकार व उत्तर प्रदेशीय सफाई मजदूर संघ के बीच समझौता हुआ कि वेतन व दैनिक वेतन पर लगे कर्मचारियों का नियमितीकरण कर दिया जायेगा और महीने के प्रथम सप्ताह में वेतन वितरण कर दिया जाया करेगा । दैनिक वेतन पर लगे कर्मचारियों को अक्टूबर, 1991 तक की किसी को नहीं हटाया जायेगा, आदि मांगों के सम्बन्ध में भी किसी समय बैठकर बाकी समझौता किए जाने के संबंध में ।

2–वर्तमान सरकार ने वायदा खिलाफी की है और समाज में सबसे गरीब और उपेक्षित तबके का उत्पीड़न किया है । अतः समूचे प्रदेश के कर्मचारियों का बकाया वेतन वितरण करायें एवं अन्य मांगों को पूरा कराये जाने के संबंध में ।

3—वर्तमान फासिस्ट सरकार ने जनपद बिजनौर में विगत महीने में सबसे कठोर कार्य करने वाले सफाई कर्मचारियों/महिलाओं पर अपने वेतन मंगाने पर बिर्बर तरीके से जनपद बिजनौर के प्रशासन ने पुलिस लाठी चार्ज करवा के उनकी आवाज को दबाया । उनकी मांगों को माना जाय और दोषी पुलिस कर्मचारियों के खिलाफ सख्त कार्यवाही किए जाने के सम्बन्ध में ।''

55—श्री राममूर्ति सिंह—

प्रस्ताव के अन्त में निम्नलिखित जोड़ दिया जाय :—

''किन्तु खेद है कि श्री राज्यपाल ने अपने अभिभाषण में निम्नलिखित के संबंध में कोई उल्लेख नहीं किया :—

1—जनपद शाहजहांपुर में और खास तौर से विधान सभा क्षेत्र 64—जलालाबाद में फासिस्टवादी भाजपा सरकार के इशारे पर स्थानीय पुलिस द्वारा समाजवादी जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं के उत्पीड़न के संबंध में ।

2—विधान सभा क्षेत्र 34—जलालाबाद में मुलायम सिंह यादव सरकार द्वारा स्वीकृत विकास कार्यों को गलत रूप से रोकने के संबंध में ।

3—जनपद शाहजहांपुर में शस्त्रनादेश की परिधि में आने वाले समाजवादी जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं एवं साथियों को आग्नेय शस्त्रों के लाइसेन्स जानबूझकर न दिये जाने तथा नियम एवं कानून का उल्लंघन करते हुये भाजपा के समर्थकों का सरकार के दबाव में लाइसेंस निर्गत किए जाने के संबंध में ।

4—जनपद शाहजहांपुर में गन्ना मिल रौंजा के अन्तर्गत गन्ना क्रय केन्द्रों पर असली काश्तकारों का गन्ना न लेकर भाजपा के दलालों का गन्ना लिया जा रहा है जिसमें काश्तकारों का बहुत शोषण हो रहा इसको तत्काल रोकने के संबंध में व दोषी व्यक्तियों एवं फर्जी सट्टों की जांच कराकर सट्टे बन्द करवाने के संबंध में ।

5—जनपद शाहजहांपुर में विन्दल एग्रो खाद की फैक्ट्री में जिन काश्तकारों की जमीनों का अधिग्रहण किया गया उन काश्तकारों के भरण पोषण की समस्या बनी हुई है । अधिग्रहण करने से पहले यह आश्वासन सरकार ने दिया था कि जिन काश्तकारों की जमीन फैक्ट्री में ली जायेगी उनको फैक्ट्री में नौकरी में प्राथमिकता देकर नौकरी दी जायेगी । लेकिन भाजपा सरकार बगैर विज्ञापन बगैर विचार के गलत ढंग से जनपद के बाहर के लोगों को नौकरी पर लगवा रही है। जिसको रोकने के संबंध में व किसानों का रुका हुआ रुपया जमीन अधिग्रहण का भुगतान तत्काल कराने के संबंध में व जनपद शाहजहांपुर के ही लड़कों को फैक्ट्री में नौकरी में लगवाने के संबंध में ।

6—जनपद शाहजहांपुर के विधान सभा क्षेत्र जलालाबाद में कलान ब्लाक के ग्राम बुद्धनगला से ब्लाक मिरजापुर के ग्राम जईतपुर तक बांध बांधने के संबंध में गंगा नदी का शैलाब रोकने के लिए इस तटबांध की स्वीकृति जिलाधिकारी शाहजहांपुर द्वारा मार्च 1991 में दी गई थी लेकिन इस फासिस्ट भाजपा

सरकार ने बांध की न बनवाने की नियत से पैसा दूसरे विभागों में स्थानान्तरित कर दिया गया इस बांध को तत्काल बनवाने के संबंध में।

7—जनपद शाहजहांपुर के विधान सभा क्षेत्र निगोही के तीन गांवों को दिन में 11 बजे जनवरी 92 को करीब 250 लोगों ने मिलकर लूट लिया था व औरतों के कान भी प्रहलादपुर में काटे गए । इस संबंध में इस फासिस्टवादी सरकार ने भी तक लूटा हुआ धन नहीं दिलवाया और न ही वहां के दोषी पुलिस अधिकारियों के विरुद्ध कोई कार्यवाही की गई । अति शीघ्र वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों का स्थानान्तरण कराकर उनके विरुद्ध कार्यवाही करने के संबंध में ।

8—जनपद शाहजहांपुर के विधान सभा क्षेत्र जलालाबाद में थाना मिरजापुर के अन्तर्गत बक्तावरगंज में पिछड़े माह में पड़ी डकैती की रिपोर्ट आज तक थाना इन्चार्ज ने दर्ज नहीं की जबकि मैंने भी पुलिस अधीक्षक को लिखित रूप में दिया था लेकिन अभी तक इन्जार्ज के खिलाफ कार्यवाही नहीं हुई । न ही रिपोर्ट दर्ज की गई तत्काल रिपोर्ट करवाकर थानाध्यक्ष के खिलाफ कार्यवाही करने के संबंध में।

9—जनपद शाहजहांपुर के विधान सभा क्षेत्र जलालाबाद में थाना मिरजापुर के अन्तर्गत ग्राम हरसिंहपुर में जनवरी के माह में एक 10 वर्ष की लड़की के साथ 6 लोगों ने बलात्कार किया जिसमें लड़की की मृत्यु घटना स्थल पर ही हो गयी लेकिन इस फासिस्ट भाजपा सरकार ने कोई भी जांच नहीं कराई जिसमें पुलिस ने रिपोर्ट भी अभी तक नहीं दर्ज की । घटना को दबा दिया गया रिपोर्ट लिखा-कर मुल्जिमों के खिलाफ कार्यवाही कराकर व थानाध्यक्ष के खिलाफ दण्डात्मक कार्यवाही करने के संबंध में ।''

56—श्री बाबूराम यादव—

प्रस्ताव के अन्त में निम्नलिखित जोड़ दिया जाय :—

''किन्तु खेद है कि श्री राज्यपाल ने अपने अभिभाषण में निम्नलिखित के सम्बन्ध में कोई उल्लेख नहीं किया :—

1—पूर्व सरकार द्वारा स्वीकृत व शुरू कराये गये विकास कार्यों को पूर्ण कराये जाने एवं धन की कमी का कोई बहाना न बनाये जाने के संबंध में।

2—मण्डल आयोग की शिफारिशों के अनुरूप पिछड़ी जातियों को 27 प्रतिशत आरक्षण के मुकदमा में सरकार द्वारा सक्षम पैरवी करने के संबंध में ।

3—राज्य सरकार द्वारा साम्प्रदायिक सद्भावना के साम्प्रदायिक दलों व संगठनों पर प्रतिबन्ध लगाए जाने के संबंध में ।

4—सरस्वती शिशु मंदिर सहित सभी मान्टेसरी स्कूलों में न्यूनतम वेतन अधि-नियम लागू किये जाने के संबंध में।''

क्र0 सं0 प्रस्तावक का नाम संशोधन का रूप

57–श्री ज्वाला प्रसाद यादव–

प्रस्ताव के अन्त में निम्नलिखित जोड़ दिया जाय:–

"किन्तु खेद है कि श्री राज्यपाल ने अपने अभिभाषण में निम्नलिखित के संबंध में कोई उल्लेख नहीं किया :–

1–प्रदेश में साम्प्रदायिक सद्भावना सुनिश्चित करने के लिए साम्प्रदायिक दलों, संगठनों, समूहों तथा गिरोहों पर प्रतिबन्ध लगाने के संबंध में,

2–प्रदेश सरकार द्वारा पिछड़े वर्ग के लिए 27 प्रतिशत आरक्षण से संबंधित मुकदमों की सक्षम पैरवी करने तथा उनकी 25 प्रतिशत आबादी वाले नागरिकों को मात्र 27 प्रतिशत आरक्षण न दिये जाने के फलस्वरूप सामाजिक अन्याय करने के संबंध में,

3–आजादी की लड़ाई में भाग लेने व भारत की राजनीति में दलित, पिछड़े वर्ग व अल्पसंख्यकों को सामाजिक न्याय व लोक तांत्रिक अधिकार के दिलाने के आन्दोलन का समय समय पर नेतृत्व करने वाले महान नेता स्व0 राम मनोहर लोहिया, स्व0 डा0 भीमराव अम्बेदकर, स्व0 चौधरी चरण सिंह, पूर्व प्रधान मंत्री, भारत सरकार के जनहित के सिद्धान्तों के प्रचार व विचार से सम्बन्धित पुस्तक प्रकाशन के लिए विशेष कार्यक्रम चलाये जाने के सम्बन्ध में,

4–प्रदेश के सर्वाधिक पिछड़े मांग के सर्वांगीण विकास के पूर्वांचल विकास परिषद् गठित कर उसमें समुचित धन देने तथा पूर्वान्चल विकास परिषद्, उत्तरांचल विकास परिषद् जैसा अलग मंत्री के अन्तर्गत होने के संबंध में,

5–मण्डल आयोग के बिन्दुओं को प्रदेश सरकार द्वारा कार्यक्रम बनाकर प्रचार कराने तथा लागू कराने के लिये कदम उठाने के संबंध में ।

6–विधान सभा क्षेत्र मछलीशहर स्थित सतहरीया औद्योगिक केन्द्र के विकास हेतु विशेष धन का प्राविधान करने के संबंध में,

7–मछलीशहर की सभी स्वीकृत सड़कों, पुलों का निर्माण प्राथमिकता से कराए जाने के संबंध में,

8–मछलीशहर में आई0 टी0 आई0 की स्थापना के संबंध में,

9–मछलीशहर के ग्रामीण अंचलों में स्कूल अस्पताल, पंचायत आदि बनवाने के संबंध में,

10–मछलीशहर टाउन एरिया में स्थित चौराहा पर पूर्व प्रधान मंत्री स्व0 चौधरी चरण सिह की आदमकद प्रतिमा स्थापित कराने के संबंध में ।"

58–श्री गामा राम शास्त्री–

प्रस्ताव के अन्त में निम्नलिखित जोड़ दिया जाय:–

"किन्तु खेद है कि श्री राज्यपाल ने अपने अभिभाषण में निम्नलिखित के संबंध में कोई उल्लेख नहीं किया है:–

1–मेरे विधान सभाई क्षेत्र सादात में गांगी नदी पर तहाड़पुर एवं रामपुर माझा मार्ग पर पहाड़पुर घाट पर पुल का निर्माण तथा इसी नदी पर भीतरी घाट के पास भीतरी सैदपुर मार्ग पर पुल का निर्माण कार्य साथ ही जियापुर घाट पर पुल का निर्माण कार्य जनहित को ध्यान में रखते हुए शासन द्वारा पूरा कराने के सम्बन्ध में,

2–भीतरी से सदिया बाद राज्य मार्ग पर पुल का धावाजुन और गाँधिया के बीच पुल का निर्माण कार्य, जनहित में पूरा कराने के संबंध में,

3–मेरे पिछड़े क्षेत्र में प्राथमिक शिक्षा जूनियर बेसिक तथा माध्यमिक कक्षाओं में लड़कियों की शिक्षा हेतु स्कूलों की स्थापना नहीं के बराबर है, को रामपुर माझा, ठहुना, मिर्जापुर, इमिलिया, किशोहरी, एवं अनौनी को जनहित में खुलवाने के सम्बन्ध में,

4–भवनहीन प्रा0 बे0 व मा0 विद्यालयों के निर्माण कार्य अविलम्ब जनहित में पूरा कराने के सम्बन्ध में,

5–विद्युत उपकेन्द्र की स्थापना हेतु रामपुर माझा, देवकली, भीतरी, बहरियाबाद पर थर्टी थ्री के0वी0ए0 की जनहित में स्थापना कराने के सम्बन्ध में

6–हमारे क्षेत्र में काफी मात्रा में गंगा नदी के किनारे असिंचित क्षेत्रों की जहां सिंचाई का कोई साधन नहीं है सिंचाई हेतु सर्वे कराकर नलकूप लगाने की व्यवस्था कराने के सम्बन्ध में,

7–मेरे क्षेत्र सादात 235 के अधीन गरीबों को सरकार द्वारा आवंटित भूमि पर कब्जा दिलाने व अत्याचार को रोकने की सरकार की नीति का पालन सही ढंग से कराने, तथा पट्टे आदि की गलत कार्यवाही में जो प्रधान अधिकारी, कर्मचारी सम्मिलित हों जांच कराकर उनके खिलाफ जनहित में कार्यवाही करने के सम्बन्ध में,

8–मेरे क्षेत्र सादात में खंड विकास अधिकारी सादात खंड विकास अधिकारी देवकली खंड विकास अधिकारी मिनिहारी, द्वारा दल साख नलकूप योजना में की गई धांधली के जांच कमिश्नर द्वारा बिना भेद-भाव के सरकार के धन के दुरूपयोग करने वाले अधिकारियों एवं कर्मचारियों को जांच कराकर जनहित में दण्डित कराने एवं अनुसूचित जातियों के आवास जो निर्बल वर्ग इन्दिरा आवास या शौचालय सरकार द्वारा बनवाए जा रहे हैं इसमें सरकारी धन के दुरुपयोग आदि में लिप्त कर्मचारियों एवं अधिकारियों के विरुद्ध निष्पक्ष जांच बैठाकर जनहित में उचित कार्यवाही करने के संबंध में,

9—मेरे क्षेत्र सादात में गरीबों हेतु सरकार द्वारा चलायी जा रही स्कीम जिसमें बैंक अधिकारी, कर्मचारी, प्रधान, सेक्रेटरी, ग्राम सेवक, बी0डी0ओ0 आदि द्वारा की गई धांधली की जांच कराकर जिन लाभार्थियों को लाभ न मिला हो दिलाने तथा गरीबों की झोपड़ियों की सरकार द्वारा विकास के नाम पर करायी जा रही के दिलावसूली व निकालामी के कारण गरीब बे मौत मर रहे हैं को अविलम्ब रोकने की कार्यवाही तथा जांच द्वारा अनुचित पाए जाने पर लिप्त संदिग्ध लोगों के खिलाफ जनहित में उचित कार्यवाही कराने के संबंध में,

10—मेरे क्षेत्र सादात में सड़कों का अभाव है तथा जो सड़कें हैं उन पर आना जाना दुर्लभ है । जो स्टेट सैक्टर में लेकर डलवाया जाने के संबंध में,

11—मेरे क्षेत्र में नहरों द्वारा भी सिंचाई होती है जिसमें शारदा सहायक व देवकी पम्प कैनाल भी सम्मिलित शारदा सहायक पर बिजरवा मंगारी पट्टी आदि जगहों पर जनहित में पुलिया व कुलावा का निर्माण तथा देवकली पम्प नहर पर पचरासी व इमिलीया शाखा का निर्माण तथा इमलिया पर छलका तथा राजपुर खुरा पर पुलिया का निर्माण कराये जाने के संबंध में,

12—शारदा सहायक से गौर, कनेरी, पिपनार, कटया मौधिया समोधर, कुन्दे रसी पुर क्रेन का निर्माण कराने के संबंध में,

13—सैदपुर नन्दगंज के बीच पावर हाउस की लाइन को डबल करने की व्यवस्था अविलम्ब कराने के संबंध में,

14—मेरे क्षेत्र सादात में पानी टंकी रियावाग व मीतरी में पानी टंकी की स्थापना अविलम्ब कराया जाए तथा पेय जल की काफी असुविधा को ध्यान में रखते हुए मेरे क्षेत्र के अन्तर्गत 20,000 हजार हैण्ड पम्प की व्यवस्था अविलम्ब कराए जाने के संबंध में,

15—मेरे क्षेत्र में रामपुरा माझा, सीरीगठा, देवकली, गर्दाईपुर में 25 बेड के अस्पताल की भी आवश्यकता है जिसको जनहित में पूरा कराने के संबंध में,

16—मेरे क्षेत्र में लड़कियों के डिग्री कालेज को खुलवाने की व्यवस्था अविलम्ब कराने के सम्बन्ध में,

17—नन्द गंज शिहोरी शुगर मिल जनपद गाजीपुर चीनी मिल द्वारा सिंहोरी चिलार, डंडापुर, गोला तक सड़क का निर्माण अविलम्ब कराए जाने के संबंध में,

18—पुलिस अधिकारी व कर्मचारियों की मिली भगत द्वारा गाजीपुर स्थित क्षेत्र सादात में असहायों/दलितों/शोषित/पीड़ित/एवं पिछड़े वर्ग के लोगों को जान-बूझ कर परेशान करने, फर्जी मुकदमें में फंसाने को अविलम्ब जनहित में रोकने के संबंध में,

19—जिलाधिकारी व जिला राजस्व अधिकारी गाजीपुर द्वारा दलितों/शोषितों एवं पिछड़े वर्ग के लोगों की परेशानियों पर ध्यान न देकर उन्हें

प्रताड़ित करने व कराने की प्रवृत्ति पर रोक लगाकर गरीबों की हक की रक्षा तथा जिलाधिकारी गाजीपुर व सी0 आर0 ओ0 गाजीपुर के नाखिचाद को रोकने एवं जखनिया व कासिमाबाद में तहसील की स्थापना की घोषणा शासन द्वारा अविलम्ब जनहित में कराने के संबंध में ।

20—मेरे उक्त अत्यन्त पिछड़े क्षेत्र में गरीबों, शोषितों एवं पिछड़े वर्गों के लोगों का उत्थान करने हेतु किसी बड़ी फैक्ट्री को अविलम्ब स्थापित करने के संबंध में, अविलम्ब व्यवस्था कराई जाये जिससे गरीबों, शोषितों एवं पिछड़े वर्गों के लोगों का उत्थान किया जा सके ।

59—श्री अवधपाल सिंह यादव—

प्रस्ताव के अन्त में निम्नलिखित जोड़ दिया जाय :—

"किन्तु खेद है कि श्री राज्यपाल ने अपने अभिभाषण में निम्नलिखित का उल्लेख नहीं किया है:—

1—जनपद एटा की तहसील अलीगंज की गांव सभा दाऊदगंज में किए गए फर्जी पट्टों की जांच की घोषणा के संबंध में,

2—एटा जनपद के जैथरा कुरावली मार्ग पर काली नदी का पुल निर्माण कराने की घोषणा के सम्बन्ध में ।

3—एटा जनपद की डाकू ग्रस्त योजना का करोड़ों रुपया जो सरकार ने किसी अन्य मद में खर्च कर दिया है उस धन को डाकू ग्रस्त योजना एटा में ही लगाए जाने के संबंध में ।

4—एटा जनपद की टाउन एरिया राजा का रामपुर के चेयरमैन के द्वारा लोक निर्माण विभाग की जमीन में राजा का रामपुर कम्पील मार्ग पर अवैध निर्माण के विरुद्ध कार्यवाही के संबंध में ।

5—कृषि उत्पादन मण्डी अधिनियम 1964 एवं नियमावली, 1965 के इस स्पष्ट प्राविधान के विपरीत कि मण्डी समिति के आय का 60 प्रतिशत उसी क्षेत्र की मण्डी समिति में विकास के लिए व्यय किया जायेगा ? जनपद एटा की मण्डी अलीगंज से 30 लाख रुपया मुख्यालय मण्डी परिषद् लखनऊ उ0 प्र0 में मंगा लिया है उक्त रुपए को वापस लखनऊ उ0 प्र0 में मंगा लिया है उक्त रुपए को वापस दिलाए जाने के संबंध में ।

6—कृषि उत्पादन मण्डी समितियों की ओर से गरीब एवं प्रतिभावान छात्रों को छात्रवृत्ति दी जाने के संबंध में ।

7—अलीगंज फरुर्खाबाद रोड पर बस परमिट बढ़ाए जाने के संबंध में ।

8—एटा जनपद की विकास खण्ड जैथरा में फर्जी बोरिंगों की जांच कराने के संबंध में ।

9—विधायकों एवं भू0 पू0 विधायकों एवं सांसदों एवं भू0 पू0 सांसदों की सम्पूर्ण सुरक्षा व्यवस्था कराये जाने के संबंध में ।

10—जनपद एटा के विकास खण्ड अलीगंज में चीनी मिल लगवाने के संबंध में।

11–एटा जनपद के ब्लाक जैथरा में कोई भी बड़ा उद्योग लगाये जाने के संबंध में।

12–अलीगंज से विल्सड़ मार्ग लेपन स्तर तक बनाये जाने के संबंध में।

13–एटा जनपद में अलीगंज से जसरथपुर तक लेपन स्तर तक का मार्ग बनाने के संबंध में।

14–एटा जनपपद के तहसील अलीगंज में स्वीकृत 132 के0 बी0 पावर स्टेशन शीघ्र पूर्ण कराने के संबंध में ।

15–एटा जनपद के अलीगंज एटा मार्ग विजय के भट्टा से मंगला लीलाधर से नगला बेनी से कूधापुर बुजुर्ग होकर अलीगंज पटियाली मार्ग तक बनवाने के संदंध में ।

16–धुमरी रूपधनी मार्ग के कठिंधरा घाट पर काली नदी का पुल बनवाये जाने के संबंध में ।

17–अलीगंज जैथरा मार्ग से विजौली होकर दरियागंज मार्ग तक नई सड़क बनाये जाने के संबंध में ।

18–जैथरा कुरावली गार्ग काली नदी पर पुल बनाये जाने के संबंध में।

19–मा0 श्री मुलायम सिंह यादव द्वारा स्वीकृत विकास कार्यों को पूर्ण कराये जाने के संबंध में ।

20–भयमुक्त समाज का नारा देकर विपक्ष के राजनैतिक सामाजिक लोगों पर फर्जी मुकदमा कायम कराकर फंसाये जाने के संबंध में।

21–वी0 आई0 पी0 माना जाता है विधायकों को एक सहायक (टाइपिस्ट) दिये जाने के संबंध में।

22–एटा जनपद में नवोदय विद्यालय भरगैन के नाम से मंजूर है जहां बिल्डिंग भी उपलब्ध है तथा कई लाख रुपये का सामान एवं नवोदय विद्यालय का कार्यालय खुल चुका है भरगैन में नवोदय विद्यालय को बनाये जाने के संबंध में ।

23–एटा जनपद के विकास खण्ड अलीगंज जैथरा पटियाली गंज डुन्रवारा सहावत, सोरू, अमापुर, में बागवानी करने हेतु एवं बाग लगाने हेतु अमरूद की फल पट्टी की घोषणा के संबंध में।

24–अलीगंज तहसील में डिग्री कालेज खोलने के संबंध में।

25–विकास खण्ड जैथरा जनपद एटा की ऊसर सुधार योजना के संबंध में।

26–प्रदेश में विकास प्राधिकरणों को समाप्त किए जाने के संबंध में।''

60–श्री हरदेव सिंह–

प्रस्ताव के अंत में निम्नलिखित जोड़ दिया जाय :–

किन्तु खेद है कि श्री राज्यपाल ने अपने अभिभाषण में निम्नलिखित के संबंध में कोई उल्लेख नहीं किया :–

1–बाराबंकी जनपद के अंतर्गत शारदा सहायक फीडर चैनल के कि0 मी0 95 से 104 कि0 मी0 तक सीपेज निवारण के लिए पक्की लाईनिंग निर्माण, के संबंध में ।

2–विकास खण्ड निन्दूरा, बाराबंकी में इण्टर कालेज खोलने के संबंध में ।

3–फतेहपुर जनपद बाराबंकी में बालिका इण्टर कालेज एवं उच्चीकृत प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र की स्थापना के संबंध में।

4–भगौली-कभाडांडा होते हुए पैतेपुर कस्बे तक सम्पर्क मार्ग का निर्माण किये जाने के संबंध में।

5–फतेहपुर-बाराबंकी में डिग्री कालेज खोलने की व्यवस्था के संबंध में।

6–कल्याणी नदी की सफाई किये जाने के संबंध में।

61–श्री श्यामलाल रावत–

प्रस्ताव के अन्त में निम्नलिखित जोड़ दिया जाय :–

"किन्तु खेद है कि श्री राज्यपाल ने अपने अभिभाषण में निम्नलिखित के संबंध में कोई उल्लेख नहीं किया :–

1–चरम सीमा पर बढ़ी महंगाई कम करने के संबंध में।

2–बढ़ी विद्युत दरें कम करने के संबंध में,

3–विधान सभा क्षेत्र सिधौली, जनपद सीतापुर के अन्तर्गत विकास खण्ड सिधौली, विकास खण्ड कसमण्डा तथा विकास खण्ड पहला के ग्रामों में हर वर्ष भीषण जल भराव समाप्त करने के संबंध में,

4–जनपद लखनऊ, हरदोई तथा सीतापुर की सीमा पर गोमती नदी में भटपुर घाट का अधूरा पुल का अधूरा निर्माण कार्य पूरा कराने के संबंध में,

5–ग्राम सभा गाजीपुर, विकास खण्ड सिधौली एवं ग्राम सभा बम्भौरा, विकास खण्ड कसमण्डा, जनपद सीतापुर में वर्ष 90-91 में स्वीकृत प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों को संचालित करने के संबंध में,

6–भारी अग्निकाण्ड और जन धन की हानि को देखते हुए सिधौली जनपद सीतापुर में अग्निशमन केन्द्र स्थापित करने के संबंध में,

7–सिधौली में आई0 टी0 आई0 विद्यालय खोलने के संबंध में,

8–विगत वर्ष 90-91 में जनपद सीतापुर के विकास खण्ड सिधौली, विकास खण्ड कसमण्डा तथा विकास खण्ड पहला में स्वीकृत किये गये राजकीय नलकूपों का निर्माण कार्य कराने के संबंध में,

9–सिधौली, जनपद सीतापुर में 132 के0 वी0 पावर स्टेशन का निर्माण कार्य प्रारम्भ करने के संबंध में,

10–जनपद सीतापुर में सिधौली महमूदाबाद रोड के हरदोईया क्रासिंग से वर्ष 90-91 में लोक निर्माण विभाग से स्वीकृत ढाई किलोमीटर रोड का निर्माण कार्य प्रारम्भ कराने के सम्बन्ध में।

62–श्री राज नारायण विन्द–

प्रस्ताव के अन्त में निम्नलिखित जोड़ दिया जाय :–

"किन्तु खेद है कि श्री राज्यपाल ने अपने अभिभाषण में निम्नलिखित का कोई उल्लेख नहीं किया :–

1–प्रदेश के मल्लाह, बिन्द, केवट, माझी, गोड़िया, बाथम जाति के लोग जिनका परम्परागत व पारिवारिक पेशा बालू खनन करना, मछली का शिकार, माहीकरना तथा मछली पालन करना, घाटों पर नाव चलाना, नदियों तालाबों के माध्यम से जीविकोपार्जन करना है । इन्हें इन चीजों में भागीदारी देने के संबंध में,

2–पिछड़ी जातियों को छोटी व बड़ी नौकरियों में 27 प्रतिशत की भागीदारी या आरक्षण देने के संबंध में ।

4–प्रदेश में बलिया, आजमगढ़, मऊ, जौनपुर, वाराणसी, गोण्डा आदि जनपदों में प्रशासन की कमजोरी के कारण गोली काण्ड और लाठी चार्ज में काफी संख्या में छात्र मारे गये हैं । मृत छात्रों के परिवारों को दो-दो लाख रुपया तथा घायलों को 50-50 हजार रुपये मुआवजा दिए जाने के संबंध में,

4–पुलिस पर सरकार की पकड़ मजबूत करने एवं पुलिस की मनमानी रोकने के संबंध में,

5–गरीब, किसान, मजदूर, दस्तकार, दलित और पिछड़े, अल्प संख्यक वर्ग के लोगों को अत्याचार और महंगाई के मार से मुक्ति दिलाने के संबंध में,

6–प्रदेश में साम्प्रदायिकता, घृणा और मारकाट की भावना रोकने के संबंध में,

7–प्रदेश में धर्मनिरपेक्षता कायम करने के संबंध में,

8–भ्रष्टाचारी अधिकारियों पर कड़ी नजर रखने, डन्डी मारों पर मुकदमा चलाने, चोर बाजारियों व जमाखोरों की गोदामों व दुकानों पर छापा मार कर टैक्स चुराने व नम्बर दो की बही पकड़वाने तथा उन्हें जेल के हवाले करने तथा सरकार जनमत तैयार कर महंगाई बढ़ाने वालों पर कार्यवाही करने के संबंध में,

9–सरकारी कर्मचारी संगठनों आदि के आन्दोलन का समाधान करने के सम्बन्ध में,

10–श्री मुलायम सिंह के नेतृत्व में पूर्व सरकार ने विकास कार्य के लिए जो धन स्वीकृति दिया था और निर्माण कार्य शुरू हो गये थे उसे जनहित में पूरा कराने तथा चौधरी चरण सिंह डा0 राम मनोहर लोहिया, भीमराव अम्बेदकर के रास्ते पर चल कर गांव का सर्वांगीण विकास करने के संबंध में,

11–प्रदेश के मल्लाह, विन्द, केवट, माझी, माहीगीर, गोड़िया, बाथम, निषाद जातियों को अनुसूचित जाति सम्मिलित करने के संबंध में।'

63–श्री सुरेन्द्र सिंह–

प्रस्ताव के अन्त में निम्नलिखित जोड़ दिया जाय :–

"किन्तु खेद है कि श्री राज्यपाल ने अपने अभिभाषण में निम्नलिखित के संबंध में कोई उल्लेख नहीं किया :–

1–जनपद गाजीपुर में थाना मरदह के अन्तर्गत पुलिस चौकी मटेहू के ग्राम में छात्र श्री प्रमोद कुमार सिंह की पुलिस द्वारा निर्मम हत्या तथा कुछ छात्रों को घायल करने पुलिस द्वारा निर्मम हत्या तथा कुछ छात्रों को घायल करने से उत्पन्न स्थिति के बारे में उल्लेख किया जाय तथा सरकार द्वारा दोषी पुलिस कर्मी के विरुद्ध उचित कार्यवाही के संबंध में।

2–जनपद गाजीपुर में मृतक छात्रों के परिवारों को तथा घायल छात्रों को आर्थिक सहायता नहीं दी गयी है और मृतक छात्र श्री प्रमोद कुमार सिंह के परिवार के किसी व्यक्ति को सेवा का भी अवसर प्रदान करने के संबंध में।

3–जनपद गाजीपुर के कासिमाबाद में तहसील खोले जाने के संबंध में।

4–जनपद गाजीपुर के कासिमाबाद स्थित 132 के0 बी0 का विद्युत उपकेन्द्र, जो राज्य विद्युत परिषद् द्वारा भारत सरकार के ऊर्जा मंत्रालय के पी0 एफ0 सी0 के अध्यक्ष को संस्तुत करने भेजा गया है उपरोक्त विद्युत उपकेन्द्र को निर्माण कराये जाने के संबंध में ।

5–जनपद गाजीपुर के ग्राम भोजपुर सिगेरा, बरेसर तथा डेहमा में 33 के0 बी0 विद्युत उपकेन्द्र खोले जाने के संबध में ।

6–जनपद गाजीपुर में 15 के0 वी0 ए0 250 के0बी0ए0 63 के0 बी0 ए0 तथा 100 के0 बी0 ए0 के ट्रान्सफार्मर पूर्ण रूप से जले हुए हैं, उनको नये बदलवाने के सम्बन्ध में।

7–जनपद गाजीपुर में ग्राम पचार बाराचवर कासिमाबाद तथा मरहद में राजकीय बालिका हाई स्कूल खोले जाने के संबंध में,

8–जनपद गाजीपुर में विकास खण्ड बाराचवर के ग्राम अमहट ग्राम दहेदू, मोहसनपुर, ग्राम बाराचवर में जू0 हाई स्कूल की आवश्यकता है, इसी विकास खण्ड के ग्राम बघई ग्राम बीरसिंहपुर तथा पीलिया में बेसिक प्रा0 पाठशाला खोले जाने के संबंध में,

9–जनपद गाजीपुर में विकास खण्ड कासिमाबाद के सरवाजपुर में मकसूदपुर सोना, जूनियर हाई स्कूल खोले जाने के संबंध में।

10–जनपद गाजीपुर में विकास खण्ड मरहद में रायपुर, बागपुर, पाण्डेपुर, राघेबसवाड़ी में जू0 हाईस्कूल खोले जाने के संबंध में,

11–जनपद गाजीपुर में कासिमाबाद बहादुरगंज, इटौरा मार्ग के राउस नदी पर पुरानीगंज घाट की अधूरे पक्के पुल के निर्माण कार्य को पूरा कराने के संबंध में,

12–जनपद गाजीपुर में भोजापुर, पनसेरवा, नकदपुर, पिपरीडीह मार्ग पर भैसही नदी पर नकदपुर घाट पर 1984-85 के बजट में स्वीकृत पक्के पुल के निर्माण कार्य को पूरा कराने के संबंध में,

13–जनपद गाजीपुर में अलावतपुर बरेसर, तिहारीपुर मार्ग भरौरीकला, गोसलपुर मार्ग अपतहीताजपुर, गड़ाल मार्ग जवाहर नगर, कामूपुर, गांधी नगर, बररावर, जहूराबाद मुबारकपुर, गंगौली मार्ग, अमहट असावर, नवादा मार्ग, अजीबाग, कटया सरवाजपुर मार्ग पर मिश्रौली के पास टूटी हुई पुलिया का निर्माण कासिमाबाद ब्लाक मार्ग से कादीपुर व भवरे गोराबरेसर मार्ग, कासिमाबाद, इन्दौर गोविन्दपुर मार्ग के शेव भाग मरहदपिपना कोड़ांली मार्ग, होजापुर. मनसेरवा-हरिहरपुर, नखतपुर मार्ग हदेरा-बिजौरा-कूरनखतपुर मार्ग, मटेहू-गाई-धरिया-सलामतपुर मार्ग, सिधागन-रामगढ़ सलामतपुर मार्ग, बरौजिया-महुआरी-मरदानपुर मार्ग । उपरोक्त मार्ग को सा0 नि0 वि0 द्वारा पुलिया गिट्टी तथा मिट्टी द्वारा बनायी जा चुकी है, उनके पिच करने के संबंध में।

14–जनपद गाजीपुर के विकास खण्ड बाराचवर में अनुसूचित जाति एवं महिलाओं की संख्या अधिक है । इसलिए इस विकास खण्ड में आई0सी0 डी0 एस0 लागू करने के संबंध में ।

15–जनपद गाजीपुर में नन्दगंज सिहोरी कारपोरेशन लि0 द्वारा गन्ना किसानों का समय से न लिये जाने तथा तौल के संबंध में।

64–श्री गिरधारी लाल–

प्रस्ताव के अन्त में निम्नलिखित जोड़ दिया जाय:-

"किन्तु खेद है कि श्री राज्यपाल ने अपने अभिभाषण में निम्नलिखित के संबंध में कोई उल्लेख नहीं किया:-

1–जनपद गाजीपुर के विधान सभा क्षेत्र जखनियां में सदियावाद, सादातखंड सूमजई जखनिया दुल्लहपुर में शासन द्वारा पी0 डब्लू0 डी0 मार्ग स्वीकृत है इन तीन नदियों पर पुल निर्माण हेतु तथा मार्ग को पैंटिंग करने हेतु बजट स्वीकृत कराकर निर्माण कार्य कराये जाने के संबंध में ।

2–जनपद गाजीपुर के जखनिया ब्लाक में जखनिया, जाही, झोटना, रायपुर मार्ग, शासन द्वारा स्वीकृत है इस मार्ग पर बजट स्वीकृत करके निर्माण कराया जाय तथा इसी सड़क पर बेशो नदी में कुड़िलाघाट पर सातवीं पंचवर्षीय योजना में पुल प्रस्तावित था शासन द्वारा बजट स्वीकृत करके पुल का निर्माण कराया जाए तथा जनता की भावनाओं का आदर किये जाने के संबंध में।

3–जनपद गाजीपुर के ब्लाक सादात तथा जखनियां में जाही, झोटना, लोक निर्माण विभाग स्वीकृत है। शासन बजट स्वीकृत कर मार्ग की पैंटिंग तक कार्य कराये जाने के संबंध में।

4–जनपद गाजीपुर के जखनियां ब्लाक में कंचनपुर से जखनियां सहायक शारदा कैनाल की पटरी शासन द्वारा पैंटिंग करने के वजह के संबंध में।

5–जनपद गाजीपुर में सादात जखनियां ब्लाक गाजीपुर के पश्चिमी दिशा में है इस क्षेत्र में शिक्षा दीक्षा लेने के लिए कोई कालेज नहीं है शासन द्वारा बजट स्वीकृत कर राजकीय कन्या इन्टर कालेज खोलने के संबंध में।

6—जनपद गाजीपुर में जखनियां ब्लाक रेलवे स्टेशन के पास 33 के बी0 ए0 विद्युत सब स्टेशन है 33 के बी0 स्टेशन में से रेलवे लाइन से पश्चिम उत्तर प्रदेश शासन द्वारा बजट स्वीकृत करके रेलवे लाइन से बिजली क्रास कराने के संबंध मे ।

7—जनपद गाजीपुर में मनिहारी ब्लाक में वीर अब्दुल हामिद रोड में से तिरक्षी होते हुए जखनियां तक शासन द्वारा लोक निर्माण मार्ग स्वीकृत है, शासन द्वारा बजट देकर पेंटिंग कार्य कराने के संबंध मे ।

8—जनपद गाजीपुर के जखनियां तथा मनिहारी ब्लाक जखनियां से सादियाबाद लोक निर्माण विभाग द्वारा स्वीकृत है । इस रोड पर शासन द्वारा बजट पास कराकर पेन्टिंग का कार्य कराने के संबंध में ।

9—जनपद गाजीपुर के नन्दगंज सादियाबाद मार्ग में से कटघरा, हरिहरपुर लोक निर्माण विभाग द्वारा स्वीकृत है शासन द्वारा बजट स्वीकृत करके पेन्टिंग का कार्य कराने के संबंध में।

10—जनपद गाजीपुर के विधान सभा क्षेत्र के जखनिया के बहुत से प्राइमरी स्कूल भवन नहीं है, छात्र-छात्राओं तथा अध्यापकों को पेड़ के नीचे पठन पाठन का कार्य करना पड़ता है । शासन द्वारा बजट पास कर भवन बनाये जाने के संबंध में।

11—जनपद गाजीपुर के विधान सभा क्षेत्र के जखनियां के अन्तर्गत जखनियां-सादात के अधिकांश क्षेत्र ऊसर है इस क्षेत्र में निवास करने वाले गरीब एवं हरिजन बाहुल्य है अतः ऊसर सुधार योजना स्वीकृत करके इस पिछड़े क्षेत्र में कृषि उत्पादन में वृद्धि कराने के संबंध में।

12—जनपद गाजीपुर के विधान सभा क्षेत्र जखनियां के ग्राम कटसीकडी में विद्युत सब स्टेशन प्रस्तावित है शासन द्वारा बजट स्वीकृत कराकर यह कार्य कराये जाने के संबंध में ।

13—जनपद गाजीपुर के विधान सभा क्षेत्र जखनियां, पूर्वांचल तथा गाजीपुर में भी अत्यन्त पिछड़ा हुआ है यह क्षेत्र सदैव हरिजन बाहुल्य क्षेत्र होने के नाते विधान सभा तथा लोक सभा क्षेत्र हरिजन रहा है इस क्षेत्र का विकास हर दिशा में रुका हुआ है इसलिए शासन द्वारा विशाल बजट स्वीकृत कराकर बहुत बड़ा उद्योग का निर्माण कराने के संबंध में ।

13—जनपद गाजीपुर के विधान सभा जखनियां क्षेत्र में विरांव-सादियाबाद मार्ग में से इनवा मठीया होते हुए लोक निर्माण मार्ग शासन द्वारा स्वीकृत है शासन द्वारा बजट स्वीकृत कराकर निर्माण कार्य कराने के संबंध में।

15—जनपद गाजीपुर से जखनियां रायपुर से जौनपुर रोडवेज की बस चलाने की स्वीकृति के संबंध में।

16—जनपद गाजीपुर से जखनियां प्यारेपुर मोड़ होते हुए रायपुर आजमगढ़ रोडवेज बस चलाने की स्वीकृति कराये जाने के संबंध में।

17–जनपद गाजीपुर के विधान सभा क्षेत्र जखनियां को तहसील की घोषणा हो चुकी है, कोषागार बनकर तैयार है । शासन द्वारा बजट स्वीकृत करके तहसील का कार्य कराने के संबंध में।

18–जनपद गाजीपुर धिरनो से पिपनार लोक निर्माण मार्ग अधूरी है, पूरा कराने के संबंध में।

19–जनपद गाजीपुर विधान सभा जखनियां, एक पानी की बड़ी टंकी की जरूरत है शासन द्वारा बजट स्वीकृत कराकर निर्माण कार्य के संबंध में ।

20–उत्तर प्रदेश प्रत्येक विभाग में अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति के आरक्षण को पूरा करने के संबंध में।

21–उत्तर प्रदेश जिस तरह से लोक सभा तथा विधान सभा का आरक्षण पूरा किया गया है उसी तरह पंचायत, जिला परिषद् तथा सहकारिता बैंकों में आरक्षण पूरा करने के संबंध में।

65–डा0 बृजभान यादव–

प्रस्ताव के अन्त में निम्नलिखित जोड़ दिया जाय:-

किन्तु खेद है कि श्री राज्यपाल ने अपने अभिभाषण में निम्नलिखित के संबंध में कोई उल्लेख नहीं किया :–

1–भयमुक्त समाज का वादा देने वाली भाजपा सरकार पूरे प्रदेश में गरीबों, पिछड़ों, दलितों व अल्प संख्यकों को प्रशासनिक व पुलिस उत्पीड़न द्वारा भयाक्रान्त कर दिये जाने के संबंध में ।

2–महंगाई व जमाखोरी कालाबाजारी अपने चरम उत्कर्ष पर है जिसके फलस्वरूप गरीबी का जन जीवन अस्त व्यस्त होने तथा गरीब जनता प्रदेश से पलायन करने के संबंध में ।

3–भाजपा से सम्बद्ध संस्थाओं के लोगों द्वारा प्रशासन में अनाधिकृत रूप से हस्तक्षेप करके लोकतांत्रिक व्यवस्था को सीधी चुनौती दिए जाने के सम्बन्ध में,

4–इलाहाबाद जनपद के हण्डिया विधान सभा क्षेत्र, औद्योगिक दृष्टिकोण से शून्य है यहां किसी बड़े कारखाने के लगाने के संबंध में,

5–हण्डिया विधान सभा क्षेत्र के बीड़ी मजदूरों को नियमित तथा उचित दर से मजदूरी न मिलने की समस्या के विषय में,

6–हण्डिया के वर्तमान परगनाधिकारी द्वारा वसूली के नाम पर गरीबों को सताये जाने तथा अवैध पट्टा करने के संबंध में,

7–हंडिया विधान सभा क्षेत्र में पेयजल के गम्भीर संकट को देखते हुए जल निगम द्वारा कम से कम पांच टंकियों व ट्यूबवेल मंगवाने के सम्बन्ध में,

8–भाजपा सरकार के इशारे पर पुलिस द्वारा फैजाबाद में निर्दोष छात्रों पर लाठी चार्ज तथा हत्या किए जाने के संबंध में,

66–श्री शिव बालक पासी–

प्रस्ताव के अन्त में निम्नलिखित जोड़ दिया जाय :–

किन्तु खेद है कि श्री राज्यपाल के अभिभाषण में निम्नलिखित के संबंध में कोई उल्लेख नहीं किया:–

1–आधारीय और प्रमाणित कृषि बीजों तथा रसायनिक उर्वरकों का दाम घटाकर कृषि उपज में गुणात्मक वृद्धि करने के संबंध में ।

2–सम्पर्क मार्गों के निर्माण के लिए ली जाने वाली भूमि का प्रतिकर (मुआवजा) निश्चित कर करोड़ों रुपये के अवरुद्ध सम्पर्क मार्गों के अविलम्ब निर्माण के संबंध में ।

3–किसी निश्चित अवधि के भीतर प्रदेश के समस्त विभागों की विभिन्न श्रेणियों में अनुसूचित जाति/अनुसूचित जन जातियों के नौकरी के आरक्षित कोटे को पूरा किये जाने के संबंध में ।

4–प्रदेश की समस्त स्थानीय निकायों के (1) ग्राम प्रधान (2) ब्लाक प्रमुख (4) अध्यक्ष जिला परिषद् (4) चेयरमैन टाउन एरिया (5) अध्यक्ष नगर पालिका (6) नगर प्रमुख, नगर महापालिका जैसे शीर्ष पदों में अनुसूचित जातियों/जन जातियों के लिए आरक्षण नीति लागू किए जाने के संबंध में ।

5–प्रत्येक सरकारी/अर्ध सरकारी विभागों में होने वाले मिट्टी के काम का ठेके केवल अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जन जातियों को आवंटित कर उसके सम्पादन हेतु ब्याज रहित ऋण उपलब्ध कराने के संबंध में ।

6–न्याय पंचायत विकास खण्ड और जिला स्तर पर श्रेणीवार आश्रम पद्धति के स्कूल खोले जाने के संबंध में ।

7–विधान सभा क्षेत्र सलोन जनपद रायबरेली में निम्नलिखित अर्द्ध-निर्मित सड़कों के तारकोल लेपन स्तर तक निर्मित कर पूरा कराये जाने के संबंध में ।

8–(1) डीह फर्सत गंज वाया टेकारी दांदू ।
(2) डीह फरसैदपुर वाया बीरगंज ।
(3) गांधीनगर-छतौह रोड से बेवल तक ।
(4) फुरसतगंज-डीह रोड से टेकारी दांदू वाया पोठई ।
(5) नसीराबाद सरांय मानिक वाया विरनांव बीरगंज ।
(6) गांधीनगर छतौह वाया परइयानमकसार ।
(7) बाबूगंज (सुल्तानपुर) पूरे राई (रायबरेली) वाया अद्दूमऊ ।
(8) नसीराबाद सण्डहा वाया एरईयानमकसार ।
(9) पारी धौरहरा वाया गुडवा हसनपुर ।
(10) रायबरेली प्रतापगढ़ रोड से जौदहां सड़क ।
(11) सलोन ऊंचाहार रोड से ममुनी गौड़वा हसनपुर ।
(12) नसीराबाद कुअंरमऊ वाया बैढौना ।
(13) रायबरेली प्रतापगढ़ रोड से कमालगंज इच्छन गौड़ा वाया रामपुर कीसहा ।
(14) करहिया बाजार से कान्हपुर और बैरमपुर ।

(15) वाराणसी रोड से किठांवा मोहनगंज तक ।
(16) वाराणसी रोड से मोहनगंज पालही पुर धरई पनाह नगर ।
(17) जायस सलोन रोड से साण्डा सैदन, बरवलिया रोड ।
(18) सलोन-जगतपुर रोड से अतर थरिया सड़क ।
(19) वाराणसी रोड से मीरजहांपुर वाया रतासी ।
(20) रतासों से भाटन का पूरवा रोड ।
(21) वाराणसी रोड से उसरी तक ।

9—रायबरेली के विकास खण्ड बहादुरपुर और विकास खण्ड छतौंह के भट्टन नाले पर (1) ग्राम मवई आलमपुर (2) हरीरामपुर टिररा (3) रीजयापुर के पास पुलों के निर्माण के संबंध में ।

10—विकास खण्ड सलोन जनपद रायबरेली में सई नदी के राजघाट पर पुल के निर्माण के संबंध में ।

11—ग्राम सहरी (विन्धागंज) विकास खण्ड सलोन जनपद रायबरेली की पश्चिमी हरिजन आबादी व खेतों में मिले तालाब से सलोन रजबहा को पार कर क्षोभ नाले तक ढाई कि0मी0 नाले के निर्माण के संबंध में ।

12—सलोन रजबहा जनपद रायबरेली अपनी टेल पर सैकड़ों एकड़ उपजाऊ भूमि सई नदी को बहा ले जा रही है का 1.5 कि0मी0 टेल पक्का कराने के संबंध में ।

13—गरीबी की रेखा से ऊपर उठाने के लिए गरीबों को दिए गए सभी प्रकार के ऋण माफ कराने के संबंध में ।

14—प्राय: विद्युत लाइन से खेत खलिहान और गांव के गांव जलकर राख हो जाते हैं के प्रभारी बचाव के संबंध में ।

15—(1) नसीराबाद विकास खण्ड छतौंह (2) सूची विकास खण्ड सलोन में राजकीय हाईस्कूल खोले जाने के संबंध में ।

16—ग्राम कचनांवा विकास खण्ड-डीह में सई नदी से लिफ्ट सिंचाई योजना के अंतर्गत पम्प कैनाल निर्मित कराये जाने के संबंध में ।

17—राजकीय इण्टर कालेज जायस जनपद रायबरेली के हाईस्कूल की कक्षाओं में विज्ञान वर्ग विषय खोले जाने के संबंध में ।

18—राजकीय इण्टर कालेज जायस रायबरेली के अर्धनिर्मित विज्ञान योगशाला के पूरा कराये जाने के संबंध में ।

19—(1) ग्राम दादूपुर मजरे वि0 ख0 सलोन में राजकीय नलकूप लगाने के संबंध में ।

(2) रामीपुर मजरे वरबलिया में भी राजकीय नलकूप लगाने के संबंध में।

20—अनु0 जातियों/जन जातियों की वर्ग 3 (आसामी) की भूमि को वर्ग-1 (भूमिधरी) में परिवर्तित कर दर्ज किए जाने के संबंध में ।

पी0एस0यू0पी0 एल0 147 विधान सभा (238)—1993—572 ।